अध्याय-I

विहगावलोकन*

वर्ष 2002-03 के दौरान गतिविधियाँ

1.1 वर्ष 2002-03 में ऊर्जस्वित सेवा क्षेत्र के साथ-साथ औद्योगिक वृद्धि में भी बहाली देखी गयी । तथापि, कृषि क्षेत्र में सूखे की स्थिति बनी रही और वर्ष 2002-03 के लिए समग्र सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर मंद रही। औद्योगिक वृद्धि में पुनः तेजी आने के अनुरूप अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के खाद्येतर ऋण के उठाव में भी कुछ वृद्धि हुई, विशेषकर, 2002-03 के उत्तरार्ध में। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के संविभाग में, आस्तियों की दृष्टि से अग्रिमों के पक्ष में कुछ झुकाव हुआ। अग्रिमों की तुलना में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की धारिता निर्धारित अपेक्षित स्तर से काफी अधिक होने तथा ब्याज दरों में गिरावट आने के कारण, उनकी प्रमुख आय में कोषागार से प्राप्त आय का हिस्सा मुख्य बना रहा। गैर-निष्पादक आस्तियों के अनुपात में गिरावट आयी। अनेक पहलें की गयीं, जैसे कि बेहतर जोखिम प्रबंध की परम्पराएं तथा बेहतर वसूली प्रयास जो अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय आस्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफैसी) अधिनियम 2002 के हाल ही में पारित होने से प्रेरित रही।

1.2 सहकारी बैंकों ने मामूली-सी वृद्धि दर्शायी और उनकी लाभप्रदता कम संतोषजनक रही। विकास वित्त संस्थाओं की गतिविधियों में कुछ कमी आयी जबकि गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों का कार्य-निष्पादन 2001-2002 में कम संतोषजनक रहा। वहीं अग्रणी आकंड़ों ने 2002-2003 के दौरान उस स्थिति में सुधार के कुछ संकेत दिये। रिज़र्व बैंक द्वारा अनेक विनियामक उपाय किये गये, जैसे - इस क्षेत्र की ब्याज दरों को अर्थव्यवस्था के शेष क्षेत्रों में विद्यमान ब्याज दरों के अनुरूप बनाना, विवेकसम्मत मानदण्डों को कठोर करना, परिचालन प्रक्रियाओं का मानकीकरण और पर्यवेक्षी दिशानिर्देशों का समन्वयीकरण ने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों को और आगे बढ़ाया।

व्यापक परिवेश

1.3 वर्ष 2002-03 के लिए 4.3 प्रतिशत समग्र सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर 2001-02 के 5.6 प्रतिशत की वृद्धि दर से निम्न थी, जिसका मुख्य कारण है - 14 वर्षों में पड़े सबसे भयंकर सूखे के कारण कृषि के सकल देशी उत्पाद में 3 प्रतिशत से अधिक की कमी का आना । दूसरी ओर, औद्योगिक उत्पादन ने व्यापक रूप से ऊर्ध्वमुखी वृद्धि दर्शायी। सेवा क्षेत्र में वृद्धि भी उच्चतर थी, जिसका मुख्य कारण था - निर्माण, देशी व्यापार, और परिवहन, 'वित्तपोषण', बीमा, स्थावर सम्पदा और कारोबारी सेवाओं के क्षेत्रों में उच्चतर वृद्धि दर कर होना। मुद्रास्फीति की वार्षिक दर (बिन्दु-दर-बिन्दु आधार पर थोक मूल्य सूचकांक) मध्य-जनवरी 2003 तक निम्न बनी रही, परंतु, उसके बाद मार्च 2003 के अंत तक बढ़ गया जिसका कारण था - खाद्येतर वस्तुओं और खनिज तेल के मूल्यों में आयी तेज वृद्धि। 2002-03 के वर्ष के पूरे लिए मुद्रास्फीति कुल मिलाकर थोक मूल्य सूचकांक की दृष्टि से 2001-02 के 3.6 प्रतिशत की तुलना में 3.4 प्रतिशत पर कुछ निम्नतर रही।

1.4 विश्वव्यापी मंदी और अनिश्चय के परिवेश के होते हुए भी, वणिक निर्यातों में तेज वृद्धि, सॉफ्टवेयर जैसे उच्चतर सेवाएं, निर्यात तथा भारी आवक विप्रेषण से प्रेरित होकर भुगतान संतुलन के चालू खाते ने वर्ष 2002-03 के दौरान 4.1 बिलियन अमरीकी डालर (सकल देशी उत्पाद के 0.8 प्रतिशत) का अधिशेष दर्शाया । 2002-03 के दौरान निवल पूंजी आगम बढ़कर 12.1 बिलियन अमरीकी डालर का हो गया। पूंजी खाते में इस सुधार के साथ भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार मार्च 2002 के अंत के 54.1 बिलियन अमरीकी डालर से काफी बढ़कर मार्च 2003 के अंत में 75.4 बिलियन अमरीकी डालर का हो गया।

1.5 देशी अर्थव्यवस्था में, चलनिधि की स्थितियां वर्षभर सुविधाजनक बनी रहीं। व्यापक मुद्रा ($एम_3$) में एक वर्ष पहले की 14.1 प्रतिशत की वृद्धि के और ऊपर 13.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 2002-03 के दौरान 14.0 प्रतिशत अनुमानित स्तर के अनुरूप थी। इसके घटकों में, 2002-03 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल जमाराशियां कुछ उच्चतर थीं (इसमें विलयन का प्रभाव भी शामिल है)। औद्योगिक उत्पादन में तेजी को दर्शाते हुए वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण के प्रवाह में निरन्तर वृद्धि बनी रही। 2002-03 के दौरान (विलयन के लिए समायोजन सहित) खाद्येतर ऋण तथा सरकारी प्रतिभूतियों, इन दोनों में वृद्धि काफी उच्चतर रही। बैंकों से इतर संस्थाओं, जिनमें ग्लोबल तथा अमरीकन डिपोजिटरी रसीद और विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड तथा वाणिज्यिक पत्रों के निर्गम भी शामिल हैं; से भी भारी संसाधन प्रवाह रहा।

* चूँकि यह रिपोर्ट 2002-03 से संबंधित है, अंत: इस अध्याय का मुख्य ध्यान वर्ष 2002-03 पर केन्द्रित रहा है।

1.6 इस पृष्ठभूमि में, वर्ष 2002-03 के दौरान रिज़र्व बैंक तथा की मौद्रिक नीति का समग्र बल ऋण की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त चलनिधि का प्रावधान करने तथा अर्थव्यवस्था में निवेश की मांग का समर्थन करने पर रहा। साथ ही, ब्याज दरों को नरम बनाये रखने के प्रति वरीयता जारी रखने तथा मूल्यों के स्तर में होनेवाली घटबढ़ पर निगरानी रखने पर ध्यान केन्द्रित रहा। उपर्युक्त उद्देश्यों के अनुरूप, नकदी प्रारक्षित अनुपात को 5.5 प्रतिशत से घटाकर जून 2002 में 5.0 प्रतिशत तथा नवम्बर 2002 में और घटाकर 4.75 प्रतिशत कर दिया गया। इससे बैंकों के उधार देने योग्य संसाधनों में लगभग 10,000 करोड़ रु. की वृद्धि हुई। बैंक दर और रिपो दर रिज़र्व बैंक की नीतिगत संकेत देने के लिए प्रमुख साधन के रूप में उभरे। अक्तूबर 2002 में, बैंक दर को घटाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया गया। रिपो दर को भी घटाकर जून 2002 में 5.75 प्रतिशत तथा मार्च 2003 तक दो चरणों में और घटाकर इसे 5 प्रतिशत तक ले आया गया।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक :

1.7 वर्ष 2002-03 भारतीय वाणिज्यिक बैंकों की मजबूत आय का वर्ष रहा जिसने प्रमुख आय की सभी श्रेणियों में उल्लेखनीय सुधार दर्शाये। आस्तियों पर प्रतिलाभ (अर्थात कुल आस्तियों के प्रति निवल लाभ का अनुपात) में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए 2002-03 में 1.0 प्रतिशत का उल्लेखनीय सुधार देखा गया - यह गत 6 वर्षों में सबसे अधिक रहा। निम्नतम ब्याज दरें खुदरा और आवास घटक को प्रेरित करती रही हैं जिससे बैंकों की उधार से आय और सेवा शुल्क से होनेवाली आय - दोनों में वृद्धि हुई।

1.8 बाजार में अत्यधिक चलनिधि से उत्पन्न ह्रासमान आय तथा नरम ब्याज दरों की स्थितियों के परिणामस्वरूप सरकारी प्रतिभूति बाजार में आये उछाल को देखते हुए बैंकिंग उद्योग ने वर्ष के अधिकांश भागमें सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन के क्षेत्र में उल्लेखनीय गतिविधियां दर्शायी। तथापि, वर्ष 2002-03 की अंतिम तिमाही के दौरान कुछ मंदी की प्रवृत्ति दिखाई दी, इन गतिविधियों के होते हुए भी बैंकिंग उद्योग ने समग्र रूप में वर्ष 2002-03 के दौरान अपने कार्य-निष्पादन में तीव्र सुधार दर्शाया जो कि मुख्य रूप से ब्याज व्यय में आयी कमी के कारण रहा (सारणी 1.1)।

1.9 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कार्य-निष्पादन में उल्लेखनीय सुधार सभी बैंक समूहों के कार्य-निष्पादन में आये व्यापक विचलन को ढक देता है। उदाहरण के लिए, आय में वृद्धि निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों के लिए निम्नतम थी। जिसका कारण था - ब्याज आय में मामूली-सी वृद्धि का होना। दूसरी ओर, विदेशी बैंकों ने आय और व्यय दोनों में गिरावट का अनुभव किया जिसमें व्यय में आयी गिरावट ने आय में आयी गिरावट को पीछे छोड़ दिया, जोकि मुख्य रूप से ब्याज व्यय में हुई कमी के कारण रहा। सहज चल निधि की स्थिति से फायदा उठाते हुए सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने अपने ब्याज व्यय को तर्कसम्मत स्तरों तक सीमित बनाये रखा। गिरती हुई ब्याज की दरों ने भी बैंकों को मूल्यवर्धित प्रतिभूतियों की बिक्री पर हुए लाभों को वसूल करने में सहायता की। अधिकांश बैंक समूहों के लिए प्रावधानों और आकस्मिकताओं के लिए वृद्धि हुई जो यह दर्शाती है कि ऋण संविभाग में सुधार लाने के लिए इन बैंकों ने अपनी ओर से काफी मूल्य वृद्धि की है। इसके अपवाद विदेशी बैंक रहे हैं, जिनके लिए, वास्तव में, प्रावधानों में गिरावट की गयी जो उनके आस्ति-संविभागों में सुधार को दर्शाते हैं।

1.10 बैंकिंग क्षेत्र के पूंजी की स्तरों में वर्ष के दौरान उल्लेखनीय सुधार हुआ। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का समग्र पूंजी-पर्याप्तता अनुपात मार्च 1997 के अंत के 10.4 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2003 के अंत में 12.6 प्रतिशत हो गया, जिसका कारण था - उन्होंने अपने लाभों को पुनः अपनी प्रारक्षित भंडार में निवेश किया। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने निर्धारित न्यूनतम स्तर से अधिक का पूंजी अनुपात प्राप्त कर लिया। समग्र स्तर पर (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) 93 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में से केवल दो ही बैंक 9.0 प्रतिशत की निर्धारित पूंजी-पर्याप्तता अनुपात को पूरा नहीं कर सके।

1.11 बैंकों के ऋण जोखिम प्रबंध में भी उल्लेखनीय सुधार देखा गया। बैंकिंग क्षेत्र के समग्र गैर-निष्पादक आस्तियों में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की कमी हुई और वे मार्च 2003 के अंत में सकल अग्रिमों के 8.8 प्रतिशत रह गये। यह स्थिति मुख्यतया बेहतर जोखिम प्रबंध के संव्यवहार तथा बेहतर ऋण वसूली के प्रयास - इन दोनों कारणों से बनी। हाल ही में पारित वित्तीय आस्तियां का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम ने बैंकों को जून 2003 के अंत तक 500 करोड़ रुपये की वसूली करने में समर्थ बना दिया। इस अधिनियम का इस संबंध में महत्त्वपूर्ण प्रभाव देखा गया। आस्ति गुणवत्ता में आये सुधार के बावजूद, बैंक अपने प्रावधानीकरण के स्तरों में वृद्धि लाने के लिए सक्रिय प्रयास करते रहे हैं । यह तथ्य से झलकता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सकल गैर-निष्पादक ऋणों के प्रति संचित प्रावधानीकरण की राशि 2001-02 के 42.5 प्रतिशत से बढ़कर 2002-03 में 47.2 प्रतिशत हो गयी। इस बढ़ी हुई प्रावधानीकरण की राशि के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निवल अग्रिमों के प्रति निवल गैर-निष्पादक ऋणों में तीव्र गिरावट आयी और वे 2001-02 के 5.8 प्रतिशत से गिरकर 2002-03 में 4.5 प्रतिशत रह गये।

सारणी I.1 : चुनिन्दा वित्तीय क्षेत्र के संकेतक : 2001-02 *vis-à-vis* 2002-03

	वित्तीय संस्था	संकेतक	2001-02	2002-03
	1	2	3	4
I	**अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक**	*क) प्रमुख समुच्चयों में वृद्धि (प्रतिशत)*		
		कुल जमाराशियाँ	14.6	13.4 *
		खाद्येतर ऋण	13.6	18.6 *
		सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	20.9	27.3
		b) वित्तीय संकेतक (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)		
		परिचालनगत लाभ	1.9	2.4
		निवल लाभ	0.8	1.0
		स्प्रेड	2.6	2.8
		ग) गैर-निष्पादक आस्तियाँ (अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में)		
		सकल एनपीए	10.4	8.8
		निवल एनपीए	5.5	4.4
II	**शहरी सहकारी बैंक**	*क) प्रमुख समुच्चयों में वृद्धि (प्रतिशत)*		
		जमाराशियाँ	15.1	9.1
		ऋण	14.1	4.5
		ख) वित्तीय संकेतक (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)@		
		परिचालनगत लाभ	1.5	1.3
		निवल लाभ	-0.9	-1.1
		स्प्रेड	2.2	2.1
		ग) निष्पादन रहित आस्तियाँ (अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में)		
		सकल एनपीए	21.9	21.0
III	**अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएँ**	*क) प्रमुख समुच्चयों में वृद्धि (प्रतिशत)*[1]		
		मंजूरी	-39.9	-31.3
		संवितरण	-18.5	-30.5
		ख) वित्तीय संकेतक (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)[2]		
		परिचालनगत लाभ	1.6	1.4
		निवल लाभ	0.7	0.9
		स्प्रेड	0.6	0.7
		ग) निष्पादन रहित आस्तियाँ (अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में)[2]		
		निवल एनपीए	8.8	10.6
IV	**गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ**	*क) प्रमुख समुच्चयों में वृद्धि (प्रतिशत)*		
		सार्वजनिक जमाराशियाँ	4.1	—
		ख) वित्तीय संकेतक (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)		
		निवल लाभ	-0.5	—
		ग) निष्पादन रहित आस्तियाँ (अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में)[3]		
		निवल एनपीए	3.9	4.3 #

* विलयन के लिए समायोजित @ अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित

\# आँकड़े सितम्बर 2002 से सम्बन्धित हैं।

1. इसमें आइडीबीआइ, आइएफसीआइ, आइआइबीआइ, आइडीएफसी, सिडबी, आइबीसीएफ, आइसीआइसीआइ वेंचर, टीएफसीआइ, एलआइसी, यूटीआइ तथा जीआइसी शामिल हैं।
2. उसमें निम्न लिखित नौ वित्तीय संस्थाएँ शामिल हैं - आइडीबीआइ, आइएफ़सी, आइआइ बी आइ, आइडीएफ़सी, एक्ज़िम बैंक, टीएफ़सीआइ, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी।
3. विभिन्न व्याप्तियों सहित सूचना देनेवाली कम्पनियां।

1.12 प्रतिस्पर्धात्मक दबावों की विद्यमानता का अनुभव भारतीय बैंकिंग प्रणाली में अधिकाधिक किया जा रहा है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए ब्याज मार्जिन ने जिसे ब्याज व्यय के ऊपर ब्याज आय की अधिकता के रूप में परिभाषित किया जाता है, और जिसे कुल आस्तियों द्वारा सामान्य कर दिया गया था, ने गिरने की प्रवृत्ति दर्शायी और यह 1995-96 के 3.1 प्रतिशत से गिरकर 2002-03 में 2.8 प्रतिशत रह गया। यह नरम ब्याज दरों की परिदृश्य से प्रभावित हुआ। इसके अलावा व्यय में कटौती और मानव संसाधनों के युक्तिसंगत करने के कारण हुआ, जैसा कि उनके परिचालन व्ययों में कटौती के रूप में देखा जा सकता है, साथ ही इसमें प्रौद्योगिकी के प्रभाव से होनेवाले लाभ भी उठाये गये।

सहकारी बैंक :

1.13 सहकारी बैंकों ने1998 के दशक के उत्तरार्ध में सुदृढ़ विस्तार के बाद समीक्षाधीन वर्ष के दौरान संतुलित वृद्धि दर्शायी। सहकारी बैंकों की लाभप्रदता पूर्णतया संतोषजनक नहीं रह पायी। यह मुख्य रूप से ब्याज आय और व्यय के अंतराल में कमी आने के कारण हुई- विशेषकर, चूंकि सहकारी बैंक, आम तौर पर, सरकारी प्रतिभूति बाजार में लेनदेन नहीं करते हैं और इस प्रकार वे अपने हित में अन्य गिरती हुई ब्याज दरों का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं रहे। साथ ही उनकी अग्रिमों के अनुपात में शहरी सहकारी बैंकों के मामले में आस्ति गुणवत्ता में भी कुछ सुधार हुआ और उनकी सकल गैर-निष्पादक आस्तियों में 2002-03 के दौरान मामूली-सी गिरावट दर्ज की गयी।

1.14 ग्रामीण सहकारी बैंकों का कार्य-निष्पादन भी दीर्घकालीन प्रवृत्ति के अनुरूप रहा। राज्य सहकारी बैंकों की लाभप्रदता वर्ष 2002-03 के दौरान मजबूत बनी रही। ग्रामीण सहकारी बैंकों की गैर-निष्पादक आस्तियां उच्च बनी रहीं - उनकी टीयर-II पूंजी की आस्ति गुणवत्ता, उनकी टीयर-I पूंजी आस्ति गुणवत्ता की तुलना में खराब रही।

वित्तीय संस्थाएं :

1.15 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं[1] द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता में तेजी से गिरती हुई प्रवृत्ति, जो हाल की अवधि में देखी गयी, वर्ष 2002-03 में भी जारी रही, जब वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय सहायता का समायोजन चुकौतियों के लिए सकल पूंजी बर्हिगम के लिए किया जाता है, तो वित्तीय संस्थाओं से कम्पनियों के लिए संसाधनों का प्रवाह नकरात्मक पाया जाता है। आइसीआइसीआइ का आइसीआइसीआइ बैंक के साथ विलयन तथा कुछ वित्तीय संस्थाओं के तुलनपत्रों के आकार में आम तौर पर पायी गयी कमी, वित्तीय सहायता में इस गिरावट को काफी सीमा तक स्पष्ट करती है। वित्तीय संस्थाओं का कम हुआ कार्य-निष्पादन भारतीय उद्योगों के लिए वित्तपोषण के स्वरूप में वित्तीय संस्थाओं के घटते हुए सामान्य योगदान के अनुरूप है। इसके अलवा, नरम पूंजी बाजार, नयी परियोजनाओं के लिए मांग की कमी और विद्यमान अप्रयुकत क्षमताओं का उपयोग करके औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि- इन सभी ने दीर्घावधि वित्तीय सहायता के लिए मांग में कमी लाने में योगदान किया होगा।

1.16 एक समूह के रूप में, चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं के तुलनपत्र ने पिछले वर्ष से आगे 5.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी है, तथापि, देयताओं और आस्तियों का स्वरूप मोटे तौर पर वैसा ही रहा। देयताओं की दृष्टि से, कुल देयताओं में, बांड और डिबेंचरों का मुख्य अंश रहा, क्योंकि वे कॉल और पुट आप्शंस के साथ आर्थिक संरचना में अधिक नमनीयता उपलब्ध कराते हैं, साथ ही, उनके स्टॉक बाजार में सूचीबद्ध कराकर द्वितीयक बाजार में बेचने की सुविधा प्रदान करते हैं। (आइसीआइसीआइ को छोड़कर) वित्तीय संस्थाओं के कुल संसाधन और निधियों के विनियोजन में 2002-03 के दौरान 2.1 प्रतिशत की गिरावट आयी, जबकि पिछले वर्ष इनमें 19.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। जोखिम भारित आस्तियों के प्रति न्यूनतम पूंजी अनुपात (सीआरएआर) को बनाये रखने के संबंध में चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं का कार्य-निष्पादन यह प्रकट करता है कि आइएफसीआइ और आइआइबीआइ को छोड़कर, सभी वित्तीय संस्थाओं ने 2002-03 के दौरान अपने सीआरएआर को 9 प्रतिशत के मानदण्ड से काफी ऊपर बनाये रखा। तथापि, 2002-03 के दौरान कुछ चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं की निवल गैर-निष्पादक ऋणों में वृद्धि हुई।

1.17 पारस्परिक निधियों द्वारा संसाधन संग्रहणों में 2002-03 में तेजी से गिरावट आयी, इसका मुख्य कारण था - यूटीआइ से, जिसका वर्ष के दौरान पुनर्गठन किया गया, निधियों का भारी मात्रा में निवल बर्हिवाह। निजी क्षेत्र की पारस्परिक निधियों ने भी निधियों के संग्रहण में तेज गिरावट दर्ज की, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की निधियों ने (यूटीआइ को छोड़कर) मामूली-सी वृद्धि दर्ज की।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां

1.18 जमाराशियां स्वीकार करनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया 2002-03 के दौरान पूरी कर ली गयी। तथापि, गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की संख्या में वर्ष के दौरान गिरावट आयी जो अनेक कारकों के मेल को दर्शाती है जैसे - विलयन, समापन, लाइसेंसों का निरस्तीकरण। जमाराशियां स्वीकार करनेवाली कम्पनियों की संख्या में इसलिए भी गिरावट आयी क्योंकि गैर-सार्वजनिक जमाराशियों स्वीकरण से संबंधित गतिविधियों का रूपान्तरण हो गया। साथ ही,गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के तुलनपत्र विवेकसम्मत मानदंडों के परिणामस्वरूप, हाल के वर्षों में मजबूत होते रहे हैं। पूंजी-पर्याप्तता की दृष्टि से, अधिकांश सूचना देनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों ने कम से कम 12 प्रतिशत की न्यूनतम निर्दिष्ट जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात (सीआरएआर) दर्ज किया। सूचना देनेवाली लगभग 3/4 कम्पनियों ने 30 प्रतिशत से अधिक का जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात दर्ज किया। इसके अलावा, गैर-निष्पादक आस्तियां भी, सकल और निवल दोनों दृष्टियों से, ऋण-जोखिम के प्रतिशत के रूप में घटती रही हैं ।

1.19 तथापि, गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के वित्तीय परिणाम कम संतोषजनक रहे। वास्तव में, इस क्षेत्र ने समग्र रूप से वर्ष 2001-02 के दौरान लगातार दूसरे वर्ष भी हानियां दर्ज कीं। निधि-आधारित और

[1] इसमें आइडीबीआइ, आइएफसीआइ, आइआइबीआइ, सिड़बी, आइसीआइसीआइ (2001-02 तक), आइवीसीएफ, आइसीआइसीआइ बेंचर, टीएफसीआइ, एलआइसी, यूटीआइ और जीआइसी शामिल हैं।

शुल्क-आधारित दोनों प्रकार की आयों में गिरावट रही। व्यय में कमी भी मामूली-सी रही, क्योंकि परिचालनगत व्यय और कर-प्रावधान भारी बने रहे।गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए वर्ष 2002-03 के कार्य-निष्पादन संबंधी संकेतक भी मिलने अभी बाकी हैं। तथापि व्यापक चलनिधि पर तिमाही आंकड़े (एल$_3$)जिसमें बैंकिंग क्षेत्र, डाकघर बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की मौद्रिक और चल निधि देयताएं शामिल हैं, यह दर्शाती हैं कि सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की सार्वजनिक जमाराशियों के अंश ने 2002-03 के दौरान मामूली-सी वृद्धि दर्ज की।

1.20 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम में यह प्रावधान है कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपनी वित्तीय आस्तियां प्रतिभूतिकरण कम्पनियों अथवा पुनर्निर्माण कम्पनियों को बेची जा सकती हैं। हाल ही में आइडीबीआइ, आइसीआइसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक तथा कुछ अन्य बैंकों ने संयुक्त रूप से 20 करोड़ रुपये की प्राधिकृत पूंजी तथा 10 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी के साथ एक सक्रिय आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड का गठन किया है। आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड को अपने परिचालन शुरू करने के लिए रिज़र्व बैंक ने लाइसेन्स प्रदान कर दिया है।

2003-04 के दौरान गतिविधियां

1.21 भारतीय अर्थव्यवस्था 2003-04 के दौरान तीव्र वृद्धि दर्ज करने की स्थिति में है। पहली तिमाही (अप्रैल-जुलाई 2003) के दौरान सकल देशी उत्पाद में वृद्धि पिछले वर्ष की तदनुरूपी तिमाही की तुलना में बढ़कर 5.7 प्रतिशत हो गयी। एक वर्ष के सुखा के बाद सामान्य मानसून रहने के कारण कृषि के उत्पादन में सुधार होने की सम्भावना है। इसके अलावा, औद्योगिक वृद्धि भी लगातार सुदृढ़ बनी हुई है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में वृद्धि 2003-04 (अप्रैल-से अगस्त) के दौरान पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के 5.2 प्रतिशत से बढ़कर 5.6 प्रतिशत हो गयी। इस वृद्धि के पीछे विनिर्माण क्षेत्र में बेहतर सुधार का योगदान रहा। आधारभूत वस्तुएं, पूंजीगत माल और उपभोक्ता वस्तुओं में निरन्तर वृद्धि होने के संकेत हैं। इन सभी कारकों के फलस्वरूप 2003-04 के दौरान, सकल देशी उत्पाद में समग्र वृद्धि 6.5-7.0 प्रतिशत रहने की सम्भावना है, जो और भी बढ़ने की ओर उन्मुख है। पूंजी प्रवाहों में तेज वृद्धि वर्ष 2003-04 के दौरान (अक्तूबर तक) बनी रही, जो विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेशों में बहाली से और बढ़े। इसके परिणामस्वरूप, रिज़र्व बैंक का विदेशी मुद्रा भंडार अक्तूबर 2003 के अंत तक बढ़कर 92.6 बिलियन अमरीकी डालर का हो गया। भारतीय रुपयों की विनिमय दर जो मार्च 2003 के अंत में एक डालर के प्रति रु.47.50, रुपये थी, बढ़कर अक्तूबर 2003 के अंत में एक डालर = 45.32 रुपया हो गयी। परन्तु इसी अवधि में इसमें यूरों की तुलना में 23 प्रतिशत, पौंड स्टर्लिंग की तुलना में 25 प्रतिशत की तथा जापानी येन की तुलना में 42 प्रतिशत की मूल्यह्रास हो गया। अप्रैल-सितंबर 2003 के दौरान निर्यात वृद्धि में मंदी रही, वहीं पिछली वर्ष की इसी अवधि की तुलना में आयातों में वृद्धि हुई।

1.22 चलनिधि की स्थितियां सहज बनी रहीं, जो सुदृढ़ पूंजी प्रवाहों से प्रेरित थी। व्यापक मुद्रा (एम$_3$) की वृद्धि इस वर्ष के दौरान (17 अक्तूबर 2003 तक) 7.4 प्रतिशत रही । जो 2002-03 की तदनुरूपी अवधि में विलयन के लिए समायोजन के बाद देखी गयी 8.1 प्रतिशत की वृद्धि से निम्न थी। यह वृद्धि अप्रैल 2003 की मौद्रिक और ऋण नीति में किए गए अनुमानों के भीतर रही। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की खाद्येतर ऋण की निकासी 17 अक्तूबर 2003 तक विलयन प्रवाहों को समाहित करके 5.7 प्रतिशत रही जो पिछले वर्ष की तुलनीय अवधि के 7.4 प्रतिशत से कुछ कम थी। तथापि, ऋण बाज़ार में कुछ नयी प्रवृत्तियां जैसे खुदरा ऋण में वृद्धि, विशेषकर, आवास क्षेत्र में, उल्लेखनीय रही। वार्षिक थोक मूल्य सूचकांक की मुद्रास्फीति दर-बिन्दु-दर आधार पर 2003-04 के पहले दो महीनों के दौरान 6.3-6.9 प्रतिशत रही। इसके बाद यह 18 अक्तूबर तक गिरकर 5.0 प्रतिशत पर आ गयी।

1.23 सहज चलनिधि की स्थितियों तथा रिज़र्व बैंक द्वारा रिपो दरों में की गयी कटौती को दर्शाते हुए,ब्याज दरें वित्तीय बाजारों में और नरम बनी रहीं। दूसरा अच्छा पहलू वर्ष के दौरान यह रहा कि पूंजी बाजार में सुधार हुआ जिसमें बीएसई संवेदी सूचकांक वर्ष 2003-04 के दौरान (अक्तूबर के अंत तक) 61 प्रतिशत बिन्दुओं तक बढ़ गया।

1.24 जून 2003 को समाप्त तिमाही के दौरान वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली का कार्य-निष्पादन, जैसा कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की पर्यवेक्षी विवरणियों से प्रकट होता है, पिछले वर्ष की तदनुरूपी तिमाही की तुलना में इस वर्ष अपने कार्य-निष्पादन में उल्लेखनीय सुधार दर्शाता है। जून 2003 के अंत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल आस्तियों के प्रति निवल लाभ 0.32 प्रतिशत रहा, जबकि, जून 2002 के अंत में यह 0.24 प्रतिशत था। निवल लाभ में जो सुधार हुआ, वह आम तौर पर व्ययों को सीमित रखने के कारण रहा, विशेषकर ब्याज व्ययों को कम करने के कारण था। ये उपलब्धियां सभी बैंक समूहों की प्रावधानीकरण और आकस्मिक देयताओं में तेज वृद्धि के रहते हुए प्राप्त की गयी। कुल मिलाकर परिचालनगत व्यय जून 2002 के अंत के स्तर पर ही बना रहा। इसका अपवाद निजी क्षेत्र के बैंक रहे जिनके लिए इन व्ययों में मामूली-सी वृद्धि हुई। इसका कारण था- औद्योगिक वृद्धि में सुधार को दर्शाते हुए वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता अप्रैल-सितम्बर 2003 के दौरान बढ़ी।

अध्याय -II

वाणिज्यिक बैंकिंग में नीतिगत गतिविधियां *

2.1 अपविनियमन, प्रौद्योगिकी उन्नयन और वित्तीय नवोन्मेष के प्रभाव के अधीन वित्तीय मध्यस्थन पूरे विश्व में भारी परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है। वस्तुतः बैंकिंग का परम्परागत रूप कुछ ही वर्षों पहले जैसा नहीं रहा है। वित्तीय सेवाएं प्रदान करने का स्वरूप नाटकीय रूप से बदल रहा है। अनेक देशों में अब बैंकों द्वारा प्रदान की जानेवाली सेवाएं पारंपरिक बैंकिंग के अंतर्गत नहीं आतीं। पुरानी संस्थागत सीमाएं अधिकाधिक धूमिल होती जा रही हैं। परिणामतः गैर-बैंक मध्यस्थकों से बढ़ी हुई स्पर्धा ने पारंपरिक बैंकिंग जिसमें बैंक जमाराशियां स्वीकार करते थे और अग्रिम देते थे जो उनकी बहियों में परिपक्वता तक पड़ी रहती थीं, को अस्तोन्मुखी बना दिया है । हाल के वर्षों में बैंकिंग कारोबार तीव्र गति से विविध वित्तीय सेवाओं के लिए 'एक स्थल पर सभी सुविधाएं' के रूप में उभर रहा है। रूपान्तरण की यह प्रक्रिया विशेषकर भारत, जैसी उभरती हुए बाजार अर्थव्यवस्था में तेजी से आ रही है।

2.2 हाल ही की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय गतिविधियों ने भी वित्तीय प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के महत्त्व पर तेजी से ध्यान केन्द्रित किया है। भारत में, वित्तीय क्षेत्र के सुधारों ने विनियामक तथा पर्यवेक्षी ढांचे को सुदृढ़ बनाने और उसे इस देश के लिए उचित रूप से अनुकूलन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहारों के अनुरूप ढालने का प्रयत्न किया है। यह नये बास्ले समझौते की दिशा में मार्गदर्शी सिद्धान्त रहा है। बैंकों के लिए ऋण, बाजार, देश और परिचालनगत जोखिमों पर व्यापक दिशानिर्देश जारी करके और अनेक विनियामक परिवर्तन लागू करके 2002-03 के दौरान जोखिम-प्रबंधन और गैर-निष्पादक आस्तियों के प्रबन्धन में सुधार लाने के प्रयास किये गये । पर्यवेक्षण में किये गये परिवर्तन में जोखिम आधारित और समेकित पर्यवेक्षण में प्रगति शामिल हैं। ऋण वितरण में सुधार लाने और प्रौद्योगिकी तथा कानूनी बुनियादी संरचना को सशक्त बनाने के लिए भी प्रयास किये गये।

2.3 बैंकिंग के बदलते परिदृश्य के संदर्भ में वर्तमान अध्याय में भारतीय वाणिज्यिक बैंकिंग के क्षेत्र में 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान नीतिगत पहलों का विहगावलोकन किया गया है। मौद्रिक तथा ऋण नीति का समग्र जोर, उसकी लिखतों में परिवर्तन और ब्याज दरों, पुनर्वित्त सुविधाओं तथा संविधिक पूर्वक्रयों की अपेक्षाओं में परिवर्तनों को पहले प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद पर्यवेक्षण तथा पर्यवेक्षी नीति संबंधी गतिविधियों को प्रस्तुत किया गया है। एक स्थिर और सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए जोखिम प्रबंधन और गैर-निष्पादक आस्तियों के प्रबंधन से संबंधित नीतिगत गतिविधियों पर उसके उपरांत चर्चा की गयी है। इसके बाद, नीति निर्माण में परामर्श-परक दृष्टिकोण विकसित करने के बारे में एक संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है। ऋण-सुपुर्दगी में सुधार, मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाजारों में परिवर्तन तथा प्रौद्योगिकी और कानूनी बुनियादी संरचनाओं में सुधार के लिए प्रयासों पर चर्चा इसके बाद के अनुभागों में प्रस्तुत की गयी है। 'शेयर बाजार घोटाला' पर संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर और उससे संबंधित मामलों पर की गई कार्रवाई को अध्याय के अंत में प्रस्तुत किया गया है।

2 मौद्रिक और ऋण नीति

2.4 वृद्धिशील अर्थव्यवस्था के लिए एक ऊर्जस्वित, जीवंत और स्पर्धात्मक वित्तीय क्षेत्र का होना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। रिज़र्व बैंक का यह प्रयास रहा है कि वित्तीय क्षेत्र की आबंटनात्मक दक्षता को बढ़ाया जाये तथा वित्तीय स्थिरता को बनाये रखा जाये। इसके परिणामस्वरूप, रिज़र्व बैंक के मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी वक्तव्यों में वित्तीय प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए भी संरचनात्मक और विनियामक उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वित्तीय क्षेत्र की सुधारों के प्रतिसाद में, हाल की अवधि में, मौद्रिक नीति ढांचा को विकसित किया गया है। सुधार के इन उपायों के पीछे मार्गदर्शी दृष्टिकोण मौद्रिक नीति के वृद्धिशील परिचालनात्मक दक्षता के उद्देश्यों, रिज़र्व बैंक की विनियामक भूमिका का पुनः निरूपण करने, विवेकशील मानदण्डों को सशक्त बनाने, ऋण वितरण प्रणालियों में सुधार करने और प्रौद्योगिकी तथा संस्थागत बुनियादी सुविधाओं का विकास करने का रहा है। उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने नीतिगत उपायों को शुरू करने से पहले बेहतर तैयारी के लिए पर्याप्त समय देते हुए विशेषज्ञों और बाजार सहभागियों के साथ व्यापक मशविरा करने की नीति अपनायी है।

* इस अध्याय का मुख्य जोर 2002-03 के दौरान नीति सम्बंधी गतिविधियों पर रहा है; तथापि, जहाँ आवश्यक हुआ हाल की नीतिगत गतिविधियों का संदर्भ भी दिया गया है।

2.5 हाल के वर्षों में मौद्रिक नीतिगत दृष्टिकोण ने मूल्य स्तर पर सतर्कता को ध्यान में रखते हुए आर्थिक वृद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से नरम ब्याज दरों को वरीयता देते हुए बाजार में पर्याप्त चलनिधि बनाये रखने की रिज़र्व बैंक की वचनबद्धता को रेखांकित किया है। 2002-03 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति का निर्माण मजबूत पूंजी के आगम और कमजोर ऋण निकासी से विकसित सहज चलनिधि स्थितियों की पृष्ठभूमि में किया गया था। इन परिस्थितियों में रिज़र्व बैंक ने मध्यावधि में एक अधिक नरम ब्याज दर प्रणाली की ओर झुकाव के साथ चालू ब्याज दर वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलनिधि में सक्रिय मांग प्रबंधन की अपनी नीति बनाये रखने का प्रस्ताव किया। 2002-03 के लिए मौद्रिक नीति की समग्र स्थिति में निम्नलिखित शामिल हैं:

- मूल्य-स्तर में होनेवाली घट-बढ़ पर एक चौकसीपूर्ण निगरानी बनाये रखते हुए अर्थव्यवस्था में ऋण की वृद्धि को पूरा करने और निवेशगत मांग को समर्थन देते हुए पर्याप्त चलनिधि का प्रावधान करना।
- उक्त के अनुरूप नरम ब्याज दरों को अधिमानता देते हुए ब्याज दरों पर वर्तमान जोर को बनाये रखना, और
- मध्यावधि में ब्याज दर संरचना को अत्यधिक लचीलापन प्रदान करना।

2.6 2003-04 की मौद्रिक और ऋण नीति में पिछले वर्ष की व्यापक नीतिगत स्वरूप बनाये रखने का प्रस्ताव किया गया है।

ब्याज दर संरचना

बैंक दर और रिपो दर

2.7 वृद्धि की स्थिति निर्माण करने के लिए एक नरम और लचीली ब्याज दर प्रणाली को अधिमानता देने के मौद्रिक नीति के उद्देश्य को रिज़र्व बैंक के मुद्रा बाजार कार्यकलापों से जो न्यायोचित रूप से खुले बाजार कार्यकलापों और चलनिधि समायोजन सुविधायुक्त है, समर्थन मिला। बैंक दर में 30 अक्तूबर 2002 को कटौती करके 6.5 प्रतिशत से 6.25 प्रतिशत तक करने से ब्याज दरों की संरचना पर संतुलित प्रभाव पड़ा। बैंक दर 29 अप्रैल 2003 को 25 आधार बिन्दुओं की और कटौती कर 6.0 प्रतिशत की गयी। इसके अतिरिक्त, अल्पावधि संकेतक देने की दृष्टि से एक दिवसीय और 14 दिवसीय रिपो दरें 27 जून 2002 से 6.0 प्रतिशत से घटाकर 5.75 प्रतिशत की गयीं और 30 अक्तूबर 2002 तथा 4 मार्च 2003 से घटाकर क्रमशः 5.5 प्रतिशत और 5.0 प्रतिशत की गयीं। व्यापक आर्थिक और समग्र मौद्रिक स्थितियों की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक ने एक दिवसीय रिपो दर 25 अगस्त 2003 से और घटाकर 4.5 प्रतिशत कर दी।

जमाराशियों पर ब्याज दरें

2.8 घरेलू और सामान्य अनिवासी बचत जमाराशियां तथा अनिवासी (बाह्य) बचत खाता योजना पर ब्याज दर 1 मार्च 2003 से 4.0 प्रतिशत से घटाकर 3.5 प्रतिशत वार्षिक की गयी। भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 के अंतर्गत खाता 'ए' में जमाराशियों पर ब्याज दर भी 1 मार्च 2003 से 4.0 प्रतिशत से घटाकर 3.5 प्रतिशत कर दी गयी।

अनिवासी भारतीय जमा योजना

2.9 2003-04 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति में घोषित किये गये अनुसार यह निर्णय लिया गया कि सभी प्रकार की प्रत्यावर्तनीय जमाराशियों के लिए परिपक्वता संरचना में समानता लाने की दृष्टि से नयी अनिवासी बाह्य जमाराशियों की परिपक्वता अवधि तत्काल प्रभाव से सामान्यतः एक वर्ष से तीन वर्षों तक की होगी। यदि कोई बैंक तीन वर्षों से अधिक की परिपक्वता अवधि के साथ जमाराशियां स्वीकार करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है, बशर्ते कि ऐसी दीर्घावधि जमाराशियों पर ब्याज दर तीन वर्षों की अनिवासी बाह्य जमाराशियों के लिए लागू ब्याज दर से अधिक नहीं हों। ब्याज दरों में सामंजस्य लाने की दृष्टि से एक से तीन वर्षों के लिए अनिवासी बाह्य जमाराशियों पर ब्याज दरों को 17 जुलाई 2003 से सीमित करके उन्हें तदनुरूपी परिपक्वता के अमरीकन डालर के लिए एलआइबीओआर/स्वैप दरों से अधिक 250 आधार अंक से अनधिक किया गया। उसके बाद यह सीमा 15 सितम्बर 2003 को 100 आधार अंक तक घटायी गयी और आगे 18 अक्तूबर 2003 को तदनुरूपी अमरीकी डालर एलआइबीओआर/स्वैप दरों से अधिक 25 आधार अंक तक घटायी गयी।

अग्रिमों पर ब्याज दरें

2.10 ऋणों और अग्रिमों पर मासिक अंतरालों पर ब्याज लगाने की प्रणाली पर पूर्ववर्ती अनुदेशों के अधिक्रमण में बैंकों को निम्नानुसार सूचित किया गया :

- बैंक को यह विकल्प होगा कि वे चाहें तो मासिक अंतरालों पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाने की शुरूआत 1 अप्रैल 2002 से अथवा 1 जुलाई 2002 से अथवा 1 अप्रैल 2003 से कर सकते हैं।

- 1 जुलाई 2002 की तिमाही की शुरूआत से बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लागू दर केवल ब्याज लगाने / मासिक अंतरालों पर चक्रवृद्धि की प्रणाली अपनायी जाने के कारण मात्र से बढ़ नहीं जाती और उधारकर्ताओं पर भार नहीं बढ़ता।
- मासिक अंतरालों पर ब्याज सभी चल खाते (अर्थात नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट, निर्यात पैकिंग ऋण), सभी नये तथा वर्तमान सावधि ऋणों और दीर्घावधि/निर्धारित कालावधि के अन्य ऋणों के लिए लागू किया जायेगा, परंतु वह कृषि अग्रिमों के लिए लागू नहीं होगा ।
- बैंक प्रलेखीकरण के उद्देश्य से उधारकर्ताओं से सहमति पत्र/ अनुपूरक करार पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

उधार दरें (निर्यातेतर ऋण)

2.11 नरम और लचीली ब्याज दर प्रणाली का अभिप्राय न्यूनतर जमा दरों से होता है। बैंकिंग क्षेत्र को निधियों की लागत में गिरावट के साथ वाणिज्यिक बैंकों की मूल उधार दरों (पीएलआर) में भी गिरावट आयी। तथापि मूल उधार दरों में आयी गिरावट ने ब्याजेतर उच्च परिचालन व्यय तथा गैर-निष्पादक ऋणों की चुकौती की उच्च लागत जैसी संरचनात्मक जटिलताओं को कुछ सीमा तक निष्क्रिय कर दिया है। इसके अतिरिक्त, बैंकों ने अपेक्षाकृत उच्च मीयादी दरों पर बड़े पैमाने पर अपनी जमाराशियां जुटायीं जिन्होंने मूल उधार दरों में अधोगामी गिरावट को भी सीमित कर दिया। बैंकों को अपनी उधार दरों को कम करने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने उन्हें श्रम शक्ति उत्पादकता में सुधार लाने तथा स्थापना लागत में कमी करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। बैंकों को मूल उधार दर की स्प्रेड को भी कम करने की आवश्यकता के बारे में सूचित किया गया। फिर भी, चूंकि 19 अप्रैल 2001 से बैंकों को निर्यातकों तथा अपने मुख्य ग्राहकों को उप-मूल उधार दरों पर उधार देने की अनुमति देने के कारण ऐसी कंपनियों को बैंक उधार की लागत और भी नीचे आ गयी।

2.12 2002-03 के लिए मौद्रिक तथा ऋण नीति में यथा प्रस्तावित सूचना की विषमताओं को कम करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक वर्तमान में उधार दर पर चुनिंदा बैंकों के साथ सलाह-मशविरा करके अपने वेबसाइट पर बैंक-वार सूचना प्रसारित करता है।

2.13 अप्रैल 2003 के वार्षिक नीति वक्तव्य में बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने बोर्डों के अनुमोदन से एक बेंच मार्क मुख्य उधार दर (पीएलआर) घोषित करें जिसमें इन बातों को ध्यान में रखा जाए : i) निधियों की वास्तविक लागत, ii) परिचालन व्यय और iii) प्रावधानीकरण तथा पूंजी प्रभार और लाभ मार्जिन की विनियामक आवश्यकताओं को रक्षा प्रदान करने के लिए एक न्यूनतम मार्जिन। यह भी बताया गया था कि बैंकों की बेंच मार्क निश्चित करने की पद्धति और बेंच मार्क पीएलआर के आसपास वर्तमान व्याप्ति (स्प्रेड) की सितंबर 2003 में समीक्षा की जायेगी। तदनुसार, बेंच मार्क पीएलआर की पद्धति के कार्यान्वयन से संबंधित विषयों पर चुनिंदा बैंकों और भारतीय बैंक संघ के साथ चर्चा की गयी भारतीय बैंक संघ ने निम्नलिखित सुझाव दिये: (i) कार्यकारी पूंजी और मीयादी ऋणों के लिए अलग-अलग पीएलआर की अनुमति दी जाए, (ii) बहु पीएलआर की प्रथा जारी रखना (iii) भिन्न-भिन्न समय की मीयाद के प्रीमियम और बाजार बेंच मार्क पर आधारित निश्चित और चल दर देने का लचीलापन (iv) उपभोक्ता ऋणों के मूल्य निर्धारण में लचीलापन तथा (v) विभिन्न प्रकार के ऋणों के लिए लेनदेन लागतों का निर्धारण ।

2.14 2003-04 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा में यह स्पष्ट किया गया कि चूंकि कार्यकारी पूंजी और मीयादी ऋणों की ऋण दरें मीयाद प्रीमियम और/या जोखिम प्रीमियम को हिसाब में लेते हुए बेंच मार्क पीएलआर के संदर्भ में निश्चित की जा सकती हैं, अत: बहु-पीएलआर की जरूरत अनिवार्य नहीं रहेगी। यह भी स्पष्ट किया गया कि बैंकों को अपने ऋण उत्पाद का भिन्न-भिन्न समय की मीयाद प्रीमियम और संबंधित लेनदेन लागत के आधार पर मूल्य निर्धारण करने की छूट है। बैंक चल दर उत्पाद का मूल्य एक पारदर्शी प्रकार से बाजार बेंचमार्क का प्रयोग करते हुए निर्धारित कर सकते हैं। चूंकि भारतीय बैंक संघ ने बेंचमार्क पीएलआर के लिए प्रस्तावित दृष्टिकोण पर व्यापक सहमति दर्शायी है, अत: भारतीय बैंक संघ अपने सदस्यों को परिचालनगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यथोचित सूचना देगा।

निर्यात ऋण पर ब्याज दर

2.15 वर्ष 2002-03 की मौद्रिक और ऋण नीति यह दर्शाती है कि निर्यात ऋण पर देशी ब्याज दरों को वर्तमान परिस्थितियों में मूल उधार दर के साथ सम्बद्ध करना अनावश्यक हो गया है क्योंकि रुपये के संदर्भ में निर्यात ऋण पर प्रभावी ब्याज दर मूल उधार दर से काफी कम है। अतः बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और निर्यात को मिलनेवाले ऋण के आगम में वृद्धि करने के लिए रिज़र्व बैंक ने 1 मई 2003 से 180 दिन से अधिक के पोतलदानपूर्व ऋण और 90 दिन से अधिक के पोतलदानोत्तर ऋण के लिए स्थानीय मुद्रा निर्यात ऋण की ब्याज दरों को उदार बनाया है।

पुनर्वित्त

निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा

2.16 अनुसूचित वाणिज्य बैंक 1 अप्रैल 2002 से दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंत में पुनर्वित्त के लिए पात्र बकाया निर्यात ऋण के 15.0 प्रतिशत की सीमा तक निर्यात ऋण पुनर्वित्त पा रहे हैं।

2.17 1 मई 2003 से 90 दिन से अधिक और 180 दिन तक के पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दरों के अविनियमन के बाद निर्यात समुदाय से प्राप्त सुझावों के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में यह निर्णय लिया गया कि 90 दिन से अधिक और 180 दिन तक के पोतलदानोत्तर रुपया ऋण के अंतर्गत बकाया पात्र निर्यात ऋण के लिए पुनर्वित्त सुविधा जारी रहेगी।

जमानती उधार सुविधा - समाप्त

2.18 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को उनकी अपनी सांविधिक चलनिधि अनुपात संबंधी आवश्यकता से अतिरिक्त भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों/खज़ाना बिलों की धारिता की जमानत के आधार पर जमानती उधार सुविधा के अंतर्गत चलनिधि सहायता दी जा रही थी। जमानती उधार सुविधा के अंतर्गत हरेक बैंक को उपलब्ध चलनिधि सहायता की मात्रा का निर्धारण 1997-98 में उनकी पाक्षिक औसत बकाया सकल जमा के 0.25 प्रतिशत था। तथापि, 29 जुलाई 2000 और 12 अगस्त 2000 को जमानती उधार सुविधा के अंतर्गत पुनर्वित्तपोषण में दो चरणों में प्रति चरण 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की कटौती के बाद यह सीमा घटाकर हरेक बैंक की 1997-98 की सकल जमा के 0.125 प्रतिशत कर दी गयी। दिन-प्रति-दिन आधार पर प्रणालीबद्ध चलनिधि की घट-बढ़ के लिए प्राथमिक लिखत के रूप में चलनिधि समायोजन सुविधा का प्रयोग किये जाने के साथ जमानती उधार सुविधा को 5 अक्तूबर 2002 से पूर्णतः समाप्त करने से पहले उसमें 27 जुलाई 2002 से 50 प्रतिशत की और कटौती की गयी।

सांविधिक पूर्व-क्रय

प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात

2.19 मौद्रिक नीतिगत ढांचे और प्रचलित क्रियाविधियों में सुस्पष्ट अंतर आया है और वे मौद्रिक नियंत्रण के प्रत्यक्ष साधन के बजाय बाजार-आधारित अप्रत्यक्ष साधन बने हुए हैं। प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के युक्तिकरण और उसे बनाये रखने से मौद्रिक साधन के रूप में उसे प्रतिधारित करते हुए भी प्रारक्षित आवश्यकताओं पर निर्भरता में कमी आयी है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात 1 जुलाई 1989 और 8 अक्तूबर 1992 के बीच निवल मांग और मीयादी देयताओं के 15.0 प्रतिशत था जिसे चरणबद्ध रूप में कम करते हुए 14 जून 2003 को 4.5 प्रतिशत पर लाया गया। जहां पिछले कुछ वर्षों से प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में इस उद्देश्य के साथ निरंतर कटौती की जा रही है कि उसे कम करके 3.0 प्रतिशत के सांविधिक न्यूनतम स्तर पर लाया जाए, वहीं रिज़र्व बैंक इस साधन का प्रयोग चलनिधि संबंधी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए चलनिधि प्रबंध, मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों और अन्य स्थूल आर्थिक गतिविधियों के लिए करना जारी रख सकता है। उदाहरण के लिए 1997 में पूर्व एशियाई आर्थिक संकट के संसर्ग से पैदा होनेवाले दबावों का सामना करने के लिए अस्थायी तौर पर प्रारक्षित आवश्यकताओं में वृद्धि की गयी थी। तथापि, प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात को उसके सांविधिक न्यूनतम स्तर पर लाने के मध्यावधि उद्देश्य के एक भाग के रूप में और वास्तविक गतिविधि को समर्थन देने के लिए बैंकों के उधार देने योग्य संसाधनों को भी बढ़ाने के लिए जून 2003 से 25 आधार अंकों की कटौती के साथ पिछले तीन वर्षों में प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में अधिकतम 400 आधार अंकों की कटौती की गयी है।

सांविधिक चलनिधि अनुपात

2.20 जहां 2002-03 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात संबंधी आवश्यकताओं में सामान्य रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वहीं 2002-03 में नीतिगत परिवर्तनों से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सांविधिक चलनिधि अनुपात आस्तियों की संरचना के संबंध में विवेकपूर्ण आधार पर प्रभाव पड़ा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने प्रायोजक बैंकों के साथ मांग मुद्रा या सावधि जमा में रखी शेष राशि को पहले 'नकदी' के रूप में माना जाता था और इसलिए उसे सांविधिक चलनिधि अनुपात बनाये रखने के पक्ष में जोड़ा जाता था। विवेकपूर्ण उपाय के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अप्रैल 2002 में सूचित किया गया था कि वे अपने समग्र सांविधिक चलनिधि अनुपात की धारिता सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में रखें। विशेष रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया था कि वे 31 मार्च 2003 तक सरकारी प्रतिभूतियों में परिवर्तित करें । कई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने सरकारी प्रतिभूतियों में सांविधिक चलनिधि अनुपात का न्यूनतम स्तर पहले ही प्राप्त कर लिया है। तथापि, कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और उनके प्रायोजक बैंकों ने सांविधिक चलनिधि अनुपात के प्रयोजन से रखी जमा का समयपूर्व आहरण करने में कठिनाई व्यक्त की है और उन्हें ऐसी जमा को परिपक्वता तक धारित रखने की अनुमति दी गयी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया कि वे सरकारी प्रतिभूतियों में 25 प्रतिशत सांविधिक चलनिधि अनुपात बनाये रखने के लक्ष्य को प्राप्त करें और प्रायोजक बैंक के पास रखी अपनी जमा की अवधि पूर्ण होने पर उन्हें सांविधिक चलनिधि अनुपात के प्रयोजन के लिए गणना में लिये जाने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में परिवर्तित करें।

वर्ष 2003-04 की मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा

2.21 3 नवंबर 2003 को वर्ष 2003-04 की मौद्रिक और ऋण नीति में घोषित मध्यावधि समीक्षा में भारतीय अर्थव्यवस्था में हाल में हुई मौद्रिक और व्यापक गतिविधियों की समीक्षा की गयी है। वर्ष 2003-04 के दौरान सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर उच्चतर (ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति के साथ 6.5-7.0 प्रतिशत पर रही), घटती मुद्रस्फीति की संभावना (अधोमुखी प्रवृत्ति के साथ 4.0-4.5 प्रतिशत) की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर अप्रैल 2003 में घोषित मौद्रिक नीति का स्वरूप यथावत रखा गया। मौद्रिक नीति के समग्र स्वरूप में मूल्य स्तर पर सतर्क और ह्रासमान एवं लचीली ब्याज दर के परिवेश को तरजीह देते हुए ऋण वृद्धि और निवेश मांग के समर्थन की पूर्ति के लिए पर्याप्त चलनिधि की व्यवस्था करते रहना जारी रहेगा। तदनुसार मध्यावधि समीक्षा में कार्यान्वयन पर जोर देने, आम व्यक्तियों द्वारा किये जानेवाले लेनदेनों को सहज बनाने, तथा मध्यावधि परिप्रेक्ष्य में स्थिरता के अनुसार वृद्धि को समर्थन देने की संस्थागत क्षमता पर निरंतर बल देने संबंधी पहले ही किये गये उपायों को जारी रखने पर जोर दिया गया है (बाक्स II.1)।

3. पर्यवेक्षण और पर्यवेक्षी नीति[1]

पर्यवेक्षण

वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड

2.22 भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड) विनियमावली के अंतर्गत नवंबर 1994 में वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड की स्थापना की गयी और उसे वाणिज्य बैंकों, चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पर्यवेक्षण का कार्य सौंपा गया। जुलाई 2002 से जून 2003 तक की अवधि के दौरान वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों की 31 मार्च, 30 सितंबर और 31 दिसंबर 2002 की स्थिति के संदर्भ में समीक्षा की।

2.23 वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अंतर-शाखा खाते, अंतर-बैंक खाते (नोस्ट्रो खातों सहित) और लेखा बहियों के संतुलन में प्रविष्टियों के समाधान सहित बैंक धोखाधड़ियों और हाउस-कीपिंग के बारे में रिज़र्व बैंक द्वारा की गयी निगरानी की समीक्षा की। चूंकि यह अनुभव किया जाता है कि बैंक धोखाधड़ियों के पीछे मुख्य कारण निर्धारित नियमों और क्रियाविधियों का अनुपालन होता है, अतः बैंक धोखाधड़ियों के कानूनी पहलू के संबंध में विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष : डा.एन.एल.मित्र) की रिपोर्ट के आधार पर सभी बैंकों को सूचित किया गया वे यह सुनिश्चित करें कि शाखाओं के हरेक डेस्क पर निर्धारित प्रणालियों और क्रियाविधियों के कार्यान्वयन में कोई लापरवाही नहीं बरती जाती है। इसी तरह से, अंतर-शाखा और अंतर-बैंक तथा साथ ही लेखा बहियों के संतुलन में प्रविष्टियों के समाधान के संदर्भ में रिज़र्व बैंक द्वारा निरंतर की जानेवाली निगरानी और वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा सतत की जानेवाली समीक्षा द्वारा काफी सुधार आया है। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने रिज़र्व बैंक के क्षेत्राधिकार में आनेवाली चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निगरानी की भी समीक्षा की है। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने संस्था-विशेष की पर्यवेक्षी चिंताओं के संदर्भ में की जानेवाली कार्रवाई की रूपरेखा प्रस्तुत करने के अलावा कई विनियामक और पर्यवेक्षी नीति संबंधी मामलों पर मार्गदर्शन किया है। इसके अतिरिक्त वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने शहरी सहकारी बैंकों के पर्यवेक्षण की स्थिति की समीक्षा की है। वर्तमान स्थानीय क्षेत्र के बैंकों की कमजोर स्वाभाविक वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखते हुए स्थानीय क्षेत्र के बैंकों की लाइसेंसीकरण नीति में संशोधन किया गया।

2.24 वित्तीय संस्थाओं के लिए 2002-03 के निरीक्षण से पर्यवेक्षी रेटिंग माडल अनुमोदित और लागू किया गया। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा 20 करोड़ रुपए और अधिक की सार्वजनिक जमावाली कमजोर/समस्यामूलक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों संबंधी रिपोर्ट की तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है। तथापि, मझौले आकार की कंपनियों तथा साथ ही 10 करोड़ रुपए और अधिक की सार्वजनिक जमावाली कमजोर और समस्यामूलक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जमाकर्ताओं के हित की रक्षा करने के लिए उन्हें वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड की तिमाही समीक्षा के दायरे में लाया गया है।

वार्षिक वित्तीय निरीक्षण

2.25 वर्ष 2002-03 के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत 92 बैंकों (सार्वजनिक क्षेत्र के 26 बैंक, निजी क्षेत्र के 30 बैंक और 36 विदेशी बैंक), भारतीय स्टेट बैंक के 14 स्थानीय प्रधान कार्यालय और स्थानीय क्षेत्र के 4 बैंकों का वार्षिक वित्तीय निरीक्षण पूर्ण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 एन के अंतर्गत नौ अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं का निरीक्षण किया गया। ऐसे 4 विदेशी बैंक जो भारत में अपना कारोबार बंद कर रहे हैं उनका निरीक्षण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44 के अंतर्गत किया गया।

[1] इस अध्याय में जिन नीतिगत उपायों पर चर्चा की गयी है वे राजकोषीय वर्ष 2002-03 (अप्रैल-मार्च) और 2003-04 (अब तक) से संबंधित हैं। जिन पर्यवेक्षी विवरणों पर चर्चा की गयी हैं वे जुलाई -2002 जून 2003 की अवधि से संबंधित हैं क्योंकि रिज़र्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि जुलाई-जून होती है।

बाक्स II.1 वर्ष 2003-04 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा में घोषित नीति संबंधी प्रमुख उपाय

1. मौद्रिक उपाय : 29 अप्रैल 2003 से प्रचलित बैंक दर को 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया। वर्तमान चलनिधि स्थिति को देखते हुए 14 जून 2003 से प्रभावी पखवाड़े से विद्यमान नकदी प्रारक्षित अनुपात को 4.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया।

2. ब्याज दर नीति : यह स्पष्ट किया गया कि चूँकि कार्यशील पूंजी और मीयादी ऋण के लिए ऋण दरें बेंचमार्क मूल ऋण दर के संदर्भ में मीयादी प्रीमियम और/अथवा जोखिम प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जा सकती है, इसलिए अनेक मूल ऋण दरों के निर्धारण की आवश्यकता बाध्यकारी नहीं है। बैंकों को अलग-अलग मीयाद के लिए प्रीमियम और प्रासंगिक लेनदेन लागतों के आधार पर अपने ऋण उत्पादों का मूल्य तय करने की स्वतंत्रता दी गयी। बैंकों को पारदर्शी ढंग से बाजार ऋण बेंचमार्क का प्रयोग करके ऋण उत्पादों का मूल्य तय करने की आजादी दी गयी। भारतीय बैंक संघ अपने सदस्यों को उपयुक्त बेंचमार्क मूल उधार दर की सूचना देगा।

3. ऋण सुपुर्दगी तंत्र

- *लघु उद्योगों के लिए ऋण सुविधाएं* : लघु उद्योगों को ऋण प्रवाह में वृद्धि करने के लिए यह प्रस्ताव किया गया कि बैंक लघु उद्योग इकाइयों के पिछले अच्छे रिकार्ड तथा उनकी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए (अपने बोर्डों के अनुमोदन से) लघु उद्योगों के लिए ऋण की सीमा, संपार्श्विक प्रतिभूतियों की अपेक्षाओं के बिना, 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर सकते हैं। यह भी प्रस्ताव किया गया कि (i) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में कमी के लिए विदेशी बैंकों द्वारा सिडबी के पास रखी गयी जमाराशियों पर बैंक दर के बराबर ब्याज दर देय होगी। (ii) सिडबी यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करेगा कि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की निधियों का उपयोग तत्परतापूर्वक किया जाए और ब्याज में कमी करने का लाभ उधारकर्ताओं को मिले। अंत में यह प्रस्ताव किया गया कि बैंकों द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र को दिये जाने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को दिये गये सभी नये ऋणों को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिये गये ऋण के रूप में शामिल किया जाए।
- *व्यष्टि (माइक्रो) वित्त* : माइक्रो वित्त-प्रवाह से संबंधित मामलों की जांच के लिए चार अनौपचारिक दलों की सिफारिशों के आधार पर प्रस्ताव किया गया कि स्वयं सहायता समूह को वित्त प्रदान करने के लिए बैंक अपनी शाखाओं को पर्याप्त प्रोत्साहन दें और उनके साथ संबंध कायम करें। स्वयं सहायता समूह के माइक्रो वित्त प्रदान करने से संबंधित दृष्टिकोण पूरी तरह से मुक्त हो और उसमें उपभोग संबंधी व्यय भी शामिल किये जा सकते हैं, जिससे उपभोग को सहज बनाया जा सके, जैसा कि आय-प्रवाह के समय प्रोफाइल के बारे में आवश्यक हो।

4. मुद्रा बाज़ार

- *विशुद्ध अंतर-बैंक मांग/सूचना मुद्रा बाजार की ओर बढ़ना* : बाजार संबंधी आगे की गतिविधियों के संबंध में और साथ ही विशुद्ध अंतर-बैंक मांग / सूचना मुद्रा बाजार की ओर बढ़ने के उद्देश्य से प्रस्ताव किया गया कि 27 दिसंबर 2003 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से गैर-बैंकिंग सहभागियों को किसी भी रिपोर्टिंग पखवाड़े में औसतन 2000-01 के दौरान मांग /सूचना मुद्रा बाज़ार में उनके औसत दैनिक ऋण के 60 प्रतिशत तक उधार देने की अनुमति होगी, जो अप्रैल 2003 में घोषित 75 प्रतिशत से कम है।
- *स्थायी सुविधाओं को औचित्यपूर्ण बनाना* : क्षेत्र विशेष के लिए स्थायी सुविधाओं को क्रमिक रूप से समाप्त करने की ओर बढ़ने की दृष्टि से और साथ ही चलनिधि के प्रणाली में आने की दरों को औचित्यपूर्ण बनाने के लिए प्रस्ताव किया गया है कि 'सामान्य' और 'बैकस्टॉप' स्थायी सुविधाएं 27 दिसंबर 2003 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से एक तिहाई और दो तिहाई (33:67) के अनुपात में उपलब्ध होंगी जबकि प्रचलित अनुपात 50:50 का है।
- *मांग /सूचना मुद्रा बाजार में प्राथमिक व्यापारियों की पहुंच* : रिपो बाजार को और अधिक विकसित करने तथा साथ ही मुद्रा बाजार के विभिन्न खंडों का संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रस्ताव किया गया कि 7 फरवरी 2004 से किसी रिपोर्टिंग पखवाड़े में प्राथमिक व्यापारियों को औसत के आधार पर पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत में उनकी शुद्ध स्वाधिकृत निधियों के 200 प्रतिशत तक के उधार लेने की अनुमति दी जाएगी ।

5. विदेशी मुद्रा बाजार

(क) कंपनियों के असुरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण जोखिम : यह निर्णय लिया गया कि निर्यातों के वित्तपोषण तथा विदेशी मुद्रा व्यय को पूरा करने के लिए दिए जाने वाले ऋण को छोड़कर बैंकों द्वारा दिये जाने वाले 10 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक के सभी विदेशी मुद्रा ऋणों को बोर्ड की सुविचारित नीति के आधार पर ही दिया जाये, जिससे कि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके ।

(ख) निर्यात संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई : 1 जनवरी 2004 से, सभी निर्यातक किसी कैलेंडर वर्ष में निर्यात से प्राप्य राशियों के 10 प्रतिशत तक निर्यात से मिलने वाली अपनी बकाया राशियों को बट्टे खाते डाल सकते हैं और वसूली के लिए 180 दिन की सामान्य अवधि को भी बढ़ा सकते हैं।

(ग) म्युचुअल फंड के यूनिट जारी करना - सामान्य अनुमति : भारतीय आस्ति प्रबंधक कंपनियां जो अपतटीय निधियाँ प्रवर्तित करती हैं, को एक ही स्थान पर क्लीयरेंस देने के लिए, सेबी से परामर्श करके प्रस्ताव किया गया कि ऑफशोर निधियां प्रारंभ करने के लिए सेबी का एक बार अनुमोदन मिल जाने पर आस्ति प्रबंधन कंपनियों को यूनिट जारी करने, लाभांश प्रेषित करने और जारी किये गये यूनिटों के विमोचन के लिए सामान्य अनुमति रिपोर्टिंग अपेक्षाओं की शर्त पर दी जाये ।

6. विवेकपूर्ण उपाय

(क) वित्तीय संस्थाओं के लिए विवेकपूर्ण मानदण्ड : अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुरूप, वित्तीय संस्थाओं और बैंकों के आस्ति वर्गीकरण मानदण्डों में समरूपता लाने की दृष्टि से यह प्रस्ताव किया गया कि वित्तीय संस्थाओं के लिए ऋण अनर्जकता के निर्धारण हेतु 31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष से 90 दिवस का मानदण्ड अपनाया जाए ।

(ख) सर्वांग रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं (एसआइएफआइ) की निगरानी : सेबी के अध्यक्ष तथा इरडा के अध्यक्ष के साथ परामर्श करके यह निर्णय लिया गया कि सर्वांग रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं (एसआइएफआइ) के संबंध में एक निगरानी प्रणाली स्थापित की जाए, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे : (i) भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और इरडा की समान रुचि के वित्तीय मामलों के संबंध में एसआइएफआइ के लिए एक रिपोर्टिंग प्रणाली ; (ii) एसआइएफआइ के आन्तर-समूह लेनदेन की रिपोर्टिंग, और (iii) भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और इरडा के बीच प्रासंगिक जानकारी का आदान-प्रदान ।

(ग) कंपनी संचालन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) : यह प्रस्ताव किया गया कि बैंकों द्वारा कंपनी संचालन के संबंध में गांगुली समिति और सेबी समिति द्वारा सुझाये गये दृष्टिकोणों में सामंजस्य स्थापित किया जाए और इसे प्राथमिक व्यापारियों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थाओं पर लागू किया जाए ।

धोखाधड़िया

2.26 वर्ष 2002-03 के दौरान हुई धोखाधड़ियों की उल्लेखनीय विशेषताएं निम्नानुसार थीं :

- जुलाई-दिसंबर 2002 के दौरान वाणिज्य बैंकों ने धोखाधड़ियों के 1,597 मामलों की सूचना दी जिसमें निहित राशि 267 करोड़ रुपये थी; जुलाई-जून 2001-02 के दौरान वाणिज्य बैंकों ने धोखाधड़ियों के 2,253 मामलों की सूचना दी जिसमें निहित राशि 414 करोड़ रुपये थी।
- जुलाई-मार्च 2002-03 के दौरान अपने उधार खातों में गंभीर अनियमितता दर्शानेवाली फर्मों/कंपनियों के संदर्भ में वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को 69 सतर्कता सूचनाएं जारी की गयी; जुलाई-जून 2001-02 के दौरान वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को कतिपय बेईमानी स्वरूप के धोखाधड़ीपूर्ण कार्यों के संबंध में चेतावनी देनेवाली 81 सतर्कता सूचनाएं जारी की गयी थीं।
- जुलाई-दिसंबर 2002 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा लूटमार/डकैतियों के 40 मामलों की सूचना दी गयी जिनमें निहित राशि थी 280 करोड़ रुपये; जुलाई-जून 2001-02 के दौरान लूटमार/डकैतियों के 118 मामलों की सूचना दी गयी जिनमें निहित राशि थी 596 करोड़ रुपये।

धोखाधड़ी संबंधी सूचना प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण

2.27 रिज़र्व बैंक ने धोखाधड़ी निगरानी और सूचना प्रणाली संबंधी मापदण्ड विकसित करके बैंकों को उसके बारे में सूचित किया है। जून 2003 को समाप्त तिमाही से बैंकों के लिए आवश्यक है कि वे इस मापदण्ड के माध्यम से धोखाधड़ियों की संख्या और सतर्कता विवरणियां रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें।

बैंकिंग पर्यवेक्षण से संबंधित समितियां

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के समेकित लेखा और पर्यवेक्षण के संबंध में दिशानिर्देश

2.28 बैंक समूहों के समेकित पर्यवेक्षण के लिए पर्यवेक्षकों को अधिकार देने पर अधिक ध्यान दिये जाने और प्रभावी बैंकिंग पर्यवेक्षण के महत्त्वपूर्ण सिद्धांत द्वारा इसी आवश्यकता को अलग सिद्धांत के रूप में रेखांकित किये जाने से रिज़र्व बैंक ने नवंबर 2000 में बहु अनुशासनात्मक कार्यकारी दल (अध्यक्ष: श्री विपिन मलिक) की स्थापना की। कार्यकारी दल ने समेकित पर्यवेक्षण को सुसाध्य बनाने के लिए समेकित लेखा और अन्य मात्रात्मक पद्धतियां लागू करने की व्यवहार्यता की जांच की । इस कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर बैंकों को 25 फरवरी 2003 को और वित्तीय संस्थाओं को 1 अगस्त 2003 को दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

2.29 प्रारंभ में ऐसे सभी समूहों के लिए समेकित पर्यवेक्षण अनिवार्य किया गया है जहां नियंत्रक संस्था कोई बैंक हैं। रिज़र्व बैंक के समेकित पर्यवेक्षण के दायरे में आनेवाले सभी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे 1 अप्रैल 2002 से शुरू होनेवाले वित्तीय वर्ष से अपने एकल वित्तीय विवरणों के अलावा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करें और उन्हें प्रकट करें। समेकित वित्तीय विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा मानक 21 (समेकित वित्तीय विवरण से संबंधित) अन्य संबंधित लेखा मानक जैसे लेखा मानक 23 (समेकित वित्तीय विवरण में सहयोगी संस्था में निवेश से संबंधित) और 27 (संयुक्त उद्यमों में निवेश की वित्तीय रिपोर्ट देना) के अनुसार तैयार करना होता है। इसके अलावा, इस समय बैंकों के लिए समेकित विवेकपूर्ण रिपोर्ट तैयार करना आवश्यक है। प्रारंभ में, बैंकों के लिए वर्तमान स्थानेतर विवरणियों के अनुसार अप्रत्यक्ष सूचना प्रणाली के भाग के रूप में 31 मार्च 2003 से छमाही आधार पर ये रिपोर्ट मँगानी शुरू की गयी हैं। बैंकों से अपेक्षित है कि वे लेखा मानक 21,23 और 27 में यथा निर्धारित सिद्धांतों को अपनाते हुए समेकित विवेकपूर्ण रिपोर्ट तैयार करें। तथापि, यथा समय संमिश्र समूह को शामिल करने की संभावना को देखते हुए प्रारंभ में समेकित विवेकपूर्ण रिपोर्ट में ऐसी संबंधित संस्थाओं की सूचना और लेखे सम्मिलित किये जायेंगे जो बैंकिंग या वित्तीय स्वरूप की गतिविधियों में लगी रहती हैं और इसमें ऐसी संस्थाओं की सूचना शामिल करने की आवश्यकता नहीं है जो बीमा या वित्तीय सेवाओं के कारोबार में लगी हैं।

2.30 समूह-वार आधार पर विवेकपूर्ण मानदंड लागू करने के उद्देश्य से जोखिम भारित आस्ति अनुपात के प्रति पूंजी, एकल /समूह उधारकर्ता जोखिम सीमा, चलनिधि अनुपात, चलनिधि अनुपात/बास्ले सीमा और पूंजी बाजार जोखिम सीमा जैसे विवेकपूर्ण मानदंड/सीमाएं समेकित बैंक द्वारा अनुपालन किये जाने के लिए निर्धारित की गयी हैं।

सांविधिक लेखा-परीक्षकों को सूचीबद्ध करने से संबंधित कार्यकारी दल

2.31 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सात अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं और रिज़र्व बैंक के सांविधिक लेखा-परीक्षकों के रूप में लेखा-परीक्षा फर्मों को सूचीबद्ध करने के लिए वर्तमान मानदंडों की समीक्षा करने और उनमें संशोधन सुझाने के लिए गठित कार्यकारी दल ने 12 मार्च 2003 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वित्तीय पर्यवेक्षण

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति द्वारा 25 अप्रैल 2003 को आयोजित अपनी बैठक में दल द्वारा की गयी सिफारिशों को कतिपय संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया है। संशोधित मानदंड और अन्य सिफारिशों का वर्ष 2004-05 से कार्यान्वयन किया जायेगा। पात्र लेखा-परीक्षा फर्मों संबंधी कार्यकारी दल की मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

- फर्म में रहनेवाले पूर्णकालिक न्यूनतम सात सनदी लेखाकारों (छः की तुलना में) में से पांच पूर्णकालिक सहभागी होने चाहिए, उनमें से हरेक का फर्म के साथ क्रमशः 15,10,5,5 और 1 वर्ष का न्यूनतम सहयोग होना चाहिए;
- व्यावसायिक स्टाफ की संख्या 18 (वर्तमान मानदंडों में 15 की तुलना में);
- 15 वर्ष का न्यूनतम अनुभव (वर्तमान मानदंडों में 10 की तुलना में);
- 15 वर्ष का न्यूनतम सांविधिक बैंक/शाखा लेखा-परीक्षा का अनुभव (वर्तमान मानदंडों में 8 वर्ष की तुलना में); और
- कम से कम एक सहभागी या वेतनभोगी सनदी लेखाकार सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा प्रमाणित/आइएसए या अन्य किसी समकक्ष अर्हता प्राप्त हों।

कम्प्यूटर लेखा-परीक्षा के लिए जांच सूची

2.32 बैंकों में कम्प्यूटर लेखा-परीक्षा प्रणाली का मूल्यांकन वर्ष 1998-99 और 1999-2000 की बैंकों की निरीक्षण रिपोर्टों के निष्कर्षों पर आधारित था। इस संदर्भ में बैंकों से प्राप्त निम्नलिखित विशेष प्रतिसूचना अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन कार्य के स्वरूप, सूचना प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन और इलैक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग लेखा-परीक्षा प्रणाली, इलैक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग लेखा परीक्षा पद्धति तथा अन्य संबंधित मामलों को ध्यान में रखा गया है। मूल्यांकन से यह स्पष्ट होता है कि भारत में कम्प्यूटर लेखा-परीक्षा अभी भी आरंभिक स्थिति में है और बैंकों द्वारा मुख्य रूप से जिस कठिनाई का सामना किया जा रहा है वह है- इस कार्य के लिए आवश्यक कुशल तकनीकी कार्मिकों की कमी। मूल्यांकन के निष्कर्षों पर वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड की लेखा-परीक्षा उप-समिति द्वारा विचार किया गया और उसने व्यापक रूप में कम्प्यूटर लेखा-परीक्षा से संबंधित पहलुओं की जांच करने के लिए समिति के गठन के लिए निदेश दिया। यह भी निर्णय लिया गया कि मानकीकृत रूप में जांच सूची बनायी जाए ताकि देश में कार्यरत सभी बैंक यह सुनिश्चित कर सकें कि उनकी कम्प्यूटरीकृत शाखाएं कम्प्यूटरीकृत परिवेश में आवश्यक नियंत्रण प्रणाली लागू करें और यह कि शाखा लेखा-परीक्षक उसका सत्यापन करें और रिपोर्ट में अपनी टिप्पणी लिखें। तदनुसार, एक समिति का गठन किया गया जिसमें रिज़र्व बैंक, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान और कुछ चुनिंदा बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति ने सिफारिश की कि आंतरिक सुरक्षा लेखा-परीक्षा जांच सूची का स्वतंत्र मंच आवश्यक है, जबकि आवश्यक मोर्चों पर निर्भर नियंत्रणात्मक प्रश्नावली बैंकों द्वारा निर्धारित की जा सकती है। समिति ने जोखिम क्षेत्रों को 15 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है और उनमें से हरेक क्षेत्र[2] के बारे में जांच सूची तैयार की है। ऐसी अपेक्षा है कि ऐसी जांच सूची से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में कम्प्यूटर लेखा-परीक्षा करने में न्यूनतम मानक का पालन किया जायेगा।

2.33 कम्प्यूटर लेखा-परीक्षा करने के लिए जांच सूची तैयार करने का मुख्य उद्देश्य था बैंकों को कम्प्यूटरीकरण और कम्प्यूटर पर बढ़ती निर्भरता तथा कारोबार करने के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग के कारण उभरती चिंताओं के बारे में सुग्राही बनाना। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड की लेखा-परीक्षा उप-समिति द्वारा यथा-अनुमोदित जांच सूची बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को दिसंबर 2002 में भेजी गयी है।

पर्यवेक्षी नीतिगत गतिविधियां

तिमाही समीक्षा

2.34 इस समय, सूचीबद्ध कंपनियों के केवल छमाही परिणाम लेखा-परीक्षकों की सीमित समीक्षा के अधीन होते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने जनवरी 2003 में सूचीकरण करार के खंड 41 (सूचीबद्ध कंपनियों की सीमित छमाही समीक्षा से संबंधित) में आशोधन करके सभी सूचीबद्ध कंपनियों (वाणिज्य बैंकों सहित) के लिए यह अनिवार्य बना दिया कि वे कंपनी के लेखा-परीक्षकों (या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में सनदी लेखाकार द्वारा) द्वारा अपने तिमाही परिणामों की 'सीमित समीक्षा' करा लें और समीक्षा रिपोर्ट की प्रति शेयर बाजार को प्रस्तुत करें। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड की लेखा-परीक्षा उप-समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के सूचीबद्ध

[2] श्रेणियां निम्नानुसार हैं : 1. कारोबारी नीति; 2. दीर्घावधि सूचना प्रणाली नीति; 3. अल्पावधि सूचना प्रणाली नीति; 4. सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति; 5. सुरक्षा नीति का कार्यान्वयन; 6. सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा दिशा-निर्देश; 7. पैकेज सॉफ्टवेयर का अभिग्रहण और कार्यान्वयन; 8. सॉफ्टवेयर का विकास - आंतरिक और बाह्य स्रोत से; 9. प्रत्यक्ष अभिगम नियंत्रण; 10. परिचालनात्मक प्रणाली के लिए जांच सूची; 11. अनुप्रयोग प्रणाली संबंधी नियंत्रणों के लिए सामान्य जांच सूची; 12. डाटाबेस नियंत्रण; 13. नेटवर्क प्रबंध के लिए जांच सूची; 14. रखरखाव से संबंधित ; एवं 15. इंटरनेट बैंकिंग।

बैंकों द्वारा भी छमाही सीमित समीक्षा की तरह 30 जून 2003 को समाप्त हुई तिमाही से तिमाही समीक्षा करा लेनी चाहिए।

शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई

2.35 विद्यमान पर्यवेक्षी ढांचे में अभिवृद्धि करने के सतत प्रयासों के एक भाग के रूप में पूर्व निर्धारित नियमबद्ध संरचनागत पूर्व हस्तक्षेप पर आधारित शीघ्र-सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) की एक प्रणाली दिसंबर 2002 से लागू कर दी गयी है। रिज़र्व बैंक तीन मानदंड रूपी संकेतक बिन्दुओं अर्थात (क) सीआरएआर, (ख) निवल अग्रिमों की तुलना में निवल गैर-निष्पादक आस्तियों का अनुपात, और (ग) आस्तियों पर प्रतिलाभ पर खराब स्थितिवाले बैंकों के संबंध में कुछ रचनाबद्ध कार्रवाई प्रारंभ करेगा। यह निर्णय लिया गया कि प्रारंभ में दिसंबर 2002 से एक वर्ष के लिए शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई योजना कार्यान्वित की जाए। बैंकों के बीच उक्त योजना 21 दिसंबर 2002 को यह सूचित करते हुए परिचालित की गयी कि वे शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई के प्रावधानों के अधीन न आने को सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करें। बैंकों को उक्त योजना अपने निदेशक मंडल के समक्ष रखने के लिए भी सूचित किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि पहले ही शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई योजना के संकेतक बिंदुओं का उल्लंघन करनेवाले बैंकों को उनके द्वारा अलग से किये जाने के लिए विशिष्ट कार्रवाई के संबंध में सूचित किया जाएगा। ऐसे बैंकों को निकटवर्ती कार्रवाई के बारे में भी सतर्क किया गया। इस योजना की समीक्षा दिसंबर 2003 में किये जाने की परिकल्पना की गयी है।

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण

2.36 2001-02 में जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के आवश्यक पहलू स्थापित कर लेने के बाद 2002-03 के दौरान जोखिम आधारित पर्यवेक्षण का रवैय्या अपना लिया गया है। बैंकों के संबंध में जोखिम आधारित पर्यवेक्षण में सुचारु रूप से बदलाव सुनिश्चित करने के लिए भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप बनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखकर नई जोखिम आधारित पर्यवेक्षण नियम पुस्तक (मैन्युअल) बनायी गयी। बैंकों के जोखिम संविभागों की जानकारी एकत्रित करने के लिए रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षी स्टाफ के प्रयोग के लिए एक विस्तृत जोखिम संविभाग टैम्प्लेट तैयार किया गया था। बैंकों के प्रयोग के लिए इसी प्रकार के टैम्प्लैट बनाये गये और उनके द्वारा उठाये जानेवाले जोखिम का स्व-मूल्यांकन करने के लिए ये उन्हें भेज दिये गये। बैंक व्यवसायियों के बीच अधिकाधिक जागरूकता लाने की दृष्टि से जून 2002 से रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में निरंतर आधार पर जोखिम प्रबंधन और जोखिम आधारित पर्यवेक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

2.37 बैंक जोखिम आधारित पर्यवेक्षण दृष्टिकोण से परिचित हो जाएं, इसलिए अगस्त 2001 में एक चर्चा पत्र जारी किया गया। इस पत्र में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कार्रवाई के लिए पांच क्षेत्रों का पता लगाया गया अर्थात (क) उचित जोखिम प्रबंधन ढांचा लागू करना, (ख) जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य स्थापित करना, (ग) प्रबंध सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली को अद्यतन बनाना, (घ) मानव संसाधन पहल के कार्य हाथ में लेना और (ङ) जोखिम आधारित पर्यवेक्षण दृष्टिकोण अपनाने के लिए आवश्यक अनुपालन यूनिट स्थापित करना। परामर्शी प्रक्रिया के भाग के रूप में संक्रमण की प्रक्रिया के दौरान बैंकों को जिन विषयों पर रिज़र्व बैंक से और मार्गदर्शन/सहायता अपेक्षित है उनका पता लगाने के लिए उनके साथ उच्चस्तरीय बैठकें आयोजित करके ऋण जोखिम प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन और जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा के संबंध में बैंकों को मार्गदर्शन पर नोट जारी किये गये। बैंकों को जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के लिए तैयारी, जिसकी रिज़र्व बैंक उनके द्वारा प्राप्त होनेवाली आवधिक विवरणियों के जरिये तथा उनके साथ समय-समय पर बैठकें आयोजित कर समीक्षा कर रहा है, में होनेवाली प्रगति पर निगरानी रखने के लिए संस्थागत व्यवस्था बनाने के लिए सूचित किया गया।

2.38 आठ बैंकों जिसमें सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों का प्रतिनिधित्व है, को प्रायोगिक आधार पर जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के कार्यान्वयन के लिए चुना गया है। चुनिंदा बैंकों के जोखिम संविभाग एकत्रित करने का कार्य रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में शुरू हो चुका है। इन बैंकों के अपने जोखिम संविभाग के आधार पर चुने गये हर बैंक के लिए व्यावहारिक (कस्टमाइज) पर्यवेक्षी कार्यक्रम तथा बैंक स्तरीय कार्यक्रम तैयार किया जायेगा। उक्त व्यावहारिक कार्यक्रम में उस बैंक के लिए निर्दिष्ट पर्यवेक्षण चक्र, लागू की जानेवाली पर्यवेक्षण की सघनता और जोखिम संविभाग में निर्देशित चिंताओं का हल करने के लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के प्रत्यक्ष (ऑनसाइट) निरीक्षण सहित मिले- जुले पर्यवेक्षी साधन शामिल हैं।

2.39 इन चुनिंदा बैंकों के लिए पूंजी-पर्याप्तता, आस्ति-गुणवत्ता, प्रबंधन, अर्जन, चलनिधि और प्रणाली (सीएएमईएलएस) तथा विदेशी बैंकों के लिए पूंजी-पर्याप्तता, आस्ति-गुणवत्ता, चलनिधि, अनुपालन और प्रणाली पर आधारित माडल के आधार पर बनी मौजूदा निरीक्षण

प्रणाली के तहत वार्षिक वित्तीय निरीक्षण पूरा हो जाने के बाद उनके संबंध में उक्त प्रौद्योगिक जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) हाथ में लिया जायेगा। आरबीएस के अधीन प्रत्यक्ष (ऑन-साइट) निरीक्षण का लक्ष्य ऐसे चिंता के क्षेत्र होंगे जिन पर जोखिम संविभाग में व्यक्त के किये गये अनुसार स्थान पर जाकर परीक्षण की जरूरत है। प्रायोगिक कार्यक्रम के अनुभव के आधार पर आरबीएस का दृष्टिकोण और प्रभावी बना दिया जायेगा और इसको यथासमय सभी बैंकों पर लागू किये जाने की संभावना है।

अप्रत्यक्ष (ऑफ साइट) निगरानी और चौकसी प्रणाली में बदलाव

2.40 1995 में अप्रत्यक्ष (ऑफ-साइट) निगरानी और चौकसी प्रणाली (ओएसएमओएस) लागू किये जाने के बाद अप्रत्यक्ष (ऑफ साइट) विवरणियों की व्याप्ति उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। समेकित पर्यवेक्षण, देश के जोखिम प्रबंधन और जोखिम आधारित पर्यवेक्षण में हाल में की गयी पहल के मद्देनजर अप्रत्यक्ष (ऑफ-साइट) विवरणियों के जरिये कुछ अतिरिक्त डाटा संग्रहित करना जरूरी है। तदनुसार, जून 2003 में समाप्त होनेवाली तिमाही से नयी विवरणियां तथा बढ़ी हुई व्याप्ति के साथ वर्तमान विवरणियां शामिल करते हुए एक उन्नत ओएसएमओएस प्रणाली कार्यान्वित की गयी है।

बैंकों की पर्यवेक्षी रेटिंग

2.41 धोखाधड़ी की निगरानी और रोकथाम के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि बैंकों की रेटिंग करते समय इस क्षेत्र के अनुपालन को अधिक महत्त्व (भार) दिया जाना चाहिए। तदनुसार, सीएएमइएलएस/सीएएलसीएस माडलों जिनमें धोखाधड़ी की निगरानी और रोकथाम को अधिक महत्त्व (भार) के अंतर्गत बैंकों की रेटिंग की प्रणाली में कुछ परिवर्तन किये गये।

जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा

2.42 दिसंबर 2002 में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा के संबंध में बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये जिसमें उन्हें अपनी चालू आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली की समीक्षा करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने और अपनी जोखिम प्रबंधन प्रथाओं, कारोबारी आवश्यकताओं और श्रमशक्ति की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली में चरणबद्ध रूप से संक्रामित होने के लिए तैयार रहने के लिए सूचित किया गया था।

विवेकपूर्ण मानदंड

(क) निवेश/ऋण मानदंड

व्युत्पन्नी उत्पादों पर ऋण जोखिम का मापन

2.43 व्युत्पन्नी उत्पादों पर ऋण जोखिम सीमा बैंकों के लिए महत्त्वपूर्ण निहितार्थ है। 31 मार्च 2003 के पहले के अनुदेशों के अनुसार गैर-निधिक ऋण सीमाओं के रूप में एक्सपोजर ऐसी सीमाओं के 50 प्रतिशत या बकाया राशियों जो भी अधिक हो, तक थे। इसके अलावा, जोखिम की गणना के लिए व्युत्पन्नी उत्पादों पर बैंकों के जोखिम यथा वायदा दर संविदाएं और ब्याज दर स्वैप (अदलाबदली) को मूल जोखिम (एक्सपोजर) पद्धति के अनुसार सांकेतिक मूल धन पर कन्वर्जन फैक्टर लागू करते हुए लिया गया। बैंकों को 1 अप्रैल 2003 से गैर-निधिक आधारित सीमाओं का 100 प्रतिशत पर हिसाब लगाने के अलावा वैयक्तिक सामूहिक ऋणकर्ता जोखिम का निर्धारण करने में विदेशी मुद्रा और अन्य व्युत्पन्नी उत्पादों की पुनर्स्थापन दर पर वायदा संविदाओं को शामिल करने के लिए सूचित किया गया था। बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बास्ले समिति का पूंजी मापन और पूंजी मानकों के अंतर्राष्ट्रीय समरूपता पर पेपर 1988 के अनुसार व्युत्पन्नी उत्पादों में ऋण जोखिम के कारण एक्सपोजर का मापन करने की दो विधियां हैं, अर्थात (i) मूल एक्सपोजर पद्धति और (ii) वर्तमान जोखिम सीमा पद्धति (बाक्स II.2)। बैंकों और वित्तीय संस्थाएं यदि चालू जोखिम सीमा पद्धति अपनाने की स्थिति में न हों तो वे मूल एक्सपोजर पद्धति अपना सकते है। तथापि बैंकों को थोड़े समय में चालू जोखिम सीमा पद्धति अपनाये जाने की दिशा में प्रयासरत रहने के लिए सूचित किया गया। बैंकों को 1 अप्रैल 2003 से निरंतर रूप से वैयक्तिक/सामूहिक ऋणकर्ता जोखिम के निर्धारण में सभी व्युत्पन्नी उत्पादों के लिए इन दो पद्धतियों में से एक को अपनाने के लिए सूचित किया गया। बैंकों से एक मुद्रा चल दर/चल ब्याज दर स्वैप (अदला-बदली) के लिए संभाव्य ऋण जोखिम की गणना करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी। एकल मुद्रा सचल दर/सचल ब्याज दर स्वैप (अदला-बदली) संबंधी ऋण जोखिम का मूल्यन केवल उनके बाजार मूल्य (मार्क टू मार्केट) के आधार पर ही किया जाना है।

मूलभूत सुविधाओं के वित्तपोषण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत

2.44 मूलभूत सुविधा क्षेत्र के अत्यधिक महत्व को तथा विभिन्न मूलभूत सेवाओं के विकास के लिए दी जानेवाली उच्च प्राथमिकता को देखते हुए बैंकों द्वारा मूलभूत सुविधा क्षेत्र के वित्तपोषण की

बाक्स II.2 : व्युत्पन्नी उत्पाद के ऋण जोखिम सीमा का मापन

व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव) में अन्तर्निहित ऋण जोखिम सीमा का मापन करने की नीचे वर्णित दो पद्धतियां हैं

1. मूल जोखिम सीमा पद्धति

इस पद्धति के अधीन किसी व्युत्पन्नी उत्पाद की ऋण जोखिम सीमा का हिसाब व्युत्पन्नी लेनदेन के प्रारंभ में निर्दिष्ट क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर के साथ सांकेतिक मूलधन राशि को गुणित करते हुए लगाया जाता है। तथापि, इस पद्धति में व्युत्पन्नी संविदा के चालू बाजार मूल्य, जोकि समयांतर से भिन्न हो सकता है, को हिसाब में नहीं लिया जाता है । ऋण की समकक्ष राशि की गणना करने के लिए बैंक को लिखत के स्वरूप और उसकी मूल परिपक्वता अवधि के अनुसार प्रत्येक लिखत की सांकेतिक मूल राशियों के लिए निम्नलिखित कन्वर्जन फैक्टर प्रयुक्त करना चाहिए :

मूल परिपक्वता	सांकेतिक मूल धन के लिए प्रयुक्त किये जानेवाले कन्वर्जन फैक्टर (प्रतिशत)	
	ब्याज दर संविदा	विनिमय दर संविदा
एक वर्ष से कम	0.5	2.0
एक वर्ष और दो वर्षों से कम	1.0	5.0 (2 +3)
हर अतिरिक्त वर्ष के लिए	1.0	3.0

2. वर्तमान जोखिम-सीमा पद्धति

इस पद्धति के अधीन व्युत्पन्नी उत्पाद ऋण जोखिम सीमा/ऋण की समकक्ष राशि का हिसाब आवधिक रूप से जिस उत्पाद की वर्तमान पुनर्स्थापन लागत का हिसाब निकालना है उसके बाजार मूल्य के आधार पर लगाया जाता है। इस प्रकार, तुलनपत्र से इतर ब्याज दर और विनिमय दर लिखतों की ऋण के समकक्ष राशि निम्नलिखित दो घटकों का जोड़ होगी :

(क) सकारात्मक मूल्य (अर्थात बैंक को प्रतिपक्ष से धन प्राप्त होना होता है) के साथ सभी संविदाओं की 'बाजार के लिए मूल्य' द्वारा पायी गयी कुल पुनर्स्थापित लागत; और

(ख) संभाव्य भावी परिवर्तनों की ऋण जोखिम सीमा में परिवर्तन की राशि - जिसकी गणना संविदा की अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार निम्नलिखित क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टरों द्वारा कुल सांकेतिक मूल धन का गुणित कर की जाती है।

अवशिष्ट परिपक्वता	सांकेतिक मूल धन के लिए प्रयुक्त किये जानेवाले कन्वर्जन फैक्टर (प्रतिशत)	
	ब्याज दर संविदा	विनिमय दर संविदा
एक वर्ष से कम	शून्य	1.0
एक वर्ष और अधिक	0.5	5.0

संदर्भ : बैंक पर्यवेक्षण पर बास्ले समिति (1988), पूँजी मापन और पूँजी मानकों पर अन्तर्राष्ट्रीय कनवर्जेंस, अन्तर्राष्ट्रीय निपटान बैंक, बास्ले।

भारत सरकार के परामर्श से समीक्षा की गयी और मूलभूत सुविधा क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्तपोषण के संबंध में फरवरी 2003 में संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये। तदनुसार, ऋणदाता द्वारा (अर्थात बैंक, वित्तीय संस्थाएं या गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं) मार्गदर्शी सिद्धांतों में व्यापक रूप में परिभाषित रूप में किसी मूलभूत सुविधा के लिए किसी भी रूप में दी गयी ऋण सुविधा को 'मूलभूत सुविधा क्षेत्र को ऋण' के रूप में माना जायेगा। विशेष रूप से विकास कार्यों या परिचालन और रखरखाव में लगी या निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी क्षेत्र के किसी परियोजना को विकसित करने, परिचालित करने और रखरखाव में लगी किसी उधारकर्ता कंपनी को दी जानेवाली ऋण सुविधा 'मूलभूत सुविधा' क्षेत्र को ऋण मानी जायेगी:

- चुंगी सड़क, पुल या कोई रेल पटरी प्रणाली सहित सड़क;
- हाइवे परियोजना के अभिन्न स्वरूप की अन्य गतिविधियों सहित हाइवे परियोजना;
- बंदरगाह, हवाई पत्तन, इन लैण्ड जल मार्ग या बंदरगाह 6;
- जल आपूर्ति परियोजना, सिंचाई परियोजना, जल प्रक्रिया प्रणाली, सफाई व्यवस्था और मल निःसारण प्रणाली या सघन अपशिष्ट (वेस्ट) प्रबंधन प्रणाली;
- दूर संचार सेवाएं जिसमें मूलभूत या बेसिक सेल्यूलर, जिसमें रेडियो पेजिंग, देशी सैटेलाइट सेवाएं (अर्थात दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी भारतीय कंपनी के स्वामित्ववाला और परिचालित सैटेलाइट) और ट्रंकिंग का नेटवर्क, ब्रांड बेण्ड नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं शामिल हैं;
- कोई औद्योगिक पार्क या विशेष आर्थिक क्षेत्र;
- बिजली निर्माण या बिजली निर्माण और वितरण;
- नया ट्रांसमिशन या वितरण लाइनें बिछाते हुए बिजली का ट्रांसमिशन या वितरण;
- इसी प्रकार की कोई अन्य मूलभूत सुविधा।

2.45 वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किसी समूह के उधारकर्ता को दी जानेवाली ऋण सीमा बैंक की पूंजी निधि के 40 प्रतिशत के मानदंड के अतिरिक्त 10 प्रतिशत तक (अर्थात 50 प्रतिशत तक) बढ़ सकती है। बशर्ते अतिरिक्त ऋण जोखिम सीमा मूलभूत सुविधा परियोजनाओं के विस्तार के कारण हो। उपयुक्त के अलावा, एकल उधारकर्ता को ऋण सीमा बैंकों की पूंजी निधियों के 15 प्रतिशत के विवेकपूर्ण जोखिम सीमा मानदंड से अतिरिक्त 5 प्रतिशत (अर्थात 20 प्रतिशत तक) बढ़ायी जा सकती है,बशर्ते अतिरिक्त

ऋण जोखिम सीमा मूलभूत सुविधाओं को ऋण प्रदान करने के कारण हो। मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निर्दिष्ट कतिपय शर्तों का पालन करनेवाली मूलभूत सुविधा संस्था से संबंधित प्रतिभूति में निवेश पर पूंजी-पर्याप्तता प्रयोजन के लिए बैंक 50 प्रतिशत का रियायती जोखिम भार दे सकते हैं।

विदेशी बैंकों के लिए मानदंड

2.46 31 मार्च 2002 से विवेकपूर्ण ऋण जोखिम सीमा की उच्चतम सीमा की गणना करने के प्रयोजन के लिए विदेशी बैंकों को पूंजी पर्याप्तता मानकों के अधीन यथापरिभाषित भारत में विनियामक पूंजी (अर्थात टीयर I और टीयर II पूंजी) के रूप में 'पूंजी निधि' की संकल्पना का विस्तार करते हुए भारतीय बैंकों के समान बनाया गया। पूंजी निधि की संशोधित संकल्पना अपनाये जाने के फलस्वरूप, कुछ विदेशी बैंकों की वैयक्तिक/सामूहिक उधारकर्ताओं को दिये गये ऋणों के संबंध में जोखिम सीमा विवेकपूर्ण ऋण जोखिम सीमाओं से बढ़ गयी। अब विदेशी बैंकों को एकल/सामूहिक ऋणकर्ताओं को विवेकपूर्ण ऋण जोखिम सीमाओं से अधिक नये ऋण देने की अनुमति नहीं है।

2.47 विवेकपूर्ण जोखिम सीमा पद्धति में सुचारू रूप में परिवर्तित होने की दृष्टि से निम्नलिखित के संबंध में छूट की अनुमति दी गयी:

- विभिन्न उधारकर्ता कंपनियों के विलयन/अधिग्रहण के मामले में विदेशी बैंक यदि उनके सामूहिक ऋण (एक्सपोज़र) जोखिम विवेकपूर्ण मानदंड से बढ़ जाते हैं तो 31 मार्च 2004 तक बढ़ा हुआ सामूहिक एक्सपोजर जारी रख सकते हैं; और
- मीयादी ऋणों, बांडों/डिबेंचरों में निवेश और कार्य-निष्पादन गारंटियों आदि जैसी जोखिम सीमा की उच्चतम सीमा से अधिक वर्तमान निधि और गैर-निधि आधारित सुविधाएं अपनी समाप्ति-अवधि/परिपक्वता तक जारी रह सकती हैं।

वाणिज्य बैंकों की वणिक (मर्चेंट) बैंकिंग सहयोगी संस्थाओं द्वारा हामीदारी

2.48 अब तक बैंकों/सहयोगी संस्थाओं से यह सुनिश्चित करना अपेक्षित था कि निवेशों और हामीदारी और अन्य प्रतिबद्धताओं (जैसे एकल विधिक व्यक्ति या संस्था के संबंध में अस्थायी सुविधा उत्पन्न (गारंटी के अनुसार दायित्व) डिवाल्वमेंट सहित निधिकृत और गैर - निधिकृत प्रतिबद्धताएं बैंक/सहयोगी बैंक की निवल स्वाधिकृत निधियों के 15 प्रतिशत से अधिक न बढ़ें और एकल हामीदारी दायित्व के अधीन प्रतिबद्धताएं किसी निर्गम के 15 प्रतिशत से अधिक न बढ़ें। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों की पुनरीक्षा की गयी और बैंकों की वणिक बैंकिंग सहयोगी संस्था को कार्य करने के लिए एक-समान स्थिति उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया कि हामीदारी प्रतिबद्धताओं संबंधी वर्तमान उच्चतम सीमाएं उन पर लागू नहीं होंगी। इसके परिणामस्वरूप बैंकों की सेबी द्वारा विनियमित वणिक बैंकिंग सहयोगी संस्थाओं पर उनके द्वारा किये जानेवाले हामीदारी कार्यों के विभिन्न पहलुओं संबंधी सेबी के मानदंड लागू होंगे। तथापि, बैंकों की हामीदारी और इसी प्रकार की प्रतिबद्धताओं पर विवेकपूर्ण जोखिम सीमा संबंधी उच्चतम सीमा अपरिवर्तित बनी रहेंगी और पहले ही, रिज़र्व बैंक द्वारा समग्र उधारकर्ता/निर्गम आकार की सीमाओं पर समय-समय पर निर्दिष्ट मानदंडों के भीतर उसकी गिनती की जाती रहेगी।

सामूहिक गारंटी पर स्वयं-सहायता समूहों को अग्रिम

2.49 फिलहाल, बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपने गैर-जमानती अग्रिमों के रूप में अपनी प्रतिबद्धताओं को इस प्रकार सीमित करें कि वे कुल बकाया गैर-जमानती अग्रिमों के साथ बैंकों की बकाया गैर-जमानती गारंटियों का 20 प्रतिशत उनके कुल बकाया अग्रिमों के 15 प्रतिशत से अधिक न हो।

2.50 बैंक आम तौर पर स्वयं सहायता समूहों को किसी जमानत का आग्रह किये बिना समूह गारंटियों की जमानत पर ऋण प्रदान करते हैं। स्वयं सहायता समूहों को बैंकों द्वारा दिये जानेवाले अग्रिमों के संबंध में उच्च वसूली दर और यह देखते हुए कि इस कार्यक्रम से गरीबों को सहायता मिलती है, बैंकों को नवंबर 2002 में सूचित किया गया कि उनके द्वारा स्वयं सहायता समूहों को समूह गारंटी पर दिये जानेवाले गैर-जमानती अग्रिमों को अग्रणी सूचना मिलने तक गैर-जमानती गारंटियों और अग्रिमों संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों की गणना के प्रयोजन के लिए छोड़ दिया जाए। कुल गैर जमानती अग्रिमों में होनेवाली वृद्धि और स्वयं सहायता समूहों को दिये जानेवाले अग्रिमों के वसूली कार्य के संदर्भ में एक वर्ष के बाद मामले की समीक्षा की जायेगी।

(ख) पूंजी पर्याप्तता

बास्ले II की गतिविधियां

2.51 नया बास्ले पूंजी समझौता, आम तौर पर बास्ले II के नाम से प्रसिद्ध, लगभग 2006 के आसपास परिचालित किया जाना है। उक्त सहमति पर्यवेक्षण में अनुसंधान और प्रथाओं में समरूपता दिखायी देती है, क्योंकि यह पूंजी-पर्याप्तता के निर्धारण को अधुनातन वित्तीय मॉडेलिंग तकनीक लागू करने का प्रयास करती है। बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बास्ले समिति का तीसरा परामर्शी प्रलेख (सीपी3) इच्छुक पार्टियों और राष्ट्रीय केंद्रीय बैंकों द्वारा टिप्पणियों के लिए अप्रैल 2003 में जारी किया गया। रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बास्ले समिति के सीपी3 पर अपने अभिमत जुलाई 2003 में भेज दिये (बाक्स II.3)

बाक्स II.3 : नये बास्ले पूंजी समझौते पर तीसरा परामर्शी पेपर (सीपी3) और रिज़र्व बैंक के अभिमत

बैंकिंग पर्यवेक्षण की बास्ले समिति (बीएसबीएस) ने नये बास्ले पूंजी समझौते (बास्ले -II) पर तीसरा परामर्शी पेपर जुलाई 2003 में जारी किया। बीसीबीएस के बास्ले -II को 2006 के अंत तक कार्यान्वित करने की आशा के साथ 2003 के अंत तक पूरा करने के लक्ष्य को देखते हुए सीपी3 एक महत्त्वपूर्ण गतिविधि है। सीपी3 प्रलेख अक्तूबर 2002 में परिमाणात्मक प्रभाव अध्ययन (क्यूआइएस3) के संबंध में 40 से अधिक देशों से प्राप्त अभिमतों का है। क्यूआइएस3 तकनीकी मार्गदर्शन से प्राप्त अभिमतों की प्रतिक्रिया में नये समझौते में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित हैं:

- पूर्ण जमानती ऋणों के लिए (उधारकर्ता द्वारा कब्जा की गयी या की जानेवाली आवासीय संपदा के दृष्टिबंधन द्वारा) मानकीकृत दृष्टिकोण में पहले के 40 प्रतिशत के बजाय 35 प्रतिशत जोखिम भार प्राप्त होगा।
- यदि कोई बैंक अपनी हानिकारक चूक का अनुमान जहां ऐसे अनुमान आर्थिक चक्र में अस्थिर होते हैं, आर्थिक उतार के लिए उचित हानि मानकर चूक का प्रयोग किया जाना चाहिए। दृष्टिबंधक जमानत वाले फुटकर जोखिम के लिए 10 प्रतिशत के न्यूनतम हानिकर चूक मूल्य प्रस्तावित हैं।
- रिपो स्वरूप के लेनदेनों के लिए मानक या स्वेच्छा से अनुमानित कटौती के विकल्प में जोखिम पर मूल्य की पुष्टि की गयी। इस संदर्भ में पुनः परीक्षण (बैक टेस्टिंग) की पद्धति अब विकसित की गयी है।
- भारी अस्थिरतावाले वाणिज्यिक स्थावर संपदा ऋणों के लिए फिलहाल उन्नत और मूलभूत आंतरिक दर निर्धारण (आइआरबी) दृष्टिकोण उपलब्ध हैं। ये कंपनी ऋणों संबंधी सामान्य आइआरबी दृष्टिकोणों से इस एक बात के अलावा समान हैं कि एक अलग जोखिम भारित पद्धति का प्रयोग किया जाता है।
- क्यूआइएस3 के परिणामों के परिप्रेक्ष्य में परिक्रामी खुदरा एक्सपोजर जोखिम भार वक्र को पुनः अनुसंशोधित किया गया।
- एक वैकल्पिक मानक परिचालन जोखिम दृष्टिकोण विकसित किया गया।

सीपी3 पर रिज़र्व बैंक की मूलभूत टिप्पणियां निम्नानुसार हैं :

- अपने कुल कारोबार के 20 से 25 प्रतिशत से अधिक सीमा पार कारोबारवाले सभी बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय रूप से सक्रिय बैंकों के रूप में परिभाषित किया जाए।
- बास्ले समिति एक निश्चित सीमा (मेटेरियल) (कुल पूंजी के 10 प्रतिशत तक) निर्धारित करने पर विचार करें जिस सीमा तक पूंजी और अन्य विनियामक निवेशों के धारण करने की अनुमति दी जाए और उस सीमा से अधिक निवेशों को कुल पूंजी से घटा दिया जाये।
- केवल ऐसी निर्यात ऋण एजेंसियों को अधिमानी जोखिम भार निर्धारण में उपयोग के लिए पात्र माना जाए जो (क) अपने जोखिम स्रोत, रेटिंग प्रक्रिया और क्रियाविधि आम रूप से घोषित करते हैं, (ख) आम रूप से घोषित ओईसीडी पद्धति में अभिदान करते हैं और (ग) जिन्हें राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों द्वारा मान्यता प्राप्त है।
- बैंकों के जोखिम भार निर्धारण को जिस देश में वे निगमित हैं, उनके क्रेडिट रेटिंग से अलग किया जाना चाहिए।
- पर्यवेक्षकों के लिए यह निश्चित करना मुश्किल होगा कि बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थाएं (ईसीएसआइ) याचित दर निर्धारण (रेटिंग) लेने के लिए संस्थाओं पर दबाव डालने के लिए अयाचित दर-निर्धारण (रेटिंग) का प्रयोग कर रहे हैं या नहीं। पर्यवेक्षकों के पास रेटिंग एजेंसियों के ऐसे व्यवहार का पता लगाने का न कोई साधन है, न ही वे इसके लिए सक्षम हैं।
- उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं में अंतर्राष्ट्रीय रूप से सक्रिय बैंकों को प्रारंभ में जहां मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक होगा, वहीं उन्हें राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों द्वारा आंतरिक रेटिंग प्रणाली को वैध बनाने के बाद कुछेक प्रकार के एक्सपोजरों (जोखिम-सीमा) पर अधिमानी जोखिम भार निर्धारित करने के लिए आंतरिक रेटिंग की अनुमति दी जा सकती है।
- जब एक्सपोजरों को ऐसे संविभाग के रूप में बना लिया जाता है जिन्हें खुदरा कार्यविधियों के लिए अपनाये जानेवाले दृष्टिकोणों के समान विशाखीकरण के लाभ प्राप्त हैं तब प्रधान जोखिमों पर निर्धारित जोखिम भार की स्थिति पुन: आने की काफ़ी संभावना हैं।
- विनियामक अंतरपणनों से बचने के लिए बैंकिंग की और व्यापारिक बहियों में विशिष्ट जोखिम के लिए पूंजी प्रभार स्थिर होना चाहिए।

संदर्भ :

अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (2003), तीसरा परामर्शी पेपर

भारतीय रिज़र्व बैंक (2003), नया बास्ले पूंजी समझौता मुंबई के तीसरे परामर्शी प्रलेख पर रिज़र्व बैंक की टिप्पणियां।

निवेश घटबढ़ प्रारक्षित निधि

2.52 अप्रत्याशित गतिविधियों के कारण भविष्य में ब्याज दर वातावरण में किसी संभाव्य प्रतिकूलता के लिए रक्षा हेतु पर्याप्त प्रारक्षित धन तैयार करने की दृष्टि से बैंकों को सूचित किया गया कि वे 31 मार्च 2002 को समाप्त वर्ष से प्रारंभ कर पांच वर्षों की अवधि के भीतर निवेश संविभाग में बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए धारित श्रेणियोंवाले निवेश(आइएफआर) के लिए उसके 5 प्रतिशत की निवेश घटबढ़ तक प्रारक्षित निधि बनायें। जैसा कि बैंकों द्वारा निवेश घटबढ़ प्रारक्षित निधि बनाने के लिए और पांच वर्षों की छूट देने का सुझाव दिया गया था, यह निर्णय लिया गया कि जहां आइएफआर को टीयर II पूंजी माना जाता रहेगा वहीं उस पर कुछ जोखिम भारित आस्तियों के 1.25 प्रतिशत की उच्चतम सीमा लागू नहीं होगी। तथापि, पूंजी- पर्याप्तता मानदंडों के अनुपालन के प्रयोजन के लिए आइएफआर सहित टीयर II पूंजी पर टीयर I पूंजी के अधिकतम 100 प्रतिशत तक विचार किया जायेगा। उक्त पद्धति 31 मार्च 2003 से अमल में लायी जायेगी।

(ग) आय की पहचान / आस्ति वर्गीकरण

समयातिक्रमण वाली परियोजनाओं सहित परियोजनाओं का कार्यान्वयन

2.53 मई 2002 में बैंकों को निदेश दिया गया कि परियोजना को पूरा किए जाने की तारीख के निर्धारण के लिए कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाए तथा अन्तःवर्ती ऋण का आस्ति-वर्गीकरण इस प्रकार किया जाए:

- जिन परियोजनाओं की वित्तीय वचनबद्धता हासिल कर ली गयी है तथा जिनका औपचारिक दस्तावेज तैयार कर लिया गया है उन्हें परियोजना की समाप्ति की तारीख के बाद दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए मानक आस्तियों के रूप में माना जाए (जैसा कि परियोजना के आरम्भिक वित्तीय समापन के समय मूल रूप से निर्धारित किया गया था)।
- 100 करोड़ रुपए अथवा अधिक की मूल परियोजना लागत वाली 1997 के पूर्व स्वीकृत परियोजनाएं जिनकी वित्तीय वचनबद्धता का औपचारिक दस्तावेज तैयार नहीं किया गया तथा जिन परियोजनाओं को पूरा किए जाने की अनुमानित तिथि बाहरी विशेषज्ञों के स्वतंत्र समूह द्वारा निर्धारित की गयी है, उन्हें परियोजना पूरा होने की अनुमानित तिथि के बाद दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए मानक आस्ति माना जाए जैसा कि समूह द्वारा निर्धारित किया गया है।
- 1997 के पूर्व स्वीकृत, मूल रूप से 100 करोड़ रुपए से कम लागत वाली परियोजनाएं जिनकी वित्तीय वचनबद्धता का औपचारिक दस्तावेज तैयार नहीं किया गया है, उन्हें परियोजना पूरी होने की तारीख (जैसा कि परियोजना की मंजूरी के समय मूल रूप से निर्धारित किया गया था) के बाद दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए मानक आस्तियों के रूप में माना जाए।
- फरवरी 2003 में बैंकों को अनुमति दी गयी कि वे उपर्युक्त तीन श्रेणियों में कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं, जिन्हें उपर्युक्त दिशानिर्देश के संदर्भ में 'मानक' आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, के संबंध में उपचय आधार पर आय की पहचान करें।

प्राकृतिक विपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में कृषि ऋण की वसूली

2.54 वर्ष 2002 में सबसे खराब सूखा पड़ा। राहत उपाय के भाग के रूप में रिज़र्व बैंक ने नवम्बर 2002 में बैंकों को निदेश दिया कि राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित दक्षिण - पश्चिम मानसून की विफलता के कारण प्रभावित जिलों में खरीफ फसलों के संबंध में उस वित्त वर्ष के दौरान मूलधन अथवा ब्याज के जरिए किसी भी राशि की वसूली न करें। इसके साथ ही, ऐसे मामलों में फसल ऋण की मूल राशि को मीयादी ऋण के रूप में परिवर्तित किया जाए तथा इसकी वसूली छोटे और सीमांत किसानों के मामले में पांच वर्ष की न्यूनतम अवधि में तथा अन्य किसानों के मामले में चार वर्ष की न्यूनतम अवधि में की जाएगी। फसल ऋण पर 2002-03 के वित्त वर्ष में बकाया ब्याज भी आस्थगित रखा जाएगा तथा आस्थगित ब्याज पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।

2.55 बैंकों को निदेश दिया गया कि फसल ऋण के मीयादी ऋण में परिवर्तन अथवा पुनर्निर्धारण के ऐसे मामलों में, मीयादी ऋण को वर्तमान देय के रूप में माना जाए तथा इसे गैर-निष्पादक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाए। उसके बाद इन ऋणों का आस्ति वर्गीकरण संशोधित शर्तों के अनुसार किया जाएगा तथा इसे गैर-निष्पादक आस्तियां माना जाएगा यदि दो छमाही से अनधिक फसल कटाई के दो मौसम तक मूलधन का ब्याज तथा / अथवा किस्त का भुगतान नहीं किया जाता है।

(घ) प्रावधानीकरण मानक

अंतर - शाखा खाता

2.56 बैंकों को निदेश दिया गया कि प्रति वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया समाधान न हुई नामे और जमा प्रविष्टियों से उत्पन्न उनकी अंतर-शाखा लेखाओं में निवल नामे स्थिति के लिए 31 मार्च,1999 को समाप्त वर्ष के लिए शत-प्रतिशत प्रावधान करें। यह अवधि 31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष से कम करके दो वर्ष तथा 31 मार्च 2002 को समाप्त वर्ष से और कम कर 1 वर्ष कर दी गयी। बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे अपनी अंतर-शाखा लेखाओं की प्रविष्टियों का समाधान छह महीने की अवधि के भीतर कर लें। इस प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए तथा सर्वोत्तम बैंकिंग संव्यवहारों के अनुरूप यह निर्णय लिया गया कि 31 मार्च,2004 को समाप्त वर्ष से बैंकों के लिए यह अपेक्षित है कि वे छह महीने से अधिक समय से समाधान न की गयी और बकाया राशियों की प्रविष्टि के संबंध में अंतर-बैंक लेखाओं में निवल नामे स्थिति के लिए शत-प्रतिशत का प्रावधान करें।

2.57 बैंकों के समाशोधन समायोजन लेखाओं में लंबे समय से लंबित बकाया प्रविष्टियों का स्तर कम करने के मद्देनजर उन्हें एक-बारगी उपाय के रूप में अनुमति दी गयी है कि 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार तीन वर्ष से अधिक अवधि से बकाया 500 रुपए तक की 'प्राप्य - समाशोधन अंतरों' वाली प्रविष्टियों में से देय - समाशोधन अंतरों वाली प्रविष्टियों को घटाएं।

लेखांकन मानदंड

2.58 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानदंडों (एएस) के अनुपालन में बैंकों द्वारा अनुपालन की कमियों को दूर करने / कम करने के लिए उपायों की सिफारिश करने के लिए एक कार्य समूह (अध्यक्ष : श्री एन.डी. गुप्ता) का गठन किया गया। कार्य समूह ने 1 अप्रैल 2001 से शुरू होनेवाली लेखांकन अवधि के लिए पहले से ही लागू एएस 1 से 22 के अनुपालन में तथा तदनंतर अवधि में लागू लेखांकन मानदंड एएस 23 से 28 के अनुपालन में भी बैंक की स्थिति की जाँच की। कार्य समूह में रिपोर्ट में टिप्पणी की कि पहले से ही लागू लेखांकन मानदंडों यानी लेखांकन मानदंड 1 से 22 में से आम तौर पर बैंक निम्नलिखित आठ को छोड़कर अधिकांश लेखांकन मानदंडों का अनुपालन कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप वित्तीय विवरण में हेर-फेर किया जाता है। ये निम्नलिखित एएस (लेखांकन मानदंड) से संबंधित हैं - एएस 5 (अवधि, अवधि के पहले की मदों के लिए निवल लाभ या हानि, तथा लेखांकन नीतियो ंमें परिवर्तन), एएस 9 (राजस्व पहचान), एएस 11 (विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन के प्रभाव के प्रयोजन से लेखांकन), एएस 15 (नियोक्ताओं के वित्तीय विवरण में सेवानिवृत्ति लाभों के लिए लेखांकन), एएस 17 (क्षेत्र रिपोर्टिंग), एएस 18 (संबंधित प्रश्न का प्रकटीकरण), एएस 21 (समेकित वित्तीय विवरण) तथा एस 22 (आय पर करों की गणना)।

2.59 उपर्युक्त के मद्देनजर तथा लेखांकन मानदंडों के अनुपालन में कमियों को दूर करने के लिए कार्य-समूह ने संबंधित लेखांकन मानदंडों के संबंध में बैंकों द्वारा अनुपालन के प्रयोजन से कतिपय सिफारिशें की हैं। चूंकि आइसीएआइ संबंधित लेखांकन मानदंड में संशोधन करने की प्रक्रिया में था इसलिए कार्य समूह ने एएस 11 (विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन के प्रभावों के प्रयोजन से लेखांकन) के संबंध में कोई सिफारिश नहीं की है। मार्च 2003 में रिज़र्व बैंक ने बैंकों के मार्गदर्शन के लिए समूह की सिफारिशों के आधार पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये।

अन्य संरचनात्मक और विनियामक परिवर्तन

निजी क्षेत्र के नए बैंकों का गठन

2.60 बैंकिंग प्रणाली में बृहतर प्रतिस्पर्धा लाने के लिए रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र में नए बैंकों के गठन के प्रयोजन से लाइसेंसिंग नीति की समीक्षा के लिए जनवरी 1998 में एक समिति का गठन किया। तदनंतर जनवरी 2001 में निजी क्षेत्र में नये बैंकों के गठन के लिए दिशानिर्देश जारी किए।

2.61 नियत अवधि के भीतर रिज़र्व बैंक द्वारा प्राप्त आवेदनों की जाँच रिज़र्व बैंक द्वारा प्रथम दृष्टाि पात्रता सुनिश्चित करने के लिए की गई तथा उसके बाद इसे रिज़र्व बैंक द्वारा गठित उच्च - स्तरीय परामर्शदात्री समिति (अध्यक्ष : डा. आइ.जी. पटेल) को भेजा गया। जून 2001 में रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में, समिति ने निजी क्षेत्र में नए बैंकों के गठन के लिए "सैद्धांतिक" अनुमोदन जारी करने के प्रयोजन से दो आवेदन उपयुक्त पाए जाने की संस्तुति की। अनुमोदित आवेदन श्री अशोक कपूर तथा राबो बैंक नीदरलैंड और मेसर्स कोटक महिन्द्रा फाइनेंस लि. एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी नामक दो अन्य बैंकिंग व्यावसायिकों से प्राप्त हुए थे।

2.62 उपर्युक्त दो आवेदकों को एक वर्ष के लिए वैध "सैद्धांतिक" अनुमोदन 7 फरवरी 2002 को जारी किया गया। इस तथ्य से संतुष्ट होने पर कि कोटक महिन्द्रा फाइनेंस लिमिटेड "सैद्धांतिक" अनुमोदन के भाग के रूप में रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अपेक्षित शर्तों का पालन करता है, उसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के अधीन बैंकिंग कारोबार शुरू करने का लाइसेंस 6 फरवरी 2003 को जारी किया गया। बैंक ने 22 मार्च 2003 से परिचालन शुरू किया तथा इसे 12 अप्रैल 2003 से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया। दूसरे आवदेक को बैंकिंग परिचालन शुरू करने के लिए सभी औपचारिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए 30 नवम्बर 2003 तक का समय और बढ़ाया गया है।

बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

2.63 2003-04 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि बैंकिंग कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दी जाएगी ताकि विदेशी बैंकों द्वारा सहायक बैंकों की स्थापना तथा निजी क्षेत्र के बैंकों में निवेश आकर्षित करना सहज हो सके। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार से वोटिंग अधिकार की सीमा हटाने का प्रस्ताव किया है। यद्यपि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में व्यापक संशोधन पर सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है, फिर भी केंद्रीय बजट में निर्धारित निजी क्षेत्र के बैंकों में 74 प्रतिशत तक निवेश को सहज बनाने के लिए तत्काल उपाय के रूप में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12 (जो अन्य बातों के साथ शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार से संबंधित है) में संशोधन का सुझाव दिया गया।

अपतटीय बैंकिंग इकाइयों की स्थापना

2.64 आयात-निर्यात नीति 2002-07 में भारत सरकार द्वारा की गयी घोषणा के अनुसरण में रिज़र्व बैंक ने नवम्बर 2002 में भारत में परिचालनरत बैंकों को विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में अपतटीय बैंकिंग इकाइयों की स्थापना की अनुमति देते हुए दिशानिर्देश जारी किए जो भारत में स्थित भारतीय बैंकों की वास्तव में विदेशी शाखाएं होंगी। विशेष आर्थिक क्षेत्र में अपतटीय बैंकिंग इकाई की स्थापना की विशिष्ट विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- विदेशी मुद्रा विनिमय का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत भारत में परिचालनरत सभी बैंक ओबीयू बैंकिंग इकाई की स्थापना के पात्र हैं। इसमें विदेशी शाखाओं वाले तथा ओबीयू के परिचालन का अनुभव रखनेवाले बैंकों को वरीयता दी जाएगी।
- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23(1)(क) (जो भारत में कारोबार के नए स्थान की स्थापना से संबंधित है) के अंतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र में ओबीयू की स्थापना के लिए बैंकों को रिज़र्व बैंक की पूर्व- अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित है।
- चूंकि ओबीयू भारतीय बैंकों की शाखाएं होंगी, इसलिए ऐसी शाखाओं के लिए अलग से पूंजी नियत करना अपेक्षित नहीं है। तथापि, ऐसी शाखाओं को अपना परिचालन शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए मूल बेंक से अपेक्षित है कि वह अपनी अपतटीय बैंकिंग इकाइयों को न्यूनतम 10 मिलियन अमरीकी डालर उपलब्ध कराए।
- रिज़र्व बैंक मूल बैंक को इसके ओबीयू शाखा के संदर्भ में नकदी प्रारक्षित अनुपात अपेक्षाओं से छूट प्रदान करेगा।
- विदेशी मुद्रा निधि एकत्र करने का स्रोत केवल बाह्य होगा।
- ओबीयू से यह अपेक्षित होगा कि वह रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए 'अपने ग्राहक को जानिए' तथा अन्य 'काले धन को वैध बनाने से रोकने' से संबंधित अनुदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करेगा।
- ओबीयू से यह अपेक्षित होगा कि वह अनुरूपी बैंकों में पृथक 'नास्ट्रो' खाता रखे जो उसी बैंक के अन्य शाखाओं द्वारा रखे जानेवाले 'नास्ट्रो' खाता से भिन्न होगा।
- ओबीयू की जमाराशियां जमा संबंधी बीमा के अंतर्गत नहीं आएगी।
- ओबीयू के ऋण और अग्रिम को प्राथमिकता- प्राप्त क्षेत्र को ऋण बाध्यताओं के अभिकलन के लिए निवल बैंक ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।

ऋणदाताओं की देयता: कानून संबंधी दिशानिर्देश

2.65 भारत सरकार द्वारा गठित ऋणदाताओं की देयता : कानून संबंधी कार्यसमूह की सिफारिशों के आधार पर बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को 5 मई 2003 को निदेश दिया गया कि वे निर्धारित व्यापक दिशानिर्देश अपनाएं तथा अपने निदेशक मंडल द्वारा समुचित रूप से अनुमोदित उचित संव्यवहार संहिता बनाएं। आशा है कि उचित संव्यवहार संहिता बैंकों के अपने सेवा दायित्वों को और पारदर्शी बनाकर उधारकर्ताओं के लिए बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लायेगी। दिशानिर्देश की विशिष्ट विशेषताएं नीचे दिए अनुसार हैं:

- प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम (2 लाख रुपये तक) के विषय में ऋण आवेदनों में शुल्क/कार्रवाई पूरी करने के लिए देय प्रभार तथा पूर्व-भुगतान का विकल्प जैसी सूचना उल्लिखित होनी चाहिए।
- बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को सभी ऋण आवेदनों की प्राप्ति की सूचना (पावती) देने की एक व्यवस्था का विकास करना चाहिए।
- 2 लाख रुपये तक के ऋण की मांग करने वाले छोटे उधारकर्ताओं के आवेदनों की अस्वीकृति के मामले में अस्वीकृति के मुख्य कारणों की जानकारी नियत समय सीमा में लिखित रूप में दी जानी चाहिए।
- ऋणदाताओं को उधारकर्ताओं के ऋण आवेदनों का समुचित मूल्यांकन सुनिश्चित करना चाहिए। उधारकर्ताओं की ऋण पात्रता संबंधी विधिवत पूर्ववृत्त संबंधी रिपोर्ट के बदले में मार्जिन (अंतर) और सुरक्षा शर्त का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
- ऋणदाताओं को स्वीकृत ऋण को निर्धारित करनेवाली शर्तों के अनुरूप ऐसे ऋण के समय पर संवितरण (सुपुर्दगी) को सुनिश्चित करना चाहिए, ब्याज दर और सेवा प्रभार सहित शर्तों में किसी भी परिवर्तन की सूचना देनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ब्याज दरों और प्रभारों में परिवर्तन का केवल भावी प्रभाव हो।
- ऋणदाताओं द्वारा सुपुर्दगी के बाद पर्यवेक्षण विशेषकर 2 लाख रुपये तक के ऋण के संबंध में यह ध्यान रखते हुए कि उधारकर्ता कोई वास्तविक कठिनाई का सामना न करें - सकारात्मक होना चाहिए।
- ऋण स्वीकृति के दस्तावेज में उल्लिखित शर्तों के अतिरिक्त ऋणदाताओं को उधारकर्ताओं के कार्यकलाप में हस्तक्षेप से परहेज करना चाहिए।

- उधारकर्ताओं अथवा बैंक / वित्तीय संस्थान से उधार खाते के अंतरण के अनुरोध पर स्वीकृति अथवा आपत्ति की सूचना अनुरोध प्राप्ति की तारीख 21 दिन के भीतर दी जानी चाहिए।

4 जोखिम प्रबंधन

2.66 वित्त बाजार की गतिविधियों का लाभ उठाने तथा वित्त बाजार में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अन्य बाजारों का विकास करने तथा वित्तीय प्रणाली को और जोखिम में डालने से पहले प्रत्येक बाजार द्वारा प्रवर्तित जोखिम का प्रभावी तरीके से प्रबंध करने की आवश्यकता है। इसलिए बाजार विकास की नीति में अधिक उन्नत वित्त बाजारों द्वारा प्रवर्तित जोखिमों तथा संस्थागत सुधारों से व्यापक आर्थिक नियंत्रण में उत्पन्न जोखिम को कम करने को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। चार प्रमुख वित्तीय बाजारों : मुद्रा, ऋण, इक्विटी और विदेशी मुद्रा विनिमय द्वारा सामना किए जा रहे जोखिमों का वर्गीकरण और उन्हें कम करने के उपायों की रूपरेखा बॉक्स II.4 में प्रस्तुत की गयी है।

इक्विटियों और शेयरों में निवेश के लिए बैंक द्वारा वित्तपोषण

2.67 जोखिम प्रबंध प्रणाली की दक्षता की बढ़ती हुई महत्ता को देखते हुए बैंकों को निदेश दिया गया कि वे विशेषकर पूंजी बाजार जोखिम तथा स्टॉक दलाली प्रतिष्ठानों / बाजार निर्माताओं के प्रति जोखिम से संबंधित अपनी जोखिम प्रबंध प्रणाली की और अधिक समीक्षा करें। निदेशक मंडल को प्रस्तुत की जानेवाली समीक्षा में अन्य बातों के साथ-साथ, बैंक में स्थापित जोखिम प्रबंध प्रणाली की दक्षता का मूल्यांकन, जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुपालन की मात्रा का निर्धारण होना चाहिए तथा तुरंत समुचित उपाय शुरू करने के लिए अनुपालन में कमियों की पहचान होनी चाहिए।

देश विशेष को ऋण देने में निहित जोखिम के प्रबंधन से संबंधित दिशानिर्देश

2.68 अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआइएस) द्वारा 1997 में जारी प्रभावी बैंकिंग पर्यवेक्षण के प्रमुख सिद्धांतों का और अधिक अनुपालन करने के दृष्टिकोण से रिज़र्व बैंक ने देश विशेष को ऋण देने में निहित जोखिम के प्रबंधन और प्रावधानीकरण से संबंधित दिशानिर्देश तैयार किये हैं। ये दिशानिर्देश बैंकों को 19 फरवरी 2003 को जारी किए गए (बाक्स II.5)।

परिचालनात्मक जोखिम का प्रबंधन

2.69 परिचालनात्मक जोखिम में जोखिम का व्यापक दायरा आता है जो बैंक के लिए आंतरिक जोखिम है। आंतरिक व्यवस्था में कमियों, नियंत्रण प्रणाली की विफलता तथा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन न करने के कारण परिचालनात्मक जोखिम प्रबंध की आवश्यकता उत्पन्न होती है। हाल के वर्षों में बैंकों के परिचालन के आकार में कई गुना वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न पैरा-बैंकिंग कार्यकलापों में बैंक के कार्यों का विविधीकरण हो रहा है। विभिन्न क्षेत्रों और कार्यकलापों में बैंकों के निवेश में वृद्धि के कारण उनसे संबद्ध जोखिमों में भी काफी वृद्धि हुई है। इस प्रकार, बैंकिंग परिचालन के पैमाने में परिवर्तन के कारण परिचालनात्मक जोखिम प्रबंध की महत्ता बढ़ गयी है। बास्ले II अपेक्षाओं के मद्देनजर भी परिचालनात्मक जोखिम के स्वरूप और क्षेत्र की महत्ता और बढ़ गयी है (बाक्स II.6)।

ऋण और बाजार जोखिम प्रबंधन विषयक मार्गदर्शी टिप्पणियां

2.70 जोखिम प्रबंध प्रणाली विषयक दिशानिर्देश अक्तूबर 1999 में बैंकों को जारी किये गये थे। पहले फरवरी 1999 में जारी किये गये आस्ति-देयता प्रबंध संबंधी दिशानिर्देश के साथ-साथ इनका उद्देश्य उन बैंकों को एक बेंचमार्क उपलब्ध कराना था जिन्हें अभी भी समन्वित जोखिम प्रबंध प्रणालियां स्थापित करनी हैं। बैंकों में विद्यमान जोखिम प्रबंध प्रथाओं को समुन्नत बनाने और उनमें सुधार लाने (फाइन-टयून करने) के एक कदम के रूप में रिज़र्व बैंक में गठित दो कार्य दलों, जिसमें चुनिंदा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से विशेषज्ञ लिये गये थे, की सिफारिशों के आधार पर प्रारूप मार्गदर्शी टिप्पणियां जारी की गई थीं और उन्हें 2001-02 में बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य बाजार सहभागियों के साथ व्यापक चर्चा हेतु रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर भी रखा गया था।

2.71 ऋण जोखिम के संबंध में इस मार्गदर्शी टिप्पणी में नीतिगत ढांचे, ऋण जोखिम मामलों के प्रकार, अंतर-बैंक और तुलनपत्र से इतर निवेशों में ऋण जोखिम प्रबंध और नये पूंजी समझौते से उत्पन्न होनेवाले ऋण जोखिम प्रबंधन से संबंधित क्षेत्रों को शामिल किया गया है। बाजार जोखिम के संबंध में इस मार्गदर्शी टिप्पणी में चलनिधि, ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंध के साथ-साथ प्रस्तावित नये पूंजी समझौते में बाजार जोखिम से निपटने के तरीकों का समावेश किया गया है। जोखिम-मूल्य और भार-परीक्षण जैसे मुद्दों को भी इस मार्गदर्शी टिप्पणी में शामिल किया गया है। इन प्रारूप मार्गदर्शी टिप्पणियों को प्राप्त प्रतिसूचना के संदर्भ में बाद में संशोधित मार्गदर्शी टिप्पणियों को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर अक्तूबर 2002 में डाला गया।

बाक्स II.4 प्रमुख वित्तीय बाजारों में चुनिंदा जोखिमों को कम करने के लिए आवश्यक उपाय

जोखिम का स्रोत और प्रकार	मुद्रा बाजार	ऋण प्रतिभूति बाजार	इक्विटी बाजार	विदेशी मुद्रा विनिमय दर बाजार
ऋण जोखिम	आस्ति गुणवत्ता, पूंजी पर्याप्तता और चलनिधि स्थिति संबंधी वित्तीय सूचना का विस्तृत प्रकटीकरण। ऋण जोखिम विश्लेषण को बढ़ाया जाए। पुनर्खरीद समझौतों तथा संपार्श्विक जब्ती के लिए व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए।	बॉण्ड संविदाओं के मानकीकरण के जरिए क्रेडिट मूल्यन क्षमता में सुधार करना इसके लिए रेटिंग एजेंसियों का उपयोग अपेक्षित है।	—	विदेशी मुद्रा आय तथा विनिमय दर जोखिम प्रतिरक्षा क्षमताओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए उधारकर्त्ताओं के संबंध में व्यापक ऋण विश्लेषण करना विदेशी मुद्रा उधारकर्ताओं के लिए हामीदारी का उच्च मानक लागू करना।
चलनिधि जोखिम	परिपक्वता असंगति को नियंत्रित करना तथा चलनिधि आस्तियों के न्यूनतम स्तर को बनाए रखना। चलनिधि प्रबंधन दक्षताओं और तकनीकों को सुदृढ़ करना।	विभिन्न श्रेणियों को कम करना, बेंचमार्क प्रतिभूतियों का विकास करना तथा प्राथमिक व्यापारियों का उपयोग करना। प्राथमिक व्यापारियों को सहायता देने के लिए क्रेडिट के संपार्श्वीकृत स्तर को उपलब्ध कराना।	वित्तीय प्रकटीकरण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करनेवाले लेखांकन और लेखापरीक्षा के मानदंड निवेश एक्सपोजर और संकेंद्रण पर नियंत्रण	कुशल और पारदर्शी व्यापार (कारोबार) तथा बाजार संचालन व्यवस्था को बढ़ावा देने के जरिए विदेशी मुद्रा विनिमय लेन-देन के लिए सुलभ बाजार को बढ़ावा देना। विदेशी मुद्रा असंगतियों की सीमा तय करना
निपटान जोखिम	—	वास्तविक समय आधार पर प्रतिभूतियों को डीमटेरिलाइज करना, डिपोजिटरी का केंद्रीकरण करना।	विनियामक पूंजी अपेक्षाएं, वित्तीय स्थितियों का पर्यवेक्षण; शीघ्र चेतावनी प्रणाली। व्यापार (कारोबार) प्रणाली/ निपटान प्रणाली की सदस्यता पर नियंत्रण	—
ब्याज दर जोखिम	—	संविभाग के जोखिम प्रबंधन के लिए विवेक-सम्मत अपेक्षाओं का अनुपालन करना। बृहत् विदेशी मुद्रा क्रय विक्रय स्थिति, व्यापार (कारोबार) आंकड़ा में पर्याप्त स्तर की पारदर्शिता हासिल करना	—	—
विनिमय दर जोखिम		—	—	तुलनपत्रेतर मदों सहित विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम के लिए आंतरिक सीमा और निगरानी व्यवस्था का गठन करना। विदेशी मुद्रा क्रय की निवल स्पष्ट सीमा निर्धारित करना। विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाएं निर्धारित करना। विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम से प्रतिरक्षा के लिए व्यवस्था करना।

संदर्भ

करासडाग, सी., वी. सुंदराजन और जे. इलियट (2003) "मैनेजिंग रिस्क इन फिनांसियल मार्केट डेवलपमेंट," आइएमएफ वर्किंग पेपर सं. 116, आइएमएफ, वाशिंग्टन डी. सी.।

बाक्स II.5 : देश विशेष को ऋण देने में निहित जोखिम प्रबंध संबंधी दिशानिदेश

देश विशेष के ऋण देने में निहित जोखिम का किसी बैंक के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकलापों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। यह एक ऐसा जोखिम है जिसमें किसी बाहरी देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति बैंक के वित्तीय हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। क्रेडिट लेन-देन के अतिरिक्त देश विशेष को ऋण देने में निहित जोखिम में विदेशी सहायक कंपनियों, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग समझौतों, इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा संसाधन सेवा और विदेशी सेवा-प्रदाताओं के साथ अन्य बाह्य संसाधन व्यवस्था में निवेश सम्मिलित हैं। इसलिए यह महत्त्वपूर्ण है कि अधिक अंतर्राष्ट्रीय निवेश जोखिम वाले बैंकों में देश विशेष को ऋण देने में निहित जोखिम प्रबंध की प्रभावी प्रक्रिया स्थापित हो जो उनके अंतर्राष्ट्रीय कार्यकलापों की मात्रा और जटिलता के अनुरूप हो।

1997 में जारी प्रभावी बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए प्रमुख सिद्धांतों में यह टिप्पणी की गयी थी कि "बैंकिंग पर्यवेक्षकों को यह समाधान करना होगा कि देश विशेष को ऋण देने में निहित जोखिम की पहचान, निगरानी और नियंत्रण तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऋण देने और निवेश कार्यकलापों में जोखिम के अंतरण तथा ऐसे जोखिमों के लिए पर्याप्त भंडार रखने के लिए बैंकों के पास समुचित नीतियां और प्रक्रियाएं हो" (सिद्धांत XI)। रिज़र्व बैंक द्वारा 1999 में प्रमुख सिद्धांतों के अपने अनुपालन के संबंध में किए गए मूल्यांकन से यह स्पष्ट हुआ है कि भारत में देश विशेष को ऋण देने में निहित जोखिम संबंधी प्रबंध (सीआरएम) जैसे एक क्षेत्र में कमी पायी गयी थी। तदनुसार देश विशेष को ऋण देने में निहित जोखिम प्रबंध (सीआरएम) संबंधी मसौदा दिशा-निर्देश पर बैंकों का मत प्राप्त करने के बाद रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2003 में सीआरएम संबंधी निर्णीत दिशानिर्देश प्रकाशित किये। ये दिशानिर्देश केवल उन देशों के संबंध में लागू हैं जहाँ बैंकों का निवेश उसकी आस्तियों का 2.0 प्रतिशत अथवा अधिक है। इस दिशा-निर्देश की विशिष्ट विशेषताओं को निम्नलिखित सात शीर्षों में वर्गीकृत किया जा सकता है: (क) नीति और प्रक्रियाएं, (ख) विषय-क्षेत्र, (ग) रेटिंग, (घ) निवेश सीमा, (ङ) निगरानी, (च) प्रावधानीकरण और (छ) प्रकटीकरण ।

- **नीति और प्रक्रियाएं -** सीआरएम नीति को देश में निवेश जोखिमों की पहचान, गणना, निगरानी और नियंत्रण के मुद्दों का ख्याल रखना चाहिए। नीति में सीआरएम निर्णयों के लिए विभिन्न स्तरों पर जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। बैंक को देश विशेष के निवेश में निहित जोखिम संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए बोर्ड के अनुमोदन से निर्धारित समुचित प्रणालियों और प्रक्रियाओं को शुरू करने की आवश्यकता होगी। अंतिम बात यह है कि सीआरएम नीति में अंतर्राष्ट्रीय कार्यकलापों में 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) को कठोरता से लागू करने की शर्त होनी चाहिए।
- **विषय क्षेत्र -** बैंकों द्वारा देश विशेष को ऋण देनें में निहित जोखिम की पहचान, गणना, निगरानी और नियंत्रण करते हुए अपनी घरेलू और विदेशी शाखाओं से निधिप्रदत्त (यानी नकदी और बैंक शेष, जमा स्थानन, निवेश, ऋण और अग्रिमों) तथा गैर-निधिप्रदत्त (यानी ऋण-पत्र, गारंटियों, निष्पादन बाण्डों, बोली बाण्डों, वारंटियां, प्रतिबद्ध ऋण सीमा) निवेशों दोनों की गणना करना आवश्यक होगा। बैंकों को देश विशेष को ऋण देने में निहित अप्रत्यक्ष जोखिम (निश्चित देश पर वृहत् आर्थिक निर्भरता वाले घरेलू वाणिज्यिक उधारकर्ताओं में निवेश) को भी सम्मिलित करना होगा जिसकी गणना निवेश के 50 प्रतिशत की दर पर की जा सकती है। निवेश जोखिम का अभिकलन निवल आधार (यानी संपार्श्विकों, गारंटियों, बीमा आदि को घटाकर सकल निवेश जोखिम) पर करना आवश्यक होगा।
- **रेटिंग -** बैंकों को देश विशेष में ऋण देने में निहित जोखिम का आंतरिक मूल्यांकन अपनाने के लिए समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता है। देश विशेष में ऋण देने में निहित जोखिम के निगरानी साधन के रूप में केवल रेटिंग एजेंसियों अथवा अन्य बाह्य स्रोतों पर निर्भर रहने के बजाय बैंकों को अपने देश विशिष्ट के ऋण जोखिम के मूल्यांकन में विदेशी शाखाओं के संगत देश विशिष्ट के प्रबंधकों से प्राप्त सूचना भी सम्मिलित करनी चाहिए। देश विशेष में ऋण देने में निहित जोखिम संबंधी रेटिंग की आवधिक समीक्षा की बारंबारता वर्ष में कम से कम एक बार होनी चाहिए तथा जिस देश में बैंक का निवेश ज्यादा है वहाँ किसी बड़ी घटना के मामले में और बारंबार समीक्षा का प्रावधान होना चाहिए।
- **निवेश जोखिम सीमा -** बैंकों के बोर्ड यदि आवश्यक हो तो उत्पादों, शाखाओं, परिपक्वता आदि के लिए बैंक की विनियामक पूंजी (टियर-I और टियर II) की तुलना में देश विशिष्ट में निवेश सीमा तथा उप-सीमा निर्धारित कर सकता है। विदेशी बैंकों के मामले में विनियामक पूंजी उनकी भारतीय बही में धारित टियर I और टियर II पूंजी का योग होगा।
- **निवेश जोखिम (एक्सपोजर) की निगरानी -** 31 मार्च 2004 तक बैंकों को देश विशिष्ट निवेश की तत्काल समय निगरानी अपनानी चाहिए। अंतरिम अवधि में बैंकों को देश विशेष में अपने निवेश की साप्ताहिक निगरानी करनी चाहिए। देश विशेष को ऋण देने में निहित जोखिम संबंधी समीक्षा तिमाही अंतराल पर की जानी चाहिए। समीक्षा में 'उच्च जोखिम और उससे अधिक' श्रेणी वाले देशों के संबंध में देश की आंतरिक रेंटिंग प्रणाली स्थापित करने में प्रगति सहित विनियामक मानदंडों के अनुपालन, आंतरिक सीमाएं, दबाव (कमी) सीमा तथा बैंकों को उपलब्ध निकासी का विकल्प आदि सम्मिलित होना चाहिए।
- **प्रावधानीकरण -** बैंकों को 31 मार्च,2003 को समाप्त होने वाले वर्ष से देश-विशेष में निवेश के लिए निवल निधिप्रदत्त आधार पर 0.25 प्रतिशत (मामूली जोखिम के मामले में) से 100 प्रतिशत (सीमित / ऋणेतर जोखिम के मामले में) तक दायरे में श्रेणीबद्ध मान का प्रावधान करने की आवश्यकता होगी। जबकि बैंक अपने देश में निवेश (यानी भारत में निवेश) के लिए कोई प्रावधान नहीं करना होगा, परंतु उन्हें 'निवेश के देश' में भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं के निवेश को सम्मिलित करने की आवश्यकता होगी। देश विशेष में निवेश के इन प्रावधानों को टियर II पूंजी के रूप में मानने की अनुमति होगी, बशर्ते ये जोखिम भारित आस्तियों के 1.25 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के भीतर हों।
- **प्रकटीकरण -** प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में 'लेखाओं पर टिप्पणी' के भाग के रूप में बैंकों को निम्नलिखित प्रकट करने की आवश्यकता होगी (क) जोखिम श्रेणीवार देश विशेष में निवेश जोखिम तथा (ख) उनके लिए धारित कुल प्रावधानों की सीमा।

यह निर्णय लिया गया कि दिशानिदेशों की समीक्षा दिशानिदेशों को लागू करने में बैंकों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए एक वर्ष बाद की जाएगी।

संदर्भ :

आरबीआइ (2003), रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स इन बैंकस - गाइडलाइंस ऑन कंट्री रिस्क मैनेजमेंट, आरबीआइ : मुंबई।

बाक्स II.6: परिचालनात्मक जोखिम और पूंजी संबंधी नया समझौता

परिचालनात्मक जोखिम के क्षेत्र की माप आंतरिक प्रक्रियाओं, व्यक्तियों और प्रणालियों की कमी अथवा विफलता अथवा बाहरी घटनाओं से उत्पन्न होने वाली अप्रत्याशित हानियों की संभाव्यता और प्रभाव से की जाती है। मात्रात्मक निर्धारण के लिए अपेक्षित है कि ऐसी हानियों की उम्मीद के अनुसार मात्रा निर्धारित की जाए तथा मान लिया जाता है कि हानि की संभाव्यता और वास्तविक हानि की माप की जा सकती है। व्यावहारिक स्तर पर व्यवहार में पूर्ण मात्रा-निर्धारण कठिन है। और परिचालनात्मक जोखिम की संभाव्यता और उसके आकार का विश्लेषण भी संगत आंकड़ों के अभाव में सफल नहीं हो पाता है। एक संभावित रास्ता यह है कि परिचालनात्मक जोखिम को व्यवस्थित किया जाए तथा उन्हें हानि की संभाव्यता और आकार के ढ़ांचे के संदर्भ में देखा जाए (सारणी क)।

सारणी क: अप्रत्याशित हानि का आकार और संभाव्यता

तीव्रता	संभाव्यता	
	निम्न	उच्च
निम्न	ग	ब
उच्च	घ	क

हानि के आकार और संभाव्यता के विश्लेषण के परिणामस्वरूप परिचालनात्मक जोखिम संबंधी नीति के लिए निम्नलिखित नियम सामने आए :

- परिचालनात्मक जोखिम की उच्च संभावना और उच्च स्तर वाले (सेल **अ**) कारोबार के क्षेत्र से परहेज किया जाए।
- हानि की उच्च संभाव्यता परंतु कम स्तर (सेल **आ**) वाले क्षेत्रों को प्रायः "जोखिम पूर्ण क्षेत्र" नहीं माना जाता है परंतु केवल "अत्यधिक लागत" अथवा "कम गुणवत्ता" वाला माना जाता है। ऐसे मामलों में प्रक्रिया और प्रणाली डिज़ाइन में समस्याएं बार-बार पायी जाती हैं।
- छोटे स्तर की हानि वाली कम मात्रा की संभाव्यता (सेल **इ**) को स्वीकार किया जाना चाहिए, यदि इसे रोकने की लागत हानि की मात्रा से अधिक हों।
- अधिक परिचालनात्मक हानि अधिकांशतः उन क्षेत्रों में होती है जहाँ संभाव्यता कम परंतु तीव्रता अधिक हो (सेल **ई**)। ऐसे मामलों के लिए संचालन, आंतरिक नियंत्रण और प्रबंधन प्रोत्साहन जैसे निवारक उपाय सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हैं।

इस तथ्य के मद्देनजर कि कई प्रमुख हानियों का प्रमुख कारण पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण की कमी है, बैंकिंग पर्यवेक्षी प्राधिकारियों द्वारा निगरानी के प्रयोजन से कार्यकारी प्रबंधन और निदेशक बोर्ड के लिए बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बास्ले समिति ने हाल ही के अध्ययन में कई सिद्धांतों का मसौदा तैयार किया है।

नये बास्ले समझौते में परिचालनात्मक जोखिम की माप के लिए दृष्टिकोण की एक सूची प्रदान की गयी है। ऐसे तीन दृष्टिकोणों का प्रस्ताव किया गया है: मूल संकेतक दृष्टिकोण, मानकीकृत दृष्टिकोण तथा उन्नत माप दृष्टिकोण। पहले दृष्टिकोण के अंतर्गत परिचालनात्मक जोखिम पूंजी आबंटन परिचालनात्मक जोखिम निवेश के लिए प्रतिनिधि के रूप में एकल संकेतक (अर्थात् सकल आय) पर आधारित है। दूसरे दृष्टिकोण के अंतर्गत बैंकों के कार्यकलापों को आठ व्यवसाय वर्गों में विभाजित किया गया है (कंपनी वित्त, व्यापार और बिक्री, खुदरा बैंकिंग, वाणिज्यिक बैंकिंग, भुगतान और निपटान, एजेंसी सेवाएं, आस्ति प्रबंध और खुदरा दलाली)। प्रत्येक व्यवसाय वर्ग के लिए पूंजी प्रभार की गणना उस व्यवसाय वर्ग के लिए नियत एक गुणक (बीटा के रूप में निर्दिष्ट) से सकल आय को गुना करके की जाती है। तीसरे दृष्टिकोण के अंतर्गत, विनियामक पूंजी अपेक्षा गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों मानकों का उपयोग करते हुए बैंक के आंतरिक परिचालनात्मक जोखिम की माप के द्वारा उत्पन्न जोखिम माप के बराबर होगी। गुणात्मक मानदंड में स्वतंत्र परिचालनात्मक जोखिम प्रबंध कार्य, निदेशक मंडल / वरिष्ठ प्रबंधन की परिचालनात्मक जोखिम प्रक्रिया के निरीक्षण में सक्रिय भागीदारी, परिचालनात्मक जोखिम निवेश और हानि की नियमित रिपोर्टिंग तथा जोखिम प्रबंध प्रणाली का दस्तावेज तैयार करना सम्मिलित है। परिमापात्मक मानदण्ड में निम्नलिखित आते हैं: सम्पति में संभावित तीव्र हानि की घटनाओं को सम्मिलित करने में बैंक की प्रदर्शित क्षमता तथा परिचालनात्मक जोखिम के प्रमुख प्रेरकों को सम्मिलित करने में जोखिम माप व्यवस्था में पर्याप्त ग्रेनुलरिटी। इसके अतिरिक्त परिचालनात्मक जोखिम माप की प्रक्रिया में चार प्रमुख तत्वों को शामिल करना भी आवश्यक होगा: आंतरिक हानि संबंधी आंकड़ों की खोज, संगत बाह्य आंकडों का उपयोग करना, उच्च तीव्रता के अवसरों में निवेश का मूल्यांकन करने के लिए परिदृश्य विश्लेषण का उपयोग करना तथा अंतिम प्रमुख कारोबारी परिवेश तथा आंतरिक नियंत्रण कारकों को सम्मिलित करना जो बैंक की परिचालनात्मक जोखिम रूपरेखा को बदल सकते हैं। इन दृष्टिकोणों के फलस्वरूप परिष्करण की मात्रा क्रमशः बढ़ रही है तथा इनमें प्रोत्साहन स्वतः निहित है जो बैंकों को अपना जोखिम प्रबंध और माप क्षमताओं में निरंतर सुधार करने तथा विनियामक पूंजी का अधिक सटीक मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

चूंकि परिचालनात्मक जोखिम पूंजी संबंधी नये समझौते का एक प्रमुख तत्व है, इसलिए बैंकों से अपेक्षित है कि वे विशेषकर समाशोधन अंतरों को दूर करने तथा अंतर-शाखा एवं नास्ट्रो खाताओं के मिलान के लिए बही के समायोजन में विलंब को दूर करने के लिए अपनी आंतरिक नियंत्रण और व्यवस्था पर जोर दें। समाशोधन अंतरों तथा अंतर शाखा और नास्ट्रो खाता जिसमें धोखाघड़ी की संभावना है, के मिलान में भारत में बैंकों द्वारा हासिल प्रगति की निगरानी बैंकों द्वारा सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए। यह भी आवश्यक है कि बकाया को यथाशीघ्र कम करने के लिए तथा बकाया के नए मामले के विस्तार को रोकने के लिए भी समुचित व्यवस्था के निर्माण के लिए समेकित प्रयास करना चाहिए। धोखाघड़ी को रोकने तथा इससे उत्पन्न होनेवाले परिचालनात्मक जोखिम को कम करने के लिए बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे विशेषकर निम्नलिखित क्षेत्रों में आंतरिक प्रणाली और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करें (क) कंपनी नियंत्रण के सिद्धांतों का सख्ती से पालन करें, (ख) 'केवाइसी' सिद्धांत को लागू करें; (ग) धोखाधड़ी को रोकने के लिए सुदृढ़ व्यवस्था और प्रक्रियाओं का निर्माण करें; और (घ) आंतरिक लेखा परीक्षा और नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करें तथा लेखा-परीक्षा और निरीक्षण कर्मचारियों के लिए उत्तरदायित्व की व्यवस्था करें।

संदर्भ :

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बास्ले समिति (1998), बैंकिंग संगठन में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के लिए संरचना, बास्ले।

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बास्ले समिति (2003), पूंजी संबंधी नया बास्ले समझौता (तीसरा परामर्शी दस्तावेज), बास्ले।

वेइगैंड, सी (2002), पूंजी संबंधी नया बास्ले समझौता में परिचालनात्मक जोखिम (डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डीएनबी एनएल)।

2.72 बैंक अपनी जोखिम प्रबंध प्रणालियों के उन्नयन हेतु इन मार्गदर्शी टिप्पणियों का उपयोग कर सके। जोखिम प्रबंध ढांचे की रूपरेखा बैंक की अपनी आवश्यकताओं की ओर उन्मुख होनी चाहिए जिसकी मांग उसके कारोबार के आकार और जटिलता, जोखिम दर्शन, बाजार बोध और प्रत्याशित पूंजी के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। ऋण जोखिम और बाजार जोखिम के कारगर प्रबंधन के लिए मार्गदर्शी टिप्पणियों में निर्दिष्ट की गयी प्रणाली की प्रक्रियाएं और साधन केवल सांकेतिक स्वरूप के हैं। तथापि, बैंकों में जोखिम प्रबंध प्रणालियां कारोबार आकार, मार्केट डायनामिक्स और भविष्य में बैंकों द्वारा नवोन्मेषी उत्पाद लाये जाने से उत्पन्न परिवर्तित स्थिति को अपनाने योग्य होनी चाहिए।

5. बैंकों द्वारा गैर-निष्पादक आस्तियों का प्रबंधन

एक बारगी निपटान / समझौता योजनाएं

2.73 5 करोड़ रुपये तक की पुरानी गैर-निष्पादक आस्तियों के समझौता द्वारा निपटान हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत जुलाई 2000 में जारी किये गये थे। समीक्षा करने पर और भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया था कि उधारकर्त्ताओं को एक मौका और दिया जाये ताकि वे आगे आकर अपनी देय बकाया राशियों का निपटान कर सकें। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए लागू संशोधित दिशानिर्देश लघु उद्योग क्षेत्र सहित सभी क्षेत्र से संबंधित गैर-निष्पादक आस्तियों (निर्धारित उच्चतम सीमा से कम) को कवर करेंगे। तथापि, ये दिशानिर्देश इरादतन की गयी चूक, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामलों को कवर नहीं करेंगे। सभी क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की गैर-निष्पादक आस्तियों से संबंधित बकाया राशि का समझौता द्वारा निपटान हेतु 29 जनवरी 2003 को जारी संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नानुसार हैं :

- 10 करोड़ रुपये तक की पुरानी गैर-निष्पादक आस्तियों का समझौता द्वारा निपटान हेतु ये मार्गदर्शी सिद्धांत लागू हैं।
- ये मार्गदर्शी सिद्धांत सभी क्षेत्रों, चाहे उस क्षेत्र के कारोबार का स्वरूप जो भी हो, की गैर-निष्पादक आस्तियों को कवर करेंगे जो निर्दिष्ट ताारीख को 10 करोड़ रुपये या उससे कम के बकाया शेष के साथ 31 मार्च 2000 को संदिग्ध या हानि आस्तियां बन गयी हैं।
- इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में 31 मार्च 2000 को अवमानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत गैर-निष्पादक आस्तियों को भी कवर किया गया है जो बाद में संदिग्ध या हानि आस्तियां बन गयी हैं।
- ये मार्गदर्शी सिद्धांत उन मामलों पर लागू होंगे जिन मामलों में बैंकों ने आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी), 2002 और न्यायालयों / ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डी आर टी) / औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आइ एफ आर) में लंबित मामलों को भी कवर करेंगे, बशर्ते कि उन न्यायालयों / ऋण वसूली न्यायाधिकरणों / बी आइ एफ आर से सहमति की डिक्री प्राप्त की गयी हो।
- इस योजना के अंतर्गत उधारकर्ताओं से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2003 थी और उनकी प्रोसेसिंग 31 दिसंबर 2003 तक पूरी कर ली जानी चाहिए।

2.74 सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु एवं सीमांत कृषकों को 50,000 रुपये तक के ऋणों हेतु विशेष एक बारगी निपटान योजना संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत जो मार्च 2002 में जारी किये गये थे, 31 दिसंबर 2002 तक लागू थे। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के लागू रहने की समय सीमा बढ़ाने के लिए बैंकों से रिज़र्व बैंक और भारत सरकार को अनुरोध प्राप्त हुए हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और देश के विभिन्न भागों में सूखे / बाढ़ की स्थिति के मद्देनज़र, भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया था कि इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के लागू रहने की अवधि और 3 महीने अर्थात् 31 मार्च 2003 तक बढ़ा दी जाये।

लोक अदालत

2.75 रिज़र्व बैंक ने वाणिज्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये हैं ताकि वे *लोक अदालतों* का उत्तरोत्तर उपयोग कर सकें। उन्हें आस्तियां घटाने के लिए 10 लाख रुपये और उससे ऊपर के मामलों को हल करने के लिए विभिन्न ऋण वसूली न्यायाधिकरणों / ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरणों द्वारा आयोजित *लोक अदालतों* में भाग लेने के लिए सूचित किया गया है। 30 जून 2003 की स्थिति के अनुसार लोक अदालतों में बैंकों द्वारा दायर मामलों / मुकदमों की संख्या 2,72,793 थी जिनमें 1,193.3 करोड़ रुपये की राशि फंसी थी और 87,907 मामलों से वसूली गयी राशि 190.5 करोड़ रुपये थी।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण

2.76 भारत सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण की वसूली के लिए वसूली अधिनियम, 1993 के मौजूदा प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों की विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, ऋण वसूली न्यायाधिकरणों और व्यक्तियों से प्राप्त सुझावों के संदर्भ में समीक्षा करने के साथ-साथ ऋण वसूली न्यायाधिकरणों के पास उपलब्ध ढांचे की पर्याप्तता की जांच करने के लिए एक कार्य दल (अध्यक्ष : श्री एस.एन. अग्रवाल) का गठन किया। उस कार्य दल ने उक्त अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों में संशोधन सुझाये। सरकार ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण (क्रियाविधि) नियमावली. 2003 में भारी संशोधन किये ताकि इस अधिनियम का बेहतर ढंग से पालन किया जा सके और साथ ही बैंकों को अनेक हल मिल सकें। 30 जून 2003 को बैंकों द्वारा ऋण वसूली न्यायाधिकरण में दायर किये गये

57,915 मामलों में (जिनमें 82,266 करोड़ रुपये की राशि फंसी थी) से 22,163 मामले (19,633 करोड़ रुपये) में फैसला सुनाया जा चुका है और अब वसूल की गयी राशि 5,787 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (एसएआरएफएईएसआइ (सरफेसी) अधिनियम, 2002

2.77 भारत सरकार ने सरफेसी अधिनियम, 2002 जारी किया जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायालयों या न्यायाधिकरणों के हस्तक्षेप के बिना देयों की वसूली हेतु प्रतिभूति हित के प्रवर्तन का प्रावधान है। सरकार ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली,2002 भी अधिसूचित की है ताकि प्रतिभूति ऋणदाता प्रतिभूतियों को लागू / प्रवर्तित करने के लिए अपने अधिकारियों को प्राधिकृत कर सकें और उधारकर्ताओं से अपने देय वसूल कर सकें। सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया है कि वे उक्त अधिनियम के अधीन कार्रवाई करें और उसकी अनुपालन रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को प्रेषित करें।

2.78 इस अधिनियम में बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी) पुनर्निर्माण कंपनियों (आरसी)[3] को वित्तीय आस्तियां बेचने का प्रावधान है। यह सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये हैं कि आस्ति पुनर्निर्माण की प्रक्रिया स्वस्थ मार्ग पर चले। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में, अन्य बातों के साथ- साथ, उन वित्तीय आस्तियों का उल्लेख किया गया है जो बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा एस सी / आर सी को बेची जा सकती हैं, ऐसी बिक्री की प्रक्रिया, बिक्री के लेन-देन हेतु विवेकसम्मत मानदण्ड और संबद्ध प्रकटीकरण आदि(बाक्स II.7)।

कंपनी ऋण पुनर्निर्धारण (सीडीआर) व्यवस्था

2.79 अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के आधार पर कंपनी ऋण पुनर्निर्धारण की एक योजना भारत में विकसित की गयी थी और उसके संबंध में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा कार्यान्वयन हेतु 2001 में जारी किए गए थे (बाक्स II.8)। इस ढांचे का उद्देश्य बीआइएफआर, डीआरटी और अन्य कानूनी कार्यवाहियों के दायरे से बाहर वाले कंपनी ऋणों के पुनर्निर्धारण हेतु सामयिक और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना रहा है।

2.80 2002-03 की केन्द्रीय बजट घोषणाओं के परिणामस्वरूप एक उच्च स्तरीय दल (अध्यक्ष : श्री वेपा कामेसम) गठित किया गया था ताकि पिछली सी डी आर योजना को फिर से नया रूप दिया जा सके। उच्च स्तरीय दल की सिफारिशों और भारत सरकार के परामर्श के आधार पर कंपनी ऋण पुनर्निर्धारण की एक संशोधित योजना को अंतिम रूप दिया गया था और उसे फरवरी 2003 में बैंकों को भेजा गया था। कंपनी ऋण पुनर्निर्धारण व्यवस्था के अंतर्गत 30 जून 2003 तक हुई प्रगति निम्नानुसार है:

सारणी II.1 : सीडीआर योजना के अन्तर्गत प्रगति

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	मामलों की संख्या	मामलों में फंसी राशि
सी डी आर फोरम को प्रेषित मामले	71	53,736
अनुमोदित अंतिम योजनाएं	41	38,638
अस्वीकृत	18	7,252
लंबित	12	7,846

बाक्स II.7 : रिज़र्व बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण कंपनियों / पुनर्निर्माण कंपनियों हेतु अंतिम मार्गदर्शी सिद्धांत एवं निर्देशन

रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2003 में प्रतिभूतिकरण कंपनियों और पुनर्निर्माण कंपनियों (एस सी / आर सी) को अंतिम मार्गदर्शी सिद्धांत एवं निदेश जारी किये। बैंकों, वित्तीय संस्थाओं एवं अन्य से प्राप्त प्रतिसूचना (फीडबैक) को ध्यान में रखते हुए इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को अंतिम रूप दिया गया। इन विनियमों की सहायता से प्रतिभूतिकरण कंपनियों / पुनर्निर्माण कंपनियों का सुगमतापूर्वक गठन और संचालन सुसाध्य होगा। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों और निदेशों में आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण से संबंधित पहलुओं को लेने के साथ-साथ उन पहलुओं का भी समावेश रहेगा जो पंजीकरण, स्वाधिकृत निधियों, अनुमत कारोबार, प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण कारोबार शुरू करने के लिए परिचालनीय ढांचा, अतिरिक्त निधियों का विनियोजन, आंतरिक नियंत्रण, प्रणालियां, विवेक-सम्मत मानदण्ड और इन कंपनियों के लिए प्रकटीकरण संबंधी आवश्यकताएं।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार प्रतिभूतिकरण कंपनियों को प्रतिभूति रसीद लिखत के जरिये निधियां जुटाना अपेक्षित है। तथापि, रिज़र्व बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि एससी / आरसी उनके द्वारा गठित न्यास / न्यासों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों के लिखत के जरिये निधियां जुटा सकती हैं।

मार्गदर्शी सिद्धांतों और निर्देशन के अलावा, जो कि अनिवार्य हैं, रिज़र्व बैंक ने भी सिफारिशी स्वरूप की मार्गदर्शी टिप्पणियां जारी की हैं जिनमें आस्तियों के अधिग्रहण, प्रतिभूति रसीदों के निर्गम, आदि से संबंधित पहलुओं का समावेश है। उधारकर्ताओं के कारोबार को पूर्णतः या आंशिक रूप से प्रबंधन हाथ में लेने, बेचने या पट्टे पर देने के मामले में रिज़र्व बैंक मानक मार्गदर्शी सिद्धातों का एक सेट तैयार करने की प्रक्रिया में है। एससी / आरसी को सावधान किया गया है कि सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 9 में दिये गये अनुसार उधारकर्त्ताओं के कारोबार का प्रबंधन हाथ में लेने, बेचने या पट्टे पर देने के कदम तब तक न उठायें जब तक कि इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा मार्गदर्शी सिद्धांत अधिसूचित नहीं कर दिये जाते। प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन के संबंध में, एससी / आरसी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के साथ-साथ सरफेसी अधिनियम, 2002 के संबंधित उपबंधों का अनुसरण करें।

[3] अध्याय VI में प्रतिभूतिकरण कम्पनियों (एससी) / पुनर्निर्माण कम्पनियों (आरसी) के बारें में विस्तृत विचार किया गया है।

बाक्स II.8 : कंपनी के लिए संकट का समाधान : पूर्व एशियाई अनुभव

जिस प्रकार से कंपनी वित्तीय संकट का समाधान किया जाता है उसे फर्म और देश दोनों की विशेषताएं प्रभावित करती हैं। फर्म अपनी पूंजी और स्वामित्व के ढांचे के अनुसार भिन्न होती हैं, जबकि देशों की भिन्नताओं में उनके कानूनी मानकों और नियंत्रक ढांचों का भी समावेश रहता है। दिवालियापन की क्रियाविधियों के उपयोग के अलावा वित्तीय संकटों से निपटने के वैकल्पिक साधन मौजूद हैं; इन साधनों में सामान्यतया शामिल रहता है : उधारदाताओं और अन्य हिस्सेदारों (स्टेकहोल्डरों) के बीच न्यायालय से बाहर समझौता या ऋण का पुनर्निर्धारण अथवा आंशिक रूप से उसे बट्टे खाते में डालना। एशियाई संकट के बाद अनेक पूर्व एशियाई निगमों ने एक ही समय वित्तीय संकट का अनुभव किया। दिवालियापन कानून, ऋणदाता के अधिकारों और न्यायिक प्रणाली की दक्षता के संबंध में पूर्वी एशिया में देशों का अनुभव बताता है कि इस संकट के बाद विद्यमान प्रथाओं में व्यापक विविधता है (सारणी - अ)।

सारणी अ : पूर्वी एशिया में दिवालियापन की आधार संहिताओं की मुख्य विशेषताएं

देश	निर्णय देने के लिए समय सारणी	क्या प्रबंधन दिवालियेपन में बना रहता है?	क्या कोई स्वचालित स्थगनादेश है?	क्या सुरक्षित उधारदाताओ को प्राथमिकता मिलती है?
इण्डोनेशिया	उधारदाता की याचिका के पंजीकरण के पश्चात् 30 कार्य दिवस (अगस्त 1998 के बाद से)	नहीं	नहीं	कार्यवाही की लागत पहले अदा करनी पड़ती है उसके बाद मज़दूरी / वेतन और सुरक्षित उधारदाताओं के दावे
कोरिया	उधारदाता की याचिका के पंजीकरण के पश्चात् 120 कार्यदिवस	नहीं	नहीं	सुरक्षित उधारदाताओं की अदायगियां पहले
मलेशिया	उधारदाता की याचिका के पंजीकरण के पश्चात् 180 कार्य दिवस	नहीं	नहीं	सुरक्षित उधारदाताओं की अदायगियां पहले
फिलीपीन्स	कोई समय सारणी नहीं	हां	हां	सबसे पहले कर अदा किये जाते हैं उसके बाद मज़दूरी और वेतन, कार्यवाही की लागत और फिर सुरक्षित उधारदाता की अदायगियां
थाईलैण्ड	कोई समय सारणी नहीं	नहीं	नहीं	कार्यवाहियों की लागत पहले अदा की जाती हैं उसके बाद कर, मजदूरी और वेतन के दावे और सुरक्षित उधारदाता की अदायगियां

संदर्भ :

क्लेसन्स एस. एस. द जंकोर तथा एल. क्लेपर (2003), 'रेजोल्यूशन आफ कारपोरेट डिस्ट्रेस इन इस्ट एशिया' जरनल ऑफ एम्पैरिकल फाइनेंस खण्ड 10

2.81 फरवरी 2003 में जारी संशोधित सी डी आर योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- इसमें 20 करोड़ रुपये और उससे अधिक के बकाया निवेशों वाले बहु बैंकिंग खातों / ऋण समूहन / संघीय खातों को कवर किया जायेगा।
- यह उधारकर्ता- उधारदाता करार (डी सी ए) और अंतर-उधारदाता करार (आइ सी ए) पर आधारित एक स्वैच्छिक प्रणाली होगी।
- सी डी आर में त्रिस्तरीय प्रणाली होगी जिसमें (क) सी डी आर स्टैंडिंग फोरम और इसका एक स्थायी समूह (कोर ग्रुप) (नीति निर्धारक निकाय), (ख) सी डी आर द्वारा शक्तियां प्राप्त समूह (सी डी आर व्यवस्था को संदर्भित मामलों के पुनर्निर्धारण के संबंध में निर्णय लेने वाले कार्यात्मक समूह) और (ग) कंपनी ऋण पुनर्निर्धारण कक्ष (सी डी आर प्रणाली का सचिवालय) होगा।
- इन संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों में उन उधारदाताओं के लिए बाहर जाने के विकल्प दिये गये हैं जो अतिरिक्त वित्तपोषण के लिए कोई वचन नहीं देना चाहते या फिर वे अपने विद्यमान जोखिम (हिस्से (स्टेक)) को बेचना चाहते हैं।
- 'निश्चल' (स्टैण्ड - स्टिल) करार जो ऋणकर्ताओं और ऋणदाताओं पर क्रमशः 90 दिन और 180 दिन के बाध्यकारी होगा, जिसके तहत दोनों पक्ष इस बात का वचन देंगे कि इस 'निश्चल' अवधि के दौरान दोनों में से कोई भी कानूनी रास्ता नहीं अपनायेगा।

चूककर्ताओं के संबंध में ऋण सूचना और ऋण सूचना ब्यूरो की भूमिका

2.82 बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को सावधान करने तथा उन्हें अन्य उधारदात्री संस्थाओं के चूककर्ताओं से सतर्क रहने एवं उन्हें अपनी गैर-निष्पादक आस्तियों का बेहतर प्रबंध करने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने ऋण संबंधी आंकड़ों का आदान-प्रदान करने के संबंध में एक योजना प्रस्तुत की है। इस योजना का लक्ष्य उनसे उन उधारकर्ताओं के संबंध में विवरण लेना / उन्हें देना है जिनके कुल बकाया 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक के हैं और जो उनके द्वारा 'संदिग्ध' या 'हानि' आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं अथवा जहां उनके द्वारा मुकदमे दायर किये गये हैं। जबकि मुकदमा

दायर न किये गये खातों (अर्थात् संदिग्ध और हानि खाते) के संबंध में सूचना छमाही आधार पर अर्थात् 31 मार्च और 30 सितंबर (उनके गोपनीय उपयोग के लिए फ्लापी डिस्क पर) को प्रसारित की जाती है और मुकदमा दायर खातों संबंधी सूचना प्रतिवर्ष 31 मार्च को प्रकाशित की जाती है और उसे प्रत्येक तिमाही में अद्यतन बनाया जाता है। मुकदमा दायर खातों के संबंध में सूचना अब सी डी पर प्रकाशित की जाती है और यह रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर भी उपलबध है। चूककर्ता सूची (मुकदमा न दायर किये गये खाते) 30 सितंबर 2002 को प्रकाशित की गई थी तथा चूककर्ता सूची (मुकदमा दायर खाते) सीडी के रूप में 31 मार्च 2002 को प्रकाशित की गई है और यह रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। 31 दिसंबर 2002 तक इसकी तिमाही अद्यतन सूचियां वेबसाइट पर भी डाली गई हैं।

2.83 इरादतन चूककर्ताओं के संबंध में योजना बनाने की दृष्टि से इरादतन चूक करने वाले चूककर्ताओं के संबंध में गठित कार्यदल (अध्यक्ष : श्री एस.एस. कोहली) की सिफारिशों के अनुसरण में 30 मई 2002 को बैंकों / वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया था और "इरादतन की गई चूक" की संशोधित परिभाषा के साथ-साथ उधारकर्ताओं द्वारा धन के अन्यत्र उपयोग और निधियों की साइफनिंग के बारे में जानकारी सहित उनके द्वारा जानबूझकर चूक करनेवाले चूककर्ताओं के बारे में दण्डात्मक कार्रवाई करने के उपायों के बारे में भी सूचित किया गया था। इस दिशा में उठाये गये एक अन्य कदम में रिज़र्व बैंक ने उधारकर्ताओं द्वारा गलत इरादे से निधियों का अन्यत्र उपयोग करने के बारे में संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों और निधियों के अंतिम उपयोग के गलत प्रमाणन के मामले में उनके विरुद्ध फौज़दारी कार्रवाई करने की सिफारिशों की प्रतिक्रिया में एक कार्य दल का गठन किया। इस समूह ने अप्रैल 2003 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उनकी सिफारिशें रिज़र्व बैंक के विचाराधीन हैं। एक पारदर्शी उपाय के रूप में 29 जुलाई 2003 को बैंकों / वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया कि वे प्रतिवेदन करने वाले उधारकर्ताओं का पक्ष सुनने के लिए कि जानबूझकर चूक करने वाले चूककर्ताओं के रूप में उनका गलत वर्गीकरण किया गया है, एक उच्च स्तरीय शिकायत निवारण व्यवस्था बनायें।

2.84 दिनांक 4 जून 2002 को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया था कि वे दिसंबर 2002 के अंत तक के 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक के मुकदमा दायर खातों तथा दिसंबर 2002 को समाप्त तिमाही तक 25 लाख रुपये और उससे अधिक के जानबूझकर की गई चूक वाले मुकदमा दायर खातों के संबंध में आवधिक सूचना रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करने के साथ-साथ क्रेडिट इन्फर्मेशन ब्यूरो आफ इंडिया लि. (सिबिल) को भी प्रस्तुत करें और उसके बाद केवल सिबिल को ही प्रस्तुत करें। तथापि, उनके चूककर्ताओं की सूचियों के मुकदमा दायर न किये गये खातों से संबंधित आवधिक आंकड़े विगत की भांति ही केवल रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जाना जारी रहेगा। इसके अलावा, सिबिल के पास ऋण सूचना / आँकड़ों के व्यापक आधार की दृष्टि से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को 1 अक्तूबर 2002 को सूचित किया गया था कि वे मार्च 2002 को समाप्त अवधि से 1 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के बीचवाले मुक़दमा दायर खातों के संबंध में केवल सिबिल को ही सूचना दें। दिनांक 1 अक्तूबर 2002 को उन्हें यह भी सूचित किया गया था कि वे चरणबद्ध रूप में अपने उधारकर्ताओं और उनके गारंटरों की यह सहमति प्राप्त करें कि चूक की स्थिति में उनके नाम प्रकट किये जायेंगे और उस संबंध में निर्दिष्ट समय सारणी के अनुसार सिबिल को प्रगति - विवरणियां प्रस्तुत करें। इससे सिबिल सभी (मुकादमा न दायर किये गये) उधार खातों के संबंध में एक व्यापक ऋण सूचना और आंकड़ा आधार बन सकेगा तथा इसे अपने सदस्यों के बीच बांट सकेगा एवं ऋण सूचना प्रकटीकरण का कार्य उसकी पूरी समग्रता के साथ रिज़र्व से अधिगृहीत कर सकेगा। तथापि, इस स्थिति की समीक्षा करने और सहमति शर्त प्राप्त करने की समय सारणी के अनुपालन में आनेवाली बाधाओं पर विचार करते हुए उन्हें 10 फरवरी 2003 को सूचित किया गया था कि सहमति शर्त प्राप्त करने और सिबिल को विवरणियों के प्रस्तुतीकरण की संशोधित अनुसूची क्रमशः सितंबर 2004 और दिसंबर 2004 से प्रारंभ होगी।

6. नीति निर्माण में परामर्शक प्रक्रिया

2.85 नीति निर्माण में सहायता देने के लिए परामर्शक प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने की पहल के एक भाग के रूप में वित्तीय बाजार सहभागियों के साथ पारस्परिक आदान-प्रदान बढ़ाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने कदम उठाये हैं। मुद्रा और ऋण बाजारों की गतिविधियों की निगरानी करने के साथ-साथ बैंकिंग उद्योग को प्रभावित करनेवाली विशिष्ट समस्याओं पर चर्चा करने के लिए रिज़र्व बैंक के अधिकारियों, चुनिंदा बैंकों के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के बीच बैठकें आयोजित की जाती हैं। ये बैठकें मौद्रिक और वित्तीय नीतियों के संचालन में बढ़ती पारदर्शिता और बेहतर नियंत्रण की दिशा में एक कदम है।

ऋण विनियोजन के संबंध में बैंकरों के साथ बैठकें

2.86 ऋण स्थिति की कड़ी निगरानी करने के साथ-साथ क्षेत्रों और उद्योगों की वृद्धि की दिशा के संबंध में नियमित प्रतिसूचना (फीडबैक) पाने के लिए अगस्त 2001 से चुनिंदा बैंकों (जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्र / विदेशी बैंक शामिल हैं) के कार्यपालकों के साथ हर महीने की पंद्रह तारीख को मासिक बैठक आयोजित की जाती हैं। कुछ बैंकों द्वारा इन बैठकों में भाग लेने के प्रति रुचि दर्शाने के

परिप्रेक्ष्य में फरवरी 2003 से भाग लेनेवाले बैंकों की संख्या 15 से बढ़ाकर 21 कर दी गयी थी। ये बैठकें विभिन्न उद्योगों को ऋण के संभावित प्रवाह, समष्टि आर्थिक परिदृश्य संबंधी प्रत्याशाओं और बैंकिंग उद्योग पर प्रभाव डालनेवाले विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करने का एक मंच उपलब्ध कराती है ताकि मौद्रिक नीति तैयार करने के लिए अपेक्षित सूचनाएं (इनपुट) प्राप्त हो सकें।

संसाधन प्रबंधन चर्चाएं

2.87 वार्षिक मौद्रिक एवं ऋण नीति वक्तव्य की घोषणा से पूर्व प्रतिवर्ष चुनिंदा बैंकों के साथ संसाधन प्रबंध चर्चा हेतु बैठकें आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों में मुख्यतः अर्थव्यवस्था के संबंध में बैंकरों का बोध और दृष्टिकोण, चलनिधि स्थिति, ऋण प्रवाह, विभिन्न बाजारों का विकास और नीति से ब्याज दरों की दिशा के संबंध में इनकी अपेक्षाएं और इस संबंध में सुझावों पर ध्यान केन्द्रित रहता है। 2002-03 में ये बैठकें मार्च 2003 के दूसरे और तीसरे सप्ताह में 10 बैंकों (जिसमें दो विदेशी बैंक और दो निजी क्षेत्र के बैंक शामिल हैं) के साथ आयोजित की गई थीं। वर्ष 2003-04 की मौद्रिक एवं ऋण नीति तैयार करते समय इन बैठकों में प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखा गया था।

7. ऋण वितरण

प्राथमिकता - प्राप्त क्षेत्र को उधार देना

2.88 क्रियाविधियों को सरल बनाकर, विकेन्द्रित निर्णयन को प्रोत्साहित करके तथा स्पर्धा को बढ़ाकर ऋण वितरण व्यवस्था को सुधारने के एक और कदम के रूप में वर्ष के दौरान निम्नलिखित उपाय किये गये थे :

- कृषि के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई / छिड़काव सिंचाई प्रणाली / कृषि मशीनरी के व्यापारियों को दिये जानेवाले अग्रिमों की सीमाएं 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई हैं चाहे उसका स्थान कहीं भी हो।
- लघु कारोबार स्थापित करने के लिए कार्यशील पूँजी के लिए वित्त बिना कोई उच्चतम सीमा निर्धारित किए विद्यमान समग्र सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया। इसके अलावा बैंकों को इस बात की छूट है कि वे विभिन्न गतिविधियों के लिए आवश्यकताओं के आधार पर कार्यशील पूंजी के लिए अलग-अलग उच्चतम सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं।
- दस्तकारों, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों की एकल ऋण सीमा 25,000 रुपये की विद्यमान सीमा से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। यह प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कमजोर वर्गों को अग्रिमों की समग्र सीमा के 25 प्रतिशत अथवा निवल बैंक ऋण के 10 प्रतिशत के अधीन होगी।
- आवास क्षेत्र को और ऋण प्रवाह बढ़ाने की दृष्टि से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए आवास ऋण 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये और शहरी क्षेत्रों के लिए 2 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में आवास हेतु बढ़ती मांग तथा इन क्षेत्रों में आवास क्षेत्र को वित्तपोषण में सुधार लाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया था कि बैंक अपने निदेशक मंडलों के अनुमोदन से प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के एक अंग के रूप में ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आवास क्षेत्र को 10 लाख रुपये तक का सीधा वित्तपोषण करने के लिए स्वतंत्र हैं।

ग्रामीण ऋण

सूखा पीड़ित कृषकों को राहत

2.89 पूर्व संकेतों के अनुसार, सूखा पीड़ित जिलों (राज्य सरकारों द्वारा जारी अधिसूचनानुसार) में बैंकों द्वारा किये जानेवाले सूखा राहत उपायों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत नवंबर 2002 में जारी किये गये थे।

2.90 सूखा प्रभावित राज्यों में किसानों की कठिनाइयों को और हलका करने के उद्देश्य से, सरकार ने दिसम्बर 2002 में यह निर्णय लिया था कि एक बारगी उपाय के रूप में, उन राज्यों में खरीफ ऋणों पर पहले वर्ष की आस्थगित ब्याज देयता को पूरी तरह से माफ कर दिया जाए। माफ की जानेवाली राशि की एक सीमा होगी जो केवल पहले वर्ष के लिए ब्याज की कुल आस्थगित देयता के 20 प्रतिशत के समकक्ष होगी। बैंकों द्वारा माफ की जानेवाली इस आस्थगित ब्याज की इस किस्त की प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। आस्थगित ब्याज पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा और आस्थगित ब्याज की शेष रकम उचित किस्तों में वसूल की जाएगी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में संशोधनों का सुझाव देने हेतु कार्य-दल

2.91 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य-निष्पादन के विभिन्न पहलुओं की जांच करने और उसके सम्बंध में ऐसी सिफारिशें करने हेतु, जिनके लागू करने से बैंक ग्रामीण जनसाधारण की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में संशोधनों हेतु सुझाव देने के लिए एक कार्यदल (अध्यक्षः श्री एम.वी.एस चलपति राव) गठित किया (बाक्स II.9)।

बाक्स II.9 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में संशोधनों के लिए सुझाव देने हेतु गठित कार्यदल की प्रमुख सिफारिशें

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के आमुख में प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रदान की जानेवाली वित्तीय सेवाओं के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता होगी।
- उचित रूप से स्वीकरण के साथ पूँजी-पर्याप्तता मानदण्डों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उनके जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात पर आधारित इक्विटी की विशिष्ट राशि के साथ चरणबद्ध रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर लागू करने की आवश्यकता होगी।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य के आधार पर विभेदक स्वामित्व संरचना की अनुमति देनी चाहिए।
- प्रवर्तक संस्थानों के लिए शेयरधारिता की निहित न्यूनतम सीमा 51 प्रतिशत होनी चाहिए।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के परिचालन क्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता होगी ताकि उसमें सभी जिलों को शामिल किया जा सके।
- क्षेत्रीय स्वरूप तथा उनकी विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक पहचान को ध्यान में रखते हुए एक सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में पड़नेवाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समामेलन किया जाए ताकि प्रत्येक राज्य में एक या कतिपय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये जा सकें ।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बोर्डों में अध्यक्ष सहित बोर्ड के सदस्यों की संख्या न्यूनतम पांच और अधिकतम ग्यारह होनी चाहिए। सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए वर्तमान की तरह निदेशकों की संख्या एक समान निर्धारित नहीं की जा सकती।
- समेकन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में कतिपय प्रायोजक बैंकों को उससे मुक्त किया जा सकता है और कतिपय वित्तीय संस्थानों तथा रणनीति का प्रबंध करनेवाले अन्य साझेदार इस दायित्व को प्रायोजक संस्थानों के रूप में ले सकते हैं।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए विनियामक ढ़ाँचा वाणिज्यिक बैंकों के विनियामक ढ़ांचे के अनुसार होना चाहिए तथा बैंक विशेष को किसी विशिष्ट समयावधि के लिए जब कभी आवश्यक समझी जाएं कुछ विशिष्ट रियायतें दी जा सकती हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी लाइसेंसिंग के सांविधिक मानदण्डों के अधीन हों और प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को चाहिए कि वह भी रिज़र्व बैंक से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अंतर्गत एक विशिष्ट समयावधि के भीतर लाइसेंस प्राप्त करे।
- अर्धवार्षिक वित्तीय लेखा परीक्षा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में शुरू की जाये।
- सभी प्रकार की वित्तीय सेवा प्रदान करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण निर्धनों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए तुरन्त उनके कारोबार के विशाखन को प्रोत्साहित किया जाये।
- बैंक के संसाधनों पर अभीष्टतम प्रतिलाभ अर्जित करने के लिए निवेश कार्यों के व्यवसायीकरण हेतु लागत और लाभों के बारे में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्वयं अपने निर्णय के आधार पर अपने प्रायोजक बैंकों / संस्थानों अथवा अन्य स्थापित तथा प्राधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र के संविभाग प्रबंध सेवाप्रदाता से सभी प्रकार की सेवाएं ले सकते हैं।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित नवीन प्रक्रियाओं को किफायती ढंग में स्पर्धात्मक ग्राहक सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने विकास के विभिन्न चरणों में अपनाया जाए।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में प्रौद्योगिकी को लागू करने के कार्य की निगरानी राष्ट्रीय स्तर की किसी स्थायी समिति द्वारा की जाए जो विभिन्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कंप्यूटरीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन से उत्पन्न विभिन्न मामलों पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का मार्गदर्शन कर सकें ।

ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि (आरआइडीएफ)

2.92 सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के दोनों प्रकार के उन बैंकों को जो प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र या कृषि को उधार देने में निर्धारित अपेक्षा से पीछे रह गये हैं, उन्हें वह विशिष्ट आबंटन ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि (आरआइडीएफ) में करना होगा। आरआइडीएफ की स्थापना नाबार्ड के यहाँ की गयी ताकि वे मझोली और लघु सिंचाई, योजनाओं भू-संरक्षण, जल संरक्षण - प्रबंधन और ग्रामीण बुनियादी सुविधा के अन्य प्रकारों से संबंधित चल रही परियोजनाओं की शीघ्र पूर्ति करने में राज्य सरकारों / राज्य स्वामित्ववाले निगमों को सहायता प्रदान कर सकें। नाबार्ड में वर्ष 2003-04 के दौरान आरआइडीएफ का नौंवी शृंखला 5,500 करोड़ रुपयों के आधार - निधि के साथ स्थापित की गयी।

2.93 आरआइडीएफ - I से VI तक के मामले में निधि में रखी गयी जमाराशियों पर ब्याज दर सभी बैंकों के लिए उनकी कमी की राशि की सीमा चाहे कितनी ही क्यों न हों, एक समान थी । आरआइडीएफ VII से यह निर्णय किया गया कि आरआइडीएफ जमाराशियों पर ब्याज दर को कृषि को उधार देने में बैंक के निष्पादन के साथ जोड़ा जाए। तदनुसार, आरआइडीएफ VII से बैंक कृषि उधार में उनकी कमी के साथ व्युत्क्रमानुपाती दरों पर ब्याज प्राप्त कर रहे हैं। आरआइडीएफ - IX के मामले में आरआइडीएफ से बाहर के ऋणों पर ब्याज दर बैंक दर से जोड़ी गयी है और उसे बैंक दर से 2.0 प्रतिशत बिन्दु अधिक पर निर्धारित किया गया है।

स्थानीय क्षेत्र बैंकों के कार्यों पर समीक्षा दल

2.94 स्थानीय क्षेत्र बैंकों (एलएबी) की स्थापना हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त 1996 में घोषित किये गये । तब से एलएबी की कोई व्यापक संवीक्षा नहीं की गई, जुलाई 2002 में एलएबी योजना पर अध्ययन और सिफारिश करने के लिए बाहरी विशेषज्ञों के साथ रिज़र्व बैंक द्वारा एक समीक्षा दल (अध्यक्ष : श्री जी. रामचंद्रन) का गठन किया गया। दल की अधिकांश सिफारिशों को रिज़र्व बैंक ने स्वीकार कर लिया है जो निम्नानुसार हैं:

- जब तक वर्तमान एलएबी को सुदृढ़ न बना दिया जाए और वर्तमान एलएबी को मजबूत बनाने के उपाय न कर दिये जाएं तब तक नये एलएबी के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए।

- वर्तमान एलएबी को आर्थिक सक्षमता प्राप्त करने के लिए पांच वर्षों की अवधि में कम से कम 25 करोड़ रुपये की निवल हैसियत प्राप्त करने को कहा जाए।
- एलएबी को कम से कम 15 प्रतिशत की एक न्यूनतम पूँजी-पर्याप्तता बनाये रखनी चाहिए, और
- एलएबी को किसी अन्य वाणिज्यिक बैंक के समान ही समझा जाए और इसलिए विनियमन और पर्यवेक्षण रिज़र्व बैंक के उसी पक्ष को सौंपा जाए जो वाणिज्यिक बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है।

लघु उद्योगों के लिए ऋण

2.95 लघु उद्योग क्षेत्र को रिज़र्व बैंक की नरम ब्याज दर नीति का लाभ देने के लिए, बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे अच्छे (ट्रैक) रिकार्ड वाले लघु उद्योगों को मूल उधार दर (पीएलआर) के ऊपर कम-व्याप्त (स्प्रेड) का लाभ दिया जाए और ब्याज दर में सामान्य नरमी की ओर सुझाव को ध्यान में रखकर ब्याज दरों को नीचे की ओर पुनः निर्धारित करें। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय बजट 2003-04 में घोषित किये गये अनुसार भारतीय बैंक संघ ने बैंकों को पहले ही सूचित कर दिया था कि वे सुरक्षित अग्रिमों के लिए मूल उधार दर से 2 प्रतिशत से अधिक या कम की ब्याज दर सीमा अपनायें। विलंबित भुगतान की समस्या से निपटने के लिए बैंकों को यह सूचित किया गया कि बड़े उधारकर्ताओं को, विशेष रूप से लघु उद्योग से खरीद के संबंध में भुगतान दायित्व को पूरा करने के लिए समग्र कार्यकारी पूँजी सीमाओं के भीतर उप-सीमाएं निर्धारित करें। इस क्षेत्र को समय पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ऋण आवेदनों के निपटान हेतु एक समय का ढाँचा निर्धारित किया गया। हाल ही में 2003-04 के लिए घोषित मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा में बैंकों को लघु उद्योग इकाइयों के पिछले अच्छे रिकार्ड और वित्तीय स्थिति के आधार पर संपार्श्विक अपेक्षा को हटाने के लिए ऋण सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये (अपने बोर्ड के अनुमोदन से) करने की अनुमति दी गयी है। इसके अलावा, लघु उद्योग क्षेत्र को उधार देने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकों द्वारा मंजूर किये गये सभी नये ऋणों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिये गये उधार में शामिल किया जायेगा।

8. मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाजार

मुद्रा बाजार

मांग / सूचना मुद्रा बाजार पर निर्भरता

2.96 वर्ष 2002-03 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति में मांग / सूचना मुद्रा बाजार में बैंकों के उधार लेने और उधार देने दोनों में संतुलन बनाये रखने की दृष्टि से विवेकपूर्ण सीमाओं की घोषणा की गई। यह वित्तीय प्रणाली की अखंडता बनाये रखने और सावधि मुद्रा बाजार और रिपो बाजार का विकास करने के लिए किया गया था। तदनुसार बैंकों से परामर्श करके उधार लेने और उधार देने दोनों के संबंध में विवेकसम्मत सीमाएं दो चरणों में 5 अक्तूबर 2002 तथा 14 दिसम्बर 2002 से लागू की गयीं। फिलहाल दूसरे चरण में, 14 दिसम्बर 2002 से शुरू होनेवाले पखवाड़े से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के उधार किसी पखवाड़े पर औसत आधार पर उनकी स्वाधिकृत निधियों के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। अतः बैंकों को किसी पखवाड़े के दौरान किसी एक दिन पर अधिकतम 50 प्रतिशत तक उधार देने की अनुमति दी गई है। उसी प्रकार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उधार उनके स्वाधिकृत निधियों के 100 प्रतिशत अथवा जमाराशियों के 2 प्रतिशत से जो भी उच्चतर हो से अधिक नहीं होना चाहिए। अतः बैंकों को किसी पखवाड़े के दौरान किसी विशिष्ट दिन पर अपनी स्वाधिकृत निधियों के अधिकतम 125 प्रतिशत तक उधार लेने की अनुमति दी गई।

2.97 इस शर्त के लिए आस्ति-देयता प्रबंधन में बिना किसी रुकावट निर्बाध समायोजन सुनिश्चित करने की दृष्टि से बैंकों को सूचित किया गया कि वे विवेकपूर्ण सीमाओं से अधिक में मांग/सूचना मुद्रा बाजार में 4 अक्तूबर 2002 द्वारा प्रथम चरण के लिए यथानिर्दिष्ट उधारकर्ता और / अथवा उधारदाता के रूप में अपनी स्थिति को सीमित करें। तथापि रिज़र्व बैंक किसी बैंक द्वारा असंतुलन का सामना करने पर, उसके अनुरोध पर निर्धारित सीमा से अधिक के लिए मांग/सूचना मुद्रा बाजार के लिए अस्थायी पैठ की अनुमति दे सकता है। निर्धारित मानदण्डों से अधिक बढ़ती पैठ की अनुमति भी रिज़र्व बैंक द्वारा अधिकतम अवधि के लिए रिज़र्व बैंक की संतुष्टि होने पर पूरी तरह क्रियाशील एएलएम प्रणाली वाले बैंकों के लिए दी जाए।

2.98 5 अक्तूबर 2002 से प्राथमिक व्यापारी किसी रिपोर्टिंग पखवाड़े के दौरान औसत आधार पर अपनी निवल स्वाधिकृत निधियों के 25 प्रतिशत तक उधार देने के लिए स्वतंत्र हैं। जहां तक चरण I और II में मांग/सूचना मुद्रा बाजार में प्राथमिक व्यापारियों द्वारा उधार लेने का संबंध है, प्राथमिक व्यापारियों को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत तक अपनी निवल स्वाधिकृत निधियों के क्रमशः 200 प्रतिशत और 100 प्रतिशत तक उधार लेने की अनुमति दी जायेगी। ये रिपो बाजार में कतिपय गतिविधियों के अधीन प्रभावी होंगे।

निवल -अंतर बैंक मांग मुद्रा बाजार की ओर बढ़ने में प्रगति

2.99 एक निवल अंतर बैंक मांग/सूचना मुद्रा बाजार की ओर अग्रसर होने के उद्देश्य से बैंकेतर सहभागियों को 14 जून 2003 से दूसरे चरण में किसी रिपोर्टिंग पखवाड़े में, औसतन, 2000-01 के

दौरान मांग/सूचना बाजार में अपने औसत दैनिक उधार के 75 प्रतिशत तक उधार देने की अनुमति दी गई है। वर्ष 2003-04 की मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा में प्रस्ताव किया गया है कि 27 दिसंबर 2003 के प्रारंभ होनेवाले पखावाड़े से बैंकेतर सहभागियों को 2000-01 में मांग/सूचना मुद्रा बाजार में दिये गये उनके दैनिक औसत उधारों के 60 प्रतिशत तक एक रिपोर्टिंग पखवाड़े में औसत उधार देने की अनुमति दी जायेगी। बैंकेतर सहभागिता के चरणबद्ध समापन की समय सारणी बाजार सहभागियों के परामर्श से घोषित की जाएगी।

मुद्रा बाजार से सहकारी बैंकों द्वारा उधार लेना

2.100 वर्ष 2001 के प्रारंभिक भाग के दौरान सहकारी बैंकों से संबंधित गतिविधियों के परिणामस्वरूप और मांग/सूचना मुद्रा बाजार में कुछ शहरी सहकारी बैंकों की अत्यधिक निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से 19 अप्रैल 2001 को यह शर्त लगायी गयी कि मांग/सूचना मुद्रा बाजार में शहरी सहकारी बैंकों द्वारा दैनिक आधार पर उधार लेने की राशि पिछले वित्तीय वर्ष के मार्चान्त तक उनकी समग्र जमाराशियों के 2.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तत्पश्चात वही शर्त 29 अप्रैल 2002 से राज्य सहकारी बैंकों तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिए लागू की गयी।

जमा प्रमाणपत्र बाजार

2.101 वित्तीय बाजार में पारदर्शिता तथा लचीलापन प्रदान करने और द्वितीयक बाजार लेनदेनों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह शर्त लगायी गयी कि निक्षेपागार अधिनियम, 1996 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जमा प्रमाणपत्रों को 30 जून 2002 से अभौतिक रूप में जारी किया जाना चाहिए। भौतिक रूप में विद्यमान बकाया जमा प्रमाणपत्रों को अक्तूबर 2002 तक अभौतिक रूप (डिमैट फार्म) में परिवर्तित किया जाना है।

2.102 निवेशक आधार को बढ़ाने के उद्देश्य से बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी जमाप्रमाणपत्रों का न्यूनतम आकार जून 2002 में घटाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया। निश्चित आय मुद्रा बाजार और भारतीय व्युत्पन्नी लिखत संघ ने भी 20जून 2002 को भौतिक तथा डिमैट दोनों फार्म में जमा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक मानकीकृत प्रक्रिया, प्रलेखीकरण तथा परिचालनात्मक दिशानिदेश भी जारी किये। इसके अलावा, जमा प्रमाणपत्रों की कीमतों के निर्धारण में अधिक लचीलापन लाने के लिए और निवेशकों और जारीकर्ताओं दोनों को अतिरिक्त विकल्प देने के उद्देश्य से अब जमा प्रमाणपत्रों को कूपन धारक लिखत के रूप में भी जारी किया जा सकता है और बैंक सचल दर आधार पर जमा प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं, बशर्ते सचल दर की गणना करने की प्रणाली वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी और बाजार आधारित हो। इस संबंध में मानक प्रक्रिया और प्रलेखीकरण संबंधी दिशानिदेश एफआइएमएमडीए द्वारा बाजार सहभागियों से परामर्श करके जारी किये जाएंगे।

ब्याज दर व्युत्पन्नी लिखत

2.103 वर्ष 2002-03 के लिए मध्यावधि समीक्षा में की गयी घोषणा के अनुसरण में रिज़र्व बैंक ने रुपया व्युत्पन्नी लिखत के संबंध में नवम्बर 2002 में एक कार्यकारी दल (अध्यक्षः श्री जसपाल बिंद्रा) का गठन किया, जिसमें बैंकों, प्राथमिक व्यापारियों, पारस्परिक निधियों और रिज़र्व बैंक का उचित प्रतिनिधित्व था। वित्तीय तथा पूंजी बाजार पर उच्च स्तरीय समन्वय समिति की सिफारिशों पर ओटीसी (काउंटर पर) ब्याज दर व्युत्पन्नी लिखतों से संबंधित मामलों के अलावा उक्त दल के विचारणीय विषयों में शेयर बाजार में खरीदे-बेचे गये ब्याज दर व्युत्पन्नी लिखतों के मामलों को भी शामिल किया गया। उक्त दल ने जनवरी 2003 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । इस दल की प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

- प्रथम चरण में अनुमति दिये जाने वाले कम जटिल ओटीसी ब्याज दर रुपया विकल्पों में वनीला कैप्स, फ्लोर्स और कॉलर्स, यूरोपियन स्वैप्शंस, रातभर के लिए सूचकांक स्वैप और वायदा दर करार पर आधारित नियत आय लिखतें/बेंचमार्क दरों पर (क्रय-विक्रय) विकल्प और अनलीवर्ड सांचागत स्वैप शामिल हैं जहां इस प्रकार के विन्यास का जोखिम स्वरूप (ब्लॉक) बिल्डिंग की संरचना के समान है।
- अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और प्राथमिक व्यापारियों को ऑप्शन को खरीदने और बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए। कंपनियां, प्रीमियम की निवल प्राप्तकर्ता न होते हुए भी प्रारंभ में आप्शंसों को बेच सकती हैं। पारस्परिक निधियां तथा बीमा कंपनियां भी जब कभी उन्हें उनके संबंधित नियंत्रक अनुमति दें, आप्शंस लिख सकती हैं।
- वर्तमान चरण में विनिमय पर व्यापार के लिए चार संविदाओं अर्थात (क) अल्पावधि मुबई अंतर बैंक ऑफर दर (मिबोर) फ्यूचर्स संविदा, (ख) मिफोर फ्यूचर्स संविदा, (ग) बाण्ड फ्यूचर्स संविदा और (घ) दीर्घावधि बाण्ड इन्डेक्स फ्यूचर्स संविदा पर विचार किया जा सकता है।
- बाजार विनियामक को केवल व्यापक पात्रता मानदण्ड निर्धारित करने चाहिए और शेयर बाजारों को विचाराधीन स्टाकों तथा सूचकांकों पर विचार करने की छूट होनी चाहिए जिस पर फ्यूचर्स और आप्शंस की अनुमति दी जाए।

- नेटिंग (बिक्री-खरीद निवल) की अनुमति ग्राहक स्तर की स्थितियों पर दिन के अंदर करने देनी चाहिए।
- ब्याज दर व्युत्पन्नियों पर विनिमय आधारित लेनदेनों के लेखांकन हेतु मार्गदर्शी दिशानिदेश विकसित करने के लिए आइसीएआइ से अनुरोध किया जा सकता है।
- रिज़र्व बैंक तयशुदा लेनदेन प्रणाली प्लेटफार्म पर किसी मानकीकृत रूप में किये गये लेनदेनों के अनाम प्रकटीकरण पर अनिवार्य रूप से विचार कर सकता है।
- (फिम्डा) (एफआइएमएमडीए) द्वारा प्राधिकृत ब्रोकरों को ओटीसी व्युत्पन्नी बाजार में लेनदेन की अनुमति दी जाए।
- ऐसे डेरिवेटिव उत्पाद के बारे में दिशा-निर्देश जारी करने पर सेबी विचार कर सकता है जिनका म्युचुअल फंड लेनदेन कर सकें। डेरिवेटिव बाजार में बीमा कंपनियों की सहभागिता के लिए बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आइआरडीए) को दिशानिर्देश निर्धारित करने चाहिए।
- काउंटर पर डेरिवेटिव संविदा को कानूनी रूप से लागू करने योग्य बनाने के लिए प्रतिभूति संविदा और विनियमन अधिनियम, 1956 की धारा 18 अ में आशोधन करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा वित्त मंत्रालय के साथ जोरदार प्रयास किये जाएं। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/ प्राथमिक व्यापारियों द्वारा भारत में की गयी डेरिवेटिव संविदाओं की स्थिति स्पष्ट करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 में आशोधन किया जाए।
- डेरिवेटिव व्यापारी माडल की उपयुक्तता के बारे में अपने मत के अनुसार ब्याज दर विकल्प के लिए मूल्य निर्धारण और मूल्यांकन माडल चुन सकते हैं।
- बाजार सहभागियों द्वारा साझी न्यूनतम सूचना संरचना और सार्वजनिक प्रकटीकरण प्रणाली अपनायी जाए।

2.104 इसी बीच रिज़र्व बैंक ने सरकार और सेबी के साथ परामर्श करके विनियमित संस्थाओं द्वारा विदेशी मुद्रा विपणन ब्याज दर डेरिवेटिव में भाग लिये जाने के लिए दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया है। तदनुसार, अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को छोड़कर), प्राथमिक व्यापारियों और विनिर्दिष्ट अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को चरणबद्ध रूप में विदेशी मुद्रा विपणन ब्याज दर डेरिवेटिव में विपणन करना है। प्रथम चरण में सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई (बीएसई) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के साथ ब्याज दर डेरिवेटिव में कारोबार के लिए बेनामी आदेश संचालित प्रणाली लागू करने का निर्णय किया है। पहले चरण में ऐसी संस्थाएं अपने विचाराधीन निवेश संविभाग में जोखिम की प्रतिरक्षा के सीमित उद्देश्य से कल्पित बांड (नोशनल बाण्ड) और खजाना बिलों के ब्याज दर फ्यूचर्स में ही लेनदेन कर सकती हैं। तथापि प्राथमिक व्यापारियों को कुछ विवेकपूर्ण विनियमों के अंतर्गत लेनदेन में सहभागी होने की अनुमति दी गयी है। प्राप्त अनुभव के आधार पर प्राथमिक व्यापारियों से भिन्न संस्थाओं को भी व्यापक स्वरूप के उत्पादों में लेनदेन करने तथा बाजार में सहभागी बनने के लिए अनुमति दिये जाने के संबंध में अगले चरण में विचार किया जायेगा।

2.105 इस समय, बिक्री के लिए उपलब्ध और विपणन के लिए धारित एएफएस और एचएफटी श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत सरकारी प्रतिभूतियों में निहित ब्याज दर जोखिम की प्रतिरक्षा करने के लिए ही अनुमति दी गयी है।

2.106 शेयर बाजारों में किये गये ब्याज दर डेरिवेटिव लेनदेन को केवल तभी प्रतिरक्षा लेनदेन के रूप में माना जायेगा जब, क) 'बिक्री के लिए उपलब्ध' और 'विपणन के लिए धारित' श्रेणियों में विचाराधीन सरकारी प्रतिभूतियों के साथ प्रतिरक्षा का स्पष्ट रूप से निर्धारण किया गया हो, ख) प्रतिरक्षा की प्रभावशीलता की गणना विश्वसनीय रूप से की जा सकती हो, और ग) प्रतिरक्षा का निरंतर आधार पर मूल्यांकन किया जाता हो और वह पूरे समय 'अत्यधिक प्रभावी' हो।

2.107 हरेक अनुमोदित दलाल के लिए संविदा की सकल उच्चतम सीमा के रूप में वर्ष में किये गये कुल लेनदेनों के 5 प्रतिशत के वर्तमान मानदंड का पालन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा किया जाना चाहिए जो शेयर बाजार के अनुमोदित फ्यूचर्स और आप्शन्स सदस्यों द्वारा भाग लेते हैं।

2.108 यह आवश्यक है कि विनियमित संस्थाएं शेयर बाजारों में ब्याज दर फ्यूचर्स का लेनदेन करने से पहले नीतिगत ढांचा और यथोचित जोखिम नियंत्रण निर्धारित करने के लिए अपने निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त करें। रिज़र्व बैंक ओटीसी और शेयर बाज़ार में सौदाकृत व्युत्पन्नियों के विनियामक और मानदंडों में एकरूपता लाने के प्रयास कर रहा है।

जमानती उधार लेने और उधार देने संबंधी बाध्यता (सीबीएलओ)

2.109 वर्ष 2002-03 की मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा में बाजार सहभागियों द्वारा मांग/सूचना मुद्रा बाजार पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए जमानती उधार लेने और उधार देने की बाध्यताओं के माध्यम से जमानती उधार लेने/उधार देने

संबंधी कार्यों को बढ़ावा देने के प्रस्ताव की घोषणा की गयी है। जमानती उधार लेने और उधार देने संबंधी बाध्यता को मुद्रा बाजार लिखत के रूप में 20 जनवरी 2003 को भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के माध्यम से लागू किया गया है। जमानती उधार लेने और उधार देने संबंधी बाध्यता की प्रारंभिक परिपक्वता अवधि एक दिन से एक वर्ष तक की हो सकती है। अन्य मुद्रा बाजार लिखतों की तरह ही जमानती उधार लेने और उधार देने संबंधी बाध्यता के लिए विनियामक उपबंध और लेखा पद्धति लागू होगी। तथापि, मुद्रा बाजार लिखत के रूप में जमनाती उधार लेने और उधार देने संबंधी बाध्यता को विकसित करने के लिए उसे प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की शर्तों से छूट दी गयी है, बशर्ते बैंक न्यूनतम 3 प्रतिशत का प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात बनाये रखता हो। बैंक द्वारा ग्राहकों की सहायक सामान्य खाता बही सुविधा के अंतर्गत भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के पास रखे 'गिल्ट खाता' में दर्ज प्रतिभूतियां यदि किसी दिन के अंत में अभारित रहती है, तो उन्हें संबंधित बैंक के सांविधिक चलनिधि अनुपात के संबंध में गणना में लिया जायेगा।

बैंकों द्वारा बिलों की भुनाई/पुनर्भुनाई

2.110 रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 1999 में बैंकों द्वारा बिलों की भुनाई संबंधी कार्यकारी दल (अध्यक्षः श्री के.आर.राममूर्ति) की स्थापना की। कार्यकारी दल ने बिलों की भुनाई के लिए बैंकों को स्वतंत्रता देने के बारे में, विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और बैंकेतर वित्तीय कंपनियों के सुझावों की जांच की। कार्यकारी दल की सिफारिशों पर विचार करने के बाद पूर्ववर्ती अनुदेशों के अधिक्रमण में 24 जनवरी 2003 को बैंकों को संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये गये और बैंकों को सूचित किया गया कि वे वास्तविक वाणिज्यिक /व्यापार बिलों की खरीद/भुनाई/बेचान/पुनर्भुनाई करते समय नये दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करें। संशोधित दिशानिर्देशों की महत्त्वपूर्ण विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- इस समय बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपने ऐसे उधारकर्ता ग्राहक जिनके लिए उन्होंने नियमित ऋण सुविधाएं मंजूर की हैं, के वास्तविक वाणिज्यिक और व्यापारिक लेनदेनों के संबंध में साख पत्रों के अंतर्गत ही साख पत्र खोलें और बिलों की खरीद/भुनाई/बेचान करें । बैंकों द्वारा निभाव बिल की खरीद/भुनाई /बेचान नहीं किया जाना चाहिए।
- 'दायित्व-रहित' के साथ विनिमय बिल आहरित करने और 'दायित्व रहित' शीर्षक वाले साख पत्र जारी करने की पद्धति बंद कर देनी चाहिए क्योंकि ऐसी टिप्पणियों से बेचान करनेवाला बैंक परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत आहरणकर्ता के खिलाफ उसे प्राप्त दायित्व के अधिकार से वंचित रहता है।
- बिलों की पुनर्भुनाई अन्य बैंकों द्वारा धारित मीयादी बिलों तक सीमित रखनी चाहिए। बैंकों को चाहिए कि वे हल्के वाणिज्यिक वाहनों और दो/तीन पहिये के वाहनों की बिक्री से जनित बिलों को छोड़कर बैंकेतर वित्तीय कंपनियों द्वारा पहले भुनाये गये बिलों की पुनर्भुनाई न करें।
- सेवा क्षेत्र के बिलों की भुनाई करते समय बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वास्तविक सेवा दी गयी है और निभाव बिलों की भुनाई नहीं की जा रही है। सेवा क्षेत्र के बिल पुनर्भुनाई के लिए पात्र नहीं होंगे, एवं
- बैंकों को चाहिए कि वे जमानत के रूप में बिलों की भुनाई/पुनर्भुनाई का प्रयोग करते हुए रिपो लेनदेन न करें।

सरकारी प्रतिभूति बाजार

प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूल धन के लिए अलग-अलग लेनदेन (स्ट्रिप्स)

2.111 प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन के लिए अलग-अलग लेनदेनों के संबंध में परिचालनात्मक और विवेकपूर्ण दिशा-निर्देश तैयार किये जा रहे हैं। कूपन स्ट्रिप्स के समेकन की तारीखों (25 मार्च/25 सितंबर और 30 मई / 30 नवंबर) को भविष्य में किये जानेवाले कूपन भुगतान की तारीखों के साथ संबंद्ध किया जायेगा। 7 अगस्त, 2003 को जारी 6.01 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2028 की कूपन भुगतान तारीखों को 25 मार्च/25 सितंबर के साथ संबद्ध किया गया । ऐसे प्राथमिक व्यापारी जो निर्धारित वित्तीय मानदंडों की पूर्ति करते हैं उन्हें प्रतिभूतियों के पूंजीगत मूल्य को ब्याज से अलग करने और उनका पुनर्निर्माण करने के लिए प्राधिकृत किया जायेगा। रिज़र्व बैंक का लोक ऋण कार्यालय स्ट्रिप्स बाण्डों की रजिस्ट्री के रूप में कार्य करेगा।

भारत सरकार की ऋण पुनर्खरीद योजना

2.112 केन्द्रीय बजट 2003-04 में यह पाया गया कि विगत में उच्च ब्याज दर प्रणाली के अंतर्गत संविदाकृत केन्द्रीय सरकार के देशी ऋण के बैंकों की धारिताओं के बड़े अंश में अत्यल्प लेनदेन हुआ है। ऐसे ऋण सामान्यतः ह्रासमान ब्याज दरों के साथ उनके अंकित मूल्य पर प्रीमियम के योग्य होते हैं। तथापि, सीमित चलनिधि के कारण बैंक अक्सर उन्हें भुनाने में असमर्थ होते हैं। इसे देखते हुए सरकार ने ऐसे बैंकों से स्वैच्छिक आधार पर ऋणों की पुनर्खरीद करने का प्रस्ताव किया है जिन्हें चलनिधि की आवश्यकता है और इसके

लिए सरकार ने पारदर्शी आधार पर प्रीमियम निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा है। यदि बैंक आय कर प्रयोजन से यह घोषित करता है कि प्राप्त प्रीमियम कारोबारी आय के रूप में है तो यह निर्णय किया गया कि उन्हें उस सीमा तक अतिरिक्त कटौती के लिए अनुमति होगी जिस सीमा तक वे ऐसी आय का प्रयोग अपनी गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान करने के लिए करते हैं।

2.113 आवश्यक व्यवस्थाओं को पूर्ण करने के बाद 19 जुलाई 2003 को रिज़र्व बैंक द्वारा तुलनात्मक रुपए में अंतरल सरकारी प्रतिभूतियों के 19 उच्च कूपन की पहली बार पुनर्खरीद नीलामी की गयी। भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड द्वारा विकसित ऐसे अन्योन्याश्रयी मंच के माध्यम से ऋण की पुनर्खरीद नीलामी की गयी जहां सहभागियों को चालू परस्पर सक्रियाविधि से अपनी बोलियों में संशोधन करने के लिए अनुमति होती है। नीलामी के ब्यौरे निम्नानुसार हैं।

- कुल 131 प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनकी कुल राशि 14, 434 करोड़ रुपये (अंकित मूल्य) थी। समग्र राशि को स्वीकार किया गया क्योंकि सरकार द्वारा निर्धारित नयूनतम 7.5 प्रतिशत के न्यूनतम बट्टे या उससे अधिक पर प्रस्ताव रखा गया था। इन प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद का बाजार मूल्य 19,394 करोड़ रुपये था।
- पुनर्खरीद की गयी प्रतिभूतियों पर प्रीमियम (3,472 करोड़ रुपये) और प्रोद्भूत ब्याज (500 करोड़ रुपये), और पुनः जारी की गयी प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त प्रीमियम (1,120 करोड़ रुपये) और प्रोद्भूत ब्याज (313 करोड़ रुपये) के रूप में हुए आगम का हिसाब करने के बाद सरकार के निवल नकदी बहिर्वाह की राशि 2,539 करोड़ रुपये रही।
- प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद के विनिमय में पूर्वघोषित रूप में समान अंकित मूल्य (14,434 करोड़ रुपये) की चार प्रतिभूतियां फिर से जारी की गयी।

शेयर बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का लेनदेन

2.114 सरकारी प्रतिभूतियों में फुटकर निवेशकों सहित निवेशकों के सभी वर्गों की व्यापक सहभागिता को बढ़ावा देने की दृष्टि से यह निर्णय किया गया कि शेयर बाजारों में जिस तरह से शेयरों का विपणन किया जाता है ठीक उसी तरह से राष्ट्रव्यापी, बेनामी, आदेश संचालित, स्क्रीन-आधारित विपणन प्रणाली के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों के विपणन की शुरुआत की जाए। शेयर बाजारों में सरकारी प्रतिभूतियों के विपणन की सुविधा बैंकों के लिए इस समय उपलब्ध रिज़र्व बैंक की वार्तातय लेनदेन प्रणाली जो आगे भी जारी रहेगी के अतिरिक्त होगी। तदनुसार 16 जनवरी 2003 से राष्ट्रीय शेयर बाजार, मुंबई शेयर बाजार और ओवर दि काउंटर एक्सचेंज आफ इंडिया की स्वचालित आदेश संचालित प्रणाली में डीमैट रूप में भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में लेनदेन के लिए अनुमति दी गयी है। यह योजना बाद में भारत सरकार के खजाना बिलों और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए शुरू की जायेगी।

रिपो/रिवर्स रिपो लेनदेनों के लिए एकसमान लेखांकन दिशा-निर्देश

2.115 रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित सभी संस्थाओं द्वारा रिपो/रिवर्स रिपो लेनदेनों के लेखा के लिए पालन की जानेवाली लेखा पद्धतियों की समीक्षा करने पर यह तथ्य सामने आया कि उनमें भिन्न-भिन्न पद्धतियां प्रचलित हैं। एक-समान लेखा-प्रणाली को सुनिश्चित करने और उसमें पारदर्शिता का तत्व लाने के लिए फिम्डा के परामर्श से रिपो/रिवर्स रिपो लेनदेनों के एक समान लेखा के लिए दिशानिर्देश को अंतिम रूप दिया गया। एक-समान लेखा-विधि वित्तीय वर्ष 2003-04 से लागू होगी। इस समय प्रचलित एक-समान लेखा सिद्धांत रिज़र्व बैंक के साथ होनेवाली चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो/रिवर्स रिपो लेनदेनों के लिए लागू नहीं होंगे।

2.116 वर्तमान कानून के अंतर्गत एकमुश्त खरीद और एकमुश्त बिक्री संबंधी लेनदेनों के रूप में रिपो की कानूनी विशेषता को यह सुनिश्चित करते हुए अक्षत रखा जाता है कि बेची गयी प्रतिभूतियों को प्रतिभूतियों के विक्रेता के निवेश खाते से निकाला जाता है और प्रतिभूतियों के क्रेता के निवेश खाते में शामिल किया जाता है। प्रतिभूतियों के क्रय को सांविधिक चलनिधि अनुपात के लिए प्राप्त की गयी अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में माना जा सकता है। निवेश वर्गीकरण संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार खरीदी गयी प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य को बही में अंकित करना होगा। किसी निवेश मूल्य-निर्धारण संबंधी मानदंड का पालन न करनेवाली संस्थाओं के मामले में प्राप्त की गयी प्रतिभूतियों का मूल्य-निर्धारण उनके पास होनेवाली उसी स्वरूप की प्रतिभूतियों के संबंध में उनके द्वारा जिन मानदंडों का अनुपालन किया जाता है, उनके अनुसार ही होगा। बैंकों से अपेक्षित है कि वे रिपो के अंतर्गत बेची गयी और रिवर्स रिपो के अंतर्गत खरीदी गयी प्रतिभूतियों का तुलनपत्र में 'खातों पर टिप्पणियों' में प्रकटीकरण करें।

9. बैंकिंग क्षेत्र में कानूनी सुधार

2.117 बैंकिंग क्षेत्र में सुधार संबंधी समिति (अध्यक्षः श्री एम.नरसिंहम) ने 1998 में यह पाया कि विशेषतः वित्तीय मध्यस्थता

में दक्ष व्यापार और वाणिज्य के लिए अनिवार्य कानूनी ढांचे में पार्टियों को संविदा करने और विवादों के त्वरित समाधान के लिए प्राप्त अधिकारों और देयताओं को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पिछले कई वर्षों से बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में कई विधायी पहल की गयी हैं (बाक्स II.10)।

2.118 इसके अलावा रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग लोकपाल योजना, 1995 के स्थान पर संशोधित बैंकिंग लोकपाल योजना, 2002 लायी गयी और जून 2002 से वह प्रभावी हुई। नई योजना में बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय की समीक्षा करने का प्रावधान है। इस योजना में लोकपाल को बैंक और उसके ग्राहक तथा एक बैंक और दूसरे

बाक्स II.10 : बैंकिंग में कानूनी सुधार

अ. बनाये गये कानून

- 6 फरवरी 2003 से प्रभावी परक्राम्य लिखत (संशोधन और विविध उपबंध) अधिनियम, 2002 के वर्तमान अधिनियम में दिये गये अनुसार 'चेक' की परिभाषा का विस्तार करते हुए 'इलेक्ट्रानिक चेक' और 'चेक ट्रंकेशन' की संकल्पना लायी गयी है। चेक, अनादरण के लिए सजा एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष की गयी है, नामित निदेशकों को अभियोग से अलग किया गया और संक्षिप्त मुकदमा, दैनंदिन सुनवाई और शपथपत्र द्वारा शिकायत के प्रमाण के द्वारा फौजदारी शिकायतों के शीघ्र और समयबद्ध निपटान के लिए प्रावधान किया गया है।
- वित्तीय आस्ति प्रतिभूतिकरण और पुनर्संरचना तथा प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन (एसएआरएफएईएसआइ) अधिनियम, 2002 पहला अध्यादेश जारी किये जाने की तारीख अर्थात 21 जून 2002 से लागू हुआ है और 28 जनवरी 2003 की अधिसूचना द्वारा सहकारी बैंकों के लिए भी वह लागू हुआ है।
- भारत सरकार द्वारा जनवरी 2003 में अधिसूचित काले धन की वैधता अवरोधी अधिनियम, 2002 का उद्देश्य है- अपराध से संबद्ध धन के जोखिम का सामना करना और उपयुक्त कानूनी ढांचा उपलब्ध कराना।
- बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 जो 1984 के अधिनियम के स्थान पर अगस्त 2002 से लागू हुआ उसमें बहु राज्य सहकारी समितियों को जनता के हित में निदेश देने या ऐसी बहु-राज्य सहकारी समितियों के संबंध में उनके बोर्ड का अधिक्रमण करने जिनमें चुकता शेयर पूजी या केन्द्र सरकार द्वारा धारित कुल शेयर 51 प्रतिशत से अन्यून हैं।

आ. संसद में लाये गये विधेयक

- संसद में दिसंबर 2000 में लाये गये वित्तीय कंपनी विनियमन विधेयक, 2000 में ऐसा प्रस्ताव है कि सभी वित्तीय कंपनियों का रिज़र्व बैंक के साथ अनिवार्य रूप से पंजीकरण किया जाए, प्रबंध-तंत्र में किसी मूलभूत परिवर्तन के लिए रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन लिया जाए, निवल स्वाधिकृत निधियों के लिए न्यूनतम आवश्यकता का निर्धारण तथा सभी अनिगमित संस्थाओं को जनता से जमाराशियां जुटाने के लिए किसी भी रूप में विज्ञापन जारी करने के लिए प्रतिबंध लगाना।
- बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2003 संसद में अप्रैल 2003 में लाया गया। इस विधेयक में इस वर्तमान प्रतिबंध को हटाने का प्रावधान है कि किसी बैंकिंग कंपनी में उस बैंकिंग कंपनी के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के 10 प्रतिशत के अतिरिक्त के मताधिकार का मतदान में प्रयोग करने के लिए धारित किसी शेयर के संबंध में शेयर धारण करने के लिए कोई व्यक्ति पात्र नहीं है। इस संशोधन से अपेक्षित है कि विदेशी बैंकों को अपनी सहायक संस्थाओं की स्थापना करने के लिए और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
- बैंककारी विनियमन (संशोधन) और विविध उपबंध विधेयक,2003 में 'अनुमोदित प्रतिभूतियां', 'बैंकिंग', और 'बैंकिंग नीति' की परिभाषा में संशोधन करने; बैंकिंग कंपनी के लिए बीमा, डेरिवेटिव, प्रतिभूतिकरण लेनदेन करने एवं बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट, डेबिट और अन्य कार्ड का कारोबार करने के लिए प्रावधान करने; रिज़र्व बैंक की अनुमति के बिना बैंकिंग कंपनी से इतर किसी कंपनी द्वारा 'बैंक','बैंकर' और 'बैंकिंग' शब्दों का प्रयोग करने के लिए दण्डात्मक देयता; बैंकों की सहयोगी कंपनियों को सम्बद्ध उधार देने और अग्रिम लेने पर प्रतिबंध लगाने; रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के बिना बैंकिंग कंपनियों की शेयर पूंजी में पांच प्रतिशत से अधिक के अभिग्रहण पर प्रतिबंध लगाने और कतिपय परिस्थितियों में बैंकिंग कंपनी के निदेशक बोर्ड का अधिक्रमण करने के लिए रिज़र्व बैंक को अधिकार देने का प्रस्ताव है।

इ. सरकार को प्रस्तुत विधेयक

- रिज़र्व बैंक द्वारा भुगतान प्रणालियों पर गठित समिति (अध्यक्षः डा. आर.एच.पाटिल) की सिफारिश पर आधारित भुगतान और निपटान प्रणाली विधेयक, 2002 में देश में भुगतान और निपटान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए अलग कानून बनाने की बात कहीं गई है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के संशोधन में मौद्रिक प्रबंध से सरकार ऋण प्रबंध को अलग करने, भारत से बाहर के अन्य केन्द्रीय बैंकों या मौद्रिक प्राधिकरणों का पारस्परिक आधार पर ऋण सूचना देने, मौद्रिक नीति के प्रबंध में व्यावसायिक लचीलापन लाने के लिए निर्धारित सीमा को हटाते हुए प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात को संगत बनाने एवं निधि के इलेक्ट्रानिक अंतरण और बहुविध भुगतान प्रणाली के लिए रिज़र्व बैंक को अधिकार देने का प्रस्ताव है।
- बैंक जमा बीमा निगम विधेयक वित्त मंत्रालय, रिज़र्व बैंक और निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के संयुक्त दल की सिफारिशों पर आधारित है जिसमें प्रीमियम के भुगतान में चूक करने के मामले में पंजीकरण रद्द करने के लिए आवश्यक अधिकार निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम को देकर उसे सक्रिय भूमिका देने, बैंक की सुदृढ़ता के रूप में बैंक द्वारा सूचना का आदान-प्रदान करने, आदि की कल्पना की गयी है।

बैंक के बीच के विवादों को एक विवाचक के रूप में समझौता, मध्यस्थता और विवाचन की प्रक्रिया के माध्यम से सुलझाने के लिए अधिकार दिये गये हैं।

10. प्रौद्योगिक गतिविधियां

भुगतान और निपटान प्रणाली

2.119 निधियों के सुरक्षित, शीघ्र और समय पर अंतरण के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। देश में प्रचलित निपटान प्रणालियां पारंपरिक रूप से आस्थगित निवल निपटान (डीएनएस) प्रणालियां रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक की भुगतान और निपटान प्रणालियों संबंधी समिति ने प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण भुगतान प्रणालियों के महत्त्वपूर्ण सिद्धांत निश्चित किये हैं। ये सिद्धांत इस समय किसी भी देश में आस्थगित निवल निपटान प्रणालियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक और संहिता के रूप में प्रचलित हैं । भारत के संदर्भ में इन सिद्धांतों के अनुपालन की स्थिति व्यापक रूप में बाक्स II.11 में दी गयी है।

फुटकर निधि अंतरण प्रणाली

2.120 फुटकर निधि अंतरण प्रणाली की गैर-पारंपरिक विधि के प्रयोग में काफी वृद्धि हुई है। आरबीआईएफटी योजना का प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण (ईएफटी) ने 2002-03 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में मात्रा और मूल्य के संदर्भ में पिछले वर्ष की तुलना में दस गुना सर्वाधिक वृद्धि दर्शायी है। वर्ष 2002-03 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में मात्रा के संदर्भ में ईसीएस (क्रेडिट समाशोधन) में 26 प्रतिशत, जबकि ईसीएस (डेबिट समाशोधन)ने लेनदेनों की संख्या के संदर्भ में 62 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी। एक निश्चित और सुरक्षित इलेक्ट्रानिक तरीके से निधियों के शीघ्र अंतरण की व्यवस्था करने के लिए वर्ष के दौरान विशेष ईएफटी (एसईएफटी) साधन की शुरूआत की गयी जिसमें 2,300 से अधिक नामित बैंक शाखाओं के साथ तकरीबन 127 केन्द्र शामिल हैं। वर्ष के दौरान भारी मात्रा में कार्डों का प्रयोग भी किया गया। भारतीय परिदृश्य में जहां जारी किये गये क्रेडिट कार्डों की तुलना में डेबिट कार्ड में अधिक तेजी से वृद्धि हुई वहीं स्मार्ट कार्ड पर आधारित उत्पाद अभी-अभी प्रवेश कर रहा है। वर्ष के दौरान अलग-अलग बैंक द्वारा स्वाधिकृत स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) से लेकर साझे एटीएम तक आये उल्लेखनीय परिवर्तन को देखा गया, साझे एटीएम में कई बैंक सहभागी होते हैं और बाहर से सेवाएं ली जाती हैं।

समितियों की रिपोर्टें

भुगतान प्रणाली पर समिति

2.121 भुगतान प्रणाली संबंधी विभिन्न मामलों की जांच करने के लिए बैंकिंग उद्योग से व्यापक आधार पर प्रतिनिधि लेते हुए भुगतान प्रणाली पर समिति (अध्यक्षः डा. आर.एच. पाटिल) गठित की गयी थी। समिति ने भुगतान और निपटान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण से संबंधित पहलुओं की जांच की। इस समिति की अन्य सिफारिशों के साथ मुख्य सिफारिश देश में भुगतान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए अलग कानून बनाना था। प्रारूप (ड्राफ्ट) में नेटिंग, निपटान के अंतिम स्वरूप और विनियमावली बनाने की शक्तियां देने के लिए कानूनी आधार दिया गया है। प्रारूप (ड्राफ्ट) विधेयक के साथ समिति की रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए सरकार को भेज दी गयी है।

चेक ट्रंकेशन पर कार्यकारी दल

2.122 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के संशोधन की स्वीकृति के साथ ही रिज़र्व बैंक ने चेक जमा करके रखने (चेक ट्रंकेशन) और ई - चेकों पर गठित किये गये एक कार्यकारी दल (अध्यक्ष : डा. आर.बी. बर्मन) ने जुलाई 2003 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें की है (i) भौतिक चेकों का प्रथम जमाकर्ता (प्रस्तुतकर्ता बैंक) के स्थान पर ट्रंकेशन तथा वर्तमान माइकर फील्ड की संरचना के आधार पर निपटान, (ii) पहले चरण में चार महानगरीय केन्द्रों पर सभी बैंकों और सभी समाशोधन केन्द्रों सहित नियत तारीख से लागू करने का लक्ष्य बनाया है। प्रस्तुतकर्ता बैंक के पास ही चेक जमा करके रखवाने की सिफारिश की गयी है। किसी महानगरीय केन्द्र में और पास के दो छोटे शहरों में एक वर्ष की अवधि के भीतर एक प्रायोगिक परियोजना कार्यान्वित करने की भी सिफारिश की गयी है ताकि अंतर-शहर समाशोधन पर पड़नेवाले प्रभाव का भी मूल्यांकन किया जा सके।

वित्तीय क्षेत्र में अति महत्त्वपूर्ण मूलभूत सुविधा पर कार्यकारी दल

2.123 अति महत्त्वपूर्ण कम्प्यूटर संबंधी मूलभूत सामग्री की सुरक्षा के लिए आयोजना उपलब्ध रखने के प्रयास के एक भाग के रूप में एक कार्यकारी दल (अध्यक्ष : श्री आर. गांधी) ने विभिन्न मामलों का विश्लेषण किया और सरकार द्वारा अति महत्त्वपूर्ण सूचना प्रणाली सुरक्षा पर गठित कार्यकारी दल के एक भाग के रूप में अपनी रिपोर्ट

बाक्स II.11 : प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण भुगतान प्रणालियों के महत्त्वपूर्ण सिद्धांतों के अनुपालन की स्थिति

सिद्धांत	टिप्पणी
1. प्रणाली के लिए सभी संबंधित क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत सुस्थापित कानूनी आधार होना चाहिए।	वर्तमान आस्थगित निवल निपटान की सभी प्रणालियां सहभागी बैंकों और समाशोधन गृह के प्रबंधक के बीच के संविदागत समझौते पर आधारित हैं।
2. प्रणाली के नियमों और क्रियाविधियों से सहभागियों को उनके द्वारा उठाये जानेवाले हरेक वित्तीय जोखिम पर प्रणाली के प्रभाव की स्पष्ट समझ होनी चाहिए।	समाशोधन के लिए नियम और क्रियाविधियां एक समान नियम और विनियमावली के मॉडल के रूप में विद्यमान हैं और उन्हें सभी समाशोधन गृहों ने अपनाया है। इसमें सभी सहभागियों के कर्तव्य और उत्तरदायित्वों को स्पष्ट किया गया है। ईसीएस - क्रेडिट और डेबिट, और ईएफटी जैसी इलेक्ट्रानिकी पर आधारित प्रणालियों के लिए क्रियाविधिगत दिशा-निर्देशों में संबंधित प्रणालियों के सभी सहभागियों के अधिकार और बाध्यताओं को स्पष्ट रूप में परिभाषित किया गया है।
3. प्रणाली में ऋण जोखिम और चलनधि जोखिम के प्रबंध संबंधी क्रियाविधियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।	ऐसे जोखिमों के कारण उत्पन्न होनेवाली किसी भी स्थिति का प्रबंध करने के लिए सुनिर्धारित क्रियाविधियां विद्यमान हैं। एक समान नियम और विनियमावली मॉडल के नियम 11 में आंशिक रुप से जारी रखने की सुविधा है। चूक करनेवाले बैंक पर आहरित सभी लिखतों को वापस लेकर समाशोधन किया जाता है क्योंकि वह समाशोधन में भाग नहीं लेता है फिर भी इससे जोखिम निर्माण भी नहीं होता।
4. प्रणाली में लेनदेन के दिन ही त्वरित अंतिम निपटान अधिमानतः, दिन के दौरान या कम से कम दिन के अंत में करने की व्यवस्था होनी चाहिए।	देश के मुख्य केन्द्रों के समाशोधन जो समाशोधन मूल्य के 85 प्रतिशत से अधिक होता है, में समाशोधन निपटान का हिसाब उसी दिन होता है। प्रणाली में यह सुनिश्चित किया जाता है कि अलग-अलग समय पर और अधिकतम दिन के अंत में निपटान किया जा रहा है। इसमें सुपुर्दगी बनाम भुगतान लेनदेन (सरकारी प्रतिभूतियां), अंतर बैंक समाशोधन और अधिक मूल्य का समाशोधन भी शामिल है। कम मूल्य के माइक्र समाशोधन के मामले में अदत्त चेक के लिए 'वापसी समाशोधन' तथा साथ ही अदाकर्ता बैंक शाखा के लिए भुगतान लिखत का प्रत्यक्ष रूप से सत्यापन करने की सांविधिक आवश्यकता के लिए अंतिम निपटान के लिए अधिक समय अर्थात दिन के अंत तक का समय लगता है।
5. जिस प्रणाली में बहुपक्षीय नेटिंग होता है उसमें यदि सहभागी बड़ी एकल निपटान बाध्यता निपटा नहीं सकते तो कम से कम दैनिक निपटान समय पर पूर्ण करने को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।	निपटान जोखिम का समाधान आंशिक रूप से जारी रखने की प्रणाली द्वारा किया जाता है। आज तक सभी प्रणालीबद्ध महत्त्वपूर्ण भुगतान प्रणालियों में दैनिक आधार पर निपटान में असफलता का एक भी उदाहरण नहीं है।
6. जहां निपटान आस्तियों के प्रयोग से होता है वहां अधिमानतः केन्द्रीय बैंक पर दावा होना चाहिए और जहां अन्य आस्तियों का प्रयोग होता है वहां उन पर अत्यंत कम या कम ऋण जोखिम होना चाहिए।	अंतिम निपटान मुख्य केन्द्रों में रिज़र्व बैंक की बहियों में होता है और अन्य केन्द्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (मुख्यतः भारतीय स्टेट बैंक) की बहियों में होता है।
7. प्रणाली में अति-सुरक्षा और परिचालनात्मक विश्वसनीयता सुनिश्चित होनी चाहिए और दैनिक प्रोसेसिंग को समय पर पूर्ण करने के लिए अनुषंगी व्यवस्थाएं होनी चाहिए।	चेक समाशोधन के लिए अधुनातन चेक प्रोसेसिंग प्रणाली; प्रणालीबद्ध महत्त्वपूर्ण प्रणालियों के लिए अन्य निपटान सख्त रूप में होने, विश्वसनीय और सुरक्षित कम्प्यूटर प्रणालियों के होने पर ही अति-सुरक्षा और विश्वसनीयता प्राप्त की जा सकती है।
8. प्रणाली में भुगतान करने के लिए ऐसे साधन होने चाहिए जो उसके प्रयोगकर्ता के लिए व्यवहार्य और अर्थव्यवस्था के लिए प्रभावशील हो।	वर्तमान प्रणालियों का स्वरूप उनके कई वर्ष लागू रहने के परिणामस्वरूप बना हुआ है और इसलिए वे सहभागियों की आवश्यकताओं तथा समग्र रूप में अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अनुकूल हैं। भुगतान प्रणाली के निरीक्षक के रूप में रिज़र्व बैंक ने नवीनतम प्रौद्योगिकी अपनाने और क्रियाविधियों में परिवर्तन लाने से प्रणाली की प्रभावशालीता को बढ़ाने के लिए कई उपाय शुरू किये है।
9. प्रणाली में सहभागिता के लिए वस्तुनिष्ठ और सार्वजनिक प्रकटीकरण संबंधी मानदंड होना चाहिए जिससे यथोचित और मुक्त पहुंच हो सके।	समाशोधन गृह के सदस्य बनने के लिए निर्धारित पहुंच संबंधी मानदंड सुस्पष्ट हैं और उन्हें व्यक्त किया गया है। इसके ग्राहक वे बैंक होंगे जो कतिपय अन्य न्यूनतम मानदंड की पूर्ति करते हैं (डाक घरों के मामले में लागू नहीं)। प्राथमिक व्यापारियों और म्युचुअल फंड जैसे अन्य सदस्यों के लिए केन्द्रीय बैंक द्वारा पात्रता संबंधी सुस्पष्ट नियम निर्धारित किये गये हैं। समाशोधन गृहों के लिए एकसमान नियम और विनियमावली माडल में समाशोधनगृह से ऐसे सदस्य के विधिपूर्वक निष्कासन के लिए व्यवस्था है यदि उनके सदस्य बने रहने से प्रणाली के निर्बाध संचालन में अस्त-व्यस्तता/ जोखिम का खतरा हो।
10. संचालन संबंधी व्यवस्थाएं प्रभावी रूप से जवाबदेही और पारदर्शी होनी चाहिए।	समाशोधनगृह सदस्य बैंकों का एसोसिएशन है जो एक समान नियम विनियमावली के नियंत्रण में होते हैं। इसके दैनिक संचालन के लिए स्थायी समिति होती है और आम सभा में सदस्यों द्वारा सभी मुख्य निर्णयों पर चर्चा की जाती है और उन्हें अनुमोदित किया जाता है। समाशोधन गृह द्वारा नियंत्रित बैंक के साथ संविदा करनवेाले सदस्य के संबंध में कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है।

सरकार को प्रस्तुत की। इस दल ने बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की आवश्यकताओं के भाग के रूप में अति महत्त्वपूर्ण बुनियादी सुविधा स्वरुप सिस्टमों के प्रकारों का उल्लेख किया है।

बैंकिंग में प्रौद्योगिकी संबंधी गतिविधियां

2.124 कई बैंकों ने स्थायी बैंकिंग समाधान बना लेने की प्रक्रिया शुरू की है और यह प्रक्रिया कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर है। जहां नये निजी बैंकों, विदेशी बैंकों और निजी क्षेत्र के कुछ पुराने बैंकों ने ऐसी प्रणालियां पहले से ही शुरू कर दी हैं वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस आवश्यकता की संपूर्ति करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बैंकों के कारोबार के कम्प्यूटरीकरण को अधिक महत्त्व प्राप्त हो रहा है। जहां, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों ने पहले से ही अपने कारोबार के 70 प्रतिशत कम्प्यूटरीकरण के स्तर को पार किया है, वहीं केन्द्रीय सतर्कता आयोग के शत-प्रतिशत कम्प्यूटरीकरण की प्राप्ति की सलाह से इन बैंकों में इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए होड़-सी मची हुई है।

2.125 बैंकों में नेटवर्किंग भी एक ऐसी महत्त्वपूर्ण गतिविधि है जिस पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। भारतीय वित्तीय नेटवर्क (इन्फिनेट) का एक भाग 'वेरी स्माल अपर्चर टर्मिनलों' की संख्या जो मार्च 2002 के अंत से 924 बढ़कर जून 2003 के अंत में 2000 से भी अधिक हो गयी। वर्ष के दौरान प्रमाणीकरण प्राधिकारी के रूप में बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान को अधिसूचित करने और विभिन्न बैंकों में पंजीकरण प्राधिकारियों की स्थापना के साथ डिजिटल हस्ताक्षरों और पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर आधारित एनक्रिप्शन का प्रयोग करते हुए सुरक्षित इलेक्ट्रानिक संदेश के आदान प्रदान किये जा सकेंगे।

बैंकों की सूचना प्रौद्योगिकी नीति और कारोबारी नीति का एकीकरण

2.126 विश्व बैंक ने छः सहभागी बैंकों (पीबीएस) की वित्तीय क्षेत्र विकास परियोजना के अंतर्गत 1995 में 83.7 मिलियन अमरीकी डालर का आधुनिकीकरण और संस्थागत विकास ऋण मंजूर किया। वित्तीय सहायता देने में निहित उद्देश्य यह है कि सहभागी बैंकों की वित्तीय मजबूती बनाने और अधिक उदारीकृत कारोबार एवं बैंकिंग परिवेश में दीर्घावधि की प्रतिस्पर्धा बनाये रखने के लिए मदद करना।

2.127 विश्व बैंक समीक्षा दल ने फरवरी 2001 में अपने दौरे के समय यह पाया कि सहभागी बैंकों के कम्प्यूटरीकरण के प्रयास बही खाते (बुक-कीपिंग) और समाधान के क्षेत्र में अधिक रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी मूलभूत सुविधा कारोबार और ग्राहक की आवश्यकताओं के बजाय प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित होते हुए पायी गयी। कम्प्यूटरीकरण के प्रभाव की विशेषता "हार्डवेयर" स्थापित करने पर ध्यान केन्द्रित करने की रही और उत्पादकता में वह पूर्णतः प्रतिबिंबित नहीं हुई। उन्होंने यह भी पाया कि नेटवर्किंग में हुई प्रगति संतोषजनक नहीं है। सहभागी बैंकों की कारोबारी नीति के साथ सूचना प्रौद्योगिकी नीतियों के एकीकरण का अभाव था। इसका परिणाम यह हुआ कि जहां उचित मूलभूत सुविधा स्थापित हुई थी वहां भी ग्राहकों ने अपनी वर्तमान आवश्यकताओं के लिए उनका प्रयोग नहीं किया और इसलिए बैंकों को इसके परिणामात्मक लाभ नहीं मिले। विश्व बैंक ने सुझाव दिया कि रिज़र्व बैंक बैंकों को अपनी सूचना प्रौद्योगिकी नीति के साथ कारोबारी नीति का एकीकरण करने में सहायता करने के लिए अग्रणी भूमिका ले सकता है और बैंकों को दिशा-निर्देश जारी कर सकता है। अतः यह निर्णय लिया गया कि सूचना प्रोद्योगिकी नीति के साथ बैंकों की नीतिगत कारोबारी योजनाओं के एकीकरण का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान की सेवाएं ली जाएं। इस अध्ययन का उद्देश्य छः सहभागी बैंकों के कार्यनिष्पादन का विश्लेषण करना नहीं बल्कि इन बैंकों को वृत्त अध्ययन के रूप में मानना है। राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान ने 30 मई 2003 को इस विषय पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भेज दी है और बैंकों को यथोचित दिशा-निर्देश जारी करने के लिए उस पर विचार किया जा रहा है।

11. अन्य गतिविधियां

चेकों के लिए तत्काल जमा देना

2.128 भारतीय बैंक संघ की सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि बाहरी / स्थानीय चेकों का तत्काल जमा देने संबंधी वर्तमान सीमा 7,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी जाए जो कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विद्यमान दिशा-निर्देशों की शर्त पर होगी। उक्त दिशा-निर्देशों मुख्यतः इस प्रयोजन के लिए न्यूनतम शेष राशि की कोई शर्त रखे बिना सभी व्यक्तिगत जमाकर्ताओं को ऐसी सुविधा देने, ग्राहक के खाते की उचित परिचालन स्थिति, बिना भुगतान किये चेक लौटा दिये जाने की स्थिति में जितनी अवधि तक बैंक निधियां रहित स्थिति में रहता है उसके लिए ब्याज लगाने और शाखाओं में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध होने का प्रचार करने से संबंधित हैं।

बचत बैंक खाते

2.129 बैंकों को सूचित किया गया कि वे ग्राहकों को बचत बैंक खाता खोलने के समय न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता सूचित करें और इस संबंध में बाद में होनेवाले कोई परिवर्तन भी खाताधारियों को सूचित करें जो जैसा वे उचित समझे उतना पारदर्शी स्वरूप में हो।

2.130 इस मामले की समीक्षा किये जाने पर बैंकों को राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों / योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जारी अनुदान / सहायता के संबंध में राज्य सरकारी विभागों / निकायों/ एजेंसियों के नाम में एक बचत बैंक खाता खोलने की अनुमति दी गयी है जो संबंधित सरकारी विभागों से इस बात को प्रमाणित करते हुए कि उस सरकारी विभाग या निकाय को बचत बैंक खाता खोलने की अनुमति दी गयी है, एक प्राधिकार-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर किया जाए। इस संबंध में बैंकों को दिसंबर 2002 में एक संशोधित निदेश जारी किया गया है।

चेक भुनाया न जाना - क्रियाविधि को सरल बनाना

2.131 बैंकों को 28 जनवरी 1992 को न भुनाये गये चेक ग्राहकों को 24 घंटों के भीतर लौटाने / भेजने के संबंध में गोइपोरिया समिति की सिफ़ारिशें कार्यान्वित करने के बारे में सूचित किया गया। तथापि, शेयर बाजार घोटाले तथा उससे संबंधित मामलों पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की सिफ़ारिशों के परिप्रेक्ष्य में सभी न भुनाये गये चेकों से संबंधित वर्तमान अनुदेशों की समीक्षा की जा रही है। यह सुझाव दिया गया कि धन के अभाव के कारण भुनाये न गये लिखतों के संबंध में वर्तमान अनुदेशों के अतिरिक्त बैंक 26 जून 2003 के परिपत्र में दिये गये अतिरिक्त अनुदेशों का पालन करें जिनमें अपर्याप्त निधि के कारण भुनाये न जानेवाले सभी चेक और न कि केवल शेयर बाजार के निपटान लेनदेन से संबंधित ही चेक, शामिल हैं। इन अनुदेशों में अन्य बातों के साथ - साथ भुनाये न गये चेकों को लौटाने / भेजने, ऐसे चेकों के संबंध में बैंकों की एमआइएस और बार-बार चेक न भुनाये जाने के मामलों पर कार्रवाई संबंधी क्रियाविधि शामिल है।

2.132 बैंकों को अपने संबंधित बोर्डों के अनुमोदन से भुनाये न गये चेको पर अन्तर्निहित निवारक उपायों के साथ उचित क्रियावधि अपनाने, अपने अधिकारियों और स्टाफ के लिए आवश्यक आंतरिक मार्गदर्शी सिद्धान्त बना लेने के लिए भी सूचित किया गया।

टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज वित्त योजना

2.133 बैंकों को सूचित किया गया कि वे टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के लिए दिये जानेवाले ऋणों पर ऋण की राशि की मात्रा पर ध्यान दिये बिना उनकी पूर्व उधार दर के संदर्भ में ब्याज लगायें। यह देखा गया कि कुछ बैंक उधारकर्ताओं को उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माताओं / व्यापारियों से मिलनेवाले बट्टे को समायोजित करते हुए उधारकर्ताओं को दिये जानेवाले टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु अग्रिमों पर निम्न / शून्य प्रतिशत ब्याज दरें देते थे। कुछ बैंक भिन्न भिन्न समाचार-पत्रों और मिडिया में विज्ञापन देते हुए ऐसी योजनाएं चलाते थे जिसमें यह उल्लेख होता है कि वे ऐसी योजनाओं के अधीन उपभोक्ताओं को वित्त देते हैं। चूंकि ऐसी ऋण योजनाओं के परिचालन में पारदर्शिता नहीं होती है और इससे ऋण उत्पादों की मूल्यन व्यवस्था को क्षति पहुंचती है, इसलिए बैंकों को ऐसी बातों से दूर रहने के लिए सूचित किया गया।

भारतीय संयुक्त उद्यमों / विदेश में पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक संस्थाओं को ऋण सुविधाएं

2.134 वर्तमान विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमावली में प्राधिकृत व्यापारियों को उनके संबंधित बोर्डों द्वारा अनुमोदित सीमा तक विदेशी बाजारों में निवेश कारोबार चलाने की अनुमति है। उपर्युक्त को देखते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को निर्दिष्ट शर्तों के अधीन भारतीय संयुक्त उद्यमों / विदेश में पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक संस्थाओं को ऋण / ऋणेतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए उनकी अक्षत टीयर - I पूंजी के 5 प्रतिशत की वर्तमान उच्चतम सीमा संशोधित कर अक्षत पूंजी निधि (टीयर I और टीयर II पूंजी) का 10 प्रतिशत कर दिया जाए। विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमा (एफ सी एन आर (बी)), विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) और निवासी विदेशी मुद्रा (आरएफसी) खातों में धारित निधियों के विनियोजन के लिए अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध कराने के लिए बैंकों को इस सुविधा की अनुमति दी गयी है। इसकी स्थिति की समीक्षा एक वर्ष बाद की जायेगी।

अपने ग्राहक को जानिये '- जमाकर्ताओं की पहचान

2.135 'अपने ग्राहक को जानिये' सिद्धान्त के एक भाग के रूप में रिज़र्व बैंक ने जमाकर्ताओं की पहचान के संबंध में कई दिशा-निर्देश जारी किये हैं और बैंकों को सूचित किया है कि वे वित्तीय धोखाधड़ियों को नियंत्रित करने, काले धन को वैध बनाने के कार्यों और संशयास्पद कार्यों की पहचान करने और भारी मूल्य के नकदी लेनदेनों की संवीक्षा/ निगरानी के लिए प्रणालियां और क्रियाविधियां बनायें। उन्हें समय समय पर यह भी सूचित किया गया है कि वे धोखाधड़ी की तैयारी के लिए बैंकिंग तंत्र के दुरूपयोग न होने देने की दृष्टि से नये ग्राहकों के खाते खोलते समय सतर्क रहें। हाल की गतिविधियों, देशी और विदेशी दोनों ही, को देखते हुए 'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड और नकदी लेनदेनों संबंधी वर्तमान अनुदेशों को दोहराने, पुख्ता बनाने और समेकित करने का निर्णय लिया गया ताकि आपराधिक गतिविधि (जमा और उधारकर्ता दोनों ही खातों के संबंध में) से प्राप्त निधियों के अंतरण या जमा के लिए या आतंकवाद का वित्तपोषण करने के लिए बैंकों का अज्ञानता से उपयोग किया जाना रोका जाए।

भारत सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के लिए बैंक वित्त

2.136 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश का देश की आर्थिक सुधार प्रक्रिया के साथ संबंध है और बोलीकर्ताओं को विनिवेश कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने में बैंक वित्त की उपलब्धता से मदद मिलेगी। अतः बैंकों को भारत सरकार के विनिवेश कार्यक्रम के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों के अधिग्रहण के लिए सफल बोलीकर्ताओं को वित्त प्रदान करने की अनुमति दी गयी थी। तथापि, प्रारंभ में यह निर्दिष्ट किया गया कि बैंक के पास बंधक रखे गये शेयर बिना अवरूद्ध अवधि के बाजार में विक्रेय होने चाहिए। इन निर्देशनों को बाद में बैंकों को विनिवेश कंपनी के सफल बोलीकर्ताओं द्वारा अधिग्रहित / अधिग्रहित किये जानेवाले शेयरों पर अवरुद्ध अवधि / या अन्य ऐसे प्रतिबंधों जिनसे कि उनकी तरलता प्रभावित हो जाती है, की शर्त पर होने पर भी सफल बोलीकर्ताओं को वित्त प्रदान करने की अनुमति देते हुए उदार बनाया गया बशर्ते वे कतिपय शर्तें पूरी करते हों।

2.137 बैंकों को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के दूसरी कंपनियों में निवेश और अंतर-कंपनी ऋणों / अन्य कंपनियों को / में जमाराशियां देने / रखने के संबंध में वित्तपोषण करने से प्रतिबाधित किया गया है। इस स्थिति की समीक्षा की गयी और बैंकों को सूचित किया गया कि विशेष प्रयोजन के साधन (एसपीवी) जो कि कतिपय शर्तें पूरी करते हैं, को निवेश कंपनियों के रूप में नहीं माना जाना है और इसलिए उन्हें गैर-बैंकिंग कंपनियों के रूप में नहीं माना जायेगा और इस प्रकार 'विशेष प्रयोजन के साधन' भारत सरकार द्वारा किये जानेवाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के लिए बैंक वित्त के पात्र होंगे।

12. संयुक्त संसदीय समिति की सिफ़ारिशों का कार्यान्वयन

2.138 संसद ने 27 अप्रैल 2001 को शेयर बाजार घोटाला और उससे संबंधित मामलों के संबंध में एक संयुक्त समिति (अध्यक्षः श्री पी.एम. त्रिपाठी) गठित की, जिसके सदस्य संसद सदस्य थे । संयुक्त संसदीय समिति के विचारार्थ निम्नलिखित विषय थेः

- सभी लेनदेनों की विविध शाखाओं में पायी गयी अनियमितताओं और हेरफेर का अभ्यास करना जिसमें शेयरों और अन्य वित्तीय लिखतों से संबंधित अंतरंगी व्यापार और बैंकों, दलालों और प्रवर्तकों, शेयर बाजारों, वित्तीय संस्थाओं, कंपनी संस्थाओं और विनियामक प्राधिकारियों की भूमिका शामिल है;
- ऐसे लेनदेनों के संबंध में व्यक्तियों, संस्थाओं या प्राधिकारियों का दायित्व निर्धारित करना;
- नियंत्रण और पर्यवेक्षी तंत्र में यदि कोई दुरूपयोग हो और असफलता / अपर्याप्तता हो तो उसकी पहचान करना ;
- ऐसी असफलता की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों और तंत्र में सुधारों की सिफ़ारिश करना;
- छोटे निवेशकर्ताओं की रक्षा के लिए उपाय सुझाना; और
- विनियमों का उल्लंघन करनेवाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर उपाय सुझाना।

2.139 विभिन्न एजेंसियों और अन्यों के साथ चर्चाओं के कई दौर के बाद समिति ने 19 दिसंबर 2002 को संसद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। संयुक्त संसदीय समिति ने कुल मिलाकर 275 निष्कर्ष / सिफ़ारिशें की हैं; जिनमें से एक तिहाई अंश रिज़र्व बैंक से संबंधित था। इन निष्कर्षों / अनियमितताओं में मुख्य रूप से कुछ वाणिज्य / सहकारी बैंकों द्वारा कतिपय शेयर दलालों के साथ मिलकर बैंकिंग लेनदेनों के संबंध में रिज़र्व बैंक के मानदंड / मार्गदर्शी सिद्धान्तों के उल्लंघन, निरीक्षण रिपोर्टों के अनुपालन में शिथिलता, उधारकर्ताओं द्वारा निधियों को दूसरे कार्य में लगाने, घोटाले को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न विनियामकों की ओर से समन्वयन, प्रभावी निगरानी / शीघ्र कार्रवाई के अभाव आदि के संबंध में चिंता व्यक्त की गयी है। समिति ने अन्य बातों के साथ साथ बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों के पर्यवेक्षण / निगरानी को और पुख्ता बनाने; पर्यवेक्षण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कानूनी सुधार करने, घोटाले से संबंधित लेनदेनों में लगे अधिकारियों / उधारकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई, विनियामकों द्वारा समेकित रूप से पूर्वानुमान एवं 'पहले से अधिकृत' कार्य करने, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जमाकर्ताओं को बीमा रक्षा देने और बैंकों में कंपनी नियंत्रण की सिफ़ारिश की है।

2.140 शेयर बाजार घोटाले और उससे संबंधित मामलों संबंधी संक्रमण अवस्था में हुई कतिपय अनियमितताएं तत्काल आधार पर दूर करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति की सिफ़ारिश के कार्यान्वयन का कार्य हाथ में लिया गया है (बाक्स II.12)।

बाक्स II.12 : शेयर बाजार घोटाला और उससे संबंधित मामलों पर संयुक्त संसदीय समिति की सिफ़ारिशों के संबंध में प्रगति रिपोर्ट

रिज़र्व बैंक ने संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के संबंध में निम्नलिखित प्रमुख उपाय किये है :

क) शहरी सहकारी बैंक

i) शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे एक वरिष्ठ अधिकारी को अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित करें जो निरीक्षण रिपोर्ट में सूचित टिप्पणियों संबंधी अनुपालन रिज़र्व बैंक को निर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

ii) शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे शहरी सहकारी बैंकों के निरीक्षण के महत्वपूर्ण निष्कर्ष संबंधित राज्य के मुख्य सचिव को भेज दें।

iii) सभी शहरी सहकारी बैंकों के लिए समवर्ती लेखा-परीक्षा लागू कर दी गयी।

iv) शहरी सहकारी बैंकों को अनुदेश दिये गये हैं कि लेखा-परीक्षा समिति के लिए रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखना अनिवार्य बना दिया जाए।

v) शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि उन्हें निरीक्षण के दौरान सूचित कमियों / अनियमितताओं को निरीक्षण की तारीख से चार महीनों की अधिकतम अवधि के भीतर हर मामले में विशिष्ट अनुपालन देने के लिए सभी संदर्भों में दूर कर लेना चाहिए।

vi) शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे बैंकों में नियंत्रण मानकों में सुधार लाने की दृष्टि से बैंकिंग और संबंधित क्षेत्रों के अनुभवी दो व्यावसायिक निदेशकों को विनियुक्त कर लें।

vii) रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों की अप्रत्यक्ष निगरानी (आफ साइट सर्विलियन्स) को पुख्ता बनाने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया है। इस उद्देश्य से पूर्व चेतावनी संकेत पाने के लिए रिज़र्व बैंक में एक अप्रत्यक्ष (ऑफ साइट सर्विलियन्स) निगरानी प्रभाग स्थापित किया गया हैं जिससे तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने में सुविधा होगी।

viii) रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों में प्रबंध सूचना प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान (एन आइ बी एम), पुणे जैसी बाहरी प्रशिक्षण संस्थाओं के सहयोग से एक तकनीकी सहायता कार्यक्रम (टीएपी) प्रारंभ किया है ताकि शहरी सहकारी बैंकों के लिए निर्णय लेने और विनियामक अनुपालन के लिए समर्थन प्रदान करनेवाली एक प्रबंध सूचना प्रणाली सुनिश्चित हो सके।

ix) जून 2002 से अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक आस्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली लागू की गयी है जिसके अधीन शहरी सहकारी बैंकों से अपने आस्ति-देयता असंतुलनों का स्वीकार्य वहनीय स्तर तक प्रबंधन करा लेना अपेक्षित है।

x) रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को सभी शहरी सहकारी बैंकों के ऋण जमा अनुपात पर निगरानी रखने के लिए सूचित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रारक्षित नकदी निधि और चल आस्तियाँ बनायी रखने संबंधी संवैधानिक अपेक्षाओं का उल्लंघन करते हुए उच्च स्तरीय ऋण-जमा अनुपात प्राप्त न किये जाऐ।

xi) निदेशकों और उनके संबंधियों के हितवाले प्रतिष्ठानों (संस्थाओं) को ऋण और अग्रिम देने पर पाबंदी लगाने के संबंध में शहरी सहकारी बैंकों को अनुदेश जारी किये गये हैं।

ख) वाणिज्य बैंक

i) बैंकों को उनके सामने आनेवाली विभिन्न जोखिमों की पहचान, उपाय, निगरानी और नियंत्रण करने के लिए एक उचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने के लिए तथा अपने बोर्डों को जोखिम प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता और रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुपालन की स्थिति से अवगत कराने के लिए सूचित किया गया है।

ii) जोखिम प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता का बैंक के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के दौरान मुख्य रूप से निरीक्षण किया जायेगा।

iii) लेखाकरण मानकों के एकसमान अनुपालन के लिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये हैं।

iv) रिज़र्व बैंक द्वारा अपने 11 मई 2001 के परिपत्र में निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर पूंजी बाजार जोखिम सीमा संबंधी निर्धारित प्रणाली और जोखिम नियंत्रण क्रियाविधियां अपनायी जाने की बात दोहरायी गयी है।

v) भुनाये न जानेवाले चेकों के संबंध में बैंकों द्वारा अपनायी जानेवाली क्रियाविधियों के संबंध में विस्तृत अनुदेश जारी किये गये हैं।

ग) विदेशी कंपनी निकाय (ओसीबी)

i) विदेशी कंपनी निकायों द्वारा निवेश संविभाग योजना के अधीन निवेशों पर 29 नवंबर 2001 से पाबंदी लगायी गयी। बाद में 16 सितंबर 2003 से विदेशी कंपनी निकायों को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के अधीन नये निवेश (स्वतः (आटोमेटिक) मार्गवालों सहित) करने तथा वर्तमान विदेशी मुद्रा विनियमावली के अधीन अनिवासियों को उपलब्ध विभिन्न माध्यमों / योजनाओं के अधीन अन्य निवेशों / जमाराशियों / ऋणों में निवेश करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। साथ ही, विदेशी कंपनी निकायों द्वारा भारत में नये अनिवासी (विदेशी) खाते (एनआरई) (बचत, चालू, आवर्ती या सावधि), विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाते (बैंक) [एफसीएनआर (बी)] और अनिवासी सामान्य (एनआरओ) खाते खोलने और रखने की सुविधा समाप्त हो गयी है।

ii) बैंकों से अनिवासी भारतीयों / विदेशी कंपनी निकाय (विदेशी कंपनी निकायों के मामले में केवल बिक्री) के संबंध में बिक्री / खरीद संबंधी सांख्यिकी प्राप्त करने के लिए एक फ्लापी आधारित प्रणाली लागू की गयी है। उक्त आंकड़े ई-मेल द्वारा प्राप्त करने के लिए एक सॉफ्टवेयर इस बीच विकसित किया गया है। विदेशी संस्थागत निवेशकों के संबंध में भी जहां आंकड़ों का संग्रहण फ्लापी आधारित होता है, आंकड़े ई-मेल के जरिए प्राप्त कर सकनें के लिए इस क्रियाविधि को परिवर्तित करने का प्रस्ताव है और संशोधित क्रियाविधि शीघ्र ही लागू किये जाने की आशा है। एक बार एकीकृत विदेशी मुद्रा प्रबंधन प्रणाली (आइएफएमएस) की सुविधाप्राप्त वेब आधारित सूचना देना कार्यान्वित हो जाने पर निगरानी की प्रक्रिया में और सुधार आयेगा।

घ) अन्य उपाय

i) रिज़र्व बैंक ने प्रणालीगत क्षेत्रों के मामले में विभिन्न कार्यकारी दल गठित किये हैं यथा दुर्भावपूर्ण प्रयोजन से निधियों को अपवर्तित करने वाले उधारकर्ताओं के विरुद्ध दण्ड-स्वरूप उपाय और दांडिक कार्रवाई, बैंकों का कार्य हाथ में लेने / विलयन संबंधी प्रायोगिक नीति विवरण तैयार करना, वित्तीय बाजारों के विनियमन से संबंधित कानूनों में विद्यमान अड़चनों की पहचान करना, शहरी सहकारी बैंकों पर पर्यवेक्षण की वर्तमान प्रणाली की जांच आदि। उनकी सिफ़ारिशों की जांच की जा रही है / उन्हें अंतिम रुप दिया जा रहा है।

ii) रिज़र्व बैंक ने गलत विवरणियों, रिज़र्व बैंक अनुदेशों / निदेशों का अनुपालन न करने और नामिती निदेशक की भूमिका के संबंध में दण्डस्वरूप प्रावधान बढ़ाने जैसे क्षेत्रों में बैंककारी विनियम अधिनियम से संबंधित संशोधन भारत सरकार को भेज दिये हैं।

अध्याय III

वाणिज्यिक बैंकिंग की गतिविधियां

3.1 औद्योगिक गतिविधि की बहाली ने वर्ष 2002-03 में वाणिज्यिक बैंकों के परिचालनगत व्यापक आर्थिक परिवेश में एक उल्लेखनीय बदलाव ला दिया। निरंतर मजबूत पूंजी के आगम के साथ वर्ष के दौरान खाद्येतर ऋण के उठाव में बहाली आयी। वाणिज्यिक बैंक उद्योग से इस बढ़ी हुई मांग को अपने देशी और विदेशी दोनों प्रकार केनिवेशों की संचित स्थिति में कोई बाधा डाले बिना, पूरा करने में सफल रहे, इस संचित स्थिति को उन्होंने पिछले वर्ष के दौरान अल्प ऋण उठाव के कारण बनाया था। इस प्रकार इस वर्ष के दौरान उनके कार्य निष्पादन ने गिरती ब्याज दर प्रणाली और ऋण की मांग की बहाली के मिश्रण को दर्शाया। सहज चलनिधि की स्थितियां सशक्त पूंजी आगम से 2003-04 की प्रथम छमाही में बनी रहीं।

3.2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर, वाणिज्यिक बैंकों के निवल लाभ ने पिछले वर्ष की जबरदस्त निष्पादन के और ऊपर 2002-03 के दौरान भारी वृद्धि दर्ज करना जारी रखा। आस्तियों पर प्रतिलाभ ने सभी प्रमुख आय श्रेणियों में बढ़ोत्तरी (वृद्धि) द्वारा लाये गये एक उल्लेखनीय सुधार को दर्शाया। खुदरा तथा आवासीय घटकों में आयी तेजी के कारण उधार तथा शुल्कगत आय दोनों में वृद्धि हुई । व्यापारगत आय मजबूत बनी रही जो सरकारी प्रतिभूति बाजारों में तेजी के अनुरूप थी जिससे नरम ब्याज दर प्रणाली झलकती है। जमा दरों में गिरावट के साथ ब्याज-व्यय में भी तेजी से कमी आयी (सारणी III.1)।

3.3 बैंकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उत्तम प्रथाओं के अनुरूप अपनी जोखिम प्रबंध प्रक्रिया को उन्नत करने के लिए सक्रिय प्रयास किये जा रहे हैं। प्रतिस्पर्धा के बदलते रूप के साथ-साथ बैंकों ने भी अपनी कारोबार प्रथाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए सार्थक पहलें की हैं। इसमें ग्राहकों को मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की बढ़ती हुई शक्ति और उन्नत-उत्पाद भी शामिल हैं। इसके अलावा ऋण, बाजार और परिचालनात्मक जोखिमों पर निगरानी करने के लिए एकीकृत जोखिम प्रबंधन, विशेषीकृत आस्ति वसूली प्रबंध शाखाओं के गठन के साथ-साथ वसूली प्रबंधन पर ध्यान एकाग्र करने और कंपनी सचालन की प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।

2. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आस्तियां और देयताएं[1]

3.4 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के तुलनपत्र के आकार ने 2002-03 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में धीमी वृद्धि दर्ज की जिसमें विलय के प्रभावों को भी समायोजित किया गया है, तथापि विदेशी और नये निजी बैंकों को छोड़कर सभी बैंक समूहों ने दो अंकीय आस्ति-वृद्धि दर्ज की है (सारणी III.2)

3.5 किसी अर्थव्यवस्था में बैंक की आस्तियों का आकार, उसकी वित्तीय परिपक्वता का एक मापक है। सकल देशी उत्पाद के संबंध में

सारणी III.1 : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के आय-व्यय की स्थिति में परिवर्तन

(राशि करोड़ रुपये में)

संकेतक	2001-02		2002-03	
	समग्र राशि	प्रतिशत	समग्र राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. आय (क+ख)	**18,956**	**14.3**	**21,342**	**14.1**
क) ब्याज आय	11,867	10.3	13,760	10.8
ख) अन्य आय	7,089	41.7	7,582	31.5
2. व्यय (क + ख + ग)	**13,783**	**11.0**	**15,841**	**11.4**
क) ब्याज व्यय	9,375	12.0	6,091	7.0
ख) परिचालन व्यय	-499	-1.5	4,406	13.1
ग) प्रावधान और आकस्मिकताएं	4,907	36.7	5,344	29.3
3. परिचालन लाभ	**10,080**	**51.0**	**10,845**	**36.3**
4. निवल लाभ	**5,173**	**80.8**	**5,501**	**47.5**

[1] अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आस्तियों और देयताओं को मुख्यतया बैंकों के मार्च के अंत के लेखा परीक्षित वार्षिक खातों के आधार पर विश्लेषित किया गया है।

सारणी III.2 : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के समेकित तुलनपत्र

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	मार्च 2002 के अंत में		मार्च 2003 के अंत में	
	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5
कुल देयताएं	**15,36,425**	**100.0**	**16,98,916**	**100.0**
1. पूंजी	21,472	1.4	21,594	1.3
2. प्रारक्षित निधियां और अधिशेष	62,684	4.1	76,288	4.5
3. जमाराशियां	12,05,930	78.5	13,55,880	79.8
3.1 मांग जमाराशि	1,52,929	10.0	1,64,590	9.7
3.2 बचत बैंक जमाराशि	2,55,598	16.6	3,02,303	17.8
3.3 मीयादी जमाराशि	7,97,403	51.9	8,88,987	52.3
4. उधार राशियां	1,02,226	6.6	87,476	5.1
5. अन्य देयताएं और प्रावधान	1,44,113	9.4	1,57,678	9.3
कुल आस्तियां	**15,36,425**	**100.0**	**16,98,916**	**100.0**
1. भारिबैंक के पास नकद और शेष राशि	86,761	5.7	86,118	5.1
2. बैंकों के पास शेष राशि और मांग और अल्पावधि सूचना पर जमाराशियां	1,18,576	7.7	74,554	4.4
3. निवेश	5,87,253	38.2	6,93,791	40.8
3.1 सरकारी प्रतिभूतियों में (क +ख)	4,31,796	28.1	5,36,381	31.6
क) भारत में	4,28,418	27.9	5,33,143	31.4
ख) विदेश में	3,378	0.2	3,238	0.2
3.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	21,753	1.4	19,276	1.1
3.3 गैर अनुमोदित प्रतिभूतियों में	1,33,704	8.7	1,38,134	8.1
4. ऋण और अग्रिम	6,45,438	42.0	7,40,473	43.6
4.1 खरीदे और भुनाये गये बिल	53,094	3.5	58,783	3.5
4.2 नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट *आदि*	3,22,199	21.0	3,51,519	20.7
4.3 मीयादी ऋण	2,70,145	17.6	3,30,171	19.4
5. अचल आस्तियां	20,091	1.3	20,278	1.2
6. अन्य आस्तियां	78,306	5.1	83,702	4.9

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र

बैंक आस्तियों के आकार का किसी अर्थव्यवस्था के वित्तीय विकास के स्वरूप के लिए महत्त्वपूर्ण आशय है। बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद के प्रति बैंक आस्तियों का अनुपात भारत के मामले में 69 प्रतिशत है जो एशिया और लैटिन अमरीका के विकासशील देशों से तुलनीय है, किंतु यह विकसित देशों से बहुत कम है (चार्ट III.1)

चार्ट III.1 :चुनिंदा देशों में स.दे.उ. के प्रति बैंक आस्तियां

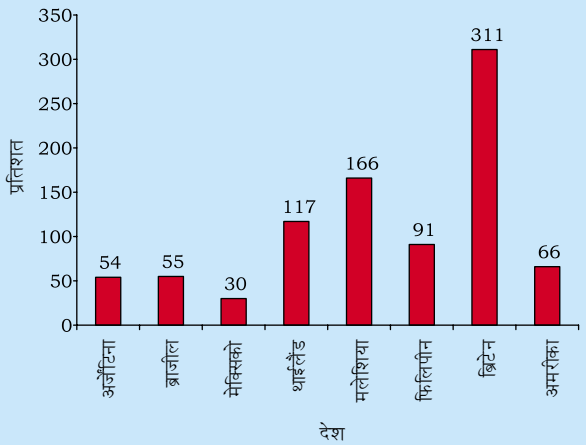

स्रोत : बर्थ, जे.जी. केपिनो अॅन्ड आर लेविन (2001)। विश्व के चारों ओर, बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण; विश्व बैंक, वाशिंग्टन डीसी

3.6 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के तुलनपत्र के संयोजन में होनेवाले बदलाव, सब मिलाकर, समष्टिगत अर्थव्यवस्था के परिवेश के परिवर्तन में झलकता है। जमाराशियां देयताओं की लगभग 4/5 भाग बनी रहीं। कुल आस्तियों में सरकारी प्रतिभूतियों का हिस्सा सरकारी प्रतिभूति बाजारों में तेजी के प्रतिसाद में ऊपर चढ़ता रहा। साथ ही कुल आस्तियों में बैंक ऋण के अंश ने भी औद्योगिक गतिविधि में उछाल के साथ वृद्धि दर्ज की। इसे मांग का वित्तपोषण मांग/मीयादी मुद्रा बाजारों में हुए विस्तार और सभी बैंक समूहों के संबंध में विदेशों में नास्ट्रो खातों से राशियों के आहरण से निधियन किया गया।

(परिशिष्ट सारणी III.1(अ) से III.1(इ)। हाल के वर्षों में लाभप्रदता में वृद्धि ने बैंकों की प्रारक्षित निधियों तथा अधिशेषों में रखे अंश को पिछले पांच वर्षों में रखे गये अंश से काफी बढ़ा दिया है।

बैंक समूह वार स्थिति

3.7 2002-03 के दौरान सभी बैंक समूहों के लिए मौटे तौर पर समग्र प्रवृत्तियां कम या ज्यादा की बनी रहीं। बेहतर निवेश के वातावरण को प्रतिबिंबित करते हुए अनेक वर्षों के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अग्रिम संविभाग बदल गये हैं। यही तथ्य पुराने निजी बैंकों के लिए भी सही था। नये निजी बैंकों ने मीयादी ऋणों में वृद्धि के साथ-साथ मीयादी जमाराशियों में भी वृद्धि दर्शायी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में कुल आस्तियों में विदेशी बैंकों का हिस्सा न्यून रहते हुए भी वे सरकारी प्रतिभूति बाजारों में सक्रिय बने रहे।

वर्ष के दौरान घटबढ़[2]

3.8 तुलनपत्रों में लेनदेनों की गति 2002-03 के दौरान जमाराशियां, ऋणों तथा निवेशों में सशक्त वृद्धि दर्शाती है (सारणी III.3) । वर्ष 2003-04 के दौरान अब तक जमाराशियों की वृद्धि संतुलित बनी रही है, जबकि ऋण की निकासी में गिरावट आयी है।

सारणी III.3 : चुनिंदा बैंकिंग संकेतक

(राशि करोड़ रुपये में)

संकेतक	21 मार्च 2003 को बकाया	वित्त वर्ष के दौरान प्रवाह (प्रतिशत)	
		2001-02	2002-03
1	2	3	4
1. समग्र जमाराशियां (क+ख)	12,80,853	14.6	16.1 (13.4)
क) मांग जमाराशियां	1,70,289	7.4	11.3
ख) मीयादी जमाराशियां	11,10,564	15.9	16.9 (13.7)
2. बैंक ऋण (क + ख)	7,29,215	15.3	23.7
क) खाद्यान्न ऋण	49,479	35.0	-8.3
ख) खाद्येतर ऋण	6,79,736	13.6	26.9
3. सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	5,23,417	20.9	27.3

टिप्पणी : कोष्टकों में आंकड़े 3 मई 2002 से विलयन के प्रभाव को छोड़कर है।
स्रोत : धारा 42(2) के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों की विवरणियां

जमाराशियां

3.9 2002-03 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जमा संग्रहण (विलयन के निवल प्रभाव को घटाकर) कमोबेश अप्रैल 2003 के मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी वक्तव्य में किये गये 14 प्रतिशत के अनुमान के अनुसार बना रहा (परिशिष्ट सारणी III.2)। 2002-03 के दौरान जमाराशियों में कम वृद्धि मौटे तौर पर मौद्रिक आधार में गिरावट को दर्शाती है। मीयादी जमाराशियों में (विलय को घटाकर) हाल ही में गिरावट देखी गयी जो अनेक कारकों को दर्शाती है, जैसे हाल ही में जमा दरों में अभी नरम ब्याज की दरों के कारण ब्याज का कम अर्जन, और उच्चतर औद्योगिक गतिविधियों के अनुरूप चालू खाते की ओर झुकाव। इसके परिणामस्वरूप मांग जमाराशियों ने स्वस्थ वृद्धि दर्ज की जिसे खाद्येतर ऋण में उच्चतर उठाव और औद्योगिक उत्पादन की बहाली से समर्थन मिला। जमा विस्तार 2003-04 में अब तक दबा-दबा रहा जो प्राथमिक रूप से कम ब्याज दरों और गत वर्ष के सूखे के प्रभाव के फलस्वरूप मीयादी जमाराशियों में गिरावट को दर्शाता है। दूसरी तरफ, मांग जमाराशियां चालू वर्ष के दौरान उछाल भरी रहीं।

जमाप्रमाणपत्र (सीडी)

3.10 2002-03 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्रों ने गिरावट दर्शानी जारी रखी जो आसान चलनिधि स्थितियों की विद्यमानता कारण थी। यद्यपि 2003-04 में अब तक इसमें थोड़ा-सा सुधार देखा गया है। (परिशिष्ट सारणी III.3) । जमा प्रमाणपत्रों पर बट्टा दरें भी नरम बनी रहीं। विगत की तरह, 2002-03 के दौरान भी जमा प्रमाणपत्रों के मुख्य जारीकर्ताए अपेक्षाकृत साधारण खुदरा आधार के साथ 2002-03 के दौरान यूटीआइ बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक, इंडसइंड बैंक, सेन्चुरियन बैंक और कर्नाटक बैंक और 2003-04 के दौरान अब तक यूटीआइ बैंक, इंडसइंड बैंक, केनरा बैंक और सिटीबैंक एन.ए. जैसे बैंक थे।

स्थायी चलनिधि सुविधाएं

3.11 रिजर्व बैंक क्षेत्र-विशेष के लिए पुनर्वित्त सुविधाएं चरणबद्ध रूप से बंद करने की प्रक्रिया में है। संपार्श्विकीकृत उधार की सुविधा (सीएलएफ) जो अब तक अनुसूचित बैंकों के लिए भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों/खजाना बिलों में सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के एक भाग के रूप में अपेक्षा से अधिक रखे गये

[2] यह उपधारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अधीन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रस्तुत सांविधिक विवरणियों पर आधारित है।

उनके निवेशों की धारिताओं के संपार्श्विक प्रतिभूतियों की एवज में उपलब्ध थी, 5 अक्तूबर 2002 से चरणबद्ध रूप से पूर्णतः समाप्त कर दी गयी है। निर्यात ऋण पुनर्वित्त (ईसीआर) की सुविधा जो पोतलदान पूर्व और पोतलदानोत्तर दोनों चरणों में बैंकों के पात्र बकाया रुपया निर्यात ऋण आधार पर उपलब्ध थी, केवल वही स्थायी सुविधा बचती है।

3.12 स्थायी सुविधाओं को सामान्य तथा बैक स्टाप सुविधाओं के रूप में विभाजित करके उसे पहले के दो तिहाई और एक तिहाई (67.33) के अनुपात से घटाकर 16 नवम्बर 2002 से प्रत्येक को आधा-आधा (अर्थात 50:50) के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। जहां सामान्य सुविधा, दरों की बहुलता को तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से 30 अप्रैल 2003 से बैंक दर पर उपलब्ध करायी जाती रहेगी जिस दर पर पूंजी बैंकों में निविष्ट की जाती है। चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) परिचालनों की क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से निम्नलिखित उपाय किये गये :

- 'बैंक स्टाप' ब्याज दर को रिवर्स रिपो निर्दिष्ट दर पर रखा गया जिस पर निधियों को नियमित चलनिधि समायोजन सुविधा नीलामियों में पूर्व दिन के दौरान निविष्ट किया गया हो।
- जहां चलनिधि समायोजन सुविधा नीलामी के एक भाग के रूप में कोई रिवर्स रिपो-बोली स्वीकृत नहीं की गयी हो, वहां बैक स्टाप ब्याज दर चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत उस दिन के रिपो की निर्दिष्ट दर से सामान्यतः 2.0 प्रतिशत अंक अधिक होगी।
- जिस दिन रिपो या रिवर्स रिपो नीलामियों के लिए कोई बोलियां प्राप्त/स्वीकृत नहीं हुई हों, तब उस दिन बैक स्टाप ब्याज दर का निर्णय रिज़र्व बैंक द्वारा तदर्थ आधार पर किया जायेगा।

3.13 1 अप्रैल 2002 से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को निर्यात ऋण पुनर्वित्त दूसरे पूर्वगामी पखवाड़ा के अंत तक पुनर्वित्त के लिए पात्र बकाया निर्यात ऋण के 15.00 प्रतिशत की सीमा तक प्रदान किया जाता है। निर्यात करनवाले लोगों से प्राप्त सुझावों के प्रतिसाद में (90 दिनों से अधिक 180 दिनों तक पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण के अविनियमन के पश्चात) 1 मई 2003 से रिज़र्व बैंक ने यह घोषित किया कि पुनर्वित्त सुविधा 90 दिनों से अधिक 180 दिनों तक पोतलदानोत्तर रुपया ऋण के अंतर्गत पात्र निर्यात ऋण शेष बकाया निर्यात को प्रदान किया जाना जारी रहेगा।

3.14 वर्ष 2002-03 के दौरान उच्च निर्यात वृद्धि के साथ समग्र निर्यात ऋण में पर्याप्त वृद्धि हुई । तथापि, निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमा में 2002-03 के दौरान (और 2003-04 अब तक) विदेशी मुद्रा में पोतलदान पूर्व ऋण के रूप में बड़े पैमाने पर आहरण करने और निर्यात बिलों के पुनर्भुनाई जो पुनर्वित्त के लिए पात्र नहीं है, के कारण निरंतर गिरावट आयी (परिशिष्ट सारणी III.4) । निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा का औसत दैनिक उपयोग सीमा पर तनावों से उत्पन्न ब्याज दरों की अस्थायी वृद्धि के कारण मई 2002 में (17 मई 2002 को पात्रता सीमा का 48 प्रतिशत तक) बढ़ा, किंतु उसके बाद सहज चलनिधि स्थितियां लौटने के साथ वह नगण्य स्तरों तक आ गिरा। चलनिधि समायोजन सुविधा (सीएलएफ) के अधीन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को उपलब्ध करायी गई चलनिधि सहायता का औसत दैनिक उपयोग अप्रैल-मई 2002 के दौरान 30 करोड़ रुपये से 175 करोड़ रुपये के बीच रहा और तब उसे 5 अक्तूबर 2002 को पूर्णतः हटा लिया गया तो यह वास्तविक रूप में नगण्य हो गया।

बैंक ऋण

3.15 2002-03 के दौरान बैंक ऋण (विलयनों के प्रभाव को छोड़कर) में वृद्धि हुई ।तथापि ऋण की निकासी की स्थिति में एक परिवर्तन आया।खाद्यान्य ऋण ने वर्ष के दौरान कम सरकारी खरीद परिचालनों के कारण गिरावट दर्ज की। दूसरी तरफ, खाद्येतर ऋण ने औद्योगिक माहौल में, विशेषकर, वर्ष के उत्तरार्ध में तेज वृद्धि दर्ज की, जो औद्योगिक परिवेश में बदलाव को दर्शाती है। इसके अलावा, विदेशी मुद्रा ऋण की मांग में तेज वृद्धि रही जो रुपया ऋणों की तुलना में उधारकर्ता को इन निधियों की अपेक्षाकृत कम लागत को दर्शाती है। 2003-04 के दौरान, बैंक ऋण वृद्धि साधारण-सी रही। खाद्यान्न ऋण कम रहा जो निम्न सरकारी खरीद और अधिक ऋण उठाव के कारण था। खाद्येतर ऋण की निकासी उद्योग में आयी तेजी के बीच मंद रही जो अन्य बातों के साथ-साथ कंपनियों द्वारा आंतरिक स्रोतों तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार पर बढ़ी हुई निर्भरता को दर्शाती है।तथापि, सितम्बर 2003 से खाद्येतर ऋण में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं।

अन्य निवेश

3.16 परंपरागत ऋणों के अलावा, बैंक निजी कंपनी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी वाणिज्यिक पत्रों, शेयरों, बाण्डों तथा डिबेंचरों के रूप में गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेशों में काफी निवेश करते रहे हैं (सारणी III.4) । 2002-03 के दौरान इन निवेशों में तीव्र वृद्धि भी विलयन के प्रभावों को अंशतः दर्शाती है। विशेष रूप में, वाणिज्यिक पत्र में निवेशों में पर्याप्त गिरावट आयी जो वर्ष की परवर्ती छमाही के दौरान इन्हें जारी करने में गिरावट दर्शाती है। बैंकों के गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश मुख्यतः

सारणी III.4 :अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के चुनिंदा गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश

(राशि करोड़ रुपये)

	लिखत	22 मार्च 2002	21 मार्च 2003
	1	2	3
1.	वाणिज्यिक पत्र	8,497	4,007
		(10.5)	(4.3)
2.	निम्नलिखित द्वारा जारी शेयरों में निवेश (क + ख)	5,914	9,019
		(7.3)	(9.7)
	क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	1,587	1,430
		(2.0)	(1.5)
	ख) निजी कंपनी क्षेत्र	4,327	7,589
		(5.3)	(8.2)
3.	निम्नलिखित द्वारा जारी बाण्डों/डिबेंचरों में निवेश (क + ख)	66,589	79,828
		(82.2)	(86.0)
	क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	39,520	46,854
		(48.8)	(50.5)
	ख) निजी कंपनी क्षेत्र	27,069	32,973
		(33.4)	(35.5)
जोड़ (1+2+3)		**81,000**	**92,854**
		(100.0)	**(100.0)**

टिप्पणी : आंकड़े अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रस्तुत धारा 42 (2) की संविधिक विवरणियों पर आधारित हैं। इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निवेश शामिल नहीं हैं। कोष्ठक के आंकड़े कुल से प्रतिशत हैं।

निजी कंपनी क्षेत्र के बाण्डों तथा डिबेंचरों में बैंकों के विनिवेशनों के कारण कुछ गिरावट दर्शाते हैं।

वाणिज्यिक पत्र (सीपी)

3.17 कंपनियों द्वारा जारी वाणिज्यिक पत्रों में बैंकों के निवेशों में वर्ष 2002-03 के दौरान विशेषतः वर्ष की दूसरी छमाही में गिरावट आयी। इसे आंशिक रूप से उप मूल उधार दर पर उधार लेने की पहुंचवाली विनिर्माता कंपनियों द्वारा प्राथमिक निर्गमों में गिरावट के रूप में देखा जा सकता है। वाणिज्यिक पत्रों के मुख्य निवेशकों में निम्नलिखित बैंक शामिल हैं, भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नैशनल बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। वाणिज्यिक पत्र जारी करने वाले पांच सर्वोत्तम निर्गमकर्ता थे एक्ज़िम बैंक, आइडीबीआइ, भारतीय पेट्रोलियम निगम लि. (आइपीसीएल), भूतपूर्व आइसीआइसीआइ लि. और एचडीएफसी बैंक। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निवेशित वाणिज्यिक पत्र पर भुनाई दर मार्च 2002 में 7.4 - 10.3 प्रतिशत से लगातार गिरकर मार्च 2003 तक 6.0-7.08 प्रतिशत और उसके आगे सितम्बर 2003 तक 4.7-6.5 प्रतिशत रह गयी। उच्च दरवाली और मध्यम दरवाली कंपनियों के बीच भारित औसत भुनाई दर (डब्ल्यू एडीआर) की व्याप्ति अप्रैल 2002 के मध्य में 89 मूल (आधार) बिन्दुओं से नवम्बर 2002 की समाप्ति तक 156 (आधार) मूल बिन्दुओं तक विस्तृत हो गयी, किंतु मार्चांत 2003 तक 59 मूल बिन्दुओं तक तथा सितम्बर 2003 की समाप्ति तक 63 मूल (आधार) बिन्दुओं तक सिमट गयी।

वाणिज्यिक बिल

3.18 पुनर्भुनाई बिल बाजार ने 2002-03 के दौरान अपनी सक्रियता में सामान्य गिरावट दर्ज की। तथापि 2003-04 के दौरान अब तक इसने 2003-04 की प्रथम तिमाही के दौरान 281 करोड़ रुपये के औसत से उसके बाद की तिमाही के दौरान 567 करोड़ रुपये की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शायी। सिडबी का अंश 2002-03 के दौरान कुल लेनदेनों के 78.2 प्रतिशत तक और 2003-04 की प्रथम छमाही के दौरान कुल लेनदेनों के 84.5 प्रतिशत तक रहकर पर्याप्त बना रहा।

वायदा दर करार (एफआरए)/ब्याज दर स्वैप (आइआरएस)

3.19 वर्ष 2002-03 के दौरान बाजार में वायदा दर करारों (एफआरए) तथा ब्याज दर स्वैप (आइआरएस) जैसे फ्यूचर्स उत्पादों की मात्रा में तीव्र वृद्धि हुई। जहां संविदाओं की संख्या तथा बकाया सांकेतिक मूल राशि दोनों में तेजी देखी गयी, वहीं बाजार में सहभागिता मुख्यतः चुनिंदा विदेशी तथा निजी क्षेत्र के बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों तक सीमित रही। इन संविदाओं में से अधिकांश में एनएसई-मुंबई अंतर बैंक ऑफर दर (मिबोर) और मुंबई अंतर बैंक ऑफर दर (मिफोर) का बेंचमार्क दरों के रूप में उपयोग किया गया। उपयोग किये गये अन्य बेंचमार्क दरों में 1 वर्षीय भारत सरकार प्रतिभूति द्वितीयक बाजार आय

और 364 दिवसीय खजाना बिलों पर प्राथमिक अधिकतम आय शामिल थे। 2003-04 के दौरान, एफआरए/आइआरएस लेनदेनों में तेजी जारी रही और ये तेजी से बढ़कर 19 सितम्बर 2003 तक 3,33,736 करोड़ रुपये के लिए 12,951 संविदाओं तक पहुंच गयी।

सकल बैंक ऋण के क्षेत्रीय नियोजन

3.20 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सकल बैंक ऋण (इसमें अधिकांश प्रमुख बैंक शामिल हैं जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल बैंक ऋण के 85-90 प्रतिशत से अधिक बनता है) ने 2002-03 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में मामूली रूप से उच्चतर वृद्धि दर्ज की (सारणी III.5 तथा परिशिष्ट सारणी III.5)। खाद्येतर ऋण में मुख्यतः उद्योग (मझौले तथा बड़े) और आवास के लिए अग्रिमों में वृद्धि के कारण तीव्र वृद्धि हुई।

3.21 राजकोषीय वर्ष 2002-03 ने आवास ऋणों में तीव्र उठाव दर्शाया जिससे खाद्येतर बैंक ऋण की प्रमात्रा मार्चांत 2002 तक 4.6 प्रतिशत से बढ़कर मार्चांत 2003 तक 6.1 प्रतिशत हो गयी। जो इस संबंध में अनेक नीतिगत पहलों को दर्शाता है। वस्तुतः बैंक लगातार पिछले वर्ष के दौरान अपने वृद्धिशील जमाराशियों के न्यूनतम 3 प्रतिशत की सीमा तक आवास ऋण उपलब्ध करने के लक्ष्य के मुकाबले 2001-02 तथा 2002-03 में अधिक राशि उपलब्ध करा रहे हैं। (सारणी III.6)[3] ।

सारणी III.6: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आवास वित्त पोषण

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	अप्रैल-मार्च	
	2001-02	2002-03
1	2	3
न्यूनतम निर्धारित	5,046	8,574
आबंटन	(31.1)	(69.9)
संवितरण	14,746	33,841
	(51.9)	(129.5)

टिप्पणी : 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. कोष्ठकों में आंकडे पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन प्रतिशत को दर्शाते है।

निर्यात वित्त का बदलता स्वरूप

3.22 निवल बैंक ऋण में निर्यात ऋण का हिस्सा पिछले वर्ष की तरह वर्ष के दौरान निर्यात में उच्चतम वृद्धि होते हुए भी 8.0 प्रतिशत की सीमा तक बना रहा (चार्ट III.2)। यह उदारीकृत नीति की व्यवस्था घरेलू और वैश्विक ब्याज दरों में आयी नरमी और प्रतिस्पर्धी दरों पर वित्त के वैकल्पिक स्रोतों द्वारा आये निर्यात के वित्तीय ढांचे में परिवर्तन के कारण हो सकता है।

ऋण के उद्योगवार नियोजन

3.23 औद्योगिक ऋण में वृद्धि कमोबेश मिलाकर सभी क्षेत्रों में फैली हुई थी (चार्ट III.3 और परिशिष्ट सारणी III.6) । उद्योगवार

सारणी III.5 : सकल बैंक ऋण के क्षेत्रीय नियोजन :प्रवाह
(वर्ष की तुलना में घटबढ़)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	2001-02		2002-03	
	वास्तविक	प्रतिशत	वास्तविक	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र	20,845	13.5	28,540	16.3
2. उद्योग (मझौले तथा बड़े)	9,487	5.8	28,011	16.3
3. आवास	6,203	38.4	12,308	55.1
4. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	1,843	23.6	4,399	45.6
5. थोक व्यापार (खाद्यान्न की सरकारी खरीद से इतर)	2,614	14.6	1,939	9.5
6. अन्य क्षेत्र	12,595	18.0	9,481	11.5
7. जोड़ (1 से 6)	**53,587**	**12.5**	**84,678**	**17.5**
जिसमें से				
निर्यात ऋण	-343	-0.8	6,424	14.9

टिप्पणी : आंकडे अनंतिम हैं और चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित हैं जो समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बैंक ऋण का 85-90 प्रतिशत बैठता है।

[3] लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयोजनार्थ, बैंकों को आवास वित्त आबंटन के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों में निधियों के नियोजन की अनुमति दी गई है , क) प्रत्यक्ष वित्त ख) अप्रत्यक्ष वित्त ग) एनएचबी/हुडको के बाण्डों में निवेश या उसके समुच्चय और घ) किसी विशेष प्रयोजन के साधन (एसपीवी) द्वारा जारी निर्धारित प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों में बैंकों द्वारा निवेश अथवा अनुमोदित आवास वित्त कंपनियों (एनएचबी के पर्यवेक्षण के अंतर्गत) द्वारा स्वीकृत आवास ऋण का प्रतिनिधित्व करनेवाली संस्था।

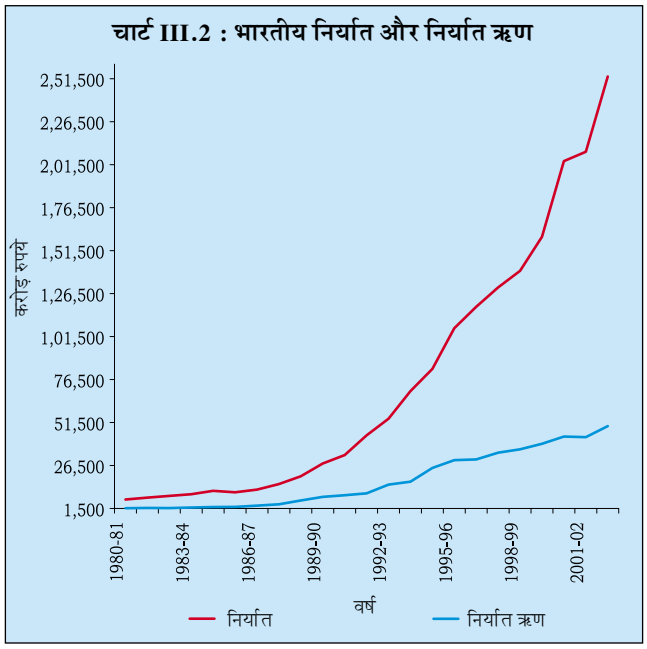

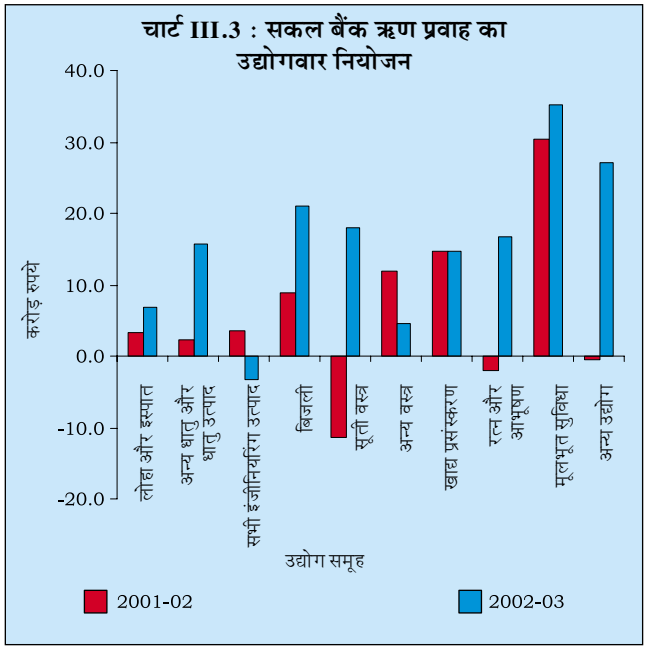

उल्लेखनीय ऋण वृद्धि विद्युत, सूती वस्त्रोद्योग, बुनियादी सुविधाओं तथा लोहा और इस्पात में देखी गयी। तथापि 26 उद्योगों में से 4 अर्थात कोयला, इंजीनियरिंग, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों तथा चीनी ने 2002-03 के दौरान ऋण में गिरावट दर्ज की।

रुग्ण /कमजोर उद्योगों को बैंक ऋण

3.24 हाल के वर्षों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वित्तपोषित रुग्ण लघु उद्योग और लघु उद्योगेतर (रुग्ण/कमजोर) औद्योगिक यूनिटों की संख्या में गिरावट आयी है (परिशिष्ट सारणी III.7)। रुग्ण/ कमजोर उद्योगों में अवरुद्ध बैंक ऋण की मात्रा मार्च 2002 में थोड़ी बढ़कर 26,065 करोड़ रुपये की हो गयी।

संवदेनशील क्षेत्र को ऋण

3.25 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के संवदेनशील क्षेत्र जिसमें पूंजी बाजार, स्थावर संपदा और पण्य शामिल हैं, को दिये गये समग्र ऋण में 2002-03 के दौरान संरचनात्मक परिवर्तन हुआ (सारणी III.7 और परिशिष्ट सारणी III.8) । आवास वित्त में इतना अधिक उछाल आया कि अधिकांश बैंक समूहों का संवेदनशील क्षेत्र को समग्र ऋण बढ़ गया। सरकारी क्षेत्र के बैंकों का अंश अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के संवेदनशील क्षेत्रों के कुल ऋण का लगभग दो तिहाई था।

3.26 विदेशी बैंक श्रेणी को छोड़कर अधिकांश बैंक समूहों ने 2002-03 के दौरान पूंजी बाजार को अपने ऋण कम कर दिये जिसका आंशिक कारण था 2002-03 के दौरान देखी गयी मंद गतिविधि के साथ पूंजी बाजार का मामूली कारोबार और अंशतः वृद्धि के नये प्रेरक आवास वित्त के कारण। अधिकांश वाणिज्य बैंक ग्राहकों को आवास के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और 'ग्राहक को सुविधाजनक' शर्तों पर खुदरा ऋण दे रहे हैं जोकि अपने ग्राहक की संतुष्टि बढ़ाने के पुरजोर विपणन प्रयासों से समर्थित

सारणी III.7 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण

(राशि करोड़ रुपये में)

निम्न को अग्रिम	बकाया		कुल की तुलना में प्रतिशत	
	2002	2003	2002	2003
1	2	3	4	5
1. पूंजी बाजार क्षेत्र	3,082	2,504	14.8	10.5
2. स्थावर संपदा क्षेत्र	9,012	12,464	43.3	52.0
3. पण्य क्षेत्र	8,727	8,979	41.9	37.5
जोड़ (1+2+3)	**20,821**	**23,947**	**100.0**	**100.0**

है। इसके परिणामस्वरूप, अधिकांश बैंक समूहों द्वारा स्थावर संपदा के लिए दिये गये ऋणों में मामूली से लेकर भारी मात्रा तक वृद्धि हुई है, इनमें गिरावट मात्र केवल पुराने निजी बैंकों के मामले में पायी गयी जिन्होंने वस्तुतः संवेदनशील क्षेत्र को दिये गये अपने समग्र ऋणों में कटौती की है। पण्यों के लिये दिये गये ऋण अधिकांश बैंक समूहों में निम्न स्तर पर थे, यह गिरावट स्टेट बैंक समूह और पुराने निजी बैंकों में उल्लेखनीय थी।

ऋण जमा अनुपात

3.27 मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियों (बीएसआर) में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मार्च 2002 के अंत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात (खपत के अनुसार) 58.4 प्रतिशत था (परिशिष्ट सारणी III.9)। जमाराशियों से ऋण तथा निवेश अनुपात (आइसीडी) में दर्शाये गये अनुसार संसाधनों के कुल प्रवाह में पिछले कुछ वर्षों में (खपत के अनुसार) वृद्धि हुई है । उक्त प्रवृत्ति पश्चिम क्षेत्र को छोड़कर, सभी क्षेत्रों में पायी गयी । पश्चिम क्षेत्र में मार्च 2001 के अंत की तुलना में मार्च 2002 के अंत में गिरावट पायी गयी जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र के आईसी-डी अनुपात में विलय के प्रभाव से आयी गिरावट के कारण थी।

सरकार को ऋण

3.28 वाणिज्य बैंकों ने सरकारी प्रतिभूतियों में भारी मात्रा में निवेश करना जारी रखा, क्योंकि श्रेष्ठ प्रतिभूति मूल्यों में ब्याज दरें निरंतर कम किये जाने से प्रतिस्पर्धा बढ़ती रही। इसके फलस्वरूप सांविधिक चलनिधि अनुपात में वाणिज्य बैंकों के एसएलआर निवेश मार्च 2002 के अंत में उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं के 36.1 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2003 के अंत में 38.5 प्रतिशत हो गया जो 25.0 प्रतिशत के निर्धारित न्यूनतम मानदंड से काफी अधिक है। वित्तीय बाज़ारों में अधिक चलनिधि के बीच यह सितंबर 2003 तक निवल मांग और मीयादी देयताओं के 41.3 प्रतिशत तक पहुंच गया।

प्राधिकृत व्यापारियों के रूप में बैंकों की भूमिका

3.29 मौद्रिक और बैंकिंग प्रणाली के कार्यकलापों पर पूंजी प्रवाहों का बढ़ता प्रभाव नौवें दशक की एक उल्लेखनीय विशेषता रही है (बाक्स III.1)। न केवल बाह्य क्षेत्र के उदारीकरण ने निवासियों और अनिवासियों के बीच निधियों की मात्रा उल्लेखनीय रूप से काफी बढ़ायी वरन विदेशी मुद्रा परिचालनों के संबंध में तुलनपत्र पर प्रतिबंधों में

बॉक्स III.1 : प्राधिकृत व्यापारियों के रूप में बैंक

रिज़र्व बैंक विभिन्न विदेशी मुद्रा लेनदेनों के कार्य करने के लिए विशिष्ट बैंकों को प्राधिकृत व्यापारियों के रूप में नामित करता है। वर्तमान में 92 बैंक (35 विदेशी बैंकों सहित) 27,762 शाखाओं के जरिये प्राधिकृत व्यापारी के रूप में कार्य करते हैं। रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा के लेनदेन दो अन्य माध्यमों, अर्थात पूर्ण मुद्रा परिवर्तक (एफएफएमसी) जिन्हें भारतीय रुपये पर विदेशी मुद्रा खरीदने और बेचने की अनुमति है और सीमित मुद्रा परिवर्तक (आरएमसी) जो भारतीय रुपये से केवल विदेशी मुद्रा खरीद सकते हैं, से करने के लिए कम्पनियों को प्राधिकृत करता है। रिज़र्व बैंक प्राधिकृत व्यापारियों और पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को कतिपय शर्तों पर सीमित मुद्रा परिवर्तक कारोबार करने के प्रयोजन के लिए संस्थाओं के साथ एजेंसी/(फ्रेंचायजिंग) करार निष्पादित करने की भी अनुमति देता है। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक कतिपय विकास वित्त संस्थाओं को उनके अपने मुख्य कारोबार से प्रासंगिक विशिष्ट प्रकार के विदेशी मुद्रा लेनदेन करने के प्राधिकार भी देता है।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 में भारत के किसी प्राधिकृत व्यापारी या किसी भारतीय बैंक की भारत से बाहर की शाखा को कतिपय शर्तों के अधीन विदेशी मुद्रा में ऋण प्रदान करने की अनुमति देता है। किसी प्राधिकृत व्यापारी को भारत के अपने ग्राहक, विदेश स्थित पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक संस्था, भारतीय संस्थाओं के विदेश स्थित संयुक्त उद्यमों और भारत के दूसरे प्राधिकृत व्यापारियों को ऋण प्रदान करने की अनुमति है। भारत का कोई प्राधिकृत व्यापारी, भारत के बाहर के अपने प्रधान कार्यालय या शाखा या प्रतिनिधि सहित, कतिपय शर्तों के अधीन अपनी क्षतिरहित टीयर I पूंजी या 10 मिलियन अमरीकी डालर, जो भी अधिक हो, के 25 प्रतिशत तक विदेशी मुद्रा में उधार ले सकता है।

भारत के विदेशी मुद्रा बाजार की गतिविधियों में प्राधिकृत व्यापारियों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। धीरे-धीरे बाह्य क्षेत्र के उदारीकरण हेतु अपनाये जानेवाले दृष्टिकोण को देखते हुए प्राधिकृत व्यापारियों को रिज़र्व बैंक के हस्तक्षेप के बिना उचित प्रलेखीकरण को सुनिश्चित करते हुए निहित प्राधिकृत लेनदेन को कवर करने के लिए पर्याप्त समझी जानेवाली सीमा की शर्त पर अपने ग्राहकों की ओर से विदेशी मुद्रा खरीदने और बेचने की शक्तियां दी गयी हैं। तथापि, विशिष्ट प्रयोजनों के लिए निर्धारित सीमा से ऊपर के विदेशी मुद्रा लेनदेनों के लिए विदेशी मुद्रा जारी करने के लिए रिज़र्व बैंक की अनुमति आवश्यक है। शिक्षा, डाक्टरी चिकित्सा, रोजगार, आप्रवास, परिवार निर्वाह और निजी यात्रा जैसे प्रयोजनों से संबंधित निर्दिष्ट चालू खाता लेनदेनों के लिए केवल स्वयं प्रमाणन जरूरी है।

विदेशी मुद्रा कारोबार चलाने के लिए उपलब्ध पर्याप्त स्वतंत्रता को देखते हुए प्राधिकृत व्यापारी फेमा और इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचनाओं के कार्यन्वयन के लिए उत्तरदायी मुख्य एजेंसी के रूप से उभरे हैं । रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा के लेनदेन करते समय प्राधिकृत व्यापारी द्वारा सत्यापित किये जानेवाले प्रलेख निर्दिष्ट न करने का निर्णय किया है। प्राधिकृत व्यापारी और विदेशी मुद्रा के लेनदेन करने के इच्छुक उनके ग्राहक, दोनों ही पर यह सुनिश्चित करने का दायित्व है कि वे अपने कारोबारी कार्यों में लागू सभी विनियामक अपेक्षाओं और मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करें।

रिज़र्व बैंक मुख्य रूप से उदारीकृत परिवेश में प्राधिकृत व्यापारियों के कार्यों की कारगर निगरानी पर ध्यान देगा। इसके फलस्वरूप, रिज़र्व बैंक का निरीक्षण दृष्टिकोण अब लेनदेन विशिष्ट निरीक्षण से बदलकर प्रणालीगत पर्यवेक्षण का हो रहा है। प्राधिकृत व्यापारियों से अपेक्षित है कि वे रिज़र्व बैंक को दैनंदिन आधार पर अपने व्यापार की सूचना दें। रिज़र्व बैंक प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों की संवीक्षा करता है ताकि फेमा विनियमों/अधिसूचनाओं का कारगर कार्यानवयन सुनिश्चित किया जा सके।

अधिकाधिक ढील दिये जाने से बैंकों में बदलाव आया है और वे विदेशी मुद्रा बाजारों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। अतः, पूंजी प्रवाह के रुख का अब बैंक की चलनिधि पर सीधे प्रभाव पड़ता है। दूसरे, ब्याज दरों का इसका परिणामी प्रभाव बैंकों की लाभप्रदता को प्रभावित कर रहा है। । तीसरे, देशी और अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दरों में अंतर को देखते हुए देशी और विदेशी आस्तियों के बीच आबंटन से भी बैंक की लाभप्रदता, विशेष रूप से, बैंकों के विदेशी मुद्रा परिचालनों के अधिकाधिक उदारीकरण के परिप्रेक्ष्य में प्रभावित होती है। बैंकों के विदेशी मुद्रा कारोबार की मात्रा 1997-98 और 2002-03 के बीच की अवधि में अमेरिकी डालर के रूप में औसतन लगभग 4 प्रतिशत वार्षिक बढ़ी है। जहां अंतर-बैंक लेनदेन अभी भी कुल कारोबार के करीब 80 प्रतिशत बने हुए हैं, वहीं प्राधिकृत व्यापारियों का वणिक बैंकिंग कारोबार हाल के वर्षों में काफी तेजी से बढ़ा है (सारणी III.8)।

आंतरिक बैंकिंग सांख्यिकी

3.30 बाह्य क्षेत्र के अधिकाधिक उदारीकरण के मद्देनजर निधियों के सीमा पार प्रवाह पर निगरानी रखना काफी महत्त्वपूर्ण हो गया है। अब रिज़र्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआइएस) द्वारा बनायी गयी सूचना देने की प्रणाली के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी संकलित करता है और प्रसारित करता है। ऐसी सांख्यिकी में बैंकिंग तंत्र की अंतर्राष्ट्रीय आस्तियों और देयताओं की कुल मात्रा तथा उनकी संरचना मुख्य रूप से परिपक्वता अवधि, मुद्रा घटक और निवास के देश के रूप में उपलब्ध रहती है। अंतर्राष्ट्रीय आस्तियों/देयताओं में सूचना देनेवाले बैंकों की अनिवासियों के पास/के प्रति किसी मुद्रा में और निवासियों के पास/के प्रति केवल विदेशी मुद्रा में दावे/देयताएं शामिल होती हैं।

3.31 अवस्थैतिक बैंकिंग सांख्यिकी में भारत स्थित सभी बैंकिंग कार्यालयों की अंतर्राष्ट्रीय आस्तियों और अंतर्राष्ट्रीय देयताओं की सकल स्थिति उपलब्ध होती है। वे केवल बैंकों के भारत के बाहर स्थित उनकी अपनी शाखाओं /सहयोगी संस्थाओं/संयुक्त उद्यमों में से किसी के साथ हुए लेनदेनों सहित अंतर्राष्ट्रीय लेनदेनों की सूचना देते हैं।

3.32 बैंकों की अंतर्राष्ट्रीय देयताओं में 2001-02 और 2002-03 दोनों वर्षों में तीव्र वृद्धि दर्ज हुई जो बड़ी मात्रा के उनके विदेशी मुद्रा उधारों से थी (सारणी III.9)। रुपया अनिवासी जमाराशियों के बड़े आकार को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय देयताओं को मुख्यतः अमरीकी डालर में या भारतीय रुपये में अंकित किया गया था।

3.33 दूसरी ओर बैंकों की अंतर्राष्ट्रीय आस्तियां मार्च 2003 के अंत में मौटे तौर पर मार्च 2002 के अंत के समान रहीं (सारणी III.10) । तथापि, बैंकों की अंतर्राष्ट्रीय आस्तियों की संरचना में अनिवासी बैंकों के पास मीयादी जमाराशियों, निवासियों को विदेशी मुद्रा ऋणों सहित भारी मात्रा में नोस्ट्रो शेष राशियों का प्रतिस्थापन जो अपेक्षाकृत सस्ते विदेशी मुद्रा ऋणों के लिए उच्चतर देशी मांग को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय आस्तियों का भारी अंश अमरीकी डालर में ही रखना जारी रहा, हालांकि यूरो के अंश में निरंतर रूप से वृद्धि दर्ज हुई।

3.34 समेकित बैंकिंग सांख्यिकी (सीबीएस) अन्य देशों पर बैंकों के वित्तीय दावों संबंधी व्यापक और निरंतर तिमाही आंकड़े, देश

सारणी III.8 : प्राधिकृत व्यापारियों के विदेशी मुद्रा कारोबार की संरचना

(राशि करोड़ रु.)

वर्ष	वणिक		अंतर बैंक		कुल	
	खरीद	बिक्री	खरीद	बिक्री	खरीद	बिक्री
1	2	3	4	5	6	7
1997-98	97,937 (14.9)	1,11,989 (17.2)	5,58,019 (85.1)	5,38,103 (82.8)	6,55,956 (100.0)	6,50,091 (100.0)
1998-99	1,18,097 (17.9)	1,34,587 (20.1)	5,40,752 (82.1)	5,34,294 (79.9)	6,58,849 (100.0)	6,68,881 (100.0)
1999-2000	1,23,747 (21.0)	1,28,294 (21.6)	4,66,042 (79.0)	4,65,844 (78.4)	5,89,789 (100.0)	5,94,139 (100.0)
2000-01	1,33,214 (18.4)	1,48,018 (20.8)	5,90,638 (81.6)	5,62,379 (79.2)	7,23,852 (100.0)	7,10,397 (100.0)
2001-02	1,34,966 (18.2)	1,37,420 (18.4)	6,04,678 (81.8)	6,10,295 (81.6)	7,39,644 (100.0)	7,47,715 (100.0)
2002-03	1,65,544 (21.0)	1,63,664 (20.6)	6,24,151 (79.0)	6,31,380 (79.4)	7,89,695 (100.0)	7,95,044 (100.0)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े कुल कारोबार में अंश हैं।

सारणी III.9 : बैंकों की अंतर्राष्ट्रीय देयताएं - प्रकारानुसार वर्गीकृत

(राशि करोड़ रु.)

देयता का प्रकार	मार्च के अंत में बकाया राशि		
	2001	2002	2003
1	2	3	4
1. जमाराशियां और ऋण	1,04,148	1,20,604	1,45,930
जिनमें से			
विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक अनिवासी बैंक (एफसीएनआर(बी) योजना	37,991	39,636	43,989
विदेशी मुद्रा उधार*	1,222	5,514	18,411
अनिवासी विदेशी रुपया (एनआरई) खाते	29,413	33,233	53,124
अनिवासी गैर-प्रत्यावर्तनीय (एनआरएनआर) रुपया जमाराशियां	25,867	27,181	15,207
2. प्रतिभूति बांडों (आइएमडी/आर आइबी सहित) के अपने निर्गम	43,652	43,582	44,087
3. अन्य देयताएं	4,580	7,150	10,475
एडीआर/जीडीआर	850	1,862	3,833
अनिवासियों द्वारा धारित बैंकों की इक्विटी	382	547	556
भारत स्थित विदेशी बैंकों की पूंजी/प्रेषणयोग लाभ और अन्य			
अवर्गीकृत अंतर्राष्ट्रीय देयताएं	3,348	4,741	6,086
कुल अन्तर्राष्ट्रीय देयताएं	**1,52,380**	**1,71,336**	**2,00,493**

* भारत में और विदेश से अंतर बैंक उधार बेंकों के बाह्य वाणिज्यिक उधार

सारणी III.10 : बैंकों की अंतर्राष्ट्रीय आस्तियां - प्रकारानुसार वर्गीकृत

(राशि करोड़ रु.)

आस्ति का प्रकार	मार्च के अंत में बकाया राशि		
	2001	2002	2003
1	2	3	4
1. ऋण और जमाराशियां	80,389	95,794	97,657
जिनमें से			
अनिवासियों को ऋण*	4,397	5,218	4,634
निवासियों को विदेशी मुद्रा ऋण **	13,446	19,561	36,859
निवासियों द्वारा अनिवासियों पर आहरित बकाया निर्यात बिल	11,119	15,190	19,242
नास्ट्रो शेष राशियां @	51,287	55,642	36,708
2. ऋण प्रतिभूतियों के धारण	607	952	1,027
3. अन्य आस्तियां@@	2,237	4,629	5,890
कुल अंतर्राष्ट्रीय आस्तियां	**83,233**	**1,01,375**	**1,04,574**

* अनिवासी जमाराशियों में से दिये गये रुपया ऋण और विदेशी मुद्रा (एफसी) ऋण शामिल है।

** इसमें एफसीएनआर(बी) जमाराशियों, पीसीएफसी में से दिये गये ऋण, भारत स्थित बैंकों को दिये गये विदेशी मुद्रा ऋण और के पास विदेशी मुद्रा जमराशियां आदि शामिल हैं।

@ अनिवासी बैंकों के पास रखी मीयादी जमाराशियों (विदेश में धारित एफसीएनआर निधियों सहित) में शेष राशि सहित।

@@ भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं/सहयोगी संस्थाओं को आपूर्ति की गयी पूंजी और उनसे प्राप्य लाभ तथा अन्य अवर्गीकृत अंतर्राष्ट्रीय आस्तियां।

अंतरण जोखिम का मापन उपलब्ध कराने के लिए तत्काल उधारकर्ता आधार पर और देशी बैंकिंग प्रणाली की देश ऋण जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए अंतिम जोखिम आधार पर, दोनों ही संबंध में उपलब्ध कराती है। निकटवर्ती देश जोखिम से आशय है, वह देश जहां मूल जोखिम है और अंतिम जोखिम से आशय है, वह देश जहां अंतिम जोखिम रहता है। निकटवर्ती देश जोखिम आधार पर मार्च 2003 के अंत में बैंकों के समेकित दावे मुख्य रूप से अमरीका, हांगकांग और ब्रिटेन पर केंद्रित थे। (सारणी III.11)।

3.35 अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार भारत को छोड़कर विभिन्न देशों संबंधी बैंकों के समेकित अंतर्राष्ट्रीय दावों के संवितरण से इस बात का पता चलता है कि, हालांकि आलोच्य वर्ष के दौरान दीर्घतर परिपक्वता अवधि की ओर रुख बदल गया था किंतु बैंकों ने अल्पावधि प्रयोजनों के लिए निवेश /ऋण देना पसंद करना जारी रखा (सारणी III.12)।

3.36 2002-03 के दौरान वाणिज्य बैंकों द्वारा चलनिधि के प्रबंधन की रुपरेखा 2001-02 से भिन्न थी, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि औद्योगिक गतिविधियों में स्थिति पलटने से ऋण की मांग बहाल हो गयी थी। बैंकों के चलनिधि प्रबंधन के विश्लेषण में वाणिज्य बैंक सर्वेक्षण के मुद्रा आपूर्ति : संकलन की विश्लेषण और पद्धति पर कार्य दल (अध्यक्ष: डा. वाई वी रेड्डी) की सिफारिशों के बाद किये गये संकलन से सुविधा हुई है। (बॉक्स III.2, सारणी III.13 और परिशिष्ट सारणी III.10)।

3.37 समानान्तर रूप से रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाजारों के परिचालनों से शक्ति प्राप्त बैंकों के निवेश संविभाग से 2002-03 के दौरान देशी और विदेशी आस्ति प्रवाह का सुचारु रूप से आबंटन हो सका है (चार्ट III.4)। इसके अलावा, 2002-03 के दौरान केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों और खजाना बिलों की नीलामी के लिए सांकेतिक कैलेंडर की घोषणा द्वारा बैंकों को अपने निवेशों की कुशल आयोजना करने और चलनिधि का कुशल प्रबंध करने के लिए अवसर प्राप्त हुए। बैंकिंग प्रणाली के साथ अतिरिक्त चल-निधि की उपलब्धता[4] ने ऋण

[4] बैंकिंग तंत्र के पास उपलब्ध निवल मांग को घटाकर और मीयादी देयताओं का अधिशेष सांविधिक पूर्वक्रय और ऋण निकासी)

III.11 : बैंकों के समेकित अंतर्राष्ट्रीय दावों का (अवशिष्ट) परिपक्वता वार वर्गीकरण

(समेकित बैंकिंग सांख्यिकी विवरण के आधार पर)

(करोड़ रुपये)

देश	अंतिम देश जोखिम आधार के अंत में बकाया राशि			निकटवर्ती जोखिम आधार		
	मार्च 2001	सितंबर 2001	मार्च 2002	जून 2002	सितंबर 2002	मार्च 2003
1	2	3	4	5	6	7
फ्रान्स	1,638	2,445	2,230	2,582	2,599	2,461
	(2.2)	(2.9)	(2.4)	(2.7)	(2.7)	(2.7)
जर्मनी	4,542	4,567	4,078	3,689	3,463	3,281
	(6.1)	(5.4)	(4.4)	(3.9)	(3.6)	(3.6)
हांगकांग	2,025	2,869	3,107	14,317	14,115	13,416
	(2.7)	(3.4)	(3.3)	(15.1)	(14.7)	(14.7)
इटली	2,666	4,623	3,706	3,362	3,362	2,832
	(3.6)	(5.5)	(4.0)	(3.6)	(3.5)	(3.1)
सिंगापुर	1,936	3,239	4,118	6,080	5,976	5,776
	(2.6)	(3.8)	(4.4)	(6.4)	(6.2)	(6.3)
ब्रिटेन@	7,900	8,599	11,351	12,140	13,500	12,779
	(10.6)	(10.2)	(12.2)	(12.8)	(14.0)	(14.0)
संयुक्त राज्य अमरीका	30,037	31,704	35,473	20,940	21,607	20,446
	(40.4)	(37.5)	(38.2)	(22.1)	(22.5)	(22.5)
अन्य सभी देश	23,621	26,446	28,762	31,534	31,609	30,070
	(31.8)	(31.3)	(31.0)	(33.3)	(32.8)	(33.0)
कुल समेकित अंतर्राष्ट्रीय दावे (भारत पर दावों सहित)	**74,365**	**84,492**	**92,825**	**94,644**	**96,231**	**91,061**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**

@ गुर्नसो, मान और जर्सी डच द्वीप को छोड़कर

टिप्पणियां : 1. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े संबंधित स्तंभों के जोड़ की तुलना में प्रतिशत है।
2. देशवार समेकित बैंकिंग सांख्यिकी को मार्च 2002 तक 'अंतिम जोखिम देश' के आधार पर संकलित किया गया है। जून 2002 में समाप्त तिमाही से बाद के डेटा के लिए निकटवर्ती देश जोखिम आधारित वर्गीकरण अपनाया गया है। अत : मार्च 2003 के आंकड़े निश्चित रूप से पहले के वर्षों तिमाहियों से पूर्णतः तुलनीय नहीं है।

की उच्चतर मांग के लिए निधि प्रदान करते हुए नरम ब्याज दर की स्थिति को जारी रखना सुनिश्चित किया (चार्ट III.5) । 2002-03 के दौरान समग्रतः उच्चतर मात्रा में लिये गये ऋणों को आस्तियों के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियां प्रदान की गयीं - मुख्य रूप से सहज

सारणी III.12 : बैंकों के समेकित अंतर्राष्ट्रीय दावों का परिपक्वता (अवशिष्ट) वर्गीकरण

(समेकित बैंकिंग सांख्यिकी विवरण पर आधारित)

(करोड़ रुपये)

अवशिष्ट परिपक्वता	अंतिम देश जोखिम आधार के अंत में बकाया राशि			निकटवर्ती देश जोखिम आधार		
	माच 2001	सितंबर 2001	माच 2002	जून 2002	सितंबर 2002	मार्च 2003
1	2	3	4	5	6	7
6 महीने तक	35,679	52,572	70,879	61,842	63,285	59,831
	(48.0)	(62.2)	(76.4)	(65.3)	(65.8)	(65.7)
6 महीने - एक वर्ष	2,105	3,830	4,401	10,502	7,245	6,412
	(2.8)	(4.5)	(4.7)	(11.1)	(7.5)	(7.0)
एक वर्ष - दो वर्ष	971	2,213	3,674	3,916	4,887	4,247
	(1.3)	(2.6)	(4.0)	(4.1)	(5.1)	(4.7)
दो वर्षों से अधिक	7,683	8,213	9,224	14,197	18,895	18,861
	(10.3)	(9.7)	(9.9)	(15.0)	(19.6)	(20.7)
अनआबंटित	27,927	17,664	4,647	4,185	1,919	1,710
	(37.6)	(20.9)	(5.0)	(4.4)	(2.0)	(1.9)
जोड़	**74,365**	**84,492**	**92,825**	**94,644**	**96,231**	**91,061**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**

टिप्पणिया: 1. अनाबंटित अवशिष्ट परिपक्वता में परिपक्वता लागू न होना (उदा. के लिए इक्विटियां) और बैंक शाखाओं से उपलब्ध न करायी गयी परिपक्वता सूचना शामिल है।
2. कोष्ठकों में दिये गे आंकड़े जोड़ की तुलना में प्रतिशत है।
3. देशवार समेकित बैंकिंग सांख्यिकी मार्च 2002 तक अंतिम जोखिम वाले देश के आधार पर संकलित की गयी है। जून 2002 को समाप्त तिमाही से ये आंकड़े तत्काल प्रथम जोखिमवाले देश के आधार पर संकलित हैं। अतः मार्च 2003 के लिए आंकड़े अपने पूर्ववर्ती वर्षों /तिमाहियों के आंकड़ों से पूर्णतः तुलनीय नहीं हैं।

बॉक्स III.2 : वाणिज्य बैंक सर्वेक्षण

रिज़र्व बैंक मुद्रा आपूर्ति : संकलन के विश्लेषण और पद्धति विज्ञान पर कार्य दल (अध्यक्ष : डा. वाय वी.रेड्डी) की सिफारिशों के अनुसरण में वाणिज्य बैंकों की आस्तियों और देयताओं का वाणिज्य बैंकों का विश्लेषणात्मक सर्वेक्षण (सीबीएस) प्रकाशित करता है। समेकित बैंकिंग सांख्यिकी (सीबीएस) में केवल बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अधीन प्रस्तुत फार्म 'ए' जो वाणिज्य बैंकों संबंधी पाक्षिक आंकड़ों का पारंपरिक स्रोत है, से ही नहीं, बल्कि रेड्डी कार्य दल की सिफारिशों के अनुसार फार्म ए के साथ दिये जानेवाले ज्ञापन और अनुबंध ए और बी से सूचना एकत्रित की जाती हैं। इससे रिज़र्व बैंक को वित्तीय क्षेत्र के सुधार के परिप्रेक्ष्य में बैंक तुलनपत्र में होनेवाले महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों को भी पकड़ना संभव हो जाता है:

- बैंक ऋण की संकल्पना को विस्तृत करके उसमें पारंपरिक ऋण (ऋणों, नकदी ऋणों, ओवरड्राफ्टों और खरीदे और भुनाये गये बिलों के रूप में) गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार लिखतों को शामिल करना।
- वाणिज्य बैंकों की निवल विदेशी आस्तियों की संरचना जिसमें अनिवासी प्रत्यावर्तनीय विदेशी मुद्रा सावधि जमाराशियों विदशी मुद्रा आस्तियों की धारिताओं को घटाकर भी शामिल हैं।इसके फलस्वरूप अनिवासियों की जमाराशियां निकालने के लिए बैंक जमाराशियों को इन अनिवासी जमाराशियों से समायोजित किया जाता है।
- पूंजी खाता की शुरुआत, पूंजी और प्रारक्षित निधियों सहित।

पूंजी और प्रारक्षित राशियों सहित पूंजी खाते की शुरुआत रेड्डी कार्य दल की रिपोर्ट के आधार पर वाणिज्य बैंकों के लिए बनायी गयी सूचना देने की प्रणाली धीरे-धीरे सुदृढ़ बनाने से वित्तीय प्रणाली के भीतर आंतर वर्षीय निधि प्रवाह का व्यापक परिदृश्य उपलब्ध होता जा रहा है। समेकित बैंकिंग सांख्यिकी की व्याप्ति बढ़ाये जाने से मार्च 2003 के अंत में फार्म 'ए' में वाणिज्य बैंक डेटा में पहचानी गयी देयताओं और आस्तियों के बीच खाई को लगभग 84,000 करोड़ रुपयों (जमाराशियों के 6-6 प्रतिशत) से लगभग 6,000 करोड़ रुपये या जमाराशियों के 0.5 प्रतिशत तक पाटा गया है।

संदर्भ :

भारतीय रिज़र्व बैंक (1998) मुद्रा आपूर्ति : संकलन के विश्लेषण और पद्धति विज्ञान पर कार्यदल (अध्यक्ष : डा. वाई.वी.रेड्डी), मुंबई की रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक (2000), नये मौद्रिक समुच्चय भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन, मुंबई

भारतीय रिज़र्व बैंक (2003), वार्षिक रिपोर्ट, मुंबई

चलनिधि की स्थिति के पिछले चरण में देशी और विदेशी निवेशों के परिसमापन द्वारा, ताकि बैंकों को ब्याज दरों पर तत्काल दबाव डाले बिना या जमाराशियों के लिए मांग किये बिना अपनी श्रेष्ठ प्रतिभूतियों की धारिताओं को कम नहीं करना पड़ा। 2002-03 के दौरान निधियों

सारणी III.13 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के परिचालन

(करोड रुपये)

परिवर्ती	मार्च 2003 के अंत में बकाया	2002-03				2001-02			
		ति.4	ति.3	ति.2	ति.1	ति.4	ति.3	ति.2	ति.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. घटक									
निवासियों की कुल जमाराशियां	**11,58,942**	**24,073**	**37,484**	**32,201**	**52,675**	**32,122**	**29,675**	**20,856**	**53,337**
मांग जमाराशियां	1,70,289	5,405	11,654	-4,535	4,717	4,412	10,074	-9,382	5,392
निवासियों की मीयादी जमाराशियां	9,88,653	18,668	25,829	36,735	47,958	27,710	19,601	30,237	47,945
वित्तीय संस्थाओं से मांग/ मीयादी निधीयन	**12,638**	**2,142**	**227**	**792**	**6,448**	**-1,471**	**409**	**1,865**	**-341**
II. स्रोत									
सरकार को ऋण	**5,23,417**	**23,798**	**22,680**	**18,716**	**47,047**	**12,049**	**13,791**	**21,088**	**24,213**
वाणिज्य क्षेत्र को ऋण	**8,46,494**	**27,881**	**39,481**	**20,322**	**22,825**	**33,676**	**31,320**	**11,217**	**9,349**
खाद्य ऋण	49,479	-2,468	-1,415	-7,645	7,030	1,702	4,015	-2,079	10,349
खाद्येतर ऋण	6,35,192	39,439	32,541	19,945	7,522	28,347	25,673	12,649	-2,367
प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	4,093	-5,886	959	5,817	2,874	526	115	-401	221
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	24,129	-306	-965	-459	-1,233	-644	-1,452	62	-997
अन्य निवेश (गैर एसएलआर प्रतिभूतियों में)	1,33,601	-2,898	8,361	2,664	6,633	3,745	2,970	986	2,143
वाणिज्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	**-68,366**	**-8,820**	**-9,027**	**-15,136**	**2,748**	**-2,670**	**-3,544**	**-941**	**4,952**
विदेशी मुद्रा आस्तियां	31,082	-5,345	-7,955	-14,412	4,718	-3,483	-1,996	2,023	5,886
अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय सावधि जमाराशियां	92,240	-703	-230	669	1,655	475	1,425	2,018	835
समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधार	7,208	4,178	1,302	55	315	-1,288	123	946	99
निवल बैंक प्रारक्षित निधियां	**65,823**	**-5,700**	**-1,619**	**11,055**	**-2,943**	**-3,929**	**-1,277**	**-7,373**	**16,304**
पूंजी खाता	**86,541**	**1,625**	**-1,815**	**-742**	**15,152**	**1,150**	**958**	**2,297**	**4,403**
ज्ञापन:									
प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में परिवर्तन के जरिये जारी संसाधन	—	0	3,500	0	6,500	0	8,000	0	4,500
वाणिज्य बैंकों को खुले बाजार की निवल बिक्री	—	7,338	12,803	13,228	3,131	0	1,904	9,614	4,106

टिप्पणी: 1. ति.1 जून में समाप्त तिमाही को तथा इसी प्रकार ति. 2,3,4 अन्य तिमाहियों को इंगित करता है।
2. 3 मई 2003 से जमाराशियों को विलयन के पूर्ण प्रभाव के लिए समायोजित किया गया हैं वहीं ऋण का इसी के प्रारंभिक प्रभाव के लिए समायोजित किया गया है।

चार्ट III.4: बैंकिंग क्षेत्र की निवल घरेलू आस्तियों और निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों में घट-बढ़

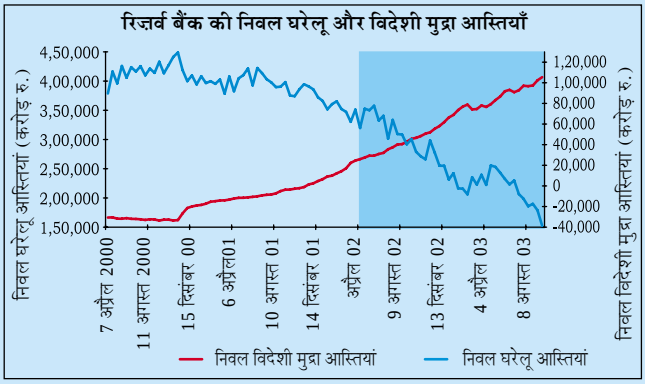

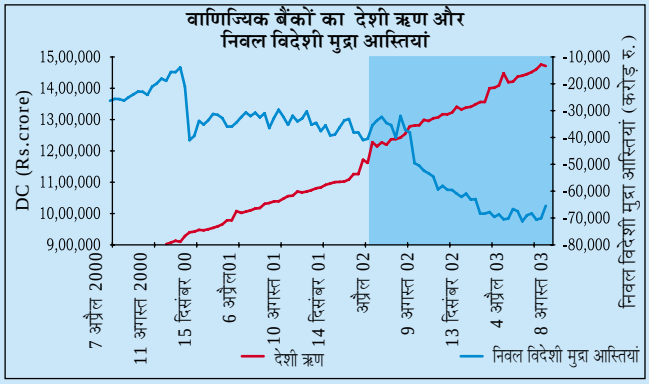

के स्रोतों में जमाराशि संग्रहण का अंश पिछले वर्ष के 96.6 प्रतिशत से गिरकर (विलयन के प्रभाव को घटाकर 91.7 प्रतिशत) रह गया। इसके फलस्वरूप आये अंतर को वित्तीय संस्थाओं, समुद्र पारीय विदेशी मुद्रा उधारों से मिले जुले रूप में उच्चतर मांग/मीयादी निधियां प्रदान कर और विदेशी मुद्रा आस्तियों को कम करते हुए पूरा किया गया। 2001-02 के विपरीत जब विदेशी आस्तियों में विदेशी मुद्रा प्रवाहों से उभरी चलनिधि का मांग के अभाव में एक बड़ा भारी अंश अलग रखा गया था, उन्होंने ऐसे निवेशों का उपयोग करने के लिए देशी कंपनियों को विदेशी मुद्रा में ऋण दिये।

3.38 बैंकों की विदेशी मुद्राओं के निवेश संविभाग आबंटन के कई स्थूल और मौद्रिक प्रभाव पड़े हैं। यदि बैंक अपनी शेष राशियां विदेश में रखना पसंद करें तो समूचा लेनदेन ढांचा धन और उत्पादन की दृष्टि से निष्प्रभावी हो जाता है। यदि बैंक निवासियों को विदेशी मुद्रा में ऋण देते हैं तो लेनदेन ढांचा धन की दृष्टि से निष्क्रिय हो जाता है क्योंकि निधियां तब भी विदेशों में विनियोजित होती हैं, परंतु देशी उद्योग को प्राप्त निधियों से निर्मित प्रभाव से कुछ उपलब्धि होती है। यदि बैंक देशी कंपनियों को रुपया और अग्रिम ऋण देने के लिए रिज़र्व बैंक के पास अपनी विदेशी मुद्रा परिवर्तित करते हैं तो इसमें मौद्रिक तथा उत्पादक प्रभाव प्राप्त होगा। यदि रुपया संसाधन सरकारी पत्र में निवेशित किये जाएं तो इसमें कोई मौद्रिक प्रभाव नहीं मिलेगा क्योंकि तब रिज़र्व बैंक सरकार को घाटा पहुंचाते हुए बाह्य क्षेत्र के अधिशेषों का मात्र व्यापार कर सकेगा।

चार्ट III.5 : अधिशेष बैंक चलनिधि और ब्याज दर

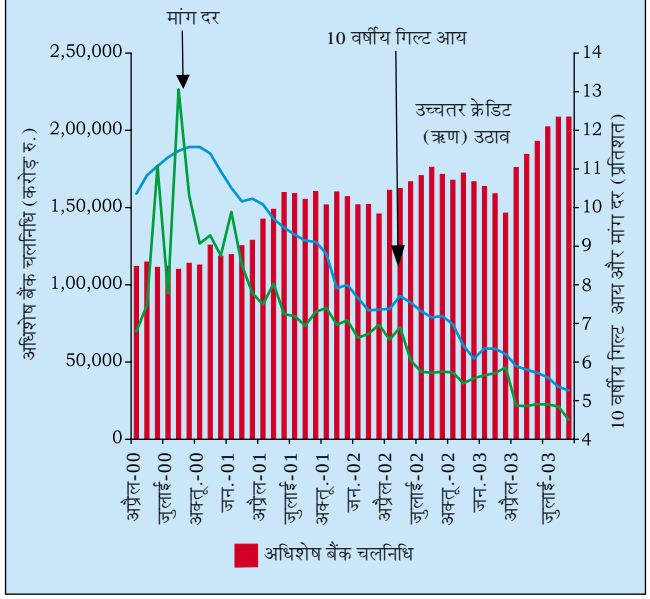

3.39 राजकोषीय वर्ष 2002-03 की शुरूआत अप्रैल के दौरान आम तौर पर पर्याप्त चलनिधि की स्थिति के साथ हुई तथा उसके द्वारा वर्ष के अंत में बाजार में निधियों की कमी खत्म हुई। इसका केंद्र सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम की शुरूआत के जरिए प्रतिसंतुलन किया गया तथा यह रिज़र्व बैंक के खुला बाजार (रिपो सहित) क्रयों से और मजबूत हुआ। वास्तव में, मई के प्रथम पखवाड़े में सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम की प्रगति तथा खाद्य ऋण में पर्याप्त वृद्धि के कारण चलनिधि कमी की स्थिति उत्पन्न हो गयी तथा इसके फलस्वरूप चलनिधि समायोजन सुविधा नीलामियों से बैंक हट गए तथा रिज़र्व बैंक के पास शेष में गिरावट आयी। इसके अतिरिक्त सीमा पर तनाव के कारण

बाजार में अनिश्चितता उत्पन्न हो गयी तथा इसके फलस्वरूप मई के दूसरे पखवाड़े में रिज़र्व बैंक के पास सरकारी प्रतिभूतियों के निजी स्थान नियोजन की शृंखला अनिवार्य हो गयी। नकदी प्रारक्षित अनुपात में 50 आधार अंकों की कटौती तथा सरकारी बॉण्ड के शोधन में वृद्धि के फलस्वरूप जून में चलनिधि की स्थिति में बढ़ोत्तरी हुई जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामियां तथा अग्रिम कर बहिर्वाह में बैंकों का अभिदान सहज हो गया। 27 जून को रिपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती के फलस्वरूप पहले का रुख लौट आया तथा सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार में अभिरुचि फिर से उत्पन्न हो गयी।

3.40 वर्ष 2003-04 की विशेषता यह रही कि इसमें अब तक अधिशेष चलनिधि की स्थिति बनी रही जो पूँजी अंतर्वाहों में सतत उछाल से उत्पन्न हुई है जो वाणिज्यिक बैंकों के घरेलू जमा संग्रहण और सापेक्षत: मामूली ऋण मांग में कमी से हुए प्रतिसंतुलन से अधिक है। जून 2003 में निवल मांग और मीयादी देयताओं के 4.5 प्रतिशत तक 25 आधार अंकों की कटौती करके बैंकिंग प्रणाली को अतिरिक्त निधियाँ जारी कीं। सुगम चलनिधि स्थितियों को प्रतिबिंबित करते हुए रेपो दर अगस्त 2003 में 50 आधार अंक की कटौती करके 4.5 प्रतिशत तक कम कर दी गई। परिणामस्वरूप, सरकारी प्रतिभूतियों में वाणिज्यिक बैंकों के निवेश प्राथमिक नीलामियों और खुला बाज़ार परिचालनों (रिपो सहित) के माध्यम से सुदृढ़ स्थिति में बने रहे।

3.41 वर्ष 2002-03 के उत्तरार्ध में चलनिधि की स्थिति में भारी सुधार से इस अवधि में मांग मुद्रा बाज़ारों के टर्न ओवर में गिरावट आयी जिसके लिए उधाकरकर्ताओं से उधार लेने में उल्लेखनीय कमी आयी। साथ ही, इसका बाज़ार में कुछ पुराने उधारकर्ता कभी-कभारवाले उधारदाता बन गये। इसके अलावा, चलनिधि समायोजन सुविधा के अधीन रेपो दरें अप्रैल से मध्य अक्तूबर 2003 के दौरान मांग दरों की तुलना में लगातार ऊंची रहीं जिसके कारण उधारदाताओं की प्रवृत्ति रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा में ज्यादा निधियाँ लगाने की रही और उसके द्वारा मांग / सूचना मुद्रा खण्ड में टर्नओवर मंद हो गया।

बैंकों की आस्तियों और देयताओं की परिपक्वता संबंधी रूपरेखा

3.42 वाणिज्यिक बैंकों की देयताओं की परिपक्वता रूपरेखा अपेक्षाकृत छोटी है क्योंकि इनकी जमाराशियों का अधिकांश भाग एक से तीन वर्ष के परिपक्वता समूह में था (सारणी III.14)। आस्तियों के मामले में निवेश संविभाग का एक बड़ा भाग दीर्घावधि प्रकृति का है तथा इसकी परिपक्वता अवधि 5 वर्ष से अधिक है। ऋणों और अग्रिमों का संविभाग अपेक्षाकृत जमाराशि संविभाग के अनुरूप है तथा इसका पर्याप्त भाग तीन वर्ष से कम की परिपक्वता अवधि में है।

बैंक स्टॉक का मूल्य

3.43 पूंजी बाजार में मंदी की स्थिति के बावजूद पूरे 2002-03 के दौरान बैंक शेयरों में प्रभावी वृद्धि दर्ज की गई जैसा कि बीएसई में हाल ही में शुरू किए गए बैंकेक्स (बैंक सूचकांक) तथा एनएसई के एसएण्डपी सीएनएक्स बैंक सूचकांक दोनों में स्टाक सूचकों से इंगित होता है (चार्ट III.6)। बैंक शेयरों के प्रति बाजार की वरीयता बैंक शेयरों, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शेयरों के व्यापार की मात्रा में तीव्र वृद्धि से भी परिलक्षित होती है (सारणी III.15)। एनएसई के पूंजी बाजार क्षेत्र में 16 सरकारी क्षेत्र के बैंकों में 9 बैंकों की दैनिक औसत आय धनात्मक रही तथा 19 निजी बैंकों में से 15 बैंकों की दैनिक औसत आय धनात्मक रही (सारणी III.16), यद्यपि कतिपय निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में अधिग्रहण और विलय की बाजार प्रत्याशाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में विनिवेश ने भी बैंक स्टॉक के मूल्यों में तीव्र वृद्धि की लेकिन फिर भी इसने मुख्य रूप से निम्नलिखित दो कारकों के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाया:

- विशेषकर कम होती ब्याज दरों की व्यवस्था में व्यापार लाभ के परिणामस्वरूप बैंक की लाभप्रदता में वृद्धि से ऐसा प्रतीत होता है समीक्षाधीन वर्ष के दौरान नीतिगत दरों में कमी जैसे मौद्रिक नीति के उपायों के कारण बैंक स्टॉक मूल्यों की संवेदनशीलता को बढ़ा दिया है।
- निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडी आइ) मानदंडों में छूट सहित बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों में प्रगति ने निजी क्षेत्र के सुधारों में प्रगति ने निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों की स्थिति सुधार दी है जिसकी प्रवृत्ति इक्विटी

सारणी III.14: चुनिंदा देयताओं / आस्तियों की बैंक समूहवार परिपक्वता रूपरेखा

(प्रतिशत)

देयताएं	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		निजी क्षेत्र के नए बैंक		विदेशी बैंक	
	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. जमाराशियां	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
क) एक वर्ष तक	29.4	34.2	50.5	49.4	58.5	53.4	54.5	53.4
ख) एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक	52.2	44.7	40.5	39.2	37.3	41.9	23.6	42.6
ग) तीन वर्ष से अधिक और पांच वर्ष तक	9.7	9.4	4.0	5.3	2.2	1.9	10.8	3.9
घ) पांच वर्ष से अधिक	8.7	11.7	5.0	6.1	2.0	2.8	11.1	0.1
II. उधार राशियां	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
क) एक वर्ष तक	60.9	74.9	92.1	82.9	52.9	45.7	77.4	87.4
ख) एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक	15.9	14.9	4.1	13.2	31.3	39.2	4.7	12.4
ग) तीन वर्ष से अधिक और पांच वर्ष तक	11.9	5.5	2.4	2.1	9.5	6.6	16.2	0.0
घ) पांच वर्ष से अधिक	11.3	4.7	1.4	1.8	6.3	8.5	1.7	0.2
III. ऋण और अग्रिम	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
क) एक वर्ष तक	41.6	39.3	41.3	43.5	35.8	36.1	65.6	64.7
ख) एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक	33.2	35.2	37.5	36.1	28.5	29.6	20.3	22.1
ग) तीन वर्ष से अधिक और पांच वर्ष तक	11.4	11.7	10.4	8.8	13.9	12.9	6.2	5.9
घ) पांच वर्ष से अधिक	13.8	13.8	10.8	11.6	21.8	21.4	7.8	7.3
IV. निवेश (बही मूल्य पर)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
क) एक वर्ष तक	11.6	12.3	14.2	18.9	40.0	44.9	45.7	46.6
ख) एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक	15.9	13.7	16.5	14.6	22.0	29.0	23.2	24.8
ग) तीन वर्ष से अधिक और पांच वर्ष तक	15.6	15.8	9.4	9.6	12.6	6.3	16.2	12.4
घ) पांच वर्ष से अधिक	56.9	58.2	59.9	56.9	25.4	19.8	14.9	16.2

स्रोत : संबंधित बैंकों का तुलन पत्र

बाजारों में पहले से अपेक्षाकृत कम मूल्य आंकने की होती थी।

3.44 समकालिकता परीक्षण (जो स्टॉक के अंश को निर्दिष्ट करता है तथा जो एक साथ उसी दिशा में बढ़ता है तथा इस प्रकार उद्योगव्यापी बनाम शेयरवार कारकों की सापेक्षिक क्षमता की माप करता है) से यह स्पष्ट होता है कि मोटे तौर पर बैंक शेयरों में बाजार की रूचि उद्योग विशिष्ट कारकों से निर्धारित होती है। प्रमुख लाभ कमाने वालों में बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, विजया बैंक, देना बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शामिल हैं (सारणी III.16)। औसत दैनिक लेन-देन के संदर्भ में सर्वाधिक सक्रिय शेयर भारतीय स्टेट बैंक, सिंडिकेट बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया के रहे हैं।

चार्ट III.6 : बैंक शेयरों के सूचकांक में उतार-चढ़ाव

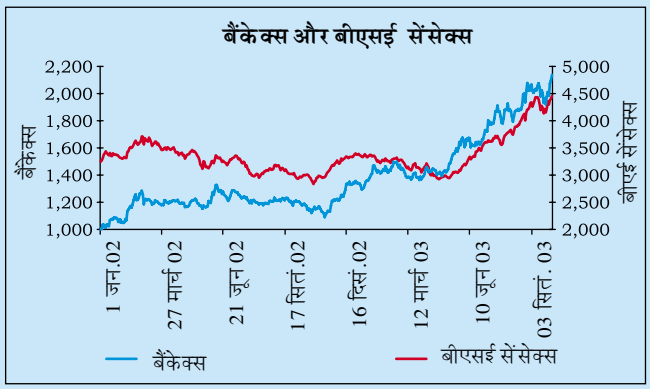

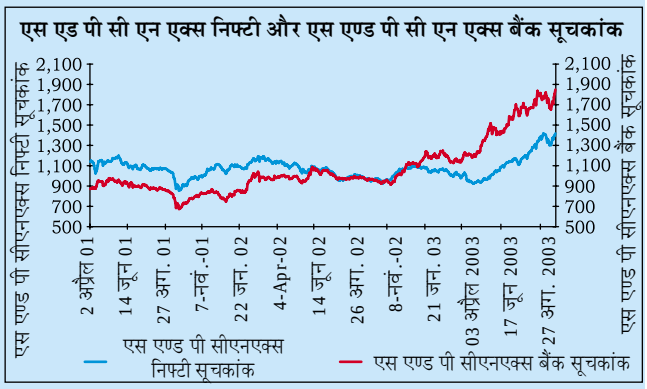

सारणी III.15 : एनएसई में बैंक शेयरों के लेनदेन के ब्यौरे

श्रेणी	2001-02		2002-03	
	मूल्य (लाख रुपए)	कुल के प्रति प्रतिशत	मूल्य (लाख रुपए)	कुल के प्रति प्रतिशत
1	2	3	4	5
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	4,33,567	0.8	16, 40,648	2.7
निजी बैंक	2,19,800	0.4	4,26,216	0.7
कुल	6,53,367	1.2	20,66,864	3.3
कुल बाजार मूल्य	**5,13,16,740**		**6,17,98,860**	

सारणी III.16 : बैंकों के शेयर मूल्य में परिवर्तन

बैंक का नाम	औसत अंतिम मूल्य (रुपया)	
	2001-02	2002-03
1	2	3
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		
इलाहाबाद बैंक	—	13.5 *
आंध्र बैंक	8.5	17.0
बैंक ऑफ बड़ौदा	45.9	59.3
बैंक ऑफ इंडिया	16.2	31.2
केनरा बैंक	—	61.5 +
कार्पोरेशन बैंक	130.4	120.9
देना बैंक	6.9	10.8
इंडियन ओवरसीज बैंक	8.1	12.9
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	35.6	46.7
पंजाब नैशनल बैंक	—	56.1 @
सिंडिकेट बैंक	9.4	14.6
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	—	20.0 #
विजया बैंक	7.5	12.4
भारतीय स्टेट बैंक	208.0	250.7
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	286.2 **	—
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	263.1 **	—
निजी क्षेत्र के बैंक		
बैंक ऑफ राजस्थान लि.	10.5	15.3
सिटी यूनियन बैंक लि.	21.3	30.9
फेडरल बैंक लि.	50.2	87.1
जम्मू और कश्मीर बैंक लि.	48.8	95.2
कर्नाटक बैंक लि.	33.8	61.2
करूर वैश्य बैंक लि.	127.8	194.7
लक्ष्मी विलास बैंक लि.	45.9	65.9
नेदुंगुडी बैंक	41.5	34.9 ++
साउथ इंडियन बैंक लि.	29.1	36.5
यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक	22.8	22.8
वैश्य बैंक लि.	132.6	258.3
बैंक ऑफ पंजाब लि.	12.9	13.9
सेंचुरियन बैंक लि.	9.3	8.7
ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि.	22.4	18.9
एचडीएफसी बैंक लि.	227.0	217.6
आइसीआइसीआइ बैंक लि.	117.0	137.4
आइडीबीआइ बैंक लि.	19.5	18.9
इंडसइंड बैंक लि.	12.5	15.9
यूटीआइ बैंक लि.	30.3	38.9

* 29 नवंबर 2002 से;
\+ 23 दिसंबर 2002 से;
** 27 दिसंबर 2001 तक;
++ 30 सितंबर 2002 तक;
@ 26 अप्रैल 2002 से;
# 24 सितंबर 2002;
टिप्पणी : अंतिम मूल्य आंकड़े औसत आधार पर है।
स्रोत : राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज

3. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का वित्तीय निष्पादन

3.45 2002-03 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की लाभप्रदता में काफी वृद्धि हुई। लाभ में यह वृद्धि मुख्यतः दो कारणों से हुई। पहला, बाजार में व्याप्त सहज चलनिधि दशाओं के फलस्वरूप व्यापार से आय में काफी वृद्धि हुई जिसने बैंकिंग क्षेत्र की 'अन्य आय' बढ़ाई। दूसरा, जमा दरों में कटौती के फलस्वरूप आमतौर पर ब्याज का विस्तार हो गया तथा विशेषकर जमाराशियों पर दिया गया ब्याज मोटे तौर पर नियंत्रित रहा (सारणी III.17)।

आय

3.46 2002-03 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल आय 14.1 प्रतिशत बढ़ गयी जो 1997-2002 की अवधि में हासिल 12.1 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से उच्चतर थी। बैंक समूहों में निजी क्षेत्र के नए बैंक समूह की आय में सर्वाधिक वृद्धि हुई। वास्तव में, विदेशी बैंकों की कुल आय में कमी मुख्यतः भारत में परिचालनरत विदेशी बैंकों की संख्या में कमी के कारण आयी। निजी क्षेत्र के नए बैंक की श्रेणी में आय में उच्च वृद्धि का अभिप्राय है - अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल आस्तियों के प्रति आय का अनुपात 2001-02 के 9.8 प्रतिशत बढ़कर 2002-03 में 10.2 प्रतिशत हो गया। तथापि, नए निजी बैंकों के छोड़कर सभी अन्य बैंक समूहों के इस अनुपात में कमी देखी गयी (परिशिष्ट सारणी III.11)। चूँकि रिज़र्व बैंक ने समयातिक्रमण वाली कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के कुछ श्रेणियों के संदर्भ में बैंकों को उपचय आधार पर आय निर्धारित करने की अनुमति दी, इस कारण कतिपय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की लाभप्रदता में भी सुधार हुआ (परिशिष्ट सारणी III.12(क) से (ज)।

ब्याज आय

3.47 ब्याज आय में अधिकांश बैंक समूहों की प्रमुख आय सम्मिलित होती है। उदाहरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए ब्याज आय में विशिष्ट रूप से उनकी कुल आय का 80 प्रतिशत

सारणी III.17 : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के महत्त्वपूर्ण वित्तीय संकेतक

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	2000-01		2001-02		2002-03	
	राशि	कुल आस्तियों के प्रति प्रतिशत	राशि	कुल आस्तियों के प्रति प्रतिशत	राशि	कुल आस्तियों के प्रति प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1. आय (क+ख)	1,32,076	10.2	1,51,032	9.8	1,72,374	10.1
क) ब्याज आय	1,15,091	8.9	1,26,958	8.3	1,40,718	8.3
ख) अन्य आय	16,985	1.3	24,074	1.6	31,656*	1.9
2. व्यय (क+ख+ग)	1,25,672	9.7	1,39,456	9.1	1,55,297	9.1
क) लगा हुआ ब्याज	78,141	6.0	87,516	5.7	93,607	5.5
ख) परिचालन व्यय	34,178	2.6	33,679	2.2	38,085	2.2
जिसमें से:						
मजदूरी बिल	23,218	1.8	21,785	1.4	23,613	1.4
ग) प्रावधान और आकस्मिकताएं	13,353	1.0	18,261	1.2	23,605	1.4
3. परिचालन लाभ	19,757	1.5	29,837	1.9	40,682	2.4
4. निवल लाभ	6,403	0.5	11,576	0.8	17,077	1.0
5. अंतर (1क -2क)	36,950	2.9	39,441	2.6	47,111	2.8

टिप्पणी : 2000-01, 2001-02 और 2002-03 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की संख्या क्रमशः 100, 97 और 93 थी।
* भूतपूर्व आइसीआइसीआइ लि. द्वारा धारित आइसीआइसीआइ बैंक लि. के शेयरों पर लाभ शामिल है।

सम्मिलित होता है। ब्याज आय के दो प्रमुख स्रोत हैं - अग्रिम पर आय और निवेश पर आय। पहले संविदाकृत उच्च ब्याज वाले ऋणों के कारण अग्रिमों पर ब्याज अभी भी ब्याज आय का बड़ा हिस्सा है, जो 2002-03 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की ब्याज आय का लगभग 46 प्रतिशत है जबकि 1997-98 में यह 50 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वृहतर ऋण उठाव का प्रभाव भी देखा गया था। बैंकों की आय का दूसरा प्रमुख घटक निवेश से आय है। ब्याज से होने वाली आय के हिस्से में कमी की क्षतिपूर्ति काफी हद तक निवेश से होनेवाली आय में बढ़ोत्तरी से हो गयी है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में इस आय का हिस्सा 1977-98 के 43 प्रतिशत से बढ़कर 2002-03 में 47 प्रतिशत हो गया। विशिष्ट रूप से पिछले पांच वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल आस्तियों के प्रति ब्याज आय लगभग 8.3 प्रतिशत के इर्द-गिर्द रही है।

3.48 आपूर्ति पक्ष में दृढ़ पूंजी प्रवाह तथा माँग पक्ष में कमजोर ऋण उठाव और विवेक सम्मत मानदण्डों को सख्त करने के कारण सहज चलनिधि की स्थिति व्याप्त होने की अनुक्रिया में हाल के वर्षों में वाणिज्यिक बैंकों की आस्तियों की संरचना बदलती रही है। इसके परिणामस्वरूप 1997 से 2003 के दौरान निवेश में वृद्धि की दर अग्रिमों के आय अर्जन की दर (यानी अग्रिमों, गैर निष्पादक आस्तियों के समायोजन) से उच्चतर थी। आस्ति संरचना और अंतःवर्ती व्यापक आर्थिक दशाओं में परिवर्तन की अनुक्रिया में आय की संरचना बदलती रही है। कुल आय में अग्रिमों पर ब्याज का हिस्सा कम होता रहा है जो ऋण के मंदतर प्रसार और कम होती ब्याज दर, दोनों को दर्शाता है। दूसरी ओर कुल आय में निवेश से प्राप्त ब्याज आय का हिस्सा निवेश के वृहतर समूह के कारण बढ़ा जो आय में कमी के कारण आंशिक रूप से कम हो गया।

अन्य आय

3.49 आय का अन्य प्रमुख घटक है शुल्क आधारित गतिविधियों से उत्पन्न आय जैसे कि कमीशन और दलाली, जमीन भवन की बिक्री से लाभ के साथ-साथ विनिमय कार्यों से उत्पन्न निवल आय। इनमें से, कमीशन, विनिमय और दलाली अन्य आय के प्रमुख भाग के रूप में विशेषरूप से इसके अंतर्गत आते हैं। तथापि, हाल के वर्षों में बैंकों, मूलतः सरकारी बैंकों और कुछ कम हद तक निजी बैंकों में उनकी कारोबार आय में तेज वृद्धि के कारण महत्त्वपूर्ण लाभ दिखाई पड़ा है। आय में निरंतर कमी तथा सघन होते सरकारी प्रतिभूति बाजार के फलस्वरूप निवेश की बिक्री से लाभ में तीव्र वृद्धि हुई। इसलिए यह मुद्दा उठ खड़ा हुआ है कि क्या खजाना बैंक आय का प्रमुख स्रोत है (बॉक्स III.3)। वास्तव में 2002-03 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कारोबारी आय पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 65 प्रतिशत तक बढ़ी है जो दर्शाती है कि इस संबंध में लगभग सभी बैंकों द्वारा लाभ कमाया गया है और कतिपय बैंकों के मामले में यह कारोबारी आय वस्तुतः चौगुनी हो गयी है। दूसरी ओर, विदेशी बैंक समूह के मामले में विदेशी मुद्रा आय पारंपरिक रूप से ऊंची रही है जो

बॉक्स III.3 : क्या बैंक आय का प्रमुख स्रोत खजाना से प्राप्त आय है ?

वाणिज्यिक बैंकों की आय के स्रोतों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि हाल के वर्षों में उनकी आय की संरचना में परिवर्तन आया है। अग्रिमों / बिलों पर अर्जित ब्याज / बट्टा बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है तथा यह उनकी कुल आय का 40 प्रतिशत से भी कम तक गिर गया है। 2002-03 में निवेश से प्राप्त ब्याज आय का हिस्सा कुल आय का 36 प्रतिशत था।

आय की संरचना में उपयुक्त परिवर्तन बैंकों के तुलन-पत्र में आस्तियों की बदलती हुई संरचना के अनुरूप है। जबकि 1997 से 2003 के दौरान निवेश में 20.7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर से चक्रीय वृद्धि दर्ज की गयी, इसी अवधि के दौरान अर्जक अग्रिमों (यानी अग्रिमों से परंतु गैर-निष्पादक आस्तियों को घटाकर) में 18.6 प्रतिशत की निम्नतर दर से वृद्धि हुई।

आस्ति सरंचना में परिवर्तन के कारण निवेश से आय में 1969-97 से 2002-03 की अवधि के दौरान 17.4 प्रतिशत की चक्रीय वार्षिक वृद्धि दर से उच्चतर वृद्धि दर्ज की गयी जबकि अग्रिमों पर ब्याज 10.2 प्रतिशत की दर से रहा जिसके फलस्वरूप कुल आय में उनके अंश का अंतर कम हो गया। ऋण देने की दर में तीव्र कमी के कारण भी आय की संरचना में परिवर्तन आया (चार्ट क)।

चार्ट क: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अग्रिमों / निवेश पर ब्याज आय

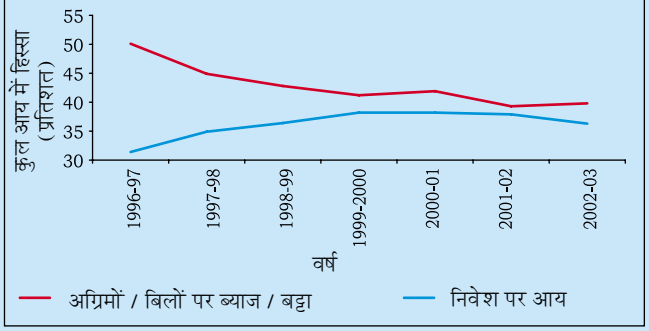

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए निवेश (प्रतिभूतियों के व्यापार) बिक्री से लाभ 39 प्रतिशत बढ़कर 13,245 करोड़ रुपए हो गया जो पिछले वर्ष 9,541 करोड़ रुपए था। 2002-03 के दौरान 51 बैंकों ने व्यवसाय में वृद्धि दर्ज की। दूसरी ओर 9 बैंकों ने निवेश पर निवल हानि की सूचना दी। 2002-03 के दौरान बैंकों की कुल आय में व्यवसाय से लाभ का हिस्सा 7.7 प्रतिशत तथा उनके परिचालन लाभ का हिस्सा लगभग 33 प्रतिशत था।

1996-97 से 2000-01 के दौरान परिचालन लाभ में व्यवसाय लाभ का हिस्सा काफी कम था तथा यह 3.5 से 16.1 प्रतिशत के बीच रहता था, उसके बाद 2001-02 में इसमें काफी वृद्धि हुई तथा यह 32 प्रतिशत हो गया और 2002-03 में और बढ़कर 32.6 प्रतिशत हो गया (चार्ट - ख)।

चार्ट ख: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश की बिक्री पर लाभ

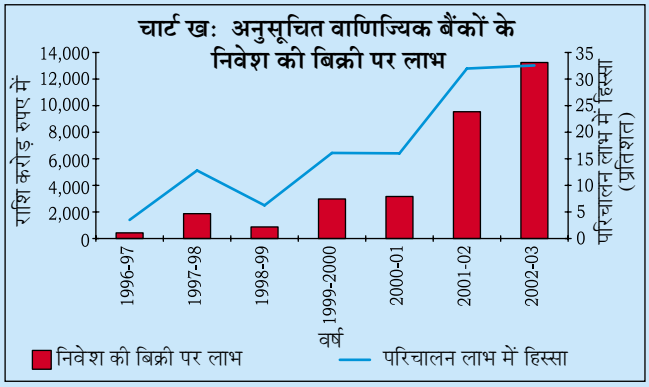

प्रतिभूतियों के व्यापार से लाभ का हिस्सा विभिन्न बैंक समूहों में बदलता रहा। निजी क्षेत्र के पुराने बैंक प्रतिभूतियों के व्यापार पर अत्यधिक निर्भर करते है तथा जिसका 2001-02 और 2002-03 दोनों वर्षों में उनके परिचालन लाभ का 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान था। 2001-02 में विदेशी बैंकों ने प्रतिभूतियों के व्यापार से 1000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ कमाया तथा उनके व्यवसाय लाभ कम होकर 504 करोड़ रुपए रह गए जिसने उनके परिचालन लाभ में केवल 13.5 प्रतिशत का योगदान दिया। भारतीय स्टेट बैंक ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों के व्यापार से 2,675 करोड़ रुपए का उच्चतर लाभ कमाया जो 2001-02 में 1,034 करोड़ रुपए था। तथापि परिचालन लाभ में इसका हिस्सा 25 प्रतिशत से भी कम था जो 32.6 प्रतिशत के सिस्टम औसत से निम्नतर है।

बैंक स्तर पर जबकि 27 बैंकों (जिनके पास बैंकिंग प्रणाली की कुल आस्तियों का लगभग 14 प्रतिशत है) ने प्रतिभूतियों के व्यापार से अपने लाभ का 50 प्रतिशत से अधिक अर्जित किया, 16 बैंकों (मुख्यतः छोटे विदेशी बैंकों जिनका कुल आस्तियों में हिस्सा 0.5 प्रतिशत से कम है) ने प्रतिभूतियों के व्यापार से कोई लाभ नहीं कमाया। अन्य 15 बैंकों के लिए व्यवसाय लाभ उनके परिचालन लाभ के 15 प्रतिशत से कम था। 2002-03 में 38 बैंकों में से प्रत्येक ने प्रतिभूतियों के व्यापार से 100 करोड़ रुपए से अधिक कमाया।

इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि 2002-03 के दौरान सिस्टम स्तर पर बैंकों की लाभप्रदता में व्यवसाय लाभ का महत्त्वपूर्ण हिस्सा था। बैंक स्तर पर यद्यपि कुछ बैंकों के लिए यह लाभ का प्रमुख स्रोत था, परंतु कुछ अन्य बैंक प्रतिभूतियों के व्यापार से कोई लाभ नहीं अर्जित कर पाए।

तुलनपत्र से इतर गतिविधियों, मूलतः वायदा विनिमय संविदाओं को दर्शाती है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने भी पिछले दो वर्ष में काफी विदेशी मुद्रा आय दर्ज की है।

व्यय

3.50 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के व्यय में 2002-03 में लगभग 11.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि 1997-2002 की अवधि में देखी गई 11.7 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि से कम है। बैंक समूहों के बीच विदेशी बैंकों ने तीन कारणों से अपने व्यय में भारी कमी दर्शायी: (क) उनके ब्याज व्यय में महत्वपूर्ण कमी, (ख) उनके मजदूरी और वेतन लागतों में कमी और (ग) प्रावधानों और आकस्मिकताओं को कम करना; और इस सबका परिणाम यह हुआ कि आस्तियों से समग्र व्यय का अनुपात पिछले वर्ष के 10.1 प्रतिशत से घटकर 8.8 प्रतिशत हो गया। अन्य बैंक समूहों ने भी ब्याज व्यय और परिचालन व्ययों के नियंत्रण से उत्पन्न समग्र व्यय में महत्त्वपूर्ण कमी अनुभव की। तथापि, एक अपवाद यह था कि निजी क्षेत्र के नये बैंक जिनके व्यय उल्लेखनीय रूप से बढ़े, जो आंशिक रूप से अन्य व्ययों (निर्गमित 'नोटों' और बांडों पर ब्याज, पिछले वर्ष से प्रभावी) तथा आंशिक रूप से इस संदर्भ में एक और नये निजी क्षेत्र के बैंक के प्रवेश के कारण यह वृद्धि दिखाई दी।

ब्याज व्यय

3.51 जमाराशियों पर ब्याज ब्याज-व्यय का प्रमुख घटक है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में यह कुल व्यय का लगभग 65 प्रतिशत और पिछले पांच वर्षों के दौरान ब्याज व्यय के 90 प्रतिशत से भी ज्यादा बैठता है। विदेशी बैंकों के मामले में, जमाराशियों पर ब्याज, कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में और ब्याज व्यय के रूप में दोनों ही प्रकार से सरकारी और निजी क्षेत्रों में अपने प्रतिपक्षियों की तुलना में काफी कम है। विगत कुछ वर्षों में सभी स्तरों पर ब्याज दरों में गिरावट के साथ और रिज़र्व बैंक द्वारा अस्थायी दर वाली जमाराशियां शुरू करने से बैंकों की सभी श्रेणियों के बीच ब्याज व्यय में भारी गिरावट आयी है। यह इस तथ्य में परिलक्षित है कि अधिकांश बैंकों के ब्याज व्यय के हिस्से में ध्यान देने योग्य गिरावट आई है। उदाहरणात्मक रूप से, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुल व्यय में ब्याज व्यय का हिस्सा जो कि 1997-98 में 65 प्रतिशत था 2002-03 में गिरकर 60 प्रतिशत पर आ गया है। इसी प्रकार की गिरावटें अन्य बैंक समूहों में भी दिखाई दी थीं।

परिचालनीय व्यय

3.52 परिचालनीय व्यय में पारश्रिमिक (वेज) व्यय और पारिश्रमिकेतर व्यय जैसे कि भाड़ा, कर और बिजली, विज्ञापन, निदेशकों के शुल्क और भत्ते तथा कानूनी प्रभार आते हैं। अधिकांश बैंक समूहों के लिए परिचालन व्ययों में मामूली वृद्धि हुई खास तौर पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में ऊंचे मूल्यह्रास, लेखा-परीक्षा शुल्क और मरम्मत एवं रखरखाव के कारण। अतिरिक्त रूप से, छुट्टी नकदीकरण से संबंधित सेवानिवृत्ति लाभ प्रभारित करने के कारण सरकारी क्षेत्र के अनेक बैंकों के पारश्रिमिक व्यय में वृद्धि हुई। दूसरी ओर विदेशी बैंकों के परिचालन व्ययों में कमी दिखाई दी जो उनके पारिश्रमिक (वेज) बिल में ठहराव को दर्शाती है जोकि बैंक समूहों के बीच विशेषरूप से न्यूनतम है। बैंक समूहों के बीच परिचालन व्ययों में क्रमिक कमी को देखते हुए, समग्र रूप में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए कुल आस्तियों से परिचालन व्ययों की स्थिति में विगत कुछ वर्षों में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी है।

पारिश्रमिक बिल

3.53 कर्मचारियों को भुगतान और उसके लिए प्रावधान करना परिचालन व्ययों की प्रमुख मद है, खास तौर पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए और पिछले कुछ वर्षों के दौरान यह उनके कुल व्ययों का लगभग 20 प्रतिशत रहा है। 2000-01 में पारिश्रमिक बिल का हिस्सा बढ़ गया, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में जब स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना प्रारंभ की गयी तो उनके परिश्रमिक बिल बढ़ गये और परिणामस्वरूप उनके परिचालन व्ययों में भी वृद्धि हुई। 1997-2001 की अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पारश्रिमिक बिलों में वृद्धि 12.5 प्रतिशत थी जिसमें 2001-02 की 8.6 प्रतिशत वृद्धि का समावेश था। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के बाद श्रमशक्ति के यौक्तिकीकरण ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पारश्रिमिक बिल को तेजी से छोटा कर दिया है और कुल व्यय में इसका प्रतिशत घटाकर लगभग 17 प्रतिशत के आस-पास कर दिया है। तथापि, यह अंश भविष्य निधि, उपदान (ग्रैच्युटी) निधि में ऊंचे अंशदान और छुट्टी नकदीकरण सुविधा के लिए प्रावधान के कारण लगातार ऊंचा बना हुआ है। अधिकांश अन्य बैंक समूहों के लिए कुल व्यय में पारिश्रमिक बिल का हिस्सा उल्लेखनीय रूप से कम है जो 2002-03 में निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों के लिए लगभग 13 प्रतिशत और निजी क्षेत्र के नये बैंकों के लिए 5 प्रतिशत से कम है। वास्तव में, अधिक प्रौद्योगिकी उन्मुख निजी क्षेत्र के नये बैंकों और विदेशी बैंकों की प्रवृत्ति उनके पुराने और सरकारी क्षेत्र के प्रतिपक्षियों की तुलना में कुल व्यय में पारिश्रमिक बिल का अनुपात काफी कम रहा है।

प्रावधान और आकस्मिकताएं

3.54 प्रावधानों और आकस्मिकताओं संबंधी प्रमुख मदें ऋण हानियों के लिए प्रावधान, निवेश मूल्य में मूल्यह्रास हेतु प्रावधान और करों हेतु प्रावधानों से बनती हैं। ये प्रावधान विशिष्ट रूप से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल व्ययों के लगभग 10-12 प्रतिशत का निर्माण करते हैं किंतु बैंक समूहों के बीच उल्लेखनीय अंतर है। अपनी भारी गैर-निष्पादक आस्तियों के कारण जो उनका पिछला इतिहास बताती है, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को विदेशी बैंकों की तुलना में ऋण हानि के लिए भारी प्रावधान करने पड़ते हैं जबकि विदेशी बैंकों को उनकी बेहतर समग्र आस्ति गुणवत्ता के कारण साधारणतया कम प्रावधान करने पड़ते हैं। सभी बैंक समूहों और खासतौर से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रावधानों में तेज वृद्धि दिखाई दी और खासतौर पर ऋण हानि के प्रावधानों में यह वृद्धि दोनों ही अर्थों में थी अर्थात् प्रतिशत के अर्थ में और कुल व्ययों से अनुपात दोनों ही अर्थ में थी। आसन्न 90-दिवसीय बकाया संबंधी मानदंडों के लिए किये गये तदर्थ सामान्य प्रावधानों के अलावा मार्चांत 2000 से प्रभावी रूप से प्रारंभ किये गये वैश्विक निवेश संविभाग के आधार पर मानक आस्तियों के संबंध में किये गये प्रावधानों ने प्रावधानीकरण के समग्र स्तरों को बढ़ा दिया है। प्रावधानीकरण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय अनुभव सामान्यतया इस तथ्य का समर्थन करता है कि ऋण हानि प्रावधानों की प्रवृत्ति प्रतिचक्रीय (काउंटर साइक्लिकल) होती है (बाक्स III.4)।

बाक्स III.4 : ऋण हानि प्रावधानों की चक्रीयता

व्यापक रूप से यह माना जाता है कि जोखिम आधारित न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं की प्रवृत्ति अर्थव्यवस्था पर विपरीत चक्रीय प्रभाव डालने की रीति है। आखिरकार, आर्थिक मंदी में बैंक ऋण निवेश संविभागों की गुणवत्ता का क्षरण होता है जो ऐसे ऋणों के लिए प्रावधानीकरण हेतु पूंजी आवश्यकताओं में वृद्धि को जन्म देती है।

ऋण-हानि प्रावधानीकरण हेतु आय को सरल बनाने की अवधारणा के अनुभवजन्य परीक्षणों के विभिन्न परिणाम आये हैं। अलग-अलग अमरीकी बैंकों के आंकड़ों के आधार पर ऋण-हानि प्रावधानों और बैंक आय के बीच एक सकारात्मक संबंध पाया गया (ग्रीनवाल्ट एण्ड सिंकी, 1988)। अभी हाल ही में, स्पेनिश बैंकों के लिए ऋण हानि प्रावधानों और कारोबारी चक्र के बीच 1986-2000 की अवधि के लिए एक सुदृढ़ और महत्त्वपूर्ण संबंध दिखाई दिया था (फर्नांडिज़ और अन्य, 2002)।

हाल ही के आंतरिक अनुभवजन्य अनुसंधान में भारतीय बैंकों (चार्ट क और चार्ट ख) द्वारा किये गये ऋण - हानि प्रावधानीकरण की प्रवृत्तियों पर विचार किया गया है। 1997-2003[5] की अवधि के लिए 75 भारतीय बैंकों (27 सरकारी क्षेत्र के बैंक, 8 नये निजी, 20 पुराने निजी और 20 विदेशी बैंक) के लिए वार्षिक ऋण-हानि प्रावधानीकरण ने दर्शाया कि ऋण-हानि प्रावधानीकरण की प्रवृत्ति ने इस अवधि में अधोमुखी-प्रवृत्ति दर्शायी जब सकल देशी उत्पाद की वृद्धि ऊंची थी। इस प्रश्न की और गहराई से जांच-पड़ताल करने पर यह परिकल्पित किया गया कि यदि निम्नलिखित तीन शर्तों में से एक शर्त पूरी होती है तो बैंकों की प्रवृत्ति अविवेकी ऋण-हानि व्यवहार दर्शाने की रहती है और उनकी पूंजी पर अति संवेदनशील अनुकूल चक्रीय प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है:

1. ऋण-हानि प्रावधान बैंकों की आय के साथ नकारात्मक रूप से संबद्ध हैं (अर्थात् आखिरकार, यदि कोई बैंक अपनी आय को नियंत्रित बना रहा है तो उसे बेहतर आय की अवधि में ऊंचे प्रावधान करके अलग रखने चाहिए)।
2. ऋण-हानि आस्तियां वास्तविक ऋण वृद्धि के साथ नकारात्मक रूप से संबद्ध हैं जो यह दर्शाती हैं कि क्या बैंक की उधार देने की गति में तेज वृद्धि उसके ऋण निवेश संविभाग की गुणवत्ता में क्षरण के साथ जुड़ी है।
3. ऋण हानि प्रावधान आर्थिक चक्र के साथ अपना संबंध व्यक्त करने के लिए वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि के साथ नकारात्मक रूप से संबद्ध है।

तदनुसार, ऋण-हानि प्रावधानों के व्यवहार (बैंक आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) की व्याख्या निम्नलिखित कारकों यथा परिचालनगत लाभ (कुल आस्तियों द्वारा सामान्यीकृत), ऋण वृद्धि और सकल देशी उत्पाद वृद्धि के अर्थ में की जानी थी। इसके अलावा, समय विशेष प्रभाव जैसे कि विनियामक दृष्टिकोण में प्रवृत्तियों, को प्राप्त करने के लिए वर्ष नियंत्रित डमी की शुरूआत की गयी थी। परिणाम बताते हैं कि ऋण-हानि आस्तियों और बैंक आय के बीच एक नकारात्मक और महत्त्वपूर्ण संबंध है जो इस तथ्य का उललेख करता है कि औसतन बैंकों ने आय-नियमन पैटर्न का अनुसरण नहीं किया है। जबकि इसके ठीक विपरीत वास्तविक ऋण वृद्धि दर के पास एक सकारात्मक गुणांक है। यह दर्शाता है कि तेज ऋण वृद्धि अवधियों के दौरान बैंक विवेकशील रहे हैं। सकल देशी उत्पाद वृद्धि और ऋण हानि प्रावधानों के बीच पाया गया नकारात्मक संबंध बताता है कि भारत में बैंक आर्थिक मंदियों के पहले पर्याप्त प्रावधान नहीं करते हैं।

इसके अलावा, बैंकों के बीच (बैंक समूहवार डमी वैरिएबल डालकर) ऋण-हानि प्रावधानीकरण के व्यवहार की भिन्नता सुनिश्चित करने का एक प्रयास किया गया था। यह पाया गया कि विदेशी बैंक श्रेणी की तुलना में निजी क्षेत्र के नये और पुराने बैंकों के ऋण - हानि प्रावधान कम है।

भारतीय बैंकों के ऐसे प्रेक्षित व्यवहार के लिए अनेक नीतिगत निहितार्थ हैं। पहला, बैंकों को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत प्रोत्साहन है ताकि वे अनिवार्यताओं का ध्यान रखने के लिए पर्याप्त प्रावधान करें। इस बात को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय बजट 2002-03 में अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए बैंकों द्वारा किये गये प्रावधानों पर उनकी कुल आय के 5 प्रतिशत की कटौती करने की अनुमति बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दी। दूसरे, मानक ऋणों (जो वस्तुतः सामान्य प्रावधान के बराबर है) के लिए न्यूनतम आवश्यकता एक प्रगतिशील प्रणाली की एक न्यूनतम आवश्यकता मानी जा सकती है, जिसमें अन्य बातें यथावत् रहेंगी। यह वांछनीय होगा कि मंदी की तुलना में आर्थिक वृद्धि की अवधियों के दौरान ज्यादा संसाधनों को निकालकर अलग रखा जाए। सामान्य प्रावधानीकरण का यह पैटर्न 'गतिशील प्रावधानीकरण' कहलाता है। ऐसे प्रावधानों को सहारा देनेवाला आधारभूत सिद्धांत यह है कि दीर्घकालिक प्रत्याशित हानि के अनुमान सहित प्रत्येक लेखांकन अवधि में बकाया ऋणों के विरुद्ध प्रावधान किये जाते हैं।

संदर्भ :

ल्यूवेन एल.एण्ड जी. मेजनोनी (2003), "लोन लॉस प्रोविज़निंग एण्ड इकोनौमिक स्लो डाउन: ॲ मच टू लेट?," *जर्नल आफ फायनांशियल इंटरमीडिएशन,* वाल्यूम.12

फर्नांडिज लिस, जे.एम. पेजेज एण्ड जे. सौरीना (2002), "क्रेडिट ग्रोथ, प्राब्लेम लोन्स एण्ड क्रेडिट रिस्क प्रोविज़निंग इन स्पेन," *बीआइएस पेपर* नं.1, बी आइ एस, बेसल।

घोष सैबल एण्ड डी.एम.नाचने (2003), "आर बेसल कैपिटल स्टैण्डर्ड्स प्रो. साइक्लिकल? सम इम्पीरिकल इवीडेन्स फार इंडिया", *इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली,* जनवरी-फरवरी।

ऋण - हानि प्रावधानीकरण (%) परिवर्तन और सकल देशी वृद्धि

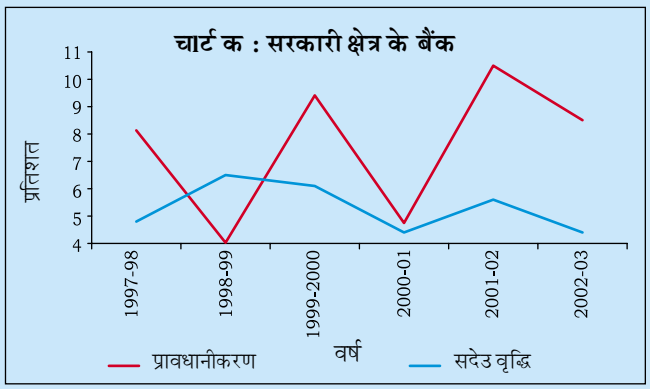

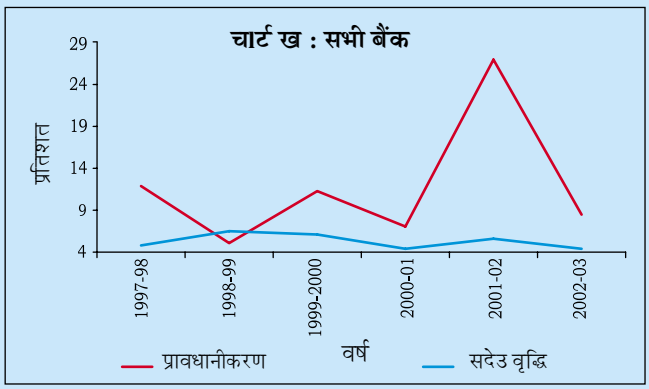

[5] अतिरिक्त प्रकटीकरण के एक अंग के रूप में बैंकों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे 1996-97 वर्ष से अपने तुलनपत्र में 'लेखों पर टिप्पणियां' शीर्षक के अंतर्गत ऋण हानि के संबंध में किये गये प्रावधानो को प्रकट करें।

परिचालन लाभ

3.55 31 मार्च 2003 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (अनु. वा. बैं.) के परिचालन लाभ ने पिछले वर्ष की तुलना में 36 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई जो विगत छह वर्षों में रिकार्ड की गई 16 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर से बहुत ऊंची है। वास्तव में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के परिचालन लाभों ने 2002-03 में सर्वोच्च वृद्धि दर्शायी और निजी क्षेत्र के नये बैंकों को उन्होंने एक किनारे कर दिया जिनकी वृद्धि दर निजी क्षेत्र के एक नये बैंक के शामिल होने और पिछले वर्ष में एक विलय के कारण आये अग्रणी प्रभाव के कारण सर्वोच्च थी। परिणामस्वरूप, सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कुल आस्तियों से परिचालन लाभ का प्रतिशत जो सामान्यतः 1.4 - 1.8 के दायरे में रहा है, उछलकर 2002-03 में 2.3 प्रतिशत पर आ गया। निजी क्षेत्र के नये बैंकों के मामलो में इसमें तेज वृद्धिऔर विदेशी बैंकों के मामले में इसमें मामूली वृद्धि दिखाई दी। निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों के मामले में यह अनुपात पिछले वर्ष के स्तर के आसपास ही रहा लेकिन फिर भी यह विगत तीन वर्षों के उनके आँकड़े से काफी ऊंचा है।

निवल लाभ

3.56 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवल लाभ 2002-03 में पिछले वर्ष की 81 प्रतिशत की वृद्धि के ऊपर लगभग 50 प्रतिशत बढ़े। बैंक समूहों के बीच यद्यपि अधिकांश अन्य बैंक समूहों ने भी भारी वृद्धि दर्ज की किंतु निजी क्षेत्र के नये बैंकों के निवल लाभ में सर्वोच्च वृद्धि हुई (चार्ट III.7)। सरकारी क्षेत्र बैंक समूह के भीतर स्टेट बैंक समूहों की तुलना में राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में यह वृद्धि काफी ऊंची थी। यह मुख्यतः खजाना परिचालनों से उत्पन्न भारी ब्याजेतर आय के कारण थी। हाल की अवधि में भारतीय बैंकों के लिए खजाना परिचालन एक प्रमुख आय केन्द्र के रूप में उभरे हैं, वस्तुतः

चार्ट III.7 : प्रमुख बैंक समूहों की लाभप्रदता : 1996-97 से 2002-03

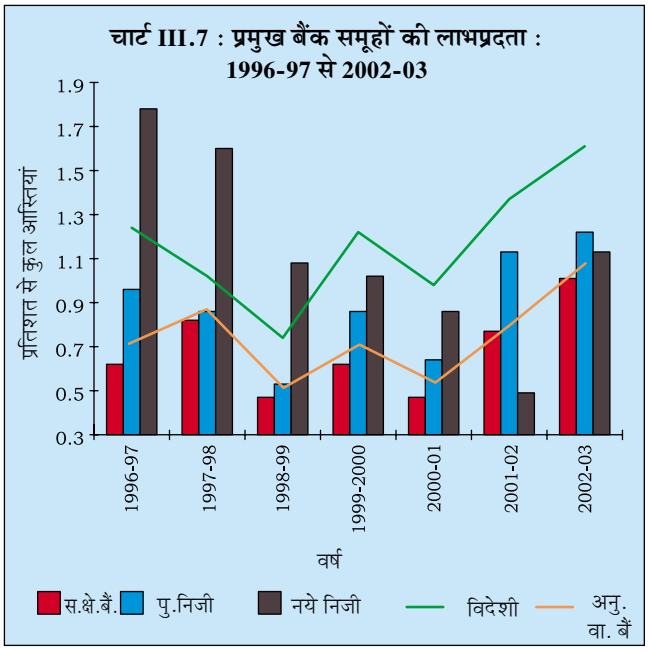

उनकी आय 2001-02 की तुलना में दुगनी हो गयी है। विदेशी मुद्रा आय यद्यपि खजाना आय जितनी भारी नहीं रही है लेकिन हाल के वर्षों में उसने बैंकों के परिचालन लाभों में महत्त्वपूर्ण रूप से योगदान दिया है, बावजूद इसके कि मार्जिनों पर दबाव बढ़ा है और अंतर - बैंक स्प्रेड भी कम होते चले गये हैं (सारणी III.18 और परिशिष्ट सारणी III.13)।

2003-04 की पहली तिमाही में प्रवृत्तियां

3.57 जून 2003 को समाप्त तिमाही के दौरान वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली के निष्पादन की अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के आंतरिक परिचालनों का अप्रत्यक्ष विवरणियों के आधार पर विश्लेषण किया गया है। आंकड़े बताते हैं कि जून 2002 की संबंधित अवधि की तुलना

सारणी III.18: प्रमुख आय का बैंक समूहवार ब्यौरा

(करोड़ रुपये)

बैंक समूह	कारोबारी आय		विदेशी मुद्रा आय		परिचालन लाभ	
	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7
सरकारी क्षेत्र के बैंक	**9,541**	**13,245**	**2,464**	**2,813**	**29,837**	**40,682**
निजी क्षेत्र बैंक	5,999	9,924	1,547	1,672	21,677	29,715
राष्ट्रीयकृत बैंक	4,965	7,249	998	1,035	12,957	18,486
स्टेट बैंक समूह	1,034	2,675	549	638	8,720	11,229
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	1,408	1,466	113	123	2,516	2,804
निजी क्षेत्र के नये बैंक	1,109	1,351	135	129	2,131	4,434
विदेशी बैंक	1,024	504	668	888	3,514	3,728

टिप्पणी : 1. कारोबार आय - निवेश बिक्री पर निवल लाभ
2. विदेशी मुद्रा आय - विनिमय लेन देन पर निवल लाभ

में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निष्पादन में महत्त्वपूर्ण सुधार आया है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल आस्तियों से निवल लाभ के प्रतिशत जून 2002 को समाप्त अवधि के 0.24 प्रतिशत की तुलना में जून 2003 को समाप्त अवधि में 0.32 प्रतिशत रहा। निवल लाभ में यह सुधार सामान्य रूप में व्ययों के सीमन और विशेष रूप में विस्तारित किये गये ब्याज के कारण संचालित दर और यह बैंक समूहों के बीच प्रावधानों में तेज वृद्धि और आकस्मिकताओं के बावजूद था। परिचालन व्यय थी कमोबेश जून 2002 के अंत के उसी स्तर के आसपास बने रहे; अपवाद मात्र निजी क्षेत्र के नये बैंक थे जिनके संबंध में ये व्यय वर्ष के प्रारंभ में इस खंड में निजजी क्षेत्र के एक नये बैंक के प्रवेश के कारण पारिश्रमिक बिल में वृद्धि के कारण बढ़ गये थे।

3.58 बैंक लाभप्रदता के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय अनुभव 2002 में निम्न था किंतु खराब आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए यह साधारणतया पर्याप्त था। तथापि, देशों के बीच गतिविधियां विविध रही हैं (सारणी III.19)।

3.59 भारत में सुधार प्रक्रिया का फोकस बैंकिंग प्रणाली की उत्पादकता, दक्षता और लाभ प्रदता बढ़ाने पर रहा है। वास्तव में, परिचालन लागत को कम करने के लिए अधिकाधिक श्रम उत्पादकता और प्रोद्योगिकी के अधिकाधिक विनियोजन के माध्यम से दक्षता स्तरों को बढ़ाना बैंकिंग क्षेत्र सुधार उपायों का मुख्य लक्ष्य रहा है। अतः पिछले सुधार उपायों के लाभों को समेकित करने के प्रयास जारी हैं। इस संदर्भ में, मुद्दा यह उठा है कि क्या वित्तीय क्षेत्र में सुधार उपायों के परिणाम स्वरूप दक्षता लाभ मिला है।

तुलनपत्रेतर गतिविधियां

3.60 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की तुलनपत्रेतर गतिविधियां जिसमें हाजिर वायदा संविदाएं, गारंटियां, स्वीकृतियां और पृष्ठांकन कार्य शामिल हैं, 2002-03 में तेजी से बढ़ीं (परशिष्ट सारणी III.14) तदनुसार, कुल देयताओं के अर्थ में तुलनपत्रेतर परिचालन 2002-03 में लगभग 69 प्रतिशत बढ़ गये। इसमें से, लगभग तीन चौथाई हाजिर वायदा संविदाएं थीं और अधिकांशतः निर्यात एवं आयात से संबंधित थीं।

3.61 विदेशी बैंक खासतौर पर तुलनपत्रेतर गतिविधियों में सक्रिय थे जिसका परिणाम यह हुआ कि कुल देयताओं से उनकी तुलनपत्रेतर गतिविधि का अनुपात 2001-02 के 394 प्रतिशत से बढ़कर 2002-03 में 483 हो गया।

निधियों की लागत

3.62 एक सुदृढ़ आस्ति-देयता प्रबंधन ढांचे के भीतर विवेकसम्मत संसाधन प्रबंध ने बैंक समूहों के बीच निधियों की लागत घटा दी है (सारणी III.20)। गिरती ब्याज दरों का अर्थ यह है कि अग्रिमों और निवशों दोनों पर प्रतिलाभ बैंक समूहों के बीच नीचे गया है। निजी

सारणी III.19 : प्रमुख बैंकों की लाभप्रदता

(कुल आस्तियों से प्रतिशत के रूप में)

देश	कर-पूर्व लाभ		प्रावधानीकरण व्यय		निवल ब्याज मार्जिन		परिचालन लागत	
	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002
1	2	3	4	5	6	7	8	9
संयुक्त राज्य (10)	1.49	1.66	0.71	0.72	3.10	3.11	4.06	3.46
जापान (12)	-0.93	0.04	1.36	0.28	1.14	0.81	1.20	0.82
जर्मनी (4)	0.14	0.05	0.24	0.39	0.90	0.80	1.62	1.50
ब्रिटेन (4)	1.27	1.11	0.31	0.36	2.07	2.02	2.48	2.40
फ्रांस (4)	0.74	0.58	0.22	0.20	0.94	1.03	1.87	1.81
इटली (6)	0.81	0.48	0.55	0.67	2.04	2.16	2.39	2.61
स्पेन (4)	1.20	0.93	0.44	0.49	2.86	2.66	2.60	2.37
कनडा (6)	0.92	0.51	0.41	0.59	1.95	2.06	2.84	2.76
स्वीडन (4)	0.82	0.70	0.10	0.09	1.49	1.48	1.51	1.44
ज्ञापन:								
भारत*	0.49	0.75	1.03	1.19	2.85	2.57	2.64	2.19

* 2001 में 100 और 2002 में 97 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित है। वित्त वर्ष अप्रैल - मार्च है।

टिप्पणी: 1. आंकड़े कुल आस्तियों के प्रतिशत हैं ।

2. कोष्ठक के आंकड़े लिये गये प्रमुख बैंकों की संख्या दर्शाते हैं।

स्रोत: बी आइ एस वार्षिक रिपोर्ट (2003)

बाक्स III.5 : भारतीय बैंकिंग में दक्षता

वित्तीय मध्यस्थन की प्रक्रिया में दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधार प्रारंभ किये गये थे। आशा की गयी थी कि बैंक इस बदलते परिचालनीय वातावरण का लाभ उठायेंगे और अपना कार्य निष्पादन सुधारेंगे। इस दिशा में रिज़र्व बैंक ने स्पर्धात्मक वातावरण के सृजन हेतु ढेर सारे उपाय किये थे। जमाराशियों और उधारों दोनों के संबंध में ब्याज दरों के अविनियमन ने बैंकों को इस बात की स्वतंत्रता दी कि वे अपने उत्पादों और सेवाओं का उचित रूप से मूल्य निर्धारण कर सकें। गैर-बैंकिंग संस्थाओं से कारगर रूप से स्पर्धा करने के लिए बैंकों को अनुमति दी गई कि वे नई से नई गतिविधियों जैसे कि निवेश बैंकिंग, प्रतिभूति व्यापार और बीमा कारोबार करने की अनुमति दी गई। यह स्पर्धा सत्संबंधित अधिनियमों में संशोधनों के माध्यम से सुसाध्य बनाई गई जिसने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को इस बात की अनुमति दी कि वे प्रारंभिक सीमा (49 प्रतिशत) तक बाजार से इक्विटी जुटा सकें तथा निजी क्षेत्र के नये और विदेशी बैंकों को प्रवेश मिल सके। बैंकिंग के इस बदलते चेहरे से पारंपरिक बैंकिंग कारोबार संबंधी मार्जिनों का क्षरण होने लगा और बैंकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाने लगा कि वे अपनी शुल्क आय बढ़ाने के लिए नई गतिविधियों की खोज करें। साथ ही बैंकों को अपनी परिचालन दक्षता पर भी ध्यान देने की आवश्यकता पड़ी ताकि वे अपनी लेन-देन लागतों को सीमित कर सकें। अविनियमकारी उपायों के साथ-साथ विवेकसम्मत मानदंडों की भी स्थापना की गई ताकि बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा और मजबूती को बढ़ाया जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में, यह पाया गया है कि, समग्र रूप में, निक्षेपी वित्तीय संस्थाओं/बैंकों की वार्षिक औसत दक्षता लगभग 79 प्रतिशत के आसपास रहती है उसी स्तर की निविष्टियों में उत्पादन बढ़ाने की पर्याप्त गुंजाइश रहती है। अदक्षताएं इन दो में से किसी एक घटक से उत्पन्न होती हैं अर्थात तकनीकी और कार्यबंटन स्थिति। पहली वजह से संसाधनों का काफी कम उपयोग होता है अथवा बरबादी होती है। दूसरी ओर उच्च कार्यबंटन स्थिति की अदक्षताओं के कारण बैंक निविष्टियों (इनपुट) के मूल्य के अर्थ में सही निविष्टि योगों का चुनाव नहीं कर सकते हैं। यह भी पाया गया है कि वित्तीय संस्थाओं में अदक्षता सामान्यतया लागतों के एक काफी बड़े हिस्से को खा जाती है और यह कि यह मात्रा अथवा उत्पाद मिश्र अदक्षताओं की तुलना में कार्यनिष्पादन संबंधी समस्याओं का एक काफी बड़ा स्रोत है और असफलता की उच्च संभाव्यताओं के साथ इसका जबर्दस्त अनुभवसिद्ध संबंध है।

हाल ही के आंतरिक अनुभवजन्य अनुसंधान ने पाया कि 1999-2003 की अवधि के दौरान भारतीय बैंकों की दक्षता में इंद्रियगोचर अर्थात् साफ-साफ दिखाई पड़नेवाला सुधार आया है। स्वामित्व का स्वरूप चाहे जो हो लेकिन दक्षता की वृद्धिशील प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से समान रही है। तथापि इस सुधार की दर पर्याप्त रूप से ऊंची नहीं रही है। यह श्लेषण यह भी बताता है कि भारत में सरकारी क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों में उनकी दक्षता मापन के अर्थ में महत्त्वपूर्ण रूप से कोई भिन्नता नहीं है। जबकि दूसरी ओर, विदेशी बैंकों ने अपने भारतीय प्रतिपक्षियों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक सुधार दिखाया।

दक्षता सुधार का पैटर्न मोटे तौर पर इस बात के अनुरूप है कि अविनियमन और रुपांतरण के दौर से गुजर रहे उद्योग से जो आशा की जाती है वह उसमें परिलक्षित है। स्पष्टतः सभी बैंक समूहों ने वित्तीय बाजार में बढ़ती स्पर्धा के माहौल में भी दक्षता में सुधार दर्ज किया है। तथापि, दक्षता में वर्तमान प्रवृत्ति को बरकरार रखते हुए बैंकों के पास इस बात की पर्याप्त संभावनाएं हैं कि वे उत्पादन प्रौद्योगिकी में नवोन्मेषों को अपनाकर अपनी निविष्टियों (इनपुट) के सापेक्ष अपने आस्ति आधार का विस्तार करें।

संदर्भ :

ए. चार्नेस डब्ल्यू. डब्ल्यू. कूपर और ई. रोड्स, (1978), "मेज़रिंग द इफिसिएन्सी आफ डिसीज़न मेकिंग यूनिट्स," यूरोपियन जर्नल आफ आपरेशनल रिसर्च, वाल्यूम 6

ए. दास (1997), "टेक्निकल, एलोकेटिव एण्ड स्केल इफीसिएन्सी आफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया," आर बी आई आकेज़नल पेपर्स, वाल्यूम 18,

आर. मोहन, (2002), "ट्रांसफार्मिंग इंडियन बैंकिंग : इन सर्च आफ ए बेटर टुमारो," बैंक अर्थशास्त्री सम्मेलन, दिसंबर.

क्षेत्र के नये बैंकों के लिए जमाराशियों और लिये गये उधारों दोनों पर अदा किया गया ब्याज ऊंचा रहा है जो अन्य बातों के साथ-साथ ऊंचे उधारों के साथ निजी क्षेत्र के नये बैंक और साथ ही मार्च 2003 से प्रारंभ हुए नए अनुसूचित बैंक के शामिल हो जाने से आने वाले विलंबकारी प्रभाव को दर्शाता है। परिणामस्वरूप, इन कारकों के कारण इस बैंक समूह के लिए निधियों की लागत में वृद्धि हुई है।

स्प्रेड

3.63 वर्ष 2002-03 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का स्प्रेड 19.4 प्रतिशत तक बढ़ा। अधिकांश बैंक समूहों ने स्प्रेड में दो-अंकों में वृद्धि दर्ज की जो अधिकांशतः कम ब्याज दर व्यवस्था में ब्याज व्यय में सीमन से उपजी है। विदेशी बैंकों के स्प्रेड उनके सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के प्रतिपक्षियों की तुलना में जमाराशियों पर उनकी

सारणी III.20 : बैंक समूहवार निधियों की लागत

(प्रतिशत)

परिवर्ती / बैंक समूह	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		निजी क्षेत्र के नये बैंक		विदेशी बैंक	
	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8	9
निधियों की लागत	6.8	6.1	7.6	6.6	3.8	4.4	6.2	5.3
अग्रिमों पर प्रतिलाभ	9.6	9.0	10.9	9.7	4.7	10.3	11.0	10.3
निवेशों पर प्रतिलाभ	10.2	9.2	10.5	9.2	5.8	8.2	10.5	7.7

टिप्पणी : 1. निधियों की लागत = (जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज के लिए गए उधारों के संबंध में अदा किया गया ब्याज) / (जमाराशियां + लिए गए उधार)
2. अग्रिमों पर प्रतिलाभ = अग्रिमों पर अर्जित ब्याज / अग्रिम
3. निवेशों पर प्रतिलाभ = निवेश पर अर्जित ब्याज / निवेश

कम ब्याज लागतों के कारण विशिष्टरूप से ऊंचे हैं। तथापि, अधिकांश बैंक समूहों के लिए कुल आस्तियों से स्प्रेड का अनुपात लगातार कम होता जा रहा है क्यों कि देयताओं की लागत[6] की तुलना में आस्तियों पर प्रतिलाभ आनुपातिक रूप से ज्यादा गिरे हैं।

निवेश घटबढ़ प्रारक्षित

3.64 बैंकों को सूचित किया गया था कि वे 31 मार्च 2003 को समाप्ति वर्ष से प्रारंभ करके पांच वर्ष की अवधि के भीतर अपने निवेश संविभागों में 'बिक्री के लिए उपलब्ध' (एएफएस) और 'व्यापार हेतु धारित' (एच एफ टी) श्रेणियों में धारित निवेश के न्यूनतम पांच प्रतिशत का एक निवेश घटबढ़ प्रारक्षित तैयार करें। बैंक समूहवार स्थिति दर्शाती है कि मार्च 2003 की स्थिति के अंत में जहाँ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने 1.8 प्रतिशत का निवेश घटबढ़ प्रारक्षित अनुपात (ए एफ एम और एच एफ टी श्रेणियों के अंतर्गत निवेशों के प्रतिशत के रूप में एक साथ मिलाकर लिया गया निवेश घटबढ़ प्रारक्षित) निर्मित किया है वहीं कतिपय बैंक समूहों का निवेश घटबढ़ प्रारक्षित का आंकड़ा इससे ऊंचा है (सारणी III.21 और परिशिष्ट सारणी III.18)। यह पाया गया है कि निजी क्षेत्र के नये बैंक अपनी आइ एफ आर स्थिति के संबंध में पिछड़ रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों से संबंध में बैंकवार स्थिति बताती है कि उनमें से कई ने भारी प्रगति की है और एक आसान आइ एफ आर अनुपात तैयार कर लिया है क्योंकि रिज़र्व बैंक ने इस मामले के संबंध में जनवरी 2002 में ही बैंकों को सूचित कर दिया था। जहां बैंकों को पांच वर्ष की अवधि में उनके निवेशों के न्यूनतम पांच प्रतिशत का आइ एफआर पोर्टफोलियो बनाना अनिवार्य है, वहीं यह पाया गया है कि 17 बैंकों ने पहले ही 2.0 प्रतिशत या उससे अधिक का आइएफ आर अनुपात तैयार कर लिया है।

सारणी III.21 : बैंक समूहवारनिवेश घटबढ़ प्रारक्षित (आइएफआर)
(मार्च 2003 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

बैंक समूह	बिक्री के लिए उपलब्ध (ए एफ एस)	व्यापार हेतु धारित (एच एफ टी)	आइ एफ आर	आ एफ आर /(ए एफ एस +एच एफ टी) (प्रतिशत)
1	2	3	4	5=4/(3+2)
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**5,13,190**	**28,637**	**9,635**	**1.8**
सार्व. क्षेत्र के बैंक	4,09,268	13,782	7,697	1.8
राष्ट्रीयकृत बैंक	2,35,003	3,210	4,334	1.8
स्टेट बैंक समूह	1,74,265	10,572	3,363	1.8
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	31,078	1,964	694	2.1
निजी क्षेत्र के नये बेंक	45,702	4,161	559	1.1
विदेशी बैंक	27,142	8,730	685	1.9

3.65 ब्याज दर वातावरण में भारी नीति-प्रेरित परिवर्तनों से बैंकों के तुलनपत्र की ब्याज दर संवेदनशीलता के मुद्दे को आगे कर दिया है। ऐसी परिस्थितियों में बैंकों की लाभप्रदता पर असर इस बात पर निर्भर रहने की संभावना है कि क्या भावी ब्याज दर का उतार-चढ़ाव संबंधित बैंक की ब्याज दर प्रत्याशाओं के साथ-साथ है। अनुकूल ब्याज दर वातावरण में एक पर्याप्त कुशन निर्मित करने से जैसा कि आइ एफ आर की मांग है, ब्याज दर उतार-चढ़ाव के प्रतिकूल प्रभावों के समाप्त हो जाने की संभावना है (बाक्स III.6)।

4. गैर - निष्पादक आस्तियां

3.66 ऋण जोखिम वित्तीय संस्थाओं पर प्रभाव डालने वाला एक महत्त्वपूर्ण कारक है। वित्तीय प्रणालियों की शोध क्षमता का संकट जैसे कि 1980 का अमरीकी बचत और ऋण संकट, 1990 के प्रारंभ में नोर्डिक बैंकिंग संकट और एक हाल ही की जापान और तुर्की में हुई बैंकिंग क्षेत्र की समस्याएं, बड़े पैमाने पर, एक समयावधि में समस्यामूलक ऋणों के इकट्ठे हो जाने का परिणाम है। गैर-निष्पादक आस्तियों में वृद्धि को सीमित कर देने के लिए वसूली प्रबंधन हाल के वर्षों में बैंकिंग उद्योग के लिए एक महत्त्वपूर्ण शब्द बन गया है। भारतीय संदर्भ में, सरकार के साथ मिलकर रिज़र्व बैंक ने अनेक कदम उठाए हैं ताकि बैंकों की गैर-निष्पादक आस्तियों को नियंत्रित रखा जा सके। परिणामस्वरूप, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की गैर-निष्पादक आस्तियों में आय निर्धारण और आस्ति वर्गीरकण (आइ आर ए सी) मानदंडों के लागू होने के बाद से एक दीर्घकालिक गिरावट दिखाई दी है। गैर-निष्पादक आस्तियों के संचयन के पीछे रहने वाले कारकों को बताने वाले उपलब्ध, संबद्ध अनुभवजन्य एवं सैद्धांतिक साहित्य के पन्ने पलटकर अनुदेशात्मक है (बाक्स III.7)।

3.67 वर्ष 2000-01 को छोड़कर बैंक समूहों के बीच गैर-निष्पादक आस्तियों में गिरावट दिखाई दी है।[7] गिरावट की इस प्रवृत्ति के अनुरूप 2002-03 में गैर-निष्पादक आस्तियों में तेज गिरावट आई जो अन्य बातों के साथ-साथ गैर-निष्पादक आस्तियों में कमी तथा न्यायालय अथवा अधिकरण के हस्तक्षेप बिना त्वरित वसूली सुनिश्चित करने के लिए सरफेसी (एसएआरएफएईएसआइ) अधिनियम के अधिनियमन की दिशा में किये गये पिछले उपायों का हितकारी प्रभाव है (बाक्स III.8)। इस अधिनियम के तहत हुई प्रगति पर्याप्त रही है जैसा कि इस तथ्य में परिलक्षित है कि 2002-03 में, विशेषरूप से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए, वसूलियां आय से अधिक रहीं और इसका परिणाम यह रहा कि गैर-निष्पादक ऋणों में समग्र रूप से कमी आई और यह 1998-99 में अग्रिमों के 14.7 प्रतिशत से घटकर 9.3 प्रतिशत पर आ गया (सारणी III.22 से सारणी III.25)।

[6] सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के चुनिंदा मानदंडों के बैंकवार ब्यौरे क्रमशः परिशिष्ट सारणी III.15 (ए) से 17 (एच) में प्रस्तुत करते हैं।

[7] गैर-निष्पादक आस्तियों का आशय गैर-निष्पादक ऋणों एवं अग्रिमों से है।

बाक्स III.6: बैंकों की आय पर ब्याज दर में परिवर्तन का प्रभाव

ब्याज दरों में परिवर्तन निवल ब्याज आय ओर अन्य ब्याज-संवेदी आय का स्तर तथा परिचालन व्ययों के माध्यम से बैंक आय को प्रभावित करते हैं। यह बैंक आस्तियों, देयताओं और तुलनपत्रेतर लिखतों के पूर्णता प्राप्त मूल्य पर प्रभाव डालता है क्योंकि जब ब्याज दरों में परिवर्तन होता है तब भावी निधि प्रवाह का वर्तमान मूल्य (ओर कुछ मामलों में तो स्वयं नकदी प्रवाह ही) बदलता है। बैंक निवेशों से ब्याज दर जोखिम तब उत्पन्न होती है जब ब्याज दरों का रुख विपरीत हो जाता है। इस बात को स्वीकार करते हुए कि जोखिम बैंकिंग का एक सामान्य अंग है और लाभप्रदता और शेयर धारक मूल्य का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत हो सकता है, बहुत ज्यादा ब्याज दर जोखिम उठाने से बैंक की आय और पूंजी आधार को भारी धक्का लगने का भय हो सकता है। ब्याज दर जोखिम का प्राथमिक रूप परिपक्वता की समाावधियों में अंतर (निर्दिष्ट दर के लिए) और बैंक आस्तियों, देयताओं और तुलनपत्रेतर (ओबीएस) स्थितियों के पुनर्मूल्यन (अस्थायी दर के लिए) से उत्पन्न होता है। इस प्रकार, बैंक की सुरक्षा और मजबूती हेतु विवेकसम्मत स्तरों के भीतर ब्याज दर जोखिम को बनाये रखने के लिए कारगर जोखिम प्रबंध अनिवार्य है।

आय और आर्थिक मूल्य दोनों के ब्याज दर जोखिम निवेश के मापन हेतु अनेक तकनीक उपलब्ध हैं। उनकी जटिलता साधारण गणनाओं से लेकर स्टेटिक सिमुलेशन तक है जिसमें वर्तमान धारिताओं से लेकर अत्यंत जटिल डायनामिक माडलिंग तकनीकों का उपयोग किया जाता है जो संभाव्य भावी कारोबार और कारोबारी निर्णय को प्रतिबिम्बित करती हैं। बैंक के ब्याज दर जोखिम निवेश को मापने के लिए अंतर पद्धति (गैप मेथड) बदलती ब्याज दरों के प्रति आय और आर्थिक मूल्य दोनों की ब्याज दर जोखिम संवेदनशीलता के सरल संकेतक उत्पन्न करती है। यह अनिवार्यतः एक विशिष्ट समयावधि (टाइम बैण्ड) में ब्याज संवेदी आस्तियों और देयताओं (तुलनपत्रेतर स्थितियों सहित) के बीच अंतर को मापती है जिसमें ये ब्याज संवेदी आस्तियां और देयताएं रहती हैं। यह अंतर तब धनात्मक (ऋणात्मक) रहता है जब परिपक्व हो रही / पुनर्मूल्यांकित की जा रही आस्तियां देयताओं की तुलना में अधिक (कम) रहती हैं। हेजिंग के लिए समायोजित प्रत्येक समयावधि के भीतर अंतरों को जोड़ करके निवल अंतर की गणना करने के बाद बैंकों द्वारा अर्जित निवल ब्याज आय (एन आइ आइ) के अर्थ में ब्याज दर में परिवर्तन की स्थिति में संभावित हानि या लाभ की गणना करके आय पर प्रभाव का अनुमान लगाया जाता है। निवल ब्याज आय में ब्याजी देयताओं पर अर्जित ब्याज और प्रदत ब्याज दोनों को हिसाब में लिया जाता है और इस प्रकार ब्याज दर उतार-चढ़ाव से उत्पन्न जोखिम बैंकों द्वारा अर्जित निवल ब्याज आय को सीधे प्रभावित करेगी। 31 मार्च 2003 की स्थिति के अनुसार बैंकों की आस्ति देयता स्थिति के संदर्भ में बैंकों की निवल ब्याज आय पर ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रभाव की गणना करने के लिए अंतर पद्धति का उपयोग करते हुए रिज़र्व बैंक के अंदर किये गये एक आरंभिक आंतरिक अभ्यास में, जैसे की उनके अप्रत्यक्ष निरीक्षण संबंधी विवरण में सूचित किया गया है, निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैं (बीआइएस, 2003):

- ब्याज दरों में 200 आधार बिंदुओं की वृद्धि करने की स्थिति में बैंकिंग प्रणाली पर समग्र रूप से उसकी निवल ब्याज आय पर 4.9 प्रतिशत का एक धनात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- बैंक समूहों की दृष्टि से ब्याज दरों में 200 आधार बिंदुओं की वृद्धि करने से जो सकारात्मक प्रभाव होगा वह सबसे ज्यादा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक समूहों के बारे में होगा ।
- दूसरी ओर, ब्याज दरों में 200 आधार बिंदुओं की कमी किये जाने की स्थिति में निजी क्षेत्र के नये बैंकों और निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों की निवल ब्याज आय में धनात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- ब्याज दरों के बढ़ने या गिरने से निवल ब्याज आय में सबसे कम प्रभाव विदेशी बैंक समूह पर होगा ।

यह मानने की आवश्यकता है कि इस प्रकार के अनुमान अनिवार्यतः सांकेतिक हैं। उदाहरण के लिए, यह अध्ययन बैंकों की आस्ति-देयता संरचना के संदर्भ में किया गया है जो कि सामान्यतः अंतर-पद्धति (गैप मेथड) का उपयोग करने की सीमाओं से सम्बद्ध है। इसके अलावा बैंकों की ब्याज दर जोखिम की स्थिति अपने स्वरूप में परिवर्तनशील है। साथ ही, इस विश्लेषण में इन ब्याज दर परिवर्तनों के कारण बैंकों के प्रतिभूति निवेश संविभाग में हुई किसी वृद्धि /गिरावट को शामिल नहीं किया जाता। विद्यमान विनियामक व्यवस्था के अधीन बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे वसूल न किये गये पूंजी गत लाभ के संबंध में रूढ़िवादी लेखांकन पद्धति अपनाएं और इसलिए गुप्त रूप से प्रारक्षित निधियां रखते हैं जो ब्याज दर में होनेवाले उतार-चढ़ाव से उपजे आघात से निपटने के लिए एक कुशन के रूप में कार्य कर सके।

संदर्भ:

बैंक फॉर इंटरनेशनल सैटलमेंट (2003) प्रिंसपल्स फॉर द मैनेजमेंट एण्ड सुपरवीजन ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क, बसेल (सितंबर)

अग्रिमों / आस्तियों से प्रतिशत के रूप में बैंकवार सकल / निवल गैर-निष्पादक परिशिष्ट सारणी III.19 (ए) से 19 (एफ) में दी गई हैं। अलग-अलग सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों की क्षेत्रवार गैर-निष्पादक आस्तियां परिशिष्ट सारणी III.20 (ए) और 20 (बी) में प्रस्तुत की गई हैं।

बाक्स III.7 : ऋण जोखिम के निर्धारक तत्व

ऋण जोखिम की व्यापक सैद्धांतिक और अनुभवमूलक अध्ययन किया गया है (सैंटोमेरो, 1997; होम्सट्राम एण्ड टिरोल, 2000)। तथापित, यह अनुसंधान अधिकांशतः उधारकर्ताओं की प्रत्याशित जोखिमों और / या एकल ऋण परिचालनों के मूल्यांकन और ऐसे मूल्यांकनों के अध्ययनों पर केंद्रित रहा है। ऋण स्प्रेड, संपार्श्विक प्रतिभूतियों, ऋण अवधि संरचनाओं और उधारकर्ताओं और उधारदाताओं के बीच एक समयावधि में वचनबद्धताएं (अर्थात् सापेक्षिक उधार देना) व्यापक रूप से अध्ययन किये गये कुछ विषय रहे हैं। अन्य संबद्ध चर राशियां जैसे कि ऋण हानियों को खास तौर पर वित्तीय संस्थाओं के समष्टि स्तर पर संभवतः ऋण हानियों के संबंध में विश्वसनीय आंकड़ों की कमी के परिणामस्वरूप व्यापक रूप से अनदेखा किया गया है।

ऋण जोखिम के निर्धारक तत्वों से संबंधित अधिकांश अध्ययनों में मूलतः अमरीकी बैंकिंग उद्योग का वर्णन किया जाता है और लैटिन अमरीकी बैंकिंग क्षेत्र का कम उल्लेख किया जाता है। ऋण हानियों की व्याख्या करने के लिए इन अध्ययनों में मूलः समष्टि आर्थिक चरों का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संदर्भ में इस विषय पर उपलब्ध अनुसंधानों में गैर-निष्पादक ऋणों के क्षेत्रीय आयाम को परखने का प्रयास किया गया है ओर हाल ही में इस विषय पर कि गैर-निष्पादक ऋणों की परिचालनीय दक्षता कमजोर अथवा अन्यथा रही है। इन अध्ययनों मे भारतीय बैंकों में अनर्जक ऋणों की व्याख्या करने के लिए व्यष्टि - आर्थिक चरों का प्रयोग किया गया। तथापि, व्यापक रूप से यह विश्वास किया जाता है समस्यामूलक ऋण व्यष्टि और समष्टि दोनों ही प्रकार के कारकों से प्रेरित होते हैं।

सकल देशी उत्पाद वृद्धि (समष्टि आर्थिक) और बैंक विशेष से संबंधित (व्यष्टि-आर्थिक) कारकों के अर्थ में समस्यामूलक ऋणों की व्याख्या करने का लिए हाल ही में आंतरिक अनुभवमूलक अनुसंधान में प्रयास किया गया है। साक्ष्यों ने संकेत किया कि : (क) समस्यामूलक ऋणों को तुरंत बट्टे खाते में नहीं डाला जाता, बल्कि वास्तव में उन्हें कई-कई अवधियों तक ढोया जाता है, (ख) सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर (विद्यमान और विलंबित) ने समस्यामूलक ऋण अनुपात को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। तथापि, यह पाया गया कि समसामयिक प्रभाव जबर्दस्त रूप से महत्त्वपूर्ण था जबकि विलंबित प्रभाव मानक स्तरों पर महत्त्वपूर्ण नहीं थां अनेक व्यष्टि आर्थिक चर जैसे कि विलंबित ऋण वृद्धि और परिचालनीय दक्षता की भी समस्यामूलक ऋणों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव देखा गया।

संदर्भ :

बर्गर अलन एण्ड रॉबर्ट डी यंग (1997), प्राब्लेम लोन्स एण्ड कास्ट इफिशिएनसी इन कमर्शियल बैंक्सड, *जर्नल आफ बैंकिंग एण्ड फायनान्स,* वाल्यूम 21.
दास अभिमान एण्ड सैबल घोष (2003), डिटरमिनेन्टस आफ क्रेडिट रिस्क इन इंडियन स्टेट ओन्ड बैंक्स : एन इम्पीरिकल इन्वेस्टीगेशन, पेपर प्रजेन्टेड एट द कांफ्रेंस आन मनी, फायनांस एण्ड इन्वेस्टमेंट: नाटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी, यू.के.
राजाराम, इंदिरा एण्ड गरिमा वशिष्ठ (2002), नान- पर्फार्मिंग लोन्स आफ पी एस यू बैंक्स : सम पैनल रिज़ल्ट्स, *इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली,* स्पेशल इशू आन मनी, बैंकिंग एण्ड फायनांस।

बॉक्स : III. 8 : प्रतिभूतिकरण तथा वित्तीय आस्तियों के पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम के अंतर्गत प्रगति

प्रतिभूतिकरण तथा वित्तीय आस्तियों के पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम के अधिनियमन से बैंकों को निरंतर वसूली को सुनिश्चित किए जाने का महत्वपूर्ण प्रोत्साहन उपलब्ध हुआ है। अन्य बातों के साथ-साथ यह अधिनियम न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों के हस्तक्षेप के बगैर बकाये की वसूली के लिए प्रतिभूति हित को लागू करता है। भारत सरकार ने भी प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 अधिसूचित किया है ताकि सुरक्षित जमाकर्ता प्रतिभूतियों को लागू करने तथा उधारकर्ताओं से बकाए की वसूली के लिए अपने अधिकारियों को प्राधिकृत कर सकें। बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं ने पहले ही इस अधिनियम के अंतर्गत वसूली की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया है कि वे प्रतिभूतिकरण तथा वित्तीय आस्तियों के पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई करें तथा इसके अनुपालन की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक को करें। तथापि, उच्चतम न्यायालय ने एक सीमित अवधि तक के लिए इस अध्यादेश के संचालन को स्थगित कर दिया है ताकि सुरक्षित आस्तियाँ इस अध्यादेश के अन्तर्गत जब्त की जा सकें लेकिन उन्हें बेची / पट्टे पर दिया जाना अथवा सौंपा न जा सके।

अब जबकि यह अधिनियम बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय आस्तियों को इसके अन्तर्गत गठित प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी) / पुनर्निर्माण कंपनियों (आरसी) को बेचे जाने का प्रावधान करता है, बैंकों तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को दिशा-निर्देश का एक सेट जारी कर दिया गया है ताकि आस्ति पुनर्निर्माण की प्रक्रिया समान रुप में सहज तथा मजबूत तरीके से जारी रह सके। अन्य बातों के साथ-साथ ये दिशा-निर्देश उन वित्तीय आस्तियों का निर्धारण करते हैं जिन्हें बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रतिभूतिकरण कंपनियों/ पुनर्निर्माण कंपनियों को बेचा जा सके। ऐसे विक्रय के लिए प्रक्रियाओं (मूल्यांकन तथा मूल्य-निर्धारण पहलुओं सहित) बिक्री लेन-देन के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों (अर्थात प्रावधानीकरण/मूल्यांकन मानदंडों, पूँजी पर्याप्तता मानदंडों) तथा संबंधित घोषणाओं को उनके तुलन-पत्रों के लेखा नोट में दर्ज किया जाना अपेक्षित हो।

जून 2003 के अंत तक प्रतिभूतिकरण अधिनियम के प्रारंभ/लागू किए जाने तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 12,147 करोड़ रुपये की बकाया राशि के लिए 33,736 नोटिसें जारी की हैं तथा 9,946 मामलों से 499.20 करोड़ रुपये की वसूली की है। 30 जून 2003 तक इसके बैंक-वार ब्योरे सारणी ए में दिए जा रहे हैं।

सारणी ए : प्रतिभूतिकरण तथा वित्तीय आस्ति पुनर्संरचना और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम के अंतर्गत बैंकवार प्रगति के ब्यौरे

(जून 2003 के अंत तक)

(राशि करोड़ रुपये में)

बैंक का नाम	जारी नोटिसें	बकाया राशि	वसूली संबंधी मामले	वसूली गई राशि	बकाया राशि के प्रतिशत में वसूली की राशि
1	2	3	4	5	6
इलाहाबाद बैंक	1,579	514.8	610	21.9	4.2
आंध्रा बैंक	401	73.9	118	9.5	12.8
बैंक ऑफ बड़ौदा	125	429.5	19	7.8	1.8
बैंक ऑफ इंडिया	1,241	405.8	692	34.3	8.4
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	332	52.7	61	2.6	4.9
केनरा बैंक	1,011	350.5	393	34.5	9.8
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	2,617	1,204.9	395	39.1	3.3
कॉपोरेशन बैंक	247	155.0	98	18.5	11.9
देना बैंक	348	358.6	147	22.3	6.2
इंडियन बैंक	1,007	425.8	240	19.5	4.6
इंडियन ओवरसीज बैंक	1,879	509.9	747	29.4	5.8
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	2,217	427.5	1,184	41.9	9.8
पंजाब नैशनल बैंक	3,015	711.8	1,086	39.3	5.5
पंजाब और सिंध बैंक	1,102	499.0	509	23.0	4.6
सिंडीकेट बैंक	1,226	156.9	480	17.2	10.9
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1,601	757.2	524	22.6	2.9
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	148	14.1	54	1.8	13.0
यूको बैंक	1,130	88.4	138	4.6	5.2
विजया बैंक	1,988	239.9	638	26.4	11.0
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	7,141	3,974.0	1,037	48.0	1.2
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	606	114.5	217	3.9	3.4
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	827	282.5	102	9.8	3.5
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	403	68.6	123	6.6	9.6
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	344	102.1	34	4.6	4.5
स्टेट बैंक ऑफ पाटियाला	807	126.0	210	4.4	3.5
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	325	70.8	59	3.6	5.1
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	69	32.5	31	2.1	6.6
जोड़	**33,736**	**12,147.2**	**9,946**	**499.2**	**4.1**

संदर्भ :

भारतीय रिज़र्व बैंक, *वार्षिक रिपोर्ट*, 2002-03, मुंबई

भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति तथा प्रगति पर रिपोर्ट, 2001-02, मुंबई

सारणी III.22 : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बैंक समूह वार सकल तथा निवल गैर-निष्पादक आस्तियाँ

(मार्च के अंत तक)

(राशि करोड़ रुपये में)

बैंक समूह / वर्ष	सकल अग्रिम	सकल गैर-निष्पादक आस्तियां			निवल अग्रिम	निवल गैर-निष्पादक आस्तियां		
		राशि	सकल अग्रिमों से प्रतिशत	कुल आस्तियों से अग्रिमों		राशि	निवल अग्रिमों से प्रतिशत	कुल आस्तियों से प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक								
2000	4,75,113	60,408	12.7	5.5	4,44,292	30,073	6.8	2.7
2001	5,58,766	63,741	11.4	4.9	5,26,328	32,461	6.2	2.5
2002	6,80,958	70,861	10.4	4.6	6,45,859	35,554	5.5	2.3
2003	7,78,043	68,714	8.8	4.0	7,40,473	32,764	4.4	1.9
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक								
2000	3,79,461	53,033	14.0	6.0	3,52,714	26,187	7.4	2.9
2001	4,42,134	54,672	12.4	5.3	4,15,207	27,977	6.7	2.7
2002	5,09,368	56,473	11.1	4.9	4,80,681	27,958	5.8	2.4
2003	5,77,813	54,086	9.4	4.2	5,49,351	24,963	4.5	1.9
पुराने निजी क्षेत्र के बैंक								
2000	35,404	3,815	10.8	5.2	33,879	2,393	7.1	3.3
2001	39,738	4,346	10.9	5.1	37,973	2,771	7.3	3.3
2002	44,057	4,851	11.0	5.2	42,286	3,013	7.1	3.2
2003	51,329	4,568	8.9	4.3	49,436	2,741	5.5	2.6
नये निजी क्षेत्र के बैंक								
2000	22,816	946	4.1	1.6	22,156	638	2.9	1.1
2001	31,499	1,617	5.1	2.1	30,086	929	3.1	1.2
2002	76,901	6,811	8.9	3.9	74,187	3,663	4.9	2.1
2003	94,718	7,232	7.6	3.8	89,515	4,142	4.6	2.2
भारत में विदेशी बैंक								
2000	37,432	2,614	7.0	3.2	35,543	855	2.4	1.0
2001	45,395	3,106	6.8	3.0	43,063	785	1.8	0.8
2002	50,631	2,726	5.4	2.4	48,705	920	1.9	0.8
2003	54,184	2,829	5.2	2.4	52,171	918	1.8	0.8

स्रोत : 1. संबंधित बैंकों का तुलन पत्र।
2. संबंधित बैंकों द्वारा प्रस्तुत तुलन पत्र।

गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

3.68 मार्च 2002 को समाप्त वर्ष से बैंकों को यह निर्देश दिया गया है कि वे (क) गैर-निष्पादक ऋणों के लिए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव, तथा (ख) निवेश में मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव के संबंध में अपने तुलन-पत्र में लेखा-नोट के एक भाग के रूप में अतिरिक्त विवरणियाँ प्रस्तुत करें। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के प्रावधानों के

सारणी III.23 : गैर-निष्पादक आस्तियों में बैंक समूह-वार उतार-चढ़ाव - 2002-03

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (93)	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (27)	पुराने निजी बैंक (21)	नये निजी क्षेत्र के बैंक (9)	विदेशी बैंक (36)
1	2	3	4	5	6
सकल गैर-निष्पादक आस्तिया					
मार्च, 2002 के अंत तक	70,153	56,473	4,389	6,821	2,469
वर्ष के दौरान वृद्धि	21,863	16,065	1,625	2,649	1,523
वर्ष के दौरान कमी	23,302	18,452	1,447	2,239	1,164
मार्च, 2003 के अंत तक	68,714	54,086	4,568	7,232	2,829
निवल गैर-निष्पादक आस्तियां					
मार्च, 2002 के अंत तक	35,256	27,958	2,775	3,663	860
मार्च, 2003 के अंत तक	32,764	24,963	2,741	4,142	918
ज्ञापन:					
सकल अग्रिम	7,78,043	5,77,813	51,329	94,718	54,184
निवल अग्रिम	7,40,473	5,49,351	49,436	89,515	52,171
अनुपात					
सकल गैर-निष्पादक आस्तियाँ/सकल अग्रिम	8.8	9.4	8.9	7.6	5.2
निवल गैर-निष्पादक आस्तियाँ/निवल अग्रिम	4.4	4.5	5.5	4.6	1.8

नोट : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े वर्ष 2002-03 के लिए उस श्रेणी में बैंकों की संख्या का उल्लेख करते हैं।
स्रोत : संबंधित बैंकों का तुलन-पत्र ।

सारणी III.24: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण आस्तियों का वर्गीकरण बैंक समूहवार (मार्च के अंत तक)

(राशि करोड़ रुपये में)

बैंक समूह/ वर्ष	मानक आस्तियाँ		गैर-मानक आस्तियाँ		संदेहास्पद आस्तिया		हानिप्रद आस्तियाँ		कुल गैर-निष्पादक आस्तियाँ		कुल आस्तियाँ
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक											
2000	4,14,917	87.2	19,594	4.1	33,688	7.1	7,558	1.6	60,840	12.8	4,75,757
2001	4,94,716	88.6	18,206	3.3	37,756	6.8	8,001	1.4	63,963	11.4	5,58,679
2002	6,09,972	89.6	21,382	3.1	41,201	6.0	8,370	1.2	70,953	10.4	6,80,925
2003	7,09,260	91.2	20,078	2.6	39,731	5.1	8,971	1.2	68,780	8.8	7,78,040
सार्व. क्षेत्र के बैंक											
2000	3,26,783	86.0	16,361	4.3	30,535	8.0	6,398	1.7	53,294	14.0	3,80,077
2001	3,87,360	87.6	14,745	3.3	33,485	7.6	6,544	1.5	54,774	12.4	4,42,134
2002	4,52,862	88.9	15,788	3.1	33,658	6.6	7,061	1.4	56,507	11.1	5,09,369
2003	5,23,724	90.6	14,909	2.6	32,340	5.6	6,840	1.2	54,089	9.4	5,77,813
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक											
2000	31,447	88.8	1,577	4.5	2,061	5.8	347	1.0	3,985	11.2	35,432
2001	35,166	88.7	1,622	4.1	2,449	6.2	413	1.0	4,484	11.3	39,650
2002	39,262	89.0	1,834	4.2	2,668	6.1	348	0.8	4,850	11.0	44,112
2003	46,761	91.1	1,474	2.9	2,772	5.4	321	0.6	4,567	8.9	51,328
निजी क्षेत्र के नये बैंक											
2000	21,870	95.9	560	2.5	294	1.3	92	0.4	946	4.1	22,816
2001	29,905	94.9	963	3.1	620	2.0	11	0.0	1,594	5.1	31,499
2002	70,010	91.2	2,904	3.8	3,871	4.9	41	0.0	6,816	8.8	76,826
2003	87,487	92.4	2,700	2.9	3,675	3.9	856	0.9	7,231	7.6	94,718
भारत में विदेशी बैंक											
2000	34,817	93.0	1,096	2.9	798	2.1	721	1.9	2,615	7.0	37,432
2001	42,285	93.1	876	1.9	1,202	2.6	1,033	2.3	3,111	6.9	45,396
2002	47,838	94.5	856	1.7	1,004	2.0	920	1.8	2,780	5.5	50,618
2003	51,288	94.7	995	1.8	944	1.7	954	1.8	2,893	5.3	54,181

टिप्पणी : 1. इस सारणी में दिए गए आँकड़े, सारणी III.22 में दिए गए आँकड़ों से आँकड़ा संग्रह के विभिन्न स्रोतों के चलते मेल नहीं खाते हैं।
2. आँकड़े अनंतिम हैं।
3. पूर्णांकन के चलते घटक मदें कुल योग में जोड़ी नहीं जा सकतीं।

स्रोत : संबंधित बैंकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट।

एक प्रमुख अंश को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा हिसाब में लिया गया जो मार्च 2003 के अंत तक सकल गैर-निष्पादक आस्तियों का 47.3 प्रतिशत था। स्टेट बैंक समूह के लिए उनकी आस्ति गुणवत्ता में वृद्धि को दर्शाते हुए पिछले वर्ष की तुलना में प्रावधान कम रहे। अन्य बैंकों के साथ-साथ अपनी उन्नत आस्ति गुणवत्ता के साथ विदेशी बैंकों में भी प्रावधान विशेष रूप से कम रहे (सारणी III.26)।

सारणी III.25 : निवल अग्रिमों के साथ निवल गैर-निष्पादक आस्तियों के अनुपात द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का वितरण

(बैंकों की संख्या)

निवल गैर-निष्पादक आस्तियाँ/निवल अग्रिम	मार्च के अंत तक				
	1999	2000	2001	2002	2003
1	2	3	4	5	6
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**
1. 10 प्रतिशत तक	18	22	22	24	25
2. 10 प्रतिशत से अधिक और 20 प्रतिशत तक	8	5	5	3	2
3. 20 प्रतिशत से अधिक	1	—	—	—	—
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	**25**	**24**	**23**	**22**	**21**
1. 10 प्रतिशत तक	17	18	16	17	19
2. 10 प्रतिशत से अधिक और 20 प्रतिशत तक	5	5	4	3	1
3. 20 प्रतिशत से अधिक	3	1	3	2	1
निजी क्षेत्र के नए बैंक	**9**	**8**	**8**	**8**	**9**
1. 10 प्रतिशत तक	9	8	8	8	8
2. 10 प्रतिशत से अधिक और 20 प्रतिशत तक	—	—	—	—	1
3. 20 प्रतिशत से अधिक	—	—	—	—	—
भारत में विदेशी बैंक	**41**	**42**	**42**	**40**	**36**
1. 10 प्रतिशत तक	27	31	31	26	28
2. 10 प्रतिशत से अधिक और 20 प्रतिशत तक	11	7	6	5	4
3. 20 प्रतिशत से अधिक	3	4	5	9	4

सारणी III.26 : गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधानों में बैंक समूह-वार उतार-चढ़ाव - 2002-03

(करोड़ रुपये)

विवरण	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 93)	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (27)	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक (21)	निजी क्षेत्र के नए बैंक (9)	विदेशी बैंक (36)
1	2	3	4	5	6
मार्च, 2002 के अंत तक गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान	30,749	24,807	1,432	3,097	1,414
वृद्धि : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	13,181	9,861	778	1,731	810
कमी : वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए, आधिक्य का प्रतिलेखन	12,049	9,131	573	1,786	559
मार्च, 2003 के अंत तक	31,881	25,537	1,637	3,042	1,665
ज्ञापन					
सकल गैर-निष्पादक आस्तियाँ	68,714	54,086	4,568	7,232	2,829
सकल गैर-निष्पादक आस्तियाँ के संचयी प्रावधान (प्रतिशत)	46.4	47.2	35.8	42.1	58.9

नोट : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े वर्ष 2002-03 के लिए उस समूह में बैंकों की संख्या को दर्शाते हैं।
स्रोत : संबंधित बैंकों का तुलन-पत्र निवेश में मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

3.69 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वर्ष के दौरान निवेश में मूल्यह्रास के अपने प्रावधानों में प्रतिलेखन से अधिक की राशि तक वृद्धि की है। दूसरी ओर, नये निजी बैंकों ने एएफएस तथा एचएफटी श्रेणियों (सारणी III.27) में निवेश के उच्चतम अनुपात को संभवतः दर्शानेवाले अपने प्रावधानों को अक्षत रखा है।

वृद्धिशील गैर-निष्पादक आस्तियाँ

3.70 2002-03 में गैर-निष्पादक आस्तियों की वसूली इसे समाविष्ट करते हुए परिवर्धन से अधिक हो गई है कि वृद्धिशील गैर-निष्पादक आस्तियाँ, सकल तथा निवल दोनों ही प्रकार से नकारात्मक हो गई हैं। निरपेक्ष रूप में, सम्पूर्ण रूप से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए सकल गैर-निष्पादक आस्तियाँ 2,249 करोड़ रुपये तक कम हुई हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों की वृद्धिशील सकल गैर-निष्पादक आस्तियों में, वसूली को अलग रखते हुए परिवर्धन के साथ सीमांत वृद्धि हुई है। दूसरी ओर, निवल गैर-निष्पादक आस्तियाँ वर्ष के दौरान उनके द्वारा तैयार किए गए वृद्धिशील प्रावधानों को दर्शाते हुए 1,800 करोड़ रुपये तक कम हुई हैं। सबसे अधिकतम कमी स्टेट बैंक समूह में हुई है। इसके प्रभाव से वर्ष 2002-03 के दौरान अधिकतम बैंक समूहों में सकल गैर-निष्पादक आस्तियों का सकल अग्रिमों के साथ वृद्धिशील अनुपात नकारात्मक रहा है। वृद्धिशील निवल गैर-निष्पादक आस्तियों में भी समान प्रवृत्ति परिलक्षित हुई है (सारणी III.28 तथा सारणी III 29)।

5 पूँजी पर्याप्तता

3.71 मार्च 2003 के अंत तक सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 27 बैंकों में जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) 9 प्रतिशत के निर्धारित न्यूनतम स्तर से उपर था। इनमें से 26 बैंकों में जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूँजी का अनुपात स्तर 10 प्रतिशत से अधिक था। सम्पूर्ण रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए मार्च 2003 के अंत तक जोखिम भारित आस्ति

सारणी III.27 : निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों में बैंक समूह-वार उतार-चढ़ाव - 2002-03

(करोड़ रुपये)

विवरण	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (93)	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (27)	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक (21)	निजी क्षेत्र के नए बैंक (9)	विदेशी बैंक (36)
1	2	3	4	5	6
मूल्यह्रास के लिए प्रावधान मार्च, 2002 के अंत तक	4,524	2,400	124	1,894	107
वृद्धि : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	925	985	79	-191	52
कमी : वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए आधिक्य का प्रतिलेखन	575	458	62	41	14
मार्च, 2003 के अंत तक	4,875	2,927	141	1,662	145

नोट : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े वर्ष 2002-03 के लिए उस समूह में बैंकों की संख्या का उल्लेख करते हैं।
स्रोत : संबंधित बैंकों का तुलन-पत्र।

सारणी III.28: बैंक समूह-वार वृद्धिशील सकल तथा निवल गैर-निष्पादक आस्तियाँ

(करोड़ रुपये)

बैंक समूह	वृद्धिशील सकल गैर-निष्पादक आस्तियाँ		वृद्धिशील निवल गैर-निष्पादक आस्तियाँ	
	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	**7,120**	**-2,147**	**3,093**	**-2,790**
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	1,801	-2,387	-19	-2,995
राष्ट्रीयकृत बैंक	2,681	119	468	-1,822
स्टेट बैंक समूह	-880	-2,506	-487	-1,173
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	505	-283	243	-272
निजी क्षेत्र के नए बैंक	5,195	421	2,734	479
विदेशी बैंक	-380	103	135	-2

स्रोत : संबंधित बैंकों का तुलन-पत्र।

की तुलना में पूँजी का अनुपात स्तर विशिष्ट रूप से मार्च 2002 के अंत तक के 11.80 प्रतिशत की तुलना में अधिक होकर 12.68 प्रतिशत रहा। शीर्षस्थ पाँच बैंकों के लिए पूँजी पर्याप्तता (कुल आस्तियों के अनुसार) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की समग्र जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूँजी का अनुपात के आस-पास अधिक अथवा कम रहा (चार्ट III.8)। संभवतः नयी पूँजी सहमति के आसन्न संचालनात्मकता की दृष्टि से बैंकों, विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय उपस्थितिवाले बैंकों में निर्धारित स्तर से पर्याप्त अधिक पँजी रही है।

3.72 निजी क्षेत्र के सभी पुराने बैंकों तथा भारत में कार्य कर रहे विदेशी बैंकों में जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूँजी का अनुपात निर्धारित स्तर से उपर था। निजी क्षेत्र के दो नए बैंकों में जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूँजी का अनुपात निर्धारित न्यूनतम स्तर से नीचे था (सारणी III.30)। विभिन्न बैंकों के जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूँजी का अनुपात का बैंक-वार ब्यौरा परिशिष्ट सारणी III.20(क) से 20(ग) में दिया गया है।

चार्ट III.8: शीर्षस्थ पाँच बैंकों की जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूँजी का अनुपात

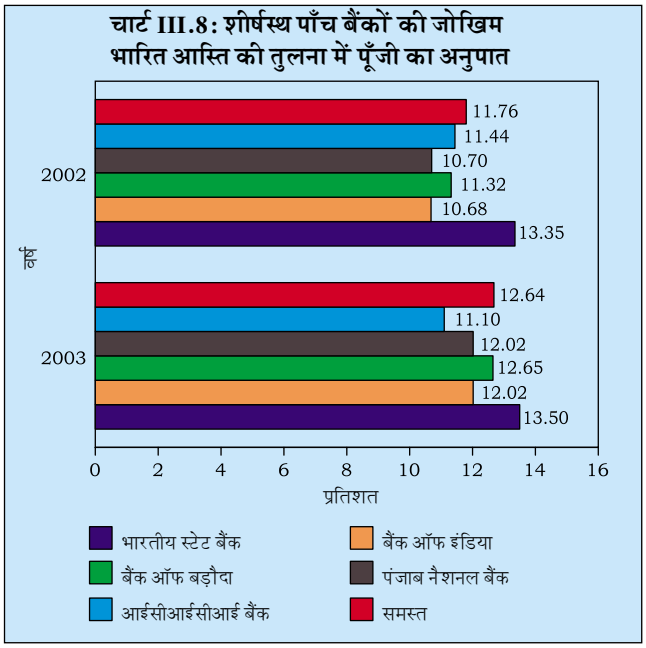

सारणी III.29: सकल तथा निवल गैर-निष्पादक आस्तियों का बैंक समूह-वार वृद्धिशील अनुपात

(प्रतिशत)

बैंक समूह	निम्न के संबंध में सकल गैर-निष्पादक आस्तियों का वृद्धिशील प्रतिशत				निम्न के संबंध में निवल गैर-निष्पादक आस्तियों का वृद्धिशील प्रतिशत			
	सकल अग्रिम		कुल आस्तियाँ		सकल अग्रिम		कुल आस्तियाँ	
	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	**5.8**	**-2.2**	**3.0**	**-1.3**	**2.6**	**-2.9**	**1.3**	**-1.7**
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	2.7	-3.5	1.4	-1.8	0.0	-4.4	0.0	-2.3
राष्ट्रीयकृत बैंक	5.0	0.3	3.4	0.1	0.9	-4.1	0.6	-2.1
स्टेट बैंक समूह	-6.4	-11.0	-1.9	-5.6	-3.5	-4.8	-1.1	-2.6
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	11.7	-3.9	5.8	-2.4	5.6	-3.8	2.8	-2.3
निजी क्षेत्र के नए बैंक	11.4	2.1	5.4	2.4	6.2	3.1	2.9	2.7
विदेशी बैंक	-7.3	2.9	-3.4	3.3	2.4	-0.1	1.2	-0.1

स्रोत 1. संबंधित बैंकों के तुलन-पत्र।
2. संबंधित बैंकों से प्राप्त विवरणियाँ।

सारणी III.30 : जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूँजी के अनुपात द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का वितरण

(बैंकों की संख्या)

बैंक समूह	2001-02				2002-03			
	4 प्रतिशत के नीच	4-9 प्रतिशत के बीच	9-10 प्रतिशत के बीच	10 प्रतिशत से अधिक	4 प्रतिशत के नीचे	4-9 प्रतिशत के बीच	9-10 प्रतिशत के बीच	10 प्रतिशत से अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
स्टेट बैंक समूह	—	—	—	8	—	—	—	8
राष्ट्रीयकृत बैंक	1	1	2	15	—	—	1	18
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	—	—	2	19	—	—	2	19
निजी क्षेत्र के नए बैंक	—	1	1	6	2	—	1	6
विदेशी बैंक	—	—	2	33	—	—	—	36
कुल	**1**	**2**	**7**	**81**	**2**	**—**	**4**	**87**

इक्विटी पूँजी

3.73 भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) अधिनियम, 1955 तथा बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों के अभिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियमों, 1970/1980 के अर्थ यह हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अपने पूँजीगत आधार को स्थायी बनाने के लिए पूँजी बाजार का लगातार आश्रय लेते रहे हैं। 1993-2002 की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग 12 बैंकों ने सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से 6,501 करोड़ रुपये तक की पूँजी वसूल की है।

3.74 2002-03 के दौरान यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया ने प्रति शेयर 16 रुपये के मूल्य पर कुल मिलाकर 288 करोड़ रुपये के 18 करोड़ इक्विटी शेयरों के सार्वजनिक निर्गम द्वारा अगस्त 2002 में प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव किया। बैंक ने सरकार को इस निर्गम के पहले ही तत्काल 58 करोड़ रुपये की पूँजी भी वापस की। इस सार्वजनिक प्रस्ताव के फलस्वरूप सरकार की बैंकों में शेयरधारिता घटकर 60.9 प्रतिशत हो गई है। इलाहाबाद बैंक ने प्रति शेयर 10 रुपये की दर से कुल मिलाकर 100 करोड़ रुपये के सम मूल्य के 10 करोड़ इक्विटी शेयरों के सार्वजनिक निर्गम द्वारा अक्तूबर 2002 में प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आई पी ओ) किया। इस निर्गम के परिणामस्वरूप, बैंक में सरकार की शेयरधारिता घटकर 71.2 प्रतिशत हो गई। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने प्रति शेयर 35 रुपये के मूल्य पर कुल मिलाकर 385 करोड़ रुपये के 11 करोड़ इक्विटी शेयरों का सार्वजनिक निर्गम किया। इस निर्गम के तुरंत बाद, बैंक में सरकार की शेयरधारिता घटकर 73.2 प्रतिशत रह गई। इसके साथ, 1993-2002 की अवधि में इक्विटी निर्गमों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वसूली गई कुल राशि, कुल मिलाकर 7,274 करोड़ रुपये रही। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की शेयरधारिता न्यूनतम 59.7 प्रतिशत से अधिकतम 75 प्रतिशत तक के बीच रही है।

पूँजी की वापसी

3.75 2002-03 के दौरान, तीन राष्ट्रीयकृत बैंकों, यथा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (58 करोड़ रुपये) केनरा बैंक (278 करोड़ रुपये) तथा आंध्र बैंक (50 करोड़ रुपये) ने सरकार को पूँजी वापस की है। इसके साथ, मार्च 2003 के अंत तक राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सरकार को लौटाई गई कुल पूंजी, कुल मिलाकर 1,253 करोड़ रुपये थी।

प्रदत्त पूँजी के बदले में हानि को बट्टे खाते डालना

3.76 केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के साथ सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया तथा यूको बैंक ने अपनी प्रदत्त पूँजी से वर्ष 2001-02 तथा वर्ष 2002-03 के दौरान क्रमशः 681 करोड़ तथा 1,665 करोड़ *रुपये की हानि को बट्टे खाते में डाला है।*

विदेश में भारतीय बैंकों का परिचालन

3.77 संसार भर के दूसरे देशों में कई भारतीय बैंक कार्य कर रहे हैं। सितम्बर 2003 के अंत तक विदेशों में कार्यरत भारतीय बैंकों की संख्या नौ रही है जिनमें से आठ बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के हैं तथा एक निजी क्षेत्र का है। अमेरिका में भारतीय स्टेट बैंक की फ्लाशींग, न्यूयॉर्क शाखा तथा कोलम्बो में इंडियन ओवरसीज़ बैंक की विदेशी मुद्रा बैंकिंग इकाई के बन्द होने के साथ विदेशों में इन नौ भारतीय बैंकों की शाखाओं की संख्या घटकर 92 हो गई है।

3.78 विदेशों में भारतीय बैंकों के प्रतिनिधि कार्यालयों की संख्या, आईसीआईसीआई बैंक लि. के प्रतिनिधि कार्यालयों को लंदन तथा न्यूयॉर्क में, एचडीएफसी बैंक की दुबई में, बैंक ऑफ इंडिया की शेनज़ेन (चीन) तथा हो-ची-मिन्ह सिटी (वियतनाम) में तथा पंजाब नेशनल बैंक का लंदन में खोले जाने के साथ 15 से बढ़कर 18 हो गई है। भारतीय स्टेट बैंक ने पहले ही हो-चि-मिन्ह (वियतनाम) में, सावो पावलो (ब्राजील) तथा जकार्ता (इंडोनेशिया) में अपने प्रतिनिधि कार्यालय बन्द कर दिए हैं।

3.79 भारतीय बैंकों के विदेशों में संयुक्त उद्यमों तथा सहायक बैंकों की संख्या क्रमशः 5 और 15 है।

भारत में विदेशी बैंकों का परिचालन

3.80 आर्थिक सुधारों के शुरू होने के बाद से विदेशी बैंकों को भारतीय वित्त बाजार में अधिक उदारता के साथ प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। सितम्बर 2003 के अंत तक, भारत में विदेशी बैंकों की संख्या 207 शाखाओं के साथ 35 थी। तथापि, उनके प्रतिनिधि कार्यालयों की संख्या 26 पर अपरिवर्तित ही रही।

3.81 समामेलन तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44ए के अनुसरण में स्टैण्डर्ड चार्टर्ड ग्रिन्डलेज़ बैंक लिमिटेड (एससीजीबी) की भारतीय शाखाओं का स्टैण्डड चार्टर्ट बैंक (एससीबी) की भारतीय शाखाओं के साथ विलय हो गया। तदनुसार एससीजीबी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42 की उप-धारा(6) के खण्ड (बी) के अनुसार अगस्त 2002 में गैर-अधिसूचित कर दिया गया।

3.82 मुंबई में अपनी एक शाखा के साथ डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड ने सिंगापुर में निगमित होकर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का2) की धारा 42 की उप-धारा(6) के खण्ड (सी) के अनुसार अपना नाम बदलकर 21 जुलाई 2003 से 'डीबीएस बैंक लिमिटेड' रख लिया।

3.83 पाँच बैंकों यथा कॉमर्जबैंक, ड्रेस्डनर बैंक एजी केबीसी बैंक, द श्याम कमर्शियल बैंक, पी.सी.एल. तथा टोरण्टो डोमिनियन बैंक ने भारत में अपने बैंकिंग परिचालनों को बन्द कर दिया है। द ओवरसीज़- चाइनीज़ बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत में अपना परिचालन बन्द करने की प्रक्रिया में है।

6. बैंकिंग का क्षेत्रीय प्रसार

3.84 जून 2003 के अंत तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की शाखाओं की कुल संख्या 66,514 थी। विगत पाँच वर्षों में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं के प्रसार में औसतन वार्षिक वृद्धि निकटतम एक प्रतिशत दर्ज की गई है। शाखाओं के युक्तिकरण की नीति को दर्शाती हुई जून 2002 के अंत तक की तुलना में ग्रामीण शाखाओं का हिस्सा जून 2003 के अंत में 49.0 प्रतिशत से कम होकर 48.7 प्रतिशत हो गया जिसमें दो वाणिज्यिक बैंक शाखाओं (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वारा दी जा रही सेवा में केन्द्रों पर हानि उठा रही ग्रामीण शाखाओं को परस्पर विचार-विमर्श द्वारा बन्द किया जा सकता था। शहरी शाखाओं के हिस्से में सीमांत वृद्धि हुई जबकि मेट्रोपॉलिटन शाखाओं का अनुपात पूर्व की भाँति उसी स्तर पर रहा (परिशिष्ट सारणी III.22)।

3.85 शाखाओं का राज्य-वार वितरण यह प्रकट करता है कि जुलाई 2002 से जून 2003 की अवधि में सभी क्षेत्रों में शाखाओं की संख्या में वृद्धि हुई, यद्यपि निरपेक्ष शब्दों में, विगत कुछ वर्षों में बैंक शाखाओं में परिवर्धन लगातार कम होता रहा है। राष्ट्रीय आय के क्षेत्रीय वितरण के समरूप, दक्षिणी तथा केन्द्रीय क्षेत्रों में बैंक की शाखाओं के उच्चतम प्रतिशत प्राप्त हुए हैं। वस्तुतः दक्षिणी क्षेत्र में, विषेशकर आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों में वर्ष के दौरान अधिकतम संख्या में शाखाएँ खोली गई हैं। उत्तरी क्षेत्र में भी विशेषकर पंजाब (31) तथा दिल्ली (26) (परिशिष्ट सारणी III.23ऋ। वर्ष के दौरान खोली गई शाखाओं की संख्या में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

3.86 जबकि दक्षता आधार पर भारत में .'सामाजिक बैंकिंग' की उपयोगिता के संबंध में प्रश्न उठाए गए हैं, वर्ष 1997 तथा 1990 के बीच भारतीय ग्रामीण शाखा विस्तार कार्यक्रम पर हाल के साक्ष्य यह सुझाव देते हैं कि कार्यक्रम ने ग्रामीण निर्धनता पर महत्तवपूर्ण प्रभाव डाला है और गैर-कृषि उत्पादन (बॉक्स III.9) में वृद्धि की है।

7. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ब्याज दर

3.87 2002-03 राजकोषीय वर्ष में अधिकतम बाजारों (सारणी III.31) में ब्याज-दर की सुलभता रही है। ऋण बाजारों में, वाणिज्यिक बैंकों की जमा दरें बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त चल-निधि को दर्शाते हुए लगातार गिरती रही हैं। उधार दरें संरचनात्मक कारकों के साथ ही वर्ष के उत्तरवर्ती आधी अवधि के दौरान ऋण की माँग के फिर जारी होने के प्रभाव को दर्शाते हुए सापेक्षिक रूप से स्थिर रही हैं। परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान दीर्घावधि जमा दरें तथा उधार दरों के बीच फैलाव और बढ़ा है (चार्ट III.9)।

3.88 विशेषतया दीर्घावधि परिपक्वता के लिए जमा दरें मुद्रास्फीति अपेक्षाओं में आधुनिकीकरण का पालन करते हुए (सारणी III.32) वर्ष 2002-03 के दौरान नीचे गिरी हैं। परिपक्वता-वार, वाणिज्यिक बैंकों की दीर्घावधि जमा दरों में अल्पावधि दरों की तुलना में बड़ी गिरावट आई है।

3.89 रिज़र्व बैंक, जमाकर्ताओं से असंतोषजनक उत्तर प्राप्त करने के बावजूद भी बैंकों को अस्थायी दर जमा योजना स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है क्योंकि यह बैंकों के साथ ही जमाकर्ताओं के दीर्घावधि हित में है। ब्याज दर के लचीलेपन में सुधार के लिए बैंकों को परिवर्तनीय दर जमा पर पुनर्संस्थापन अवधि के लिए निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई।

बॉक्स III.9 :शाखा बैंकिंग और भारतीय बैंकिंग

शाखा बैंकिंग तथा भारतीय बैंक लोगों को अपने उत्पादन तथा नियोजन गतिविधियों को परिवर्तित करने तथा निर्धनता से बाहर आने में वित्त की उपलब्धता को महत्त्वपूर्ण तथ्य माना जाता है। इस संदर्भ में यह तर्क दिया जाता है कि वित्तीय विकास गरीबों को ऋण तक पहुँच उपलब्ध करा सकता है और फलस्वरूप उनके आर्थिक कार्य-निष्पादन में सुधार ला सकता है। तदनुसार, उभर रहे तथा विकसित हो रहे कई देशों में जहाँ गरीबों का एक महत्त्वपूर्ण अनुपात ऋण तक पहुँच से कटा हुआ है, बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप को समाज के जरूरतमंद हिस्से को ऋण वितरित करने लायक समझा गया है। तथापि निर्धनता घटाने में ऐसे हस्तक्षेपों की सफलता का साक्ष्य सीमित रहा है।

हाल के कुछ ऐसे साक्ष्य हैं कि राष्ट्रीयकरण के बाद से भारत में शाखा विस्तार कार्यक्रमों का निर्धनता सरकारी तथा गैर-कृषि उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। 1961-2000 की अवधि के प्रमुख सोलह भारतीय राज्यों में आँकड़ों का उपयोग करने पर निम्नलिखित बातें पाई गई हैं :

- शाखा लाइसेंसिंग नियम पिछडे ग्रामीण स्थानों में शाखा खोलने में वाणिज्यिक बैंकों को प्रोत्साहित करने में सफल रहा है।
- ग्रामीण बैंक, ग्रामीण गरीबों तक पहुँच पाए हैं, तथा
- वाणिज्यिक बैंकों ने घरेलू बचत के लिए अवसर प्रदान किए हैं। बचत खाते ने घर-वार को संग्रहित पूँजी के साधन उपलब्ध कराए हैं जिसका विभिन्न उत्पादक गतिविधियों में निवेश किया जाएगा।

इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा नियोजित सामाजिक बैंकिंग कार्यक्रम ग्रामीण निर्धनों को संसाधनों का पुनर्वितरण करता है। इससे यह प्रस्तावित है कि निर्धनों को वित्त उपलब्ध कराने से ग्रामीण ढाँचा महत्त्वपूर्ण सामाजिक उपलब्धि को जन्म देगा।

संदर्भ :

आर. वर्गेज और आर. पाण्डे (2003) "डू रूरल बैंक्स मैटर ? एविडेंस फ्रॉम द इंडियन सोशल बैंकिंग एक्सपेरिमेंट" स्टीसर्ड डिस्कशन पेपर नं.40, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (अगस्त)

इस संदर्भ में मई 2003 में जमा दरों तथा प्रक्रियाओं से संबंधित विभिन्न मामलों की जाँच के लिए मुख्य बैंकों तथा रिज़र्व बैंक के सदस्यों के एक कार्यशील समूह ने (अध्यक्ष : श्री एच.एन.साइनोर) अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

सारणी III.31 : ब्याज-दर की संरचना

(प्रतिशत)

ब्याज दर	मार्च 2002	मार्च 2003	सितंबर 2003
1	2	3	4
I. ऋण बाजार			
1. जमा दर			
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	4.25-8.75	4.00-7.00	3.75-6.25
विदेशी बैंक	4.25-10.00	3.00-8.50	3.00-8.00
निजी बैंक	5.00-10.00	3.50-8.00	3.00-8.00
2. उच्चतर दर			
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	10.00-12.50	9.00-12.25	9.00-12.25
विदेशी बैंक	9.00-17.50	6.75-17.50	5.05-17.50
निजी बैंक	10.00-15.50	7.00-15.50	8.00-15.50
II. मुद्रा बाजार			
3. मांग उधार (औसत)	6.97	5.86	4.50
4. कमर्शियल पेपर			
भारित औसत बट्टा दर (61-90 दिन)	7.78	6.53	5.26
भारित औसत बट्टा दर (91-180 दिन)	8.00	6.21	4.89
सीमा	7.41-10.25	6.00-7.75	4.74-6.50
5. जमा प्रमाणपत्र			
सीमा	5.00-10.03	5.00-7.10	4.25-6.00
विभिष्ट दर			
3 माह	7.38	-	5.00
12 माह	10.00	5.25	5.31
6. ट्रेजरी बिल			
91 दिन	6.13	5.89	4.57
364 दिन	6.16	5.89	4.59
III. कर्ज बाज़ार			
7. सरकारी प्रतिभूति बाजार			
5-वर्ष	6.75	5.92	4.79
10-वर्ष	7.30	6.13	5.13
8. एएए क्रम-निर्धारित कंपनी बाण्ड			
1-वर्ष	8.05	6.21	5.05
5-वर्ष	8.40	6.79	5.54

चार्ट III.9 वाणिज्यिक बैंक जमा तथा उधार दरें और उनका फैलाव

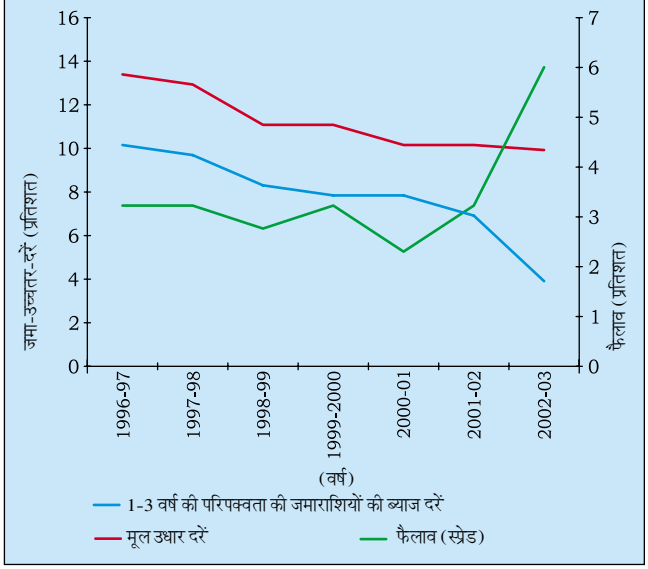

8. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

निधि का संग्रहण तथा प्रत्यायोजन

3.90 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबीज़) भौगोलिक विस्तार, ग्राहकीय पहुँच, व्यापारिक परिमाण तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान के अनुसार ग्रामीण संस्थागत वित्तीय सहायता में महत्त्वपूर्ण रहे हैं। समष्टिगत आर्थिक प्रवृत्तियों के अनुरूप हाल के वर्षों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जमा राशि संग्रहण में धीरे-धीरे गिरावट आती गई है। साथ ही साथ ऋण की मांग में भी वृद्धि हुई है। अप्रैल 2002 की मौद्रिक ऋण नीति वक्तव्य में घोषणा की गई कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपने समस्त सांविधिक चल-निधि अनुपात की धारित राशि को मार्च 2003 तक वर्तमान जमाराशियों को प्रायोजिक बैंकों के साथ अनुमोदित प्रतिभूतियों में परिवर्तित करके

सारणी III.32 : जमा तथा उधार ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव

(प्रतिशत)

ब्याज दर	मार्च 2002	मार्च 2003	सितंबर 2003
1	2	3	4
I. घरेलू जमा दरें			
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक			
क) 1 वर्ष तक	4.25 - 7.50	4.00 - 6.00	3.75-5.50
ख) 1 वर्ष से 3 वर्ष तक	7.25 - 8.50	5.25 - 6.75	4.75-6.00
ग) 3 वर्ष से अधिक	8.00 - 8.75	5.50 - 7.00	5.25-6.25
निजी क्षेत्र के बैंक			
क) 1 वर्ष तक	5.00 - 9.00	3.50 - 7.50	3.00-7.00
ख) 1 वर्ष से 3 वर्ष तक	8.00 - 9.50	6.00 - 8.00	5.50-7.50
ग) 3 वर्ष से अधिक	8.25 - 10.00	6.00 - 8.00	5.75-8.00
विदेशी बैंक			
क) 1 वर्ष तक	4.25 - 9.75	3.00 - 7.75	3.00-7.75
ख) 1 वर्ष से 3 वर्ष तक	6.25 - 10.00	4.15 - 8.00	3.50-8.00
ग) 3 वर्ष से अधिक	6.25 - 10.00	5.00 - 9.00	3.75-8.00
II. मूक उच्चतर दर			
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	10.00 - 12.50	9.00 - 12.25	9.00-12.25
निजी क्षेत्र के बैंक	10.00 - 15.50	7.00 - 15.50	8.00-15.50
विदेशी बैंक	9.00 - 17.50	6.75 - 17.50	5.05-17.50

सरकारी अनुमोदित अन्य प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना है। तथापि, 31 मार्च 2003 के बाद परिपक्व हो रही सांविधिक चल-निधि अनुपात जमा राशियों को प्रायोजक बैंकों के पास उनकी परिपक्वता तक रखे जाने की अनुमति दी गई है, तथा परिपक्व होने पर इन जमाराशियों को सरकारी प्रतिभूतियों में परिवर्तित कर दिया जाना है। परिणामस्वरूप, सरकारी प्रतिभूतियों में अंतर बैंक आस्तियों के आहरण द्वारा कमी के माध्यम से बृहत रूप में निधि उपलब्ध कराने से निवेश में तेजी से अनुवृद्धि हुई है (सारणी III.33)।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन

3.91 वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के लिए 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में आँकड़े यह उल्लिखित करते हैं कि वर्ष 2002-03 में लाभार्जन कर रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या में समग्र रूप से गिरावट आई है। यह पाया गया है कि हानि उठा रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य-निष्पादन में वर्ष 2002-03 के दौरान तेजी से गिरावट आई है, उदाहरणस्वरूप, आय के स्तर पर वर्ष 2002-03 में लाभ अर्जन कर रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की आय में वृद्धि का व्यापक रूप में हानि उठा रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की महत्त्वपूर्ण हानि द्वारा निष्फल कर दिया गया है। उसी प्रकार व्यय के स्तर पर हानि उठा रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ब्याज व्यय के साथ-साथ परिचालनगत व्यय क्षेत्रों में, बादवाले में व्यापक रूप से मजदूरी-बिल में वृद्धि के चलते तेजी से वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप, कुल आस्तियों के अपने निवल लाभ के अनुसार, हानि उठा रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को समग्र रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए अनुपात में गिरावट (सारणी III.34) के चलते गत वर्ष की तुलना में खराब प्रदर्शन करना पड़ा है।

प्रयोजन-वार बकाये ऋण एवं अग्रिम

3.92 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वितरित किए गए ऋणों की संरचना विस्तृत रूप से समान रही है। जबकि कृषिगत तथा गैर-कृषिगत ऋणों के शेयर्स व्यापक रूप से बराबर रहे हैं, हाल के वर्षों में (सारणी III.35)। बादवाले के पक्ष में एक सीमांत पूर्वाग्रह रहा है।

9. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार

3.93 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के बकाया अग्रिम वर्ष 2002-03 के दौरान 18.6 प्रशित तक बढ़े हैं। इस स्तर पर, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम, निवल बैंक ऋण (एनबीसी) का 42.5 प्रतिशत हैं। जबकि .अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों ने अधिकतम वृद्धि दर्ज की है, कृषि के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष अग्रिमों, दोनों को साथ मिलाकर, में भी वृद्धि दर्ज की गई है। कृषि अग्रिम, मार्च 2003 के रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार तक निवल बैंक ऋण का 15.3 प्रतिशत था (परिशिष्ट सारणी III.24)। कृषि तथा कमजोर वर्गों को अग्रिम के साथ-साथ कमजोर वर्गों को दिए गए अग्रिम के चलते गैर-निष्पादक आस्तियों के बैंक-वार ब्यौरे (परिशिष्ट सारणी III.25(क) तथा 25 (ख) में दिए गए हैं।

निजी क्षेत्र के बैंक

3.94 निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम निवल बैंक ऋण (एनबीसी) के प्रतिशत के रूप में प्रकट हुए हैं। अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र श्रेणी का हिस्सा निवल बैंक ऋण का अधिकतम 21.3 प्रतिशत था जिसके बाद कृषि तथा लघु-उद्योगों को दिया गया अग्रिम (परिशिष्ट सारणी III.26) था। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, कृषि तथा कमजोर वर्गों को दिए गए अग्रिम के साथ-साथ कमजोर वर्गों को दिए गए अग्रिम के चलते गैर-निष्पादक आस्तियों के बैंक-वार ब्यौरे परिशिष्ट सारणी III.27 (क) तथा 27(ख) में प्रस्तुत हैं।

विदेशी बैंक

3.95 भारत में कार्य कर रहे विदेशी बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए निवल बैंक ऋण का 32.0 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करने के साथ लघु उद्योगों के लिए निवल बैंक ऋण का 10 प्रतिशत तथा निर्यात के लिए निवल बैंक ऋण का 12.0 प्रतिशत का उप लक्ष्य प्राप्त करें। मार्च 2003 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार तक विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार निवल बैंक ऋण का 33.9 प्रतिशत था जिसमें निर्यात ऋण का हिस्सा निवल बैंक ऋण 18.7 प्रतिशत (परिशिष्ट सारणी III.28) था।

सारणी III.33: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के महत्त्वपूर्ण बैंकिंग संकेतक
(निम्न को बकाया)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	30 मार्च 2001	29 मार्च 2002	28 मार्च 2003	घट-बढ़ 2001-02	घट-बढ़ 2002-03
1	2	3	4	5 (3-2)	6 (4-3)
1 बैंकिंग प्रणाली को देयताएं	**177**	**188**	**179**	**11**	**-9**
				(6.2)	**(-4.8)**
2 अन्यों को देयताएं	**38,696**	**44,873**	**50,190**	**6,177**	**5,317**
				(16.0)	**(11.8)**
2.1 कुल जमाराशियां (क + ख)	37,027	43,220	48,346	6,193	5,126
				(16.7)	(11.9)
क) मांग जमाराशियां	6,499	7,716	8,802	1,217	1,086
				(18.7)	(14.1)
ख) आवधिक जमाराशियां	30,528	35,504	39,544	4,976	4,040
				(16.3)	(11.4)
2.2 उधार राशियां	24	12	131	-12	119
				(-50.0)	(991.7)
2.3 अन्य मांग और समय देयताएं*	1,645	1,641	1,713	-4	72
				(-0.2)	(4.4)
3 बैंकिंग प्रणाली में आस्तियां	**16,973**	**18,509**	**15,091**	**1,536**	**-3,418**
				(9.0)	**(-18.5)**
4 बैंक ऋण	**15,579**	**18,373**	**21,773**	**2,794**	**3,400**
				(17.9)	**(18.5)**
5 नकदी शेष	**7,546**	**6,772**	**12,524**	**-774**	**5,752**
				(-10.3)	**(84.9)**
क) सरकारी प्रतिभूतियां	1,588	1,915	8,311	327	6,396
				(20.6)	(334.0)
ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	5,958	4,857	4,213	-1,101	-644
				(-18.5)	(-13.3)
6 नकदी शेष	**441**	**472**	**515**	**31**	**43**
				(7.0)	**(9.1)**
ज्ञापन :					
क) नकदी शेष अनुपात	1.2	1.1	1.1		
ख) क्रेडिट-जमा अनुपात	42.1	42.5	45.0		
ग) निवेश/क्रेडिट/जमा अनुपात	20.4	15.7	25.9		
घ) निवेश + क्रेडिट/जमा अनुपात	62.5	58.2	70.9		

* अन्यों को जारी सहभागिता प्रमाणपत्र भी शामिल है
नोट : कोष्ठक के आँकड़े प्रतिशत में बदलाव हैं।

विभेदक ब्याज दर (डीआरआइ) योजना

3.96 विभेदक ब्याज दर योजना 1972 में शुरू की गयी थी। इसे पूरे देश में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लागू किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत कमजोर वर्गों को उत्पादक और लाभप्रद कार्यकलाप शुरू करने के लिए 4.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष की रियायती ब्याज दर पर बैंक वित्त उपलब्ध कराया जाता है जिसके द्वारा वे अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में सक्षम हो सकें। बैंकों से अपेक्षित है कि वे इस योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार अपने कुल अग्रिम का कम से कम एक प्रतिशत ऋण (उधार) दें। इसके अतिरिक्त, विभेदक ब्याज दर अग्रिमों में दो-तिहाई अग्रिम बैंक की ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी शाखाओं के जरिए दी जानी चाहिए। पात्रता के लिए वार्षिक आय की अधिकतम सीमा शहरी अथवा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में 7,200 रुपया प्रति परिवार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 6,400 रुपया प्रति परिवार है। मार्च 2003 तक के अंत तक की स्थिति के अनुसार विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 3.70 लाख उधार खाता में बकाया अग्रिम 300 करोड़ रुपए था। मार्च 2003 के अंत की स्थिति के अनुसार विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत बैंकों के अग्रिम पिछले वर्ष अर्थात मार्च 2002

सारणी III.34 : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए)

	विवरण	2001-02			2002-03			2002-03 के दौरान भिन्नता
		हानिप्रद	लाभप्रद	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	हानिप्रद	लाभप्रद	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	
		[29]	[167]	[196]	[40]	[156]	[196]	
1		2	3	4	5	6	7	8 = (7)-(4)
क.	**आय (i+ii)**	**484**	**5,080**	**5,564**	**774**	**5,157**	**5,931**	**367 (6.6)**
	i) ब्याज से लाय	449	4,743	5,191	727	4,775	5,501	310 (6.0)
	ii) अन्य लाय	36	337	373	48	383	430	57 (15.4)
ख.	**व्यय (i+ii+iii)**	**576**	**4,380**	**4,956**	**989**	**4,418**	**5,407**	**451 (9.1)**
	i) ब्याज का व्यय	361	2,968	3,329	567	2,946	3,513	184 (5.5)
	ii) प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	28	138	166	66	124	190	24 (14.5)
	iii) परिचालन व्यय	187	1,274	1,461	356	1,348	1,703	243 (16.6)
	जिसका मजदूरी बिल	158	1,107	1,264	321	1,159	1,480	216 (17.1)
ग.	**लाभ**							
	i) परिचालन लाभ/हानि	-64	838	774	-149	863	714	-59 (-7.7)
	ii) निवल लाभ/हानि	-92	700	608	-215	739	524	-83 (-13.7)
घ.	**कुल आस्तियां**	**6,169**	**50,635**	**56,804**	**10,282**	**53,332**	**63,614**	**6,811 (12.0)**
ड.	**वित्तीय अनुपात** (कुल आस्तियों का प्रतिशत के रूप में)							
	i) परिचालन लाभ	-1.0	1.7	1.4	-1.4	1.6	1.1	
	ii) निवल लाभ	-1.5	1.4	1.1	-2.1	1.4	0.8	
	iii) आय	7.9	10.0	9.8	7.5	9.7	9.3	
	iv) ब्याज आय	7.3	9.4	9.1	7.1	9.0	8.6	
	v) अन्य आय	0.6	0.7	0.7	0.5	0.7	0.7	
	vi) व्यय	9.3	8.6	8.7	9.6	8.3	8.5	
	vii) ब्याज का व्यय	5.9	5.9	5.9	5.5	5.5	5.5	
	viii) परिचालनगत व्यय	3.0	2.5	2.6	3.5	2.5	2.7	
	ix) मजदूरी बिल	2.6	2.2	2.2	3.1	2.2	2.3	
	x) प्रावधान और आकस्मिकताएं	0.5	0.3	0.3	0.6	0.2	0.3	
	xi) अंतर (निवल ब्याज आय)	1.4	3.5	3.3	1.5	3.4	3.1	

स्रोत : नाबार्ड

की समाप्ति पर कुल बकाया अग्रिम का 0.08 प्रतिशत था जो एक प्रतिशत के सापेक्षिक लक्ष्य से निम्नतर है।

विशेष कृषि ऋण योजना (एसएसीपी)

3.97 लक्षित कृषि ऋण के लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निदेश दिया गया था कि वे 1994-95 से विशेष कृषि ऋण योजना बनाएं तथा समीक्षाधीन वर्ष (अप्रैल-मार्च) के दौरान प्राप्त करने के लिए स्वयं निर्धारित लक्ष्य बनाएं। विशेष कृषि ऋण योजना की शुरूआत के बाद से कृषि को ऋण के प्रवाह में काफी वृद्धि हुई है तथा यह 1994-95 के 8,255 करोड़ रुपए से बढ़कर 2002-03 में 33,921 करोड़ रुपए हो गया है जबकि 2002-03 के लिए लक्ष्य 36,838 करोड़ रुपए था।

सरकार प्रायोजित योजनाएं

3.98 समीक्षाधीन वर्ष 2002-03 (फरवरी 2003 तक) के दौरान स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की कुल संख्या 5,35,133 थी। इस योजना के अंतर्गत 781 करोड़ रुपए का बैंक ऋण तथा 404 करोड़ रुपए की सरकारी

सारणी III.35: बकाए अग्रिमों के प्रयोजन का अलग-अलग आँकड़े

(राशि करोड़ रुपए)

प्रयोजन	2001	2002
1	2	3
1. अल्पावधि ऋण (फसल ऋण)	3,095	3,812
2. मीयादी ऋण (कृषि तथा उससे संबंधित गतिविधियों के लिए)	871	782
3. अप्रत्यक्ष अग्रिम	उ. न.	उ. न.
I. कुल योग (कृषि) (1 to 3)	**3,966 (44.9)**	**4,594 (43.5)**
4. ग्रामीण कारीगर, आदि	181	198
5. अन्य उद्योग	70	107
6. फुटकर व्यापार, आदि	1,123	1,279
7. अन्य प्रयोजन	3,483	4,393
II. कुल योग (4 to 7)	**4,857 (55.1)**	**5,977 (56.5)**
कुल (I+II)	**8,823 (100.0)**	**10,571 (100.0)**

उ. न. - उपलब्ध नहीं
नोट : कोष्ठक के आँकड़े कुल क्षेत्र के प्रतिशत हैं।
स्रोत : नाबार्ड

सहायता संवितरित की गयी। सहायता-प्राप्त स्वरोजगारियों में 1,60,638 (30.0 प्रतिशत) अनुसूचित जाति तथा 78,157 (14.6 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति के थे जबकि 2,57,664 (48.2 प्रतिशत) महिलाएं और 4,166 (0.8 प्रतिशत) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति लाभान्वित हुए थे।

3.99 सफाई करनेवालों की मुक्ति और पुनर्वास योजना के अंतर्गत 2002-03 के दौरान स्वीकृत कुल आवेदनों की संख्या 12,310 थी। 31 मार्च 2003 की स्थिति के अनुसार इनमें से 11,091 मामलों में 19.5 करोड़ रुपए का संवितरण किया गया।

3.100 प्रधानमंत्री रोजगार योजना के विषय में 2002-03 के दौरान इस योजना के अंतर्गत अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 2,22,996 करोड़ आवेदन स्वीकृत किए गए तथा कुल 1,449 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गयी।

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)

3.101 किसान क्रेडिट कार्ड नया एक सफल वित्तीय साधन है जिसे 1998-99 के केंद्रीय बजट में की गयी घोषणा के अनुसरण में शुरू किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा जारी किए जाते है। जून 2000 में बैंकों को निदेश दिया गया कि वे इस योजना के अंतर्गत बृहत्तर व्याप्ति बढ़ाने के लिए 5000 रुपए से भी कम सीमा के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करें। उन्हें यह भी निदेश दिया गया है कि वे किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत खाता में शेष जमा पर ब्याज दें।

3.102 2001-02 के बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसरण में बैंकों को निदेश दिया गया कि वे किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को वैयक्तिक दुर्घटना बीमा पैकेज प्रदान करें जैसा कि अन्य क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए किया जाता है तथा दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता के लिए उन्हें अधिकतम क्रमशः 50,000 रुपए तथा 25,000 रुपए के लिए बीमित करे। प्रीमियम का भार जारीकर्ता संस्थान और किसान क्रेडिट कार्ड धारकों द्वारा 2:1 के अनुपात में वहन किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस योजना की शुरुआत के बाद मार्च 2003 तक संचयी रूप से 101.5 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए है। 2002-03 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 26.9 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जबकि उनका स्व-निर्धारित लक्ष्य 25.8 लाख था। सभी पात्र कृषि संबंधित किसानों को मार्च 2004 तक किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लाना अपेक्षित है। तदनुसार, सभी वाणिज्यिक बैंकों को निदेश दिया गया है कि हासिल किए जानेवाले लक्ष्यों को संशोधित करें।

3.103 इस योजना से लाभान्वितों पर प्रभाव के मूल्यांकन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के राष्ट्रीय प्रभाव के मूल्यांकन संबंधी सर्वेक्षण से संबंधित कार्य राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएइआर) नई दिल्ली को सौंपा गया है। एनसीएइआर ने सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया है तथा रिपोर्ट दिसंबर 2003 तक अपेक्षित है। इस सर्वेक्षण में 10 राज्यों के 53 जिलों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र को शामिल करने के लिए असम राज्य को भी सम्मिलित किया गया है।

अग्रणी बैंक योजना

3.104 अग्रणी बैंक योजना (एलबीएस) का मुख्य जोर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को बैंक वित्त के अनुपात में वृद्धि करना रहा है। मार्च 2003 के अंत तक की स्थिति के अनुसार अग्रणी बैंक योजना में 582 जिले शामिल है जिसमें वर्तमान जिलों के पुनर्गठन/द्विभाजन के कारण बने दो नए जिले सम्मिलित हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों लिए नियत नए जिलों के ब्यौरे सारणी III.36 में दिए गए है।

3.105 जम्मू और कश्मीर के अमनिता, बडगे, प्लासमा और स्ट्रिंगर जिलों की अग्रणी जिम्मेदारी के भारतीय स्टेट बैंक से जम्मू और कश्मीर बैंक लि. को अस्थायी हस्तांतरण की अवधि मार्च 2005 तक बढ़ा दी गयी है।

सारणी III.36 : नए जिलों के संदर्भ में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी

जिला का नाम	राज्य का नाम	आबंटन की तारीख	अग्रणी बैंक का नाम
1	2	3	4
अराल	बिहार	16 सितंबर 2002	पंजाब नैशनल बैंक
इंफाल (पश्चिम) *	मणिपुर	6 जनवरी 2003	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया
इंफाल (पूर्व) *	मणिपुर	6 जनवरी 2003	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया

* मूल रूप में इंफाल को इन दो जिलों में बांटा गया है।

व्यष्टि वित्त

3.106 गरीबी उन्मूलन के प्रभावी साधन के रूप में व्यष्टि वित्त हस्तक्षेप को मान्यता देते हुए, व्यष्टि वित्त को सुदृढ़ करने (मुख्य धारा में लाने) तथा व्यष्टि वित्त उपलब्ध करानेवाले की पहुंच बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2000 में बैंकों को व्यापक दिशानिदेश जारी किए। इन दिशानिदेशों में यह अनुबद्ध है कि बैंकों द्वारा व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को सीधे अथवा किसी मध्यस्थ के जरिए उपलब्ध कराया गया व्यष्टि ऋण अब से प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण के भाग के रूपमें माना जाएगा। रिज़र्व बैंक ने व्यष्टि वित्त संस्थानों के किसी माडल का विशेष उल्लेख नहीं किया है।

3.107 तथापि, स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी) बैंक संबद्धता कार्यक्रम प्रमुख कार्यक्रम के रूप में उभरा है तथा इसे वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस समय देश में स्वयं सहायता समूह-बैंक संपर्क कार्यक्रम के तीन माडल है।

- माडल I किसी गैर-सरकारी संगठन के हस्तक्षेप/सहायता के बिना स्वयं सहायता समूह को सीधे ऋण देना जो इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल संबद्धता का 20 प्रतिशत है।
- माडल II गैर-सरकारी संगठन तथा अन्य औपचारिक एजेंसियों की सहायता से स्वयं सहायता समूह को सीधे ऋण देना जो कुल संबद्धता का 72 प्रतिशत है।
- माडल III मददगार और वित्तपोषण एजेंसी के रूप में गैर-सरकारी संगठन के जरिए ऋण देना जो कुल संबद्धता के शेष 8 प्रतिशत को व्यक्त करता है।

3.108 जबकि सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के 523 जिले इस कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, 48 वाणिज्यिक बैंकों, 192 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा 264 सहकारी बैंकों सहित 504 बैंक और 2,800 गैर-सरकारी संगठन अब स्वयं सहायता समूह-बैंक संबद्धता कार्यक्रम से जुड़े हुए है। 31 मार्च 2003 के अनुसार बैंक से संबद्ध स्वयं सहायता समूह की कुल संख्या 7,17,360 थी। इसके फलस्वरूप 31 मार्च 2003 की स्थिति के अनुसार 11.6 मिलियन बहुत गरीब परिवार औपचारिक बैंकिंग सेवाओं के दायरे में लाए गए। बैंक से संबद्ध 90 प्रतिशत से अधिक समूह अनन्य रूप से महिला समूह हैं। 31 मार्च 2003 को इन स्वयं सहायता समूहों को कुल 2,048.7 करोड़ रुपए का कुल बैंक ऋण दिया गया तथा औसत ऋण प्रति स्वयं सहायता समूह 28,559 रुपए और प्रति परिवार 1,766 रुपए था।

3.109 व्यष्टि वित्त पहलों से यह स्पष्ट होता है कि गरीब लोगों के साथ बैंकिंग एक अर्थक्षम (व्यवहार्य) योजना है, इस संबंध में चुकौती दरें भी उच्चतर हैं तथा यह लगभग 95 प्रतिशत है। रिज़र्व बैंक समुचित परिवेश के निर्माण के जरिए व्यष्टि वित्त पहलों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। इस प्रयास के एक अंग के रूप में व्यष्टि वित्त संबंधी उच्चस्तरीय बैक (अध्यक्षता: श्री वेपा कामेसम) अक्तूबर 2002 में बुलायी गयी थी जिसमें निम्नलिखित से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए चार समितियां गठित की गयी : (i) संरचना और निरंतरता; (ii) निधीयन ; (iii) विनियमन तथा (iv) व्यष्टि वित्त संस्थाओं की क्षमता का निर्माण । उच्च स्तरीय बैठक की शृंखला में दूसरी बैठक अगस्त 2003 में आयोजित की गई जिसमें समूह की रिपोर्टों पर चर्चा की गयी। उसके बाद बृहत्तर सार्वजनिक विचार के लिए समूह की रिपोर्टें बैंकों को परिचालित की गयी ताकि सिफारिशों विशेषकर विनियामक मुद्दों पर अंतिम दृष्टिकोण अपनाने के पहले उनकी अनुक्रिया प्राप्त की जा सकें । बैंकों से प्रतिसाद प्राप्त हो गया है तथा सिफारिशें विचाराधीन है।

10. स्थानीय क्षेत्र बैंक

3.110 इस समय निम्नलिखित पांच बैंक कार्यरत हैं :

(1) आंध्र प्रदेश के कृष्णा गुंटूर और पश्चिमी गोदावरी जिलों में कोस्टल एरिया बैंक लि., विजयवाडा।

(2) पजाब के होशियारपूर, जालंधर और कपूरथला जिलों में कैपिटल लोकल एरिया बैंक लि., फगवाड़ा।

(3) गुजरात के नवसारी, सूरत और भड़ौच जिलों में साउथ गुजरात लोकल एरिया बैंक लि, नवसारी।

(4) कर्नाटक के रायचूर और गुलबर्गा तथा आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिलों में कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक लि.।

(5) सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लि., कोल्हापुर को 10 जुलाई 2003 को लाइसेंस जारी किया गया था तथा इसने 20 सितंबर 2003 से कोल्हापुर, सांगली और बेलगाम जिलों में बैंकिंग कारोबार शुरू किया है।

3.111 मार्च 2003 के अंत तक की स्थिति के अनुसार स्थानीय क्षेत्र बैंक के कार्यनिष्पादन से स्पष्ट होता है कि उनमें से अधिकांश का ऋण-जमा अनुपात मामूली से उच्च तक था (सारणी II.37)। 2002-03 के दौरान चार स्थानीय क्षेत्र बैंकों का परिचालन लाभप्रद बना रहा। उनकी आय में मामूली वृद्धि हुई जबकि खर्च आय से बढ़ गए। अधिक परिचालन लाभ के बावजूद उच्चतर प्रावधानीकरण स्तर को देखते हुए उनका निवल लाभ पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम था जैसा कि आस्तियों पर निम्नतर आय (अर्थात कुल आस्तियों के प्रति निवल लाभ) से स्पष्ट होता है (सारणी III.38)।

11. बैंकिंग कार्यकलापों का विविधीकरण

3.112 भारतीय स्टेट बैंक के निम्नलिखित प्रस्तावों को सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया (i) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(1)(क) के अंतर्गत डिस्काउंट एण्ड फिनांस हाउस ऑफ इंडिया लि. (डीएफएचआइ) को इसकी सहायक कंपनी के रूप में बदलना तथा (ii) भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम लि. में इसके निवेश (दांव) को कम करना।

3.113 बैंक ऑफ इंडिया को अनुमति दी गयी कि वह पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी यथा बीओआई आस्ति प्रबंध कंपनी लि. का विलय अपने में करे।

सारणी III.37 : स्थानीय क्षेत्र बैंक का निष्पादन
(मार्च 2003 के अंत की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपए में)

स्थानीय क्षेत्र बैंक का नाम	जमाराशियां	जमाराशियां	ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत)
1	2	3	4
कोस्टल लोकल एरिया बैंक लि.	24.1	18.0	74.8
कैपिटल लोकल एरिया बैंक लि.	75.4	45.3	60.1
साउथ गुजरात लोकल एरिया बैंक लि.	11.4	9.6	84.6
कृष्णा भीमा समद्धि लोकल एरिया बैंक लि.	2.5	3.9	162.5

3.114 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के 17 बैंकों, निजी क्षेत्र के नौ बैंकों और एक विदेशी बैंक एवं निजी क्षेत्र के बैंक की एक सहायक कंपनी को सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया कि वे जोखिम रहित भागीदारी के आधार पर बीमा उत्पादों का प्रचार-प्रसार शुरू करने के लिए बीमा कंपनियों के कंपनी एजेंट के रूप में काम करें। निर्धारित शर्तों के अधीन बीमा कंपनियों के साथ रेफेरल व्यवस्था शुरू करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के पांच बैंकों, निजी क्षेत्र के दो बैंकों और एक विदेशी बैंक को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अनुमोदन दिया गया।

3.115 भारतीय स्टेट बैंक, बैंक आफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक को एक नयी आस्ति प्रबंध कंपनी (एएमसी) 'यूटीआइ आस्ति प्रबंध कंपनी प्रा. लि.' तथा एक न्यासी कंपनी यथा यूटीआइ न्यासी कंपनी प्रा. लि. को प्रवर्तित करने का अनुमोदन मिला तथा इसमें प्रत्येक बैंक का अंशदान क्रमशः 2.5 करोड़ रुपया तथा 2.5 लाख रुपया होगा। इन तीन बैंकों के 'यूटीआइ मुचुअली फंड' को प्रवर्तित करने का भी अनुमोदन दिया गया तथा इसमें प्रत्येक बैंक को 2,500 रु. की पूंजी का अंशदान करना होगा जो कुल निधि का 25 प्रतिशत होगा, बशर्ते भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) इसके लिए आवश्यक अनुमति प्रदान करे।

3.116 आइसीआइसीआइ बैंक लि. को नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एनएमसीइ) की इक्विटी में 8 करोड़ रुपए तक की राशि के निवेश का अनुमोदन इस शर्त के अधीन दिया गया कि बैंक एनएमसीइ तथा इसके सदस्यों को केवल सामान्य बैंकिंग सेवा प्रदान करेगा तथा एकसचेंज के सदस्यों द्वारा संपन्न किए गए व्यापार की गारंटी नहीं देगा। इसके अतिरिक्त, आइसीआइसीआइ बैंक लि. को आइसीआइसीआइ लोमबार्ड जेनरल इन्शयूरेंस कंपनी लि. की शेयर पूंजी में 81 करोड़ रुपए तक के अतिरिक्त अंशदान की अनुमति दी गयी। बैंक को आइसीआइसीआइ प्रूडेंशियल लाइफ इंशयूरेंस कंपनी लि. की इक्विटी में 259 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश का भी अनुमोदन दिया गया।

3.117 भारतीय स्टेट बैंक को निर्धारित शर्तों के अधीन बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सांविधिक चलनिधि अनुपात और गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निधियों के पोर्टफोलियों का प्रबंध शुरू करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र दिया गया।

3.118 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, व्यास बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और विजया बैंक को भी उनकी सहायक/संयुक्त उद्यम कंपनियों की इक्विटी में अंशदान के लिए अनुमोदन दिया गया।

सारणी III.38 : स्थानीय क्षेत्र बैंक का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए)

मद	2001-02	2002-03	2002-03 के दौरान घटबढ़	
			समग्र	प्रतिशतता
1	2	3	4	5
क. आय (क + ख)	**15.1**	**17.1**	**2.0**	**13.7**
क) ब्याज आय	11.0	12.7	1.7	15.6
ख) अन्य आय	4.1	4.4	0.3	6.8
ख. व्यय (क + ख + ग)	**12.1**	**16.9**	**4.8**	**39.1**
क) लगा हुआ ब्याज	6.1	7.7	1.6	26.0
ख) प्रावधान और आकस्मिकताएं	0.7	2.6	1.9	276.9
ग) परिचालन व्यय	5.4	6.7	1.3	25.3
जिसमें से				
मजदूरी बिल	2.0	2.4	0.4	22.8
ग) लाभ				
क) परिचालन लाभ/हानि (-)	3.6	2.7	-0.9	-26.5
ख) निवल लाभ/हानि (-)	2.9	0.2	-2.7	-92.6
घ) कुल आस्तियां	**118.9**	**146.2**	**27.3**	**23.0**
ङ) वित्तीय अनुपात (कुल आस्तियों का प्रतिशत)				
क) परिचालन लाभ	3.1	1.8		
ख) निवल लाभ	2.5	0.5		
ग) आय	12.7	11.7		
घ) ब्याज आय	9.3	8.7		
ङ) अन्य आय	3.5	3.0		
च) व्यय	10.2	11.6		
छ) लगा हुआ ब्याज	5.1	5.3		
ज) परिचालन व्यय	4.5	4.6		
झ) मजदूरी बिल	1.7	1.7		
ञ) प्रावधान और आकस्मिकताएं	0.6	1.7		
ट) अंतर (निवल ब्याज आय)	4.1	3.4		

स्रोत : परोक्ष विवरणियां पर आधारित।

विदेशी बैंकों का स्थानीय परामर्शी बोर्ड

3.119 स्थानीय परामर्शी बोर्ड के गठन की आवश्यकता की समीक्षा पर विदेशी बैंकों को अगस्त 2003 में यह सूचित किया गया कि उनके द्वारा स्थानीय परामर्शी बोर्ड का गठन अब विनियामक अपेक्षा नहीं रह जाएगी तथा वे अपनी कंपनी की आवश्यकता के अनुसार उनके गठन के बारे में निर्णय कर सकते है। स्थानीय परामर्शी बोर्ड के ऐसे गठन के लिए रिज़र्व बैंक का विनियामक अनुमोदन अपेक्षित नहीं रह जाएगा।

काले धन को वैध बनाने पर रोक संबंधी अधिनियम

3.120 काले धन को वैध बनाने पर रोक संबंधी अधिनियम (पीएमएलए) 2002, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गयी है, में व्यापक कानूनी संरचना का प्रावधान है जिससे कि अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित काले धन को वैध बनाने से रोका जा सके। इस अधिनियम के अंतर्गत बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं तथा वित्तीय मध्यस्थों से अपेक्षित है कि वे सभी लेनदेनों का रिकार्ड रखें (जिसका स्वरूप और मूल्य निर्धारित किया जाएगा) तथा ऐसे लेनदेनों की सूचना नियुक्त प्राधिकरण (अधिनियम के अंतर्गत) को नियत समय सीमा के भीतर उपलबध कराएं; उन्हें अपने सभी ग्राहकों के पहचान के रिकार्ड सत्यापित करने और रखने की आवश्यकता है जैसा कि केंद्र सरकार के नियमों द्वारा नियत किया गया है। इसके साथ ही यह भी उल्लिखित है कि ऐसी सूचना उपलब्ध कराने के लिए उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार रिज़र्व बैंक के परामर्श से संगत नियम बनाकर सूचना रखने और उपलबध कराने की प्रक्रिया और विधि निर्धारित करेगी जिसका कार्य अभी जारी है।

12. बैंकों का परिसमापन और समामेलन

3.121 31 दिसंबर 2002 की स्थिति के अनुसार 78 बैंक परिसमापन की प्रक्रिया के अधीन थे। परिसमापन की कार्यवाही को शीघ्र पूरा करने के संबंधित मामलों का शासकीय /न्यायालयीन परिसमापकों के साथ अनुसरण किया जा रहा है।

बैंकों का समामेलन

3.122 नेदुंगदी बैंक लि. 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष तक निरंतर लाभ अर्जित कर रहा था। तथापि, बैंक ने 31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष के लिए पहली बार 67.8 करोड़ रुपए की निवल हानि की सूचना दी। तदनंतर 31 मार्च 2002 को समाप्त वर्ष में बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं आया। 60.4 करोड़ रुपए की बैंक की निवल सम्पत्ति 65.5 करोड़ रुपए की संचित हानि से पूर्णतः नष्ट हो गयी, उचित समय में इन हानियों को समाप्त करना संभव नहीं था। चूंकि बैंक की पूंजी पूर्णतः नष्ट हो गयी इसलिए इसका सीआरएआर (-) 1.9 प्रतिशत ऋणात्मक हो गया जबकि न्यूनतम विनियामक अपेक्षा 9 प्रतिशत है। चूंकि 9 प्रतिशत न्यूनतम सीआरएआर हासिल करने के लिए बैंक के लिए लगभग 125 करोड़ अपेक्षित था इसलिए नेदुंगादी बैंक लि. का दूसरे बैंक के साथ समामेलन पर विचार करने के अलावा और कोई विकल्प उपलब्ध नहीं था।

3.123 समामेलन के पूर्वगामी उपाय के रूप में नेदुंगदी बैंक को 2 नवंबर 2002 से तीन महीने की अवधि के लिए अधिस्थगन के अंतर्गत रखा गया। इस अंतरिम अवधि के दौरान रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949[8] की धारा 45 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के उपयोग में पंजाब नेशनल बैंक के साथ नेदुंगदी बैंक लि. के समामेलन की योजना का मसौदा तैयार किया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 नवंबर 2002 को पंजाब नेशनल बैंक में नेदुंगदी बैंक लि. के समामेलन की योजना के मसौदे को अधिसूचित किया। योजना का मसौदा दोनों बैंकों को उनकी टिप्पणी के लिए भेजा गया तथा रिज़र्व बैंक ने 30 नवंबर 2002 तक योजना के मसौदे पर सुझाव अथवा आपत्तियां मांगी। समामेलन की उक्त योजना को अधिनियम की धरा 45 की उपधारा (7) के संदर्भ में 31 जनवरी 2003 की अधिसूचना के जरिए केंद्र सरकार ने अनुमति दी। नेदुंगदी बैंक लि. का पंजाब नेशनल बैंक के साथ समामेलन की योजना 1 फरवरी 2003 से लागू हुई।

13. अन्य गतिविधियां

बैंकों द्वारा दान

3.124 वर्तमान अनुदेशों के अनुसार बैंक पिछले वर्ष घोषित अपने लाभ के 1 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के भीतर किसी वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न प्रयोजनों के लिए दान दे सकते हैं। भारतीय बैंक संघ/ बैंकों से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में इस मामले की समीक्षा पर यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री राहत निधि में दिए गए दान पर उपर्युक्त अधिकतम सीमा लागू नहीं होगी, बशर्ते बैंक के बोर्ड का अनुमोदन हो तथा कथित लाभ की तुलना में दान की राशि उचित हो। तथापि घाटे में चल रहे बैंकों के संदर्भ में इस मामले में भी अधिकतम 5 लाख रुपए की दान की समग्र सीमा पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

बैंकों द्वारा बीमा कारोबार

3.125 बीमा कारोबार में बैंकों के प्रवेश के संबंध में वर्तमान दिशानिदेशों के अनुसार कतिपय मानदंडों यानी 500 करोड़ रुपए से अधिक की न्यूनतम निधि, सीआरएआर 10 प्रतिशत से अधिक, पिछले तीन वर्षों से लगातार निवल लाभ, गैर-निष्पादक आस्तियों का उचित स्तर तथा उनकी सहायक कंपनियों का, यदि कोई हो, संतोषजनक पिछले रिकार्ड को पूरा करनेवाले बैंक जोखिम साझेदारी आधार पर बीमा संयुक्त उद्यम के गठन के लिए पात्र हैं। जो बैंक उपर्युक्त के अनुसार संयुक्त उद्यम साझीदार के रूप में पात्र नहीं हैं, यदि वे इसमें उल्लिखित कुछ मानदंडों को पूरा करते हैं, तो उन्हें बुनियादी सुविधा और सेवा सहायता प्रदान करने के लिए निश्चित सीमा तक अपेक्षित निवेश की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त, किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अथवा इसकी सहायक कंपनी को बिना किसी जोखिम भागीदारी के किसी बीमा कंपनी के एजेंट के रूप में बीमा व्यवसाय शुरू करने तथा बीमा उत्पादों के विक्रय की अनुमति होगी। रेफरल माडल जिसके जरिए बैंक कंपनियों को अपनी चुनिंदा शाखाओं में प्रत्यक्ष बुनियादी सुविधा प्रदान कर सकते हैं, उनके द्वारा प्रत्येक रेफरल (संदर्भित मामले) के लिए शुल्क अर्जित कर सकते है; का विशेष रूप से उल्लेख पहले के दिशानिदेश में नहीं था। चूंकि रेफरल व्यवस्था उप-एजेंसी के समान है तथा किसी एजेंसी के प्रमुख कार्यकलापों के लिए प्रासंगिक है, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि बैंक रिज़र्व बैंक/

[8] इस धारा में किसी बैंकिंग कपनी के कारोबार के निलंबन के लिए केंद्र सरकार को निवेदन करने के संबंध में रिज़र्व बैंक के अधिकारों का उल्लेख है।

बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से यह कार्यकलाप शुरू कर सकते हैं ।

हिंदी के प्रयोग में प्रगति

3.126 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआइसी) की चार तिमाही बैठके हुईं तथा इन बैठकों में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई विशेषकर आंकड़ा संसाधन में हिंदी के प्रयोग तथा हिंदी /क्षेत्रीय भाषाओं में एटीएम को परिचालित करने के लिए अनिवार्य बैंकिंग समाधान सुविधा, हिंदी में उच्चस्तरीय बैठक का संचालन तथा शाखाओं में द्विभाषी आंकड़ा संसाधन में वृद्धि के संबंध में की गयी। हिंदी में आंकड़ा संसाधन कार्य करनेवाले शाखाओं की संख्या बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को दिशानिदेश जारी किए गए।

3.127 बैंकों का 23वां राजभाषा सम्मेलन अक्तूबर माह में हैदराबाद में आयोजित किया गया । हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए इसकी विविध सिफारिशें राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा अनुमोदित की गईं यथा; क) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, भारत सरकार को हिंदी में परिचालन प्रणाली का विकास करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हिंदी सॉफ्टवेयर के सभी विकासकर्ता यूनीकोड मानक का पालन करें ; ख) राजभाषा अधिनियम, नियमों तथा राजभाषा के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी वरिष्ठ कार्यपालकों को देने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएं तथा वरिष्ठ कार्यपालक शीर्ष स्तरीय बैठकों में हिंदी में वार्तालाप करें ; (ग) शाखाओं/ दौरों के निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ कार्यपालकों को भी हिंदी के प्रयोग के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए; तथा (घ) वरिष्ठ कार्यपालकों को अपने स्तर पर हिंदी का प्रयोग शुरू करना चाहिए ।

अध्याय IV

सहकारी बैंकिंग की गतिविधियां [1]

4.1 सहकारी बैंक अपने व्यापक शाखा नेटवर्क और स्थानीयकृत परिचालनात्मक आधार के साथ सामान्यतः विकास प्रक्रिया में और विशेषतः ऋण वितरण एवं जमा संग्रहण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के विभिन्न कार्यों से जनता के विविध वर्गों की ऋण संबंधी विशिष्ट आवश्यकताएं, स्थान एवं अवधि के अनुसार पूरी की जाती है (चार्ट IV.1)। जहाँ सहकारी संस्थाओं से भौगोलिक दृष्टि से और सामाजिक आर्थिक दृष्टि से बैंकिंग तक पहुंच बढ़ती है, वहीं उनके द्वारा किये जानेवाले बैंकिंग कारोबार में प्राय : कई चुनौतियां सामने आती हैं, विशेषतः ऋण चूक के उच्च स्तर के संदर्भ में । उनकी बड़ी संख्या भी नियंत्रण की दृष्टि से एक चुनौती है। रिज़र्व बैंक, राज्य सरकारों और नाबार्ड सहित कई पर्यवेक्षकों के बीच की विनियामक परस्पर अतिव्याप्ति से यह और तीव्र हो जाती है।

चार्ट IV.1 : सहकारी ऋण संस्थाओं की संगठनात्मक संरचना

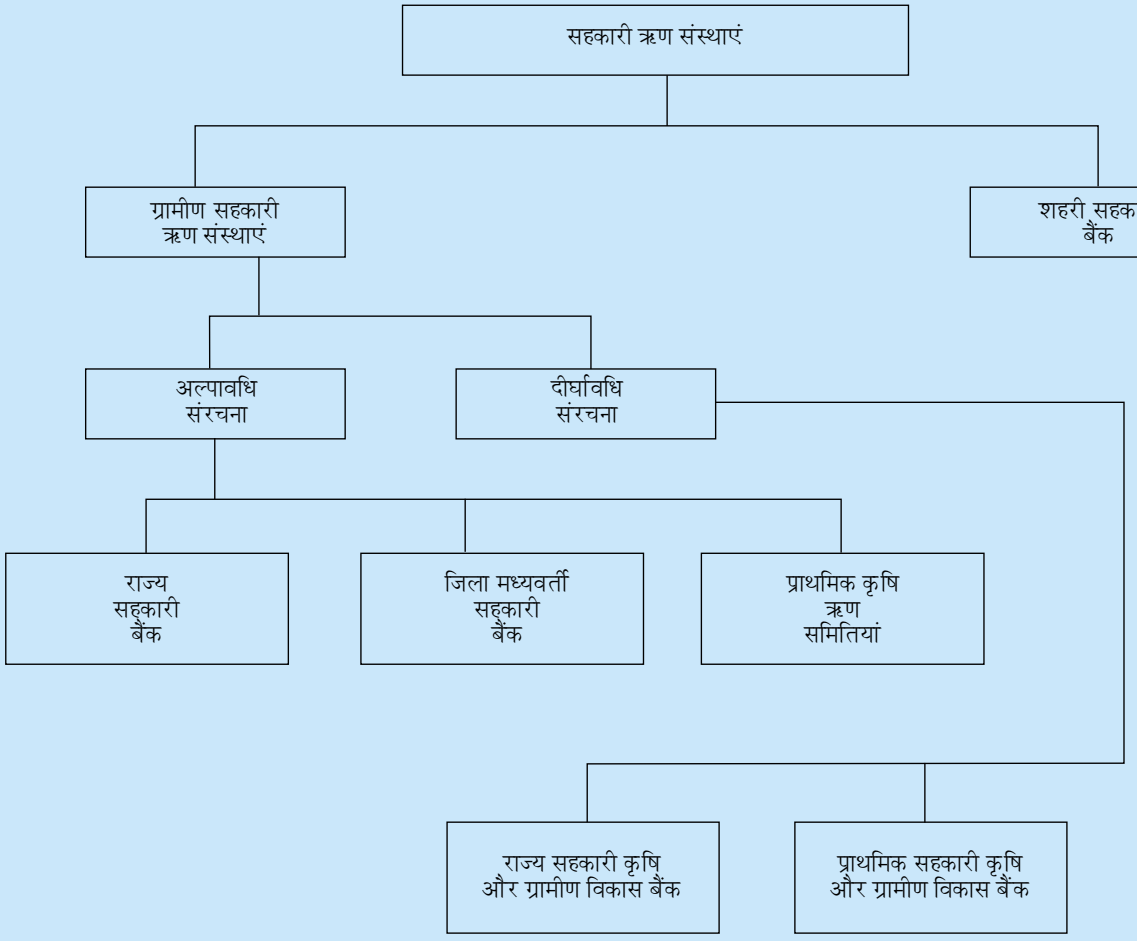

[1] बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत केवल शहरी सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सहकारी क्षेत्र के बैंक कहलाने के पात्र हैं। इस अध्याय में जो चर्चा की गयी है उसमें अन्य ऋणदात्री सहकारी संस्थाओं अर्थात प्राथमिक कृषि ऋण समितियां और ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थाओं की दीर्घावधि की संरचना से संबंधित मुद्दे शामिल किये गये हैं। इस अध्याय में अनुसूचित सहकारी बैंकों से संबंधित आंकड़े 2002-03 के हैं, जबकि अन्यों से संबंधित आँकड़े मुख्यतः 2001-02 के हैं।

सारणी IV.1 : शहरी सहकारी बैंकों का राज्यवार विस्तार
(31 मार्च 2003 को)

राज्य		बैंकों की संख्या	राज्य		बैंकों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	169	16.	मणिपुर	5
2.	असम	13	17.	मेघालय	3
3.	बिहार	9	18.	मिज़ोरम	1
4.	छत्तीसगढ़	14	19.	नगालैण्ड	1
5.	दिल्ली	19	20.	उड़ीसा	19
6.	गोवा	7	21.	पांडेचरी	1
7.	गुजरात	362	22.	पंजाब	5
8.	हरियाणा	8	23.	राजस्थान	44
9.	हिमाचल प्रदेश	5	24.	तमिलनाडु	136
10.	जम्मू और कश्मीर	4	25.	त्रिपुरा	1
11.	झारखण्ड	1	26.	उत्तर प्रदेश	78
12.	कर्नाटक	324	27.	उत्तरांचल	7
13.	केरल	65	28.	पश्चिम बंगाल	55
14.	मध्य प्रदेश	77	29.	सिक्किम	1
15.	महाराष्ट्र	670	30.	**कुल**	**2,104**

4.2 रिज़र्व बैंक ने 2002-03 के दौरान सहकारी बैंकों की पर्यवेक्षी संरचना को मजबूत करना जारी रखा। रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में की गयी पहलों में शामिल हैं - अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की अप्रत्यक्ष निगरानी प्रणाली शुरू करना, तुलनपत्र में अधिक प्रकटीकरण संबंधी मानदण्ड और कंपनी संचालन संबंधी सिद्धान्तों में वृद्धि । राज्य सरकारों और नाबार्ड द्वारा भी कई पहल करके इन्हें बढ़ाया गया था।

4.3 सहकारी बैंकों में 2002-03 के दौरान वृद्धि जारी रही (परिशिष्ट सारणी IV.1)। तथापि, सहकारी बैंकिंग की लाभप्रदता असंतोषजनक रही जो व्यापक रूप में संकीर्ण विस्तार को दर्शाती है। फिर भी, साथ ही साथ उनकी आस्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

2. शहरी सहकारी बैंक

4.4 शहरी सहकारी बैंकों को संबंधित राज्य सरकार के सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया जाता है। जो शहरी सहकारी बैंक एक से अधिक राज्यों में विद्यमान होते हैं उन्हें बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया जाता है और केन्द्र सरकार द्वारा उनका नियंत्रण किया जाता है। इसके अलावा, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के कतिपय उपबंधों के अंतर्गत बैंक से संबंधित कार्यों के लिए रिज़र्व बैंक को भी विनियामक और पर्यवेक्षी प्राधिकार होते हैं। शहरी सहकारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है, बशर्ते उनकी निवल मांग और मीयादी देयताएं, कतिपय अन्य संबंधित मानदण्डों के अधीन, कम से कम 100 करोड़ रुपये की हों।

4.5 शहरी सहकारी बैंकों की संख्या बढ़कर मार्च 2003 के अंत में 2,104 हो गयी, जिसमें 89 वेतन अर्जक बैंक और 133 महिला बैंक शामिल हैं। इनमें से 163 बैंक मार्च के अंत में परिसमापन की स्थिति में थे। शहरी सहकारी बैंकों का स्थानिक स्वरूप अत्यधिक सीमित रहा और मौटे तौर पर आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में उनका संकेन्द्रण रहा (सारणी IV.1)। कुछ बड़े बैंकों को छोड़कर अधिकतर शहरी सहकारी बैंकों का स्वरूप अत्यंत छोटा, अक्सर एक शाखा का ही है (सारणी IV.2)।

4.6 2002-03 के दौरान चार तथा अप्रैल 2003 में एक और बैंक को शामिल करने के बाद अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की संख्या बढ़कर 57 हो गयी जिनकी जमा कुल शहरी सहकारी बैंकों की जमा के लगभग 35 प्रतिशत है। इनमें से महाराष्ट्र में 39, गुजरात में

सारणी IV.2 : शहरी सहकारी बैंकों का आकार-वितरण- जमा-वार
(31 मार्च 2003 तक)

जमा की मात्रा	बैंकों की संख्या
1	2
10 करोड़ रुपये से कम	846
10-25 करोड़ रुपये	459
25-50 करोड़ रुपये	226
50-100 करोड़ रुपये	205
100-250 करोड़ रुपये	137
250-500 करोड़ रुपये	42
500-1000 करोड़ रुपये	17
1000 करोड़ रुपये से अधिक	9
कुल	**1,941 #**

परिसमापनाधीन 163 बैंकों को छोड़कर।

11, आंध्र प्रदेश में 3, गोवा में 2 तथा कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश प्रत्येक में एक थे। दो बैंकों को बाद में अनुसूची से निकाल दिया गया।

शहरी सहकारी बैंकों का विनियमन और पर्यवेक्षण

4.7 रिज़र्व बैंक के शहरी बैंक विभाग द्वारा राज्य सरकारों के सहकारी समितियों के पंजीयन और सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयन के समन्वयन के साथ शहरी सहकारी बैंकों का विनियमन और पर्यवेक्षण किया जाता है। चूंकि शहरी सहकारी बैंक प्राथमिक रूप में सहकारी समितियां हैं अतः वे दोहरे नियंत्रण के अधीन आते हैं - एक तो संबंधित राज्य के सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत राज्य के और दूसरे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के । जहाँ शहरी सहकारी बैंकों का पंजीकरण, प्रशासन, समामेलन और परिसमापन राज्य सहकारी समिति अधिनियम के उपबंधों द्वारा नियंत्रित होता है वहीं बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों के नाते रिज़र्व बैंक उनके बैंकिंग से संबंधित कार्यों का विनियमन और पर्यवेक्षण करता है।

4.8 रिज़र्व बैंक ने 2001-02 की मौद्रिक और ऋण नीति में शहरी सहकारी बैंकों के पर्यवेक्षण में विविध प्राधिकरणों के शामिल के होने से पड़नेवाले प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए शहरी सहकारी बैंकों के निरीक्षण/पर्यवेक्षण का समग्र कार्य करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक अलग-अलग पर्यवेक्षी संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। शीर्षस्थ संस्था एक ऐसे अलग उच्च स्तरीय पर्यवेक्षी बोर्ड के नियंत्रण के अधीन हो सकती है जिसमें केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि तथा साथ ही स्वतंत्र विशेषज्ञ शामिल हो और उन्हें शहरी सहकारी बैंकों के निरीक्षण और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी दी जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रिज़र्व बैंक द्वारा विवेकपूर्ण, पूंजी-पर्याप्तता और प्रबंध के संबंध में निर्धारित मानदण्डों का पालन किया जाता है। रिज़र्व बैंक ने केन्द्र सरकार के साथ इन मामलों पर चर्चा की है और वह केन्द्र सरकार के जवाब की प्रतीक्षा में है।

4.9 शहरी सहकारी बैंक 2001 के आरंभ से ही बार-बार होने वाली अनियमितताओं के मामलों के कारण कठिन दौर से गुजर रहे हैं। उनकी समस्याओं की जांच करने और समाधान सूझाने के लिए भारत सरकार के तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री श्री अनंत जी. गीते की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी। जमाकर्ताओं के हित की और देश की भुगतान प्रणाली का अखण्डता की रक्षा करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें निर्धारित करने के लिए समिति के सामने दो विचार रखे गये : (क) क्षेत्र द्वारा जिन परिहार्य कष्टदायक बातों का सामना किया जा रहा है उन्हें हटाना, और (ख) शहरी सहकारी बैंकों को संतुलित विनियामक संरचना के अंतर्गत लाना। इस समिति की सिफाशिशों के आधार पर रिज़र्व बैंक ने 2002-03 के दौरान कई उपाय किये (बाक्स IV.1)।

नये बैंकों को लाइसेंस देना

4.10 हाल के वर्षों में शहरी सहकारी बैंकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। रिज़र्व बैंक ने प्रतिष्ठित बाह्य विशेषज्ञों की समीक्षा समिति गठित की है जो केवल प्रवर्तकों की पृष्ठभूमि और परिचय-पत्रों की जांच ही नहीं, वरन् प्रवर्तकों द्वारा प्रस्तुत परिवेश/कारोबारी अनुमान तथा प्रस्तावित बैंक की व्यवहार्यता पर प्रभाव ड़ालनेवाले अन्य घटकों पर भी विचार करेगी। समीक्षाधीन वर्ष में इस समिति ने नये बैंकों के संगठन के 90 प्रस्तावों पर विचार किया और 'तत्त्वतः' दो मामलों को अनुमोदन दिया। इसके अलावा 22 प्रस्तावों को बंद किया गया क्योंकि प्रस्तावित बैंकों के प्रवर्तक निर्धारित पात्रता अपेक्षाओं का पालन नहीं कर सके।

बाक्स IV.1 : अनंत गीते समिति की सिफारिशों के जवाब में रिज़र्व बैंक द्वारा की गयी कार्रवाई

- शहरी सहकारी बैंकों को 'कमजोर' और 'रुग्ण' के रूप में वर्गीकृत करने के मानदण्डों में 31 मार्च 2002 से संशोधन किया गया। बैंकों के जोखिम भारित आस्ति के प्रति पूंजी अनुपात के स्तर, निवल गैर-निष्पादक आस्तियों के स्तर, हानियों के रिकार्ड और कतिपय विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन के आधार पर उनका वर्गीकरण करने की नई प्रणाली शुरू की गयी।
- गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को अपनी अधिशेष निधियां कतिपय शर्तों के अधीन सुरक्षित अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों में रखने के लिए अनुमति दी गयी।
- सुदृढ़ शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में किसी एकल उधारकर्ता/सम्बद्ध समूह को दिये जानेवाले गैर-जमानती अग्रिमों की उच्चतम सीमा बढ़ायी गयी। संशोधित सीमा 10 करोड़ रुपये से कम की मीयादी और मांग देयताओंवाली गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक के लिए 50,000 रुपये, 10 करोड़ रुपये से अधिक की मीयादी और मांग देयताओंवाले गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक के लिए 1 लाख रुपये और अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिए 2 लाख रुपये है।
- 2003-04 की मौद्रिक और ऋण नीति में की गयी घोषणा के अनुसार एक लाख रुपये तक के 'स्वर्ण' ऋण और लघु ऋण दोनों ही ऋण हानि की गणना के लिए 180 दिन के मानदण्ड के अधीन ही होंगे।
- आवासीय कालोनी में विस्तार काउंटर खोलने के लिए आवेदन करने हेतु शहरी सहकारी बैंक पात्र होंगे। विस्तार काउंटर के कम से कम 500 प्रत्यक्ष लाभार्थी होने की शर्त हटा दी गयी है।

समीक्षाधीन अवधि में नयी शाखाएं खोलने के लिए 131 लाइसेंस जारी किये गये।

निरीक्षण

4.11 रिज़र्व बैंक द्वारा किया जानेवाला प्रत्यक्ष वित्तीय निरीक्षण शहरी सहकारी बैंकों के पर्यवेक्षण के मुख्य साधन के रूप जारी रहेगा। वर्ष 2002-03 के दौरान रिज़र्व बैंक ने 944 शहरी सहकारी बैंकों के सांविधिक निरीक्षण किये, जबकि पिछले वर्ष 847 शहरी सहकारी बैंकों ऐसे निरीक्षण किये गये थे।

अप्रत्यक्ष निगरानी

4.12 रिज़र्व बैंक क्रमिक रूप में प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण की पारंपरिक पद्धति को अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के साथ मजबूत कर रहा है। शहरी सहकारी बैंकों की पर्यवेक्षण प्रणाली को मजबूत करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक प्रारंभिक रूप में अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की अप्रत्यक्ष निगरानी की प्रणाली शुरू की है (बाक्स IV.2)।

नये लाइसेंसधारी शहरी सहकारी बैंकों का पर्यवेक्षण

4.13 कुछ नये लाइसेंसधारी शहरी सहकारी बैंकों ने शिकायत की है कि उन्हें जमा की वापस अदायगी में चूक सहित वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे बैंकों पर पर्यवेक्षी नियंत्रण बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को निम्नलिखित उपाय करने के लिए सूचित किया गया है :

- नये लाइसेंसधारी शहरी सहकारी बैंकों की सांविधिक विवरणियों के प्रस्तुतीकरण पर बारीकी से ध्यान देने की आवश्यकता है और इन विवरणियों की छान-बीन प्राथमिकता आधार पर करना आवश्यक है।
- विवरणियों के प्रस्तुतीकरण शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात/सांविधिक चलनिधि अनुपात बनाये रखने में चूक होने पर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के लिए यह बात रिज़र्व बैंक के ध्यान में लाने की आवश्यकता है।
- देय तारीख के एक महीने बाद भी विवरणियों का प्रस्तुतीकरण न करने वाले ऐसे बैंक को रजिस्ट्रीकृत नोटिस भेजना आवश्यक है।
- तीन महीने से अधिक समय तक प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात/ सांविधिक चलनिधि अनुपात बनाये रखने में चूक करनेवाले बैंकों की खाता बहियों की रिज़र्व बैंक के शहरी बैंक विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विशेष छान बीन करने की आवश्यकता है।

बाक्स IV.2 : शहरी सहकारी बैंकों की अप्रत्यक्ष निगरानी

रिज़र्व बैंक ने वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा मार्गदर्शित नई पर्यवेक्षी नीति के एक भाग के रूप में शहरी सहकारी बैंकों की अप्रत्यक्ष निगरानी के लिए विवेकपूर्ण पर्यवेक्षी सूचना प्रणाली स्थापित की है। जहाँ विवेकपूर्ण पर्यवेक्षी सूचना प्रणाली का मुख्य उद्देश्य विवेकपूर्ण लाभ के क्षेत्रों के संबंध में रिज़र्व बैंक को संगत सूचना उपलब्ध कराने की है, वहीं प्रबंध सूचना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने एवं सूचना देनेवाली संस्थाओं के बीच प्रबंध सूचना प्रणाली की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए अप्रत्यक्ष निगरानी विवरणियां भी तैयार की गयी हैं। यह बैंक प्रबंध-तंत्र को पर्यवेक्षी प्राधिकारी की विवेकपूर्ण चिंताओं के बारे में अवगत कराने और इससे आत्म-नियंत्रण को सुसाध्य बनाने के आनुषंगिक उद्देश्य के अनुरूप है। विवेकपूर्ण पर्यवेक्षी सूचना प्रणाली में आठ विवरणियां हैं जिन्हें विनियामक अनुपालन पर निगरानी रखने और विवेकपूर्ण लाभ के क्षेत्रों पर शहरी सहकारी बैंकों से सूचना प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। इन विवरणियों के माध्यम से शोधक्षमता, चलनिधि, पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता/ संविभाग जोखिम स्थिति, जोखिम सीमाओं का संकेन्द्रण, तथा पर्यवेक्षित संस्थाओं के उधार देने से जुड़े या संबंधित पहलू पर विवेकपूर्ण निगरानी रखी जाती है।

अप्रैल 2001 में सभी अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (उस समय के 52) के लिए 10 अप्रत्यक्ष निगरानी विवरणियों शुरू करने के साथ ही शहरी सहकारी बैंकों की अप्रत्यक्ष निगरानी की ओर शुरूआत की गयी। इन शहरी सहकारी बैंकों ने शहरी बैंक विभाग के डाटाबेस में प्रवेश पाने के लिए रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को अप्रत्यक्ष निगरानी विवरणियां प्रस्तुत की।

संयुक्त संसदीय समिति ने निदेश दिया है कि 100 करोड़ रुपये से अधिक की जमा रखनेवाले सभी शहरी सहकारी बैंकों को रिज़र्व बैंक की अप्रत्यक्ष निगरानी की परिधि में लाया जाए।

इस समय विवेकपूर्ण पर्यवेक्षी सूचना प्रणाली में सभी अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक शामिल हैं। कम्प्यूटरीकरण परियोजना के भाग के रूप में अनुप्रयोग पैकेज विकसित किया जा रहा है और 2003 के अंत से पहले वर्तमान 55 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को उपलब्ध किया जायेगा। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों में सफल कार्यान्वयन के आधार पर इसकी व्याप्ति बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये से अधिक जमा रखनेवाले सभी बैंकों तथा इसके बाद 50 करोड़ रुपये से अधिक जमा रखनेवाले एवं छोटे बैंकों को इसमें शामिल किया जायेगा।

अन्यत्र मौजूद इसी तरह की अप्रत्यक्ष निगरानी प्रणाली के विपरीत रिज़र्व बैंक के शहरी बैंक विभाग में अप्रत्यक्ष निगरानी विवरणियों के अतिरिक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण का डाटा (रेटिंग माडल सहित) तथा साथ ही बैंकों द्वारा प्रस्तुत अन्य सभी विनियामक और पर्यवेक्षी विवरणियों के बारे में भी डाटा होगा। अप्रत्यक्ष निगरानी संबंधी डाटा के साथ वह बैंक/बैंक समूहों का एक व्यापक विवरण दे सकेगा।

स्रोत पर अर्थात शहरी सहकारी बैंकों में ही डाटा पाने के लिए रिज़र्व बैंक, इलेक्ट्रानिक माध्यम से सभी पर्यवेक्षी और विनियामक विवरणियों (अप्रत्यक्ष निगरानी विवरणियों सहित) को तैयार करने और प्रस्तुत करने में सहायता करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों के लिए सॉफ्टवेयर भी विकसित कर रहा है। शहरी सहकारी बैंकों द्वारा शहरी बैंक विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत विवरणियां डाटा की सुसंगति और यथार्थता जांचने के लिए प्रमाणीकरण के बाद स्वचालित रूप में क्षेत्रीय कार्यालय के डाटाबेस में 'अपलोड' होगा। यह डाटा तब दैनिक आधार पर केन्द्रीय कार्यालय सर्वर पर 'रेप्लिकेट' होगा। केन्द्रीय कार्यालय में डाटा के 'रेप्लिकेशन' की सुविधा पहलेसे ही शहरी बैंक विभाग के 17 क्षेत्रीय कार्यालयों में से 14 में विद्यमान है और इन क्षेत्रीय कार्यालयों से नियमित आधार पर केन्द्रीय कार्यालय को अप्रत्यक्ष निगरानी संबंधी डाटा प्रेषित किया जाता है।

- शहरी बैंक विभाग के संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अधिकारियों द्वारा नये बैंकों का दौरा करने की आवश्यकता है ताकि उनकी कार्यप्रणाली का प्रत्यक्ष अनुभव मिल सके।

पर्यवेक्षण के लिए परस्पर सक्रिय प्रणाली

4.14 कतिपय शहरी सहकारी बैंकों के प्रतिभूति लेनदेन में हाल में पायी गयी अनियमितताओं के संदर्भ में रिज़र्व बैंक और वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के साथ हुई अपनी बैठक में संसद की लोक लेखा समिति ने इस बात पर जोर दिया कि अनियमितताएं हो जाने के बाद दण्डात्मक कार्रवाई करने के बजाय उनकी रोकथाम पर पर्यवेक्षी ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। यह महसूस किया गया कि इस बात की पूर्ति करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों के पर्यवेक्षण के लिए एक परस्पर सक्रिय प्रणाली बनाने की आवश्यकता है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया कि :

- क्षेत्र से प्रारंभिक चेतावनी संकेतक प्राप्त करने और तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए बाजार आसूचना की प्रणाली को और मजबूत किया जाए।
- शहरी सहकारी बैंकों के लेखा परीक्षकों, विशेषतः सनदी लेखाकारों के लिए जवाबदेही संबंधी संहिता तैयार की जाए।
- रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय शहरी सहकारी बैंकों के लेखा परीक्षकों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे और सनदी लेखाकार के एसोसिएशन/सनदी लेखाकारों की अग्रणी फर्मों के साथ चर्चा करेंगे।
- सांविधिक लेखा परीक्षा रेटिंग प्रणाली के दिशा-निर्देशों में संशोधन होगा।
- रिज़र्व बैंक राज्य सरकारों को पत्र लिखेगा कि वे शहरी सहकारी बैंकों की सांविधिक लेखा-परीक्षा करने के लिए नियंत्रक और महा लेखा-परीक्षक द्वारा तैयार किये गये पैनल से व्यावसायिक सनदी लेखाकारों को नियुक्त करें।

कमजोर बैंक

4.15 नये वर्गीकरण के आधार पर 31 मार्च 2003 को श्रेणी II/III/IV के अंतर्गत वर्गीकृत शहरी सहकारी बैंकों की संख्या 944 थी। इस अवधि के दौरान 142 कमजोर बैंक निर्धारित न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं का पालन नहीं कर सकें।

शहरी सहकारी बैंकों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड और आस्ति देयता प्रबंध संबंधी दिशा-निर्देश

4.16 रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता बढ़ाने के अपने प्रयास जारी रखे। इनके अनुसरण में शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में पूंजी पर्याप्तता, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी विवेकपूर्ण मानदण्डों में कतिपय नीतिगत परिवर्तन किये गये।

4.17 इस समय शहरी सहकारी बैंकों के लिए पूंजी-पर्याप्तता संबंधी अपेक्षाएं वाणिज्य बैंकों के लिए निर्धारित अपेक्षाओं से कम हैं। सभी शहरी सहकारी बैंकों को 31 मार्च 2005 तथा वाणिज्य बैंकों के लिए लागू अनुशासन के दायरे में लाया जायेगा। तदनुसार, उनके लिए आवश्यक है कि वे तीन वर्षों की अवधि में चरणबद्ध रूप में पूंजी-पर्याप्तता संबंधी मानदण्डों का कड़ाई से पालन करें (सारणी IV.3)।

4.18 रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिए आस्ति-देयता प्रबंध संबंधी मानदण्ड निर्धारित किये हैं। ये मानदण्ड 1 जुलाई 2002 से प्रभावी होंगे और यथा समय चरणबद्ध रूप में उन्हें गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिए भी लागू किया जायेगा।

90 दिन के गैर-निष्पादक आस्ति मानदण्ड लागू

4.19 रिज़र्व बैंक हाल के वर्षों में सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों के अनुसार विवेकपूर्ण मानदण्ड सख्त कर रहा है। तदनुसार, अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम को गैर-निष्पादक आस्तियों के रूप में अभिनिर्धारित करने की अवधि 31 मार्च 2004 से 180 दिन के वर्तमान मानदण्ड से घटाकर 90 दिन की जायेगी। इस संदर्भ में बैंकों को 1 अप्रैल 2002 से मासिक अंतराल पर ब्याज लगाने की पद्धति अपनाने के लिए अनुदेश दिये गये हैं। तथापि, एक लाख रुपये तक के 'स्वर्ण' ऋण और लघु ऋण के संबंध में ऋण को अनर्जक के रूप में मानने के लिए 180 दिन का मानदण्ड जारी रहेगा।

आस्ति वर्गीकरण

4.20 बैंकिंग क्षेत्र सुधार पर समिति (अध्यक्ष : श्री एम. नरसिंहम) की सिफारिशों के अनुसार जो आस्ति अवमानक श्रेणी में 12 महीनों के लिए रहती है उसे 31 मार्च 2005 से 'संदिग्ध' के रूप में माना

सारणी IV.3 : शहरी सहकारी बैंकों के लिए जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी-अनुपात (सीआरएआर)

(जोखिम-भारित आस्तियों का प्रतिशत)

31 मार्च को	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिए सीआरएआर	गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी-बैंकों के लिए सीआरएआर	*ज्ञापन :* वाणिज्य बैंकों के लिए सीआरएआर
1	2	3	4
2002	8	6	9
2003	9	7	9
2004	वाणिज्य बैंकों के लिए यथा लागू	9	9
2005	वाणिज्य बैंकों के लिए यथा लागू	वाणिज्य बैंकों के लिए यथा लागू	

जायेगा। शहरी सहकारी बैंकों को 31 मार्च 2005 को समाप्त होनेवाले वर्ष से चार-वर्ष की अवधि में प्रतिवर्ष न्यूनतम 20 प्रतिशत का अनुवर्ती अतिरिक्त प्रावधान करने की अनुमति है।

शहरी सहकारी बैंकों का निवेश संविभाग : सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश

4.21 शहरी बैंकिंग क्षेत्र में 2001 में हुई गतिविधियों को देखते हुए जमाकर्ताओं के हित की रक्षा करने के लिए शहर सहकारी बैंकों के लिए यह अनिवार्य किया गया कि वे अपनी सांविधिक चलनिधि अनुपात आस्तियों का अनुपात सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में रखें। शहरी सहकारी बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे सरकारी प्रतिभूतियों में खरीद/बिक्री संबंधी लेनदेन अनिवार्य रूप से रिज़र्व बैंक के पास रखे एसजीएल खाते या प्राधिकृत एजेंसियों के पास रखे ग्राहक एसजीएल खाते या अन्य बैंकों/निक्षेपागारों के पास रखे डीमैट खाते के माध्यम से करें। उनके लिए आवश्यक है कि वे ऐसे लेनदेन वार्तातय लेनदेन प्रणाली/भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड प्रणाली के माध्यम से ही करें। उनके लिए यह भी आवश्यक है कि वे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बाण्डों, विनिर्दिष्ट अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के बाण्डों/इक्विटियों, वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी मूलभूत सुविधा बाण्डों, और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों जैसे अनुमोदित लिखतों में नये निवेश केवल डीमैट रूप में ही करें। दलालों के साथ प्रति-पार्टी के रूप में लेनदेन करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया है और उन्हें सूचित किया गया है कि सरकारी प्रतिभूतियों में उनके लेनदेन हर तिमाही समवर्ती लेखा-परीक्षा के अधीन होंगे, और उनसे रिज़र्व बैंक को इस बात की पुष्टि देने के लिए कहा गया है कि शहरी सहकारी बैंक द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार उनके द्वारा किये गये निवेश वास्तव में उसके स्वामित्व में हैं।

4.22 अनंत गीते समिति की सिफारिशों के आधार पर गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को अपनी अधिशेष निधियां सुदृढ़ अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों में रखने की अनुमति दी गयी है। शहरी सहकारी बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे अपने मांग मुद्रा उधार को पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत में अपनी समग्र जमा के 2 प्रतिशत तक सीमित रखें। तथापि, शहरी सहकारी बैंकों को बिना किसी सीमा के मांग मुद्रा बाजार में मुक्त रूप से उधार देने के लिए अनुमति दी गयी है। उन्हें सूचित किया गया है कि वे समाशोधन के लिए प्रस्तुत लिखतों के आधार पर तब तक बैंकर चेक/भुगतान आदेश (पे-आर्डर)/मांग ड्राफ्ट जारी न करें जब तक उनकी आय वसूल नहीं की जाती है और संबंधित पार्टियों के खाते में जमा नहीं की जाती है। शहरी बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे ऐसे नकदी ऋण/ओवरड्राफ्ट खातों में नामे डालकर ऐसे लिखत जारी न करें जिनमें पहले से ही स्वीकृत सीमा से अधिक की राशि आहरित की गयी है या ऐसे लिखत जारी करने से उनके सीमा से अधिक आहरण होने की संभावना है।

शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर बैंक वित्त

4.23 अक्तूबर 2001 से शहरी सहकारी बैंकों को प्रति पार्टी मात्र 5 लाख रुपये (वास्तविक प्रतिभूति) और 10 लाख रुपये (डीमैट रूप में) की सीमा तक अलग-अलग व्यक्तियों को उधार देने की अनुमति दी गयी है। इस संबंध में अनुपालन पर निगरानी रखने के लिए एक विवरणी निर्धारित की गयी है।

स्थावर संपदा की जमानत पर अग्रिम

4.24 शहरी सहकारी बैंकों को सतर्क किया गया है कि वे स्थावर संपदा की जमानत पर अन्धाधुन्ध वित्तपोषण करने से बचें और उन्हें सूचित किया गया है कि वे इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी नीतिगत दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।

गैर-जमानती अग्रिम

4.25 गीते समिति की सिफारिश के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों द्वारा किसी एकल उधारकर्ता/संबद्ध समूह को दिये जानेवाले गैर-जमानती अग्रिमों की उच्चतम सीमा केवल सुदृढ़ शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में बढ़ायी गयी है।[2]

निदेशकों के ऋण पर प्रतिबंध

4.26 शहरी सहकारी बैंकों के सभी निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और संबंधित व्यक्तियों, जिनमें उनका हित निहित है को दिये जानेवाले ऋणों और अग्रिमों (जमानती और गैर जमानती दोनों) की समग्र उच्चतम सीमा बैंक की मांग और मीयादी देयताओं के 10 प्रतिशत की पहले की उच्चतम से घटाकर 5 प्रतिशत की गयी है। संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में और कुछ शहरी सहकारी बैंकों के मामले में सामने आयी कतिपय अनियमितताओं को रोकने की दृष्टि से 1 अक्तूबर 2003 से शहरी सहकारी बैंकों के निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और संबंधित व्यक्तियों जिनमें उनका हित निहित है को ऋण और अग्रिम प्रदान करने पर संपूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

अग्रिमों पर ब्याज दरें

4.27 अप्रैल, 2002 में शहरी सहकारी बैंकों के लिए निर्दिष्ट न्यूनतम उधार दर (एमएलआर) वापस ले ली गई। तथापि, निम्न मुद्रास्फीति के वर्तमान परिवेश में असंगत रूप से उच्च अथवा निम्न मुद्रास्फीति आय तथा उनके ऋण संविभाग की समग्र गुणवत्ता पर

[2] इन दिशा-निर्देशों पर बाक्स IV.1 में चर्चा की गयी है।

प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती थी। अतः शहरी सहकारी बैंकों को अग्रिमों पर प्रभारित अपनी न्यूनतम एवं अधिकतम दोनों ब्याज दरों की समीक्षा तथा इन दरों को तर्कसंगत सीमा के भीतर लाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उनसे यह भी अपेक्षित है कि वे इसे प्रकाशित करें तथा प्रधानतः प्रत्येक शाखा में इसे प्रदर्शित करें।

गैर-निष्पादक आस्तियों से संबंधित बकाया की वसूली के लिए दिशा-निर्देश

4.28 रिज़र्व बैंक ने सभी शहरी सरकारों बैंकों को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन (एसएआरएफएईएसआर) अधिनियम 2002 के अधीन स्थापित प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी/पुनर्निर्माण कंपनियों को वित्तीय आस्तियों के बिक्री संबंधी दिशा निदेश जारी किये।

4.29 शहरी सहकारी बैंकों की गैर-निष्पादक आस्तियों में बढ़ती प्रवृत्ति की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने उन सभी गैर-निष्पादक आस्तियों, जो 10 करोड़ रुपये की बकाया शेष तथा अंतिम तारीख के बाद 31 मार्च 2000 तक 'संदेहास्पद' अथवा 'हानि' के रूप में आ चुकी थीं तथा गैर-निष्पादक आस्तियां जो 31 मार्च 2000 को 'अवमानक' के रूप में वर्गीकृत की जा चुकी थीं, जिन्हें बाद में 'संदेहास्पद' अथवा 'हानि' के रूप में बदला जा चुका था, पर लागू एक-बार में निपटान के लिए सभी राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं।

4.30 ये दिशा-निर्देश उन मामलों में भी लागू होंगे जिन पर शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय आस्ति प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (एसएआरएफइईएसआई) के अंतर्गत कार्रवाई शुरू कर दी है तथा जो न्यायालय/औद्योगिक और वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड (बीआईएफआर) से प्राप्त किए जा रहे 'सहमति' निर्णय के अधीन न्यायालयों/औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्डों (बीआईएफआर) के पास लंबित हैं। इस योजना को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किया जाना है तथा को-ऑपरेटिव सोसायटीज अधिनियम/नियमों/अधिसूचनाओं/संबंधित सहकारी समितियों के पंजीयकों द्वारा जारी प्रशासनिक दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के भीतर संबंधित बैंकों के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना है। शहरी सहकारी बैंकों द्वारा एक निपटान परामर्शदात्री समिति (एसएसी) गठित की जाए जो प्राप्त सभी आवेदनों की समीक्षा करेगी तथा सभी पात्र मामलों को स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी से सिफारिश करेगी।

धोखाधड़ी तथा पुलिस शिकायतें दर्ज करना

4.31 सामान्य नियम के रूप में शहरी सहकारी बैंकों को सलाह दी गई है कि वे धोखाधड़ी के उन सभी मामलों की, चाहे वे बाहरी व्यक्ति द्वारा स्वयं किए गए हों अथवा बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से किए गए हों, अथवा स्वयं बैंक अधिकारियों द्वारा किए गए हों, निरपवाद रूप से जांचकर्ता एजेंसियों को रिपोर्ट करे। फौजदारी मामले, जहां भी उचित हो, बैंक द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने के शीघ्र बाद कि धोखाधड़ी हुई है, न्यायालयों में दर्ज किए जाएं। काले धन को वैध बनाने से रोकने के लिए तथा आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित वित्तीय धोखाधड़ी के क्षेत्र में हाल की घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) मानदंडों तथा नकदी लेनदेन पर वर्तमान अनुदेशों को दोहराते तथा समेकित करते हुए शहरी सहकारी बैंकों को विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं।

शहरी सहकारी बैंकों के प्रबंधन का व्यवसायीकरण

4.32 नये गठित शहरी सहकारी बैंकों के निदेशक मंडल में उपयुक्त बैंकिंग अनुभव अथवा बैंक लेखा-परीक्षा अनुभव के साथ सनदी लेखाकार अर्हताओं के साथ कम से कम दो निदेशकों की नियुक्ति संबंधी अपेक्षा से अब सभी शहरी सहकारी बैंकों को अवगत करा दिया गया है। सभी शहरी सहकारी बैंकों को उपर्युक्त अपेक्षा को शामिल करने के लिए उनकी उप-विधि में संशोधन करने के लिए सूचित कर दिया गया है।

4.33 शहरी सहकारी बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि उनके निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति आंतरिक लेखा परीक्षा/सांविधिक लेखा परीक्षा /रिज़र्व बैंक निरीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा करे तथा इन रिपोर्टों में निर्दिष्ट कमियों के परिशोधन के लिए की गई कार्रवाई की निगरानी करे। संयुक्त संसदीय समिति की टिप्पणियों के आधार पर सभी शहरी सहकारी बैंकों को समवर्ती लेखा परीक्षा के कार्यान्वयन का निर्देश दिया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक डेटा संसाधन (ईडीपी) - लेखा-परीक्षा प्रणाली

4.34 यह निर्णय लिया गया है कि उन सभी शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा संसाधन लेखा परीक्षा प्रणाली लागू की जाए जिन्होंने अपने परिचालन को पूर्णतः/अंशतः कंप्यूटरीकृत कर लिया है। इस संबंध में उन्हें विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तदनुसार, बैंकों में एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा संसाधन लेखा-परीक्षा कक्ष का शीघ्र गठन किया जाना है जिसका एक स्वतंत्र निरीक्षण और लेखा परीक्षा विभाग होगा। अन्य बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे ऐसे व्यक्तियों के समर्पित समूह को प्रतिनियुक्त करें जो जब भी अपेक्षित हो, इलेक्ट्रॉनिक डेटा संसाधन लेखा परीक्षकों के कार्य कर सकें।

सहकारी बैंकों में एमआईएस को मजबूत बनाने के लिए तकनीकी सहायता कार्यक्रम

4.35 रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंकों में प्रबंध सूचना प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए एक तकनीकी सहायता कार्यक्रम की शुरूआत कर दी है। यह कार्यक्रम जो वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के निर्देश पर परिचालित किया गया है, का कार्यान्वयन राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन

संस्थान,पुणे तथा कृषि बैंकिंग महाविद्यालयृ पुणे के साथ मिलकर किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए हितकारी संस्थाओं के नाममात्र के अंशदान के साथ रिज़र्व बैंक द्वारा अधिकांश निधि उपलब्ध करायी जाती है।

बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 के अंतर्गत निरीक्षण

4.36 यह निर्णय किया गया है कि निरीक्षण रिपोर्ट में निर्दिष्ट अनियमितताओं को दूर करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों को निरीक्षण रिपोर्ट की तारीख से अधिकतम 4 महीने की अवधि दी जाए। बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा अनुपालन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित तथा बोर्ड प्रस्तावों द्वारा समर्थित इस आशय का एक प्रमाणपत्र निरीक्षण रिपोर्ट की तारीख से 4 महीने के भीतर सहकारी बैंक द्वारा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जाए कि निरीक्षण रिपोर्ट में निर्दिष्ट सभी अनियमितताओं/रिज़र्व बैंक निर्देशों/ दिशा-निर्देशों के उल्लंघनों/ कमियों का पूर्णतः परिशोधन/अनुपालन कर दिया गया है। अनुपालन न किए जाने की स्थिति में, बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) में निहित दंडात्मक प्रावधानों को लागू करेगा।

ग्रेडिंग प्रणाली की शुरूआत

4.37 शहरी सहकारी बैंकों एवं उनके संगठनों ने रिज़र्व बैंक के पास मानदंडों की समीक्षा तथा इन बातों के साथ संबद्ध संभावित लांछनों के चलते कमजोर तथा बीमार बैंकों नामावली में परिवर्तन के लिए अभ्यावेदन दिया था। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि शहरी सहकारी बैंकों की चार श्रेणियों के क्रम-निर्धारण प्रणाली को लागू किया जाए तथा बैंक को सौंपे गए ग्रेड पर आधारित 'सुधारात्मक कार्रवाई' की एक प्रणाली को कार्यान्वित किया जाए ताकि इन बैंकों में वित्तीय स्थिति में ह्रास को आगे रोका जा सके। शहरी सहकारी बैंकों को 'कमजोर' अथवा 'बीमार' के रूप में वर्गीकृत किए जाने की प्रणाली जो 31 मार्च, 2002 से लागू की गई थी, को बैंकों के ग्रेडिंग की एक नई प्रणाली द्वारा बदल दिया गया जो उनके जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात के स्तर, निवल गैर-निष्पादक आस्तियों, हानि के रिकार्ड तथा चलनिधि अपेक्षाओं के अनुपालन पर आधारित है। पर्यवेक्षण कार्रवाई के अनुरूप एक ढांचे को भी लागू किया गया है।

पर्यवेक्षण की रेटिंग प्रणाली

4.38 पूंजी-पर्याप्तता, आस्ति-गुणवत्ता, प्रबंधन, आय, चलनिधि एवं प्रणाली (सीएएमईएल) मॉडेल के अंतर्गत शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक पर्यवेक्षण की रेटिंग प्रणाली लागू कर दी गई है। यह कम-निर्धारण प्रणाली 31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष से प्रारंभिक रूप में अनुसूचित शहरी बैंकों के लिए कार्यान्वित की जा चुकी है। 31 मार्च 2004 से गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक सरलीकृत क्रम-निर्धारण प्रणाली लागू की जाएगी।

4.39 तुलनपत्र के प्रकटीकरण में पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दृष्टि से 100 करोड़ रुपये तथा उससे अधिक की जमाराशि वाले सभी शहरी सहकारी बैंकों को 31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष से जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात, निवेशों, स्थावर संपदा /शेयरों एवं डिबेंचरों पर निदेशकों/ उनके संबंधियों/फर्मों एवं कंपनियों, जिनमें निदेशकों की रुचि है, को दिए गए अग्रिमों, जमाराशियों की लागत, गैर-निष्पादक आस्तियों का स्तर, लाभप्रदता तथा तुलनपत्र में 'लेखा नोट' के रूप में गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान कार्रवाई पर विशेषीकृत सूचना प्रकट करने के लिए सूचित कर दिया गया है। उनसे यह भी अपेक्षित है कि वे निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) (बॉक्स IV.3) को निक्षेप बीमा प्रीमियम भुगतान के अपने अभिलेख का भी उल्लेख करें।

वित्तीय कार्य-निष्पादन

4.40 शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में वृद्धि विगत अनियमितताओं के प्रभाव को अंशतः दर्शाते हुए 2002-03 के दौरान धीमी पड़ गई (सारणी IV.4)। अर्थव्यवस्था में ऋण मांग में तेजी के होते हुए भी शहरी सहकारी बैंकों के ऋण-जमा अनुपात में 2002-03 के दौरान गिरावट दर्ज की गई। बड़े शहरी सहकारी बैंकों के लिए मुद्रा आपूर्तिपर कार्यकारी (अध्यक्ष : डा.वाई.वी.रेड्डी) द्वारा निर्धारित रिपोर्टिंग प्रणाली पर आधारित अग्रणी सूचना यह सुझाती है कि 2003-04 के दौरान (अगस्त तक) जमाराशियों में 30 करोड़ रु की मामूली-सी गिरावट आयी, जबकि ऋण निकासी में 5.6 प्रतिशत की गिरावट हुई ।

पुनर्वित्त सुविधाएं

4.41 रिजर्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत शहरी सहकारी बैंकों द्वारा छोटे/कुटीर उद्योगों की इकाइयों जिसमें उद्योगों के 22 मुख्य समूह शामिल हैं, को अग्रिम प्रदान करने के संबंध में पुनर्वित्त सुविधाओं को प्रदान करना जारी रखा है।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार

4.42 मार्च 2002 के अंत तक 1,817 शहरी सहकारी बैंकों ने प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लिए अपने कुल अग्रिमों के60 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था तथा 1,407 बैंकों ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में कमजोर वर्गों के लिए अपने कुल अग्रिम के अपेक्षित स्तर 15 प्रतिशत को पूरा कर लिया है। उस समय वर्तमान अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों में से 28 बैंकों ने अपने कुल अग्रिमों के प्राथमिकता-प्राप्त

बॉक्स IV.3 : निक्षेप बीमा और सहकारी बैंक

बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 5 (सीसी vi) के अनुसार, किसी प्राथमिक ऋण समिति को बैंकिंग कारोबार करने की अनुमति दी गई है। प्राथमिक ऋण समितियों को आम जनता से चेकों द्वारा आहरणयोग्य जमाराशियां स्वीकार करने की अनुमति भी दी गई है। तथापि, एक लाख रुपये से अधिक की प्रदत्त पूंजी और आरक्षित निधि के साथ ऐसी प्राथमिक सहकारी समितियां स्वतः प्राथमिक सहकारी बैंक के रूप में परिभाषित हो जाती हैं (सहकारी समितियों पर यथा लागू) और इस प्रकार बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 के अंतर्गत आ जाती हैं तथा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के पास पंजीकृत हो जाती हैं।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 2 (जीजी) के अनुसार, निक्षेप बीमा में शामिल होने हेतु एक 'पात्र सहकारी बैंक' बनने के लिए शहरी सहकारी बैंकों को नियंत्रित करनेवाला कानून निम्नलिखित प्रावधानों को अपरिहार्य बनाता है :

- बन्द करने के लिए कोई आदेश अथवा समझौते की किसी योजना की संस्वीकृति के लिए कोई आदेश, अथवा समामेलन, अथवा बैंक का पुनर्गठन केवल तभी किया जाए जब लिखित रूप में रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति प्राप्त हो जाए।
- बैंक को बन्द करने का आदेश, यदि ऐसा करना रिज़र्व बैंक के लिए अपेक्षित हो, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी अधिनियम की धारा 13 डी में उल्लिखित परिस्थितियों के अंतर्गत जारी किया जाए।
- जनहित में रिज़र्व बैंक द्वारा यदि ऐसा करना अपेक्षित है तो बैंक की प्रबंध समिति के अधिक्रमण तथा एक प्रशासक की नियुक्ति के लिए एक आदेश जारी किया जाए।

वर्तमान में, चार राज्यों (मेघालय, मिजोरम, नगालैण्ड और अरुणाचल प्रदेश) तथा चार केन्द्र शासित क्षेत्रों (लक्षद्वीप, चंडीगढ़, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा दादरा एवं नागर हवेली) के सहकारी समिति अधिनियमों में निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम की धारा 2 (जीजी) के अंतर्गत यथा अपेक्षित समर्थकारी प्रावधान नहीं हैं। इस मामले को संबंधित सरकारों के पास उनके सहकारी अधिनियमों में उपयुक्त वैध संशोधन प्रवर्तित करने के लिए उठाया गया है ताकि इन अधिनियमों द्वारा नियंत्रित बैंकों को भी निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की अधिकार क्षेत्र में लाया जा सके।

मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक जैसी राज्य सरकारों ने से बिना सहायता प्राप्त समितियों को स्वायत्तता की और मात्रा प्रदान करने हेतु सहकारी समितियों के लिए एक समानान्तर विधि (उदाहरणार्थ : मध्य प्रदेश स्वायत्त अधिनियम, 1999 तथा कर्नाटक सौहार्द सहकारी अधिनियम, 1997) बनाया है। इन अधिनियमनों में निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, अधिनियम में यथा अपेक्षित प्रावधान नहीं हैं। इस मामले को संबंधित राज्य सरकारों के पास राज्य अधिनियमों में समुचित संशोधन के लिए भेजा गया है। इसके अतिरिक्त सहकारिता पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार, कई राज्यों की सहकारी समिति के अधिनियमों में संशोधन किया जा रहा है तथा हाल ही में नई नीति को प्रभावी बनाने के लिए बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम का निर्माण किया गया है। यह अधिनियम भी निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम की सभी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से उन बैंकों के नाम प्राप्त करने के लिए जिन्होंने निक्षेप बीमा प्रीमियम के भुगतान में चूक की है तथा यह प्रयास करने एवं यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी शहरी सहकारी बैंक निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की बीमा बिना किसी भी समय कार्य नहीं करे, जैसे मामले को संबंधित बैंकों के अनुपालन के लिए एक सांस्थिक व्यवस्था को लागू किया गया है। रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचित किया गया है कि संबंधित बैंकों के साथ निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के प्रीमियम का भुगतान नहीं करने की स्थिति पर घनिष्ठ रुपसे निगरानी करें ताकि प्रीमियम के त्वरित भुगतान को सुनिश्चित किया जा सके।

रिज़र्व बैंक के निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को भी निरीक्षण रिपोर्टों में निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम विवरणियों के संकलन/प्रस्तुतीकरण, प्रीमियम के भुगतान आदि में पाई गयी कमियों को शामिल करने तथा उसका एक सार-संक्षेप निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम को भेजने के लिए सूचित किया गया है।

शहरी सहकारी बैंकों को भी उनके वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न निदेशकों की रिपोर्ट में निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम प्रीमियम के भुगतान की स्थिति का उल्लेख करने क लिए सूचित किया गया है।

सारणी IV.4 : शहरी सहकारी बैंकों के प्रमुख समुच्चय

(वृद्धि दरें प्रतिशत में)

संकेतक	2000-01	2001-02 अ	2002-03 अ
1	2	3	4
जमा राशियां	13.6	15.1	9.1
उधार	40.3	उ.न.	उ.न.
बकाया ऋण	18.2	14.1	4.5
ऋण जमा अनुपात	67.3	66.7	63.9

अ : अनन्तिम
उ.न.- उपलब्ध नहीं

क्षेत्र के लिए निर्धारित 60 प्रतिशत उधार के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तथा 11 बैंकों ने कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित उधार के स्तर को प्राप्त किया। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लिए उधार संरचना के अनुसार, लघु व्यापार उद्यमों और कुटीर उद्योगों तथा लघु उद्योगों के लिए उद्यम से आवास के लिए उधार की ओर झुकाव हुआ। (चार्ट IV.2)

चार्ट IV.2 : शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार का वितरण (मार्च 2002 के अंत तक)

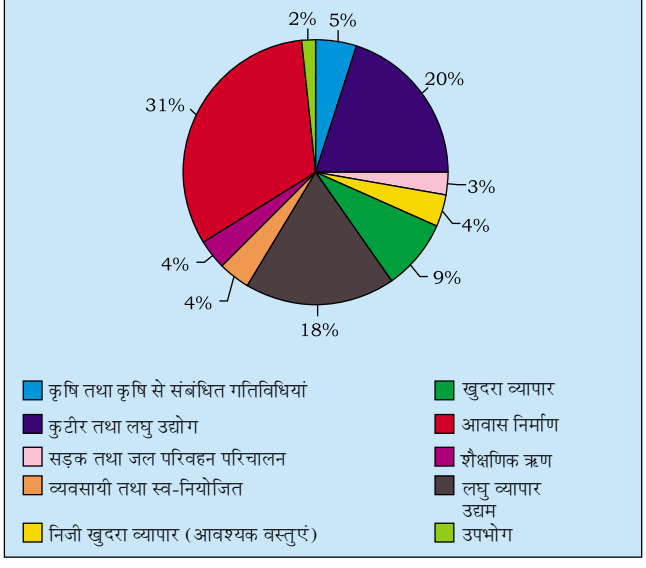

सारणी IV.5 : शहरी सहकारी बैंकों की सकल गैर-निष्पादक

(राशि करोड़ रुपयों में)

संकेतक (31 मार्च)	रिपोर्ट करनेवाले बाहरी सहकारी बैंकों की सं.	सकल गैर-निष्पादक आस्तियां (करोड़ रुपयों में)	कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल गैर-निष्पादक आस्तियां
1	2	3	4
1999	1,474	3,306	11.7
2000	1,748	4,535	12.2
2001	1,942	9,245	16.1
2002	1,937	13,706	21.9
2003	1,941	13,647	21.0

गैर-निष्पादक आस्तियां

4.43 बैंकों की सकल गैर-निष्पादक आस्तियों (एनपीए) के साथ शहरी बैंकों की आस्ति-गुणवत्ता मार्च 2003 के अंत तक उनके कुल अग्रिमों की 21.0 प्रतिशत थी, जो अभी भी चिंता का विषय बनी हुई हैं (सारणी IV.5)। शहरी सहकारी बैंकों की गैर-निष्पादक आस्तियों का स्तर गुजरात में कुछ बैंकों द्वारा कठिनाइयों का सामना करने के कारण वर्ष 2001-02 में काफी ऊपर चला गया है।

परिसमापन

4.44 रिज़र्व बैंक, शहरी सहकारी बैंकों के कार्य निष्पादन पर लगातार निगरानी रखता रहा है। उनकी वित्तीय स्थिति के चलते उनके लाइसेंसों को निरस्त किया गया है। लाइसेंस हेतु आवेदनों को अस्वीकृत किया गया है तथा सहकारी समितियों के निबंधकों को कहा गया है कि वे कुल 23 बैंकों के संबंध में (सारणी IV.6 तथा IV.7) परिसमापन की कार्यवाही प्रारंभ करें।

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन

4.45 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का संयुक्त आकार 2002-03 के दौरान वर्तमान बैंकों के विस्तार के साथ-साथ नये अनुसूचित बैंक के प्रवेश (सारणी IV.8) दोनों को दर्शाते हुए लगातार बढ़ना जारी रहा ।

4.46 देयताओं की संरचना में, जमाराशियों का हिस्सा कम होते जाने के साथ ही लगातार बदलाव होता रहा (सारणी IV.9)। आस्ति पक्ष में भी निवेश के हिस्से में वृद्धि के साथ बदलाव देखा गया, जबकि बैंक ऋण का हिस्सा कम होता गया। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक की जमा वृद्धि गत वर्ष की उसी छमाही की तुलना में 10.6 प्रतिशत घटकर 2003-04 की प्रथम छमाही के दौरान 3.3 प्रतिशत हो गई। ऋण वृद्धि, अचानक पिछले वर्ष की 2.8 प्रतिशत की वृद्धि के ठीक विपरीत 6.1 प्रतिशत तक कम हो गई। पिछले वर्ष अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की जमाराशियों में तीव्र वृद्धि अंशतः नए बैंकों को शामिल करने के रूप में प्रतिफलित हुई। वर्ष 2003-04 के दौरान, अब तक जहां एक नया बैंक शामिल किया गया, वहीं दो अन्य बैंकों को अनुसूची से हटा दिया गया है।

4.47 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक लगातार तीसरे वर्ष भी निवल हानि दर्ज करते रहें (सारणी IV.10 तथा परिशिष्ट सारणी IV.2) । ब्याज दरों के सुलभ होने से अप्रैल 2003 में अनुसूचित एक शहरी सहकारी बैंक से कुल आय से अनुपात के रूप में ब्याज से आय में कमी हुई तथा ऋण संविभाग का हिस्सा लगातार सिकुड़ता गया। यद्यपि ब्याज व्यय भी कम हुआ, यह कमी, स्प्रेड में और संकीर्णता को लाते हुए बहुत कम ही लक्षित हुई (सारणी IV.11) ।

सारणी IV.6 परिसमापन के अंतर्गत बैंक - लाइसेंसों का निरसन

बैंक	आदेश जारी करने की तारीख	राज्य
1	2	3
आरमर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक, लि.आरमूर	26 अगस्त 2002	आंध्र प्रदेश
फर्स्ट सिटी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद	5 अप्रैल 2002	आंध्र प्रदेश
जवाहर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद	8 मई 2002	आंध्र प्रदेश
मेगासिटी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद	3 अगस्त 2002	आंध्र प्रदेश
मदर टेरेसा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद	14 अक्तूबर 2002	आंध्र प्रदेश
प्रजा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद	2 जुलाई 2002	आंध्र प्रदेश
दहिया नागरिक सहकारी बैंक लि., दहिया	14 मई 2002	मध्य प्रदेश
द पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुजफ्फरपुर	22 अप्रैल 2002	बिहार
द बेनूसराय अर्बन डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लि., बेगूसराय	22 अप्रैल 2002	बिहार
द माधोपुरा अर्बन डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लि। माधोपुरा	22 अप्रैल 2002	बिहार
श्री आदिनाथ सहकारी बैंक लि., पुणे	25 जून 2002	महाराष्ट्र
श्री लाभ को-ऑपरेटिव बैंक लि.,मुबई	31 जुलाई 2002	महाराष्ट्र
कलवा बेलापुर सहकारी बैंक लि., नवी मुंबई	10 अगस्त 2002	महाराष्ट्र
मा शारदा महिला नागरी सहकारी बैंक लि। अकोला	10 अगस्त 2002	महाराष्ट्र
इंडिपेंडेस का-ऑपरेटिव बैंक लि., देवळाली कैंप	30 अक्तूबर 2002	महाराष्ट्र

सारणी IV.7 : शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस जारी करने हेतु आवेदनों की अस्वीकृति

बैंक	तारीख	राज्य
1	2	3
श्री जामनगर नागरिक सहकारी बैंक लि., जामनगर	27 दिसंबर 2002	गुजरात
राजमपेट को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद	3 जुलाई 2002	आंध्र प्रदेश
यमुनानगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., यमुनानगर	6 अगस्त 2002	चंडीगढ़
थानी अर्बन को-औपरेटिव बैंक लि., चेन्नई	23 मई 2002	तमिलनाडु
तिरुवन्नाइकाविल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., चेन्नई	20 मई 2002	तमिलनाडु
द नालन्दा अर्बन डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लि., बिहारीरीफ	23 मई 2002	बिहार
द शिलांग को-ऑपरेटिव, अर्बन बैंक लि., मेघालय	23 मई 2002	मेघालय
द शिलांग को-ऑपरेटिव, यूबीडी लि., शिलांग	26 अक्तूबर 2002	मेघालय

3. ग्रामीण सहकारी समितियां

4.48 ग्रामीण सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में शीर्ष (राज्य) स्तर पर राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी), मध्यवर्ती (जिला) स्तर पर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी) तथा प्रारंभिक (ग्राम) स्तर पर प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (पीएसीएस) के साथ आवश्यक रूप से उत्पादन प्रयोजनों के लिए अल्पावधि ऋण जारी करने को सुनिश्चित करने के लिए अब त्रि-स्तरीय पिरामिड के रूप में सहकारी ऋण संरचना बनी है। इसी प्रकार, दीर्घावधि निवेश ऋण उपलब्ध कराने के लिए भूमि विकास बैंकों की सहायता संघीय और एकाकी प्रणालियां दोनों का ही संदर्भाधीन राज्य की संरचना की उपयुक्तता के आधार पर स्थापित की गयी हैं। इस प्रकार, राज्य स्तर पर राज्य सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) तथा प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) अथवा राज्य सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की शाखाओं को कृषि में पूंजी निर्माण की वृद्धि को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थापित किया गया था।

4.49 इन वर्षों में सहकारी बैंकों का नेटवर्क की व्याप्ति और पहुंच काफी बढ़ गयी है - मार्च 2002 के अंत की स्थिति के अनुसार, 30

सारणी IV.8: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक - संक्षिप्त सांख्यिकी

(राशि करोड़ रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2002	31 मार्च 2003
1	2	3
अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक लि. सं.	52	56
शेयर पूंजी	545	627
आरक्षित पूंजी	1,931	2,195
जमाराशियां	35,215	36,380
उधार राशियां	678	542
ऋण एवं अग्रिम	23,308	23,943
सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	8,630	10,487
निवेश (गैर-एसएलआर)	4,973	3,161

टिप्पणी : शहरी सहकारी बैंकोंकी विवरणियों पर आधारित प्रारक्षित निधियों में सांविधानिक निधियां तथा अन्य भार रहित निधियां तथा वे प्रावधान जो बाह्य देयताओंके स्वरूप की नहीं है, शामिल हैं।

सारणी IV.9 : अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की देयताएं एवं आस्तियां

(31 मार्च तक)

(करोड़ रुपयों में)

मद	2002		2003*	
	राशि	शेयर (प्रतिशत)	राशि	शेयर (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	531	1.1	627	1.2
2. आरक्षित पूंजी	5,940	12.6	7,534	14.4
3. जमा राशियां	34,285	72.4	36,683	70.0
4. उधार राशियां	637	1.3	571	1.1
5. अन्य देयताएं	5,946	12.6	7,022	13.3
कुल देयताएं	**47,340**	**100.0**	**52,437**	**100.0**
आस्तियां				
1. नकदी	2,266	4.8	2,578	4.9
2. बैंकों में शेष राशि	1,897	4.0	1,740	3.3
3. बैंकों में शेष राशि सूचना पर मुद्रा	318	0.7	303	0.6
4. निवेश	12,997	27.4	14,524	27.7
5. ऋण तथा अग्रिम	22,468	47.5	23,726	45.2
6. अन्य आस्तियां	7,393	15.6	9,566	18.3
कुल आस्तियां	**47,340**	**100.0**	**52,437**	**100.0**

* आंकडों में 49 लेखा परीक्षित बैंक 8 गैर-लेखापरीक्षित बैंक तथा 1 अप्रैल 2003 को 1 शहरी सहकारी बैंक शामिल है।

स्त्रोत : संबंधित बैंकों के तुलन पत्र

राज्य सहकारी बैंक (847 शाखाएं) 368 जिला सध्यवर्ती सहकारी बैंक (12,652 शाखाएं) तथा लगभग 99,000 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां थी । मार्च 2002 के अंत की स्थिति के अनुसार 20 एससीएआरडीबी तथा 768 पीसीएआरडीबी थे। यद्यपि, सहकारी बैंक भारत में ग्रामीण ऋण व्यवस्था के प्रमुख घटक रहे हैं, हाल के वर्षों में, शहरी सहकारी बैंक की अपने परिचालन क्षेत्र में कृषि संबंधी ऋण उपलब्ध करा रहे हैं।

राज्य सहकारी बैंक (एससीबी)

4.50 प्रमुख घटकों (यथा. पूंजी, प्रारक्षित निधि, जमाराशियां, उधार और अन्य देयताएं) के संदर्भ में राज्य सहकारी देयताओं का

सारणी IV.10: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्य निष्पादन

(राशि करोड़ रुपयों में)

मद	2001-02	2002-03*	घटबढ़	
			राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	**5,069 (100.0)**	**5,139 (100.0)**	**70**	**1.4**
i) ब्याज आय	4,449 (87.8)	4,498 (87.5)	49	1.1
ii) अन्य आय	620 (12.2)	641 (12.5)	21	3.3
ख. व्यय (i+ii+iii)	**5,485 (100.0)**	**5,735 (100.0)**	**251**	**4.6**
i) ब्याज व्यय	3,404 (62.1)	3,415 (59.6)	12	0.4
ii) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	1,136 (20.7)	1,317 (23.0)	181	15.9
iii) परिचालनगत व्यय	945 (17.2)	1,003 (17.5)	58	6.1
जिसमें : वेतन बिल	537 (9.8)	564 (9.8)	26	4.9
ग. लाभ				
i) परिचालनगत लाभ	720	721	-1	0.1
ii) निवल लाभ	-416	-596	-181	—
घ. कुल आस्तियां	**47,340**	**52,437**	**5,097**	**10.8**

* आंकडों में 49 लेखा परीक्षित और अलेखा परिक्षित बैंक सम्मलित है । तथा अप्रैल 03 से एक शहरी सहकारी बैंक सम्मलित हैं ।
टिप्पणी : 1. ब्यौरे के लिए परिशिष्ठ सारणी III.2 की टिप्पणी देखें ।
2. कोष्ठकों के आंकडे संबंधित योग के प्रति प्रतिशतता है ।
स्त्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र

स्वरूप मोटे तौर पर मार्च 2001 के अंत और मार्च 2002 के अंत के बीच अपरिवर्तित रहा (सारणी IV.12)। अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों ने 2003-04 की पहली छमाही मे 1.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 7.8 प्रतिशत की गिरावट के अत्यधिक विपरीत है। ऋण उठाव में मौसमी कमी 2.4 प्रतिशत थी जो पिछले वर्ष के 5.0 प्रतिशत की तुलना में निम्नतर है।

सारणी IV.11 : शहरी सहकारी बैंकों* का चयनित वित्तीय अनुपात*

(आस्तियों का प्रतिशत)

मद	शहरी सहकारी बैंक		अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक		मध्यवर्ती सहकारी बैंक	
	2001-02	2002-03	2000-01	2001-02	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5	6	7
परिचालन लाभ	1.52	1.34	1.70	2.08	1.73	1.90
निवल लाभ	-0.88	-1.14	0.39	0.31	0.06	-0.03
आय	10.71	9.80	10.27	10.14	10.75	10.74
ब्याज से आय	9.40	8.58	9.90	9.62	10.17	10.14
अन्य आय	1.31	1.22	0.37	0.52	0.58	0.60
व्यय	11.59	10.94	9.88	9.83	10.69	10.76
ब्याज व्यय	7.19	6.51	7.85	7.33	7.19	7.14
परिचालन व्यय	2.00	1.91	0.71	0.73	1.83	1.70
मजदूरी बिल	1.13	1.07	0.53	0.53	1.42	1.31
प्रावधान तथा आकस्मिकताएं	2.40	2.51	1.32	1.77	1.67	1.93
विस्तार (ब्याज से निवल आय)	2.21	2.06	2.04	2.29	2.98	3.00

* कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में।

सारणी IV.12 : राज्य सहकारी बैंकों की देयताएं एवं आस्तियां
(31 मार्च तक)

(करोड़ रुपये)

मद	2001		2002 अ	
	राशि	शेयर (प्रतिशत)	राशि	शेयर (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
देयताएं				
पूंजी	695	1.3	807	1.4
आरक्षित पूंजी	5,144	9.8	5,516	9.6
जमा राशियां	32,626	62.2	35,500	61.8
उधार राशियां	11,693	22.3	11,550	20.1
अन्य देयताएं	2,318	4.4	4,105	7.1
कुल देयताएं	**52,476**	**100.0**	**57,478**	**100.0**
आस्तियां				
नकदी तथा बैंक शेष	2,313	4.4	3,492	6.1
निवेश	16,156	30.8	16,436	28.6
ऋण तथा अग्रिम	29,861	56.9	32,111	55.9
अन्य आस्तियां	4,146	7.9	5,439	9.5
कुल आस्तियां	**52,476**	**100.0**	**57,478**	**100.0**

अ - अनंतिम

4.51 अखिल भारतीय स्तर पर मांग के अनुपात[3] के रूप में राज्य सहकारी बैंकों की वसूली का कार्य-निष्पादन 2000-01 के 84 प्रतिशत से घटकर 2001-02 में 81 प्रतिशत हो गया। विभिन्न राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों में वसूली का कार्य-निष्पादन चंडीगढ़, अंडमान एवं निकोबार, जम्मू और कश्मीर, नगालैण्ड, त्रिपुरा, मिजोरम तथा पश्चिम बंगाल में अधिक बढ़ा जबकि यह बिहार, असम तथा पांडिचेरी में काफी अधिक कम हुआ। हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़ और गुजरात (परिशिष्ट IV.3) वे राज्य हैं जहां राज्य सहकारी बैंक ने वर्ष 2001-02 के दौरान 90 प्रतिशत से अधिक की वसूली की है।

राज्य सहकारी बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन

4.52 कीमत लागत अंतर में वृद्धि के बावजूद (निवल ब्याज आय) प्रावधानों तथा आकस्मिकताओं के लिए उच्चतर व्यय से राज्य सहकारी बैंकों के निवल लाभ में कमी हुई। 30 राज्य सहकारी बैंकों में से 23 ने कुल मिलाकर 2.70 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया जबकि 7 ने 93 करोड़ रुपये की राशि की हानि (सारणी IV.13) उठाई।

केन्द्रीय सहकारी बैंकों

4.53 केन्द्रीय सहकारी बैंकों की देयताओं की संरचना मार्च 2001 के अंत तक तथा मार्च 2002 के अंत तक की अवधि के बीच अपरिवर्तित रही (सारणी IV.14) । जमाराशियां, कुल देयताओं की 60 प्रतिशत से अधिक बनी रहीं, जबकि आरक्षित पूंजी में 17.8 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

4.54 अखिल भारतीय स्तर पर, मांग के अनुपात के रूप में केन्द्रीय सहकारी बैंकों की वसूली का कार्य-निष्पादन कमोबेश एक समान रहा। बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर तथा मध्य प्रदेश पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने वसूली के कार्य-निष्पादन में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की जबकि महाराष्ट्र और कर्नाटक में वसूली के कार्य-निष्पादन में ह्रास आया। पंजाब, तमिलनाडु और उत्तरांचल ही केवल वैसे राज्य थे जिन्होंने वर्ष 2001-02 के दौरान 80 प्रतिशत से अधिक की वसूली की (परिशिष्ट सारणी IV.3)।

मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का कार्य-निष्पादन

4.55 मध्यवर्ती सहकारी बैंकों ने गत वर्ष के मामूली लाभ की तुलना में वर्ष 2001-02 के दौरान मामूली-सी हानि उठाई (सारणी IV.15)। ब्याज से आय, कुल आय की 95 प्रतिशत रही, जबकि ब्याज व्यय कुल व्यय का लगभग दो-तिहाई रहा। वर्ष 2001-02 के दौरान 258 मध्यवर्ती सहकारी बैंकों ने 698 करोड़ रुपये की राशि का लाभ अर्जन किया जबकि 110 मध्यवर्ती सहकारी बैंकों से 719 करोड़ रुपये की हानि उठाई । मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की समग्र लाभप्रदता में ह्रास का कारण प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं में उच्चतर व्यय रहा।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस)

4.56 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) जो अल्पावधि सहकारी ऋण के प्रारंभिक स्तर की अंग हैं, व्यक्तिगत उधारकर्ताओं से सीधे संपर्क करती हैं, अल्पावधि तथा मध्यावधि ऋण प्रदान करती हैं तथा वितरण एवं बाजार कार्य भी संपादित कर सकती हैं। 31 मार्च 2002 तक लगभग 10 करोड़ शाखाओं के साथ 98,247 प्रारंभिक कृषि ऋण समितियां थीं। प्रारंभिक कृषि ऋण समितियों की एक बड़ी संख्या को मुख्यतः अपनी निधि, जमाराशियों में उल्लेखनीय ह्रास एवं निम्नतर वसूली दरों के चलते, अनेक वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा। प्रारंभिक कृषि ऋण समितियों की खराब स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न नीतियों को अपनाया गया है। प्रारंभिक कृषि ऋण समितियों की मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) निधि उपलब्ध करा रहा है।

[3] किसी नियत तारीख को देय राशि ही मांग है। इसमें उस तारीख को ब्याज और मूलधन की चुकौती देना सम्मिलित है।

सारणी IV.13 : राज्य सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2000-01	2001-02(अ)	घटबढ़	
			राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	**5,389**	**5,809**	**420**	**7.8**
	(100.0)	**(100.0)**		
i) ब्याज आय	5,194	5,508	314	6.0
	(96.4)	(94.8)		
ii) अन्य आय	195	301	107	54.4
	(3.6)	(5.2)		
ख. व्यय (i+ii+iii)	**5,185**	**5,632**	**447**	**8.6**
	(100.0)	**(100.0)**		
i) ब्याज व्यय	4,121	4,192	70	1.7
	(79.5)	(74.4)		
ii) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	690	1,024	334	48.4
	(13.3)	(18.2)		
iii) परिचालनगत व्यय	373	416	43	11.5
	(7.2)	(7.4)		
जिसमें : वेतन बिल	280	304	24	8.6
	(5.4)	(5.4)		
ग. लाभ				
i) परिचालनगत लाभ	**894**	**1,201**	**307**	**34.3**
ii) निवल लाभ	**204**	**177**	**-27**	**-13.2**
घ. कुल आस्तियां	**52,476**	**57,478**	**5,002**	**9.5**

अ : अनंतिम
टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित कुल योग का प्रतिशत भाग दर्शाते हैं।
स्रोत : नाबार्ड ।

सारणी IV.14 : मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की देयताओं और आस्तियों की संरचना

(करोड़ रुपये में)

मद	2001		2002 (अ)	
	राशि	अंश (प्रतिशत)	राशि	अंश (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
देयताएं				
पूंजी	3,128	3.2	3,425	3.2
प्रारक्षित निधियां	9,105	9.4	10,723	10.0
जमाराशियां	61,813	64.0	68,090	63.3
उधार राशियां	16,937	17.5	18,818	17.5
अन्य देयताएं	5,704	5.9	6,529	6.1
कुल देयताएं	**96,687**	**100.0**	**1,07,585**	**100.0**
आस्तियां				
नकद और बैंक शेष राशियां	5,853	6.1	7,169	6.7
निवेश	27,616	28.6	28,905	26.9
ऋण और अग्रिम	52,512	54.3	59,269	55.1
अन्य आस्तियां	10,706	11.0	12,242	11.4
कुल आस्तियां	**96,687**	**100.0**	**1,07,585**	**100.0**

अ - अनंतिम

दीर्घावधि सहकारी ऋण

4.57 दीर्घावधि सहकारी ऋण विन्यास में 768 प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पी सी ए आर डी बीज) 20 राज्यों / संघशासित क्षेत्रों के राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एस सी ए आर डी बी) शामिल हैं। बैंकों के दीर्घावधि सहकारी ऋण विन्यास में कई कमजोरियां दिखायी दे रही है जिनसे उभरते हुई उदारीकृत आर्थिक वातावरण में वाणिज्य बैंकों के साथ प्रभावशाली ढ़ंग से प्रतिस्पर्धा करने की उनकी क्षमता बाधित होती है।

राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरबी)

4.58 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का मार्च 2003 के अंत में 93 प्रतिशत का ऋण जमा अनुपात हाल की प्रवृत्तियों के अनुरूप बढ़ा (परिशिष्ट सारणी IV.1)। 2001-02 के दौरान लाभप्रदता में 2001-02 की तुलना में गिरावट की प्रवृत्ति दिखायी दी। गैर-निष्पादक आस्तियां मार्च 2001 के अंत के 20.5 प्रतिशत से कम अर्थात् मार्च 2002 के अंत में कुल बकाया ऋणों का 18.5 प्रतिशत थीं। तथापि, जून 2002 के अंत में मांग के 55 प्रतिशत के वसूली निष्पादन जून 2002 के अंत के 62 प्रतिशत की तुलना में घट गया था। सहकारी बैंकों का वसूली निष्पादन 2001-02 के दौरान राज्यों के बीच व्यापक रूप से घटता-बढ़ता रहा (परिशिष्ट सारणी IV.3)।

सारणी IV . 15 : मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2000-01	2001-02 अ	घटबढ़	
			समग्र राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	**10,393**	**11,543**	**1,150**	**11.1**
	(100.0)	**(100.0)**		
i) ब्याज से आय	9,829	10,903	1,074	10.9
	(94.6)	(94.5)		
ii) अन्य आय	565	641	76	13.5
	(5.4)	(5.6)		
ख. व्यय (i+ii+iii)	**10,332**	**11,564**	**1,233**	**11.9**
	(100.0)	**(100.0)**		
i) ब्याज व्यय	6,950	7,685	735	10.6
	(67.3)	(66.5)		
ii) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	1,611	2,057	446	27.7
	(15.6)	(17.8)		
iii) परिचालनगत व्यय	1,770	1,822	52	2.9
	(17.1)	(15.8)		
जिसमें : वेतन बिल	1,369	1,406	37	2.7
	(13.3)	(12.2)		
ग. लाभ				
i) परिचालन-गत लाभ	**1,672**	**2,036**	**363**	**21.7**
ii) निवल लाभ	**62**	**- 21**	**- 83**	**—**
घ. कुल आस्तियां	**96,687**	**1,07,585**	**10,898**	**11.2**

अ. अनंतिम

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित कुल का प्रतिशत अंश दर्शाते हैं।

प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी)

4.59 प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों में 2001-02 के दौरान पायी गयी 20.7 प्रतिशत वृद्धि के काफ़ी विपरीत 2002-03 के दौरान 10.5 प्रतिशत की गिरावट आयी। प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की लाभप्रदता में 2000-01 की तुलना में 2001-02 के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति देखी गयी। गैर-निष्पादक आस्तियों की राशि मार्च 2002 के अंत में कुल बकाया ऋणों का 30.4 प्रतिशत बनी जिसमें मार्च 2000 के अंत के 20.2 प्रतिशत से उछाल आया है। इसी के अनुरूप जून 2002 के अंत में वसूली कार्य गिरकर 60 प्रतिशत से गिर गया था।

ग्रामीण सहकारी बैंकों की स्थिति

4.60 ग्रामीण सहकारी बैंकों की गैर-निष्पादक आस्तियां उच्च बनी रहीं। तथापि उच्चतर टीयरवाले अर्थात् मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता निम्न टीयरवालों अर्थात् राज्य सहकारी बैंकों की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर थी (सारणी IV.16)।

सारणी IV.16 : सकल गैर-निष्पादक आस्तियों की संरचना

(31 मार्च, 2003तक)

(करोड़ रुपये)

आस्ति गुणवत्ता	रासबैं	मसबैं
1	2	3
अवमानक आस्तियां	2,403	6,325
संदिग्ध आस्तियां	1,821	4,245
हानिगत आस्तियां	261	1,268
कुल गैर-निष्पादक आस्तियां	4,485	11,838
बकाया ऋणों के प्रति गैर-निष्पादक आस्तियों का प्रतिशत	13.4	19.7

4.61 अल्पावधि सहकारी ऋण विन्यास के मामले में खराब वसूली निष्पादन चिंता का विषय रहा। अल्पावधि सहकारी ऋण विन्यास के मामले में चुकौती का निष्पादन काफी अच्छा रहा। तथापि, 2001-02 के दौरान अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों ही संस्थाओं के वसूली निष्पादन अनुपात में गिरावट पायी गयी।

4.62 ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थाओं को होनेवाली भारी मात्रा में गैर-निष्पादक आस्तियों से उत्पन्न समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न कदम उठाना प्रारंभ किया गया है। पहले, नाबार्ड ने रिज़र्व बैंक के परामर्श से वाणिज्य बैंकों की गैर निष्पादक आस्तियों संबंधी एक बारगी निपटान योजना के अनुरूप दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दिया है। गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए उच्चतम तारीख 31 मार्च 1998 और राशि का उच्चतम स्तर 5 लाख रुपये निर्धारित है। प्रारंभ में यह योजना 31 मार्च 2002 तक कार्यान्वित की गयी थी और तदनन्तर इसे 30 सितंबर 2002 तक बढ़ाया गया और उक्त योजना के अधीन निपटान 31 दिसंबर 2002 तक पूरे किये जाने थे। दूसरे, केंद्र सरकार और रिज़र्व बैंक के परामर्श से यह निर्णय लिया गया कि कि ऋणकर्ताओं को अपनी बकाया देय राशियों के निपटान के लिए आगे आने का और एक अवसर दिया जाए। अतः व्यक्तिगत उधारकर्त्ताओं के लिए 10 लाख रुपये और उससे कम की और ऋणों और अग्रिमों की सभी श्रेणियों के अंतर्गत संस्थाओं के संदर्भ में 10 करोड़ रुपये और कम की पुरानी गैर-निष्पादक आस्तियों के समझौता निपटान के लिए एक गैर विवेकशील और गैर-पक्षपाती सरल तंत्र उपलब्ध कराते हुए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये गए है। उक्त योजना सितंबर 2003 के अंत तक जारी रहेगी और योजना के अधीन निपटान को मार्च 2004 के अंत तक पूरा किया जाना है। तीसरे, ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थाओं को बिना किसी भेदभाव के उक्त दिशानिर्देशों का समान रूप से पालन करने तथा साथ ही, वसूली गयी राशियां उच्चतर वित्तपोषक संस्थाओं को तत्काल अंतरित करने के अनुदेश दिये गये हैं। यह भी स्पष्ट किया गया कि योजना को कार्यान्वित करने के लिए ऋणदात्री सहकारी संस्थाओं को सरकार, रिज़र्व बैंक या नाबार्ड से वित्तीय समर्थन प्राप्त नहीं होगा अंततः निदेशक मंडल और सहकारी समितियों के पंजीयकों के अनुमोदन से उपर्युक्त उच्चतम स्तर से अधिक राशियों और तारीख की गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए एक बारगी निपटान योजना तैयार करने का विवेक बैंकों को दिया गया है।

4. नाबार्ड और सहकारी क्षेत्र

4.63 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) एक शिखर संस्था है जिसे ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं को अपना संसाधन आधार बढ़ाने के लिए नीतिगत आयोजना के क्षेत्र में और पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करने के संदर्भ में महत्पूर्ण भूमिका सौंपी गयी है। नाबार्ड की प्रभाव क्षमता को सुदृढ़ करने की दृष्टि से तथा अपनी इक्विटी को कारगर ढंग से लाभप्रद बनाने तथा पुनर्वित्त कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए सक्षम बनाने की दृष्टि से भारत सरकार और रिज़र्व बैंक वार्षिक रूप से 1996-07 से क्रमशः 100 करोड़ रुपये और 400 करोड़ रुपये का अंशदान कर रहे हैं। इन अंशदानों से नाबार्ड का मार्च 2002 के अंत में कारगर पूंजी आधार बढ़कर 2000 करोड़ रुपये हो गया। नाबार्ड भी 2000-01 पूंजीगत लाभ करमुक्त बांड जारी करने की अनुमति देता रहा है।

नाबार्ड द्वारा नीतिगत पहल

विकास कार्य योजना (डीएपी)/ समझौता ज्ञापन (एमओयू)

4.64 संस्थागत सुदृढ़िकरण के उपाय के रूप में सहकारी बैंकों द्वारा संस्था विशेष विकास कार्य योजना तैयार करने की व्यवस्था 1994-95 से लागू की गई जो 2002-03 के दौरान जारी रही। तीन वर्षों (2002-03) के लिए आधारस्तरीय समझौता ज्ञापन का दूसरा चरण लागू किया गया। ग्रामीण सहकारी बैंकों ने पहले के अनुभवों के आधार पर नाबार्ड की सूचना पर 1997 से वार्षिक विकास कार्य योजना बनाने की प्रणाली अपनायी है। विकास कार्य योजना में परिकल्पित कारोबारी लक्ष्यों को पूरा करने के प्रति प्रतिबद्धता हासिल करने के लिए सहकारी बैंकों और नाबार्ड के बीच समझौता ज्ञापन निष्पादित किये गये। विकास कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन और समझौता ज्ञापन के प्रतिज्ञापत्रों के अनुपालन की निगरानी राज्य और जिला स्तरों पर स्थापित निगरानी समीक्षा समितियों की यंत्रणा के जरिये रिज़र्व बैंक और नाबार्ड तथा राज्य सरकारी प्रतिनिधियों द्वारा की गयी।

ग्रामीण ऋण पर विशेषज्ञ समिति

4.65 नाबार्ड द्वारा स्थापित ग्रामीण ऋण पर एक विशेषज्ञ समिति (अध्यक्षः प्रो. बी.एस. व्यास) ने अगस्त 2001 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नाबार्ड ने अपनी सिफ़ारिशों के अनुसरण में उससे संबंधित कुछ क्षेत्रों पर कार्रवाई प्रारंभ की है यथा आस्ति विहीन निर्धनों, छोटे कृषकों / किरायेदारों, शुष्क भूमि पर खेती कृषि के उपक्षेत्रों, निजी पूंजी निर्माण और खेती से इतर गतिविधियों का वित्तपोषण करने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने, डीडीएम कार्यालय खोलने और सहकारी ऋण विन्यास को पुनःर्जीवित करने संबंधी सहकारी ऋण प्रणाली के कार्यों के अध्ययन तथा इसे मजबूत बनाने के लिए उपाय सुझाने हेतु (अध्यक्ष सी जगदीश कपूर) गठित कार्य दल द्वारा की गई ।

सहकारी ऋण विन्यास को पुनर्जीवित करना

4.66 भारत सरकार द्वारा सहकारी ऋण विन्यास का अध्ययन करने के लिए स्थापित कपूर समिति ने अपनी जुलाई 2000 में प्रस्तुत रिपोर्ट में सहाकरी ऋण विन्यास को सुदृढ़ बनाने और

पुनर्जीवित करने संबधी विभिन्न उपाय सुझाये हैं। 2001 के दौरान श्री बालासाहेब विखे पाटील की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रीस्तरीय संयुक्त समिति ने उक्त सिफ़ारिशों की, विशेष रूप से भारत सरकार, राज्यों और सहकारी संस्थाओं के बीच पुनर्जीवन सहायता की निधियन व्यवस्था और अंशभागिता स्वरूप से संबंधित, समीक्षा की। इन सिफ़ारिशों के आधार पर नाबार्ड ने अक्तूबर 2002 में भारत सरकार के समक्ष अपनी योजना रखी। उक्त योजना जिसमें सहकारी बैंकों को प्राप्त पुनर्जीवन सहायता को राज्य सरकारों द्वारा किये जानेवाले कतिपय सुधार कार्यों से संबद्ध कराना परिकल्पित है, में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं : -

- मॉडल सहकारी समिति अधिनियम की आवश्यक बातों विशेष रूप से राज्य सरकारों और रिज़र्व बैंक / नाबार्ड द्वारा दोहरे नियंत्रण को हटाने की बात को स्वीकार करना;
- सहकारी ऋण संस्थाओं की स्वायत्तता;
- सनदी लेखाकारों द्वारा राज्य सहकारी बैंक / जिला सहकारी मध्यवर्ती बैंक / राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंकों की लेखा-परीक्षा और प्राकृऋण समितियों को इस बात में स्वतंत्रता;
- प्रबंधन का व्यावसायीकरण;
- पारदर्शी मानव संसाधन विकास नीतियां अपनाना;
- प्राकृऋ समितियों के सचिवों की सामान्य संवर्ग समाप्त करना।

नाबार्ड के संसाधन

4.67 गा.बु.सु.वि.निधि जमाराशियों सहित नाबार्ड के संसाधनों के प्रवाह 2002-03 के दौरान 7.9 प्रतिशत घट गये (सारणी IV.17)। बांडों और डिबेंचरों के निर्गमों के जरिये बाजार उधार 2002-03 में काफ़ी बढ़े। ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि के अंतर्गत अत्याधिक वृद्धि हुई ।

4.68 रिज़र्व बैंक दो सामान्य ऋण (जीएलसी-I और जीएलसी-II) के अधीन भी निधियां उपलब्ध कराते हुए ग्रामीण क्षेत्र को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने में नाबार्ड की सहायता करता रहा है। मार्च 2002-03 के अंत में ये सीमाएं आवधिक रूप से बढ़ा दी गयी हैं जीएलसी-I और जीएलसी-II के तहत मंजूर सीमाएं क्रमशः 5650 करोड़ रुपये और 850 करोड़ रुपये थीं।

ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि

4.69 1995-96 में ग्रा.बु.सु.वि. निधि - I प्रारंभ में 2000 करोड़ रुपये की कुल राशि के साथ स्थापित की गयी थी, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य सरकारों को सिंचाई, बाढ़ से बचाव, ग्रामीण सड़कों और पुलों से संबंधित मूलभूत सुविधा परियोजनाओं को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए निधियां उपलब्ध कराना था। ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि की कुल राशि में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य के अधीन उनके कृषि को उधार में होनेवाली कमी की मात्रा तक निवल बैंक ऋण के अधिकतम 1.5 प्रतिशत की शर्त पर अनुसूचित वाणिज्य

सारणी IV.17: नाबार्ड के संसाधनों में निवल वृद्धि (अप्रैल-मार्च)

(करोड़ रुपये)

संसाधन का प्रकार	2001-02	2002-03 अ
14	2	3
पूंजी	0	0
प्रारक्षित निधियां तथा अधिशेष	655	693
राग्रा गय (वीप्र) निधि	531	222
राग्रा गय (स्थिरीकरण) निधि	6	222
जमाराशियां	-252	-21
बांड और डिबेंचर	2,465	2,624
केंद्र सरकार से उधार	-65	-243
रिज़र्व बैंक से उधार	-100	-708
विदेशी मुद्रा ऋण	9	51
अन्य उधार	—	—
गाबुसुविनि जमाराशिया*	2,474	2,434
अन्य देयताएं	451	444
अन्य निधियां	111	67
जोड़	**6,283**	**5,786**

(अ) अंनतिम * बैंकों से जुटायी गयी गाबुसुविनि जमाराशियां
स्रोत : नाबार्ड

सारणी IV.18 : आरआइडीएफ के अधीन जुटायी गयी जमाराशियां

(करोड़ रुपये)

वर्ष	आरआइडीएफ-I	आरआइडीएफ-II	आरआइडीएफ-III	आरआइडीएफ-IV	आरआइडीएफ-V	आरआइडीएफ-VI	आरआइडीएफ-VII	आरआइडीएफ-VIII	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1995-96	350	—	—	—	—	—	—	—	350
1996-97	842	200	—	—	—	—	—	—	1,042
1997-98	188	670	149	—	—	—	—	—	1,007
1998-99	140	500	498	200	—	—	—	—	1,338
1999-2000	67	539	797	605	300	—	—	—	2,307
2000-01	—	161	412	440	850	790	—	—	2,654
2001-02	—	155	264	—	689	988	1,495	—	3,591
2002-03	—	—	188	168	541	817	731	1,413	3,857
कुल	**1,587**	**2,225**	**2,308**	**1,413**	**2,380**	**2,594**	**2,226**	**1,413**	**16,145**

स्रोत : नाबार्ड

बैंकों द्वारा अंशदान किया जाता है। ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि - II से ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि - VIII बाद के वर्षों में 2002-03 तक स्थापित किये गये। सरकार ने ग्रा.बु. सु.वि.नि.-IX के अधीन 5,500 करोड़ रुपये की कुल राशि घोषित की है (सारणी IV.18 और 19)।

4.70 ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि ऋणों पर ब्याज दरें 1995-96 के 13.0 प्रतिशत से धीरे-धीरे घटाकर 2000-01 में 11.5 प्रतिशत कर दी गयीं और बाद में केंद्रीय बजट 2002-03 की घोषणा के अनुसार प्रकार से और घटाकर 8.5 प्रतिशत कर दी गयीं।

4.71 ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि की व्याप्ति क्रमिक रूप से बढ़ा दी गयी और इसमें ग्राम पंचायत, स्वयं सहायता समूहों और अन्य पात्र संगठनों को ग्राम स्तरीय मूलभूत सुविधा परियोजनाएं कार्यान्वित करने के लिए ऋण प्रदान करने की अनुमति दी गयी। साथ ही, ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि ऋणों की पात्र परियोजनाओं का क्षेत्र इनमें नवोन्मेषी परियोजनाएं शामिल करते हुए व्यापक बनाया गया जैसे सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं और नए कार्यकलाप जैसे कि बिजली क्षेत्र के अधीन प्रणाली सुधार और मिनी जल-विद्युत निर्माण, प्राथमिक / माध्यमिक स्कूल भवन और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और वर्षा जल संरक्षण विनिर्माण आदि।

4.72 केंद्रीय बजट 2002-03 में घोषणा की गयी कि ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि को राज्य सरकारों द्वारा चलाये जानेवाले सुधार कार्यक्रमों से संबद्ध किया जायेगा। तदनुसार, ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि - VIII की 5500 करोड़ रुपये की कुल राशि में से 1,100 करोड़ रुपये राज्य सरकारों को कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में किए गए सुधारों / किए जानेवाले सुधारों से संबद्ध ऋणों के लिए आबंटित किये जाने थे। 60 प्रतिशत अथवा अधिक की सुधार दर

सारणी IV.19 : ग्राबुसुवि निधि के अंतर्गत मंजूर एवं संवितरित ऋण

(31 मार्च, 2003को)

(करोड़ रुपये)

ग्राबुसुवि निधि	वर्ष	कार्पस	मंजूर ऋण	वितरित ऋण	मंजूर ऋणों के प्रतिशत के रूप मे वितरित ऋण
1	2	3	4	5	6
I	1995	2,000	1,910.5	1,760.9	92.2
II	1996	2,500	2,627.8	2,373.7	90.3
III	1997	2,500	2,707.8	2,377.0	87.8
IV	1998	3,000	2,976.5	2,160.8	72.6
V	1999	3,500	3,532.5	2,502.2	70.8
VI	2000	4,500	4,579.3	2,788.4	60.9
VII	2001	5,000	5,056.8	2,055.7	40.6
VIII	2002	5,500	6,084.1	1,126.4	18.5
IX	2003	5,500	—	—	—
जोड़		**34,000**	**29,475.3**	**17,145.1**	**58.2**

स्रोत : नाबार्ड

प्राप्त करनेवाले राज्यों को पूर्ण आबंटन मंजूर किया गया और 35 से 60 प्रतिशत के बीच की रेटिंगवाले राज्यों, को 50 प्रतिशत सुधार-संबद्ध आबंटन मंजूर किया गया, जबकि 60 प्रतिशत से अधिक की रेटिंगवाले राज्य सुधार-संबद्ध आबंटनों की न की गयी राशि के लिए आबंटन के पात्र थे। पंद्रह राज्य, अर्थात् आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने 60 प्रतिशत की रेटिंग हासिल की और पूर्ण आबंटन प्राप्त किया। अन्य पांच राज्यों ने अपने गैर-सुधार संबद्ध आबंटन प्राप्त किये। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आठ राज्यों को संबंद्धता से छूट दी गयी।

4.73 मार्च 2003 के अंत में कुल संवितरणों का 74 प्रतिशत अंश नौ राज्यों का था (चार्ट IV.3) तथापि, मंजूरियों और संवितरणों में बड़ी खाई बनी रही (चार्ट IV.4) सभी ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधियों को मिलाकर देखने से आंध्र प्रदेश ने संवितरणों सबसे बड़ा अंश प्राप्त किया, इसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक का स्थान था।

4.74 मंजूरी की तुलना में संवितरणों के अनुपात के राज्यवार विश्लेषण से पता चलता है कि 80.5 प्रतिशत पर सिक्कीम सर्वोच्य स्थान पर था, इसके बाद मिज़ोरम, पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान था।

4.75 ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि के अधीन सिंचाई योजनाओं, बाढ़ से बचाव, वाटरशेड प्रबंधन, ग्रामीण सड़कों और पुलों आदि के विनिर्माण आदि जैसी विभिन्न प्रकार के ग्रामीण मूलभूत सुविधा निवेशों के लिए ऋण दिये जाते हैं। ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि योजनाओं के अधीन मंजूर कुल राशि में से करीब 50 प्रतिशत अंश ग्रामीण सड़क और पुलों के विनिर्माण का था और 34 प्रतिशत अंश सिंचाई परियोजनाओं का था।

चार्ट IV.3: मार्च 2003 के अंत में ग्राबुसुविनि निधियों के वितरण में राज्यों का प्रतिशत अंश

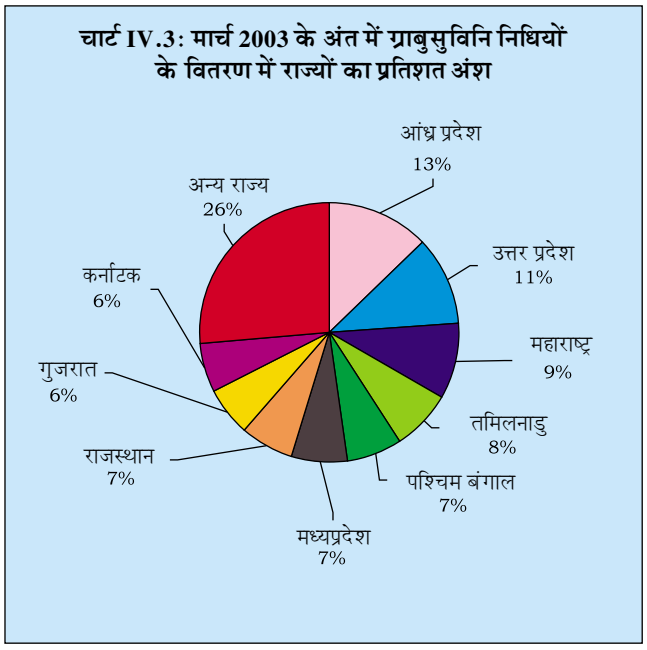

4.76 ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधियों की खपत मंजूरियों की तुलना में कम रही है जो बजट समर्थन का अभाव (जहां गाबुसुविनि से आंशिक निधियन परिकल्पित है), निधियों के आहरण के लिए औपचारिकताएं पूरी करने में विलंब और सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में प्रारंभिक कार्य पूरा करने में विलम्ब (जहां भूमि अधिग्रहण और वन पर्यावरण संबंधी अनापत्ति तथा निविदा संबंधी प्रक्रियाएं अपेक्षित है)

नाबार्ड से ऋण

4.77 नाबार्ड द्वारा 2002-03 के दौरान राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राज्य सरकारों को दिये जानेवाले बकाया ऋण में गिरावट आयी जिसका कारण मुख्य रूप से राज्य सरकारों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दिये जानेवाले बकाया ऋणों में गिरावट के कारण आना था (सारणी IV.20)। वर्ष के दौरान राज्य सहकारी बैंकों को अधिक ऋण देते हुए इसे आंशिक रुप से समंजित किया गया। बकाया पुनर्वित्त का प्रमुख भाग अल्पावधि प्रयोजनों के लिए था। मौसमी कृषि कार्यों ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मंजूर 1,409 करोड़ रुपयों की ऋण सीमा का अधिकांश भाग लिया था। नाबार्ड ने 12 राज्य सरकारों को सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पूंजी में अंशदान के लिए दीर्घावधि ऋण मंजूर किये। नाबार्ड केमीयादी ऋण के अंतिम

चार्ट IV.4 : ग्राबुसुविनि कार्पस, ऋण मंजूर और वितरित मार्च 2003 के अंत में

सारणी IV.20 : राज्य सहकारी बैंकों, राज्य सरकार और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड का ऋण

(करोड़ रुपये)

श्रेणी	2001-02*(जुलाई-जून)				2002-03* (जुलाई-मार्च)			
	सीमा	आहरण	चुकौतिया	बकाया	सीमा	आहरण	चुकौतिया	बकाया
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. राज्य सहकारी बैंक								
क. अल्पावधि	7,319	9,151	9,073	4,910	7,358	5,450	5,175	5,185
ख. मध्यावधि	854	307	162	443	493	18	106	356
जोड़ (क+ख)	**8,173**	**9,459**	**9,235**	**5,353**	**7,851**	**5,468**	**5,281**	**5,540**
2. राज्य सरकारें								
दिर्घावधि	63	50	59	487	61	28	74	441
3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक								
क. अल्पावधि	1,381	1,257	1,246	1,201	1,406	858	1,190	869
ख. मध्यावधि	16	9	16	34	3	0.3	10	24
जोड़ (क+ख)	**1,397**	**1,266**	**1,262**	**1,235**	**1,409**	**858**	**1,200**	**893**
4. सकल जोड़ (1+2+3)	**9,633**	**10,775**	**10,557**	**7,075**	**9,321**	**6,354**	**6,554**	**6,875**

* आंकड़े अनंतिम हैं
स्रोत : नाबार्ड

लाभान्वितियों को दी जानेवाली पुनर्वित्त और ऋण का ब्याज दर विन्यास वर्ष के दौरान एक ही स्थिति में बना रहा (सारणी IV.21)।

5. व्यष्टि ऋण के निर्गम

4.78 विकास और गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य पूरा करने में अधिक उपयुक्त और व्यवहार्य विकल्प के रूप में व्यष्टि ऋण की भूमिका अब अच्छी तरह से स्वीकार कर ली गयी है। व्यष्टि वित्त में सहभागिता दृष्टिकोण के जरिये स्व-विकास की मूलभूत लोकतांत्रिक विशेषता समाविष्ट है। भारत में स्व-सहायता समूह के जरिये व्यष्टि-वित्त के प्रयोग ने पर्याप्त लोकतांत्रिक कार्यपद्धति और समूह गत्यात्मकता प्रदर्शित की है। उनकी सदस्यों की ऋण जरूरतों के निर्धारण और मूल्यांकन करने की निपुणता, उनके कारोबारी स्वरूप कार्यों और निधियों को पुनर्निवेशित अधिकांशतः, लगभग शत प्रतिशत दरों पर चुकौती के साथ करने की दक्षता ने प्रमाणित कर दिखाया है कि निर्धनों को ऋण देने के कार्य में सुधार लाने के लिए यह सर्वोत्तम विकल्प है। उनके महत्त्व को स्वीकार करते हुए रिज़र्व बैंक और नाबार्ड दोनों ही ने

सारणी IV.21 : मीयादी ऋण के लिए नाबार्ड की ब्याज दर संरचना

(प्रतिशत वार्षिक)

सीमा का आकार	अंतिम लाभान्वित को ब्याज दर			पुनर्वित्त पर ब्याज दर		
	वाणिज्यिक बैंक	क्षे.ग्रा. बैंक	राज्य स.बैंक /रासकृ ग्रा.वि.बैंक	वाणिज्यिक बैंक	क्षे.ग्रा. बैंक अनु.वा. बैंक/ रासकृ ग्रा.वि. बैंक	रासबैं / रा भु.वि बैंक
1	2	3	4	5	6	7
25000 रुपये तक *लाभानिवतियों को दी जानेवाली ब्याज दर का निर्धारण 25000 रुपयों से अधिक और 2की शर्त पर निर्धारित किये जाने हैं।				6.75	6.75	6.75
लाख रुपये तक				7.75	7.75	7.75
2 लाख रुपयों से अधिक* #				8.50	8.50	8.50

* लघु सिंचाई, भूमि विकास, शुष्क भूमि पर खेती, स्वर्णजयंती ग्राम स्वस्वयं सहायता समूह और बजट भूमि विकास के लिए 6.75 प्रतिशत
# शीत भंडारण / ग्रामीण गोदामों / खेती मशीनीकरण / कृषि कारोबार केंद्रों के लिए 7.75 प्रतिशत, कृषि निर्यात जोन के लिए 26 नवंबर 2002 को 6.75 प्रतिशत, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, सिक्कीम, अंदमान और निकाबार द्वीप समूह के लिए 6.75 प्रतिशत
स्रोत : नाबार्ड

स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा देने और पुनर्वित्त सहायता समर्थन के जरिये और अन्य सकारात्मक नीतियां और प्रणालियां प्रारंभ करते हुए बैंकिंग प्रणाली से संबद्ध करने पर बल दे रहे हैं। स्व-सहायता समूहों को बैंकों के साथ ऋण संबद्धता के तीन माडल हैं; अर्थात्,

- बैंकों द्वारा बनाये गये और वित्तपोषित स्व-सहायता समूह
- बैंकों, गैर-सरकारी संगठनों से इतर अन्य औपचारिक एजेंसियों द्वारा और अन्यों द्वारा बनाये गये परंतु बैंकों द्वारा सीधे वित्तपोषित स्व-सहायता समूह
- बैंकों द्वारा गैर-सरकारी संगठनों और अन्य एजेंसियों को वित्तीय मध्यस्थों के रूप में उपयोग में लाते हुए वित्त पोषित स्व-सहायता समूह

4.79 अधिकांश व्यष्टि ऋण संस्थाओं की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भूमिका को किये गये कुछ मामला अध्ययनों में स्पष्ट किया गया है (बॉक्स IV.4)।

व्यष्टि-वित्त की प्रगति

4.80 व्यष्टि-वित्त के कार्यक्रम ने भारत में तेज़ी से विस्तार किया है। देश भर में आधे दर्जन बैंकों के साथ लगभग 500 स्व-सहायता समूहों को संबद्ध करने की छोटी प्रायोगिक परियोजना के साथ 1002 में प्रारंभ किया गया यह कार्यक्रम 31 मार्च 2003 को इतना बढ़ गया है कि इसमें 2000 करोड़ रुपयों से अधिक के ऋण संविभाग के साथ 500 से अधिक बैंकों के 31000 ग्रामीण आउटलेट थे (सारणी IV.22)। इस कार्यक्रम से औपचारिक बैंकिंग प्रणाली 7.17 लाख स्व-सहायता समूहों के जरिये 116 लाख अत्यंत निर्धन घरेलू व्यक्तियों के घर तक बैंकिंग प्रणाली पहुंचायी जा सकी।

बॉक्स IV.4 : व्यष्टि वित्त माडल का मामला अध्ययन : स्वयं कृषि संगम और प्रथमा बैंक

स्वयं कृषि संगम (एसकेएस) और प्रथमा बैंक माडल स्व-सहायता समूह के सफल माडल के दो अच्छे उदाहरण है। जहां एसकेएस माडल बैंकों से इतर एक औपचारिक एजेंसी द्वारा बनाये गये परंतु बैंकों द्वारा सीधे वित्तपोषित स्व-सहायता समूह का द्योतक है; वहीं दूसरी ओर प्रथम माडल बैंकों द्वारा बनाये गये और वित्तपोषित स्व-सहायता समूह का नमूना है। स्व-कृषि संगम (एसकेएस) आंध्र प्रदेश में व्यष्टि वित्त अभियान की व्याप्ति की एक प्रेरक शक्ति के रूप में उभरा है। प्रथमा बैंक पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होने से उत्तर प्रदेश राज्य में इस क्षेत्र में दीर्घ प्रतिष्ठित अनुभव रखता है।

स्व सहायता समूह के लिए एक केएस और प्रथमा बैंक माडल में ग्रामीण निर्धन महिलाओं को लक्ष्य बनाया गया है जिसमें एसकेएस में विशेष रूप से सूखा प्रवण क्षेत्र पर ध्यान दिया जाता है। एस के एस कें अधीन समूह निर्माण के लिए अपनायी गयी पद्धति में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं : क) निर्धनता स्तरों, मुख्य आर्थिक गतिविधियों और भूमि के प्रकार के आधार पर गांवों का चयन ; और ख) जागरूकता पैदा करने के लिए परियोजना बैंठकें आयोजित करना। 5 सदस्यों के साथ एक समूह बनाया जाता है और आठ ऐसे समूह बनाये जाने पर एक संगम बनता है। दूसरी ओर प्रथमा बैंक विकास स्वयंसेवक वाहिनी की विशेषज्ञता पर निर्भर रहता है - ऐसे स्वयंसेवियों जिन्हें स्थानीय लोग पसंद करते हैं और लोगों का सद्भाव है और जो ग्रामों के लिए बैंक के औपचारिक दूत का कार्य करते हैं, का क्लब । बैंकों द्वारा विकास स्वयंसेवक वाहिनीयों की सहायता से लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए ग्राम सभाएं आयोजित की जाती है।

एसकेएस और प्रथम बैंक माडल स्व सहायता समूहों के संवर्द्धन में टेक्नालॉजी और नवोन्मेष लाते है। एसकेएस खपत और आय निर्माण गतिविधियों दोनों के लिए निर्दिष्ट विभिन्न प्रकार की बचतों और ऋण प्रदान करते है और वे स्मार्ट कार्ड तथा पाम पाइलट (इलेक्ट्रानिक पासबुक) के प्रणेता रहे हैं । इसने पूर्णतः स्वचालित और समेकित आंतरिक प्रबंध सूचना प्रणाली विकसित की है जिससे उसकी सभी शाखाओं में वर्चुअल (सत्याभासी)वास्तविक समय में संविभाग क्लाइंट और स्टाफ सूचना पाना संभव है। उसने नकदी प्रबंधन की निगरानी, लक्ष्यों तथा परियोजना परिचालन विकास की तुलना में वित्तीय निष्पादन का पता लगाने क लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आधारित वित्तीय माडल विकसित किये हैं। ये नयी पहले लेनदेन की लागत कर करने, उत्पादकता बढ़ाने, भूल और धोखाधड़ी की संभावना घटाने और प्रबंधन सूचना प्रणाली की सटीकता और समयपरकता में सुधार में सहायक सिद्ध हुए हैं।

प्रथमा बैंक ने भी कई पहलें की हैं यथा एक केवल महिला विकास कक्ष, व्यष्टि ऋण नवोन्मेष कक्ष स्थापित करना, स्व सहायता समूह सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए ग्रामीण उद्यमता विकास कार्यक्रम शुरू करना, हर गांव में एक स्व सहायता समूह प्राथमिक स्कूल प्रारंभ करना, प्रथमा स्वच्छता सैनिटेशन योजना और गैस (एलपीजी) कनेक्शन योजना जैसी नवीन योजनाएं चालू करना।

अल्प समय में इन दोनों ने बेहतर दायरा और व्याप्ति दर्ज किया है। जून 2003 के अंत में एसकेएस के दायरे और नेटवर्क में 524 ग्राम कें द्रो में 17,058 ग्राहकों को सेवा प्रदान करते हुए 7 शाखाएं बना लीं । राजकोषीय वर्ष 2003 के अंत में 4.9 करोड़ रुपयों के बकाया ऋण संविभाग और 36 लाख रुपयों के बचत संविभाग के साथ उसने 99 प्रतिशत की चुकौती दर बनाये रखते हुए वार्षिक लक्ष्य प्राप्त किया हैं। उसके 85 प्रतिशत से अधिक ग्राहक समाज के उपक्षित सदस्य हैं। वर्ष 1999 में 0.02 करोड़ रुपये के कुल बकाया ऋण चार वर्षों के भीतर बढ़कर 2002-03 में 5.12 करोड़ रुपये हो गये हैं। प्रथमा बैंक के मामले में मार्च 2003 के अंत में 65,000 सदस्यों के साथ 4500 स्व सहायता समूह 12.6 करोड़ रुपये की राशि के साथ ऋण संबद्ध समूह के रूप में थे जो डेरी, खुदरा दुकान, जरी कार्य और अन्य संबद्ध गतिविधियों सहित विभिन्न आय अर्जित करनेवाली गतिविधियों के लिए वितरित की गयी थी।

हालांकि, हाल के वर्षों में 100 रुपये के बकाया ऋण प्रबंधन का प्रशासन व्यय दोनों ही मामलों में कम हो गया था फिर भी समीक्षाधीन मामला अध्ययनयुक्त लागत लाभ विश्लेषण में विभिन्न (डाइवर्जेंट) प्रवृत्तियों का पता चलता है। जहां एसकेएस के मामले में 100 रुपये के बकाया ऋण पर ब्याज अर्जन बढ़ा था, तथापि, वह प्रथमा बैंक के मामले में कम हो गया था। साथ ही, आय व्यय के बीच अंतर एसकेएस के मामले में व्यापक हो गया, वहीं प्रथमा बैंक ने इन वर्षों में निरंतर रूप से अधिशेष आय दर्ज की। जहां एसकेएस विदेशी दानराशियों पर निर्भर रहता है वहीं प्रथमा बैंक की उधारों के रूप में बाहरी एजेंसियों पर निर्भरता काफी न्यून थी।

सारणी IV.22 : स्व-सहायता समूह बैंक संबद्धता : संचयी प्रगति

(राशि करोड़ रुपयों में)

31 मार्च को	वित्तपोषित स्व स समूहों की संख्या	संवितरित बैंक ऋण
1	2	3
1999	32,995	57.07
2000	1,14,775	192.98
2001	2,63,825	480.87
2002	4,61,478	1,026.34
2003	7,17,360	2,048.67

स्रोतः नाबार्ड

4.81 वर्ष के दौरान स्व-सहायता समूहों की संख्या में हुई उल्लेखनीय वृद्धि 504 बैंकों, 2800 गैर-सरकारी संगठनों और विभिन्न राज्य सरकारों के विकास विभागों सहित अन्य कई एजेंसियों के सक्रिय योगदान से संभव हो पायी है। ऋण संबद्धता कार्यक्रम में 30 राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के 523 जिले शामिल थे। उल्लेखनीय बात थी- कार्यक्रम में महिलाओं की सहभागिता जो कुल स्व-सहायता समूहों का 90 प्रतिशत थी और स्व-सहायता समूहों का चुकौती निष्पादन 95 प्रतिशत से अधिक था।

4.82 नाबार्ड गैर-सरकारी संगठनों को संवर्द्धनात्मक अनुदान समर्थन तथा अच्छी गुणवत्तावाले स्व-सहायता समूह बनाने तथा उसके संवर्द्धन के लिए विभिन्न सहभागियों में अपार क्षमता निर्माण विकसित करने दोनों ही में उत्प्रेरक की भूमिका निभाता रहा है। स्व-सहायता समूहों के संवर्द्धन और संबद्धता के लिए मंजूर संचयी अनुदान समर्थन राशि 31 मार्च 2003 को कुल 10.4 करोड़ रुपये थी जिसमें 564 गैर सरकारी संगठन और 78011 स्वयं-सहायता समूह शामिल थे। तथापि, जारी अनुदान की 4.5 करोड़ रुपयों की राशि स्वीकृत अनुदान की 43.2 प्रतिशत थी, जिसके परिणामस्वरूप 51945 स्व-सहायता समूहों का संवर्द्धन हुआ जिसमें से 26,229 स्व-सहायता समूह ऋण संबद्धतावाले थे। नाबार्ड कृषक क्लबों और स्वतंत्र स्वयंसेवकों को स्व-सहायता संवर्द्धक संस्थाओं के रूप में काम करने के लिए भी समर्थन देता रहा है। वह गैर-सरकारी संगठनों को आवर्ती निधि भी उपलब्ध कराता है।

4.83 इस प्रकार, व्यष्टि-वित्त कार्यक्रम ने व्याप्ति और सीमा दोनों ही संदर्भों में उल्लेखनीय प्रगति की है। तथापि, ऐसे कुछ चिंता के विषय हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

- स्व-सहायता समूह आंदोलन में निर्धन परिवारों की व्याप्ति में अभी गति प्राप्त होनी बाकी है। 31 मार्च 2003 तक 520 लाख निर्धन परिवारों (260 मिलियन निर्धन) में से 11.6 मिलियन परिवारों (58 मिलियन निर्धनों) या निर्धन परिवारों का 22.3 प्रतिशत को इसमें शामिल किया गया।
- चिंता का अन्य प्रमुख क्षेत्र व्यष्टि-वित्त का असमान विकास है। 31 मार्च 2003 को कुल स्व-सहायता समूहों संबद्ध ऋण में से आंध्र प्रदेश का अंश 39 प्रतिशत था, इसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का स्थान था। कुल स्व-सहायता समूह संबद्ध ऋण का 69 प्रतिशत अंश इन चार राज्यों का था और यह 31 मार्च 2003 को बैंक ऋण का चार बटा पांच भाग था (चार्ट IV.5)।

चार्ट IV.5: 31 मार्च 2003 को संबद्ध स्व-सहायता समूहों की संचर्या संख्या में राज्यों का अंश

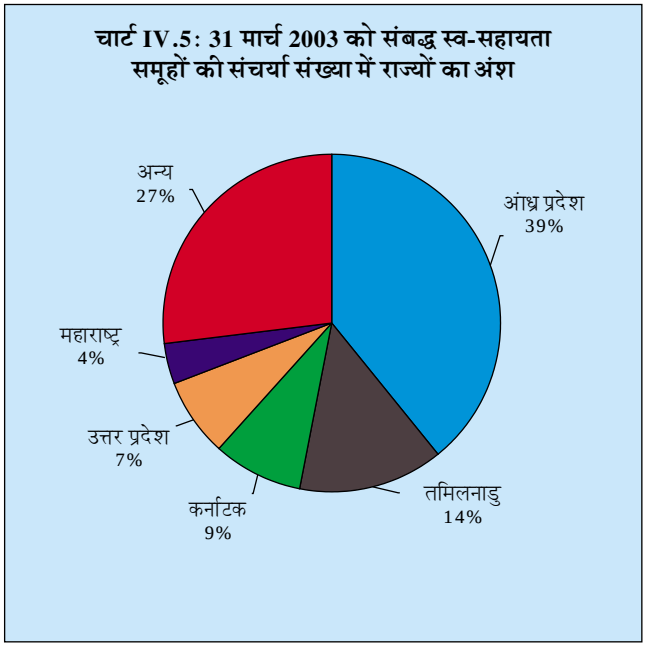

अध्याय V

वित्तीय संस्थाएं

5.1 सतत वित्तीय सुधारों और उभरती स्पर्धी वित्तीय प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय संस्थाएं महत्त्वपूर्ण परिवर्तन की प्रक्रिया में है। वित्तीय संस्थाएं तब स्थापित की गई थीं जब पूँजी बाजार अपेक्षाकृत अल्पविकसित थे और अर्थव्यवस्था की दीर्घावधि वित्तीय आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करने में सक्षम नहीं थे। दीर्घावधि निधियों के लिए बाजारों को विस्तृत और गहन करने के साथ वित्तीय संस्थाओं से कम दरों पर ऋण देना और जारी रखने का औचित्य बहुत अधिक कमजोर हो गया है क्योंकि सरकार द्वारा रियायती वित्त को जारी रखना ना तो वहनीय और न ही वांछनीय लगता है। यह वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के अनुरूप है तथा इसमें दक्षता और स्थिरता के निर्धारण पर जोर दिया गया है। वित्तीय संस्थाओं के लिए वित्त के रियायती स्रोत को समाप्त किए जाने और वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों के बीच अंतर क्षीण होने से वित्तीय संस्थाओं को न केवल बाजार आधारित दरों पर संसाधन जुटाने होंगे, बल्कि आस्ति तथा देयता दोनों पक्ष पर एक स्पर्धात्मक परिवेश से जूझना होगा। इसके अलावा, हाल के वर्षों में वित्तीय प्रणाली में संरचनात्मक परिवर्तन तथा औद्योगिक मंदी ने वित्तीय संस्थाओं के व्यापार तथा लाभप्रदता की मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इस परिवर्तित वातावरण को देखते हुए वित्तीय संस्थाएं ग्राहकों,गतिविधियों तथा उत्पादों के संदर्भ में अपने व्यापार (कारोबार) को व्यवस्थित करने तथा उसमें विविधता लाने करने की प्रक्रिया में हैं।

5.2 भारत में वित्तीय संस्था के क्षेत्र में मीयादी उधारदात्री संस्थाएं निवेश संस्थाएं, विशेषीकृत वित्तीय संस्थाएं तथा पुनर्वित्त संस्थाएं जैसी विभिन्न प्रकार की संस्थाएं आती हैं। इनमें से नौ वित्तीय संस्थाएं अर्थात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आइडीबीआइ), आइएफसीआइ लि., भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक (आइआइबीआइ), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक), भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि. (टीएफसीआइ), बुनियादी सुविधा विकास वित्त कंपनी लि. (आइडीएफसी), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), रिज़र्व बैंक के विनियामक और पर्यवेक्षण संबंधी अधिकार क्षेत्र में आते हैं (चार्ट V.1)। अतः इस अध्याय में वित्तीय संस्थाओं की नीतिगत गतिविधियों तथा निष्पादन की समीक्षा में मुख्यतः उपर्युक्त नौ वित्तीय संस्थाओं पर ध्यान दिया गया है। जहाँ कहीं भी आवश्यक हुआ है अन्य वित्तीय संस्थाओं का भी विशेष उल्लेख किया गया है।

5.3 1996-2000 के दौरान वित्तीय संस्थाओं[1] द्वारा स्वीकृत तथा संवितरित वित्तीय सहायता की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के विपरीत 2001-2002 के दौरान दर्ज की गयी तीव्र गिरावट कमी वर्ष 2002-03 में जारी रहीं। नयी परियोजनाओं के लिए मांग की कमी, औद्योगिक उत्पादों के लिए बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए उपयोग न की गयी क्षमताओं

चार्ट V.1 : वित्तीय संस्थाओं का विनियामक ढाँचा

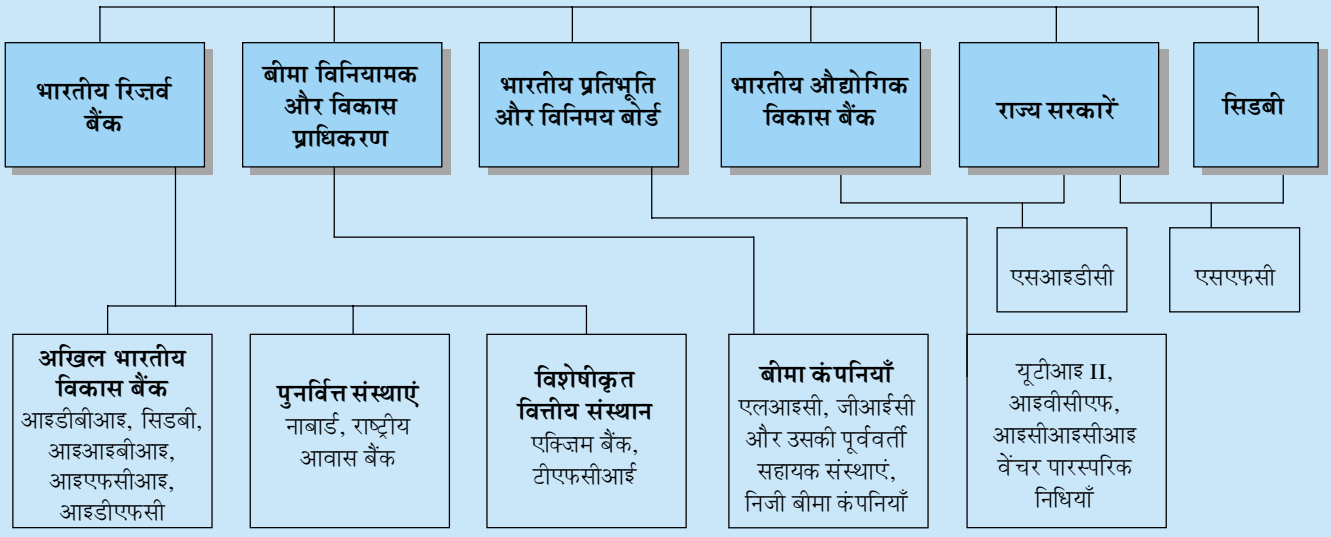

[1] अखिल भारतीय विकास बैंक, विशेषीकृत वित्तीय संस्थाएं, निवेश संस्थाएं और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं शामिल है । शामिल वित्तीय संस्थांओं के नामों के लिए परिशिष्ट सारणी V.1 देखें।

के वास्तविक समापन, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदत्त न्यून (कम) दरों से स्पर्धा, परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब आदि सभी ने चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता में पर्याप्त गिरावट में योगदान दिया। तथापि, 30 मार्च 2002 को आइसीआइसीआइ का आइसीआइसीआइ बैंक में विलय के कारण भी आंशिक गिरावट आयी । इसके अलावा, सेवा क्षेत्र की वृद्धि में हाल की तेजी परियोजना वित्त के लिए समतुल्य मांग उत्पन्न नहीं कर सकी क्योंकि कई सेवा उद्योग मानव पूंजी बहुल तथा उन्हें सीमित दीर्घावधि वित्त की आवश्यकता होती है।

5.4 2002-2003 के दौरान समूह के रूप में वित्तीय संस्थाओं के वित्तीय निष्पादन ने पिछले वर्षों की तुलना में और अधिक गिरावट दर्शायी है। ऐसा कीमत लागत अंतर और ब्याजेतर आय में कमी तथा आइएफसीआई, आइआइबीआइ की संचित होती हुई उच्च गैर-निष्पादक आस्तियों (एनपीए) और उनसे संबंधित प्रावधानीकरण के फलस्वरूप उनकी कम होती हुई लाभप्रदता एवं पूंजी में ह्रास के साथ-साथ अन्य व्ययों में वृद्धि के कारण हुआ। तथापि, यदि इन दो संस्थानों को शामिल न किया जाये तो सभी वित्तीय संस्थाओं ने धनात्मक परिचालनीय तथा निवल लाभ पिछले वर्ष की तरह दर्ज किये हैं। कई वित्तीय संस्थानों में गैर-निष्पादक आस्तियों में वृद्धि आर्थिक सुधार की धीमी गति और क्षेत्रीय अवरोधों के कारण हुई।

2. वित्तीय संस्थाओं के लिए नीतिगत पहलें

5.5 हाल के वर्षों में चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए रिज़र्व बैंक की नीतिगत पहलों का प्रमुख जोर उनकी स्थिरता तथा कार्यक्षमता बढ़ाने के दोहरे उद्देश्यों पर रहा है। इसप्रकार वित्तीय संस्थाओं के विवेकपूर्ण विनियामक और पर्यवेक्षी ढाँचों को सुदृढ़ करने तथा लेखांकन और लेखा-परीक्षण के मानकों में सुधार करने, पारदर्शिता बढ़ाने और उनकी प्रौद्योगिकीय बुनियादी सुविधा का विकास करने तथा साथ ही उनके परिचालनों में लचीलापन लाने पर जोर दिया गया।

विवेकसम्मत मानदण्ड

पूँजी पर्याप्तता

5.6 20 फरवरी 2002 से वित्तीय संस्थाओं को उधार देनेवाली अन्य संस्थाओं के पक्ष में बुनियादी सुविधा परियोजनाओं के संबंध में गारंटियाँ देने के लिए अनुमति दी गई थी बशर्ते गारंटी जारी करनेवाला बैंक बुनियादी सुविधा परियोजना में परियोजना लागत का कम से कम 5 प्रतिशत तक निधीयित हिस्सा ले और परियोजना का सामान्य ऋण मूल्यांकन, निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई करे। इस परिप्रेक्ष्य में किसी वित्तीय संस्था द्वारा पूँजी में वित्तीय संस्था की जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी के अनुपात के अभिकलन के लिए पूंजी में किसी बैंक की गारंटी पर ऋण प्रदान करने के प्रयोजन से जोखिम भार 8 अगस्त 2002 को निर्धारित किया गया। तदनुसार, 20 प्रतिशत का जोखिम भार ऋण के उस भाग पर लगाया जायेगा जिसपर बैंक की गारंटी प्राप्त है और ऋण की शेष राशि पर 100 प्रतिशत जोखिम भार होगा। अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के अनुरूप वित्तीय संस्थाओं द्वारा व्यक्तियों को रिहायशी आवास संपत्तियों के बंधक पर दिये जानेवाले आवास ऋण 31 अगस्त 2002 से संशोधित किये गये। सारणी V.1 में ब्यौरों को प्रस्तुत किया गया है ।

सारणी V.1 : बैंक गारंटी पर आवास ऋण, बंधक समर्थित प्रतिभूतियों और ऋणों के लिए जोखिम भार

(प्रतिशत)

	श्रेणियाँ	पुराना जोखिम भार	31 अगस्त 2002 से नया जोखिम भार
	1	2	3
1.	रिहायशी आवास संपत्तियों के बंधक पर व्यक्तियों को आवास ऋण	100	50
2.	वाणिज्यिक भू संपदा (रीयल इस्टेट) की जमानत पर ऋण	100	100
3.	अपने स्व कर्मचारियों को ऋण #	20	20
4.	बैंक गारंटी के बिना दिए गए अन्य ऋण	लागू नहीं	100
5.	बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश	लागू नहीं	50 (+ बाजार जोखिम के लिए दो प्रतिशत) @
6.	यदि आस्तियां वाणिज्यिक संपत्तियों सहित बंधक समर्थित प्रतिभूतियां अंतःवर्ती हो	100	100
7.	बैंक गारंटी पर ऋण (बुनियादी सुविधा परियोजनाओं के लिए)	लागू नहीं	20

: केवल वे जो अधिवर्षिता लाभों तथा फ्लैटों/मकान के बंधक द्वारा पूर्णतः रक्षित है।

@ : बशर्ते बंधक समर्थित प्रतिभूति की अंतःवर्ती आस्तियाँ आवास वित्त कंपनियों की रिहायशी ऋण आस्तियाँ हों जिन्हें राष्ट्रीय आवास बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हो और जो पर्यवेक्षित हो और कतिपय शर्तों को पूरा करते हो।

कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं के संबंध में आस्ति वर्गीकरण

5.7 यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं से संबंधित ऋण आस्तियाँ उचित रूप से मूल्यांकित हैं, उन्हें उनकी परियोजना लागत और उनकी वित्तीय प्रतिबद्धता की तिथि के आधार पर निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, अर्थात्

क) परियोजनाएँ जहाँ वित्तीय प्रतिबद्धता प्राप्त की गयी है और जिनका औपचारिक रूप से प्रलेखीकरण किया गया (श्रेणी-I);

(ख) 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक की मूल परियोजना लागत की परियोजनाएं और जिनकी वित्तीय प्रतिबद्धता की तिथि औपचारिक रूप से प्रलेखीकृत नहीं हुई है (श्रेणी II); और

(ग) 100 करोड़ रुपये से कम की लागतवाली मूल परियोजनाएं और जिनकी वित्तीय प्रतिबद्धता की तिथि औपचारिक रूप से प्रलेखीकृत नहीं हुई है (श्रेणी III)।

5.8 तदनुसार श्रेणी I के मामले में, मूल वित्तीय प्रतिबद्धता के समय पर विचार किये गये अनुसार दो वर्षों की समयावधि परियोजना के पूर्ण होने की तिथि से गिनी जायेगी और आस्तियाँ 2 वर्षों से अनधिक अवधि मात्र के लिए मानक के रूप में समझी जायेगी। श्रेणी II के अंतर्गत आनेवाली परियोजनाओं का आस्ति वर्गीकरण ऐसी परियोजनाओं के पूरा होने की निर्धारित तिथि के संदर्भ में निर्धारित करना अपेक्षित है, जो ऋणदात्री संस्थाओं के साथ-साथ बाहरी विशेषज्ञों के एक स्वतंत्र समूह द्वारा तय की जाएगी । ऐसे मामलों में आस्तियों को परियोजना पूरी होने की निर्धारित तिथि से दो वर्षों से अनधिक अवधि के लिए मानक रूप में माना जाये। श्रेणी III के मामले में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तिथि मूलतः विचार किये गये अनुसार परियोजना के पूर्ण होने के बाद ठीक दो वर्षों मानी जाएगी तथा ऐसे मामलों में आस्तियाँ दो वर्षों की अवधि के लिए ही मानक के रूप में मानी जाये। वित्तीय संस्थाओं को यह निदेश दिया गया कि विवेक सम्मत उपाय के रूप में ऐसे लेखों के संबंध में वित्तीय संस्थाओं द्वारा धारित प्रावधानों को ऐसे मामले में भी नहीं पलटना चाहिए जहाँ कतिपय लेखे 'मानक' श्रेणी के लिए उन्नयन हेतु पात्र हो सकते हैं।

पुरानी गैर-निष्पादक आस्तियों का समझौता के जरिए निपटान

5.9 वित्तीय संस्थाओं को पुरानी गैर-निष्पादक आस्तियों के समझौता निपटान के लिए संशोधित दिशानिदेश, जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए जारी किये गये थे, लागू करने के लिए सूचित किया था । ये दिशानिदेश निर्धारित समय के भीतर गैर-निष्पादक आस्तियों के स्टाक से बकाया की अधिकतम वसूली के लिए एक सरल, अविवेकपूर्ण और भेदभावरहित व्यवस्था उपलब्ध करायेंगे। संशोधित दिशानिदेशों में लघु उद्योग क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों से संबंधित गैर-निष्पादक आस्तियां (10 करोड़ रुपये तक) शामिल होंगी। तथापि, दिशानिदेशों में जानबूझकर जी गई चूक, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामलें से संबंधित दिशा निदेश शामिल नहीं होंगे। वित्तीय संस्थाओं को जानबूझकर की गई चूक, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामलों को पहचानना चाहिए और उस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। संशोधित एकबारगी निपटान के अंतर्गत आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2003 से बढ़ाकर 30 सितम्बर 2003 कर दी गई और आवेदनों पर कार्रवाई पूर्ण होने की तिथि भी 31 अक्तूबर 2003 से बढ़ाकर 31 दिसम्बर 2003 कर दी गई।

निवेश

5.10 कुछेक वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये कतिपय सुझावों तथा प्रश्नों के मद्देनजर रिज़र्व बैंक ने निवेशों से संबंधित अनेक मामलों पर जुलाई 2002 में और अधिक स्पष्टीकरण/आशोधन जारी किये (बाक्स V.1)।

निवेश जोखिम मानदण्ड

5.11 निवेश जोखिम मानदण्डों के प्रयोजनार्थ बुनियादी सुविधा परियोजनाओं संबंधी बैंकों द्वारा गारंटीकृत वित्तीय संस्थाओं के ऋण आगे दिये गये अनुसार करने जाएंगे - वित्तीय संस्थाओं का संपूर्ण ऋण उधार लेनेवाली संस्था पर एक निवेश जोखिम के रूप में माना जायेगा न कि ऋण की गारंटी देनेवाले बैंक पर यह ऋण सकेंद्रण की मात्रा को उचित रूप से प्रतिबिंबित करेगा। यदि निधीयन सुविधा एक मीयादी ऋण के रूप में है तो निवेश जोखिम का स्तर विद्यमान मानदण्डों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए, अर्थात

- संवितरण की शुरुआत के पहले स्वीकृत सीमा अथवा उस सीमा तक जहाँ तक कि वित्तीय संस्था ने करार के अनुसार उधार लेनेवाली संस्था के साथ वचनबद्धता दी हो, जो भी मामला हो, और
- संवितरण की शुरुआत होने के पश्चात बकाया और अवितरित अथवा अनाहरित कुल राशि की वचनबद्धता।

5.12 बंधक समर्थित प्रतिभूतियों में वित्तीय संस्थाओं के निवेश आवास ऋण देनेवाली आवास वित्त कंपनी पर प्रतिभूतिकृत थे निवेश जोखिम में नहीं आयेंगे। किन्तु ये आस्तियों के बंधकों/ऐसी प्रतिभूतियों के विचाराधीन बाध्यताधारियों के लिए स्थापित होंगे। अतः निवेश

बाक्स V.1 : वित्तीय संस्थाओं के लिए निवेश मानदण्ड*

क्र.	मद	मानदण्ड
1.	धारिता अवधि	• 'परिपक्वता तक धारित' (एचटीएम) निवेशों के लिए परिपक्वता तक • 'बिक्री के लिए उपलब्ध' निवेश (एएफएस) हेतु निर्धारित अवधि नहीं। • व्यापार हेतु (एचएफटी) धारित निवेशों के लिए धारित अवधि 90 दिनों से अधिक नहीं।
2	राशि	• एचटीएम में शामिल निवेश बैंक के कुल निवेश के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए। • एएफएस तथा एचएफटी के लिए धारिता की सीमा के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता
3.	पात्र लिखत	• एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत केवल निर्धारित आयवाली प्रतिभूतियों को वर्गीकृत किया जाना चाहिए। तथापि, अग्रिम के रूप में संयुक्त उद्यमों और अनुषंगी संस्थाओं के अधिमान शेयरों, इक्विटी, बाण्डों/ डिबेंचरों के संबंध में कतिपय अपवादों की अनुमति हैं। • एएफएस और एचएफटी में रखे जानेवाले निवेशों की मात्रा और स्वरूप के बारे में निर्णय लेने के लिए वित्तीय संस्थाएं स्वतंत्र है।
4.	मूल्यन की विधि	• एचटीएम : बाजार मूल्य को बही में अंकित करना (प्रतिभूतियों का दैनिक मूल्य) आवश्यक नहीं है। • उन मामलों में जब तक कि अभिग्रहण लागत अंकित मूल्य से अधिक है, अभिग्रहण लागत पर जहाँ प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता के लिए शेष अवधि में किया जाना है। • एएफएस : बाजार मूल्य को बही में अंकित करना - वार्षिकी अथवा प्रायः बारंबार । प्रत्येक वर्गीकरण में निवल मूल्यवृद्धि पर ध्यान नहीं देना होगा, निवल मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया जाना है। • एचएफटी : बाजार मूल्य को बही में अंकित करना - मासिक या प्रायः बारंबार । निवल मूल्यवृद्धि और मूल्यह्रास आय खाते में ले जायी जा सकती है।
5.	विशिष्ट लिखतों का मूल्यांकन	• मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु बाजार मूल्य । एएफएस तथा एचएफटी श्रेणियों में निवेश विभिन्न स्रोतों जैसे स्टाक एक्सचेंज, भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआइ), निर्धारित आय मुद्रा बाजार तथा व्युत्पन्नी संघ (एफआइएमएमडीए) आदि से उपलब्ध प्रकार से प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य होगा। निम्नलिखित अनुद्धृत प्रतिभूतियों के संबंध में क्रियाविधि इस प्रकार है :
	क) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	• वाईटी एम दरें पीडीएआई/एफआईएमएमडीए द्वारा प्रारंभ की गईं। • रख-रखाव लागत पर खजाना बिल
	ख) राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	• समान परिपक्वता केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियाँ को वाईटीएम से अधिक 50 आधार बिन्दुओं पर पीडीएआई/ एफआईएमएमडीए द्वारा प्रारंभ किया गया।
	ग) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतिया।	• समान परिपक्वतावाली केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों को आय से 50 आधार बिन्दु अधिक पर पीडीएआई/ एफआईएमएमडीए द्वारा प्रारंभ किया गया।
	घ) डिबेंचर/ बाण्ड	• सभी डिबेंचरों/बॉण्डस, जो अग्रिम की प्रकृति से अलग है, का वाईटीएम आधार पर मूल्यांकन किया जाए। ऐसे डिबेंचर विभिन्न क्रम- निर्धारणवाली विभिन्न कंपनियों के हो सकते हैं। इन्हें केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाईटीएम दरों से ऊपर समुचित सीमांकन के साथ मूल्यांकित किया जाएगा। जैसा कि सावधिक रुप से पीडीएआई/एफआईएमएमडीए द्वारा किया जाता है। क्रम निर्धारण एजेंसियों द्वारा डिबेंचरों/बॉण्डों के दिए गए क्रम-निर्धारण के अनुसार ही इस सीमांकन को श्रेणीबद्ध किया जाएगा। बकाए राशि के बकाए के साथ क्रम-निर्धारण रहित/ उद्धृत लिखतें भी उल्लिखित तरीके से मूल्यांकन की जानी हैं।
	ङ) अधिमान शेयर	• अधिमान शेयरों का मूल्यांकन वायटीएम आधार पर होगा। इनका मूल्य पीडीएआइ/एफआइएमएमडीए द्वारा आवधिक रूप से प्रस्तुत केंद्र सरकार के लिए वायटीएम से अधिक उचित कीमत लागत अंतर पर (श्रेणी निर्धारित एजेन्सियों द्वारा दी गई रेटिंग के अनुसार) निर्दिष्ट शर्तों के अधीन निर्धारित किया जाएगा।

	च) इक्विटी शेयर	• परियोजना वित्त के रूप में इक्विटी शेयर में निवेश को अनिवार्य रूप से एएफएस श्रेणी में रखा जाना चाहिए। ऐसी इक्विटी का मूल्य निर्गमकर्ता कंपनी के बकाया ऋणों और तदनुसार बनाई गई इक्विटी के लिए लागू प्रावधान के आस्ति वर्गीकरण को सांकेतिक रूप में आगे बढ़ाकर किया जायेगा। यदि उक्त ऋण मानक श्रेणी में हैं तो उनके लिए लागू मानक ऋण आस्तियों के प्रावधान इक्विटी में मूल्यह्रास के लिए लागू करने होगें किंतु यदि ये ऋण संदिग्ध श्रेणी में है तो धारित इक्विटी बेजामानती सुविधा मानी जाएगी और उसके नियमानुसार प्रावधान किया जाएगा।
		- इक्विटी शेयरों में अन्य निवेशों को इस तरह मूल्यांकित किया जाना चाहिए।
		  • बाजार मूल्य, यदि उदधृत है
		  • अलग-अलग मूल्य यदि उदधृत नही किया गया है।
		  • रुपया 1 प्रति कंपनी, यदि तुलन पत्र उपलब्ध नहीं है।
		- रिजर्व बैंक द्वारा यथा पारिभाषित कम व्यापारवाले शेयरों का मूल्यांकन निर्दिष्ट तरीके से किया जाना चाहिए।

	छ) पारस्परिक निधि की इकाइयाँ	उदधृत पारस्परिक निधि में निवेश का मूल्यांकन स्टाक एक्सचेंज भाव-सूचियों के अनुसार होना चाहिए। गैर-उदधृत पारस्परिक निधि इकाइयों में किये निवेशों का मूल्यांकन प्रत्येक विशिष्ट योजना के संबंध में पारस्परिक निधि द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के आधार पर होगा। निश्चित अवरुद्धता अवधि के साथ निधियों के मामले में जहाँ पुनर्खरीद मूल्य/बाजार भाव उपलब्ध नही है, इकाइयों का निवल आस्ति मूल्य (एनएपी) पर मूल्य निर्धारित किया जाएगा। यदि एनएवी उपलब्ध नहीं है तो इनका निश्चित अवरुद्धता अवधि तक लागत पर मूल्य निर्धारित किया जाएगा।
	ज) वाणिज्यिक पत्र	वाणिज्यिक पत्र का मूल्य रख-रखाव लागत पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

* वित्तीय संस्थाओं के संपूर्ण निवेश संविभाग (सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियाँ, और गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियाँ सहित) को तीन श्रेणियों में अर्थात् 'परिपक्वता के लिए धारित', 'बिक्री कि लिए उपलब्ध' तथा 'व्यापार के लिए धारित' के अधीन वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

करनेवाली संस्था को किसी विशिष्ट उद्योग/क्षेत्र, संस्था या भौगोलिक क्षेत्र में निवेश के संकेन्द्रण के बारे में चौकसी बरतनी चाहिए। अन्तःवर्ती अनुग्राहकों की बडी तादाद के मामले में क्षेत्र के सामने निवेश जोखिम समझा जाये। जिसे आस्तियों के समूह संबंधित है। इसप्रकार निवेश जोखिम को उद्योग या क्षेत्र के संदर्भ में मापने की आवश्यकता है जिससे सुरक्षावास्तव में संबंधित है।

5.13 ऋण जोखिम से संबंधित मानदण्ड आशोधित किये गये और गैर-निधि आधारित निवेश जोखिम अब वर्तमान 50 प्रतिशत की सीमा के बजाए 100 प्रतिशत मूल पर गिनी जायेगी। विदेशी मुद्रा में वायदा संविदओं और मुद्रा स्वैप्श अथवा आप्शंस जैसे अन्य विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी के संबंध में निवेश जोखिम निश्चित करने के इन्हें व्यक्तिगत/समूह उधारकर्ता निवेश जोखिम तय करने में प्रतिस्थापन लागत में शामिल किया जाना चाहिए। रिज़र्व बैंक ने वित्तीय संस्थाओं को व्युत्पन्नियों के प्रतिस्थापन लागत अर्थात मूल निवेश जोखिम पद्धति और चालू निवेश जोखिम पद्धति प्राप्त करने के लिए दो प्रणालियों का सुझाव दिया, वित्तीय संस्थाओं को चालू निवेश जोखिम पद्धति के अंतर्गत कम से कम मासिक आधार पर व्युत्पन्नी उत्पादों के बाजार मूल्य को बही में अंकित करना आवश्यक है और वे व्युत्पन्नी उत्पादों को बाजार मूल्य को बही में अंकित करना तय करने के लिए अपने आंतरिक पद्धतियों का अनुपालन करें। तथापि, वित्तीय संस्थाओं को संभावित एकल मुद्रा जारी करना / अस्थायी ब्याज दर स्वैप्श का अभिकलन करना आवश्यक नहीं होगा। इन संविदाओं पर निवेश जोखिम उनके बाजार मूल्य को बही में अंकित करने के आधार पर मात्र मूल्यांकित होगी। वित्तीय संस्थाओं को 1 अप्रैल 2003 से चालू निवेश जोखिम पद्धति का अनुसरण के लिए प्रोत्साहित किया गया है जो व्यक्तिगत/समूह उधारकर्ता ऋण जोखिम तय करने के लिए किसी व्युत्पन्नी उत्पाद में निवेश जोखिम नापने की सही पद्धति है। यदि कोई वित्तीय संस्था चालू ऋण जोखिम पद्धति अपनाने की स्थिति में नहीं है तो मूल निवेश जोखिम पद्धति का अनुसरण कर सकते है। तथापि समयानुसार चालू निवेश जोखिम पद्धति अपनाने का प्रयास करना चाहिए।

3. पर्यवेक्षण और लेखा परीक्षा

समेकित लेखांकन और समेकित पर्यवेक्षण

5.14 वित्तीय मध्यस्थों के समेकित पर्यवेक्षण को जटिल समूह संरचनाओं के आविर्भाव के कारण भारतीय संदर्भ में एक विशेष महत्त्व प्राप्त हो गया है। समेकित पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य है सभी जोखिमों (जो संबंधित संस्थाओं के परिचालनों से उत्पन्न जोखिम सहित) जो समूह में पर्यवेक्षी संस्था को प्रभावित कर सकते है, को ध्यान में रखते हुए किसी संस्था समूह की शक्ति का मूल्यांकन करना है। ये जोखिम पर्यवेक्षित संस्था या इससे संबद्ध संस्थाओं के बहियों में प्रविष्ट किए अथवा नहीं - इस पर ध्यान नहीं देना है। पूर्व में बड़े और स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों की उनके अनुषंगियों कंपनिया के परिचालनों के कारण विफलताएं ऐसे जोखिमों के महत्त्व को स्पष्ट करती है। इस पृष्ठभूमि पर रिज़र्व बैंक ने समेकित पर्यवेक्षण सुकर बनाने के लिए लेखांकन और अन्य मात्रात्मक पद्धतियों पर एक कई संकायों वाले कार्यकारी दल (अध्यक्ष : श्री विपीन मलिक) का गठन किया जिसने अपनी सिफारिशे दिसम्बर 2001 में प्रस्तुत की। प्रारूप दिशा-निदेश कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर और अखिल भारतीय चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं के लिए उचित आशोधनों के साथ जारी किये गये। चूँकि उचित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआइएल) की उपलब्धता समेकित पर्यवेक्षण की पूर्व शर्त है इसलिए वित्तीय संस्थाओं को डेटाबेस के विकास में सक्षम बनाने के उद्देशार्थ एमआइएस की अपेक्षाओं के निर्माण के लिए सूचित किया गया।

5.15 वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त प्रतिसूचना के आलोक में रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2003-04 में कार्यान्वयन करने के लिए 1 अगस्त 2003 को अंतिम दिशा-निदेश जारी किया। वित्तीय संस्थाओं के समेकित पर्यवेक्षण के लिए पर्यवेक्षी ढाँचा में निम्नलिखित तीन घटक सम्मिलित है अर्थात (क) समेकित वित्तीय विवरण, (ख) समेकित विवेकसंगत विवरणियाँ और (ग) पूँजी पर्याप्तता जैसे विवेकसम्मत विनियमन का अनुप्रयोग, समूह-व्याप्त आधार पर बड़ा निवेश जोखिम और चलनिधि अंतर।

लेखा-परीक्षकों का क्रमावर्तन

5.16 कतिपय वित्तीय संस्थाओं द्वारा दीर्घावधि के लिए लेखा परीक्षकों को नियुक्त की घटनाओं की रिज़र्व बैंक ने जाँच की और वित्तीय संस्थाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया कि लेखा परीक्षा कर रही लेखा-परीक्षा फर्म के साझेदार का क्रमावर्तन हो यदि फर्म लगातार चार वर्षों से अधिक समय तक लेखा परीक्षा करता है।

कम्प्यूटर लेखा-परीक्षा

5.17 वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड की लेखा-परीक्षा उपसमिति के निदेशों के अनुसरण में अक्तूबर 2001 में 'कम्प्यूटर लेखा-परीक्षा संबंधी

[2] अध्याय II के बॉक्स II.2 में निवेश जोखिम के दो विधियों के ब्यौरे दिए गए है।

समिति' का गठन किया गया जिसके सदस्य रिज़र्व बैंक, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान तथा चुनिंदा वाणिज्यिक बैंकों से थे। दिसम्बर 2002 में रिपोर्ट वित्तीय संस्थाओं को भेजी गयी ताकि उनका निदेशक मंडल इस पर विचार कर सके। समिति ने सूचना प्रणाली परिवेश में लेखा-परीक्षा के संभावित क्षेत्रों को 15 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया तथा कम्प्यूटर लेखा-परीक्षा के संचालन को सहज बनाने के लिए प्रत्येक श्रेणी में मानकीकृत जांच बिंदु तैयार किए।[3] इन जाँच बिन्दुओं का स्वरूप केवल दिशानिदेशात्मक है तथा वित्तीय संस्थान अधिक व्यापक जाँच बिन्दु बना सकते है ताकि वे जिस सूचना प्रौद्योगिकी परिवेश में परिचालन करते है तथा परिचालन का प्रस्ताव करते है उसके अनुरूप सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा का संचालन कर सके ।

लेखा-परीक्षा और रिपोर्टिंग प्रणाली में संशोधन

5.18 वित्तीय संस्थाओं द्वारा रिज़र्व बैंक को मासिक समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की व्यवस्था को वित्तीय प्रणाली के निवेश संविभाग की छमाही समीक्षा से प्रतिस्थापित किया गया है। ऐसी समीक्षा में छमाही रिपोर्टिंग अवधि के दौरान खज़ाना लेन-देनों की समवर्ती लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में पायी गयी बड़ी अनियमितताओं, यदि कोई हो, को सम्मिलित करने की आवश्यकता है।

वित्तीय संस्थाओं के लिए पर्यवेक्षी रेटिंग प्रणाली

5.19 वित्तीय संस्थाओं के लिए पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंध, आय, चलनिधि और प्रणालियो (केमेल्स) पर आधारित पर्यवेक्षी रेटिंग मॉडल का विकास किया गया है तथा 31 मार्च 2002 की स्थिति (राष्ट्रीय आवास बैंक के मामले में 30 जून 2002) के संदर्भ में किए जानेवाले वार्षिक वित्तीय निरीक्षण से लागू किया गया है। पर्यवेक्षी रेटिंग प्रदान करने का मूल प्रयोजन आवश्यक पर्यवेक्षी हस्तक्षेप (कार्रवाई) के लिए संबंधित वित्तीय संस्थाओं के कार्यनिष्पादन और स्थिति का संक्षिप्त मूल्यांकन उपलब्ध कराना है।

परोक्ष निरीक्षण

5.20 रिज़र्व बैंक 1995 से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45(एन) के अंतर्गत 9 वित्तीय संस्थाओं का परोक्ष निरीक्षण करता रहा है। 2002-03 के निरीक्षण चक्र के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा सभी नौ वित्तीय संस्थाओं के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण का काम शुरू किया गया एवं पूरा किया गया। इसके अतिरिक्त 2003-04 का निरीक्षण चक्र शुरू कर दिया गया है तथा लेखांकन वर्ष 2002-03 के लिए वित्तीय संस्थाओं के तुलन-पत्र की तारीख के संदर्भ में सभी नौ वित्तीय संस्थाओं का निरीक्षण किया जाएगा।

अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण प्रणाली

5.21 वित्तीय संस्थान अब परोक्ष विवरणियां यथा वित्तीय संस्थान प्रभाग-परोक्ष निगरानी और पर्यवेक्षण प्रणाली (एफआइडी-ओएसएमओएस) रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करते है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत अप्रत्यक्ष विवरणियों के आधार पर उनके कार्यनिष्पादन की समीक्षा तिमाही आधार पर वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) को प्रस्तुत की जा रही है। 2002-03 के दौरान (जुलाई-जून) बीएफएस ने तीन तिमाही और एक वार्षिक समीक्षाओं की समीक्षा की। बीएफएस को प्रस्तुत अद्यतन तिमाही रिपोर्ट जून 2003 को समाप्त तिमाही से संबंधित है। बोर्ड ने समग्र और संस्थान-विशिष्ट मुद्दों यथा प्रावधानीकरण अथवा अन्य देयताओं को पूरा करने के लिए विशेष प्रारक्षित भण्डार के उपयोग, रिज़र्व बैंक विनियमन के क्षेत्र और वित्तीय संस्थाओं के पर्यवेक्षण, वित्तीय संस्थाओं में देखे गए ऋणात्मक अंतर, वित्तीय संस्थाओं की गैर-निष्पादक आस्तियों का स्तर, वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय स्थिति, वित्तीय संस्थाओं की निरीक्षण रिपोर्टें, वित्तीय संस्थाओं की आस्तियों और देयताओं की पुनर्संरचना तथा उनकी आस्तियों की गुणवत्ता की समीक्षा की। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड विनियामक और पर्यवेक्षी नीति संबंधी मामलों में मार्गदर्शन करना है। यह उन विशिष्ट मुद्दों पर भी निदेश देता है जिनका शीघ्र अनुपालन किया जाता है। वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त प्रतिसाद के आधार पर वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत की जानेवाली विवरणियों के लिए उपयोग किए जानेवाले सॉफ्टवेयर में कतिपय सुधार किए गए है।

4. अन्य नीतिगत गतिविधियां

संबद्ध ऋण देना

5.22 वित्तीय संस्थाओं द्वारा 'संबद्ध (संबंधियों को) ऋण' से संबंधित मामले रिज़र्व बैंक का ध्यान आकृष्ट कर रहे है तथा भारत सरकार के परामर्श से विस्तृत दिशानिदेश वित्तीय संस्थाओं को जारी किए गए (बॉक्स V.2)।

अभौतिकीकृत रूप में लेन-देन

5.23 रिज़र्व बैंक इन अवधियों (वर्षों) में सरकारी प्रतिभूतियों की अभौतिकीकृत रूप में धारिता को बढ़ावा देता रहा है। वित्तीय संस्थाओं को निदेश दिया गया कि वे रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का पूर्णतः पालन

[3] ब्योरा अध्याय II में उपलब्ध कराया गया है।

बॉक्स V.2 : चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा संबद्ध (संबंधियों) को ऋण देना

वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण देने के परिचालन में हितों के टकराव की संभावना का निराकरण करने के लिए भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय संस्थाओं को निम्नलिखित नहीं करना चाहिए :

क) अपने शेयरों की जमानत पर कोई ऋण अथवा अग्रिम प्रदान करना; अथवा

ख) निम्नलिखित को अथवा उनकी ओर से कोई ऋण अथवा अग्रिम के लिए प्रतिबद्धता करना:

i) इसके किसी निदेशक अथवा

ii) (कुछ अपवादों के साथ) किसी फर्म अथवा कंपनी जिसमें इसके किसी निदेशक का साझेदार, प्रबंधक, कर्मचारी अथवा गारंटर (गारंटीकर्ता) के रूप में हित हो, अथवा

iii) कोई व्यक्ति जिसके संबंध में इसका कोई निदेशक साझीदार अथवा गारंटीकर्ता हो।

निदेशकों/निदेशकों के हित वाली कम्पनियों / फर्मों की ओर से गैर-निधि आधारित सुविधाएं यथा गारंटी, साख-पत्र, स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय संस्थाओं को निम्नलिखित सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया :

(क) पर्याप्त और प्रभावी व्यवस्थाएं की गयी है ताकि आवेदकों द्वारा अपने संसाधनों से प्रतिबद्धताओं की पूर्ति की जाए,:

(ख) गारंटी मांगना अथवा साख-पत्र के डिवाल्वमेंट के परिणामस्वरूप देयता को पूरा करने के लिए वित्तीय संस्थान से ऋण अथवा अग्रिम देने के लिए नहीं कहा जाएगा।

(ग) साख-पत्र/स्वीकृति के कारण वित्तीय संस्थाओ पर कोई देयता डिवाल्व नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन अथवा बोर्ड की जानकारी के बिना प्रतिपक्षी निम्नलिखित श्रेणियों को अनुमत सीमा को छोड़कर ऋण अथवा अग्रिम प्रदान नहीं की जाएगी :

(क) वित्तीय संस्थाओं के निदेशकों (अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सहित) के संबंधियों;

(ख) अन्य वित्तीय संस्थाओं और बैंकों के निदेशकों तथा उनके संबंधियों;

(ग) वित्तपोषण करनेवाली वित्तीय संस्थाओं अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं और बैंकों तथा निदेशकों के संबंधियों द्वारा स्थापित सहायक कंपनियों/ म्युचुअल फंडों के न्यासियों/उद्यम पूंजी निधि के न्यासियों के निदेशकों।

वित्तीय संस्थाओं/बैंकों, के बीच पारस्परिक व्यवस्था के विकास की संभावनाओं के निराकरण के लिए ऊपर उल्लिखित श्रेणियों के उधारकर्ताओं के लिए कुल 25 लाख अथवा उससे अधिक के अग्रिमों के लिए निदेशक मंडल/प्रबंध समिति की मंजूरी अपेक्षित है। इन उधारकर्ताओं के 25 लाख रुपए से कम की ऋण सुविधा के प्रस्तावों को वित्त पोषण करनेवाले वित्तीय संस्थाओं के उचित प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दी जा सकती है परंतु इस मामले की सूचना बोर्ड को दी जाए।

उन मामलों में जहाँ ऊपर बताए गए निषेधों के दायरे में वित्तीय संस्थाओं ने पहले ही लेन-देन कर लिया है, वहाँ वित्तीय संस्थाओं को देय राशि की वसूली शुरू करने के तत्काल प्रयास किए जाए तथा यह वसूली ऋण अथवा अग्रिम देने के समय निर्धारित अवधि के भीतर अथवा जहाँ ऐसा कोई समय नियत नहीं किया गया है वहाँ 21 दिसम्बर 2003 के पहले की जाए। पूर्वोल्लिखित प्रावधानों के अनुपालन में कोई कठिनाई उत्पन्न होने पर रिज़र्व बैंक ऋण अथवा अग्रिम की वसूली की अवधि को बढ़ा सकता है परंतु तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं।

ऋण और अग्रिम को देने से संबंधित उपर्युक्त मानक समान रूप से संविदा देने के मामले में भी लागू होंगे।

करें जिसके द्वारा उन्हें निम्नलिखित में से किसी एक प्रतिष्ठान में सरकारी प्रतिभूतियों में अपना निवेश अनिवार्य रूप से धारण करना चाहिए यथा (क) सहायक साधारण खाता बही (एसजीएल) (रिज़र्व बैंक के पास) अथवा ग्राहकों की सामान्य खाता बही[4] (सीएसजीएल) (ख) भारतीय स्टॉक धारिता निगम लि. (एसएचसीआइएल) तथा (ग) डिपॉजिटरी (भण्डारागारों)[5] में अभौतिकीकृत खाता में । ऐसे किसी संस्था के साथ केवल एक ग्राहकों की सामान्य खाता बही (सीएसजीएल) अथवा अभौतिकीकृत खाता खोला जा सकता है। यदि सीएसजीएल खाता अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/राज्य सहकारी बैंक में खोला जाता है तो खाताधारक को उसी बैंक में निर्दिष्ट निधि खाता (सभी सीएसजीएल संबंधी लेनदेन के लिए) खोलना होगा। यदि सीएसजीएल खाता गैर-बैंकिंग संस्थान में खोला जाता है तो (किसी बैंक में) निर्दिष्ट निधि खाता का ब्यौरा उस संस्थान को देना चाहिए। सीएसजीएल/ निर्दिष्ट निधि खाता रखनेवाली संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे लेनदेन करने से पूर्व निर्दिष्ट निधि खाता में क्रय के लिए भार रहित निधि की तथा बिक्री के लिए सीएसजीएल खाता में पर्याप्त प्रतिभूतियों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। किसी विनियमित संस्था द्वारा किसी ब्रोकर के साथ भौतिक रूप में और कोई लेन-देन नहीं किया जाना चाहिए। इन दिशानिदेशों के अनुपालन के लिए विनियमित संस्थाओं के प्रत्येक वर्ग के लिए एक विशेष समय-सीमा का अलग से उल्लेख किया गया है। तथापि, रिज़र्व बैंक समय सीमा के पालन में वास्तविक कठिनाइयों वाले मामले में अनुपालन की तारीख बढ़ाने पर विचार कर सकता है।

जमा प्रमाण-पत्रों का निर्गम

5.24 अप्रैल 2002 में घोषित वार्षिक मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी वक्तव्य के अनुपालन में फिक्सड इन्कम मनी मार्केट एण्ड डेरिवेटिव्स एशोसिएशन (एफआइएमएमडीए) ने 20 जून 2002 को जमा प्रमाण-पत्र के निर्गम के प्रयोजन से मानकीकृत प्रक्रिया, दस्तावेजीकरण और परिचालनात्मक दिशानिदेश जारी किए। द्वितीयक बाजार लेनदेनों

[4] अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / राज्य सहकारी बैंक / प्राथमिक व्यापारी / एफआई में।

[5] राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपाजिटरी लि. (एनएनडीएल) / केंद्रीय डिपाजिटरी सेवा (इंडिया) लि. (सीडीएसएल)।

को और अधिक पारदर्शिता प्रदान करने और प्रोत्साहित करने के लिए वर्तमान बकाया जमा प्रमाण-पत्रों को अक्तूबर 2002 तक अभौतिक रूप में बदलना अपेक्षित था। वर्तमान विनियमों में जमा प्रमाण-पत्र अंकित मूल्य पर बट्टा पर जारी करना अपेक्षित था तथा निर्गमकर्ता बैंक को बट्टे की दर निर्धारित करने की छूट है। जमा प्रमाण-पत्रों के मूल्यन में अधिक लचीलापन प्रदान करने तथा निवेशकों और निर्गमकर्ताओं दोनों को अतिरिक्त विकल्प देने के दृष्टिकोण से बैंक और वित्तीय संस्थान अस्थायी दर के आधार पर जमा प्रमाण-पत्र जारी कर सकते है बशर्ते अस्थायी दर अभिकलन की प्रक्रियाविधि वस्तुपरक, पारदर्शी और बाजार आधारित हो। अस्थायी दर जमा प्रमाण-पत्र पर ब्याज दर को समय-समय पर पूर्व निर्धारित फार्मूला के अनुसार निर्धारित करना होगा जो पारदर्शी बेंचमार्क पर अंतर (स्प्रेड) को इंगित करता है। इस संबंध में मानक प्रक्रिया और प्रलेख एफआइएमएमडीए द्वारा अलग से बाजार प्रतिभागियों के परामर्श से जारी किए जाएंगे।

चार्ट V.2: एआइएफआइ द्वारा वित्तीय सहायता की प्रवत्ति

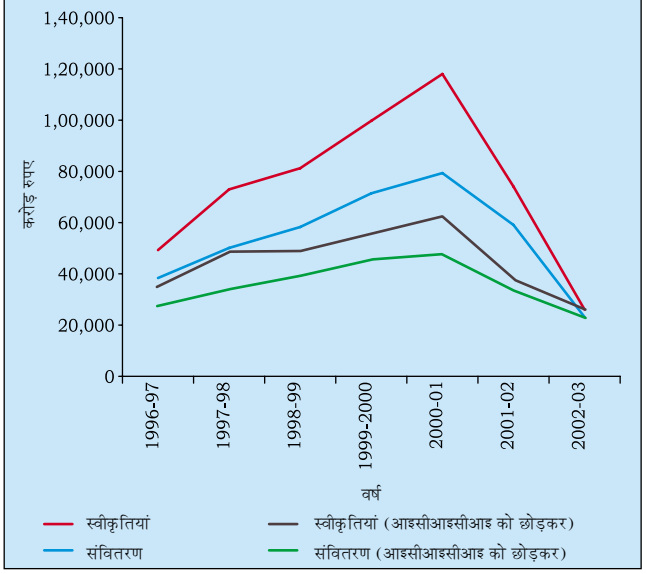

5. परिचालनों की समीक्षा

वित्तीय सहायता : स्वीकृत और संवितरित

5.25 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं[6] द्वारा 1996-2000 के दौरान स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता की बढ़ती हुई प्रवृत्ति 2001-02 के दौरान विपर्यस्त हो गयी तथा 2002-03 के दौरान तीव्र अधोगामी प्रवृत्ति जारी रही (चार्ट V.2 और सारणी V.2)। आइसीआइसीआइ का आइसीआइसीआइ बैंक के साथ विलय भी वित्तीय सहायता में कमी को कुछ हद तक स्पष्ट करता है। तथापि, अप्रैल-सितम्बर 2003 के दौरान स्वीकृति और संवितरण में तीव्र गति से वृद्धि हुई ।

5.26 स्वीकृतियां और संवितरण में वित्तीय संस्थाओं द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दी गयी सकल वित्तीय सहायता आती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के संदर्भ में दी गयी सहायता सम्मिलित है : परियोजना ऋण, उद्यम पूंजी निधि ऋण, हामीदारी,

सारणी V.2 : वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता

(वर्ष : अप्रैल-मार्च)

(राशि करोड़ रुपए में)

	संस्थान	2001-02		2002-03		प्रतिशत घट-बढ़ के दौरान	
		स्वीकृत	संवितरित	स्वीकृत	संवितरित	स्वीकृत	संवितरित
	1	2	3	4	5	6	7
क.	अखिल भारतीय विकास बैंक (आइडीबीआइ, आइएफसीआइ, सिडबी, आइआइबीआइ, आइडीएफसी)	27,619	20,725	19,335	14,501	-30.0	-30.0
ख.	विशिष्टता प्राप्त वित्तीय संस्थान (आइवीसीएफ, आइसीआइसीआइ वेंचर, टीएफसीआई)	873	869	475	490	-45.6	-43.6
ग.	निवेश संस्थान (एलआइसी, यूटीआइ, जीआइसी #)	9,363	11,668	6,200	8,112	-33.8	-30.5
घ.	**अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान द्वारा कुल सहायता (क+ख+ग)**	**37,855**	**33,262**	**26,010**	**23,103**	**-31.3**	**-30.5**

: जीआइसी तथा इसकी पूर्व सहायक कंपनी के आंकड़े सम्मिलित है।
स्रोत :संबंधित वित्तीय संस्थान तथा यूटीआइ के लिए आइडीबीआइ।

[6] आइडीबीआइ, आइएफसीआइ, आइआइबीआइ, आइडीएफसी, आइसीसीएफ, आइसीआइसीआइ वेंचर टीएफसीआइ, एलआइसी, यूटीआइ और जीआइसी सम्मिलित है।

प्रत्यक्ष अभिदान, गारंटी, गैर-परियोजना वित्त, पुनर्वित्त, बिलों की पुनर्भुनाई, प्रत्यक्ष बट्टा देना, वित्तीय संस्थाओं के शेयरों/बाण्डों के प्रति ऋण और अभिदान तथा लीजिंग कंपनियों को ऋण। इससे ऐसे नियोजित निवेशों के फलीभूत होने के संदर्भ में निवेश परिवेश का निर्माण होता है। भारतीय कंपनियों के लिए परियोजना वित्त के वैकल्पिक स्रोतों के अस्तित्व के कारण तथा आर्थिक मंदी को देखते हुए नए व्यवसाय की कमी को दर्शाते हुए हाल के वर्षों में वित्तीय संस्थाओं से, संसाधनों के निवल प्रवाह में कुछ कमी आयी है। निदर्शात्मक रूप से अखिल भारतीय विकास बैंकों से कंपनी क्षेत्र को संसाधनों का निवल प्रवाह 2001-02 और 2002-03 दोनों वर्षों के लिए ऋणात्मक रहा (सारणी V.3)।

सारणी V.3 : अखिल भारतीय विकास बैंकों ने कंपनी क्षेत्र को संसाधनों का प्रवाह* *

(करोड़ रुपए)

मद	2001-02	2002-03
1	2	3
स्वीकृतियां	27,619	19,335
संवितरण	20,725	14,501
ऋण	-4,706	-5,321
जिसमें से:		
संबंधित औद्योगि प्रतिष्ठानों के स्टांक/शेयरों/बाण्डों/ डिबेंचरों में निवेश	762	-1,105
संबंधित प्रतिष्ठानों को ऋण और अग्रिम	-4,571	-2,960
विनिमय बिल तथा भुनाए गए और दुबारा भुनाए गए वचन-पत्र	-897	-1,256

* आइडीबीआइ, आइएफसीआइ, आइडीएफसी, आइआइबीआइ और सिडबी सम्मिलित है।

5.27 वित्तीय संस्थाओं के निष्पादन में कमी वित्तपोषण के स्वरूप में वित्तीय संस्थाओं के घटते हुए योगदान के अनुरूप है। इसके बावजूद पूंजी बाज़ार में मंदी, नयी परियोजनाओं के लिए मांग की कमी तथा उपयोग न की गयी क्षमताओं के उपयोग के जरिए औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि - इन सभी के कारण दीर्घावधि वित्तीय सहायता की मांग निम्नतर रही है। परियोजना वित्त के श्रेत्र में, जो वित्तीय संस्थाओं का प्रमुख कार्य है, वित्तीय संस्थाओं की भूमिका कुछ कम हुई है (बॉक्स V.3)।

बॉक्स V.3: परियोजना वित्तपोषण में वित्तीय संस्थानों की घटती हुई भूमिका

परियोजना वित्तपोषण वित्तीय संस्थाओं का प्रमुख कार्यकलाप है। यह प्रत्यक्ष वित्त का एक घटक है तथा वित्तीय संस्थाओं की कुल स्वीकृतियां और संवितरण में इसका पर्याप्त हिस्सा है। तथापि, वित्तीय उदारीकरण के कारण बैंक परियोजनाओं का वित्तपोषण करने लगे है। इसप्रकार वे वित्तीय संस्थाओं के प्रतिस्पर्धी हो गए है। 2002-03 के दौरान अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (बीमा संस्थाओं सहित परंतु यूटीआइ को छोड़कर) द्वारा परियोजना वित्तपोषण के लिए स्वीकृत सहायता में तीव्र गति से कमी आयी। ऐसी ही प्रवृत्ति संवितरण में भी देखी गयी।

निधि के रियायती स्रोतों की समाप्ति तथा एक वर्ष से कम अवधि की परिपक्वताओं वाली अल्पावधि निधियों को एकत्र करने पर रोक के कारण वित्तीय संस्थान अपेक्षाकृत अल्पविकसित दीर्घावधि ऋण बाजार से सीधे उच्च लागत की निधि एकत्र करने के लिए मजबूर हुए। विश्वसनीय निवेश (ब्यूचिप) वाली कंपनियां औद्योगिक परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन सीधे पूंजी बाजार से और कम लागत पर एकत्र कर सकती थी। इसप्रकार, वित्तीय संस्थानोंने अधिकांशतः अधिक जोखिम वाली औद्योगिक परियोजनाओं का वित्तपोषण किया जो बाजार से सीधे निधि उगाहने में सक्षम नहीं थी। अन्य तथ्यों में, वित्तीय संस्थाओं ने कम आय वाली तथा लंबे निर्माण अवधि वाली बड़ी बुनियादी सुविधावाली परियोजनाओं का वित्तपोषण किया। बुनियादी सुविधा और मुख्य क्षेत्र निजी क्षेत्र के निवेश के लिए खोले जाने के फलस्वरूप प्रत्याशित अवसरों के कारण इन क्षेत्रों को ऋण देने में शुरू में वृद्धि हुई । चूँकि वित्तीय संस्थान दीर्घावधि में औद्योगिक परियोजनाओं को ऋण देने के लिए केवल निर्धारित उच्च ब्याज दरों पर ही संसाधन एकत्र कर सकते थे इसलिए इस अवधि में घटते हुए ब्याज दरों के कारण उनका परिचालन वहनीय नहीं रहा।

जैसा कि सारणी 'क' में देखा जा सकता है, परियोजनाओं के वित्तपोषण में इक्विटी पूंजी (अधिमान पूंजी सहित) के हिस्से में नब्बे के दशक के दौरान काफी वृद्धि हुई। इसप्रकार इसी अवधि के दरान परियोजनाओं के वित्तपोषण में ऋणों और बाण्डों/ डिबेंचरों का समग्र हिस्सा कम हुआ।

घटकवार, परियोजनाओं के कुल ऋण वित्तपोषण में यह देखा गया है कि विकास वित्त संस्थाओं (डीएफआई) का हिस्सा नब्बे के दशक के दौरान कम हो गया जबकि बैंकों का हिस्सा 1985-90 की अवधि के कम स्तर से बढ़कर 1995-2001 के दौरान दुगुना से अधिक हो गया तथा उसके द्वारा बैंक परियोजना वित्तपोषण में वित्तीय संस्थाओं से आगे निकल गए। इसप्रकार, डीएफआइ परियोजना वित्तपोषण के अपने मुख्य कारोबार में बैंकों तथा पूंजी बाजार से प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे है। इसके अतिरिक्त, चूँकि डीएफआइ को अपेक्षाकृत 3-4 वर्ष की लघुतर अवधि के लिए बाजार से उधार लेकर लंबी निर्माण अवधि वाली परियोजना में निवेश करना होता था, इसलिए परियोजना में निविष्ट निधि उनके नकदी प्रवाह को प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई तथा इसके फलस्वरूप आस्तियों और देयताओं की परिपक्वता में और असंगति उत्पन्न हो गयी।

सारणी क : परियोजना वित्त में विभिन्न स्रोतों का हिस्सा

(कुल परियोजना लागत की प्रतिशतता के रूप में)

अवधि	कंपनियों की संख्या	इक्विटी	प्रारक्षित भण्डार और अधिशेष	ऋण	बाण्ड/ डिबेंचर	अन्य
1	2	3	4	5	6	7
1970-71 से 1974-75	356	28.5	12.2	53.5	4.4	1.4
1975-76 से 1979-80	408	32.0	5.1	59.8	0.9	2.2
1980-81 से 1984-85	1,554	26.9	8.3	49.2	14.1	1.5
1985-86 से 1989-90	1,620	41.4	1.6	30.0	26.2	0.8
1990-91 से 1994-95	2,040	47.0	1.9	43.4	7.1	0.6
1995-96 से 2000-01	1,012	53.0	0.3	43.0	3.4	0.3

टिप्पणी : आंकड़े विवरणिका जारी करनेवाले सभी गैर-वित्तीय और गैर-सरकारी कंपनियों के है।
स्रोत : कंपनी कार्य विभाग वित्त मंत्रालय : भारत सरकार

इसके अलावा वाणिज्यिक बैंक, कम लागत की निधियों तक पहुँच के कारण उनकी देयताओं की सापेक्षिक तौर पर कम परिपक्वता अवधि को देखते हुए, वित्तीय संस्थाओं की तुलना में सापेक्षिक रूप से कम दर पर उधार दे सके। परियोजना के कार्यान्वयन में देरी नई वित्तीय सहायता की मांग को भी रोक सकती है। और, अभी हाल में सेवा क्षेत्र में तेजी से हुई वृद्धि, परियोजना वित्त के लिए समान मांग उत्पन्न नहीं कर सकी क्योंकि अधिकतर सेवा उद्योग मानव पूंजी प्रधान है जिसमें दीर्घकालीन वित्त की सीमित आवश्यकता है। वर्ष 2002-03 के दौरान चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं और निवेश संस्थाओं द्वारा मंजूर और संवितरित की गई वित्तीय सहायता में गत वर्ष की तुलना में और कमी दिखाई दी (परिशिष्ट सारणी V.1)।

वित्तीय संस्थाओं की आस्तियों और देयताओं का स्वरूप

5.28 एक समूह के रूप में, चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं के तुलन पत्र ने गत वर्ष की तुलना में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी। लेकिन देयताओं का स्वरूप मोटे तौर पर गत वर्ष के समान ही रहा। कुल में बांड / डिबेंचर का बड़ा हिस्सा था क्योंकि काल / पुट आप्शन्स के साथ बांड / डिबेंचर अधिक लचीलापन प्रदान करते हैं तथा शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के रूप में गौण बाजार में व्यापार योग्य सुविधाएं प्रदान करते है। ब्याज दर उदारीकरण और ब्याज दर खास कर जमा दर सामान्यतः कम करने के कारण वित्तीय संस्थाओं की जमा बढ़ी है जब कि वर्ष के दौरान उधार लेने के अंश में गिरावट आयी (सारणी V-4)।

5.29 उसी प्रकार से आस्तियों की संरचना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ। ऋण और अग्रिमों के प्रमुख घटक अपने हिस्से में मामूली कमी दर्ज की, जो ऋण और अग्रिम की मंजूरी तथा संवितरण में आयी गिरावट से परिलक्षित होती है। चूँकि 2002-03 के एक बड़े हिस्से के दौरान पूंजी बाजार की गतिविधियां धीमी बनी रहीं अतः निवेश के अंश में मामूली कमी आयी (सारणी V.4)।

निधियों के स्रोत और प्रयोग

5.30 वित्तीय कंपनियों (आइसीआइसीआइ को छोड़कर) की निधियों के कुल स्रोत और विनियोजन ने, गत वर्ष मे हुई 19.8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2002-03 के दौरान 2.1 प्रतिशत की कमी हुई। प्रणाली में अत्यधिक चलनिधि और कम ब्याज दर के परिवेश के जारी रहने के कारण, वर्ष के दौरान बाहरी निधियों पर निर्भरता बढ़ी। कुल में आंतरिक स्रोतों का अंश कुल संसाधनों के आधे पर बना रहा यद्यपि गत वर्ष की तुलना में इसके अंश में गिरावट आयी (सारणी V.5)।

5.31 2002-03 की उत्तरवर्ती अवधि में औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के कारण, निधियों के कुल प्रयोग में नए नियोजन के अंश में वृद्धि परिलक्षित हुई। ब्याज दर में कमी का लाभ उठाते हुए वित्तीय संस्थाओं ने उच्च लागत वाले पुराने ऋणों को वापस कर दिया और उसके स्थान पर सस्ता ऋण लिया, बावजूद इसके कि 2002-03 के दौरान उधार की चुकौती का अंश गत वर्ष में हुई वृद्धि की तुलना में कम

सारणी V.4: वित्तीय संस्थाओं की देयताओं और आस्तियों का स्वरूप

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत तक बकाया		वितरण (प्रतिशत)	
	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5
देयताएं	**1,73,900**	**1,83,751**	**100.0**	**100.0**
पूंजी	6,811	6,784	3.9	3.7
प्रारक्षित निधि	16,836	18,259	9.7	9.9
बांड और डिबेंचर	83,595	89,639	48.1	48.8
जमा	15,088	20,144	8.7	11.0
उधार	24,400	21,862	14.0	11.9
अन्य देयताएं	27,170	27,063	15.6	14.7
आस्तियां	**1,73,900**	**1,83,751**	**100.0**	**100.0**
नकदी	5,628	8,014	3.2	4.4
निवेश	21,671	21,760	12.5	11.8
ऋण और अग्रिम	1,31,510	1,36,823	75.6	74.5
भुनाए गए / पुनः भुनाए गए बिल	2,987	1,606	1.7	0.9
अचल आस्तियां	3,226	2,988	1.9	1.6
अन्य आस्तियां	8,878	12,560	5.1	6.8

टिप्पणी : आंकड़ों में आइडीबीआइ, आइएफसीआइ, आइआइबीआइ, आइडीएफसी, टीएफसीआइ, एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी शामिल है।
स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्था के तुलन पत्र।

सारणी V.5 : वित्तीय संस्थाओं की निधियों के स्रोत और नियोजन का स्वरूप *

(राशि करोड़ रुपये में)

निधि का स्रोत / नियोजन	2001-02		2002-03	
	राशि	अंश (प्रतिशत)	राशि	अंश (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
निधियों के	**97,613**	**100.0**	**95,562**	**100.0**
आंतरिक	51,241	52.5	49,048	51.3
बाहरी	28,438	29.1	32,280	33.8
अन्य स्रोत	17,934	18.4	14,234	14.9
निधियों का नियोजन	**97,613**	**100.0**	**95,562**	**100.0**
नये नियोजन	48,289	49.5	52,028	54.4
पुराने उधारों की चुकौती	20,815	21.3	17,478	18.3
अन्य नियोजन	28,509	29.2	26,056	27.3
जिनमें से: ब्याज का भुगतान	14,222	14.6	10,733	11.2

* वित्तीय संस्थाओं में आइडीबीआइ, आइएफसीआइ, आइआइबीआइ, एक्ज़िम बैंक, टीएफसीआइ, आइडीएफसी, नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी शामिल हैं।
टिप्पणी : अंश से तात्पर्य उस श्रेणी के कुल प्रतिशत से है।

रहा। ब्याज भुगतानों में कमी के कारण अन्य नियोजनों में भी कमी आई। 2002-03 के दौरान पिछले उधारों और ब्याज भुगतान की चुकौती का सम्मिलित अंश निधियों के बाहरी स्रोतों के अंश से अधिक है। इसका अर्थ यह निकलता है कि निधियों के आंतरिक अथवा अन्य स्रोतों का प्रयोग विगत में उच्च लागत पर लिए गए उधारों की चुकौती करने के लिए किया जा रहा है।

अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय आस्तियां

5.32 वर्ष के उत्तरार्ध में आर्थिक कार्यकलाप मे मामूली वृद्धि और चालू वर्ष में कुछ वित्तीय संस्थाओं के वित्तीय पुनर्निधारण के कारण वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय आस्तियों में मामूली वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष आर्थिक कार्यकलाप की गति कम भी। संस्था-वार देखा जाए तो एक्ज़िम बैंक ने अधिकतम वृद्धि दर्ज की, उसके बाद एनएचबी, आइडीएफसी, नाबार्ड और आइएफसीआइ ने वृद्धि दर्ज की जबकि आइडीबीआइ ने अधिकतम गिरावट दर्ज की [परिशिष्ट सारणी V.3 (अ)]। पिछले वर्ष की तुलना में 2002-03 में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की सकल वित्तीय आस्तियों की वृद्धि की गति बढ़ गयी। बैंकों की वित्तीय आस्तियों में हुई वृद्धि वित्तीय संस्थाओं की तुलना में अधिक तीव्र थी जिसके परिणामस्वरूप कुल आस्तियों में बैंकों के अंश में मामूली वृद्धि हुई [सारणी V.6 और परिशिष्ट सारणी V.3 (आ)]।

वित्तीय संस्थाओं का वित्तीय कार्य निष्पादन ।

5.33 मार्च 2003 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान एक समूह के रूप में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के कार्य-निष्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में और गिरावट आयी जिसका कारण है विस्तार और

सारणी V.6: अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं और बैंकों की वित्तीय आस्तियां *

(राशि करोड़ रुपये में)

	मार्च के अंत की स्थिति के अनुसार		2002-03 दौरान घट-बढ़
	2002	2003	
1	2	3	4
अ. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं	1,70,247	1,82,223	11,976 (7.0)
आ. अनुसूचित वाणिज्य बैंक #	12,23,008	13,98,967	1,75,959 (14.4)
इ. कुल (अ+आ)	**13,93,255**	**15,81,190**	**1,87,935 (13.5)**
ज्ञापन :			
कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में वित्तीय संस्थाओं की आस्तियां	12.2	11.5	
कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्तियां	87.8	88.5	

* इसमें निवेश, ऋण और अग्रिम, मुद्रा बाजार आस्तियां, जमा, हाथ में नकदी और बैंक के पास शेष तथा अचल आस्तियों को छोड़कर अन्य आस्तियां शामिल हैं।
\# भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के अंतर्गत विवरणियों के अनुसार और हाथ में नकदी तथा बैंकिंग प्रणाली के पास शेष, निवेश, बैंक ऋण एवं बैंकों से देयताओं सहित । अतएव इसमें गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश, विदेशी मुद्रा आस्तियां और बैंक आरक्षित निधि शामिल नहीं है।
टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े प्रतिशत परिवर्तन के हैं।

ब्याज से इतर आय में हुई गिरावट तथा अन्य खर्चों में हुई वृद्धि। वर्ष के दौरान आइएफसीआइ और आइआइबीआइ ने हानि दर्ज की। तथापि, इन दो संस्थाओं को छोड़कर सभी वित्तीय संस्थाओं ने सकारात्मक परिचालन और निवल लाभ दर्ज किया। यह नोट करने लायक है कि विस्तार और परिचालन लाभ में गिरावट के होते हुए भी कर प्रावधानों में तीव्र गिरावट करके सभी वित्तीय संस्थाओं के निवल लाभ में वृद्धि प्राप्त की गयी (सारणीV.7)। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए वित्तीय

सारणी V.7: चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं का वित्तीय कार्य निष्पादन@

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2001-02	2002-03	2002-03 के दौरान घट-बढ़	
			राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. आय (क+ख)	**17,206**	**15,822**	**-1,383**	**-8.0**
क) ब्याज आय	14,391	13,194	-1,197	-8.3
ख) ब्याजरहित आय	2,815	2,628	-187	-6.6
2. व्यय	**14,443**	**13,182**	**-1,261**	**-8.7**
क) (क + ख)	13,284	11,825	-1,459	-11.0
ख) अन्य व्यय	1,159	1,358	198	17.1
जिसमें से : वेतन बिल	404	391	-13	-3.2
ग)कराधान के लिए प्रावधान	1,501	947	-553	-36.9
3. लाभ				
परिचालन लाभ	2,763	2,640	-122	-4.4
निवल लाभ	1,262	1,693	431	34.2
4. वित्तीय अनुपात (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)				
परिचालन लाभ	1.6	1.4		
निवल लाभ	0.7	0.9		
ब्याज आय	9.9	8.6		
अन्य आय	8.3	7.2		
अन्य आय	1.6	1.4		
व्यय	8.3	7.2		
ब्याज व्यय	7.6	6.4		
अन्य परिचालन व्यय	0.7	0.7		
वेतन बिल	0.2	0.2		
प्रावधान और आकस्मिकताएं	0.9	0.5		
अंतर (निवल ब्याज आय)	0.6	0.7		

@ आइडीबीआइ, आइएफसीआइ, आइआइबीआइ, टीएफसीआइ, आइडीएफसी, एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी शामिल है।
टिप्पणी : 1. एनएचबी के मामले में निवल लाभ से आइएफआर को किये गये अंतरण घटाये गये हैं।
2. निवल लाभ से आशय है कराधान के बाद लाभ।
स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्था के वार्षिक लेखे।

संस्थाओं के लिए आवश्यक है कि 2000-01 से अतिरिक्त वित्तीय मानदंड लगाए (परिशिष्ट सारणी V.4)। आइएफसीआइ ने औसतन आस्तियों पर प्रतिलाभ और प्रति कर्मचारी निवल लाभ में कुछ सुधार दर्ज किया परन्तु उनके अनुपात ऋणात्मक ही रहें।

वित्तीय संस्थाओं का शेयरों/स्टाकों का कार्यनिष्पादन

5.34 रिज़र्व बैंक के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत जो नौ वित्तीय संस्थाएं हैं उनमें से दो वित्तीय संस्थाएं (अर्थात आइडीबीआइ और आइएफसीआइ) राष्ट्रीय शेयर बाजार और शेयर बाजार, मुंबई में सूचीबद्ध हैं। आइडीबीआइ और आइएफसीआइ के शेयरों का कार्यनिष्पादन 2002-03 के दौरान कुछ मन्द ही रहा। तथापि, अप्रैल 2003 से इन दो वित्तीय संस्थाओं के शेयर मूल्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ। इसका कारण है सरकार द्वारा इन दोनों संस्थाओं के लिए प्रस्तावित पुनर्व्यवस्था पैकेज और वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं के शेयर मूल्य में सामान्य रूप में बढ़े विश्वास से मिला समर्थन (चार्ट V.3)।

चार्ट V.3 : आइडीबीआइ और आइएफसीआइ का शेयर संबंधी कार्यनिष्पादन

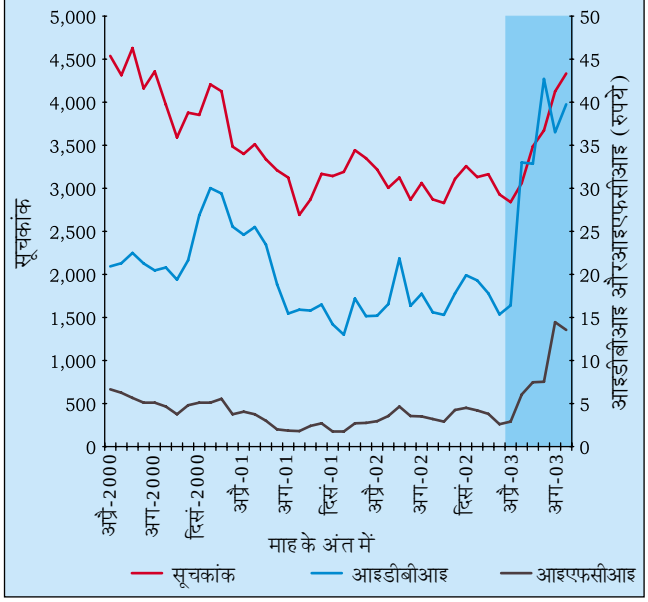

मूल उधार दर

5.35 वर्ष 2002-03 के दौरान सामान्य ब्याज दर में आयी गिरावट की प्रवृत्ति के अनुसार ही आइडीबीआइ की दीर्घावधि मूल उधार दर में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान गिरावट आयी। तथापि, आइडीबीआइ की मध्यावधि और अल्पावधि मूल उधार दर अपरिवर्तित रही। आइएफसीआइ के मामले में दीर्घावधि और अल्पावधि मूल उधार दरें अपरिवर्तित रहीं (सारणी V.8)।

पूंजी पर्याप्तता

5.36 जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात (सीआरएआर) के न्यूनतम स्तर को बनाये रखने के संबंध में चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं के कार्यनिष्पादन से यह स्पष्ट होता है कि आइएफसीआइ और आइआइबीआइ को छोड़कर अन्य सभी वित्तीय संस्थाओं ने 2002-03 के दौरान 9 प्रतिशत के मानदंड से अधिक सीआरएआर रखा। हाल के वर्षों में आइएफसीआइ को चुकौतियों के बढ़ते भार तथा साथ ही उच्च गैर-निष्पादक आस्तियों और परिणामतः हो रही वित्तीय हानि के कारण भारी प्रावधानन की पूर्ति करने की अनिवार्यता से उत्पन्न आस्ति-देयता के असंतुलन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी घटकों के कारण आइएफसीआइ की पूंजी का ह्रास हुआ है। साथ ही रेटिंग एजेंसियों द्वारा आइएफसीआइ को कम दर्जा दिये जाने के कारण लागत-प्रभावी पद्धति से संसाधन जुटाना कठिन हो गया है। इसके परिणामस्वरूप, शेयरों के नये निर्गम के माध्यम से पूंजी जुटाना कठिन हो गया है। इस समस्या की तीव्रता को कम करने और उसकी पूंजी बढ़ाने के लिए सरकार ने पूंजी पुनर्संरचना पैकेज की पहल की है। आइआइबीआइ के मामले में उच्च गैर-निष्पादक आस्तियों के संचयन और परिणामतः किये गये प्रावधानीकरण के साथ घटती लाभप्रदता की समस्या के कारण उसके सीआएआर में तीव्र गिरावट आयी (सारणी V.9)।

गैर-निष्पादक आस्तियां

5.37 वर्ष 2002-03 के दौरान चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं की निवल गैर-निष्पादक आस्तियों में वृद्धि हुई। इसके दो कारण रहे अर्थव्यवस्था

सारणी V.8: मुख्य वित्तीय संस्थाओं की उधार की ब्याज दर का ढांचा

(प्रतिशत प्रतिवर्ष)

निम्नलिखित से प्रभावी	पीएलआर	आइडीबीआइ	आइएफसीआइ
1	2	3	4
मार्च 2001	दीर्घावधि पीएलआर	14.0	13.0
	मध्यावधि पीएलआर	12.5	—
	अल्पावधि पीएलआर	12.5	12.5
जुलाई 2001	दीर्घावधि पीएलआर	13.1	13.0
	मध्यावधि पीएलआर	12.5	-
	अल्पावधि पीएलआर	12.0	12.5
मार्च 2002	दीर्घावधि पीएलआर	11.5	12.5
	मध्यावधि पीएलआर	12.5	—
	अल्पावधि पीएलआर	12.0	12.5
जुलाई 2002	दीर्घावधि पीएलआर	10.7	12.5
	मध्यावधि पीएलआर	12.5	—
	अल्पावधि पीएलआर	12.0	12.5
मार्च 2003	दीर्घावधि पीएलआर	10.2	12.5
	मध्यावधि पीएलआर	12.5	—
	अल्पावधि पीएलआर	12.0	12.5

टिप्पणी: ब्याज दर में जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो,ब्याज कर शामिल नहीं है। पीएलआर : मूल उधार दर

स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

में धीमा सुधार और क्षेत्रीय अवरोध (जैसे समय और लागत की अत्यधिकता)। पुनर्वित्तपोषण करनेवाली कुछ संस्थाओं के मामले में जैसी कि अपेक्षा की गयी थी, निवल गैर-निष्पादक आस्तियों में हुई वृद्धि सीमित रही। तथापि, निवल ऋण और अग्रिमों के प्रति निवल गैर-निष्पादक आस्ति के अनुपात के अनुसार आइआइबीआइ, आइएफसीआइ और टीएफसीआइ जैसी मीयादी उधार देनेवाली संस्थाओं का कार्य-निष्पादन चिंता का विषय रहा (सारणी V.10 और परिशिष्ट सारणी V.5)।

चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा बाण्ड /डिबेंचर के माध्यम से संसाधन संग्रहण

5.38 वर्ष 2002-03 के दौरान चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा रुपया बाण्ड / डिबेंचर (निजी स्थानन और सार्वजनिक

सारणी V.9 : चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं का पूंजी पर्याप्तता अनुपात

(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

संस्था	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1	2	3	4	5	6	7	8
1. आइडीबीआइ	14.7	13.7	12.7	14.5	15.8	17.9	18.72
2. आइएफसीआइ	10.0	11.6	8.4	8.8	6.2	3.1	-2.95
3. आइआइबीआइ	10.6	12.8	11.7	9.7	13.9	13.6	3.51
4. आइडीएफसी	अनु.	अनु.	235.5	119.7	85.5	56.9	57.13
5. एक्ज़िम बैंक	31.5	30.5	23.6	24.4	23.8	33.1	26.92
6. टीएफसीआइ	अनु.	16.4	15.4	16.2	18.6	18.5	20.85
7. सिडबी	31.5	30.3	26.9	27.8	28.1	45.0	43.92
8. नाबार्ड	40.4	52.5	53.3	44.4	38.5	36.9	41.59
9. एनएचबी	अनु.	16.7	17.3	16.5	16.8	22.1	22.29

अनु. : अनुपलब्ध । स्रोतः संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

सारणी V.10 : निवल गैर-निष्पादक आस्तियां (एनपीए)*

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

संस्था	निवल एनपीए		निवल एनपीए / निवल ऋण का अनुपात (प्रतिशत)	
	2002	2003	2002	2003
1	2	3	4	5
मीयादी ऋणदात्री संस्थाएं	**11,372**	**14,297**	**15.0**	**18.8**
1. आइडीबीआइ	6,355	7,157	13.4	15.8
2. आइएफसीआइ	3,873	5,983	22.5	34.8
3. आइआइबीआइ	539	819	24.1	40.3
4. एक्ज़िम बैंक	448	184	7.4	2.2
5. टीएफसीआइ	157	152	20.2	20.5
6. आइडीएफसी	—	3	0.0	0.1
पुनर्वित्तपोषण करेनवाली वित्तीय संस्था	**382**	**473**	**0.7**	**0.7**
7. सिडबी	382	473	3.0	3.8
8. नाबार्ड	—	—	—	—
9. एनएचबी	—	—	—	—
कुल	**11,754**	**14,770**	**8.8**	**10.6**

* प्रावधान और बट्टे खाते को छोड़कर

निर्गम सहित) जारी करने के माध्यम से जुटाये गये कुल संसाधनों में वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण है आइडीबीआइ, एक्ज़िम बैंक और एनएचबी द्वारा लिये गये भारी उधार। कुछ वित्तीय संस्थाओं ने अपने उच्च लागत के उधार चुकाने के लिए 'काल आप्शन्स' का प्रयोग किया। आवास क्षेत्र में बढ़ती मांग के साथ एनएचबी ने अपने पुनर्वित्तपोषण के कार्यों के लिए पर्याप्त निधि जुटायी । इसी तरह से एक्ज़िम बैंक द्वारा जुटाये गये संसाधनों में तीव्र वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप, कुल बकाया में पिछले वर्ष की तुलना में उच्चतर दर से वृद्धि हुई (सारणी .V.11)। जमा प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक पत्र, अन्तर्कम्पनी जमा (आइसीडी) जैसे अन्य लिखतों, मीयादी मुद्रा उधार में इसी तरह की वृद्धि देखी गयी (परिशिष्ट सारणी V.6)।

5.39 चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाये गये कुल संसाधनों में मुख्य अंश निजी स्थानन का ही रहा। निजी स्थानन सापेक्षतः कम महँगा और कम समय लेनेवाला होता है। तथापि, 2002-03 के दौरान निजी स्थानन के अंश में गिरावट आयी जिसका कारण है सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से बाजार में प्रवेश करनेवाली एकमात्र वित्तीय संस्था आइडीबीआइ द्वारा किये गये बड़े सार्वजनिक निर्गम (सारणी V.12)।

सारणी V.11 चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा रुपया बाण्ड / डिबेंचर के माध्यम से जुटाए गए संसाधन

(राशि करोड़ रुपये में)

संस्था	जुटाये गये संसाधन (वर्ष के दौरान)		बकाया (मार्च के अंत में)	
	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5
आइडीबीआइ	4,213	5,009	45,464	45,280
आइआइबीआइ	551	150	1,807	1,468
आइएफसीआइ	651	267	19,789	20,046
टीएफसीआइ	48	93	689	632
एक्ज़िम बैंक	625	2,505	3,067	5,424
आइडीएफसी	250	400	1,000	1,400
सिडबी	1,224	961	3,020	2,498
नाबार्ड	2,549	2,988	6,078	8,703
एनएचबी	238	1,877	3,003	4,675
कुल	**10,349**	**14,250**	**83,917**	**90,126**

स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

सारणी V.12: चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा बाण्डों / डिबेंचरों के सार्वजनिक निर्गम / निजी स्थानन के माध्यम से जुटाये गये संसाधन

(राशि करोड़ रुपये में)

वित्तीय संस्था	बाण्ड / डिबेंचरों का सार्वजनिक निर्गम		बाण्ड / डिबेंचरों का निजी स्थानन		कुल	
	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7
आइडीबीआइ	654	2,825	3,559	2,184	4,213	5,009
आइएफसीआइ	0	0	651	267	651	267
आइआइबीआइ	0	0	551	150	551	150
आइडीएफसी	0	0	250	400	250	400
टीएफसीआइ	0	0	48	93	48	93
एक्जिम बैंक	0	0	625	2,505	625	2,505
एनएचबी	0	0	238	1,877	238	1,877
सिडबी	0	0	1,224	961	1,224	961
नाबार्ड	0	0	2,549	2,988	2,549	2,988
कुल	**654**	**2,825**	**9,695**	**11,425**	**10,349**	**14,250**
	(6.3)	**(19.8)**	**(93.7)**	**(80.2)**	**(100.0)**	**(100.0)**

आंकड़े अनंतिम हैं।
कोष्ठकों के आंकड़े वर्ष के दौरान जुटाये गये कुल संसाधनों में प्रतिशत अंश दर्शाते हैं।
स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्था।

5.40 विभिन्न परिपक्वता वाली सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल में आयी गिरावट के साथ ही, पिछले वर्ष की तुलना में, वित्तीय संस्थाओं द्वारा जिस भारित औसत ब्याज दर पर रुपया बाण्ड / डिबेंचरों के माध्यम से संसाधन जुटाये गये उसमें भी गिरावट आयी (सारणी V.13 और परिशिष्ट सारणी V.7)। वित्तीय संस्थाओं के लिखतों में भारित औसत परिपक्वता के मामले में ऐसी सामान्य प्रवृत्ति नहीं पायी गयी।

वित्तीय संस्थाओं के मुद्रा बाजार परिचालन

5.41 पूर्णतः अंतर बैंक मांग / नोटिस मुद्रा बाजार की ओर बढ़ने की दृष्टि से 19 अप्रैल 2001 को वर्ष 2001-02 की मौद्रिक और ऋण नीति में यह घोषित किया गया था कि इस बाजार में परिचालन के लिए बैंकेतर संस्थाओं अर्थात वित्तीय संस्थाओं, म्युचुअल फंड और बीमा कंपनियों की पैठ को क्रमशः चार चरणों में कम किया जायेगा। तदनुसार, चरण I के रूप में उन्हें 2000-01 के दौरान उनके द्वारा

सारणी V.13 : चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा रुपया बाण्ड / डिबेंचरों के माध्यम से जुटाये गये संसाधनों की भारित औसत लागत/परिपक्वता

संस्था	भारित औसत लागत (प्रतिशत)		भारित औसत परिपक्वता (वर्ष)	
	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5
आइडीबीआइ	10.3	8.4	4.3	2.8
आइआइबीआइ	12.9	12.8	6.4	7.0
आइएफसीआइ	11.1	6.8	8.7	5.1
टीएफसीआइ	10.5	10.1	7.0	8.5
एक्जिम बैंक	10.8	8.9	6.4	6.1
आइडीएफसी	9.0	7.6	5.0	5.6
सिडबी	7.5	6.6	1.0	2.3
नाबार्ड	8.0	6.1	2.6	3.2
एनएचबी	8.7	6.4	7.4	4.0

आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्था।

औसतन दिये गये उधार के 85 प्रतिशत उधार देने के लिए अनुमति दी गयी। उसके बाद 14 जून 2003 से चरण II के भाग के रूप में बैंकेतर संस्थाओं को सूचना देने के लिए नियत पखवाड़े में 2000-01 के दौरान उनके द्वारा दिये गये औसतन उधार के औसतन 75 प्रतिशत तक उधार देने के लिए अनुमति दी गयी है। तदनुसार, वित्तीय संस्थाओं के संबंध में बारह वित्तीय संस्थाओं (अर्थात यूटीआइ, एलआइसी, आइडीबीआइ, नाबार्ड, जीआइसी, एक्जिम बैंक, एनएचबी, सिडबी, आइआइबीआइ, ईसीजीसीआइ, आइएफसीआइ और टीएफसीआइ) जिन्हें मांग / सूचना मुद्रा बाजार में उधार देने के लिए अनुमति दी गयी है, की प्रभावी सीमा अब 2,749 करोड़ रुपये है। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय संस्थाओं से दिये जानेवाले औसत दैनिक उधार में, वर्ष 2003-04 के दौरान अब तक, गिरावट आयी है। 27 दिसंबर 2003 से शुरू हो रहे पखवाड़े से गैर-बैंकों को वर्ष 2000-01 के दौरान मांग/सूचना मुद्रा बाजार में उनके औसत दैनिक उधार के 60 प्रतिशत तक किसी रिपोर्टिंग पखवाड़े में औसत आधार पर उधार देने की अनुमति दी जाएगी ।

5.42 वर्ष 2002-03 के दौरान एक प्रमुख बीमा कंपनी ने अप्रत्याशित भारी आगम को ध्यान में रखकर मांग / सूचना मुद्रा बाजार में अधिक पैठ के लिए अनुरोध किया था और रिज़र्व बैंक ने सीमित अवधि के लिए अनुमति दी थी।

5.43 नौ संस्थाओं अर्थात आइडीबीआइ, आइएफसीआइ, एक्जिम बैंक, सिडबी, आइआइबीआइ, टीएफसीआइ, नाबार्ड, आइडीएफसी और एनएचबी को उनके अपने अद्यतन लेखा-परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार अपनी निवल स्वाधिकृत निधि के शत-प्रतिशत के समकक्ष संसाधन जुटाने के लिए यथापेक्षित (अम्ब्रेला) सीमाएं दी गयी हैं। रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें मीयादी मुद्रा, जमा प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक पत्र जारी करने, सावधि जमा और अन्तर्कम्पनी जमा स्वीकार करने (जहां कहीं लागू हो) के माध्यम से संसाधन जुटाने के लिए अनुमति दी गयी है।

5.44 वित्तीय संस्थाओं द्वारा इन लिखतों के माध्यम से जुटाये गये संसाधनों की औसतन सकल राशि 2001-02 के 10,081 करोड़ रुपये (सीमाओं के 32.9 प्रतिशत) से घटकर वर्ष 2002-03 में (सारणी V.14) 6,472 करोड़ रुपये सीमाओं के 25.6 प्रतिशत हो गयी। अन्तर्कम्पनी जमा और मीयादी जमा अधिक पसंदीदा लिखते बने रहे तथा उसके बाद वाणिज्यिक पत्र, वाणिज्यिक जमा और सावधि जमा को पसंद किया गया।

5.45 वित्तीय संस्थाओं द्वारा इन लिखतों के माध्यम से जुटाये गये संसाधनों की औसतन समग्र राशि में 2003-04 की पहली छमाही में और गिरावट आयी।

वित्तीय संस्थाओं को रिज़र्व बैंक की सहायता

5.46 वर्ष 2002-03 (जुलाई-मार्च) के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा किसी भी वित्तीय संस्था को दीर्घावधि के लिए सहायता मंजूर नहीं की गयी। जून 2003 के अंत में जहां राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि के अंतर्गत किसी संस्था का कोई दीर्घावधि उधार बकाया नहीं था वहीं जून 2003 के अंत में राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि के अंतर्गत एनएचबी को देय बकाया ऋण की राशि 175 करोड़ रुपये थी (सारणी V.15)। रिज़र्व बैंक द्वारा 2002-03 के दौरान राज्य वित्तीय निगमों को संबंधित राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों द्वारा गारंटीकृत तदर्थ बाण्डों की जमानत पर बैंक दर पर दो वर्ष से न्यून अवधि के लिए मंजूर की गयी तदर्थ उधार सीमा की कुल राशि 166 करोड़ रुपये थी।

सारणी V.14 : चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के मुद्रा बाजार परिचालन

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	लिखत	2002-03	2003-04	2002-03
1	2	3	4	5
I.	**औसतन दिये गये उधार**		(अक्तूबर 3 2003 तक)	(अक्तूबर 4 2002 तक)
	1. मांग / सूचना मुद्रा	2,508	1,903	2,763
II.	**औसतन लिये गये उधार**		(सितम्बर 5 2003 तक)	(सितम्बर 6 2002 तक)
	1. सावधि मुद्रा	373	202	476
	2. सावधि जमा	1,548	2,253	1,183
	3. अंतर्कम्पनी जमा	3,078	1,760	4,193
	4. जमा प्रमाणपत्र	504	397	519
	5. वाणिज्यिक पत्र	964	1,649	552
	कुल #	**6,467**	**6,261**	**6,923**

: आंकड़ों को पूर्णांकित करने के कारण हो सकता है कि जोड़ मेल न खाए।

सारणी V.15 : वित्तीय संस्थाओं को रिज़र्व बैंक की सहायता

(बकाया राशि करोड़ रुपये में)

सहायता का प्रकार	30 जून 2002	30 जून 2003
1	2	3
दीर्घावधि ऋण एनएचसी (एलटीओ) निधि		
एनएचबी	175.0	175.0
मध्यावधि / अल्पावधि ऋण		
राज्य वित्तीय निगम	30.8	17.0
कुल	**205.8**	**192.0**

टिप्पणियां : (1) दीर्घावधि ऋण (एनआइसी (एलटीओ) के अंतर्गत वित्तीय संस्थाओं को रिज़र्व बैंक द्वारा दोनों वर्षों के लिए कोई सहायता नहीं दी गयी।
(2) दोनों वर्षों के लिए आइडीबीआइ को कोई मध्यावधि/अल्पावधि ऋण नहीं दिया गया।

प्रौद्योगिक प्रगति में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका

5.47 वित्तीय संस्थाओं के मुख्य प्रतियोगी बैंक हैं जिनके पास शाखाओं का व्यापक नेटवर्क और विशेषतः अल्पावधि आस्तियों और देयताओं में विभिन्न संविभाग तथा भुगतान और निपटान प्रणाली के भाग के रूप में सीमित जमा बीमा है। बैंक और वित्तीय संस्थाओं की तुलना में लाभप्रदता का मुख्य निर्धारक - विस्तार अनुपात काफी महत्त्व रखता है। तथापि, बैंकों के तुलन-पत्र में अल्पावधि देयताओं की अधिकता आस्ति देयता प्रबंध के विवेकपूर्ण सिद्धांतों के अनुसार बैंकों को दीर्घावधि ऋण देने से रोकती है। बैंकों की तुलना में वित्तीय संस्थाएं न्यूनतम लेनदेन लागत पर निवेश ऋण देने के अनुकूल होती हैं।

5.48 वित्तीय संस्थाओं के विशेष समूह अर्थात विकास वित्त संस्थाओं ने विशेष क्षेत्र अर्थात प्रौद्योगिकी प्रगति में विशेष रूप से उल्लेखनीय योगदान दिया है। जोखिम पूंजी निधि जैसी संस्थाओं की अनुपस्थिति में विकास वित्त संस्थाएं प्रौद्योगिक नीति के साधन के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं क्योंकि वे जानकारी का निर्माण करने और अर्थव्यवस्था में उसे समामेलित करने को बढ़ावा देती हैं। विदेशी तथा साथ ही भारतीय अनुभव ऐसे उदाहरणों से परिपूर्ण है जिसमें विकास वित्तीय संस्थाओं ने प्रौद्योगिक नवोन्मेष में उल्लेखनीय भूमिका अदा की है (बाक्स V.4)।

6. वित्तीय संस्थाओं की पुनर्संसरचना

5.49 विश्व भर में कई देशों में हाल के वर्षों में उनके परिचालनात्मक परिवेश में हुए परिवर्तन के कारण सरकार द्वारा स्थापित और समर्थित अधिकतर वित्तीय संस्थाओं का विशाखन/पुनर्संरचना की गयी है (बाक्स V.5)। दो मुख्य वित्तीय संस्थाओं अर्थात आइडीबीआइ और आइएफसीआइ लिमिटेड की वित्तीय देयताओं की वर्ष के दौरान भारत सरकार के हस्तक्षेप से पुनर्संरचना की गयी ताकि इन वित्तीय संस्थाओं की निधि लागत में कमी की जा सके।

आइडीबीआइ के लिए पुनर्संरचना पैकेज

5.50 भारत सरकार के तत्त्वावधान में आइडीबीआइ की पुनर्संरचना के निष्पादन के भाग के रूप में इस बात पर मतैक्य हुआ कि वर्तमान निवेशों/बाण्डों की परिपक्वता पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ बैंक / वित्तीय संस्थाएं आइडीबाआइ में प्रारंभिक निवेशों/बाण्डों की समान अवधि के लिए पुनर्निवेश कर सकती हैं। यह पुनर्निवेश, पुनर्निवेश के समय बाजार में प्रचलित ब्याज दर पर होगा। आइडीबीआइ उधार ली गयी अपनी वर्तमान राशि पर मूल रूप में संविदाकृत ब्याज दर पर ब्याज देना जारी रखेगा। तथापि, सरकार आइडीबीआइ को संविदाकृत दर और 8 प्रतिशत के बीच के अंतर की प्रतिपूर्ति करेगी।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (उपक्रम अंतरण और निरसन) विधेयक, 2002

5.51 विकास वित्तीय संस्थाओं को या तो वाणिज्य बैंक या गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों में परिवर्तन के लिए नरसिंहम समिति की सिफारिश के बाद विकास वित्तीय संस्थाओं और बैंकों की भूमिका और परिचालनों में सामंजस्य के लिए कार्यकारी दल (अध्यक्ष : श्री एस.एच.खान) से आइडीबीआइ को बैंक में परिवर्तित करने के लिए दिये गये सुझाव के कारण सरकार ने अपने 2002-2003 के बजट में आइडीबीआइ को आगामी वर्ष में निगमित करने के लिए आवश्यक कानूनी परिवर्तन करने का प्रस्ताव रखा। तदनुसार, लोकसभा में 4 दिसंबर 2002 को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (उपक्रम अंतरण और निरसन) विधेयक, 2002 लाया गया।

5.52 निरसन विधेयक की कुछ महत्त्वपूर्ण बातें निम्नानुसार हैं :

- सरकार द्वारा नियत तारीख पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम निरस्त हो जायेगा और आइडीबीआइ का उपक्रम 'भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड' नामक कंपनी को प्रदान किया जायेगा।
- नई कंपनी बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (सी) के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी मानी जायेगी और अधिनियम के उपबंधों के अनुसार बैंकिंग कारोबार करेगी तथा उसके लिए रिज़र्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।
- साथ ही, नई कंपनी को नियत दिन से पांच वर्ष की अवधि के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के अंतर्गत सांविधिक चलनिधि अनुपात बनाये रखने से छूट दी जायेगी।

बॉक्स V.4 : प्रौद्योगिक प्रगति में विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं की भूमिका

प्रौद्योगिक नीति का उद्देश्य ज्ञान के सृजन को बढ़ावा देना आर्थिक विकास के लिए इसका उपयोग करना है। अक्सर एक उत्प्रेरक की विशेषकर, विकासशील राष्ट्रों में आवश्यकता होती है जो जारी प्रौद्योगिक उन्नति के लिए ज्ञान के सृजन को ज्ञान के वाणिज्यिकीकरण में बदल सके। विकास के प्रारंभिक चरण में फर्मों को ज्ञान की प्राप्ति, समावेशन, रूपांतरण और उपयोग हेतु सहायता की आवश्यकता पड़ती है।

इस संदर्भ में विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रौद्योगिक उन्नति में शेयर बाजार आधारित (अमेरिका, ब्रिटेन) बनाम बैंक आधारित (जर्मनी, जापान) वित्तीय प्रणाली की सापेक्षिक गुणवत्ता पर दीर्घ काल से चल रही चर्चा को इस संदर्भ में अब आधार प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। अमेरिका में सूचना तकनीक क्रान्ति की सफलता का श्रेय बाजार आधारित वित्तीय प्रणाली को देते हुए कुछ लोगों ने यह तर्क दिया है कि सूचना तकनीक विजेताओं का चुनाव करने में बैंक आधारित प्रणाली की तुलना में शेयर बाजार बेहतर है। तथापि, अन्य लोगों ने यह उल्लेख किया है कि सूचना प्रौद्योगिक के उन्नयन में शेयर बाजार न तो आवश्यक अथवा पर्याप्त शर्त है। विशेष रूप से विकासशील देशों को अविकसित शेयर बाजार से भुगतना पड़ता है जो किसी फर्म की मूल्य अन्वेषण प्रक्रिया को अपर्याप्त बनाता है तथा यह फर्मों की वास्तविक दीर्घावधि लाभप्रदता को भी ठीक-ठीक प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है।

कई देशों में, विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं की स्थापना इस उद्देश्य से की गई कि वे समय आने पर फर्मों की समावेशन क्षमता को नवोन्मेषी प्रौद्योगिक की वाणिज्यिक उपयोगिता के लिए विकसित कर सकें। दीर्घावधि ऋण प्रदान करने के अतिरिक्त विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं से यह आशा की जाती है कि वे परियोजनाओं का विकास करें, प्रबंधकीय कौशल में वृद्धि करें, उद्यमिता विकसित करें तथा तकनीकी क्षमताओं के विकास में सहायता करें। सरकार, तकनीकी संस्थाओं एवं फर्मों के साथ निकट से कार्य करते हुए विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं से यह अपेक्षा की गई वे प्रौद्योगिक नीति को प्रभावित करें तथा यह सुनिश्चित करें कि प्रौद्योगिक क्षमताओं का विकास नीति कार्यान्वयन के माध्यम से हो सके। कई विकासशील देशों में विकासात्मक वित्तीय संस्थाएं ही उद्यम पूंजी के संगठित स्रोत हैं।

भारत में विकसित पूंजी बाजार के अभाव में विकासात्मक वित्तीय संस्थाएं ही उद्योग के लिए अधिक आवश्यक दीर्घावधि वित्त का प्रमुख स्रोत थीं। उन्होंने प्रौद्योगिक विकास तथा नए उद्यम सृजन गतिविधियों के लिए सशर्त अनुदान अथवा वित्तीय सहायता प्राप्त ऋण उपलब्ध कराएं। उद्यम पूंजी गतिविधि किसी विकासात्मक वित्तीय संस्था द्वारा ही शुरू की गई। विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं न फर्मों तथा तकनीकी संस्थानों के बीच संवाद के कार्यक्रम विकसित करते हुए तथा ऐसे संवाद (सारणी क) को प्रोत्साहित करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए इसे प्रेरणा प्रदान करने में अपनी भूमिका निभाई।

विकास वित्तीय संस्थाओं की संख्या में वित्तीय क्षेत्र सुधारों के चलते कमी आने के साथ ही बैंकों के साथ-साथ पूंजी बाजार के नवोन्मेषी वित्तीय तंत्र से यह आशा की जाती है कि वे वित्तीय सहायता को आगे लाने की आवश्यकता पर सावधानी बरतें। भारत सरकार, कुछ चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं के लिए उनके खराब वित्तीय कार्य-निष्पादन, बढ़ती हुई गैर-निष्पादक आस्तियां तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा संसाधन जुटाने के लिए प्रतिकूल बाजार शर्तों को ध्यान में रखते हुए पुनर्संरचना पैकेजों के साथ आगे लाने में अनुकूल सक्रियता दिखा रही है। वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय सुदृढ़ता को वापस लाने से यह आशा की जाती है कि जोखिम प्रतिलाभ रूपरेखा की संगति में परियोजना वित्त गतिविधियों की समय से पुनर्जीवित किया जा सकेगा।

सारणी 'क' भारत में प्रौद्योगिक विकास में विकास वित्त संस्थाओं का समर्थन : एक उदाहरण

समर्थन	सिडबी	आइएफसीआई
मूलभूत सुविधा समर्थन	सामान्य सुविधाएं, जांच	विज्ञान तथा तकनीकी पार्कों
प्रौद्योगिक ज्ञान समर्थन	गुणवत्ता कार्यक्रम	प्रौद्योगिक परामर्श, परियोजना रुपरेखा
सूचना समर्थन	अभिज्ञान कार्यमात्राएं, प्रौद्योगिक संस्थान - फर्म संवाद	बाजार सर्वेक्षण, अवसर की पहचान
खरीद समर्थन	कुछ कार्यक्रमों पर	प्रौद्योगिक स्रोत पहचान
बाजार समर्थन	गुणवत्ता कार्यक्रम, आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यक्रमों पर	बाजार सर्वेक्षण
आयोजना समर्थन	कुछ कार्यक्रमों पर	कुछ कार्यक्रमों पर
वित्तीय समर्थन	लघु उद्योगों को ऋण, जोखिम पूंजी, पर्यावरणीय निधीयन	परियोजना ऋण
प्रबंधकीय समर्थन	आधुनिकीकरण पैकेज	निदान-शास्त्र, चतुर्दिक सहायता
शैक्षणिक समर्थन	कौशल उन्नयन, उद्यमिता विकास कार्यक्रम	उद्यमिता विकास कार्यक्रम को समर्थन

संदर्भ :

एलन एफ (1993), "स्टॉक मार्केट्स एण्ड रिसोर्स एलोकेशन," इन सी मेयर एण्ड एक्स वीव्स (ईडीएस), कैपिटल मार्केट्स एण्ड फाइनेंसियल इन्टरमेडिएशन, कैम्ब्रिज, कैन्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।

जॉर्ज जी. एण्ड जी.एन.एन. प्रभु (2003),"डेवलपमेंटल फाइनेंसियल इंस्टीट्यूशनस एज टेक्नोलॉजी पॉलिसी इन्स्ट्रूमेंटस : इम्प्लीकेशन्स फॉर इनोवेशन एण्ड इन्टरप्रेनरसिप इन इमर्जिंग इकोनॉमिक्स" रिसर्च पॉलिसी।

सिंह अजीत एण्ड बी वीसे (2001)"इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी, वेन्चर केपिटल एण्ड स्टॉक मार्केट" कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वर्किंग पेपर।

बॉक्स V.5 : विकास वित्तीय संस्थाओ के विदेशों में अनुभव

विकास वित्तीय संस्थाओं की स्थापना (डीएफआइज) एक विशेष बाजार अपर्याप्तता; दीर्घावधि निवेश में कमी तथा बचतकर्ताओं एवं ऋणकर्ताओं के अभिज्ञात जोखिम निवारण को हल करने के लिए की गई थी। बैंकों अथवा बाजारों के माध्यम से दीर्घावधि ऋण के अपर्याप्त प्रावधान की दृष्टि से इन संस्थाओं में से अनेक को राष्ट्रीय सरकारों द्वारा प्रायोजित किया गया। यद्यपि सरकार प्रायोजित इन संस्थाओं की शुरुआत फ्रांस की सन 1822 में स्थापित सोसायटी जनरल पॉवर फेवराइजर इंडस्ट्री नेशनल से हुई, लगभग दो दशक बीत जाने पर महाद्वीपीय यूरोपियन रेलवे विस्तार को वित्त प्रदान करने के लिए फ्रांस में सन 1848 में ऋण संग्राहक की स्थापना के साथ ही विकास बैंकिंग स्वतः अस्तित्व में आया। एशिया में भी, ऐसी संस्थाएं यथाशीघ्र 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में स्थापित की गईं - जिसका एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण सन 1900 में इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ जापान (आईबीजे) की स्थापना है। आईबीजे ने न केवल घरेलू पूंजी बाजारों के विकास में सहायता की बल्कि इसने जापान में औद्योगिक फर्मों के लिए संविभाग पूंजी प्राप्त करने में भी अपनी भूमिका निभाई।

विकास वित्तीय संस्थाएं, विशिष्ट अनुकूल औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने एवं बढ़ावा देने तथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास में वृद्धि करने के लिए विशेष वित्तीय संस्थाओं के रूप में अस्तित्व में आई। अधिकांश देशों में सरकारें, दीर्घावधि औद्योगिक वित्त में अपेक्षा से कम निवेश की समस्याओं तथा विशेषज्ञता को अपेक्षा से कम संप्रेषणशीलता को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। औद्योगिक बैंकिंग तथा विकास बैंकिंग के बीच विभेद किया गया है। औद्योगिक बैंकिंग क जर्मन-जापानी मॉडेल में बैंक, औद्योगिक विकास प्राप्त करने के लिए सक्रिय उद्यमी भूमिका अपनाते हैं। इसके विपरीत एलो सॅक्सन मॉडल वित्तीय रूढ़िवादिता पर आधारित है लेकिन इसे विकासशील देशों में पूंजी बाजार के अभाव के कारण उत्पन्न समस्याओं की पहचान हैं। विकासशील देशों में विकास बैंकिंग संभाव्य उद्यमियों के लिए प्रतीक्षा की सकारात्मक भूमिका में प्रवृत्त होती है। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक बैंकों के रूप में कार्य करने के लिए, जैसा कि जर्मनी और जापान में है, उनके पास वित्तीय अधिकार अथवा प्रौद्योगिक निणुपता नहीं है।

विकास वित्तीय संस्थाएं, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लिए सरकारी समर्थन के एक माध्यम अथवा किसी भी क्षेत्र (उदाहरणार्थ : जापान में बैंकिंग क्षेत्र में समस्याओं के उत्तर में समर्थन, राजकोषीय नीति के लिए माध्यम तथा मलेशिया में आर्थिक बदहाली से उबरने हेतु लक्ष्याधीन क्षेत्रों में निधि प्रवाह को दिशा देने, कोरिया और थाइलैण्ड में लघु मध्यम उद्यम क्षेत्र (एसएमई) के लिए समर्थन) में समस्याओं के प्रभाव का सामना करने के लिए भी प्रयुक्त होती हैं। विकास वित्तीय संस्थाओं को उनके द्वारा जारी किए गए बंध-पत्रों (उदाहरणार्थ : जापान, फ्रांस) गारंटीकृत अथवा हामीदारी द्वारा सरकारों से समर्थन प्राप्त है।

आर्थिक सहायता प्राप्त निधि के स्रोतों के समाप्त हो जाने तथा कई देशों में वित्तीय क्षेत्र सुधारों के साथ विकास वित्तीय संस्थाएं पूर्णतः नए क्षेत्रों, जैसे कि एसएमई क्षेत्र, मूलभूत सुविधाएं और आधार उद्योगों, औद्योगिक पुनर्गठन, विदेश व्यापार, पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पर्यावरणीय गुणवता में सुधार स्वास्थ्यपर्यावरण शिक्षा, धारणीय कृषि, ऊर्जा, जोखिम वित्त, तथा बैंकिंग सेवाओं के लिए उधार देने में प्रवृत्त हो चुकी हैं। उदहरणार्थ : इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया (आईबीके) जो आईबीके अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष 1961 में स्थापित एक प्रमुख मीयादी ऋणदाता वित्तीय संस्था है न समय बीतने पर अपनी गतिविधियों में क्रेडिट कार्ड सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जोखिम पूंजी, न्यास लेखा प्रबंध तथा कोषागार परिचालनों जैसी विभिन्नता में बदल दिया है। आईबीके के फुटकर बैंकिंग परिचालन अपनी एसएमई उधार गतिविधियों के लिए धीमे तथा निम्न-लागत निधि के महत्त्वपूर्ण स्रोत का गठन करते हैं। ब्राजील में भी इसी प्रकार की विभिन्नता आई है। कुछ विकास वित्तीय संस्थाओं ने स्वयं को वैश्विक बैंकों (उदाहरणार्थ : सिंगापुर) में परिवर्तित कर लिया है। अपनाई गई नीतियां, विक्रय एवं अभिग्रहण, विधिक ढांचे में परिवर्तन, विधायीकरण को समर्थ बनाना, वित्तीय पुनर्गठन, पुनः अभियंत्रण, कर्ज पुनर्गठन तथा निगमित नियंत्रण हैं।

तथापि, विकासशील देशों में वे विकास वित्तीय संस्थाएं जो स्वयं का परिवर्तित वातावरण के साथ रूपान्तरित नहीं कर सकी हैं, उच्च तथा बढ़ती हुई गैर-निष्पादक आस्तियां, परियोजनाओं के कम लागत लाभ मूल्यांकनों, तथा बड़े प्रावधानों की अपेक्षा करते हुए अपनी आस्ति-देयताओं में व्यापक विसंगति के कारण उत्पन्न समस्याओं से अस्थिर हो रही हैं। इससे भी अधिक, दीर्घावधि नियत दर संसाधनों के संग्रहण में उनकी असमर्थता के चलते लाभ में क्षरण तथा कुछ मामलों में निवल संपत्ति में भी क्षरण हुआ है। वित्तीय क्षेत्र में दक्षता, पारदर्शिता, एवं स्थायित्व को विकसित करने के लिए वित्तीय क्षेत्र सुधार तथा अंशांकित वैश्वीकरण ने विकास वित्तीय संस्थाओं तथा सरकार द्वारा दिए जा रहे समर्थन पर विवाद खड़ा कर दिया है। सरकारी प्रायोजकता का शर्त बंधन के साथ बढ़ाया जा सकता है जैसा कि फ्रांस के मामलों में हुआ है। इसके अतिरिक्त, प्रभावी विनियमन तथा पर्यवेक्षण के लिए एक समुचित वैध ढांचे को व्यष्टिगत अर्थशास्त्र तथा सामाजिक-राजनीतिक हालातों, वित्तीय विकास के चरणों तथा प्रत्येक देश विशिष्ट के लिए औद्योगिक विकास के अनुकूल आधारवान बनाने की आवश्यकता है।

संदर्भ :

डी एधीमन, बीट्रीज एण्जरीज (1999), 'डेवलपमेंट बैंकिंग' जर्नल ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, खण्ड 58 ।

म्यूरिंडे, वी (1996) डेवलपमेंट बैंकिंग एण्ड फाइनेंस, एवब्यूरी, असगेट पब्लिशिंग, एल्डरमॉट, यू.के.।

रिचर्ड वांग वाई.सी.एड एम एल स्पनिया वांग (2001) 'कम्पीटिमन एन चाइनाज डोमेस्टिक बैंकिंग इंडस्ट्रीज, कैरो जर्नल, खण्ड 21, सं. 1(स्प्रींज/सम्मर)।

5.53 यह विधेयक वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा गया और समिति ने कुछ अधिक विनियामक स्थगन की सिफारिश की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नई परिवर्तित बैंकिंग कंपनी के लिए पांच वर्ष के लिए प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात बनाये रखने से छूट और कतिपय कर छूट शामिल हैं। मन्त्रिमण्डल ने विधेयक में उपबंध समाविष्ट करने के लिए 11 अगस्त 2003 को विधेयक के संशोधन अनुमोदित किये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नई बैंकिंग कंपनी ऐसा विकास बैंक बनी रहेगी जो बड़े, मझोले और लघु उद्योगों को मीयादी ऋण देगी।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का पुनर्गठन

5.54 भारत सरकार ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को आश्वासन दिया है कि 1 लाख रुपये से कम के सभी निवेशकर्ता को भुगतान इसके द्वारा किया जाएगा तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक और जर्मनी के एक अग्रणी डेवलपमेंट बैंक, केएफडब्ल्यू से सभी उधारों की जिम्मेदारी सरकार लेगी । पुनः सरकार, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक बंधपत्रों के वर्तमान कूपन पर तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा परिपक्वता की अवधि तक धारण किए गए

सांविधिक चलनिधि अनुपात पर वर्तमान सरकारी प्रतिभूति दर के बीच अन्तर का भी भुगतान करेगी ।

सांविधिक चलनिधि अनुपात

5.55 सांविधिक चलनिधि अनुपात बाण्डों पर 1 अप्रैल 2002 को या उसके बाद हो रहे बकाया मूलधन एवं ब्याज, समान परिपक्वता के लिए पुनर्निधारण अवधि के समय सरकारी प्रतिभूतियों के लिए प्रचलित ब्याज दर पर अपने संबंधित परिपक्वता की तारीख से 10 वर्षों की अवधि के लिए पुनर्निधारित होंगे।

गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात देयताएं

5.56 सार्वजनिक उपक्रमों/बैंकों /वित्तीय संस्थाओं की गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात का पचास प्रतिशत को 1 अप्रैल, 2002 से 20 वर्षों के बाद जीरो कूपन वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचरों (ओसीडीज) में परिवर्तित कर किया जाएगा। तथापि, इसे क्षतिपूर्ति का अधिकार होगा तथा शेष 50 प्रतिशत का 6 प्रतिशत ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए पुनः निवेश किया जाएगा।

5.57 सरकार द्वारा अतिदेय अधिमान शेयर पूंजी के साथ-साथ बकाए अधिमान शेयर पूंजी की अवधि के पुनर्निधारण पर सहमति व्यक्त की गई है जो 0.10 प्रतिशत के कूपन दर पर 20 वर्षों की अवधि के लिए अभी बकाया होना बाकी है।

5.58 कुछ बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं ने भी क्रमशः 604 करोड़ तब 245 करोड़ रुपए के सुरक्षित तथा असुरक्षित ऋणों पर 6 प्रतिशत ब्याज के साथ 20 वर्षों की अवधि के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को अवधि के पुनर्निधारण पर सहमति व्यक्त की है।

5.59 भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय स्टेट बैंक तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने वर्ष 2001 में विभिन्न अवधि के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को क्रमशः 200 करोड़, 200 करोड़ तथा 100 करोड़ रुपये के अग्रिम को एक विशेष व्यवस्था के रूप में स्वीकृत किए हैं। इन संस्थाओं ने प्रतिवर्ष 6 प्रतिशत की ब्याज दर पर पुनः 20 वर्षों की अवधि के लिए इन अग्रिमों के पुनर्निर्धारण पर सहमति व्यक्त की है।

7. अन्य गतिविधियां

आस्ति पुनर्संरचना कंपनियां

5.60 मीयादी ऋणदाता वित्तीय कंपनियों के तुलनपत्र उनकी निवल संपत्ति में क्षरण को प्रतिफलित करते हुए गैर-निष्पादक आस्तियों द्वारा मौलिक रूप से प्रभावित हुए हैं। प्रतिभूतीकरण तथा वित्तीय आस्ति पुनर्संरचना एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002[7] के अनुपालन में (एसएआरएफएईएसआई) रिज़र्व बैंक ने आस्ति पुनर्संरचना को सहज तथा दृढ़ आधार की सुविधा देने के लिए वित्तीय आस्तियों को प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससीज) और पुनर्संरचना कंपनियों (एआरसीज) को बेचे जाने पर बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। फलस्वरूप, आस्ति पुनर्संरचना कंपनियां (एआरसीज)[8] अब बैंकों तथा वित्तीय सस्थाओं द्वारा गठित एवं प्रवर्तित की जा रही है।

समेकित लेखा प्रणाली में प्रगति

5.61 समेकित लेखा प्रणाली पर भारत की सभी वित्तीय संस्थाओं का रिज़र्व बैंक द्वारा दिशा-निर्देशों का प्रारूप जारी किए जाने के साथ ही, वित्तीय कंपनियां जिनके पास अनुषंगी कंपनियां हैं, समेकित लेखा प्रणाली की ओर आवश्यक उपाय प्रारम्भ कर चुकी हैं। सूचीबद्ध वित्तीय कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2001-02 से ही भारतीय चार्टर्ड एकाउटंट्स संस्थान के लेखा प्रणाली मानदंड 21 के अधिदेश में अपने वार्षिक रिपोर्ट के एक भाग के रूप में समेकित लेखा प्रणाली की तैयारी/प्रकाशन को पहले ही प्रारम्भ कर दिया है।

कंपनी ऋण पुनर्संरचना (सीडीआर) - स्थिति[9]

5.62 एक उच्चस्तरीय समूह (अध्यक्ष : श्री वेपा कामेसम) की सिफारिशों पर आधारित तथा भारत सरकार से विचार-विमर्श के साथ रिज़र्व बैंक ने कंपनी ऋण पुनर्संरचना योजना को संभावित किया है। संभावित दिशा-निर्देश पूर्व के दिशा-निर्देशों के अधिक्रमण में जारी किए गए। इसक अनुपालन में ऋण जमा अनुपात तंत्र रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी वित्तीय संस्थाओं में लागू कर दिया गया है।

5.63 ऋण जमा अनुपात व्यवस्था 47 वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा 25 फरवरी 2002 को अंतर जमाकर्ता समझौता (आइसीए) किए जाने के साथ मार्च 2002 से परिचालनात्मक रूप में लागू हुआ। उस तारीख तक,61 संस्थानों/बैंकों ने जिसमें भारत स्तर की वित्तीय कंपनियां(12), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (27) तथा निजी क्षेत्र के बैंक (22) शामिल थे, अंतर जमाकर्ता समझौता (आईसीए) पर हस्ताक्षर किए। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (वित्तीय कंपनियों में से), सात निजी क्षेत्र के बैंक तथा 41 विदेशी बैंक के अभी इस अंतर जमाकर्ता समझौते पर हस्ताक्षर करना बाकी हैं। 2002-03 के दौरान ऋण जमा अनुपात स्थायी फोरम ने दो बार, कोर ग्रूप ने पांच बार, तथा अधिकृत समूह ने 16 बार बैठकें की हैं। प्राप्त 60 आवेदनपत्रों में से (2001-02 से

[7] एसएआरएफएईएसआइ अधिनियम पर अध्याय II में अधिक विस्तार से विचार किया गया है ।
[8] अध्याय VI में एआरसी पर चर्चा की गई है ।
[9] अध्याय II में ब्यौरे दिये गये है ।

चार) ऋण जमा अनुपात कक्ष ने सभी मामलों को निर्धारित समय सीमा 30 दिन के भीतर अधिकृत समूह को भेज दिया है। अधिकृत समूह ने 29 मामलों के संबंध में अंतिम योजना को अनुमोदित कर दिया जिसमें वित्तीय प्रणाली द्वारा सकल सहायता राशि 29,167 करोड़ रुपये है, 6,826 करोड़ रुपये की बकाया सहायता वाले 18 मामलों का अस्वीकृत कर दिया गया है तथा 8,376 करोड़ रुपये की सकल बकाया सहायतावाले शेष 13 मामलों को संसाधित किया जा रहा है।

पारस्परिक निधियां

पारस्परिक निधियों से संबंधित नीतिगत गतिविधियां

5.64 पारस्परिक निधियों के परिचालन तथा नियंत्रण में सुधार के लिए वर्ष 2002-03 के दौरान कई उपाय किए गए। इन उपायों में आधार निर्माताओं के कार्य निष्पादन की घोषणा, गैर सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश, आधार संहिता पर दबाव, शेयरों के परोक्ष लेनदेन विनियमनों, जोखिम प्रबंधन मानदंड पर दिशा निर्देश, पारस्परिक निधि इकाइयों के विक्रय तथा विपणन में शामिल पारस्परिक निधि मध्यवर्ती संस्थाओं के अधिदेशात्मक पंजीयन जैसे कुछ उपाय शामिल हैं।

पारस्परिक निधियों द्वारा संसाधन संग्रहण

5.65 पारस्परिक निधियों द्वारा वर्ष 2002-03 के दौरान संसाधन संग्रहण मुख्यतः यूटीआइ से निधियों के पर्याप्त निवल बहिर्गमन के चलते तेजी से नीचे उतरा जिसकी पुनर्संरचना उसी वर्ष (सारणी V.16 तथा परिशिष्ट सारणी V.8) की गई। निजी क्षेत्र की पारस्परिक निधियों में भी निधि संग्रहण में उतार आया जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की निधियों में थोड़ी वृद्धि दर्ज की गई। तथापि, पारस्परिक निधियों द्वारा संसाधन संग्रहण में अप्रैल-सितंबर 2003 के दौरान तेजी से वृद्धि हुई। जबकि यूटीआई ने 2002-03 के दौरान पूंजी बहिर्गमन की तुलना में निवल अन्तर्वाह दर्ज किया, निजी क्षेत्र की पारस्परिक निधियों में भी भारी संग्रहण दर्ज किया गया।

यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की पुनर्संरचना

5.66 विगत कई वर्षों में यूटीआई में हालातों को बिगड़ने से बचाने के लिए कई उपाय किए गए जिनका निवेशकर्ताओं की अवधारणाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 31 अगस्त 2002 को मंत्री मंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीइए) द्वारा घोषित सुधार पैकेजों यथाप्रस्तावित यूटीआई अधिनियम, 1963 को 30 अक्तूबर 2002 को एक अध्यादेश द्वारा निरसित किया गया। इस अध्यादेश ने यूटीआई को दो हिस्सों यथा यूटीआई I जिसमें यूएस-64 शामिल है तथा जिसमें सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक के अंतर्गत आश्वासित प्रतिफल योजनाएं रखी जाएंगी, तथा यूटीआई- II (जिसे बाद में यूटीआई पारस्परिक निधि का नाम दिया जाएगा (यूटीआईएमएफ) ।जिसमें एनएवी आधारित योजनाएं शामिल हैं, इसे व्यावसायिक प्रबंध में लाया जाएगा तथा

सारणी V.16 : पारस्परिक निधियों द्वारा संसाधन संग्रहण

(करोड़ रुपये)

पारस्परिक निधि	2001-02	2002-03
1	2	3
I. सार्वजनिक क्षेत्र*	1,474.4	1,988.2
II. यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया	-7,284.0	-9,434.0
III. निजी क्षेत्र	12,947.9	12,025.9
कुल योग (I+II+III)	**7,138.3**	**4,580.1**

* यूटीआई को छोड़कर।

टिप्पणी : 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. यूटीआई के लिए आंकड़े निवल बिक्री (प्रीमियम के साथ) के हैं जिसमें पुनर्निवेश विक्रय, तथा अन्य पारस्परिक निधियों के लिए विक्रय, सभी योजनाओं के अंतर्गत निवल विक्रय को दर्शानेवाले आंकडे शामिल हैं।

स्रोत : संबंधित पारस्परिक निधि वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के लिए भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनिमय बोर्ड

सेबी की विनियामक सीमा में लाया जाएगा, में विभाजित करते हुए इसके पुनर्गठन की मांग की । इन दो निकायों के बीच न्यासी एवं देयताओं के वितरण के परिचालनात्मक पक्षों को शामिल करने वाली योजनाएं जनवरी, 2003 से लागू हो गईं। वर्तमान में यूटीआई-1 की सभी योजनाएं, प्रशासक द्वारा संचालित यूटीआई विशिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई) द्वारा व्यवस्थित की जा रही है। सरकार ने भी यूटीआईएमएफ के चार प्रायोजकों, यथा : भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा तथा भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जो यूटीआई को एक मिश्रित संस्था से पारस्परिक निधि में परिवर्तन को रेखांकित करता है।

5.67 सरकार छोटे निवेशकर्ताओं की यूएस-64 योजना के लिए सभी देयताओं तथा अन्य आश्वस्त आय योजनाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूएस-64 यूनिटों को बॉण्डों में परिवर्तिय कर दिया गया तथा जून 2003 में अनुषंगी बाजार में ट्रेडिंग भी शुरू हो गई वर्ष 2003-04 के केन्द्रीय बजट में यूटीआई-1 को लाभांश वितरण कर से छूट दे दी गई।

5.68 यूटीआई एमएफ द्वारा उन्नत पारदर्शिता तथा घोषणा, भली प्रकार स्थापित निवेश दिशानिर्देश तथा जोखिम प्रबंध पर महत्तम दबाव, नवोन्मेषी योजनाओं को शुरू किया जाना, योजनाओं का विलय, यूनिटों का बाण्डों में परिवर्तन, अधिकारों का प्रत्यायोजन, संगठनात्मक सुदृढ़ता, तथा अन्य संबंधित मामलों सहित इसके कार्य निष्पादन में सुधार के लिए यूटीआईएमएफ द्वारा कई उपाय किए गए हैं। इन उपायों को दर्शाते हुए यूटीआईएमएफ ने विगत दो वर्षों के दौरान यूटीआई द्वारा नकारात्मक संसाधन संग्रहण की तुलना में अप्रैल-सितंबर, 2003 के दौरान 637 करोड़ रुपये सकारात्मक अन्तर्वाह के साथ अपने संसाधन संग्रहण में सुधार दर्ज किया है ।

अध्याय VI

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां*

6.1 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में गैर-बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं का एक अत्यधिक विविधतापूर्ण समूह शामिल है। वे विभिन्न पहलुओं यथा अपने आकार, निगमन और विनियमन के स्वरूप तथा वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं के मूलभूत कार्यों के क्षेत्र में भिन्न-भिन्न हैं। अपनी विविधता के होते हुए भी, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय अर्थव्यवस्था में 'विशिष्ट पर लाभप्रद' वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की क्षमता के कारण विशेषताप्राप्त हैं। अपनी संगठनगत नमनीयता में तुलनात्मक रूप से बेहतर होने के कारण अकसर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक तेजी से ग्राहकों की अपेक्षानुसार तैयारशुदा सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होती हैं। इससे वे छोटे ऋणकर्ताओं से लेकर प्रतिष्ठित कंपनियों तक को अपना ग्राहक-वर्ग बनाने में समर्थ हुई हैं। जहां गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां प्राय: ऐसे वित्तीय नवोन्मेषों में अग्रणी रही हैं जिनसे कि वित्तीय प्रणाली की कार्यदक्षता बढ़ सकती है, वहीं उनकी अनिर्वहनीयता की घटनाएं, जो प्राय: उनकी जमाराशियों पर उच्च ब्याज दरों और समय-समय पर होनेवाली दिवालियापन की स्थिति के कारण, उनकी वित्तीय सक्षमता को सुदृढ़ किये जाने की जरूरत को रेखांकित करती हैं। इस प्रकार, विनियामक चुनौती इस बात में है कि एक ऐसा पर्यवेक्षी ढांचा बनाया जाए जो उनके युक्तिपूर्णचालन और नवोन्मेषिता के मूल तत्व, जोकि इस क्षेत्र की विशेषता है, को बाधा पहुंचाए बिना वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित कर सके।

6.2 नब्बे के दशक के प्रारम्भिक वर्षों तक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की संख्या काफी बढ़ गयी थी। तेजी से हुआ यह विस्तार किराया खरीद, आवास वित्त, उपकरण पट्टे पर देने और निवेश जैसे क्षेत्रों में कार्य के नये अवसरों के संबंध में वित्तीय उदारीकरण की प्रक्रिया द्वारा निर्मित सम्भावनाओं के कारण था। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के पारित हो जाने के बाद इस क्षेत्र में आस्ति पुनर्गठन का कारोबार नयी सम्भावनाएं लेकर आया है।

6.3 उन कम्पनियों की तेज गति से होनेवाली वृद्धि को देखते हुए तथा कतिपय असामंजस्य पैदा कर देनेवाली गतिविधियों की प्रतिक्रिया के रूप में मार्च 1997 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में हुए संशोधन के परिणामस्वरूप रिज़र्व बैंक ने जनवरी 1998 में उक्त पर्यवेक्षी ढांचे को सुदृढ़ बना दिया। पर्यवेक्षण की दृष्टि से, राजकोषीय वर्ष 2002-03 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन होने के समय विद्यमान गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के अनिवार्य पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की गयी। इसके अलावा, एक आस्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली भी लागू की गयी। बेहतर पारदर्शिता लाने के लिए रिज़र्व बैंक ने मार्च 2003 से तुलनपत्रों की घोषणा करने की प्रणाली भी शुरू की।

6.4 हाल के वर्षों में विवेकपूर्ण ढंग से वित्तपोषण की सुविधा से गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार दिखायी दिया है। सूचना देनेवाली अधिकांश गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों ने जोखिम भारित आस्तियों के प्रति निर्दिष्ट न्यूनतम 12 प्रतिशत का पूंजी अनुपात (सीआरएआर) दर्ज किया, जिसमें लगभग तीन चौथाई कम्पनियों का सीआरएआर 30 प्रतिशत से अधिक था। इसी प्रकार, गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की ऋण मात्रा के प्रतिशत के रूप में गैर-निष्पादक आस्तियों में, सकल तथा निवल दोनों रूपों में हाल के वर्षों में गिरावट आती रही है। तथापि, एक क्षेत्र के रूप में गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों ने 2001-02 के दौरान निरंतर दूसरे वर्ष भी हानियां दर्ज कीं हैं।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं

6.5 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अंशत: अथवा पूर्णत: विनियमित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां जिनमें उपस्कर पट्टा, किराया खरीद वित्तपोषण, ऋण, निवेश तथा अवशिष्ट गैर-बैंकिंग व्त्तीय कम्पनियां शामिल हैं;
- पारस्परिक हितकारी वित्तीय कंपनी अर्थात निधि कंपनियां**;
- पारस्परिक हितकारी कंपनियां अर्थात** संभावित निधि कंपनियां

* पिछले वर्षों की तरह जहां नीतिगत गतिविधियां इस अध्याय में राजकोषीय वर्ष 2002-03 से संबंधित हैं ,वहीं आकड़े उपलब्ध होने में लगनेवाले समय के कारण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्य-निष्पादन का विश्लेषण मुख्यत: वर्ष 2001-02 तक सीमित है।

** कंपनी कार्य विभाग, भारत सरकार ने 29 सितंबर 2003 से पारस्परिक लाभवाली (म्युच्युअल बेनिफिट) वित्तीय कंपनियों और पारस्परिक लाभवाली (म्युच्युअल बेनिफिट) कंपनियों का समूचा विनियमन अपने हाथ में ले लिया।

- विविध गैर-बैंकिंग कंपनियां अर्थात चिट फंड कंपनियां अर्थात उनकी जमाराशियाँ लेने की गतिविधि की सीमा (सारणी VI.1)

6.6 कतिपय प्रकार की वित्तीय कंपनियां जैसे बीमा कंपनियां, आवास वित्त कंपनियां, स्टाक ब्रोकिंग कंपनियाँ, चिट फंड कंपनियां, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620 क के अधीन निधि के रूप में अधिसूचित है और वणिक (मर्चंट) बैंकिंग गतिविधियों में लगी कंपनियों को (कतिपय शर्तों के अधीन) रिज़र्व बैंक के विनियमनों से छूट-प्राप्त है, क्योंकि वे अन्य एजेंसियों द्वारा विनियमित हैं ।

3. पंजीकरण

6.7 भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1997 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए रिज़र्व बैंक के पास पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है। पंजीकरण के लिए न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि[1] की सांविधिक अपेक्षा उस समय

सारणी VI.1: गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के प्रकार

गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था	मुख्य कारोबार
1	2
I. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी	1997 में यथासंशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45I(ग) (के साथ पठित धारा 45I (च)) के अनुसार इनका मुख्य कारोबार जमाराशि प्राप्त करने अथवा ऋण देने, प्रतिभूतियों में निवेश, किराया-खरीद वित्त अथवा पट्टे पर उपस्कर देनेवाली वित्तीय संस्था का है ।
(क) उपस्कर - पट्टा कंपनी (इ एल)	पट्टे पर उपस्कर देना अथवा ऐसे कार्यकलापों का वित्त पोषण करना।
(ख) किराया-खरीद वित्त कंपनी (एच पी)	किराया-खरीद कार्यकलाप अथवा ऐसे कार्यकलापों का वित्तपोषण।
(ग) निवेश कंपनी (आइ सी)	प्रतिभूतियों का अर्जन। इनमें वे प्राथमिक व्यापारी सम्मिलित हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी प्रतिभूतियों के लिए हामीदारी कारोबार तथा बाज़ार निर्माण का कार्य करते है।
(घ) ऋण कंपनी (एल सी)	अपने कार्यकलापों को छोड़कर अन्य किसी कार्यकलाप के लिए ऋण अथवा अग्रिम प्रदान कर वित्तपोषण करना। इनमें उपस्कर-पट्टा कंपनी /किराया-खरीद कंपनी/ आवास वित्त कंपनी सम्मिलित नहीं हैं।
(ड) अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी (आरएनबीसी)	ऐसी कंपनी जो किसी योजना अथवा व्यवस्था के अंतर्गत, किसी भी नाम से अभिहित, एक मुश्त अथवा किस्तों में, अंशदान अथवा अभिदान के जरिए अथवा यूनिटों अथवा प्रमाणपत्रों अथवा अन्य लखितों की बिक्री के जरिए अथवा अन्य किसी तरीके से जमाराशियां प्राप्त करती हैं। ऐसी कंपनियां ऊपर वर्णित किसी भी वर्ग में नहीं आती हैं।
II. पारस्परिक हितकारी वित्तीय कंपनी (एमबीएफसी) अर्थात, निधि कंपनी	कोई भी कंपनी जो केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620 क के अंतर्गत निधि कंपनी के रूप में अधिसूचित की गई हो।
III. पारस्परिक हितकारी कंपनी (एमबीसी) अर्थात सम्भावित निधि कंपनी	ऐसी कंपनी जो निधि कंपनी के समान कार्य कर रही हो, किन्तु इस रूप में केन्द्र सरकार द्वारा घोषित न की गई हो जिसके पास न्यूनतम 10 लाख रुपयों की निवल स्वाधिकृत निधि हो, जिसने भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीयन प्रमाणपत्र के लिए तथा कंपनी कार्य विभाग में निधि कंपनी के रूप में अधिसूचित किए जाने हेतु आवेदन कर रखा हो तथा जिसने भारतीय रिज़र्व बैंक/ कंपनी कार्य विभाग के निदेशों/विनियमों का उल्लंघन न किया हो।
IV. विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (एमएनबीसी) अर्थात चिट फंड कंपनी	किसी ऐसे कारोबार अथवा व्यवस्था के प्रवर्तक, फोरमन अथवा अभिकर्ता के रूप में, प्रबंध करना, संचालन करना अथवा पर्यवेक्षण करना, जिसके जरिए कंपनी निश्चित संख्या में अभिदाताओं से करार करती है कि उनमें से प्रत्येक किसी निश्चित राशि का किस्तों में अथवा किसी निश्चित अवधि में अभिदान करेगा तथा यह कि ऐसे अभिदाताओं में से प्रत्येक को बदले में जैसा कि लॉटरी द्वारा अथवा नीलामी द्वारा अथवा निविदा द्वारा अथवा करार में उपबंधित किसी अन्य रीति से इनामी रकम पाने का हकदार होगा।

[1] गैबैंविकं की निवल स्वाधिकृत निधियों में कुल प्रदत्त पूंजी और भार-रहित प्रारक्षित भंडार शामिल हैं, इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं (i) संचित शेष हानि की राशि, (ii) आस्थगित राजस्व व्यय तथा अन्य अमूर्त आस्तियाँ, यदि कोई हों, (iii) निम्नलिखित के शेयरों में निवेश (क) सहायक संस्थाओं, (ख) उसी समूह की कम्पनियां, (ग) अन्य गै.बैं.वि. कम्पनियां तथा (iv) निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम (क) सहायक संस्थाएँ तथा (ख) उसी समूह की कम्पनियों को स्वाधिकृत निधियों के 10 प्रतिशत से अधिक के ऋण और अग्रिम।

सारणी VI.2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण पत्र

जून के अंत में	सभी गैर-बैंकिंग	सार्वजनिक जमाराशियों स्वीकार करनेवाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
1	2	3
1999	7,855	624
2000	8,451	679
2001	13,815	776
2002	14,077	784
2003	13,849	710

विद्यमान गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए 25 लाख रुपये तथा 21 अप्रैल 1999 को या उसके बाद पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने की इच्छुक कम्पनियों के लिए 2 करोड़ रुपये निर्दिष्ट की गयी है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पंजीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियां प्राप्त करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1997 में दी गयी तीन वर्ष की अवधि 9 जनवरी 2000 को समाप्त हो गयी। रिज़र्व बैंक द्वारा स्वविवेक पर दी गयी और तीन वर्षों की अवधि भी 9 जनवरी 2003 को समाप्त हो गयी। रिज़र्व बैंक ने प्राप्त आवेदनों में एक तिहाई का अनुमोदन किया जिसमें जून 2003 के अंत में सार्वजनिक जमाराशियां[2] स्वीकार करने/धारित करने के लिए केवल 710 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अनुमति दी गयी । (सारणी VI.2)। सार्वजनिक जमाराशियां रखनेवाली ऐसी सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, जिनके पंजीकरण प्रमाणपत्र अस्वीकार किये गये हैं या रद्द किये गये हैं, को देय तारीखों पर जमाराशियां चुकाते रहना चाहिए और उक्त प्रमाणपत्र के आवेदन/रद्द किये जाने या अपने को गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कंपनियों के रूप में परिवर्तित करने की तारीख से तीन वर्षों के भीतर अपनी वित्तीय आस्तियों का निपटान कर देना चाहिए। इस प्रकार, गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की संख्या घटती जा रही है जो कि विलयन, बंद करने या लाइसेंस रद्द करने के रूप में दिखाई दी है। इसके अलावा, सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार करने वाली कंपनियों की संख्या गैर-सार्वजनिक जमा स्वीकार करनेवाली गतिविधि के रूप में परिवर्तित हो जाने के कारण भी कम हो गयी है।

4. पर्यवेक्षण

6.8 रिजर्व बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पर्यवेक्षी ढांचा सुदृढ़ बनाता रहा है ताकि उनका सुचारु और स्वस्थ्य परिचालन सुनिश्चित हो सके और उन्हें अत्यधिक जोखिम लेने से बचाया जा सके। पर्यवेक्षी निरीक्षण की मात्रा का निर्धारण निम्नलिखित तीन मानदंडों पर आधारित है अर्थात क) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का आकार, (ख) चलायी गयी गतिविधि का प्रकार और (ग) सार्वजनिक जमाराशियों का स्वीकरण (या अन्यथा)। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पर्यवेक्षी ढांचा चार सूत्री नीति पर खड़ा है जिसकी परिधि में आते हैं क) केमल्स पद्धति पर आधरित प्रत्यक्ष (आन साईट) निरीक्षण (ख) स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नालॉजी से समर्थित अप्रत्यक्ष (ऑफ साइट) निगरानी, ग) बाजार आसूचना और घ) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के सांविधिक लेखा परीक्षकों की अपवाद स्वरूप रिपोर्टें।

6.9 रिज़र्व बैंक ने 2002-03 (जुलाई-जून) के दौरान कुल 918 पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का निरीक्षण किया, जिसमें 255 सार्वजनिक जमा स्वीकार करनेवाली कंपनियां शामिल थीं। रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में 685 संक्षिप्त संवीक्षा (स्नैप स्क्रूटिनी) भी की।

6.10 बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बीच भिन्नता होते हुए भी जमा संग्रहण और ऋण प्रदान करने के व्यापक उत्पादक क्षेत्र में एक ही प्रकार की गतिविधि में लगे रहने के कारण परिचालनगत समरूपता के कई क्षेत्र हैं । बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बीच उनके कार्यों की समानताओं और भिन्नता के संमिश्र समूह के संदर्भ में वांछित मात्रा में विनियामक एकरूपता एक गंभीर विषय है (बॉक्स VI.1)। इसी संदर्भ में रिज़र्व बैंक के गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियामक ढांचे में समग्रतः बैंकों पर लागू विनियमों को अपनाया गया है, परंतु कई मामलों में वह अलग भी हैं (सारणी VI.3)। सार्वजनिक जमा स्वीकार करनेवाली कंपनियों के मामले में विनियमन अपेक्षाकृत अधिक सख्त है ताकि जमाकर्ता के हित की रक्षा की जा सके। प्रारक्षित निधियों की अपेक्षा केवल बैंकों पर लागू है, क्योंकि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां साख निर्माण प्रक्रिया से सीधे जुड़े नहीं होतीं। अंतिमत: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां कभी-कभार निवेशकों को प्रायः छोटे जमाकर्ताओं को अनिर्वहनीय प्रतिलाभ प्रदान करने का कभी बचन देती है इसलिए पूर्व अनुभव से बचने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जमाराशियों द्वारा दी जानेवाली ब्याज दरों पर सीमा लगायी गयी है।

5. नीतिगत गतिविधियां

6.11 2002-03 के दौरान रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियामक और पर्यवेक्षी मानदंड बढ़ाने के लिए कई उपाय शुरू किये हैं, विशेषकर उन्हें कुछ समय में चुनिंदा परिचालनों में वाणिज्यिक बैंकों के समतुल्य बनाया जा सके। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किए गए विनियामक उपायों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं - शेष अर्थव्यवस्था में प्रचलित दरों के अनुरूप इस क्षेत्र की ब्याज दरों को संगत बनाना, विवेकसम्मत मानक दण्ड दृढ़ करना, परिचालन प्रक्रियाओं का मानकीकरण और अन्य बातों के साथ-साथ पंजीकरण, रिपोर्टिंग अपेक्षाएं और लेखा समितियों के गठन के संबंध में संशोधित कम्पनी

[2] सार्वजनिक जमाराशियों में निम्नलिखित शामिल हैं - शेयर पूंजी, केंद्र और राज्य सरकारों, विदेशी सरकारों, बैंकों, संस्थाओं, पंजीकृत साहूकारी से लिए गये उधारों के रूप में प्राप्त राशियां, चिट अभिदानों, आस्ति की बिक्री के लिए अग्रिम, डीलरशिप जमाराशि, जमानती जमाराशि के रूप में प्राप्त धन, अन्य कंपनियों और म्युच्युअल फंड से प्राप्त धन, वैकल्पिक रूप में परिवर्तनीय डिबेंचरों, जमानती डिबेंचरों हाइब्रिड ऋणों /गौण ऋणों और वाणिज्यिक पत्रों के निर्गम द्वारा जुटाया गया धन, निदेशकों और उनके रिश्तेदारों से प्राप्त जमाराशि और निजी कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों से स्वीकृत जमाराशियों की राशियों को छोड़कर जमाराशि या ऋण या अन्य किसी भी रूप में प्राप्त धन ।

बाक्स VI.1 : बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं के लिए विनियामक स्वरूप

बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में वित्तीय मध्यस्थता का कार्य करती हैं। विनियामक स्वरूप का वित्तीय प्रणाली की दक्षता तथा वित्तीय स्थिरता के लिए गहरा निहितार्थ होता है। उनके विनियमन में आनेवाले अंतरालों से अकसर विनियामक मध्यस्थता की संभावना निर्मित होती है जिसका संसाधनों के सही मूल्य के निर्धारण की प्रक्रिया और प्रभावी आबंटन पर प्रभाव पड़ता है अथवा वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न घटकों पर विनियामक दबाव आ जाता है। बैंक और सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बीच जमाराशियों के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। इसके अलावा, बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ऋण बाजारों के कुछ भागों में निधियों को उधार देने में भी प्रतिस्पर्धा करते हैं । ये दो घटक विनियामक समरूपता के लिए लाइसेंसीकरण (और प्रविष्टि), पूंजी-पर्याप्तता, ऋण हानि के लिए प्रावधानीकरण और जोखिम प्रबंधन। साथ ही गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों का एक बड़ा वर्ग सार्वजनिक जमाराशियां नहीं जुटाता हैं और इस कारण वह अपनी गतिविधियों के लिए वित्त जमा धन से प्रदान नहीं करता, जैसाकि बैंक करते हैं। इसका आशय यह है कि बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बीच जमाकर्ता की सुरक्षा पर आधारित विनियामक समरूपता गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर समान रूप से लागू नहीं होती।

बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के विनियमन में अंतर उनकी अद्वितीय विशेषता और उनके कार्यकलाप में विद्यमान मूलभूत अंतर में दिखायी देता है। पहला, जहां बैंक और गैर-बैंकिंग कम्पनियों में जमाराशियां ये दोनों ही जमाकर्ता की इच्छा को दर्शाती हैं, वहीं बैंक खातों - चालू और / या बचत खातों को निश्चित रूप से वित्तीय लेनदेनों का निपटान करना पड़ता है, क्योंकि बैंकों के पास अदायगी प्रणाली के एक घटक के नाते चेक जारी करने की शक्ति होती है। दूसरा, बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के जरिये किये जानेवाले लेनदेनों से भिन्न तीव्र व्यापक आर्थिक निहितार्थ होते हैं। बैंक के पास रखी जमाराशि से ऋणसृजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, वहीं गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी के पास जमाराशि रखी जाने से बिना किसी तत्काल मौद्रिक प्रभाव के बैंक जमाराशियों के स्वामित्व का अंतरण हो जाता है। इसका अर्थ है प्रारक्षित नकदी निधि की आवश्यकता जैसे कतिपय विनियामक उपाय केवल बैंकों ही पर लागू होते हैं।

बैंक की सुदृढ़ स्थिति पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के कार्य का प्रभाव भी जटिल होता है। पहला, मीयादी जमाराशियां बैंकों से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में लगा देने से बैंकों को तुलनपत्रों में ब्याज व्यय की राशि कम हो जायेगी क्योंकि इसकी काफी संभावना है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ये निधियां बिना ब्याजवाले चालू खातों में रखेंगी। दूसरे, अलग-अलग बैंकों के मामलों में नकदी प्रवाहों की विभिन्न लागत भी मौजूद रहेगी क्योंकि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां उनके लिए कारोबारी लेनदेन करती हैं। इस प्रकार बैंक की स्थिति पर निवल प्रभाव मुख्य रूप से इन दोनों घटकों की संबंधित समर्थता पर निर्भर होगा। अंतिम, जहां तक बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को ऋण प्रदान करते हैं, वहां तक कंपनियों के कार्य-निष्पादन से बैंकों की स्थिति आहत होती है।

संदर्भ :

कारमाइकल, जैफ्री और माइकल पोमरलिएनो (2002), 'दि डेवलपमेंट' एण्ड 'रेग्यूलेशन ऑफ नॉन बैंक फाइनेंशियल इन्स्टिटुशन' विश्व बैंक, वांशिग्टन, डी.सी.

अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप पर्यवेक्षी निदेशों को संगत बनाना।

ब्याज दरें

6.12 वित्तीय बाजारों में घटती हुई ब्याज दरों के मद्देनजर एनबीएफसी (निधि कंपनियों और चिट फंड कंपनियों) द्वारा लोगों की जमाराशियों पर दी जानेवाली अधिकतम वार्षिक ब्याज दर 4 मार्च 2003 से 12.5 प्रतिशत से कम करके 11.0 प्रतिशत कर दी गयी है। इसी प्रकार आरएनबीसी द्वारा दिए जानेवाले ब्याज की न्यूनतम दर दैनिक जमा योजनाओं पर 4.0 प्रतिशत वार्षिक से कम करके 3.5 प्रतिशत वार्षिक, तथा अन्य प्रकार की जमाराशियों पर ब्याज दर 6.0 प्रतिशत वार्षिक से कम करके 5.0 प्रतिशत वार्षिक कर दी गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी वित्तीय व्यवस्था में अनिवासी भारतीय (एनआरआइ) जमाराशियों पर दरें एक समान हों, आरएनबीसी सहित एनबीएफसी को यह निदेश दिया गया है कि उनके द्वारा स्वीकार की जानेवाली ऐसी जमाराशियों पर देय ब्याज अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा देय ब्याज के समान होगा अर्थात वह संगत परिपक्वता के यूएस डालर के लिए लंदन इंटर-बैंक ऑफर रेट (लिबोर)। स्वैप (अदला-बदली) दर से 25 आधार बिन्दु अधिक होनी चाहिए।

आस्ति देयता प्रबंध

6.13 एनबीएफसी के लिए जून 2001 में जारी आस्ति देयता प्रबंध (एएलएम) संबंधी दिशानिर्देश 31 मार्च 2002 से पूर्णरूपेण परिचालन में आ गए हैं। 20 करोड़ रुपए तथा अधिक की सार्वजनिक जमाराशिवाली अथवा 100 करोड़ रुपए तथा अधिक की आस्तिवाली एनबीएफसी के संबंध में 30 सितंबर 2002 से छमाही रिपोर्टिंग की व्यवस्था शुरू की गयी है तथा यह रिपोर्टिंग संगत छमाही की समाप्ति के एक माह के भीतर करनी होगी।

सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन

6.14 सभी एनबीएफसी को निदेश दिया गया कि वे अपना निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से अवश्य करें (क) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) में ग्राहकों की सहायक सामान्य बही खाता (सीएसजीएल) अथवा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) में पंजीकृत सहभागी निक्षेपागार क जरिए निक्षेपागारों यानी राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. (एनएसडीएल) तथा केंद्रीय निक्षेपागार सेवा लि. (सीडीएसएल) में अभौतिकीकृत (डीमेट) खाते में करें।

जमाकर्ताओं को शिक्षित के लिए प्रकटीकरण

6.15 एनबीएफसी की जमाराशियां किसी बीमा योजना के अंतर्गत बीमाकृत नहीं हैं। पारदर्शिता और लोगों की जागरूकता के हित में एनबीएफसी को निदेश दिया गया है कि वे अपने पास रखने के लिए सार्वजनिक जमाराशियों को आमंत्रित करने के लिए अपने द्वारा जारी किसी भी विज्ञापन/विवरण में यह वाक्यांश शामिल करें कि उनके पास जमा की गई जमाराशियां बीमाकृत नहीं हैं।

सारणी VI.3 : बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए विनियामक मानदंड

ब्यौरा	बैंक	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
1	2	3
न्यूनतम पूंजी/निवल स्वाधिकृत निधि	नए बैंकों के मामले परिचालन शुरू करने के तीन वर्ष के भीतर 200 करोड़ रुपए की न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं को बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए की जानी है। किसी भी समय प्रवर्तक का न्यूनतम अंशदान प्रदत्त पूंजी का 49 प्रतिशत बने रहना चाहिए।	किसी भी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था को व्यवसाय शुरू करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्रदान करने के प्रयोजन से कम से कम 2 करोड़ रुपए की निवल स्वाधिकृत निधियां होना एक पूर्व-शर्त है।
सांविधिक चलनिधि अपेक्षाएं	भारत में (i) नकदी (ii) स्वर्ण (चालू बाजार मूल्य तक),(iii) रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट मूल्यों पर भार रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों में अथवा (iv) पाक्षिक आधार पर भारत में कुल मांग और मीयादी देयताओं के न्यूनतम 25 प्रतिशत राशि, किसी भी दिन कारोबार की समाप्ति पर, भारत में राष्ट्रीय बैंक में चालू खाता में निवल शेष बनाए रखें अथवा दूसरे यह 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके लिए रिज़र्व बैंक समय-समय पर जारी नोटिस के जरिए निर्दिष्ट करता है।	भारत में वर्तमान बाजार मूल्यों पर निर्धारित मूल्यवाली भाररहित अनुमोदित प्रतिभूतियों में किसी भी दिन कारोबार की समाप्ति पर राशि बनाए रखें जो दूसरी पिछली तिमाही के अंतिम कार्यदिवस को बकाया सार्वजनिक जमाराशियों के 15 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।
नकदी प्रारक्षित अनुपात	लागू हैं	ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है।
प्रारक्षित निधि	लागू है। लाभांश की घोषणा के पूर्व प्रत्येक वर्ष लाभ में से लाभ के 20 प्रतिशत से अधिक की राशि ऐसे प्रारक्षित निधि में अंतरित करें।	बैंकों जैसा ही प्रावधान लागू है।
प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व-अनुमोदन	आवश्यक प्रबंधक निदेशकों आदि की नियुक्ति की शर्तों में संशोधन के संबंध में लागू है।	ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है।
समान निदेशकों पर रोक	लागू है	ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है।
अतिरिक्त निदेशकों की नियुक्ति के अधिकार	बैंकिंग कंपनी के अतिरिक्त निदेशकों के रूप में एक अथवा अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति रिज़र्व बैंक कर सकता है।	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के मामले में ऐसा कोई अधिकार नहीं है।
लेखा परीक्षकों की नियुक्ति पर नियंत्रण	बैंकिंग कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पुनः नियुक्ति अथवा उन्हें हटाने के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। इन कंपनियों को कंपनी अधिनियम 1956 के उपबंधों के अनुसार अपने लेखा परीक्षकों की नियुक्ति का अधिकार है।
जमा संबंधी निदेश	बैंकिंग की एक प्रमुख विशेषता है लोगों से जमाराशियां स्वीकार करना जो मांगे जाने पर प्रतिदेय (चुकाने योग्य) हैं। बचत खाते पर देय ब्याज दर रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित है।	सार्वजनिक जमाराशियाँ स्वीकार करने के संबंध में, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यूनतम पात्रता मानदंड, प्रमात्रा, न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि, ब्याज दर से संबंधित विस्तृत निदेशन और विज्ञापन।
भुगतान प्रणाली	भुगतान और निपटान प्रणाली के सदस्य हैं।	चेक द्वारा आहरणयोग्य जमाराशियों को स्वीकार कराने की अनुमति नहीं ।
निक्षेप बीमा	किसी बीमाकृत बैंक में प्रत्येक जमाकर्ता का उसी क्षमता और अधिकार में 1 लाख रुपए तक की राशि भारतीय निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम द्वारा बीमाकृत होती है।	जमाराशियां बीमाकृत नहीं होती हैं तथा कोई सरकारी एजेंसी मूलधन अथवा ऐसी जमाराशियों पर ब्याज के भुगतान की गारंटी नहीं लेती है।
पुनर्वित्त सुविधा	रिज़र्व बैंक पुनर्वित्त सुविधा पुनर्भुनाई सुविधा और मांग ऋण प्रदान करता है।	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
समामेलन का अधिकार तथा व्यवस्था की योजना	रिज़र्व बैंक को अधिकार है कि वह बैंक के शेयरधारकों के अपेक्षित बहुमत द्वारा अनुमोदन पर समामेलन, पुनर्निर्माण और व्यवस्था की योजना की अनुमति दे सकता है।	ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
बंद करने की प्रक्रियाएं	कतिपय परिस्थितियों में बैंकिंग कंपनी को बंद करने के विशेष प्रावधान है।	कंपनी अधिनियम, 1956 में निहित आय प्रावधानों के अंतर्गत बंद करना।

पूंजी बाजार में एनबीएफसी का निवेश

6.16 पूंजी बाजार में एनबीएफसी के निवेश का जमाकर्ताओं के हित पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। 31 मार्च 2002 अथवा उसके बाद की स्थिति के अनुसार 50 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक की सार्वजनिक जमाराशियां रखनेवाली एनबीएफसी तथा जमाकर्ताओं के 50 करोड़ रुपए तथा उसके अधिक की कुल देयताओं वाली आरएनबीसी को निदेश दिया गया है कि वे संगत तिमाही की समाप्ति के एक माह के भीतर, तिमाही अंतराल पर, पूंजी बाजार में अपने निवेश से संबंधित सूचना रिज़र्व बैंक को उपलब्ध कराएं।

छूट :

6.17 विनियामक दिशानिदेश का मूल सिद्धांत जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना है, न कि वास्तविक जोखिम उठाने के मूल कार्य को हतोत्साहित करना। तदनुसार, उद्यम पूंजी निधि कंपनियों तथा स्टॉक ब्रोकिंग कंपनियों को, जो रिज़र्व बैंक विनियमों के अंतर्गत यथापरिभाषित लोगों की जमाराशियां स्वीकार नहीं करती हैं तथा जो सेबी से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त हैं, उन्हे पंजीकरण प्रमाणपत्र अपेक्षाओं, चलनिधि आस्तियों को बनाए रखने तथा प्रारक्षित निधि के गठन से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धाराओं के मुख्य प्रावधानों से छूट प्रदान की गयी है।

यूटीआई की यूनिटों में आरएनबीसी द्वारा निवेश

6.18 किसी म्युचुअल फंड में असमानुपाती (बृहत) निवेश को रोकने के लिए म्युचुअल फंडों में आरएनबीसी के निवेश कतिपय प्रतिबंधों के अधीन हैं। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के दो भागों में बँट जाने तथा इस तथ्य के कारण कि यूटीआइ की म्युचुअल फंड संबंधी वर्तमान गतिविधियां सेबी (म्युचुअल फंड) विनियमन, 1996 के दायरे में आती हैं, के मद्देनजर आरएनबीसी को यह अनुमति कि वे जमाकर्ताओं को कुल देयताओं का 10 प्रतिशत की समग्र उप सीमा यूटीआई की यूनिटों में निवेश कर सकती हैं, समाप्त कर दी गयी है। तथापि, यूटीआइ सहित म्युचुअल फंडों में निवेश करने की आरएनबीसी को दी गयी अनुमति समग्र देयताओं के 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के भीतर जारी रहेगी। किसी मुचुअल फंड को ऐसी देयताओं का 2 प्रतिशत की उप अधिकतम सीमा तक निवेश करने की छूट अब यूटीआइ की यूनिटों के लिए भी दी गयी है।

प्राथमिक व्यापारी

6.19 प्राथमिक व्यापारियों के लिए विनियामक संरचना वित्तीय बाजार में उनकी अद्वितीय स्थिति को दर्शाती है, जबकि वे अनिवार्य रूप से मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाजार में काम करनेवाले गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थक हैं, प्राथमिक व्यापारी भी केंद्रीय बैंक की चलनिधि को बैंकों में ले जाते हैं ताकि मांग मुद्रा बाजार में बैंकों को उनके ऋण की अंतर-बैंक देयताओं का अंग माना जाए। मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाजार में बैंकों के साथ निवेशक होने के अतिरिक्त प्राथमिक व्यापारी बाजार बनाने का कार्य भी संपन्न करते हैं, जिसके दौरान उन्हें चलनिधि समायोजन सुविधा के रूप में रिज़र्व बैंक की चलनिधि व्यवस्था तक पहुंच की अनुमति होती है तथा हाल ही तक, प्राथमिक नीलामियों में उनकी प्रतिबद्धता के अनुरूप पुनर्वित्त सुविधाएं उपलब्ध होती रही हैं । वित्त बाजार में उनकी विशेष भूमिका के अनुरूप रिज़र्व बैंक ने हाल ही में प्राथमिक व्यापारियों के लिए विनियामक संरचना का निर्माण किया है जो बैंकों से उनकी कार्यात्मक समानताएं और भिन्नताएं दर्शाता है (सारणी VI.4) मुद्रा बाजार लिखतों और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापारी के रूप में उनके अनिवार्य कार्य के मद्देनजर बैंकों से भिन्न प्राथमिक व्यापारी आस्ति वर्गीकरण, आय की पहचान, गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण और निवेश मानदंडों के संबंध में कई विनियमों के अधीन नहीं हैं। भारतीय संदर्भ में प्राथमिक व्यापारी नेटवर्क का पैमाना, क्षेत्र और विनियमन कमोबेश विभिन्न देश के अनुभवों के अनुरूप है (सारणी VI.5)।

6.20 निम्नलिखित विशेषताओं के संदर्भ में प्राथमिक व्यापारियों को उनकी बढ़ती हुई सर्वांगीण महत्ता को ध्यान में रखते हुए 2002-03 में वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के दायरे में लाया गया है: क) उनकी बड़ी संख्या ख) अल्पावधिक निधि के साथ अत्यधिक बड़े लीवरेज्ड पोर्टफोलियो, संविभाग ग) सरकारी प्रतिभूति बाजार में पर्याप्त हिस्सा, तथा घ) मुद्रा बाजार में महत्त्वपूर्ण स्थिति जो बैंकों से तुलनीय है। रिज़र्व बैंक निर्धारित आवधिक विवरणियों के जरिए अप्रत्यक्ष नियंत्रण के अतिरिक्त प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी का प्रत्यक्ष (कार्यस्थल पर) निरीक्षण भी करता है।

6.21 जनवरी 2002 में प्राथमिक व्यापारियों को निदेश दिया गया कि वे लाभांश वितरण के लिए विवेकसम्मत नीति का अनुसरण करें। इससे पर्याप्त भंडार निर्माण की संभावना है (जो विनियामक अपेक्षाओं से अधिक भी हो सकता है) जो भविष्य में ब्याज दर में प्रतिकूल गतिविधि के लिए समयोपयोगी भंडार के रूप में काम करेगा। प्राथमिक व्यापारियों की वित्तीय क्षमता की निगरानी नियमित अंतराल पर की जा रही है।

6.22 प्राथमिक व्यापारियों के परिचालन के लिए निधियन अवसरों को बढ़ाने की दृष्टि से उन्हें (प्राथमिक व्यापारियों) को अनुमति दी गयी कि वे अपनी निवल स्वाधिकृत निधियों के 25 प्रतिशत तक की समग्र सीमा के भीतर बैंकों से विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) ऋण प्राप्त करें ताकि वे अपने निधीयन स्रोतों को पूरा कर सकें। ऐसे ऋणों पर विदेशी मुद्रा जोखिम को हमेशा निवेश के 50 प्रतिशत तक प्रतिरक्षा (बचाव) की आवश्यकता होगी।

सारणी VI.4 : चुनिंदा विनियामक मानदंडों के संबंध में बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों की तुलनात्मक स्थिति

मानदण्ड	बैंक	प्राथमिक व्यापारी
1	2	3
सीआरएआर	कुल जोखिम भारित आस्तियों का 9 प्रतिशत	15 प्रतिशत ऋण जोखिम के लिए टियर I और टियर II पूंजी जैसा कि बैंकों के लिए परिभाषित है। भारतीय ब्यूरो मानदंडों के अनुसार बाध्यताओं के अधीन बाजार जोखिम के लिए टियर III पूंजी। सहायक कंपनियों (व्यापारियों) के लिए पूंजी-पर्याप्तता लागू नहीं है।
निवेश	सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियों और गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियों अर्थात् कुल निवेश संविभाग को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया यथा परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) (कुल निवेश का 25.0 प्रतिशत तक) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) तथा व्यापार (ट्रेडिंग) के लिए धारित (एचएफटी) साथ ही उन्हें क्रमिक रूप से बही में नियमित आधार पर बाजार मूल्य पर अंकित करने का मानक अपनाया जाए। तथापि तुलन पत्र फार्मेट के अनुसार निवेशों को छह वर्तमान वर्गीकरणों के अनुसार प्रकट किया जाना जारी रहेगा।	सरकारी और गैर-सरकारी प्रतिभूतियों के संविभाग की धारिता अवधि तथा उनको बेचने (व्यतिक्रम) की अवधि की शर्त तक पूरा किया जा सकता है तथा इन्हें व्यापार के लिए धारित और बाजार-मूल्य के अनुसार बही में अंकित किया गया माना जाए।
प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाएं	मदों[3] की संख्या	(क) मांग में निवल उधार (अवधि के दौरान औसत और सर्वाधिक) (ख) लागत से कमी पर मूल्यन का आधार तथा बाजार मूल्यांकन का आधार (लो कॉम)/बाजार मूल्य को बही खाता में अंकित करना (एमटीएम) (ग) लीवरेज अनुपात (औसत और सर्वाधिक); और (घ) सीआरएआर (तिमाही आंकड़े) इसके अतिरिक्त प्राथमिक व्यापारी अतिरिक्त प्रकटीकरण के जरिए भी और जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं।
आस्ति-देयता प्रबंध संबंधी दिशा निर्देश	फरवरी 1999 में शुरू की गयी। बैंकों को आरम्भ में अपनी देयताओं और आस्तियों के 60 प्रतिशत तथा उसके बाद 1 अप्रैल 2000 तक अपने व्यवसाय के 100 प्रतिशत तक व्याप्ति सुनिश्चित करनी होगी। प्रथम दो बार के समूहों (अर्थात 1-14 दिन तथा 15-29 दिन) में केवल ऋणात्मक चलनिधि असंगतियों के लिए ही विवेकसम्मत मानदण्ड निहित किए गए तथाउसकी दर इन समय समूहों में प्रत्येक के लिए नकदी प्रवाह का 20 प्रतिशत निर्धारित किया गया।	एनबीएफसी के आस्ति देयता प्रबंध संबंधी दिशा निदेश प्राथमिक व्यापारियों पर जनवरी 2002 से उनके परिचालन की प्रकृति के अनुरूप आवश्यक संशोधन के साथ लागू है। • चलनिधि जोखिम प्रबंध के लिए संपूर्ण सरकारी प्रतिभूति संविभाग को चलनिधि माना जाए तथा उन्हें प्रथम समय समूह में रखा जाए। गैर-सरकारी प्रतिभूतियों को धारिता अवधि तथा उन्हें बेचने (व्यतिक्रम) अवधि की शर्त को पूरा करने तक ट्रेडिंग पोर्टफोलियो (संविभाग) माना जाए। • प्राथमिक व्यापारियों को निदेश दिया गया है कि वे साधारण परिपक्वता पुनमूल्यनिर्धारण अंतर के बजाय ब्याज दर जोखिम प्रबंध उपायों के संबंध में आवधिक अंतराल, आधार बिन्दु पर वर्तमान मूल्य (पीवीबीपी), जोखिम दैनिक आय (डीइएआर), जोखिम मूल्य आदि को जारी रखें जैसा कि रिजर्व बैंक द्वारा सुझाव दिया गया है।
संसाधन संग्रहण	बैंकों के लिए लागू नहीं है।	प्राथमिक व्यापारी निम्नलिखित के जरिए संसाधन जुटा सकते हैं : i) मांग/मीयादी उधार ii) सामान्य/बैकस्टाप/ चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिजर्व बैंक से उधार; iii) बाजार से रिपो उधार iv) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से क्रेडिट लाइन के अंतर्गत उधार; v) आइसीडी/वाणिज्यिक पत्र/बांड के जरिए उधार; और vi) बैंकों की विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाता के अंतर्गत उधार

[3] सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा तुलनपत्र में लेखों पर टिप्पणी में निम्नलिखित सम्मिलित हैं : भारत सरकार की प्रतिशत शेयरधारिता; निवल अग्रिमों के प्रति निवल एनपीए की प्रतिशतता; एनपीए के लिए किए गए प्रावधान की राशि; निवेश और आयकर के मूल्य में पृथक; गिरावट; पूंजी पर्याप्तता अनुपात (टियर I और टियर II पूंजी) पृथक; टियर II पूंजी के रूप में जुटाये गये गौण ऋण; भारत में और भारत के बाहर निवेश का सकल मूल्य; मूल्यह्रास और निवेश के निवल मूल्य के लिए कुल प्रावधान; औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय; औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ; आस्तियों पर आय; प्रति कर्मचारी कारोबार; प्रति कर्मचारी लाभ; ऋण और अग्रिम का परिपक्वता स्वरूप; प्रतिभूतियों में निवेश का परिपक्वता स्वरूप; विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताएं एनपीए में उतार-चढ़ाव; जमाराशि और उधार का परिपक्वता स्वरूप; संवदेनशील क्षेत्रों को ऋण देना; पुनः संरचित लेखाओं का हिसाब करना; शेयरों में निवेश; परिवर्तनीय डिबेंचरों में निवेश; इक्विटी उन्मुखी म्युचुअल फंडों की यूनिटें; एनपीए के लिए धारित प्रावधानों में घट बढ़ तथा निवेश संबंधी मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों में घटबढ़।

सारणी VI.5: प्राथमिक व्यापारी प्रणालियां भिन्न-भिन्न देशों के अनुभव

अर्थव्यवस्था	आरम्भ की तारीख	व्यापारियों की संख्या	प्राथमिक व्यापारियों की संख्या	केंद्रीय बैंक की सुविधाओं तक पहुंच		पर्यवेक्षण
				चल निधि सहायता	खुला बाजार परिचालन	
1	2	3	4	5	6	7
ब्राजील	1974	338	22	नहीं	हाँ	केंद्रीय बैंक
कनाडा	1998	44	12	हाँ	हाँ	केंद्रीय बैंक, वित्त मंत्रालय, निवेश व्यापारी संघ।
फ्रांस	1987	40 से अधिक	18	नहीं	नहीं	वित्त मंत्रालय
मेक्सिको	2000	20-25	5	हाँ	नहीं	केंद्रीय बैंक, वित्त मंत्रालय
ब्रिटेन	1986	उपलब्ध नहीं	17	नहीं	नहीं	वित्त सेवा प्राधिकरण, वित्त मंत्रालय
संयुक्त राज्य अमेरिका	1960	उपलब्ध नहीं	25	हाँ	हाँ	केंद्रीय बैंक, वित्त मंत्रालय

एन. ए : उपलब्ध नहीं

स्रोत : अर्नौन, मार्को और जार्ज आइडेन (2003) प्राइमरी डालर्स इन गर्वेन्मेंट सिक्योरिटीज पालिसी, इस्यूज 2003 सलैक्टेड कन्ट्रीज *'एक्सपीरियेंस'* आइएमएफ वर्किंग पेपर सं. डब्ल्यूपी/03/45।

6.23 कुछ प्राथमिक व्यापारियों से प्राप्त अभ्यावेदनों के अनुसरण में रिज़र्व बैंक ने परिचालनात्मक दिशानिदेश जारी किए जिससे वे रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित प्रतिष्ठानों के अतिरिक्त अन्य प्रतिष्ठानों के लिए पोर्टफोलियो (संविभाग) प्रबंध सेवा प्रदान करने में सक्षम हुए। उपर्युक्त परिचालनात्मक दिशानिदेशों के अनुपालन के अतिरिक्त, प्राथमिक व्यापारियों द्वारा शुरू की गयी संविभाग प्रबंध सेवा के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन और सेबी में पंजीकरण अपेक्षित है।

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त और निदेशन

6.24 कई देशों ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र-दोनों में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की स्थापना की है, जिन्हें बैंकों की गैर-निष्पादक आस्तियों की वसूली और समापन में विशेषज्ञता प्राप्त है (सारणी VI.6)। यह मेक्सिको, फिलीपीन, स्पेन और अमरीका में आस्तियों की तीव्र गति से निपटान करने के लिए किए गए पहले के अनुभवों को सुदृढ़ करता है। बैंकिंग क्षेत्र सुधार संबंधी समिति (अध्यक्ष: श्री एम. नरसिंहम) ने अवरूद्ध आस्तियों के आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी को अंतरित करने की सिफारिश की थी। हाल ही का वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (एसएआरएफएइएसआइ अधिनियम) में बैंकों द्वारा प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी)/पुनर्निर्माण कंपनियों (आरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री का प्रावधान है।[4]

6.25 आस्ति पुनर्निर्माण का बुनियादी परिचालन एक सामान्य कल्पित उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है (सारणी VI.7)। कोई बैंक अपनी गैर-निष्पादक आस्तियाँ को उस छूट / बट्टे (जैसे, संपार्श्विक मूल्यांकन के लिए चिन्हित) पर किसी ए आर सी को बेच सकेगा जो उसके तुलन पत्र को भार-रहित रखने के लिए सामान्य प्रक्रिया को क्षति पहुँचाए बिना ए

सारणी VI 6 : पुनर्संरचनात्मक एजेंसियां - चुनिंदा देशों के अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव

देश	एजेंसी	स्वामित्व	आस्ति अंतरण मानदंड	अन्तरण मूल्य	निपटान की गई आस्तियों का हिस्सा
1	2	3	4	5	6
चीन	बैंकों के चाए एजेंसियां बैंकों के अनुकूल बनी (वर्ष 1999)	सार्वजनिक	गैर - निष्पादक ऋण	बही मूल्य	दिसंबर 2001 के अनुसार 9.0 प्रतिशत
फिनलैंड	आर्सेनल (1993)	सार्वजनिक	गैर - निष्पादक ऋण	बही मूल्य	50 प्रतिशत से कम
घाना	एनपीएआरटी (1990-97)	सार्वजनिक	अधिकांशतः गैर-निष्पादक ऋण	उपचित ब्याज को छोड़कर, बही मूल्य	अनुपलब्ध संयाजक एजेंसी में परिवर्तित
स्वीडन	सेक्यमरम (1992-97) रिट्रीवा (1993 - सेक्यूरम के साथ विलयित, 1995)	सार्वजनिक	ऋणों की मात्रा एवं जटिलता	बही मूल्य	86 प्रतिशत

स्रोत: 1. क्लिंजेबियक, डी (1999), ऑफ बैंकिंग काइमेसड वर्ल्ड बैंक पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर।
2. मा गॉनम एण्ड बेन एस. सी. फंग (2002), "चाइनीज असेट मैनेजमेंट कारपोरेशन," बीआईएस वर्किंग पेपर, सं.115

[4] अध्याय 2 में इस संबंध में ब्यौरे दिये गए हैं।

सारणी VI.7 आस्ति पुनर्निर्माण में लेन-देन : एक परिकल्पित उदाहरण

बैंक के तुलन पत्र में उपलब्धता				ए आर सी के तुलन पत्र में उपलब्धता			
देयताएं		आस्तियां		देयताएं		आस्तियां	
1	2	3	4	5	6	7	8
जमा राशियाँ		ए आर सी को अंतरित ऋण	-100	बांड	50	अंतरित मूल्य पर मूल्यांकित बैंक ऋण	50
लाभ	(-)50	प्राप्त भुगतान (आंतरित मूल्य पर ए आर सी बांड)	50	लाभ	10	पुनर्निर्माण के दौरान मूल्य-वर्धन	10
कुल	**-50**		**-50**	**कुल**	**60**		**60**

आर सी द्वारा जारी किए गए बांडों के बदले में लाभ हानि खाते में प्रभारित किया जाएगा। ए आर सी, जो बैंक (या जनता) को जारी किए गए बांडों के बदले में आस्तियां) खरीदती है, लाभ अर्जित कर सकती है, यदि इसका पुनर्निर्माण कर सके अथवा उच्चतर मूल्य पर इसका निपटान कर सके।

6.26 रिज़र्व बैंक ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निमाण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (एस ए आर एफ एई एस आई) (बॉक्स VI.2) की धारा 3 के अन्तर्गत पंजीकरण की माँग करनेवाली प्रतिभूतिकरण कम्पनियों तथा आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों को मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा दिशा निर्देश जारी किए । रिज़र्व बैंक को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों से अब तक 15 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों के पंजीकरण के लिए एक बाहय परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया है जो इन आवेदनपत्रों की संवीक्षा करेगी तथा इन कंपनियों के पंजीकरण हेतु रिज़र्व बैंक को परामर्श देगी। कतिपय शर्तों के अधीन आस्ति पुनर्गठन कम्पनियों का कारोबार करने के लिए अब तक दो आवेदनपत्रों को अनुमोदित किया गया है। दो आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों, यथा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया), लिमिटेड तथा एसेट केयर इंटरप्राइजेज लिमिटेड को कतिपय शर्तों के अधीन प्रतिभूतिकरण तथा आस्ति पुनर्गठन का कारोबार प्रारम्भ करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया है।

नये तुलन-पत्र फार्मेट का स्वरूप

6.27 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पर्यवेक्षणीय ढाँचे की रूप-रेखा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समूह (अध्यक्ष : श्री पी.आर. खन्ना) की सिफारिशेां के अनुसरण में रिज़र्व बैंक ने यह निर्धारण किया है कि 31 मार्च 2003 के बाद सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (इस बात को ध्यान में न रखते हुए कि क्या वे आम जनता की जमा राशियाँ धारण करती हैं या नहीं) कुछ अतिरिक्त निर्धारित विवरण (बॉक्स VI.3) को शामिल करनेवाली एक अनुसूची तुलन-पत्र के साथ संलग्न करें। ये अपेक्षाएँ, उपकरण पट्टेदारी, किराया खरीद वित्त, ऋण और निवेश तथा अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की श्रेणीवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू हैं।

6.28 पारस्परिक हितकारी वित्तीय कंपनियों (निधीज़) को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के मूल्य प्रावधानों तथा ब्याज दर पर सीमा, जमा राशियों के रजिस्टर का रखरखाव, जमाकर्ताओं को जमा-रसीदें जारी किया जाना, तथा जमाराशियों पर वार्षिक विवरणी के प्रस्तुतीकरण से संबंधित निर्देशों को छोड़कर सभी निर्देशों से छूट दी गई है। तथापि, विशेषज्ञ समूह (अध्यक्षः सुबानयगाम) की सिफारिशों को लागू करने के एक भाग के रूप में केन्द्रीय सरकार ने पारस्परिक हितकारी वित्तीय कंपनियों के लिए कतिपय विवेकपूर्ण मानदंड, जैसे कि प्रविष्टि संबंधी मानदण्ड, जमाराशियों के अनुपात में निवल स्वाधिकृत निधियां, निर्धारित चल निधि आस्ति अपेक्षा, जमाराशियों का स्वीकरण तथा इसकी पद्धति (जैसा कि रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मामले में है) जुलाई 2001 में निर्धारित किये इन मानदण्डों को अप्रैल 2002 में पुनः संशोधित किया गया। इन उपायों से इन कंपनियों के कार्य में मजबूती आने की आशा की जाती है। केन्द्रीय सरकार ने 29 सितंबर 2003 को यह अधिसूचित किया कि इन कंपनियों द्वारा स्वीकार की गयी जमाराशियों पर देय ब्याज वैसा ही होगा जैसा कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए है। उपर्युक्त निर्धारणों के साथ इन कंपनियों का समस्त विनियमन कंपनी कार्य विभाग द्वारा अधिग्रहीत कर लिया गया है।

पारस्परिक हितकारी कंपनियां (एम बी सी / संभावित निधी)

6.29 निधि कंपनियों के रूप में कार्य कर रहीं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को रिज़र्व बैंक द्वारा पारस्परिक हितकारी कंपनी (एम बीसी) के रूप में तथा कंपनी कार्य विभाग (डीसीए) द्वारा संभाव्य निधि कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620 क के अन्तर्गत निधि कम्पनियों की हैसियत चाहनेवाली कंपनी के रूप में पारिभाषित किया गया है। यह नोट करना प्रासंगिक होगा कि (9 जनवरी 2003 तक) ऐसी 206 कम्पनियां थीं जो कंपनी कार्य विभाग द्वारा अपने आवेदनों को निधि कम्पनी के रूप में अधिसूचित किए जाने की प्रतीक्षा कर रही थीं तथापि, निधि कम्पनियों की हैसियत की प्रतीक्षा कर रही पारस्परिक हितकारी कंपनियों की एक बड़ी संख्या जिसमें

बॉक्स VI.2: आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनियां

प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी) तथा पुनर्निर्माण कंपनियों (आरसी) सहित प्रतिभूतिकृत ऋणदाताओं द्वारा प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्ति पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने 21 जून 2002 को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (एस ए आर एफ ए इ एस आदि)अधिनियम, 2002 पारित किया। यह अधिनियम, रिज़र्व बैंक को पंजीकरण, स्वाधिकृत निधि, विवेकपूर्ण मानदंड, पूँजी-पर्याप्तता, सकल मूल्य तथा प्राप्त की जाने वाली परिसंपत्ति के प्रकार जैसे क्षेत्रों सहित ऐसी कंपनियों के पंजीकरण तथा इनके कार्यकलाप के लिए विनियम तैयार करने का अधिकार देता है। उपर्युक्त मामलों, से निपटने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा गठित दो कार्य समूहों की सिफारिशों के आधार पर 23 अप्रैल 2003 को प्रतिभूतिकरण अथवा पुननिर्माण कंपनियों को मार्गदर्शन तथा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एस सी/आरसी की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:-

- रिज़र्व बैंक से पंजीकरण चाहनेवाली एस सी / आरसी के लिए 2 करोड़ रुपये की स्वाधिकृत निधि अपेक्षित है।
- ऐसी एससी / आरसी प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण जैसे दोनों कार्य कर सकती हैं। जबकि वे एससी और आरसी जो रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उच्च प्रतिभूतिकरण अधिनियम की परिधि के बाहर प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण का कार्य कर सकती हैं, वे प्रतिभूतिकरण अधिनियम में प्रदत्त प्रवर्त्तन अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकतीं।
- रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत एससीज़ / आरसीज़, को स्वयं को प्रतिभूतिकरण तथा आस्ति पुनर्गठन के कारोबार की गतिविधियों तक तथा प्रतिभूतिकरण अधिनियम के अन्तर्गत अनुमोदित ऐसी अन्य गतिविधियों तक सीमित रखना होगा/ सकती हैं। किसी अन्य प्रकार के कारोबार करने के लिए उन्हें रिज़र्व बैंक से अनुमोदन लेना होगा। ऐसा कोई अन्य कारोबार करनेवाली कंपनियों को 20 जून, 2003 से ऐसे कार्यकलापों को करने से रोक दिया गया है।
- एससी / आरसी जमाराशियाँ (कंपनी अधिनियम, 1956 की धार 58 ए के अन्तर्गत यथा परिभाषित) स्वीकार नहीं करेंगी।
- जबकि प्रतिभूति अधिनियम में प्रबंधन के परिवर्तन अथवा अधिग्रहण / उधारकर्ता के कारोबार के विक्रय अथवा पट्टे पर दिए जाने का प्रावधान है, एस सी / आरसी तब तक इन अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकती हैं, जब तक कि रिज़र्व बैंक इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी न करे।
- प्रत्येक एससी / आरसी को रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र स्वीकृत किए जाने के 90 दिन के भीतर अपने निदेशक - मंडल (बोर्ड) के अनुमोदन से एक आस्ति अधिग्रहण नीति तैयार करनी होगी। *अन्य बातों के साथ - साथ* इसमें वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण, आस्तियों के प्रकार तथा वांछनीय रूप-रेखा, आस्तियों के मूल्यांकन तथा अधिकारों के प्रत्यायोजन के लिए मानदंड एवं प्रक्रियाओं का प्रावधान करना लगा।
- एस सी / आरसी, उधारकर्ता द्वारा अदा किये जाने वाले ऋण का पुनर्निर्धारण तथा निपटान, इस संबंध में उनके निदेशक मंडल (बोर्ड) द्वारा तैयार की गई नीति के अनुसार करना होगा। एससी / आरसी, आस्तियों की वसूली के लिए एक योजना तैयार करेगी जो आस्तियों के पुनर्निर्माण के लिए प्रस्तावित उपायों तथा एक विशेष समय-सीमा जो किसी भी हालत में अधिग्रहण की तारीख से 5 वर्ष से अधिक न हो, के भीतर उसकी वसूली के उपायों, का स्पष्ट उल्लेख करेगी।
- एससी / आरसी, अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यू आइ बीज़) से इस संबंध में तैयार की गई नीति के अनुसार प्रतिभूति रसीदों को जारी करके, इस प्रयोजन हेतु गठित एक या अधिक न्यासों के माध्यम से निधि में वृद्धि कर सकती हैं। निजी तौर पर शेयर आबंटन आधार पर जारी किए जानेवाली प्रतिभूति रसीदें केवल अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं के बीच ही अंतरित की जा सकती हैं।
- प्रतिभूतिकरण कंपनियां / पुनर्निर्माण कंपनियां किसी प्रायोजक के रूप में अथवा एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के प्रयोजन से किसी दूसरी प्रतिभूतिकरण कंपनी / पुनर्निर्माण कंपनी की इक्विटी शेयर पूँजी में आस्ति पुनर्निर्माण के उद्देश्य से निवेश कर सकती हैं। उपलब्ध अतिरिक्त निधियां सरकारी प्रतिभूतियों तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा राशियों में इस संबंध में उनके निदेशक मंडल द्वारा तैयार की गई नीति के अनुसार नियोजित की जायेंगी । जमीन तथा भवनों में निवेश उधार की गई निधि से अलग निधि और अथवा न्यूनतम निर्धारित निधि 2 करोड़ रुपये से अधिक स्वाधिकृत निधि से किया जायेगा।
- पूंजी-पर्याप्तता, आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण, निवेश के मूल्यांकन तथा प्रावधानीकरण के विवेकपूर्ण मानदंड ऐसी कंपनियों के तुलन-पत्र में धारित आस्तियों पर लागू होंगे।
- प्रत्येक प्रतिभूतिकरण कंपनी / पुनर्निर्माण कंपनी अपने तुलन-पत्र में अंकित आस्तियों को मानक तथा गैर-निष्पादक आस्तियों में वर्गीकृत करेगी तथा पुनः अपनी गैर-निष्पादक आस्तियों को अवमानक आस्तियों, संदिग्ध आस्तियों तथा हानिगत आस्तियों में वर्गीकृत करेगी। क्रमशः अवमानक आस्तियों तथा संदिग्ध आस्तियों के संबंध में प्रावधानीकरण क्रमशः 10 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत (प्रतिभूति के आकलित मूल्य में शमिल नहीं होने वाली आस्तियों के 100 प्रतिशत की सीमा तक) किया जाएगा। हानिगत आस्तियों वाले बट्टे खाते डाला जाए। यदि किसी कारणवश हानिगत आस्तियों को बहियों में बनाये रखा गया है तो उसकी पूर्ण सीमा तक प्रावधान किए जाएं।
- प्रतिभूतिकरण कंपनियों / पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा किए गए सभी निवेश मूल्य के निम्न स्तर अथवा वसूली योग्य मूल्य तक मूल्यांकित किए जाएँ।
- प्रतिभूतिकरण कंपनियां / पुनर्निर्माण कंपनियां लगातार जारी आधार पर एक पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखें जो इसकी कुल जोखिम भारिता आस्ति के 15 प्रतिशत से कम न हो।
- प्रतिभूतिकरण कंपनियों / पुनर्निर्माण कंपनियों को *अन्य बातों के साथ - साथ* अपने तुलन-पत्र में प्रकटीकरण करना होगा तथा वित्तीय ब्योरे ब्याज-दर / संभावित लाभ, ब्याज चुकौती योग्य व्यवस्था सहित चुकौतियों के ब्यौरे, ऋण-दर, यदि कोई हो, प्रतिभूति रसीदों का समर्थन करनेवाली आस्तियों का वर्णन आदि के रूप में दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

ऊपरनिर्दिष्ट कंपनियाँ भी शामिल थीं, ने रिज़र्व बैंक के पास गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्वीकृति के लिए आवेदन किया। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक अधिनियम में दी गई छह वर्ष की अवधि 9 जनवरी, 2003 को समाप्त हो गई, रिज़र्व बैंक को व्यक्तिगत गुणवत्ता तथा पात्रता मानदंडों के पूरा किए जाने के आधार पर सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के सभी लंबित आवेदनों पर निर्णय लेना है। उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सभी निधियों तथा संभाव्य निधियों का विनियमन कंपनी कार्य विभाग द्वारा अधिगृहीत कर लिया गया है और चूँकि सरकार रिज़र्व बैंक के इस प्रस्ताव से सहमत हो गई कि केवल उन्हीं संभाव्य निधियों को रिज़र्व बैंक विनियमन से छूट दी जाए जो 9 जनवरी 1997 तक अस्तित्व में थीं तथा जिन्होंने कंपनी कार्य विभाग के पास निधि स्थिति

बॉक्स VI.3: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा तुलनपत्र प्रकटीकरण

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा तुलन-पत्र में किये जानेवाली प्रकटीकरण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की पर्यवेक्षीय ढाँचे की रूप-रेखा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ-समूह (अध्यक्षः श्री पी.आर. खन्ना) यह सिफारिश की थी कि रिज़र्व बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा तैयार किए जानेवाले तुलन-पत्र के फॉर्मेट की दुबारा डिजाइनिंग करने की संभावनाओं का पता लगाया जाए। कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा तेयार किए गये वित्तीय विवरणों के फोर्मेट से मुख्य रूप से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कारोबारी परिचालनों का पता लगाने के लिए बनाया गया था। अतः यह उनके विशेष कारोबारी विशेषताओं को प्रतिबिम्बित नहीं करता। इस मामले की जाँच करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसी ए आई) के अधिकारियों की एक समिति गठित की गई जिसने सितंबर 1999 में यह सिफारिश की थी कि कंपनी अधिनियम में यथा निर्धारित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के तुलन पत्र का फार्मेट जारी रखा जाए, तुलन-पत्र से संलग्न अनुसूचियाँ तथा लाभ एवं हानि खाते द्वारा गैर-बैंकिंग बैंक वित्तीय मध्यस्थक संस्थाओं के विशेष जोखिम - प्रोफाइल को प्रतिबिम्बित करने के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण प्रारूप निर्धारित किया जाए। इन सिफारिशों पर औद्योगिक संगठनों तथा अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ चर्चा की गई। उद्योग जगत के विभिन्न सुझावों तथा अन्य गतिविधियों जैसे कि, आई सीए आई द्वारा जारी गई मानक लेखा प्रणाली तथा सेबी द्वारा सूचीबद्ध कंपनियों के लिए निगमित शासन हेतु दिशा निर्देश और जमाकर्त्ताओं के संरक्षण के लिए उपायों के संबंध में कंपनी अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह निर्देश दिया है कि वे 31 मार्च 2003 से अतिरिक्त अनुसूची संलग्न करें। अतिरिक्त घोषणा में निम्नलिखित मदें शामिल हैं : -

- विभिन्न स्रोतों से तथा विभिन्न लिखतों के माध्यम से सुरक्षित तथा असुरक्षित उधार एवं बकाया राशि।
- असुरक्षित डिबेंचरों के रूप में, अंशतः सुरक्षित डिबेंचरों के रूप में आम जनता की जमा राशियों के अलग-अलग आँकड़े तथा आम जनता की अन्य जमा राशियाँ और प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत अतिदेय राशि।
- सुरक्षित तथा असुरक्षित ऋणों एवं अग्रिमों के अलग-अलग आँकड़े तथा भुनाए गए बिल।
- पट्टे पर दी गई आस्तियों के वित्तीय पट्टे एवं संचालनगत पट्टे के रूप में अलग-अलग आँकड़े।
- किराया स्टॉक तथा पुनर्धारित आस्तियों के अलग-अलग आँकड़े।
- दृष्टिबंधक ऋणों (पट्टे पर दिए गए अथवा किराया खरीद वित्त की गणना के रूप में) के अलग-अलग आँकड़े जहाँ आस्तियाँ पुनर्धारित की गई हैं अथवा अन्य बकाया ऋण।
- वर्तमान उद्धृत एवं गैर-उद्धृत निवेश के अलग-अलग आँकड़े।
- दीर्घावधि उद्धृत एवं और-उद्धृत निवेश के अलग-अलग आँकड़े।
- संबंधित पार्टियों तथा संबंधित पार्टियों से अतिरिक्त को उधारकर्ता समूह-वार ऋण निवेश।
- संबंधित पार्टियों तथा संबंधित पार्टियों से अतिरिक्त को समूह-वार निवेश जोखिम
- संबंधित पार्टियों तथा संबंधित पार्टियों से अतिरिक्त रूप से वसूल करने योग्य सकल गैर- निष्पादक आस्तियों की स्थिति।
- संबंधित पार्टियों तथा संबंधित पार्टियों के अलावा अन्य से वसूल करने योग्य निवल गैर-निष्पादक आस्तियाँ।
- ऋण की संतुष्टि में आधिगृहित आस्तियाँ।

के लिए 9 जनवरी, 2003 के पूर्व आवेदन किया था, रिज़र्व बैंक उक्त आधार पर पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्वीकृति के लिए लंबित आवेदनों पर कार्रवाई कर रहा है। वे कंपनियां जिन्होंने कंपनी कार्य विभाग के पास निधि कम्पनी की हैसियत के लिए आवेदन नहीं किया है अथवा कंपनी कार्य विभाग विनियमों का अनुपालन नहीं कर रही हैं और वे आवेदनपत्र जो कंपनी कार्य विभाग द्वारा निधि कम्पनी की हैसियत के लिए अस्वीकृत किए जा चुके हैं, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में माना जाएगा।

6. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र का कारोबारी स्वरूप

6.30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र का मार्च 2002 के अन्त तक का कारोबारी स्वरूप विस्तृत रूप से दीर्घावधि प्रवृत्ति को दर्शाता है (चार्ट VI.1 तथा सारणी VI.8)। आम जनता की जमाराशियाँ, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कुल आस्तियों की एक-तिहाई; बनता है, अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों के मामले में यह अंश प्रायः अधिक होकर दो-तिहाई है, विशेषकर, दो अग्रणी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में आम जनता की कुल जमा राशि की समस्त राशि के बराबर हैं। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मामले में आम जनता की जमा राशि का हिस्सा (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों के अलावा) वर्ष 2001-02 के दौरान तेजी से गिरा है; साथ ही अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों के मामले में भी एक मामूली-सी गिरावट आयी है। दीर्घावधि प्रवृत्ति के अनुसरण में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों

चार्ट VI.1 : गै.बैं.वि. कम्पनी क्षेत्र का कारोबार (मार्चांत)

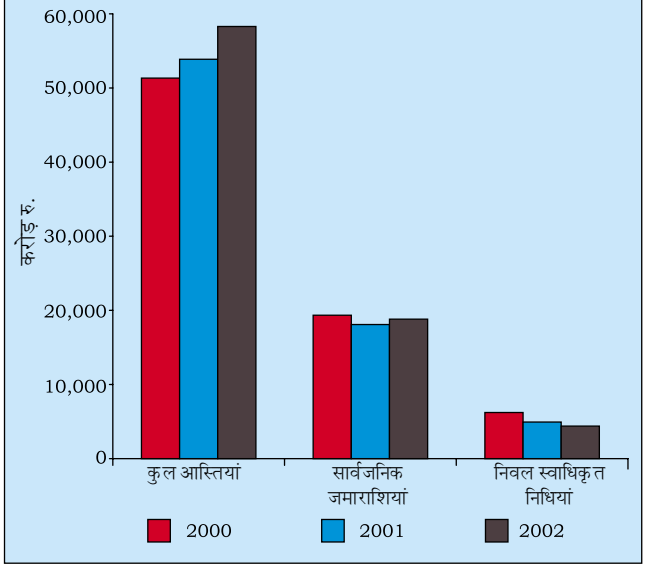

की निवल स्वाधिकृत निधि में भी गिरावट जारी रही। तथापि, अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों की निवल स्वाधिकृत निधियां इस क्षेत्र की एक अग्रणी कंपनी द्वारा दर्शायी गयी प्रवृत्ति को दर्शाते हुए धनात्मक हो गयी हैं।

6.31 अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियाँ दीर्घावधि प्रवृत्ति के अनुसरण में अपना शेयर बढ़ाते रहने के साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आम

सारणी VI.8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र का कारोबारी स्वरूप (31 मार्च तक)

(राशि करोड़ रु में)

मद	2001		2002	
	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जिसमें से अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियाँ		गैर-बैंकिंग कंपनियां वित्तीय जिसमें से अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियाँ	
1	2	3	4	5
रिपोर्ट करने वाली कंपनियों की सं.	981	7	910	5
कुल आस्तियाँ	53,878	16,244 (30.1)	58,290	18,458 (31.7)
सार्वजनिक जमा राशियाँ	18,084	11,625 (64.3)	18,822	12,889 (68.5)
निवल स्वाधिकृत निधि	4,943	- 179	4,383	111

कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े कुल के प्रतिशत अंश हैं।

चार्ट VI.2: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की गतिविधि-वार स्थिति (मार्चांत)

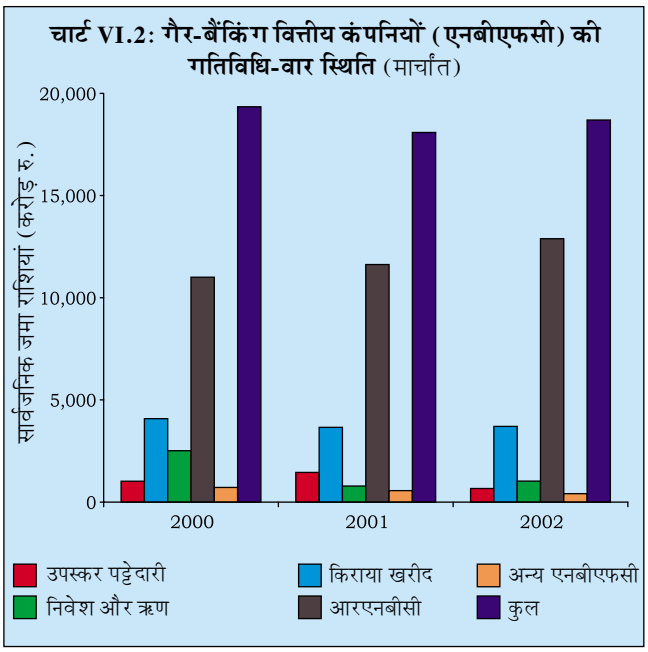

जनता की जमाराशि का एक आवश्यक भाग बनी रही हैं (चार्ट VI.2 तथा सारणी VI.9)। वर्ष 2001-02 के दौरान गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की अन्य श्रेणियों द्वारा जमा राशि संग्रहण की संरचना में बदलाव हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में उपस्कर पट्टेदारी कंपनियों के साथ आम जनता की जमा राशि में तेजी से गिरावट आयी है, जबकि निवेश तथा ऋण कंपनियों की जमा राशियों में वृद्धि हुई।

6.32 रिज़र्व बैंक व्यापक चलनिधि (एल$_3$) पर तिमाही आंकड़े प्रकाशित करता है, जिसमें मुद्रा आपूर्ति : के विश्लेषणात्मक और संकलन की प्रणाली संबंधी कार्यकारी दल (अध्यक्ष : डा. वाइ.वी. रेड्डी) की सिफारिशों के आधार पर बैंकिंग क्षेत्र, डाकघर बैंक, वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की मौद्रिक और चलनिधिगत देयताओं को समाविष्ट किया जाता है। आंकड़ों के अभाव को देखते हुए कार्यकारी दल ने सिफारिश की थी कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सार्वजनिक जमा का अनुमान 20 करोड़ रुपये और अधिक की सार्वजनिक जमा वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से प्राप्त विवरणियों के आधार पर लगाया जा सकता है। सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सार्वजनिक जमा का अंश एल$_3$ के लगभग 1.0 प्रतिशत पर बना रहा। ऐसे आरंभिक आंकड़ों के आधार पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सार्वजनिक जमा ने 2002-03 के दौरान 0.8 प्रतिशत की थोड़ी-सी वृद्धि दर्ज की (चार्ट VI.3)।

सारणी VI.9 : एनबीएफसी की विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक जमा राशियों की स्थिति

(31 मार्च को)

(राशि करोड़ रुपये में))

कारोबार का स्वरूप	गै.बै.वि.कं.		सार्वजनिक की जमाराशियां		सार्वजनिक की जमाराशियों में अंश (प्रतिशत)))	
	2001	2002	2001	2002	2001	2002
1	2	3	4	5	6	7
1. उपस्कर पट्टेदारी (इएल)	58	56	1,450	668	8.0	3.5
2. किस्ती खरीद (एचपी)	470	463	3,659	3,709	20.2	19.7
3. निवेश तथा ऋण (आइएल)	170	231	785	1,029	4.4	5.5
4. अगैबैं कम्पनियां	7	5	11,625	12,889	64.3	68.5
5. अन्य अगैबैं कम्पनियां*	276	155	564	528	3.1	2.8
कुल	**981**	**910**	**18,084**	**18,822**	**100.0**	**100.0**

* इसमें विविध गैबैं कम्पनियां, अपंजीकृत गैबैंविकं और गैर-अधिसूचित निधियां आदि शामिल हैं।

चार्ट VI.3: व्यापक चलनिधि (एल$_3$) में एनबीएफसी सार्वजनिक जमा का अंश

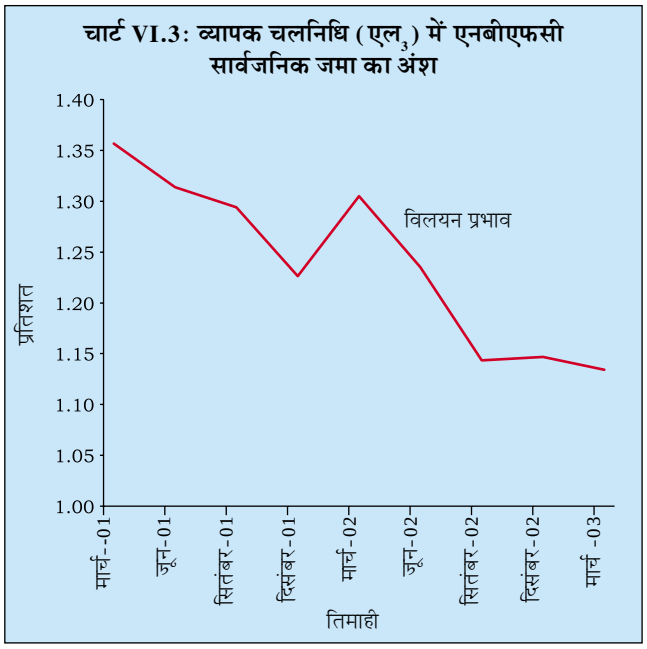

7. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित जमाराशियों का क्षेत्र-वार स्वरूप

6.33 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के स्थानीय स्वरूप के कार्य उनकी विशेषताओं में से एक है। पूर्वी क्षेत्र में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की स्थिति के संबंध में पंजीकृत और अपंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सार्वजनिक जमाराशियां मार्च 2002 के अंत में सबसे प्रमुख बनी रही जिसका मुख्य कारण है कि अग्रणी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी (आरएनसी) कोलकाता में स्थित है (सारणी VI.10)। तथापि, पूर्वी क्षेत्र के अंश में हाल के वर्षों में गिरावट आ रही है, जबकि मध्यवर्ती क्षेत्र का अंश बढ़ रहा है जो अन्य बातों के साथ-साथ लखनऊ - स्थित अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी के तेजी से हो रहे विस्तार को दर्शाती है। मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता और चेन्नै के चार महानगरीय केन्द्रों में मार्च 2002 के अंत में सार्वजनिक जमा में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का अंश बृहत्तर बना रहा।

8. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास रखी सार्वजनिक जमाराशियों पर ब्याज और परिपक्वता का स्वरूप

6.34 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) का ब्याज दर ढांचा 2001-02 के दौरान ह्रासमान बना रहा जो जमा दरों की उच्चतम सीमा में हाल ही में की गयी 350 आधार अंकों की कटौती को दर्शाती है (चार्ट VI.4 और सारणी VI.11)। यह आपूर्ति पक्ष में भारी पूंजीगत आगमों और मांग पक्ष में कम ऋण उठाव के कारण बनी सहज चलनिधि स्थितियों के अनुरूप है। 10-12 प्रतिशत की ब्याज दर सीमा में जमा का अंश 2001-02 के दौरान आये तेज उछाल के कारण 12.5 प्रतिशत की विनियामक सीमा के आस-पास रहा। जहां गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा स्वीकार की गयी उच्च-लागत की जमा की क्रमिक चुकौती की गयी, वहीं 14.0 प्रतिशत और अधिक [5] - पर संविदाकृत प्रलम्बित जमा राशियां काफी मात्रा में कुल जमा राशियों के 20 प्रतिशत पर बनी रहीं। यह उच्च ब्याज दर कमोबेश रूप में बैंक जमा की तुलना में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विशेष रूप से उठाये जानेवाले जोखिम प्रीमियम को भी दर्शाती है। साथ ही, उच्चतर ब्याज दरों के कारण आगे घटती ब्याज दरों की स्थिति में उनकी वाणिज्यिक अर्थक्षमता प्रभावित होती है।

सारणी VI.10 : पंजीकृत और अपंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के क्षेत्र-वार अलग-अलग ब्यौरे

(31 मार्च को)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	2001						2002					
	एनबीएफसी			जिसमें से आरएनबीसी			एनबीएफसी			जिनमें से आरएनबीसी		
	संख्या	राशि	प्रतिशत	संख्या	राशि	प्रतिशत	संख्या	राशि	प्रतिशत	संख्या	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
उत्तरी	253	575	3	—	—	—	271	554	3	—	—	—
उत्तरपूर्वी	—	—	—	—	—	—	3	4	0	—	—	—
पूर्वी	24	7,932	44	3	7,642	66	21	8,051	43	3	7,812	61
मध्यवर्ती	126	4,105	23	3	3,980	34	94	5,207	28	2	5,077	39
पश्चिमी	81	2,041	11	—	—	—	70	1,467	7	—	—	—
दक्षिणी	497	3,432	19	1	4	0.0	451	3,538	19	—	—	—
कुल	**981**	**18,084**	**100**	**7**	**11,625**	**100**	**910**	**18,822**	**100**	**5**	**12,889**	**100**
महानगरीय शहर												
मुंबई	62	2,011	11	—	—	—	52	1,445	8	—	—	—
चेन्नै	349	2,918	16	—	—	—	317	3,183	16	—	—	—
कोलकाता	23	7,929	44	3	7,642	66	21	8,051	43	3	7,812	61
नई दिल्ली	114	492	3	—	—	—	111	460	2	—	—	—
कुल	**548**	**13,350**	**74**	**3**	**7,642**	**66**	**501**	**13,139**	**69**	**3**	**7,812**	**61**

[5] गैबै एनबीएफसी द्वारा जनता की जमाराशियों पर दी गयी ब्याज दर की उच्चतम सीमा 31 मार्च 2001 तक 16 प्रतिशत थी।

चार्ट VI.4: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जमा राशियों पर अदा की गयी ब्याज दर की स्थिति

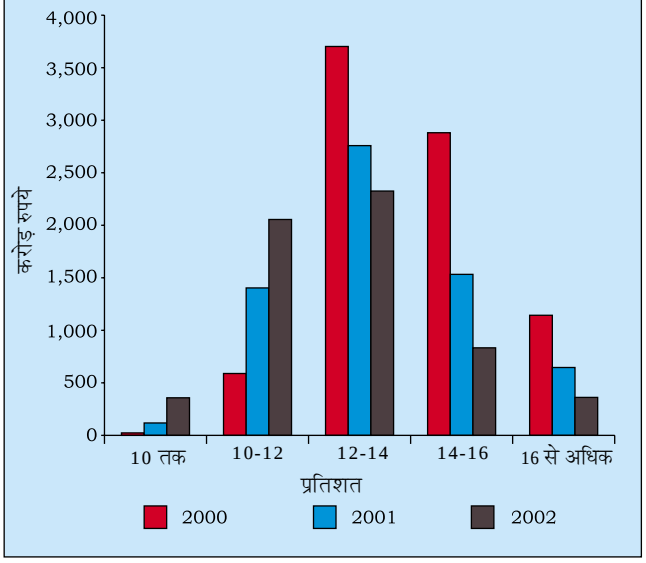

6.35 वित्तीय उप-क्षेत्र के रूप में, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां विविधता-पूर्ण संस्थाओं का समुच्चय है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों की परिपक्वता का स्वरूप अल्पवधि का रहा, विशेषतः पहले की जुटायी गयी उच्च-लागत की जमाराशियों की चुकौती के कारण (सारणी VI.12)। विशेषतः तीन वर्ष से अधिक की परिपक्वता वाली सार्वजनिक जमाराशियों के अंश में एकरूपता से काफी गिरावट आयी जो अंशतः ब्याज दरों में रिकार्ड-तोड़ कमी के कारण जमाकर्ताओं में दीर्घावधि की प्रतिबद्धता करने में पायी गयी अरुचि से परिलक्षित होती है। वर्ष 2001-02 के दौरान 2 से 3 वर्ष की परिपक्वतावाली सार्वजनिक जमा में आयी वृद्धि अन्य अधिकांश परिपक्वता समूहों में आयी गिरावट से प्रति-संतुलित हुई।

सारणी VI.11: ब्याज दर के अनुसार एनबीएफसी (आरएनबीसी को छोड़कर) की सार्वजनिक जमाराशियों की स्थिति (31 मार्च को)

(राशि करोड़ रुपये में)

ब्याज सीमा (प्रतिशत)	जमा की राशि		कुल जमा के प्रति प्रतिशत	
	2001	2002	2001	2002
1	2	3	4	5
10 तक	118	358	1.8	6.0
10-12	1,404	2,055	21.8	34.6
12-14	2,759	2,326	42.7	39.2
14-16	1,533	833	23.7	14.0
16 से अधिक	646	361	10.0	6.1
कुल	**6,460**	**5,933**	**100.0**	**100.0**

सारणी VI.12: एनबीएफसी (आरएनबीसी को छोड़कर) द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों का परिपक्वता स्वरूप

(राशि करोड़ रुपये में)

परिपक्वता अवधि	31 मार्च तक सार्वजनिक जमा की राशि		कुल के प्रति प्रतिशत	
	2001	2002	2001	2002
1	2	3	4	5
1 वर्ष से कम	1,721	1,483	26.7	25.0
1- 2 वर्ष	1,741	1,419	27.0	23.9
2- 3 वर्ष	2,038	2,198	31.5	37.0
3- 5 वर्ष	842	779	13.0	13.1
5 वर्ष और अधिक	118	54	1.8	0.9
कुल	**6,460**	**5,933**	**100.0**	**100.0**

6.36 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा सार्वजनिक जमा पर प्रस्तावित उच्चतम दर में मार्च 2000 से 500 आधार अंकों की गिरावट आयी है। इसके परिणामस्वरूप, बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जमा में अंतर हाल के वर्षों में कम हो गया है (सारणी VI.13)। यह विनियामक दिशा-निर्देशों और जोखिम प्रीमियम की प्रवृत्ति के अनुसार है।

9. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्ति संबंधी स्थिति

6.37 उनकी संख्या बहुत अधिक न होने के बावजूद गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र में कुछ बड़ी कंपनियाँ प्रबल रही हैं। 500 करोड़ रुपये और उससे अधिक की आस्ति आधार वाली बीस गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने 2001-02 में अपने अंश में आयी अधिक वृद्धि के साथ कुल आस्तियों में अपना अधिकांश भाग बनाये रखना जारी रखा (सारणी VI.14)। अधिकतर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्तियों का आकार 10 करोड़ रुपये से कम है। जहां, लघुतर

सारणी VI.13: बैंक और एनबीएफसी जमाराशियों पर अधिकतम / उच्चतम ब्याज दर

(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

	ब्याज दर / मार्च	2000	2001	2002	2003
	1	2	3	4	5
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की 1-3 वर्ष की परिपक्वतावाली जमाराशियों पर अधिकतम ब्याज दर	10.5	9.5	8.5	6.75
2.	एनबीएफसी के लिए ब्याज दर की उच्चतम सीमा	16.0	14.0	12.5	11.0
3.	अंतर (2-1)	5.5	4.5	4.0	4.25

टिप्पणी :- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की 1-3 वर्ष की परिपक्वतावाली जमाराशियों के संबंध में ब्याज दर की उच्चतम सीमा और एनबीएफसी जमाराशियों की उच्चतम दर सीमा में भिन्नता के रूप में अंतर की गणना की जाती है।

सारणी VI.14: एनबीएफसी (आरएनबीसी* को छोड़कर)* की आस्तियों की स्थिति

(31 मार्च को)

(राशि करोड़ रुपये में)

आस्तियों की श्रेणी		सूचना देनेवाली कंपनियों की संख्या		आस्तियां		कुल आस्तियों के प्रति प्रतिशत	
		2001	2002	2001	2002	2001	2002
	1	2	3	4	5	6	7
1.	0.25 से कम	62	51	7	5	0.0	0.0
2.	0.25 - 0.50	91	88	35	33	0.1	0.1
3.	0.50 - 2	389	383	421	416	1.1	1.0
4.	2 - 10	280	247	1,193	1,076	3.2	2.7
5.	10 - 50	89	74	1,981	1,594	5.3	4.0
6.	50 - 100	15	19	1,019	1,341	2.7	3.4
7.	100 - 500	28	23	7,130	5,962	18.9	15.0
8.	500 से अधिक	20	20	25,848	29,406	68.7	73.8
	कुल	**974**	**905**	**37,634**	**39,833**	**100.0**	**100.0**

* सूचना देनेवाली एनबीएफसी (आरएनबीसी को छोड़कर) पर 31 मार्च 2001 और 2002 को उनकी आस्तियों की मात्रा के आधार पर विनियमित किया गया है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनिया अक्सर स्थानीय ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करने में विशेषज्ञ होती हैं, वहीं अधिकांश कंपनियों रिज़र्व बैंक के लिए विनियामक चुनौती बनी रहती हैं।

10. गतिविधियों के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्तियों का वितरण

6.38 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी को छोड़कर) की आस्तियों का मुख्य अंश उनकी विशेषज्ञतावाले क्षेत्र अर्थात किराया खरीद और उपस्कर पट्टेदारी के रूप में ही बना रहा। वर्ष 2001-02 के दौरान उपस्कर पट्टेदारी के बजाय ऋण और अंतर-कंपनी जमा के पक्ष में संविभाग विनियोजन हुआ जिससे अन्य बातों के साथ-साथ अंशतः आर्थिक गतिविधि में मन्दी और कराधार में परिवर्तन परिलक्षित होते हैं (सारणी VI.15)।

11. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा लिये गये उधार

6.39 उधार लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) द्वारा लिये गये उधारों का स्रोतवार स्वरूप कमोबेश मार्च 2001 और 2002 के समाप्त के समान ही रहा (सारणी VI.16) । बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उधार देने के एक प्रमुख स्रोत के रूप में उभरे हैं और उनके कुल उधारों का लगभग एक तिहाई भाग उनसे (बैंकों से) प्राप्त हुआ है - वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उनका निधीयन 2000-01 के 16.2 प्रतिशत के और ऊपर बढ़कर 2001-02 में 20.8 प्रतिशत हो गया। यह वृद्धि आंशिक रूप से सहज चलनिधि की स्थितियों के कारण हुई। अंतर-कंपनी उधारों में आयी गिरावट अन्य स्रोतों जैसे कर्मचारियों से जमानत जमाराशियां और कॉशन मनी, आबंटन राशि, म्युचुअल फंडों और निदेशकों से लिये गये उधारों में हुई वृद्धि से पूरी हो गयी।

सारणी - VI.15 : एनबीएफसी (आरएनबीसी) को छोड़कर की आस्तियों का गतिविधि-वार वितरण

(31 मार्च को)

गतिविधि	राशि करोड़ रुपये में		कुल के प्रति प्रतिशत	
	2001	2002	2001	2002
1	2	3	4	5
ऋण और अंतर -कंपनी जमाराशियाँ	10,271	13,710	27.3	34.4
निवेश	4,344	4,334	11.5	10.9
किराया खरीद	12,887	13,202	34.2	33.1
उपस्कर पट्टेदारी	4,681	3,112	12.4	7.8
बिल	788	673	2.1	1.7
अन्य आस्तियां	4,663	4,802	12.4	12.1
कुल	**37,634**	**39,833**	**100.0**	**100.0**

सारणी VI.16 : गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) द्वारा लिये उधारों का वर्गीकरण

(31 मार्च को)

(राशि करोड़ रुपये में)

स्रोत	बकाया		कुल का प्रतिशत	
	2001	2002	2001	2002
1	2	3	4	5
केन्द्रीय/राज्य सरकारों से लिया गया उधार@	3,041	3,353	13.5	14.0
विदेशी स्रोतों से लिया गया उधार*	670	670	3.0	2.8
अन्तर-कम्पनी उधार	2,866	1,996	12.6	8.3
परिवर्तनीय अथवा रक्षित डिबेंचरों के निर्गम से जुटाई मुद्रा, बैंकों द्वारा अंशदान सहित	3,758	4,180	16.7	17.4
बैंकों से उधार	6,545	7,918	29.0	33.0
वित्तीय संस्थाओं से उधार	1,694	1,546	7.5	6.4
वाणिज्यिक पत्र	627	781	2.8	3.3
अन्य#	3,358	3,555	14.9	14.8
जोड़	**22,559**	**24,000**	**100.0**	**100.0**

@ मुख्यतः राज्य सरकार के स्वामित्व की कम्पनियों द्वारा

* विदेशी साझेदार एवं संस्थागत निवेशकों (एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आदि) से प्राप्त राशि। प्रमुख राशि बुनियादी संरचना व पट्टेदारी कम्पनियों में है।

\# कर्मचारियों से प्रतिभूति जमा, जमानत राशि, आबंटन राशि, पारस्परिक निधियों स उधार निदेशकों आदि से उधार की राशि शामिल हैं।

12. प्रमुख गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की देयताएं और आस्तियां

6.40 मुद्रा आपूर्ति के संबंध में कार्य दल द्वारा निधारित की गयी विवरणियों के आधार पर 20 करोड़ रुपये और उससे अधिक की सार्वजनिक जमाराशियां रखनेवाली कम्पनियों के पास (इस क्षेत्र की कुल आस्तियों के तीन चौथाई के बराबर) थी। इन प्रमुख गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी को छोड़कर) के कार्य-निष्पादन संबंधी प्रमुख आंकड़े वर्ष 2002-03 में अब उपलब्ध हैं। 2001-02 और 2002-03 में प्रमुख गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की आस्तियों और देयताओं की संरचना दर्शाती है कि जनता जमाराशियों में भारी गिरावट आयी है (सारणी VI.17)। इस कमी की पूर्ति ज्यादातर बैंक ऋणों से की गई जिसका मुख्य प्रेरक आंशिक रूप से बैंकों की नरम उधार दरें थीं। निधियों के विनियोजन कंपनी बांडों और प्रतिभूतियों और अन्य आस्तियों में निवेश में वृद्धि हुई जो पट्टे पर उपकरण देने के कारोबार में फिर से क्षेत्रवार प्रवृत्तियों में आयी गिरावट के अनुसरण के ठीक विपरीत थी। औद्योगिक गतिविधि में सुधार में आई प्रतिक्रिया में 2002-03 में ऋण और अग्रिमों में फिर से उछाल आया।

13. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के आय-व्यय का विवरण

6.41 एक क्षेत्र के रूप में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने लगातार दूसरे वर्ष भी 2001-02 में घाटा दिखाया क्योंकि व्यय में गिरावट निधि आधारित और शुल्क आधारित आय में आयी गिरावट के साथ कदम से कदम न मिला सकी (चार्ट VI.5 और सारणी VI.18)। निधि आय में आयी गिरावट हाल ही के वर्षों में खास तौर पर काफी तेज रही है। कुल व्यय में बहुत तेज गिरावट नहीं आयी, क्योंकि परिचालन व्यय और कर-प्रावधानों की प्रवृत्ति स्थिर बने रहने की रही। तथापि, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की परिचालन लागत लगातार बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की तुलना में काफी ऊंची बनी रही।

14. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की निवल स्वाधिकृत निधियां

6.42 वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करने की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक का पर्यवेक्षी ढांचा उद्यम लाभ (लीवरेजिंग) को प्रतिबंधित करने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की निवल स्वाधिकृत निधियों की पर्याप्तता पर विशेष जोर देता है। निवल स्वाधिकृत निधियों की तुलना में सार्वजनिक जमाराशियों का अनुपात, जो अपने संसाधनों से अपनी वचनबद्धताओं को पूरा करने की योग्यता का एक पैमाना है, में 2001-02 में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। (सारणी VI.19)। लगातार चिंता का प्रमुख विषय यह था कि सूचना देनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (अवशिष्ट गैर-बैंक को छोड़कर) की एक बहुत बड़ी संख्या जिसके पास मार्च 2002 के अंत में लगभग एक पांचवां जनता की जमाराशियों का हिस्सा है, उनकी निवल स्वाधिकृत निधियां नकारात्मक थीं, अर्थात कम हो गयीं।

15. पूंजी-पर्याप्तता अनुपात

6.43 निवल स्वाधिकृत निधियों के अलावा, पूंजी-पर्याप्तता मानदण्ड[6], जो 1998 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए अनिवार्यतः किये गये थे, वित्तीय स्थिरता को मजबूत बनाने की सुरक्षात्मक कड़ी की दूसरी पंक्ति

[6] गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को यह अपेक्षित है कि वे टियर-I और टियर-II पूंजी बनाये रखें जो उसकी सकल जोखिम भारित आस्तियों और तुलनपत्र से इतर मदों के जोखिम समायोजित मूल्य के (क) 31 मार्च 1998 को या उसके पहले 10 प्रतिशत और (ख) 31 मार्च 1999 को या उसके पहले 12 प्रतिशत से कम न हों। किसी भी समय कुल टियर-II पूंजी कुल टियर-I पूंजी के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

सारणी VI.17 : 20 करोड़ रु. और अधिक की सार्वजनिक जमाराशि धारक कम्पनियों की आस्तियां व देयताएं

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	31 मार्च 2002		31 मार्च 2003	
	राशि	कुल के प्रति अंश (प्रतिशत)	राशि	कुल के प्रति अंश (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
देयताएं				
प्रदत्त पूंजी	1,632	5.5	1,693	6.4
भाररहित प्रारक्षित निधि	3,133	10.5	1,325	5.0
सार्वजनिक जमाराशियां	4,503	15.1	3,686	14.0
(i) एक वर्ष से कम परिपक्वता	1,860	6.2	1,542	5.9
(ii) 1 वर्ष अथवा अधिक	2,643	8.8	2,144	8.1
परिवर्तनीय डिबेंचर	3,948	13.2	3,755	14.2
अन्य उधार राशियां	9,575	32.0	8,675	32.9
(i) बैंकों से	7,108	23.8	6,785	25.7
(ii) अन्तर-कम्पनी जमा	1,985	6.6	1,428	5.4
(iii) विदेशी सरकार	483	1.6	462	1.8
अन्य देयताएं	7,103	23.8	7,222	27.4
कुल देयताएं	29,895	100.0	26,355	100.0
आस्तियां				
निवेश	3,302	11.0	2,696	10.2
(i) सरकारी प्रतिभूतियां	610	2.0	492	1.9
(ii) कम्पनी क्षेत्र-शेयर बाण्ड, डिबेंचर	2,584	8.6	2,025	7.7
(iii) अन्य	108	0.4	179	0.7
ऋण और अग्रिम	8,592	28.7	8,576	32.5
अन्य वित्तीय आस्तियां	12,081	40.4	10,255	38.9
(i) किराया खरीद	9,556	32.0	8,571	32.5
(ii) उपस्कर पट्टेदारी	2,077	6.9	1,546	5.9
(iii) बट्टेदारी बिल	448	1.5	139	0.5
अन्य आस्तियां	5,920	19.8	4,828	18.3
कुल आस्तियां	**29,895**	**100.0**	**26,355**	**100.0**

चार्ट VI.5: गै.बैं.वि.कं. का कार्य-निष्पादन (अ.गै.बैंक को छोड़कर)

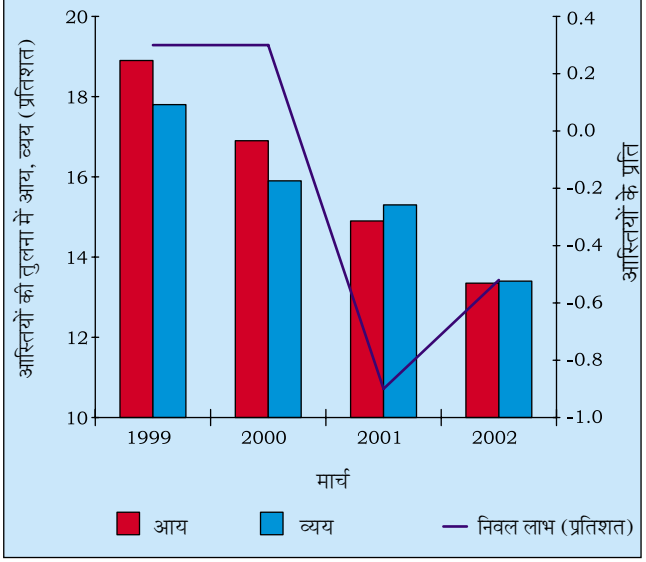

है। रिपोर्ट करनेवाली कंपनियों में से करीब 30 प्रतिशत से ज्यादा का जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात (सीआरएआर) मार्च 2002 और मार्च 2001 के अंत में न्यूनतम सांविधिक निर्धारण से बहुत ज्यादा है (सारणी VI.20)।

16. गैर-निष्पादक आस्तियां

6.44 रिपोर्टिंग गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की सकल और निवल गैर-निष्पादक आस्तियों में हाल के वर्षों में निरन्तर गिरावट आई है (सारणी VI.21)

17. प्राथमिक व्यापारी

6.45 प्राथमिक व्यापारी प्रणाली विगत आठ वर्षों से कार्यरत है। वर्ष 2002-03 में प्राथमिक व्यापारियों ने सरकारी प्रतिभूति बाजारों अपने कार्य के सुदृढ़ बनाना जारी रखा (सारणी VI.22)। सभी प्राथमिक व्यापारियों ने 2002-03 के दौरान लाभ दर्ज किया (परिशिष्ट सारणी VI.1)। पिछले दो वर्षों के दौरान कुल आस्तियों में सरकारी

सारणी VI.18 : गैबैंविकं (अवगैबैंक को छोड़कर) के वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

संकेतक	2000-01	2001-02	2001-02 के दौरान घट बढ़	
			वास्तविक	प्रतिशत
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	**5,619**	**5,357**	**-262**	**-4.7**
i) निधि आधारित	5,247	5,005	-242	-4.6
ii) शुल्क आधारित	372	352	-20	-5.4
ख. व्यय (i+ii+iii)	**5,741**	**5,321**	**-420**	**-7.3**
i) वित्तीय	3,400	3,297	-103	-3.0
ii) परिचालनगत	1,164	1,225	61	5.2
iii) अन्य	1,177	799	-378	-32.1
ग. कर-प्रावधान	**203**	**248**	**45**	**22.2**
घ. निवल लाभ	**-325**	**-212**	**113**	
ङ कुल आस्तियां	**37,634**	**39,833**	**2,199**	**5.8**
च.वित्तीय अनुपात (कुल आस्ति से प्रतिशत के रूप में)				
आय	14.9	13.4	-1.6	
निधी से आय	13.9	12.6	-1.3	
शुल्क से आय	1.0	0.9	-0.1	
व्यय	15.3	13.4	-1.9	
वित्तीय व्यय	9.0	8.3	-0.7	
परिचालनगत व्यय	3.1	3.1	- 0.0	
अन्य व्यय	3.1	2.0	-1.1	
कर-प्रावधान	0.5	0.6	0.1	
निवल लाभ	-0.9	-0.5	0.4	

प्रतिभूतियों के भाग में तेज वृद्धि हुई हे जो पिछले दो वर्षों के दौरान श्रेष्ठ प्रतिभूतियों के मूल्यों में जारी वृद्धि के परिणामस्वरूप सरकारी प्रतिभूतियों के निवेश संविभाग को बढ़ाने के प्रति बढ़ती रुचि को प्रदर्शित करता है। तथापि, सरकारी वाणिज्यिक पत्रों के प्राथमिक निर्गमों का उठाव मामूली रूप से कम था जो यह दर्शाता है कि अन्य निवेशकों ने आक्रामक रूप से बोलियां लगाई। जबकि मांग मुद्रा उधार वित्त के स्थिर स्रोत बने रहे। प्राथमिक व्यापारियों द्वारा चलनिधि सहायता का औसत दैनिक उपयोग 2001-02 के दौरान उनकी उपयोग सीमाओं से काफी कम था और विशेष रूप से मांग दरें आश्चर्यजनक रूप से बैंक दर से कम बनी रहीं।

सारणी VI.19 : सार्वजनिक जमाराशियां की तुलना में गैबैंविकं की निवल स्वाधिकृत निधियां (अवशिष्ट गैरबैंक कंपनी को छोड़कर) (31 मार्च की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपये में)

निस्वनि का दायरा	2001				2002			
	रिपोर्टिंग कम्पनियों की सं.	निस्वा निधी	सार्वजनिक जमा	निस्वानि के गुणकों में सार्व. जमा	रिपोर्टिंग कम्पनियों की सं.	निस्वा निधी	सार्वजनिक जमा	निस्वानि के गुणकों में सार्व. जमा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.25 तक	225	-859	807	—	214	-1,351	1,120	—
0.25 – 0.50	346	116	188	1.6	300	103	128	1.2
0.50 – 5.0	305	498	692	1.4	298	477	361	0.8
5 – 10	34	224	94	0.4	30	204	80	0.4
10 – 50	37	775	777	1.0	38	798	718	0.9
50 – 100	12	804	924	1.1	11	798	846	1.1
100 – 500	14	3,063	2,299	0.8	14	3,243	2,680	0.8
500 से अधिक	1	501	679	1.4	—	—	—	—
कुल	**974**	**5,122**	**6,460**	**1.3**	**905**	**4,272**	**5,933**	**1.4**

सारणी VI.20 : सूचना देनेवाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का सीआरएआर

(31 मार्च तक)

(राशि करोड़ रुपये में)

गै.बैं.वि.कं.संवर्ग/सीआरएआर (प्रतिशत में)	10 से कम	10-12	12-15	15-20	20-30	उनसे अधिक
1	2	3	4	5	6	7
मार्च 2001						
उपस्कर और पट्टेदारी	9	1	1	4	8	30
किराया खरीद	22	1	5	29	58	313
ऋण/निवेश	23	2	2	5	15	180
अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियां	2	1	0	0	1	2
कुल	**56**	**5**	**8**	**38**	**82**	**525**
मार्च 2002						
उपस्कर और पट्टेदारी	10	0	1	4	9	32
किराया खरीद	17	0	8	32	54	334
ऋण/निवेश	15	0	1	9	11	121
अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियां	1	0	0	1	1	2
कुल	**43**	**0**	**10**	**46**	**75**	**489**

6.46 औसत निवल मालियत पर प्रतिलाभ और औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ दोनों ही अर्थों में प्राथमिक व्यापारियों का कार्य-निष्पादन 2001-02 की तुलना में 2002-03 में कम रहा। यह दो कारकों द्वारा संचालित था :

- यद्यपि वर्ष के दौरान आय लगातार कम रही लेकिन बाजार मूल्य से कम मूल्य पर प्रतिभूतियों के मूल्य को अंकित करने और ट्रेडिंग मार्जिन में कमी की प्रवृत्ति में गिरावट आयी। 10 वर्षीय और 20 वर्षीय परिपक्वतावाली प्रतिभूतियों पर प्रतिलाभ पिछले वर्ष के क्रमशः 287 और 311 आधार अंकों की तुलना में 2002-03 के दौरान क्रमशः लगभग 115 और 123 आधार अंक गिरा।
- मध्य एशिया में सैनिकी कार्रवाई के कारण प्रतिलाभों ने विपरीत रुख अपनाया तब हानि-रोक सीमाओं के उत्पन्न होने पर स्थिति को छोड़ते समय प्राथमिक व्यापारियों का वर्ष के दौरान अपनी प्रोद्भूत आय का एक हिस्सा गंवाना पड़ा।

सारणी VI.21 : गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की गैर-निष्पादक आस्तियां

(ऋण जोखिम का प्रतिशत)

निम्नलिखित अवधि के अंत में	सकल गैर-निष्पादक आस्तियां	निवल गैर-निष्पादक आस्तियां
1	2	3
मार्च 1998	11.4	6.7
सितंबर 1998	6.4	4.1
मार्च 1999	10.2	7.0
सितंबर 1999	7.7	4.4
मार्च 2000	9.9	9.5
सितंबर 2000	10.0	6.3
मार्च 2001	11.5	5.6
सितंबर 2001	12.0	5.8
मार्च 2002	10.6	3.9
सितंबर 2002	9.7	4.3

6.47 प्राथमिक व्यापारियों ने जोखिम भारित आस्तियों से पूंजी का अनुपात सकल जोखिम भारित आस्तियों के 15 प्रतिशत की न्यूनतम पूंजी से बहुत ज्यादा बनाये रखा जिसमें ऋण जोखिम और बाजार जोखिम शामिल हैं (परिशिष्ट सारणी VI.2)। बाजार जोखिम पूंजी अनुमानित मानकीकृत माडल या जोखिम पर मूल्य पद्धति के अधिकतम पर बनाये रखी गयी है।

6.48 समग्र सी आर ए आर मार्च 2002 के अंत के 38.4 प्रतिशत से मार्च 2003 के अंत में 29.7 प्रतिशत पर आ गया। यह अधिकार इराक युद्ध के खतरे (2003 के प्रारंभ) और भारतीय सीमाओं पर तनावों (मई 2002) के परिणामस्वरूप जोखिम मूल्य मापन में आई अस्थिरताओं में ऊंची बाजार जोखिम फैक्टरिंग के कारण था। तथापि, कुल आस्तियों में सरकारी प्रतिभूतियों के हिस्से में सतत वृद्धि तुलनपत्र से इतर जोखिम के स्वरूप में कमी दर्शाती है।

सारणी VI.22 : प्राथमिक व्यापारियों के चुनिंदा संकेतक

(मार्चांत)

(राशि करोड़ रुपये में)

चर	2001	2002	2003
1	2	3	4
प्राधिकृत व्यापारियों की संख्या	15	18	18
कुल पूंजी निधियां	3,184	4,371	5,055
सी आर ए आर (प्रतिशत)	40.9	38.4	29.7
कुल आस्तियां (चालू देयताओं और प्रावधानों को घटाकर)	14,772	15,305	17,378
जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां कुल आस्तियों से सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिशत के रूप में औसत	10,401	12,217	14,573
	70	80	84
आस्तियों पर प्रतिलाभ	—	8.4	6.6
औसत निवल मालियत पर प्रतिलाभ	—	38.7	24.2
चलनिधि समर्थन सीमाएं	6,000	4,000 (सामान्य)	3000 (सामान्य)
		2,000 (बॅक स्टाप)	1500 (बॅक स्टाप)

18. अन्य गतिविधियां

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के संबंध में निदेशकों और पते में परिवर्तन, आदि संबंधी सूचना

6.49 प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (सरकारी कंपनियों सहित चाहे वे जमाराशियां धारित / स्वीकार करती हैं या नहीं) उसके पंजीकृत कार्यालय के पते में, निदेशकों, प्रधान अधिकारियों, प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ताओ और लेखा-परीक्षकों के नामों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना उस घटना के घटित होने के 30 दिन के भीतर सूचित करना अनिवार्य है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनीयों के संबंध में अनौपचारिक परामर्शी समूह से संबंधित गतिविधियां

6.50 वर्ष 1998 में रिज़र्व बैंक द्वारा गठित अनौपचारिक परामर्शी समूह के रूप में एक संस्थागत निर्णयन व्यवस्था अनेक नीतिगत निर्णय लेने, नियंत्रक उपाय करने तथा निर्देशों, लेखांकन प्रक्रियाओं और नीतियों में संशोधन करने में अत्यंत उपयोगी पाई गई है। यह समूह विनियामक ढांचे के अनुपालन में आनेवाली कठिनाइयों से उत्पन्न विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करता है और व्यावसायिक निकायों, विशेषज्ञों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से स्वयं परामर्श लेने के एक मंच के रूप में कार्य करता है। इस समूह के कार्यकाल और इसके संविधान की प्रति वर्ष समीक्षा की जाती है। इस समूह में रिज़र्व बैंक के अधिकारियों के अलावा आइ सी ए आइ, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की एक क्षेत्रीय और दो शीर्ष - स्तरीय संघों में से प्रत्येक एक प्रतिनिधि रहता है। वर्ष 2002-03 के दौरान इस समूह की दो बैठकें आयोजित हुईं।

जमाकर्ता संरक्षण

6.51 विशेषरूप से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की भारी संख्या और विविध आकारों को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने जमाकर्त्ताओं के हितार्थ अनेक उपाय किये हैं। इन उपायों निम्नलिखित शामिल है :

- वित्तीय प्रतिष्ठानों में जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु कानून बनाने की पैरवी करके कानूनी प्रक्रिया का उन्नयन;
- जमाकर्त्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग करके व्यापक विज्ञापन अभियान के ज़रिये अधिक पारदर्शिता ; गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्मिकों / कार्यपालकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ताकि उन्हें रिज़र्व बैंक के विनियमों के उद्देश्यों उनकी उत्पत्ति और फोकस से परिचित कराया जा सके, राज्य सरकारों के सिविल और पुलिस कर्मियों के लिए सेमिनार और आइ सी ए आइ के सहयोग से लेखा-परीक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम / सेमिनार ताकि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में सांविधिक लेखा-परीक्षकों के लागू निर्देशों के साथ-साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लागू रिज़र्व बैंक के निर्देशों और विनियमों से उन्हें परिचित करवाना; और

अन्य नियंत्रकों जैसे कंपनियों के पंजीयकों, केन्द्र सरकार के कंपनी कार्य विभाग के साथ-साथ राज्य सरकारों के सिविल और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकें करके अंतर-नियंत्रक समन्वय को सुदृढ़ बनाकर पर्यवेक्षण की प्रभावशालिता बढ़ाना।

वेब परियोजना

6.52 एक वातावरण सृजित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने एक वेब परियोजना प्रारंभ की है जिसमें जमाराशियां स्वीकार करनेवाली सभी गैबेंविकं अपनी विनियामक विवरणियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत कर सकेंगी । इस परियोजना के पीछे उद्देश्य यह है कि रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर किया जानेवाला आंकड़ा प्रविष्टि के समय-खपाऊ कार्य की आवश्यकता ही न पड़े। इस योजना में परिकल्पित है कि गैबैंविकं रिज़र्व बैंक की वेबसाइट को इंटरनेट पर लाग ऑन करेगी, रिपोर्ट करने के लिए निर्दिष्ट प्रोफार्मा ढूंढेगी/लेंगी और उन फार्मेटों को अपनी सुविधानुसार आनलाइन या ऑफ लाइन भरेगी और वेव सर्वर को वह विवरणी प्रस्तत कर देगी। इस परियोजना को निष्पादित करने के लिए एक वेव आधारित ऑसमॉश पैकेज विकसित किया गया है और उसे बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान सस्थान (आइडीआरवीटी), हैदराबाद में इस वेव सर्वर पर लोड़ किया गया है तथा इस सर्वर को http.dnbsco.infine.org.in पर इंटरनेट से जोड़ दिया गया है। इंटरनेट पर स्थानीय और रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के सहयोग से इस पैकेज का सफल परीक्षण किया गया है और अब यह पैकेज बग्स और सुरक्षा संबंधी धमकियों से मुक्त है। रिज़र्व बैंक गैबैंविकं. को इस परियोजना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।

अध्याय VII

भावी सम्भावनाएं

7.1 भारतीय वित्तीय परिदृश्य वित्तीय उदारीकरण के दस वर्षों के दौरान काफी कुछ बदल गया है। बैंकिंग क्षेत्र के सुधार जो ठीक एक दशक पहले 1992-93 में शुरू किये गये थे, पांच बुनियादी मुद्दों पर आधारित हैं: विवेक-सम्मत मानदण्डों और बाजार अनुशासन को सुदृढ़ करना; अंतर्राष्ट्रीय आधार-बिन्दुओं को यथोचित रूप में अपनाना; संगठनात्मक परिवर्तन और समेकन का प्रबंधन; प्रौद्योगिकी की दृष्टि से उन्नयन तथा मानव संसाधन विकास। सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र के सुधार का आधार-सूत्र ''क्रमिक रूप से परिवर्तन'' रहा है, जिसमें उपयुक्त समय, गति और क्रम को पर्याप्त महत्त्व दिया गया है, तथा इसमें प्रत्येक स्तर पर पणधारियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श और परामर्श किया गया है।

7.2 इसे व्यापक रूप से मान लिया गया है कि इन सुधारों के परिणामस्वरूप, भारतीय बैंकिंग प्रणाली कारोबारी प्रक्रिया के रूपान्तरण और जोखिम प्रबन्धन में उसकी क्षमता की दृष्टि से अधिकाधिक परिपक्व होती जा रही है। अपविनियमन, प्रौद्योगिकीय उन्नयन, अधिकाधिक बाजार समेकन तथा बाह्य वित्तीय उदारीकरण वित्तीय क्षेत्र में इस रूपान्तरण के पीछे मुख्य कारक रहे हैं ।

7.3 वित्तीय क्षेत्र में सुधारों की इस आम रणनीति के अनुरूप, बैंकिंग क्षेत्र ने वर्ष 2002-03 के दौरान अनेक उल्लेखनीय गतिविधियां देखी हैं। इनमें से मुख्य-मुख्य हैं-वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (एसएआरएफएईएसआइ) अधिनियम 2000 का पारित होना, जोखिम आधारित पर्यवेक्षण का प्रारम्भ किया जाना तथा त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे का परिचालनीकरण । इसके अलावा, बुनियादी संरचना के वित्तपोषण हेतु संशोधित दिशानिर्देश, ऋणदाताओं के दायित्व संबंधी कानून पर दिशानिर्देश, ऋण के प्रबंधन तथा बाजार जोखिमों पर मार्गदर्शी नोट, देशी जोखिम प्रबंध में मार्गदर्शी दिशा-निर्देश, तथा संशोधित कम्पनी ऋण पुनर्निर्माण प्रक्रिया-तंत्र, इन सभी को एक साथ लागू किया गया है ताकि एक अधिक ऊर्जस्वित, गतिशील और स्वस्थ बैंकिंग क्षेत्र प्रदान किया जा सके।

7.4 इस पृष्ठभूमि में, इस अध्याय में हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उठायी गयी पहलों के संदर्भ में मध्यावधि में, भारतीय वित्तीय क्षेत्र के समक्ष अवसरों और चुनौतियों को रेखांकित किया गया है। इन नीतिगत परिवर्तनों को मोटे तौर पर तीन शीर्षों में वर्गीकृत किया जा सकता है (क) विवेक-सम्मत मानदण्डों को सुदृढ़ करना, (ख) प्रणाली में संरचनागत परिवर्तन करना और (ग) रिज़र्व बैंक की विनियामक भूमिका को पुनः परिभाषित करना।

विवेकसम्मत मानदण्डों को सुदृढ़ करना

7.5 लाइसेंस देने की प्रक्रिया, बैंकों के विनियमन और विवेक-सम्मत पर्यवेक्षण की गतिविधियों का मुख्य बल विभिन्न विवेकसम्मत मानदण्डों और संकेतकों की स्थापना करके तथा उनकी निगरानी द्वारा एक स्थिर और अर्थक्षम बैंकिंग प्रणाली बनाने पर रहा है। बैंकों के विवेक-सम्मत पर्यवेक्षण का उद्देश्य व्यवस्थागत जोखिमों को रोकने और साथ ही साथ प्रत्येक बैंक को प्रतिस्पर्धी वातावरण में अपनी गतिविधियों को संगठित करने और उन्हें चलाने की स्वायतत्ता देने पर रहा है। इसमें दृष्किोण यह रहा है कि भारतीय मानदण्डों को अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहारों का आधार देकर उन्हें क्रमिक रूप से एक निश्चित समय सीमा में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बना दिया जाये।

बेसिल समझौता

7.6 अंतर्राष्ट्रीय रूप से, पूंजी-पर्याप्तता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानकों की ओर बढ़ने के प्रयास में विश्वसनीयता बढ़ी है, क्योंकि नया पूंजी समझौता, जिसे कि बेसिल-II के रूप में जाना जाता है, 2006 में लागू कर दिया जायेगा। रिज़र्व बैंक एक ऐसा व्यवहार्य दृष्टिकोण संवर्धित करने के लिए उन प्रस्तावों पर अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है तथा अन्य गैर जी-10 पर्यवेक्षकों के साथ पहल करने में अगुवा रहा है, जो भारी लागतों को झेले बिना कम जटिल बैंकों द्वारा अपनाये जा सकते हैं । इसने अपनी टिप्पणियां अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक के तीसरे पर्यवेक्षी दस्तावेज जो कि हाल ही में जुलाई 2003 में जारी किया गया है, में संप्रेषित की हैं।

7.7 इस प्रस्तावित ढांचे के संबंध में एक बुनियादी चिन्ता मानकीकृत बनाम आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के गुण-दोष के संबंध में रही है। विश्व में अधिकांश बैंकों से मानकीकृत दृष्टिकोण को अपनाने की अपेक्षा की गयी है। इस तथ्य को मानते हुए कि यह बाहरी एजेंसियों द्वारा की गयी रेटिंग पर आधारित है। वहीं उभरती बाजार अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की रेटिंग की सीमित व्याप्ति की एक सीमा है। इसीसे जुड़ा एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा लागतों से संबंधित है, जो कि यह रेटिंग की प्रक्रिया प्रणाली पर थोपेगी। उपर्युक्त सीमाओं

को देखते हुए यह सोचा गया है कि इस प्रकार का दृष्टिकोण विकासशील अर्थव्यवस्था में जोखिम के प्रति संवेदनशीलता को काफी सीमा तक नहीं बढ़ायेगा। दूसरी ओर, आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण एक अधिक जोखिम संवेदी है और ऐसी आशा की जाती है कि यह एक बेहतर जोखिम-प्रबंध की परम्पराएं विकसित करेगा। तथापि, केवल वे ही बैंक जिनके पास पर्याप्त आंकड़े, उन्नत प्रबंध सूचना प्रणाली और तकनीकी दक्षता की उच्च क्षमता विद्यमान है, एक निश्चित समय सीमा में इस दृष्टिकोण को अपनाने की स्थिति में होंगे। ऐसे बैंकों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम सक्रिय हैं, मानकीकृत दृष्टिकोण आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण की तुलना में बेहतर लगता है, तथापि, अंतिम विश्लेषण के बारे में देश और बैंक विशेष, इन दोनों के संदर्भ में, विचार करते हुए इन दोनों दृष्टिकोणों में से किसी एक दृष्टिकोण को अपनाने का निर्णय लिया जा सकेगा।

7.8 रिज़र्व बैंक ने बेसिल-II के दूसरे आधार के दो प्रमुख घटकों,अर्थात जोखिम आधारित पर्यवेक्षण और त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई को लागू करने के लिए पहले ही कदम उठाये हैं। त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई का ढांचा प्रायोगिक आधार पर रिज़र्व बैंक द्वारा पहले ही लागू कर दिया गया है। इसके अलावा, जोखिम आधारित पर्यवेक्षण का अग्रणी प्रयोग अक्तूबर 2003 से परिचालन में आ गया है।

ऋण के वर्गीकरण संबंधी मानदण्ड

7.9 भारतीय संदर्भ में, 31 मार्च 2001 से 'गत देय' की धारणा (30 दिन की रियायती अवधि) की समाप्ति के साथ क्षतिग्रस्त ऋणों के लिए विवेकसम्मत मानदण्डों के विनियामक पर्यवेक्षण को कठोर बना दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों के और नजदीक पहुंचने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया कि 31 मार्च 2004 को समाप्त होनेवाले वर्ष से क्षतिग्रस्त ऋणों के लिए 90 दिन के मानदण्ड को अपनाया जाये। इसके अलावा आस्तियों को 'संदिग्ध' आस्तियों के रूप में वर्गीकरण करने की अवधि भी 31 मार्च 2005 से 18 महीनों से घटाकर 12 महीने करने का निर्णय लिया गया है। ऋण वर्गीकरण के मानदंडों में लायी गयी क्रमिक कठोरता के साथ-साथ बेहतर जोखिम प्रबंध संव्यवहार तथा बेहतर वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं जिन्हें विधायी परिवर्तन से भी समर्थन दिया जा रहा है।

7.10 यह मानने की आवश्यकता है कि ऋणों के वर्गीकरण के संबंध में अलग-अलग देशों में विद्यमान विवेकसम्मत मानदण्डों में काफी भिन्नताएं हैं। जहां कुछ देश व्यक्तिपरक दृष्टिकोण अपनाते है, जबकि कुछ अन्य देश निर्धारणात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में पर्यवेक्षकों से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे ऋणों के वर्गीकरण के लिए कोई विशिष्ट स्वरूप अपनायें और न ही ऋणों के वर्गीकरण की श्रेणियों की संख्या पर वहां कोई सिफारिश की जाती है, जिन्हें बैंकों द्वारा अपनाया जाये। कुछ अन्य देश जैसे अमरीका एक अधिक निदेशात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं जिसमें ऋणों के भुगतान के अनुभव से लेकर उस पर्यवेक्षी के आधार पर जिसमें कि ऋणी रहता है, विभिन्न प्रकार के मानदण्डों को अपनाकर ऋणों का अनेक श्रेणियों में वर्गीकरण किया जाता है। इस प्रकार की प्रणाली को अपनाने के लिए एक ऐसा दृष्टिकोण उपयोगी होगा जो पर्यवेक्षी की विश्लेषण क्षमता और बैंकों के ऋण संविभागों की तुलना करने में सुविधा प्रदान करे।

7.11 ऋण वर्गीकरण का मानदंड आम तौर पर ऋण की गुणवत्ता पर वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ दोनों प्रकार के संकेतकों पर निर्भर करता है। हालांकि, इन दोनों के बीच संतुलन बनाना अकसर कठिन होता है । वस्तुपरक मानदण्ड में ऋण कितने दिनों तक 'गत देय' रहा और इससे भी व्यापक तौर पर ऋणी की वर्तमान स्थिति क्या है ? इन बातों को शामिल करता है। दूसरी ओर, व्यक्तिनिष्ठ मानदंड में कार्यकारी पूंजी की पर्याप्तता में कमी, वित्तीय सूचना का अभाव और इस तरह की अन्य बातें शामिल हैं । जहां 'गत देय' वाले ऋणों के दिनों की संख्या ऋण को वर्गीकृत करने के प्रयोजन के लिए न्यूनतम स्थिति को दर्शाती है, वहीं अन्य मानदंड भावी संकेतकों को दर्शाते हैं (चूक की प्रत्याशित सम्भावना का सही-सही आकलन)ऋणों के उपयुक्त वर्गीकरण तथा बैंकों की निवल मालियत में हो सकनेवाले क्षरण को रोकने में काफी उपयोगी संकेत दे सकते हैं। जैसे कि रिज़र्व बैंक द्वारा हाल ही में बैंकों द्वारा स्वैच्छिक रूप से अपनाये जाने वाले ''विशेष उल्लेखनीय खाते" का निर्धारण इस दिशा में किया गया एक संकेत है।

प्रावधानीकरण

7.12 अब यह मान लिया गया है कि आम तौर पर वित्तीय अस्थिरता की जड़ें व्यापक आर्थिक कारकों में निहित होती हैं। संकट की स्थिति विशिष्ट रूप से इसलिए आती है क्योंकि बैंकों को संयुक्त रूप से एक मिले-जुले व्यापक आर्थिक आघात का सामना करना पड़ता है। अकसर यह कारोबार और वित्तीय चक्र से संबंधित होता है। इस चुनौती की प्रतिक्रिया में, पर्यवेक्षक एक ऐसी तकनीक ढूंढ़ने में लगे हैं जिससे कि बैंकिंग प्रणाली वित्तीय चक्र के उतार-चढ़ाव के प्रति जीवन्तशक्ति प्राप्त कर सके। विशेष रूप से, बैंकों को अच्छी स्थिति के समय में पूंजी आधार (कुशन) निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि ऐसी पूंजी उन्हें इस चक्र की उतरती स्थिति में उनकी ऋण देने की स्थिति को सुरक्षा प्रदान कर सके।

7.13 प्रावधानीकरण की एक केन्द्रीय विशेषता विशेष रूप से पहले ही हुई हानियों या ऐसी होनेवाली हानियों के संदर्भ में है, जिसके होने का काफी विश्वास हो । तथापि, ऐसे मामलों में भी जहां सामान्य ऋण हानि के लिए सुस्पष्ट संदर्भ विद्यमान न हों, बैंकर ऐसी प्रथाएं अपनाने के लिए राजकोषीय और लेखाकरण प्रोत्साहनों के आधार पर भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण अपना सकते हैं। हाल ही में केंद्रीय बजट में ऐसे कई प्रोत्साहन दिये गये हैं। केंद्रीय बजट 2002-03 में प्रावधानीकरण के लिए बेहतर कर-प्रोत्साहन घोषित किये गये हैं। बाद में, केंद्रीय बजट 2003-04 में एक ऐसी योजना प्रस्तावित की गयी है जिसमें उच्च कूपन वाली बहुत ही कम मात्रा में खरीदी बेची जानेवाली सरकारी प्रतिभूतियों की स्वैच्छिक रूप से पुनर्खरीद से प्राप्त होनेवाली आय यदि इसे गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण हेतु उपयोग में लाया जाता हो, तो कर से मुक्त होगी।

गैर-निष्पादक आस्तियां

7.14 बैंकिंग स्वास्थ्य के सामने मुख्य चुनौती बैंक के तुलनपत्रों में गैर-निष्पादक आस्तियों की उल्लेखनीय राशि बनी रहने से उभरती है। गैर-निष्पादक आस्तियों के उन्नयन, वसूलियां करने और बट्टे खाते में डालने जैसे कई मिले-जुले उपायों से सकल गैर-निष्पादक आस्तियां मार्च 1997 के अंत के 15.7 प्रतिशत से निरंतर रूप से कम होकर मार्च 2003 के अंत में 8.8 प्रतिशत रह गयीं।

7.15 भारत में गैर-निष्पादक आस्तियों के उच्च स्तर पर बने रहने का प्रमुख कारक है अतिदेय ऋणों की वसूली के लिए अपर्याप्त कानूनी ढांचा का होना। हालांकि, व्यवहार में, ऋण अधिकांशतः संपार्श्विकृत होते हैं, फिर भी, इन जमानती प्रतिभूतियों का मूल्य ऋणों के समकक्ष नहीं होता। इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इन जमानतों को समय पर भुनाना भी अक्सर मुश्किल होता है। बैंकों की सकल और निवल गैर-निष्पादक आस्तियों के बीच भारी अंतर, जो कि विशेष रूप से सकल गैर-निष्पादक आस्तियों के करीब आधे तक है, जो गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए अनिवार्य प्रावधानीकरण और सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सीमित मात्रा में ऋण बट्टे खाते डाले जाने को दर्शाता है। इसके परिणामस्वरूप, गैर-निष्पादक आस्तियों को बहियों में आगे ले जाया जाता है और उनके लिए किये जानेवाले प्रावधान क्रमिक रूप से काफी बढ़ जाते हैं। इस संदर्भ में केंद्रीय बजट 2002-03 में की गयी घोषणा के अनुरूप आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (एआरसी) स्थापित की गयीं हैं जिनमें सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, और बहुपक्षीय एजेंसियों का सहभाग था। इस प्रकार की कार्रवाई से बैंकों को अपनी गैर-निष्पादक आस्तियों से निपटने के लिए अतिरिक्त मार्ग ही नहीं, अपितु गैर-निष्पादक आस्तियों को अपने तुलनपत्र से हटाने और न्यूनतर प्रावधानीकरण की आवश्यकताओं के द्वारा लाभप्रदता बढ़ाने के भी अवसर मिलने की आशा है। साथ ही आशा है कि आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां और अधिक अशोध्य ऋणों की वसूली (संभवतः और तेज गति से) कर सकेंगी, क्योंकि वे ऋण वसूली के लिए कृत संकल्प होंगी।

7.16 2002 में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम पारित हो जाने के कारण गैर-निष्पादक आस्तियों की वसूली की संभावनाएं बढ़ गयी हैं। अतः अधिनियम में प्रतिभूतियों पर कब्जा करने के लिए सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से अपेक्षाकृत सख्त विधान की परिकल्पना की गयी है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को बेचने के लिए 12,000 करोड़ रुपये की गैर-निष्पादक आस्तियां निश्चित की हैं, तथापि बिक्री पूर्व ऋणों के मूल्यन की प्रक्रिया पूरी की जानी अभी बाकी है।

7.17 रिज़र्व बैंक ने हाल ही में गैर-निष्पादक आस्तियों की स्थिति में और वृद्धि को रोकने की दृष्टि से मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत बैंकों को आंतरिक निगरानी और अनुपालन के लिए मानक और अवमानक श्रेणी के खातों के बीच विशेष उल्लेखनीय खाते की एक नयी आस्ति श्रेणी बनाने के लिए सूचित किया गया है। इससे बैंक संभावित समस्यावाले खातों पर समस्या की प्रारंभिक अवधि से ही और अधिक ध्यान दे पायेंगे ताकि निगरानी और निवारक कार्रवाई सक्षम रूप से की जा सके।

जोखिम-प्रबंधन

7.18 आस्ति-देयता प्रबंधन सहित बैंकों में जोखिम-प्रबंध संबंधी संव्यवहारों को सुदृढ़ बनाने के लिए हाल ही में रिज़र्व बैंक ने अनेक कदम उठाये हैं। अभी हाल ही में रिज़र्व बैंक ने देश विशेष संबंधी जोखिम-प्रबंध विषयक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं। ऋण और बाज़ार जोखिमों संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणियां भी 2002 में जारी की गयी थीं। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपने कारोबार के आकार और उसकी जटिलता, जोखिम-दर्शन, बाज़ार-बोध और पूँजी के प्रत्याशित स्तर के आधार पर अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी जोखिम प्रबंध संबंधी प्रणालियों को समुन्नत बनाने के लिए इन मार्गदर्शी टिप्पणियों का उपयोग करें।

ब्याज दर जोखिम

7.19 जोखिम का महत्त्वपूर्ण पक्ष, विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूति बाजार में, ब्याज दर जोखिम से संबंधित है। यह विशेषकर, भारतीय संदर्भों में, जहां बैंक सांविधिक अपेक्षाओं से काफी अधिक श्रेष्ठ प्रतिभूति

रखते हैं, पर लागू है। विशेष रूप से, बैंकों को पुनः लागत निर्धारण जोखिम जो समय के अंतराल से बैंकों की आस्तियों और देयताओं की परिपक्वता और पुनर्मूल्यन में निर्मित होता है तथा आय वक्र जो आय वक्र के ढलान तथा आकार में होनेवाले बदलाव से निर्मित होता है, का सामना करना पड़ता है। यही बात ब्याज संवेदी आस्तियों और देयताओं की परिपक्वता संरचना के संबंध में निगरानी और सूचना देने (प्राप्त करने) की आवश्यकताओं में वृद्धि करने और ब्याज दर परिवर्तन की तुलना में तुलनपत्र संवेदनशीलता का विश्लेषण करने के महत्त्व को रेखांकित करती है। बेसिल समिति ने ब्याज दर जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के लिए कई मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तुत किये हैं; इसमें कारोबार नीति तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विकसित करना भी शामिल है।

7.20 भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की लाभप्रदता के स्रोतों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि हाल की उनकी लाभप्रदता में आयी वृद्धि का अधिकांश भाग व्यापारिक आय से है जो ब्याज की निरंतर ह्रासमान रही दरों को दर्शाती है। इसप्रकार बैंकों के तुलनपत्र ब्याज दर परिवेश से जुड़ने लगे हैं। बैंक स्टॉकों का मूल्यन व्यापारिक लाभ की आशा के आधार पर होने की सीमा तक, ऋण और इक्विटी बाजार के बीच एक नया संपर्क उभर रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में, रिज़र्व बैंक इस बात पर बल देता रहा है कि श्रेष्ठ प्रतिभूतियों के व्यापार से मिलने वाली उच्च आय से बैंकों को आत्मसंतुष्ट होकर शांत नहीं बैठ जाना चाहिए। ब्याज दर जोखिम की संभावना का पता लगाने और तदनुसार उचित जोखिम प्रबंध प्रणाली स्थापित करने तथा सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप प्रावधानीकरण तथा प्रारक्षित निधियाँ अधिक मात्रा में निर्माण करने की जरूरत है। ऐसी आकस्मिकताओं से बैंकों को बचाने के लिए रिज़र्व बैंक ने उन्हें सूचित किया है कि वे प्रतिकूल ब्याज दर घट-बढ़ के लिए अपने विपणन किये गये प्रतिभूति संविभाग के अनुपात के रूप में मार्च 2002 के अंत से निवेश घट-बढ़ निधि की स्थापना करें। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए निवेश घटबढ़ निधि की राशि मार्च 2003 के अंत में "बिक्री के लिए उपलब्ध" और "विपणन के लिए धारित" इन दोनों श्रेणियों को मिलाकर उनके निवेश के 1.8 प्रतिशत होगी। बैंकों को सूचित किया गया है कि मार्च 2006 के अंत तक वे अपने व्यापार योग्य वाणिज्यिक पत्रों के न्यूनतम 5 प्रतिशत के बराबर के निवेश घटबढ़ प्राप्त करें।

प्रणाली में प्रभावी संरचनात्मक परिवर्तन करना

7.21 नीति-संचालित संरचनात्मक परिवर्तन दीर्घावधि में वित्तीय प्रणाली की अर्थ-क्षमता और वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों की प्रक्रिया में संरचनात्मक स्वरूप के कई विशिष्ट मामलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

7.22 भारत के संदर्भ में मुख्य संरचनात्मक दुरुहता ऋण की लागत से संबंधित है। ऋण की लागत धीरे-धीरे निवेश संबंधी निर्णयों में मुख्य निर्धारक बन रही है। रिज़र्व बैंक ने हाल के वर्षों में ह्रासमान ब्याज दर नीति के दृष्टिकोण का अनुपालन किया है - बैंक दर अब 6.0 प्रतिशत है जो 30 वर्षों में सबसे कम है। जहां मौद्रिक नीतिगत उपायों की प्रतिक्रिया के रूप में मुद्रा बाजार में ब्याज दरों में और सरकारी प्रतिभूति बाजारों में आय में कमी आती रही है, वहीं ऋण बाजारों में इसका असर अब भी बहुत अधिक नहीं है।

7.23 रिज़र्व बैंक ने बार-बार उधार की दरों में सहजता से गिरावट लाने में बाधक हो रही संरचनात्मक दुरूहताओं को दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया है। ब्याज दरों में नमनीयता में बाधक हो रहे जिन दो मूलभूत घटकों की पहचान की गयी है, वे हैं - उच्च निधि आवश्यकताएं और अल्प बचतों पर अवरुद्ध ब्याज दरें अब लागू नहीं हैं। अन्यों में से, गैर-निष्पादक आस्तियों में और कमी की जा सकती है, किंतु परिचालनात्मक व्यय अवरुद्ध हो गये लगते हैं जो उत्पादकता बढ़ाने के लिए पहल की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

7.24 विगत की गैर-निष्पादक आस्तियों के भार के अलावा दुरूहताएं, कमोबेश रूप में, कम उत्पादकता से निर्मित होती हैं। अधिक प्रभावी, उत्पादक और प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था को अपनाने के लिए बैंकिंग प्रणाली को कंपनी संचालन, आर्थिक मूल्य वर्धन और प्रौद्योगिक उन्नयन जैसे कई क्षेत्रों में रूपांतरण की चुनौतियों का सामना करना होगा।

7.25 सुलभ चलनिधि स्थितियों के होते हुए बैंकों द्वारा सरकारी बांड में भारी मात्रा में किये गये निवेशों के कुछ लाभ मिल रहे हैं। सरकारी प्रतिभूति बाजारों में धारणीय सुदृढ़ता से मिले भारी विपणन लाभों से बैंक की लाभप्रदता बढ़ाने और गैर-निष्पादक आस्तियों के बारे में प्रावधानीकरण करने के लिए संसाधन मिले हैं। अंततः खराब औद्योगिक वृद्धि के समय अत्यधिक उधार देने से प्रतिकूल चयन की समस्या पैदा हो सकती है, जिससे बचा जा सकता था। साथ ही इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि बैंकिंग का प्राथमिक व्यवसाय है - ऋण का निर्माण करना। जहां सुलभ चलनिधि के समय इस तरह की संकीर्ण बैंकिंग उचित होगी, वहीं दीर्घावधि में बैंकिंग प्रणाली का व्यापक आर्थिक कार्य-निष्पादन उनकी औद्योगिक और अन्य उद्यमों की निधियन की क्षमता पर निर्भर होगा।

बैंकिंग में प्रौद्योगिकी

7.26 बैंकिंग में प्रौद्योगिकी से संबंधित मामले उत्पादकता, दक्षता और ग्राहक संतुष्टि से उनकी सम्बद्धता की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण

हैं । प्रौद्योगिकी ने जोखिम प्रबंध, बैंक शाखाओं में विवरणियों का मिलान तथा ग्राहकों को मूल्यवर्धित सेवा प्रदान करने जैसे बैंक के कई मुख्य कार्यक्षेत्रों में बहुविध परिवर्तन किये हैं।

7.27 एक सुरक्षित, संरक्षित, सुदृढ़ और दक्ष समन्वित भुगतान एवं निपटान प्रणाली की स्थापना करने के उद्देश्य सहित बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उन्नयन में रिज़र्व बैंक एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा है। इस प्रयास में 'इंफिनेट' के माध्यम से वित्तीय संस्थाओं को एकीकृत करने का लक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (ईएफटी) प्रणाली के कार्यान्वयन सहित भुगतान की खुदरा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतियों को प्रोत्साहित करना, वार्तातय लेन देन प्रणाली (एनडीएस) की स्थापना, एक केन्द्रीकृत निधि प्रबंध प्रणाली का विकास (सीएफएमएस), राष्ट्रीय निपटान प्रणाली (एनएसएस) और अंततः तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) प्रारंभ करना शामिल है। रिज़र्व बैंक ने तत्काल सकल निपटान प्रणाली का कार्यान्वयन चरणबद्ध रूप से प्रारंभ कर दिया है।

पारदर्शिता

7.28 बैंक अधिकाधिक जटिल संगठन बनते जा रहे हैं। निवेशकों के लिए बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन की गुणवत्ता और जोखिम सीमा को समझना कठिन हो रहा है। बैंकों के तुलनपत्रों में निहित पारंपरिक सूचना से अकसर पाठकों को वित्तीय विवरणों की ऐसी जानकारी नहीं मिलतीं जिनसे कि वे आय की गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकें। तदनुसार, पर्यवेक्षक बैंक के तुलनपत्र में प्रकटीकरण की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने पर विश्वास रखते हैं। पारदर्शिता के कारण बाजार सहभागियों को न केवल सूचना देने, परंतु सूचना को इस ढंग से प्रस्तुत करने, जिससे की निहित जोखिम वास्तविक रूप से परिलक्षित हो सके, की चुनौती का सामना करना पड़ता है। अतः, पारदर्शिता की तलाश निरन्तर जारी रहेगी।

7.29 बैंकिंग संगठनों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक क्रमिक नीति अपना रहा है। उदाहरण के लिए मार्च 1998 को समाप्त होनेवाले वर्ष से बैंकों को अपने तुलनपत्र में अन्य बातों में 'लेखों पर टिप्पणियों' के रूप में पूंजी-पर्याप्तता अनुपात, औसतन कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में आय और ब्याज से इतर आय से संबंधित कई वित्तीय अनुपात तथा साथ ही आस्तियों पर प्रतिलाभ एवं भारत सरकार की शेयरधारिता के प्रतिशत के बारे में सूचना प्रकट करने का निदेश दिया गया था। काफी समय से प्रकटीकरण का दायरा धीरे-धीरे बढ़ रहा है और उनमें अपने-अपने तुलनपत्र के आस्ति और देयता पक्ष में चुनिंदा मदों की परिपक्वता के स्वरूप, गैर-निष्पादक आस्तियों और निवेशों के मूल्यह्रास के लिए धारित तथा संवेदनशील क्षेत्र (जैसे पूंजी बाजार, स्थावर संपदा और पण्य) को उधार देने के लिए किये गये प्रावधानों की घट-बढ़ जैसे क्षेत्र शामिल किये गये हैं। बैंक समूहों के समेकित पर्यवेक्षण करने के लिए पर्यवेक्षकों को शक्ति प्रदान करने पर अधिक ध्यान देने की दृष्टि से 31 मार्च 2003 से समेकित वित्तीय विवरणियां तैयार की जानी हैं जिनमें समेकित तुलनपत्र, लाभ और हानि पर समेकित विवरण, प्रमुख लेखांकन नीतियां तथा खातों पर टिप्पणियां ऐसे सभी समूहों के बारे में देने का आदेश दिया गया है जहां नियंत्रक संस्था कोई बैंक है। समेकित पर्यवेक्षण ढांचे के अंदर एक विवेकसम्मत सूचना प्रणाली स्थापित की गई है जिसमें संबंधित संस्थाओं के खातों पर सूचना दी गई है जिसके अंतर्गत छमाही रिपोर्ट (समेकित विवेकसम्मत रिपोर्ट) रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करना अपेक्षित है। बैंकों द्वारा 31 मार्च 2003 से विभिन्न कारोबारी क्षेत्रों के नतीजों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण किये जायेंगे। प्रकटीकरण के दायरे का क्रमिक विस्तार भारत के प्रकटीकरण मानकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित मानकों के समकक्ष ला रहा है।

दीर्घावधिक वित्तपोषण

7.30 बुनियादी संरचना, जिसके लिए आम तौर पर दीर्घावधि वित्त अपेक्षित है, के लिए ऋण के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक ने कई नीतिगत उपाय किए हैं। उदाहरण के लिए अप्रैल 2003 की मौद्रिक और ऋण नीति में कई विनियामक और विवेकसम्मत छूटें दी गयी हैं : यथा क) विवेकसम्मत एकल उधारकर्ता संस्था को उधार देने की सीमा में छूट, ख) बुनियादी संरचना से संबंधित कतिपय शर्तों को पूरा करने वाले जमानती प्रतिभूतियों में निवेश को रियायती जोखिम भार देना तथा ग) कतिपय रक्षोपायों के अधीन सीधे अर्थक्षम बुनियादी संरचना परियोजनाएं शुरू करने के लिए कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत निजी क्षेत्र के विशेष प्रयोजन (स्पेशल पर्पज व्हीकल) व्यवस्था को ऋण देने की अनुमति देना। इन उपायों का निवल प्रभाव इस तथ्य से परिलक्षित होता है कि बुनियादी संरचना को बकाया सकल बैंक ऋण मार्च 1999 के 5,945 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 2003 के अंत में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।

7.31 जैसा कि अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में देखा गया है, भारत में आवास की मांग प्रबल है जिनमें अब तेजी से औद्योगीकरण और शहरीकरण हो रहा है। इसके अतिरिक्त, अग्र और पश्चवर्ती कई अन्य उद्योग निर्माण कार्य से महत्त्वपूर्ण रूप से संबद्ध हैं। 2002-03 के दौरान आवास वित्त में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा वह भी कम ब्याज दर पर। यह स्वीकार करना होगा कि भारतीय संदर्भ में संभावित गृह-स्वामियों को बैंक ऋण बुनियादी तौर पर दक्षिण एशियाई देशों सहित कई देशों में बैंकों द्वारा संपत्ति के मूल्यों में सट्टेबाजी से भिन्न

है। महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि आवास क्षेत्र में चूक की दर औसत से निम्नतर होने के कारण बैंक ऋण के लिए यह अपेक्षाकृत सुरक्षित अवसर प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, भूमि-भवन सहित संवेदनशील क्षेत्र को बैंक ऋण पर समग्र अधिकतम सीमा निश्चित है।

रिज़र्व बैंक की विनियामक भूमिका को पुनः परिभाषित करना

7.32 हाल के वर्षों में रिज़र्व बैंक के स्तर पर व्यष्टि - विनियमन से समष्टि (व्यापक) संचालन की ओर क्रमशः रुझान देखा गया है। पर्यवेक्षी व्यवस्था में गहन रिपोर्टिंग की आवश्यकताएं सम्मिलित की गई हैं जिनमें प्रौद्योगिकी - प्रेरित कार्य चलेतर विवरणियां, निरीक्षण और लेखा परीक्षा, रेटिंग (वार्षिक कार्यस्थल संबंधी निरीक्षण पर आधारित) और विवेक-सम्मत मानदंडों को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वार्षिक निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा की जाती है तथा रिपोर्टों से उत्पन्न मुद्दों से संबंधित सिफारिशों पर संबंधित संस्थाओं से चर्चा की जाती है ताकि उन्हें समय-बद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा सके।

कंपनी संचालन

7.33 भारतीय संदर्भ में, विशेषकर स्वामित्व विशाखीकृत होने तथा बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण कंपनी संचालन का महत्त्व बढ़ गया है। ये मुद्दे अमरीका में लेखांकन अनियमितताओं के मद्देनजर और अधिक महत्त्वपूर्ण हो गए हैं। जब बैंकों को बोर्ड स्तर पर निर्णय लेने तथा नीतियों के निर्माण के लिए विवश किया जाता है तो स्वायत्तता और दक्षता का प्रश्न सामने आ जाता है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने कई परामर्शी प्रक्रियाएं शुरू की हैं यथा जैसे कंपनी संचालन पर और बैंकिंग पर्यवेक्षण पर परामर्शी समूहों की रिपोर्टें। इनसे दोनों ही रिपोर्टों में बैंकों में कंपनी संचालन के संव्यवहारों में सुधार लाने हेतु दूरगामी प्रभाव वाले प्रस्ताव हैं। रिज़र्व बैंक ने भी बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के बोर्डों की पर्यवेक्षी भूमिका की समीक्षा करने और बोर्डों की कार्य प्रणाली बनाम उनके द्वारा किये जानेवाले अनुपालन, उनकी पारदर्शिता, प्रकटीकरण, लेखा परीक्षा समितियाँ के बारे में प्रतिसूचना प्राप्त करने तथा जोखिम और अत्यधिक ऋण जोखिम कम करने की दृष्टि से निदेशक बोर्ड की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सिफारिश करने हेतु एक परामर्शी समूह गठित किया। इसी परिप्रेक्ष्य में 2002-03 के दौरान अनेक बैंकों की वार्षिक रिपोर्टों में कंपनी संचालन का स्पष्ट उल्लेख करना एक अभिनंदनीय गतिविधि है।

7.34 भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग प्रणाली में सरकारी स्वामित्व की प्रमुखता भारतीय वित्तीय प्रणाली की एक अद्वितीय विशेषता है। बैंकों में जिस हद तक सार्वजनिक स्वामित्व है, उस स्वामित्व में प्रधान तथा एजेंट के जटिल संबंध के रूप में सरकार के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं।

सहकारी बैंकिंग में संचालन संबंधी मुद्दे

7.35 सहकारी बैंकों का पर्यवेक्षण एक चुनौती भरा कार्य बना हुआ है। यह केवल इसलिए नहीं कि उनकी संख्या बहुत अधिक है, बल्कि इसलिए भी कि उनके लिए पर्यवेक्षी प्राधिकारी भी अनेक हैं। सहकारी बैंकों का पर्यवेक्षण राज्य सरकार तथा रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंकों के मामले में) और नाबार्ड (सहकारी बैंकों और ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के मामले में) करते हैं। विभिन्न नियंत्रक संस्थाओं के पर्यवेक्षी प्राधिकरणों को तर्कसम्मत बनाने की तत्काल आवश्यकता है। रिज़र्व बैंक ने बार-बार इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि वर्तमान बहुविध विनियामक और पर्यवेक्षी नियंत्रण प्रणाली सहकारी बैंकों की अपने जमाकर्ताओं के हित में दक्ष कार्य प्रणाली को सीमित करती हैं। सरकार ने बैंककारी विनियमन (संशोधन) और विविध प्रावधान विधेयक, 2003 संसद के समक्ष रखा है जिसे वित्त संबंधी स्थायी समिति को विचारार्थ भेज दिया गया है। इस बीच, रिज़र्व बैंक ने बेहतर कंपनी संचालन, स्वस्थ निवेश नीति, उचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, बेहतर ऋण जोखिम प्रबंधन, नये उभरते कारोबार यथा व्यष्टि-वित्त, बेहतर ग्राहक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता, पर्याप्त मशीनीकरण पर ध्यान केन्द्रित करने और शहरी सहकारी बैंकों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए आंतरिक व्यवस्था पर सक्रिय एवं व्यावहारिक नीतियां लागू करने जैसे कई उपाय किये हैं।

निष्कर्षात्मक टिप्पणियां

7.36 बैंकों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा केवल पहले से सुस्थापित बैंकों से ही नहीं है, बल्कि नये स्थापित बैंकों तथा अन्य मध्यस्थ संस्थाओं से भी है, जो बैंकों के लागत कीमत अंतर (स्प्रेड) पर दबाव डालती रही है। उन्नत प्रौद्योगिकी से युक्त नये निजी बैंक और विदेशी बैंक एक ही स्थान पर सेवा ('वन स्टाप शॉप') वित्तीय सेवाओं के रूप में स्थापित हो रहे हैं और ग्राहकों को अधिक सुविधाजनक उच्च श्रेणी की सेवा प्रदान कर रहे हैं जो प्रौद्योगिकी में तथा अन्य बुनियादी संरचना सेवाओं में उचित निवेश से समर्थित हैं। अतः सरकारी क्षेत्र के बैंकों की भावी लाभप्रदता अधिकाधिक गैर-ब्याजी आय निर्मित करने और परिचालन व्यय को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता पर निर्भर होगी। बड़ी-बड़ी कम्पनियों / ग्राहकों को देशी तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सीधे ही न्यून लागत की निधियां प्राप्त करने का विकल्प प्राप्त होता रहा है। सुधारों से समर्थित नया वातावरण जमाकर्ताओं और ऋणकर्ताओं को अपने कारोबार करने के लिए अनेक प्रकार के अवसर प्रदान कर रहा है। पूंजी - पर्याप्तता संबंधी मानक लागू होने के अलावा,

जो कि अमल में लाया जा रहा है, बाजार जोखिम का मापन करने की नयी पद्धतियों यथा जोखिम पर-मूल्य और बाध्यता-पूर्व दृष्टिकोण से बैंकिंग क्षेत्र के लिए अधिक मानकीकृत परंतु सख्त ढांचा उपलब्ध होने की आशा है। साथ ही, बैंकिंग उद्योग में प्रौद्योगिकी में होनेवाली प्रगति से परिवर्तन हो रहे हैं। चूंकि खुदरा ग्राहक भी तेजी से अधिक मांग करने वाले बनते जा रहे हैं : प्रतिस्पर्धी वातावरण में बैंकों को मूल्य योजित - सेवाएं देनी पड़ेंगी। उच्च प्रतिस्पर्धा वाली बैंकिंग लाने के लिए प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना और गैर-निधि आधारित गतिविधियों को वैविध्यपूर्ण बनाते हुए अधिकाधिक ब्याजेतर आय निर्मित करना भावी भारतीय बैंकिंग की महत्वपूर्ण विशेषता होगी।

अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों का कालक्रम

घोषणा की तिथि		उपाय
		क) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
2002		
अप्रैल	11	• बैंकों को अच्छी वित्तीय स्थितिवाले चुनिंदा ग्राहकों को स्मार्ट कार्ड (ऑन लाइन तथा ऑफलाइन दोनों) जारी करने की अनुमति दी गई, भले ही बैंक में उनका ख़ाता छह माह से कम रहा हो, बशर्ते वे "अपने ग्राहक को जानिए" अवधारणा को लागू करना सुनिश्चित करें।
	18	• रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि अनारक्षित अग्रिमों तथा गारंटियों के संबंधित मानदण्डों को लागू करने के लिए अनारक्षित अग्रिम तथा गारंटियों की मात्रा की गणना करते समय बकाया क्रेडिट कार्ड की राशि को कुल अनारक्षित अग्रिमों में शामिल न किया जाए
	26	• रिज़र्व बैंक ने आइसीआइसीआइ लि. और आइसीआइसीआइ बैंक लि. के विलयन को कतिपय शर्तों के अधीन मंजूरी दी।
	29	• यह सूचित किया गया कि 30 जून 2002 से बेंक तथा वित्तीय संस्था केवल डिमैट (अभौतिक) रूपमें जमा प्रमाणपत्र जारी करें तथा वर्तमान बाकी जमा प्रमाणपत्र 31 अक्तूबर 2002 तक डिमैट रूप में परिवर्तित किए जाए। • अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया खाता योजना और अनिवासी (विशेष) रुपया खाता योजना को 1 अप्रैल 2002 से बंद कर दिया गया।
मई	3	• बैंकों को निदेश दिया गया कि वे "व्यापार के लिए धारित" तथा 'बिक्री के लिए उपलब्ध' जैसे दो वर्गों के संदर्भ में निवेश घटबढ़ प्रारक्षित राशि भंडार (आइएफआर) का अभिकलन करें तथा इस प्रयोजन के लिए "परिपक्वता के लिए धारित" के अंतर्गत किये गये निवेश को शामिल न करें।
	7	• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को यह निदेश दिया है कि वे 1 जून 2002 को शुरू होनेवाले पखवाड़े से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के पास मांग और निवल मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 5 प्रतिशत नकदी प्रारक्षित अनुपात के रूप में बनाए रखें (शून्य नकदी प्रारक्षित अनुपात निर्धारण के अधीन देयताओं को छोड़कर)।
	9	• बैंकों को निदेश दिया गया कि किसी आस्ति के 12 महीने तक अवमानक वर्ग में रहने पर उसे संदिग्ध घोषित किया जाएगा। बैंकों को यह अनुमति दी गई है कि वे अवमानक से संदिग्ध आस्ति से संक्रमण अवधि 18 महिने से कम करके 12 महीने करने के परिणामस्वरूप अतिरिक्त प्रावधान करने का कार्य चरणबद्ध तरीके से 31 मार्च 2005 से शुरू कर चार वर्ष में पूरा कर लें, जिसमें प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 20 प्रतिशत का प्रावधान किया जाए।
	24	• बैंकों को यह सूचित किया गया था कि निवासीय संपत्ति के बंधक से सुरक्षित किये गये ऋण तथा अग्रिमों की पूँजी-पर्याप्तता के उद्देश्य हेतु जोखिम भार वर्तमान के सौ प्रतिशत के बजाए 50 प्रतिशत निर्धारित करें। वाणिज्यिक स्थावर संपदा (रीयल एस्टेट) के बंधक पर जोखिम भार अब तक की तरह 100 प्रतिशत रहेगा। आवास वित्त कंपनियों, जिनका पर्यवेक्षण राष्ट्रीय आवास बैंक (एचएफसी) करता है कि निवासीय आस्तियों की बंधक समर्थित प्रतिभूतियों में बैंक के निवेश पूँजी पर्याप्तता के उद्देश्य हेतु 50 प्रतिशत के जोखिम भार के लिए पात्र होंगे।
	28	• यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं से संबंधित ऋण आस्तियों को उचित रूप से वर्गीकृत कर दिया गया है और आस्ति गुणवत्ता ठीक से प्रतिबिंबित होती है क्रियान्वित की जा रही ऐसी औद्योगिक परियोजनाओं के संबंध में जिनमें निर्धारित से अधिक समय लगा है, उनके लिए आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान संबंधी मानदंड, जो पहले केवल वित्तीय संस्थानों पर लागू होते थे, अब बैंकों पर भी लागू किये गये हैं।
	29	• बैंकों के परिचालन के स्वरूप और विनियामक आवश्यकताओं में एकरूपता को सुनिश्चित करने की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित लेखाकरण मानकों के अनुपालन को बैंकों के लिए केवल 31 मार्च 2002 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ऐच्छिक बनाया जाए, घटक रिपोर्टिंग पर एएस.17, संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण पर एएस 18, समेकित वित्तीय विवरणों पर एएस 21 और आय पर करों पर एएस 22। बैंकों को उक्त लेखाकरण मानकों की पुष्टि 31 मार्च 2003 तक करनी होगी। इस मामले पर कार्यकारी समूह की सिफारिशों के आधार पर जल्दी ही विस्तृत मार्गदर्शी दिशा निदेश जारी किये जायंगे।
	30	• इरादतन चूककर्ताओं के संबंध में गठित कार्यकारी समूह की सिफारिशों के आधार पर इरादतन ऋण न चुकानेवाले शब्द को पुनः परिभाषित किया गया और उसकी व्याप्ति बढ़ायी गयी थी ताकि उसमें निधियों के विपणन (सिफोनिंग) / विचलन को भी शामिल किया जाएं। बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वे यथा सूचित इरादतन चूककर्ताओं पर दण्डात्मक उपाय लगाना शुरू करें।

(जारी)

अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों का कालक्रम *(जारी)*

घोषणा की तिथि		उपाय
2002		
जून	4	• बैंकों, अखिल भारतीय अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं और राज्य वित्त निगमों को यह सूचित किया गया था कि 31 मार्च, 2002 को रु.1 करोड़ और उससे अधिक के वाद दायर किये गये खातों की सूची और उसके बाद दिसम्बर 2002 तक उसकी त्रैमासिक अद्यतन सूचना प्रस्तुत करें तथा मार्च, जून, सितं. तथा दिस.2002 के अंत तक रु.25 लाख और उससे अधिक के इरादतन चूककर्त्ताओं के बाद दायरा खातों की सूची 31 मार्च 2002 तक एक वर्ष अवधि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को तथा साथ ही ऋण सूचना ब्यूरो (भारत) लि. (सीआइबीआइएल) को और उसके बाद केवल सीआइबीआइएल को प्रस्तुत करें। • कम्पनी संचालन पर सेबी की समिति के मार्गदर्शी दिशा-निर्देश की व्याप्ति बढ़ाने की प्रक्रिया में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों को निदेश दिया गया कि वे शेयरधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए सूचीबद्ध कंपनियों की तर्ज पर समिति गठित करें तथा सूचीबद्ध बैंक अपने शेयरधारकों को छमाही आधार पर अपरीक्षित वित्तीय परिणाम उपलब्ध कराएं।
	15	• निवेशक आधार को बढ़ाने के उद्देश्य से एकल निवेशक के लिए न्यूनतम मात्रा 5 लाख रुपये की वर्तमान सीमा से घटाकर एक लाख रुपये और उसके बाद 1 लाख रुपये के गुणजों में की गई। यह राशि निर्गत जमा-पत्रों के अंकित मूल्य (अर्थात परिपक्वता मूल्य) से संबंधित है।
	20	• बनारस स्टेट बैंक लि. का 20 जून 2002 से बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया। • बैंकों / वित्तीय संस्थाओं के निदेशक मंडल की भूमिका की जाँच करने तथा जोखिमों और अति-निवेश को कम करने की दृष्टि से मंडल की भूमिका को और प्रभावी बनाने के लिए सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक, के विचारार्थ, सिफारिश देने के लिए गठित बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के निदेशकों के परामर्शी समूह (अध्यक्षः डा.ए.एस. गांगुली) ने अपनी सिफारिशें भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत कीं। इसकी अनुपालन योग्य सिफारिशें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के कार्यान्वयन के लिए सूचित कर दी गई तथा कुछ सिफारिशें, जिन पर केंद्र सरकार का अनुमोदन अथवा विधायी संशोधन आवश्यक था, विचारार्थ भारत सरकार को भेज दी गयी हैं।
जुलाई	26	• अग्रिमों पर मासिक आधार पर ब्याज लगाने की प्रणाली के बारे में पूर्ववर्त्ती अनुदेशों के अधिक्रमण में बैंकों को यह विकल्प दिया गया है कि वे चाहें तो मासिक अंतराल पर चक्रवृद्धि ब्याज 1 अप्रैल 2002 से या 1 जुलाई 2002 से या 1 अप्रैल 2003 से लगाएं, तथापि मासिक अन्तरालों पर ब्याज लगाने के अनुदेश कृषि संबंधी अग्रिमों पर लागू नहीं होंगें।
अगस्त	6	• विद्यमान अनुदेशों के अनुसार, लाभार्जक बैंकों को उनके पिछले वर्ष के प्रकाशित लाभ के कुल एक प्रतिशत तक दान देने की अनुमति थी। समीक्षा के बाद, प्रधान मंत्री राहत कोष में बैंकों द्वारा दिये गये दान को उक्त उच्चतम सीमा में छूट दी गयी है।
	16	• 'अपने ग्राहक को जानिएं' अवधारणा के एक अंग के रूप में जमाकर्ताओं को पहचानने और वित्तीय धोखाघड़ियों को नियंत्रित करने-काले धन के वैधीकरण की पहचान करने और अधिक मूल्य नकदी लेनदेनों की निगरानी करना सुगम बनाने के लिए बैंकों को समेकित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये।
अक्तूबर	9	• बैंकों को ऋण जोखिम और बाजार संबंधी संशोधित मार्गदर्शी टिप्पणियों का उपयोग करने की सलाह दी गयी। उनकी जोखिम प्रबंध प्रणालियों को अद्यतन बनाने के लिए ये टिप्पणियां आरबीआई वेबसाइट पर भी डाली गयीं।
नवंबर	6	• सामूहिक गारंटी पर स्वयं सहायता समूहों को बेंकों द्वारा दिये गये गैर-जमानती अग्रिमों को अगली सूचना तक गैर-जमानती गारंटियों और अग्रिमों संबंधी विवेकसम्मत मानदंडों को तैयार करने के प्रयोजन से बाहर रखा गया था। यह निर्णय लिया गया था कि कुल गैर-जमानती अग्रिमों और स्व-सहायता समूहों को दिये गये अग्रिमों की वसूली के परिप्रेक्ष्य में मामले की समीक्षा एक वर्ष बाद की जाएगी।
दिसंबर	9	• अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों के संबंध में क्रेडिट कार्ड प्रभारों की अदायगी कार्ड धारकों के अनिवासी (सामान्य) रुपया खातों से करने की अनुमति दी गयी। तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारियों को इस बात की अनुमति दी गयी थी कि वे भारत में स्थित बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट कार्डों के उस कार्ड की ऋण सीमा तक के उपयोग की अदायगी उनके अनिवासी भारतीय / भारतीय मूल के व्यक्ति ग्राहकों के अनिवासी भारतीय (सामान्य) रुपया खातों में नामे करके कर सकते हैं। यह नामे निवासियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों के उपयोग की शर्तों के अधीन होंगे।
	13	• भारत में स्थित विदेशी बैंकों की शाखाओं द्वारा प्रदत्त गैर-जमानती अग्रिम को जो उसकी विदेशी शाखा द्वारा समर्थित हैं, को गैर-जमानती गारंटियों और अग्रिमों की गणना करने के प्रयोजन से हिसाब में नहीं लिया जायेगा।

अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों का कालक्रम *(जारी)*

घोषणा की तिथि		उपाय
2002		
दिसंबर	14	• राज्य सरकार के तत्संबंधित सरकारी विभागों द्वारा यह प्रमाणित करने पर कि संबंधित सरकारी विभाग या निकाय को बचत खाता खोलने की अनुमति दी गयी है, राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों / योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु जारी किये गये अनुदान (ग्राण्ट) / सब्सिडियों के संबंध में बैंकों को राज्य सरकार के विभागों / निकायों / एजेंसियों के नाम पर बचत बैंक खोलने की अनुमति दी गयी।
2003		
जनवरी	16	• यह निर्णय लिया गया कि जिस तरह से शेयरों में लेनदेन होता है उसी तरह से शेयर बाजार की राष्ट्रव्यापी बेनामी, आदेश संचालित, स्क्रीन आधारित विपणन प्रणाली के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों के विपणन की शुरूआत की जाएं। बैंकों के लिए शेयर बाजारों में सरकारी प्रतिभूतियों का विपणन करने की यह सुविधा रिज़र्व बैंक की प्रचलित वार्तातय लेनेदेन प्रणाली (एनडीएस) के अतिरिक्त होगी, और एनडीएस प्रणाली आगे भी जारी रहेगी। तदनुसार, 16 जनवरी 2003 से राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई) शेयर बाजार, मुंबई (बीएसई) और ओवर दि काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया (ओटीसीईआइ) की स्वचालित आदेश - संचालित प्रणाली में डीमैट रूप में भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों का विपणन करने की अनुमति दी गयी। यह निर्णय लिया गया कि यह योजना बाद में भारत सरकार के खजाना बिलों और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए भी लागू की जायेगी।
	24	• वास्तविक वाणिज्यिक / व्यापार बिलों की खरीद / भुनाई / बेचान / पुनर्भुनाई करते समय बैंकों को उधारकर्ता की कार्यशील पूंजी सीमाओं का मूल्यांकन करने / मंजूरी देने के लिए अपने स्वयं के दिशा-निर्देश निश्चित करने की स्वतंत्रता दी गयी और वे उनकी ऋण आवश्यकताओं का उचित मूल्यांकन करने के बाद और अपने निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुमोदित ऋण नीति के अनुसार उधारकर्ताओं को कार्यशील पूंजी सीमा और बिल सीमा भी मंजूर कर सकते हैं। बैंकों द्वारा जो सावधानियां बरतनी चाहिए उनके संबंध में दिशा-निर्देश भी बनाये गये।
	29	• यह निर्णय लिया गया कि उधारकर्ताओं को अपनी बकाया देयताओं का निपटान करने के लिए आगे आने हेतु और एक अवसर दिया जाए। तदनुसार, निर्धारित मूल्य सीमा के नीचे की दीर्घकालिक गैर-निष्पादक आस्तियों के समझौता निपटान के लिए सरलीकृत, गैर-विवेकाधीन और गैर-विभेदकारी प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए नये दिशा-निर्देश जारी किये गये। निर्धारित समय में गैर-निष्पादक आस्तियों के स्टाक से अधिकतम वसूली सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को एक समान रूप से दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन करने का निदेश दिया गया। संशोधित दिशा-निर्देशों में लघु क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों की गैर-निष्पादक आस्तियां (निर्धारित उच्चतम सीमा से कम) शामिल होंगी। तथापि इन दिशा-निर्देशों में जान-बूझकर चूक, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले शामिल नहीं होंगे।
फरवरी	04	• बुनियादी संरचना परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये गये जिनमें बुनियादी संरचना के लिए उधार देने वित्तपोषण के लिए विशेष मानदंड, बैंकों द्वारा किये जानेवाले वित्तपोषण के प्रकार, परियोजना मूल्यांकन और प्रशासनिक प्रबंध की पद्धति निर्धारित की गयी है। इनमें विवेकपूर्ण ऋण निवेश जोखिम सीमा, पूंजी पर्याप्तता के उद्देश्यों और आस्ति देयता प्रबंध के लिए जोखिम भार भी दिया गया है।
	05	• केन्द्रीय बजट 2002-03 में की गयी घोषणा के अनुसार कम्पनी ऋण पुनर्गठन प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कंपनी ऋण पुनर्गठन के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये गये। संशोधित दिशा-निर्देश की एक मुख्य विशेषता है कंपनी ऋण पुनर्गठन प्रणाली के अंतर्गत ऋण पुनर्गठन की दो श्रेणियों की व्यवस्था। उधारदाता की बहियों में जिन खातों को 'मानक और 'अव-मानक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है उन्हें पहली श्रेणी (श्रेणी 1) के अंतर्गत फिरसे पुनर्गठित किया जायेगा। उधारदाता की बहियों में जिन खातों को 'संदिग्ध' के रूप में वर्गीकृत किया गया है उन्हें दूसरी श्रेणी (श्रेणी 2) के अंतर्गत फिरसे पुनर्गठित किया जायेगा।
	19	• देश विशेष को ऋण देने में निहित जोखिम के प्रबंध और उसके लिए प्रावधान करने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये। ये दिशा-निर्देश केवल ऐसे देशों के बारे में लागू हैं, जहां बैंकों की जोखिम सीमा अपनी आस्तियों के दो प्रतिशत या उससे अधिक है। इन दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन में बैंकों के अनुभव को ध्यान में लेते हुए एक वर्ष के बाद उनकी समीक्षा की जायेगी।
	25	• समेकित पर्यवेक्षण में सुविधा होने की दृष्टि से समेकित लेखा और अन्य मात्रात्मक पद्धतियों के लिए दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन करने का निर्णय लिया गया। ये दिशा-निर्देश कार्यकारी दल (अध्यक्ष : श्री विपिन मलिक) की सिफारिशों पर आधारित है और उनमें जहां आवश्यक है वहां उचित परिवर्तन किये गये हैं।
	26	• बैंकों को अंतर-शाखा खाते में निवल नामे शेष के आधार पर प्रावधान करने के लिए अनुमत समय 31 मार्च 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष से एक वर्ष से घटाकर छह महीने किया गया।

अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों का कालक्रम *(जारी)*

घोषणा की तिथि		उपाय
2003		
फरवरी	27	• यह निर्णय किया गया कि बैंक निर्माणाधीन परियोजनाओं की तीन श्रेणियों के बारे में जिन्हें मई 2002 में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 'मानक' के रूप में वर्गीकृत परियोजनाओं पर वास्तविक रूप से अर्जित होने पर आय मान सकते हैं।
	28	• देशी और सामान्य अ-निवासी बचत जमाराशियाँ और साथ में एनआर (इ) खाता योजना के तहत बचत जमाराशियाँ 1 मार्च 2003 से प्रभावी प्रति वर्ष 3.5 प्रतिशत संशोधित हुई।
मार्च	19	• पूंजीगत लाभ खाता योजना - 1988 की श्रेणी 'अ' के खाते पर 1 मार्च 2003 से संशोधित ब्याज दर 3.5 प्रतिशत वार्षिक है।
		• पात्र बैंकों को एक ही विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के बजाय अलग-अलग क्षेत्र में एक से अधिक समुद्रपारीय कारोबारी इकाई (ओबीयू) स्थापित करने के लिए अनुमति दी गयी और अपनी अधिशेष निधि को संबंधित बैंक के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित निवेश नीति के अंतर्गत भारत से बाहर निवेशित करने और रिज़र्व बैंक द्वारा "अपने ग्राहक को जानिए" के बारे में जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अधीन जमाराशि स्वीकार करने के लिए भी अनुमति दी गयी।
	21	• बैंकों को यह सलाह दी गयी कि वे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश कार्यक्रम में भाग लेनेवाले ऋणकर्ताओं को वित्त प्रदान करने के संबंध में निर्णय लेते समय ऐसे ऋणकर्ताओं को एक ऐसा करार निष्पादित करने के लिए कहें जिसके द्वारा वे अवरुद्धता अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त किये गये शेयरों के निपटान करने के लिए सरकार द्वारा अपने अधिकारों को छोड़ने संबंधी एक पत्र प्रस्तुत करने का वचन दिया गया हो या सरकार के प्रलेखों में एक ऐसा विशेष प्रावधान शामिल करने के लिए सूचित किया गया हो जिसके द्वारा मार्जिन संबंधी अपेक्षाओं में कमी आने पर या ऋणकर्ता द्वारा चूक किये जाने पर अवरुद्धता अवधि के दौरान शेयरों को बेचने की बंधकग्राही को अनुमति दी गयी हो। सफल बोलीकर्ताओं द्वारा विनिवेशित कंपनी के प्राप्त किये गये प्राप्त किये जानेवाले शेयरों पर अवरुद्धता अवधि उनकी बिक्रेयता को प्रभावित करनेवाले अन्य ऐसे प्रतिबंधों की शर्त के अधीन होने पर भी सफल बोलीकर्ताओं को कतिपय शर्तें पूरी करने की शर्त पर वित्त प्रदान करने की अनुमति बैंकों को दी गयी।
अप्रैल	08	• विदेश में भारतीय संयुक्त उद्यमों / पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को ऋण / ऋणेतर सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में बैंकों के लिए निर्धारित उच्चतम सीमा भार-रहित टीयर I पूंजी के 5 प्रतिशत से बढ़ाकर बैंकों की भार-रहित पूंजी निधि (टीयर I और टीयर II पूंजी) की 10 प्रतिशत कर दी गयी।
	23	• वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के संबंध में अंतिम मार्गदर्शी दिशा-निर्देश जारी किये गये। मार्गदर्शी दिशा-निदेश में पंजीकरण से संबंधित आस्ति पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिकरण, स्वाधिकृत निधि अनुमत कारोबार, प्रतिभूतिकरण और आस्ति पुनर्निर्माण के कारोबार को अमल में लाने के लिए परिचालनगत ढांचा, अधिशेष निधियों के विनियोजन, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, विवेकपूर्ण मानदंड, प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाओं आदि से संबंधित विभिन्न पहलुओं की व्यवस्था है ताकि प्रतिभूतिकरण कंपनियों और पुनर्गठन कंपनियों के सुचारु निर्माण एवं उनकी कार्यप्रणाली में सुविधा हो। इन अधिदेशात्मक मार्गदर्शी सिद्धांतों एवं निदेशों के अलावा रिज़र्व बैंक ने अनुशंसात्मक स्वरूप की मार्गदर्शी टिप्पणियां भी जारी की जिनमें आस्तियों के अभिग्रहण, प्रतिभूति रसीदें जारी करने आदि से संबंधित पहलू शामिल हैं। प्रबंध-तंत्र के अधिग्रहण, ऋणकर्ता के पूरे कारोबार या कारोबार के अंश की बिक्री या पट्टे पर देने के संबंध में मानक मार्गदर्शी सिद्धान्तों का एक सेट बनाया जा रहा है।
	24	• यह निर्णय लिया गया कि जम्मू और कश्मीर राज्य के ऋणकर्ताओं / ग्राहकों को दी जानेवाली रियायतें / ऋण राहत और एक वर्ष की अवधि अर्थात 31 मार्च 2004 तक लागू रहेंगी।
	29	• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर समस्त अनुसूचिता वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया गया कि वे 14 जून 2003 से प्रारम्भ पखवाड़े से प्रभावी भारिबैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के तहत निवल माँग व सावधि देयताएँ (शून्य सीआरआर प्रेसक्रिप्शनों के अधीन देयताएँ छोड़कर) 4.5 प्रतिशत का नकदी प्रारक्षित अनुपात भारतीय रिज़र्व बैंक में रखें। • बैंकों को सूचित किया गया कि नई एनआरइ जमाराशियों की परिपक्वता अवधि, तत्काल प्रभावी 1 से 3 वर्ष रहेगी, आगे, उपरोक्त अनुदेश नवीकृत एनआर (इ) जमाराशियाँ उनकी वर्तमान परिपक्वता के पश्चात लागू हों।.
मई	05	• बैंकों / अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया कि वे ऋण के लिए आवेदन-पत्रों और उन्हें संसाधित करने, ऋण आकलन और उनकी शर्तों तथा शर्तों में परिवर्तन सहित ऋणों के संवितरण और वितरणों परांत पर्यवेक्षण के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त अपनायें तथा उचित संव्यवहार संहिता बनाये जो कि उनके निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित हों।

अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों का कालक्रम *(जारी)*

घोषणा की तिथि		उपाय
2003		
मई	07	• निवेश-विचलन संबंधी प्रारक्षित निधि के गठन में और राहत प्रदान करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया कि 31 मार्च 2003 से जहां निवेश विचलन प्रारक्षित निधि को टीयर II पूंजी के रूप में माना जाता रहेगा, वहीं उस पर कुल जोखिम भारित आस्तियों के 1.25 प्रतिशत की उच्चतम सीमा की शर्त नहीं होगी। तथापित, पूंजी-पर्याप्तता संबंधी मानदंडों का अनुपालन करने के प्रयोजन के लिए निवेश विचलन प्रारक्षित निधि सहित, टीयर II पूंजी को कुल टीयर I पूंजी के 100 प्रतिशत की अधिकतम मात्रा तक माना जायेगा।
	23	• एक बारगी निपटान (ओटीएस) योजना के अंतर्गत आवेदनपत्र प्राप्त करने की अवधि को 30 अप्रैल 2003 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2003 तक कर दिया गया और आवेदनपत्रों को संसाधित करने की तारीख 31 अक्तूबर 2003 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2003 कर दी गयी।
जून	26	• जहां तक चेकों के अनादरण का प्रश्न है, यह सुझाव दिया गया कि निधियों के अभाव में चेक न भुनाये जाने के संबंध में उपलब्ध वर्तमान अुनदेशों के अलावा बैंक अतिरिक्त अनुदेशों यथा स्वीकृत न किये गये चेकों के लौटाने / भेजने, स्वीकार न कि गये चेकों से संबंधित जानकारी और बारंबार चेक लौट जाने संबंधी घटनाओं से निपटाने से संबंधी क्रियाविधि का पालन करें। बैंकों को यह भी सूचना है कि उनको सम्बोधित बोर्ड के अनुमोदन से अस्वीकृत चेकों से निपटान के लिए सही प्रक्रिया अपनाने और स्टाफ अथवा कोई अन्य व्यक्ति इसमें शामिल होने को रोकने का उपाय ढूँढ़े तथा चेक आहरणकर्ताकों विलम्ब अथवा आदाता को चेक अस्वीकार होने के तथ्य की सूचना रोकना उन्हें अस्वीकृत चेक लौटाना है।
जुलाई	17	• बैंकों को एकबारगी उपाय के रूप में परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी की प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ को 'पूंजी प्रारक्षित खाता' में आबंटन की अपेक्षा से छूट दी गयी। यह छूट भारत सरकार के ऋण पुनर्खरीद कार्यक्रम योजना के अंतर्गत भारत सरकार को बेची गयी चुनिंदा प्रतिभूतियां के संबंध में ही लागू हैं। • अनिवासी भारतीयों को प्रदत्त ब्याज दरों में संगति लाने के लिए एक से तीन वर्ष की नयी प्रत्यावर्तनीय अनिवासी बाह्य (एनआरइ) जमाराशियों पर ब्याज दरें कम कर दी गयीं। ऐसी ब्याज दरें, अगली सूचना तक, 17 जुलाई 2003 से संगत मीयाद की अमरीकी डालर के लिए लिबोर/स्वैप दरों से 250 आधार अंकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
	29	• जानबूझकर चूक की पहचान करने और ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग के उपाय करने के लिए बैंकों को संशोधित दिशानिदेश जारी किए गए। बैंकों को यह भी निदेश दिया गया कि वे उन उधारकर्ताओं की शिकायत सुनने के लिए शिकायत निवारण तंत्र का गठन करें जो यह मानते हैं कि उन्हें गलत तरीके से जानबूझकर चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
अगस्त	1	• बैंकों द्वारा बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के निदेशकों के परामर्शी समूह की सिफारिशों को लागू करने में प्रगति की त्वरित पुनरीक्षणदर्शता है कि मिला-जुला प्रतिसाद मिला जिसमें कुछ बैंकों ने पूर्णत: उन्हें स्वीकारा और अन्यों को अनुपालन की प्रक्रिया से अभी गुजरना है।
	18	• ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी केंद्रों की बैंक शाखाओं के अधिग्रहण की प्रक्रिया में बैंकों द्वारा अपनाए जानेवाले व्यापक परिचालनात्मक दिशा-निदेश जारी किए गए।
	21	• नकदी प्रारक्षित अनुपात/ सांविधिक चलनिधि अनुपात को बनाए रखने के प्रयोजन से निवल मांग और मीयादी देयताएं (एनडीटीएल) की गणना करने के संदर्भ में बैंकों को निदेश दिया गया कि वे प्रतिनिधि बैंकों के साथ व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित तरीके से देयता की गणना करें : (क) प्रेषण सुविधा योजना के अंतर्गत स्वीकारकर्ता बैंक द्वारा अपने प्रतिनिधि बैंक पर जारी ड्राफ्ट के संबंध में शेष राशि तथा बे. अदायगी रहनेवाली राशि स्वीकारकर्ता बैंक की बही में बाहरी देयता के रूप में दर्शायी जानी चाहिए तथा नकदी प्रारक्षित अनुपात/एसएलआर के प्रयोजन से एनडीटीएल की गणना के लिए इसके हिसाब में लिया जाना चाहिए। (ख) प्रतिनिधि बैंक द्वारा प्राप्त धनराशि उनके द्वारा 'बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताओं' के रूप में दिखायी जानी चाहिए तथा 'अन्यों के प्रति देयताओं के रूप में नहीं तथा इस देयता को प्रतिनिधि बैंक द्वारा उनकी अंतर बैंक आस्तियों में से समायोजित किया जाए। इसी प्रकार ड्राफ्ट/ब्याज/लाभांश वारंट जारी करने वाले बैंकों द्वारा प्रस्तुत राशियों को उनकी बही में 'बैंकिंग प्रणाली में आस्तियों' के रूप में माना जाए तथा उन्हें अपनी अंतर बैंक देयताओं से घटाया जाए।
सितम्बर	11	• सेबी के साथ अमानतदार सहभागी के रूप में पंजीकृत बैंकों को विस्तारण पटलों पर +अपने ग्राहकों को न्यासी सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति दी गई।

अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों का कालक्रम *(जारी)*

घोषणा की तिथि		उपाय
2003		
सितम्बर	13	• भारतीय सनद लेखाकार संस्थान से परामर्श पर, बैंकों को वादग्रस्त लेखों के कानूनी खर्चे के लेखाकरण के लिए 31 मार्च 2004 से प्रभावी निम्नलिखित सिद्धान्त लागू करने का निदेश दिया गया। (क) वादग्रस्तलेखाओं के सम्बन्ध में हुए विधिव्यय को भारग्रहण के समय लाभ व हानि लेखा में नामे डालना चाहिए। उधारकर्ताओं से ऐसे खर्च की वसूली की निगरानी के प्रयोजन से बैंक ज्ञापन नियन्त्रण लेखा का निर्वाह करें। (ख) उधारकर्ताओं से विधिक व्यय की वसूली के समय, वसूल की गई राशि का उल्लेख जिस वर्ष में वसूली हुई, उसके लाभ व हानि लेखा में हो।
	15	• बैंकों को निदेश था कि 15 सितम्बर 2003 को भारत में कारोबार की समप्ति से प्रभावी एक से तीन वर्षों की नई प्रत्यावर्तनीय अनिवासी (बाह्य) जमाराशियों पर ब्याज दरें अगली सूचना तक समरूपी परिपक्वता के अमरीकी डालर से लिबोर/स्वैप दरों से ऊपर (17 जुलाई 2003 के घोषित 250 आधार बिन्दु की जगह) 100 आधार बिन्दु ऊपर नहीं जाना चाहिए।
	16	• सरकरा से परामर्श करके यह निर्णय हुआ कि भारत स्थित समुद्रपारिय निर्गामत निकायों को मान्यता वर्तमान विदेशी मुद्रा प्रबन्धन विनियमों के तहत उपलब्ध योजनाओं / विभिन्न मार्गों के तहत "निवेशक संवर्ग" में पात्र के रूप में समाप्त की जाए।
	26	• मछुआरें, रिक्शा स्वामी, स्व-निजोजित व्यक्ति के लिए एक नई ऋण सुविधा पर ऋण, अर्थात बैंकिग प्रणाली से लचीला, बाधा रहित एवं लागत प्रभावकारी तरीके से कार्यशील पूंजी/अथवा ब्लॉक पूँजी अथवा दोनों प्रदान करें।
अक्तूबर	10	• यह निर्णय लिया गया कि कोई बैंक अपने अपतटीय बैंकिंग इकाइयों से (ओबीयु) से उधार नहीं लेगी और घरेलू (देशी) टेरिफ क्षेत्र (डीटीए) में अपतटीय बैंकिंग इकाइ के ऋण जोखिम घरेलु टेरिफ क्षेत्र में किसी कंपनी की राशि तक प्रतिबंधित होगी, किसी अपतटीय बैंकिंग इकाई से बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) योजना के अंतर्गत फेमा विनियमों के अधीन उधार ले सकते है। ऐसे समग्र ऋण जोखिमों किसी भी समय पर पिछले कार्य दिन के कारोबारी समाप्ति पर उसके कुल देयता का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
	15	• बैंकों को यह निदेश दिया गया कि केवल उन विशेख प्रयोजन साधनों (एसपीवी) को निवेश कंपनियों के रूप में नही समक्षा जाये और अलः भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम विनिदेशनों के लिए बैंक वित्तपोखण हेतु पात्र होने के लिए मर्यादित उद्देश्य हेतु गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में नहीं समझा जाये। बशर्ते कि अन्य दिशानिदेशों का अनुपालन किया गया हो और निम्नलिखित शर्तो का अनुपालन किया गया हो, जैसे, क) वह धारित कंपनियों, विशेष प्रयोजन साधनों आदि के रूप में कार्य करता है जिनके अपने कुल आस्तियों के 90 प्रतिशत तक निवेश के रूप में स्वामित्व साक्षेदार पाने हेतु शेयरों में धारित है। ख) वे इन शेयरों में खंड बिक्री के लिए कारोबार नहीं करते। ग) वे कोई अन्य वित्तीय गतिविधियाँ नहीं चलते, और घ) वे सार्वजनिक जमाराशियाँ धारित/स्वीकार नहीं करते।
	18	• विशेष आर्थिक क्षेत्रों (इएसझेड) में परिचालनगत प्राधिकृत व्यापारियों को भारत सरकार के दिशा निदेशों के अनुपालन में बाह्य वाणिज्यिक उधार (इसीबी) निम्नलिखित शर्तों के अधीन जुराने की अनुमात दी गई है। क) विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाइयाँ अपने एव आवश्यकता के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार जुटा सकते है। ख) किसी उधारीकृत निधियों का अंतरण या उधार अपने सहयोगी संस्था या घरेलू टेरिफ क्षेत्र (डीटीए) में स्थित किसी अन्य इकाइ को नहीं दे सकते है। • और सूचना मिलने तक यह निर्णय लिया गया था कि एक से तीन वर्षो के लिए नये प्रत्यावर्तनीय अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरह) जमाराशियों पर 18 अक्तूबर 2003 को भारत में कारोबार समाप्ति से संकुचित ब्याज दरें तदनुरुपी परिपक्वता की अमरीकी डालर के लिए लिबोर/स्वैप दरों से 25 आधार बिंदुओं से (17 जुलाई 2003 को घोषित 250 आधार बिंदुओ और 15 सितम्बर 2003 को 100 आधार बिंदुओं के मुकाबले) अधिक नहीं होने चाहिए। ब्याज दरों परिवर्तन प्रत्यावर्तनीय अनिवासी विदेशी जमाराशियों के लिए भी लागू होंगें जो उनके वर्तमान परिपक्वता अवधि के बाद नवीकृत है।
	21	• बैंकों को मूल ब्याज दर के संदर्भ और ऋण आकार का परवाह किये बिना अग्रिमों पर ब्याज दरों को तय करने की अनुमति दी गई थी।

अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों का कालक्रम *(जारी)*

घोषणा की तिथि		उपाय
		ख) शहरी सहकारी बैंक
2002		
अप्रैल	1	• शहरी सहकारी बैंक को निदेश दिया गया कि तुलनपत्र की तारीख के बाद शेयर पूंजी में वृद्धि अथवा कमी की गणना निदेशक मंडल के अनुमोदन से छमाही अंतराल पर निवेश की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए की जाए।
जून	7	• कुछ ब्रोकरों/दलाली प्रतिष्ठानों की मदद से कुछ सहकारी बैंकों द्वारा भौतिक रूप में सरकारी प्रतिभूतियों में धोखाधड़ीपूर्ण लेनदेन के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया कि रिज़र्व बैंक (प्राथमिक व्यापारी/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/यूसीबी/एससीबी) के सार्वजनिक ऋण कार्यालय में सभी एसजीएल धारकों/स्टॉक प्रमाणपत्र धारकों को अनिवार्य रूप से अपना निवेश सरकारी प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियों में करना चाहिए तथा संबंधित संस्था के अनुसार यह निवेश एसजीएल (रिज़र्व बैंक के पास) अथवा घटक एसजीएल (एससीबी/ राज्य सहकारी बैंक /प्राथमिक व्यापारी/वित्तीय संस्था/ क्षेत्रीय ग्रामीण बेंक के मामले में प्रायोजक बैंक में) तथा भारतीय स्टाक धारिता निगम लि. अथवा डिपॉजिटरियों, नेशनल सिक्यूरिटी डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल)/ सेंट्रल (सिक्यूरिटी डिपॉजिटरी लि. (सीएसडीएल) में अभौतिकीकृत खाता में करें। दूसरा, केवल एक सीएसजीएल अथवा अभौतिकीकृत खाता किसी ऐसे प्रतिष्ठान में खोला जा सकता है। तीसरा, यदि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अथवा राज्य सहकारी बैंक में सीएसजीएल खाता खोला जाता है, तो खाताधारक को उसी बैंक में निर्दिष्ट निधि हर एक (सभी सीएसजीएल संबंधी लेनदेन के लिए) को खोलना होगा। अंत में, रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित प्रतिष्ठान को तत्काल प्रभाव से किसी ब्रोकर के साथ सरकारी प्रतिभूतियों का लेनदेन भौतिक रूप में नहीं करना चाहिए।
अगस्त	26	• मासिक शेष के आधार पर ब्याज लगाने के संबंध में निम्नलिखित समेकित अनुदेश प्रभावी हैं : क) बैंकों के पास यह विकल्प है कि वे मासिक अंतराल के आधार पर 1 अप्रैल 2002 अथवा 1 जुलाई 2002 अथवा 1 अप्रैल 2003 से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। ख) 1 जुलाई 2002 से शुरू होनेवाली तिमाही से बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केवल मासिक अन्तराल पर प्रभारित करने/चक्रवृद्धि ब्याज लेने की व्यवस्था अपनाने के कारण प्रभावी दर नहीं बढ़नी चाहिए तथा उधारकर्ताओं पर बोझ नहीं बढ़ना चाहिए। ग) मासिक अन्तरालों पर ब्याज सभी विद्यमान खाता पर लगाया जा सकता है (यथा नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट, निर्यात बैंकिंग क्रेडिट खाता आदि) मासिक अंतराल आधार पर विकल्प को अपनाने के समय बैंक दस्तावेजीकरण के प्रयोजन से उधारकर्ताओं से सहमति पत्र /पूरक समझौता प्राप्त कर सकते है। घ) मासिक अंतराल पर ब्याज सभी नए तथा वर्तमान ऋणों और दीर्घावधिक मीयाद के अन्य ऋणों पर लगाया जाए। ड) यह परंतुक ऋण समझौते में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाएगा 'बशर्ते कि रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी अनुदेशों के अनुरूप उधारकर्ताओं द्वारा देय ब्याज लगाया जाएगा।
दिसंबर	4	• यह निर्णय लिया गया कि निदेशकों, उनके संबंधियों तथा उनके हितवाले प्रतिष्ठानों को ऋणों और अग्रिमों की समग्र अधिकतम सीमा मीयादी और मांग देयताओं के पूर्ववर्ती 10 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत तक लाया जाए। जिन बेंकों के ऐसे बकाया ऋण 30 सितंबर 2002 अथवा उसके बाद उनकी मीयादी और मांग देयताओं के 5 प्रतिशत से अधिक थे, उन्हें निदेश दिया गया कि वे अपने निदेशकों, उनके संबंधियों तथा उनके हितवाले प्रतिष्ठानों को नए ऋण/वर्तमान सुविधाओं के नवीकरण को मंजूरी न दें ताकि ऐसे ऋण बकाया को कम किया जा सके तथा उन्हें यथाशीघ्र, परंतु 31 मार्च 2003 तक 5 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के भीतर लाया जा सके।
2003		
मार्च	13	• प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को यह अनुमति दी गयी थी कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक के पास खुले अपने एसजीएल खातों अथवा उसके घटक अनुसूचित वाणिज्य बैंक जैसी निर्दिष्ट संस्थाओं में खुले अपने एसजीएल खातों के माध्यम से लेनदेन की विद्यमान पद्धति के अतिरिक्त एनएसई, बीएसई तथा ओटीसीईआइ की स्वचालित आदेश प्रेरित प्रणाली पर डीमैट रूप में भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों का लेनदेन कर सकते हैं।
अप्रैल	29	• सभी शहरी सहकारी बेंकों को सूचित किया गया कि वे तत्काल प्रभाव से अधिदेशांक समवर्ती लेखा परीक्षा प्रारंभ करें।

अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों का कालक्रम *(जारी)*

घोषणा की तिथि		उपाय
2003		
मई	14	• शहरी सहकारी बैंकों द्वारा ड्रिप सिंचाई/स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली तथा कृषि मशीनरी के व्यापारियों को दी गयी रु. 20 लाख तक प्रति व्यापारी के अग्रिमों को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिये गये उधार के एक भाग के रूप में 'कृषि को अप्रत्यक्ष ऋण' में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया गया। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार के एक भाग के रूप में बैंक ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों को भी रु. 10 लाख तक के प्रत्यक्ष आवास ऋण देने के लिए स्वतंत्र हैं।
	17	• गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को अपनी जमाराशियां सक्षम अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों में रखने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया था। कुछ अपेक्षित मानदण्ड पूरा करने वाले केवल सक्षम अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक को ही अन्य गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक की जमाराशियां रखने की अनुमति दी गयी थी।
	22	• वर्ष 2003-04 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति में की गयी घोषणा के अनुसार रु. 1 लाख तक के स्वर्ण ऋण तथा अल्प ऋण दोनों को गैर-निष्पादक ऋण के रूप में पहचानने के 90 दिनों के मानदण्ड से मुक्त रखा गया था। अतः इन ऋणों को 31 मार्च 2004 के बाद भी गैर-निष्पादक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत करने के लिए 180 दिनों का मानदण्ड लागू किया जायेगा।
जून	13	• प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों के अंतर्गत यथोचित सूचना प्रणाली बनाने के उद्देश्य से सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि 31 मार्च 2003 से छमाही विवरण (31 मार्च/30 सितम्बर को समाप्त छमाही के लिए) प्रस्तुत करना प्रारंभ करें जिसमें बैंक स्थित उनके क्षेत्राधिकार में आनेवाले शहरी बैंक विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अल्पसंख्याक समुदायों को ऋण संवितरण करने संबंधी प्रगति दर्शायी जाए। उक्त यथानिर्दिष्ट छमाही विवरण संबंधित अवधि समाप्ति से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाएं। ऐसी पहली रिपोर्ट 31 मार्च 2003 को समाप्त छमाही के लिए होगी।
जुलाई	08	• ऐसे प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक जो एनडीएस -सीसीआईएल प्रणाली के सदस्य नहीं हैं, उन्हें निदेश दिया गया था कि वे सरकारी प्रतिभूतियों के अपने लेनदेन, एनडीएस सदस्य के पास रखे गिल्ट खाता डिमैट खाते के माध्यम से करें।
सितम्बर	05	• परोक्ष चौकसी विवरणियों के अंतर्गत शहरी सहकरी बैंकों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले अपेक्षित विवरणों की संख्या 10 से घटाकर 8 कर दी गई। आठ विवरणियों में से एक विवरणी की आवधिकता वार्षिक है और शेष सात विवरणियों त्रैमासिक अंतराल पर प्रस्तुत करनी होंगी।
	19	• यह निर्णय लिया गया था कि जो शहरी सहकारी बैंक रिज़र्व बैंक द्वारा ग्रेड II, III या IV के रूप में वर्गीकृत नहीं किये गये हैं, वे लाभांश की घोषणा कर सकते हैं, बशर्ते कि लाभांश भुगतान से बैंक की चलनिधि प्रभावित न हो। ग्रेड II के रूप में वर्गीकृत बैंकों को लाभांश घोषित करने के लिए रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से पूर्वानुमति लेनी होगी। उनके आवेदनों पर विचार कतिपय मानदंडों का उनके व्दारा किये जानेवाले अनुपालन पर निर्भर होगा। • बैंक प्रत्येक रु. 500 से कम की 'देय' समाशोधन अंतर दर्शानेवाली प्रविष्टि के सामने 'प्राप्य' समाशोधन अंतर दर्शानेवाली सभी प्रविष्टियों को समायोजित कर सकते हैं जो समाशोधन खाते में 31 मार्च 2003 को तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया है अर्थात समाशोधन खाते (देय के सामने प्राप्य) में प्रत्येक रु. 500 से कम की वे सभी बकाया प्रविष्टियों जो 31 मार्च 2000 को या उससे पहले उत्पन्न हुई थी और 31 मार्च 2003 को बकाया थीं।
अक्तूबर	18	• और सूचना मिलने तक यह निर्णय लिया गया था कि एक से तीन वर्षों के लिए नये प्रत्यावर्तनीय अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरह) जमाराशियों पर 18 अक्तूबर 2003 को भारत में कारोबार समाप्ति से संकुचित ब्याज दरें तदनुरुपी परिपक्वता की अमरीकी डालर के लिए लिबोर/स्वैप दरों से 25 आधार बिंदुओं से (17 जुलाई 2003 को घोषित 250 आधार बिंदुओ और 15 सितम्बर 2003 को 100 आधार बिंदुओं के मुकाबले) अधिक नहीं होने चाहिए। ब्याज दरों परिवर्तन प्रत्यावर्तनीय अनिवासी विदेशी जमाराशियों के लिए भी लागू होंगें जो उनके वर्तमान परिपक्वता अवधि के बाद नवीकृत है।
(ग) वित्तीय संस्थान		
2002		
अप्रैल	29	• वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया था कि वे 30 जून 2002 से जमाप्रमाणपत्रों के निर्गम केवल डिमैट रूप में करें तथा धारित जमाप्रमाण पत्रों को अक्तूबर 2002 तक डिमैट रूप में परिवर्तित कर लें।

अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों का कालक्रम *(जारी)*

घोषणा की तिथि		उपाय
2002		
मई	14	• हाजिर वायदा संविदाओं (रिवर्स हाजिर वायदा संविदाओं सहित) के सहभागियों में शामिल होने के लिए शर्तों को संशोधित किया गया था और रिज़र्व बैंक के साथ सहभागियों के एसजीएल खाते के अलावा भारतीय समाशोधन निगम लिमि. के भी (रिज़र्व बैंक के पास) के पास एसजीएल खाते के माध्यम से निपटान की अनुमति दी गयी।
जून	4	• अखिल भारतीय अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया था कि वे 31 मार्च 2002 को रु. 1 करोड़ और उससे अधिक की बकाया वाले उधार खातों के विरुद्ध दायर मुकदमें की सूची प्रस्तुत करें तथा इसे दिसंबर 2002 तक त्रैमासिक रूप में अद्यतन करें और मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर 2002 के अंत तक रु. 25 लाख और उससे अधिक की उधार राशि के इरादतन चूक करनेवाले खातों के विरुद्ध दायर मुकदमें की 31 मार्च 2003 तक 1 वर्ष की अवधि के लिए एक सूची रिज़र्व बैंक तथा सीआइबीआइएल को प्रस्तुत करें। उसके बाद उक्त जानकारी केवल सीआरबीआइएल को ही प्रस्तुत की जाए।
	7	• कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं की कुछ श्रेणियों के आस्ति वर्गीकरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में परियोजना करे 'वित्तीय वचनबद्धता' को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है; विकासशील (ग्रीन फील्ड) परियोजनाओं के लिए वित्तीय वचनबद्धता को परियोजना के लिए निधि प्रदान करने अथवा उसके संग्रहण के लिए इक्विटी धारकों और ऋण वित्तपोषक संस्थाओं की कानूनी रूप से बाध्यकारी वचनबद्धता के रूप में परिभाषित किया गया है। उक्त निधीयन राशि परियोजना लागत का उल्लेखनीय अंश अर्थात उक्त सुविधा के निर्माण कार्य क पूरा होने तक की कुल परियोजना लागत का 90 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।
	20	• जमा प्रमाणपत्रों के लिए निवेशक आधार बढ़ाने के उद्देश्य से जमाप्रमाणपत्रों की न्यूनतम और उसके गुणजों की अपेक्षाओं के विद्यमान 10 लाख रु. और 5 लाख रु. के वर्तमान स्तरों को घटाकर केवल 1 लाख्य रु. तक कर दिया गया । यह राशि जमाप्रमाणपत्रों के अंकित मूल्य (परिपक्वता मूल्य) से संबंधित है।
जुलाई	18	• अखिल भारतीय मीयादी ऋण दात्री और पुनर्वित्तपोषक संस्थाओं को सूचित किया गया कि वे सरकारी प्रतिभूतियों में कारोबार करने संबंधी जारी अनुदेशों का पूर्णतः अनुपालन शीघ्रतिशीघ्र परंतु 31 जुलाई 2002 तक सुनिश्चित करें।
	22	• कुछ वित्तीय संस्थाओं से निवेश के वर्गीकरण और मूल्य निर्धारण के संबंध में प्राप्त कतिपय सुझावों और प्रश्नों के अनुसरण में संयुक्त उद्यम, अधिमान शेयरों की व्यवस्था और उनके मूल्य निर्धारण की परिभाषा के संबंध में आय कर अधिनियम, अग्रिम के रूप में शेयर के मूल्य निर्धारण, आदि में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किये गये।
अगस्त	8	• वित्तीय संस्था के जोखिम भारित आस्ति के पूरी पूंजी अनुपात (सीआरएआर) की गणना में बैंक की गारंटी पर वित्तीय संस्था द्वारा दिये गये ऋण के लिए लागू जोखिम भार ओर जोखिम सीमा संबंधी मानदंडों के उदेश्य के लिए ऋण व्यवस्था के बारे में वित्तीय संस्थाओं को निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किये गये। क) बैंक की गारंटी पर वित्तीय संस्था द्वारा दिये गये ऋण पर वित्तीय संस्था द्वारा दिये गये उधार की सीआरएआर की गणना में 20 प्रतिशत का जोखिम भार होगा। ऋण के केवल ऐसे भाग के लिए 20 प्रतिशत का जोखिम भार लागू होगा जो बैंक की गारंटी द्वारा रक्षित है और ऋण की शेष राशि, यदि कोई हो, के लिए सामान्यतः शत-प्रतिशत जोखिम भार लागू होगा। ख) तथापि, जोखिम सीमा संबंधी मानदंडों के प्रयोजन के लिए समग्र ऋण लेनदेन को उधार लेनेवाली संस्था के लिए जोखिम माना जाना चाहिए और ऋण की गारंटी देनेवाले बैंक के लिए जोखिम नहीं माना जाना चाहिए ताकि ऋण संकेन्द्रण की मात्रा सही रूप में परिलक्षित हो सके। यदि निधियन सुविधा मीयादी ऋण के रूप में होगी जो जोखिम सीमा के स्तर की गणना रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए।
	31	• वित्तीय संस्थाओं के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों को अंतर्राष्ट्रीय संव्यहारों के अनुरूप बनाने के लिए उदार बनाने तत्काल प्रभाव से यह निर्णय लिया गया था कि: क) वित्तीय संस्थाओं द्वारा व्यक्तियों को रिहायशी आवास संपत्ति को बंधक रख कर दिये गये आवास ऋण पर 50 प्रतिशत का जोखिम भार (वर्तमान के 100 प्रतिशत के जोखिम भार की तुलना में) होगा, और ख) बंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूतियों में वित्तीय संस्थाओं द्वारा किये गये निवेश पर 50 प्रतिशत की जोखिम भार होगा (यह बाजार जोखिम के लिए 2.5 प्रतिशत के जोखिम भार के अतिरिक्त होगा), बशर्ते बंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूतियों में निहित आस्तियां आवास वित्त कंपनियों की रिहायशी ऋण आस्तियां हों जो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त और पर्यवेक्षित हों और यह कि बंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूतियां परिपत्र में यथा उल्लिखित कतिपय शर्तों को पूरा करती हों।

अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों का कालक्रम *(जारी)*

घोषणा की तिथि		उपाय
2002		
सितम्बर	2	• 'समेकित पर्यवेक्षण को सुविधा जनक बनाने के लिए समंकित लेखांकन और अन्य प्रमात्रात्मक पद्धतियों के संबंध में कार्यकारी दल' की रिपोर्ट के अनुसरण में वित्तीय संस्थाओं की राय जानने के लिए समेकित लेखांकन और समेकित पर्यवेक्षण के लिए मार्गदर्शी नियमों का प्रारूप जारी किया गया था जिसका उद्देश्य था वित्तीय संस्थाओं के लिए समेकित पर्यवेक्षण लागू करना। प्रस्तावित समेकित पर्यवेक्षी संरचना में निम्नलिखित तीन घटकों की परिकल्पना की गयी है; (क) समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस), (ख) समेकित विवेकपूर्ण विवरणियां (सीपीआर) और (ग) पूँजी-पर्याप्तता, भारी निवेश जोखिम और समूह-वार आधार पर चलनीधि अंतराल जैसे विवेकपूर्ण विनियमों को लागू करना।
	14	• ऐसी परियोजनाओं के लिए जिनपर कार्य चल रहा है और जो श्रेणी II में आती हैं उनके लिए आस्ति वर्गीकरण के मानदण्डों के अंतर्गत आस्तियों के वर्गीकरण का निर्णय इस उद्देश्य के लिए गठित स्वतंत्र दल द्वारा ऐसी परियोजनाओं को निर्धारित कार्य पूरा करने की अनुमानित तारीख के अनुसार लिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया गया कि वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वे ऐसे खातों के संबंध में, जो कार्य पूरा करने की अनुमानित तारीख के अनुसार 'मानक' श्रेणी में उन्नयन किये जाने के लिए पात्र हो सकते हैं, किये गये प्रावधानों को प्रतिवर्तित (रिवर्स) न करें।
2003		
जनवरी	20	• वित्तीय संस्थाओं को यह निदेश दिया है कि वे 1 अप्रैल 2003 से वैयक्तिक / समूह उधारकर्ता की जोखिम सीमा निर्धारित करने के लिए डिरेवेटिव्ज में अन्तर्निहित ऋण जोखिम सीमा की गणना करने की दो पद्धतियों अर्थात मूल जोखिम सीमा पद्धति और वर्तमान जोखिम पद्धति को अपनायें। वित्तीय संस्थाओं को वर्तमान जोखिम सीमा पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। यदि कोई वित्तीय संस्था वर्तमान जोखिम सीमा पद्धति अपनाने की स्थिति में नहीं हैं तो उसे मूल जोखिम सीमा पद्धति अपनाने की अनुमति दी गई है।
मई	30	• पुरानी गैर-निष्पादक आस्तियों के समझौता पूर्वक निपटान के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए। भारत सरकार के परामर्श से संशोधित एक बारगी निपटान (ओटीएस) योजना के अंतर्गत आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2003 से बढ़ाकर 30 सितम्बर 2003 और बैंकों द्वारा इन आवेदनों पर कार्रवाई की तिथि 31 अक्तूबर, 2003 से बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2003 कर दी गयी है।
जून	20	• मासिक समवर्ती लेखा परीक्षा रिपेर्ट रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करने की प्रथा तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गयी है। 31 मार्च 2003 को समाप्त छः माही से खज़ाना लेनदेनों की समवर्ती लेखा परीक्षा रिपोर्ट में पायी गयी प्रमुख अनियमितताओं को निवेश संविभाग के अर्धवार्षिकी समीक्षा में (शामिल) करना चाहिए और उसे रिज़र्व बैंक के बैंकिंग पर्यवेक्षण - (डीबीस) विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत करना चाहिए।
जुलाई	1	• भास दिनांकित प्रतिभूतियों का राष्ट्रीय शेयर बाज़ार, शेयर बाज़ार, मुम्बई तथा ओटीसीइआइ के स्वचालित प्रणाली के जरिए व्यापार कर सकते हैं। ऐसे व्यापार को नियमित करने हेतु विसं को भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी व शेयर बाज़ारों द्वारा अधिक सुविधाएँ दी गई।
	17	• वित्तीय संस्थाओं को यह निदेश दिया गया कि वे गैर निष्पादक आस्तियों के बढ़ने को रोकने के संदर्भ में रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी दिशा निदेशों को अपने निदेशक मंडल के सामने रखें ताकि मार्गदर्शी दिशा निदेशों की भावना को ध्यान में रखते हुए दिशा निदेशों में सुझाये गये उपायों को यथा आवश्यक लागू किया जा सके।
	29	• इरादतन चूकों की घटनाओं को पहचानने तथा उनकी रिपोर्ट करने में किये जानेवाले उपायों के बारे में वित्तीय संस्थाओं को संशोधित दिशा निदेश जारी किये गये। बैंकों को यह निदेश दिया गया कि उन उधारकर्ताओं की, जिन्होंने यह अभिवेदन दिया है कि उन्हें 'इरादतन चूक कर्ताओं' के रुप में गलती से वर्गीकृत किया गया है, सुनवाई करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र का निर्माण किया जाये।
अगस्त	1	• विसं के समेकित लेखांकन तथा समेकित पर्यवेक्षण पर अन्तिम मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी।
	6	• वाणिज्यिक पत्र बाजार (सीपी) में निर्गम कर्ता तथा निवेशक दोनों को लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से कंपनियों समेत गैर बैंकिंग संस्थानों को कतिपय शर्तों के अधीन वाणिज्यिक पत्रों को जारी करने हेतु ऋण वृद्धि के लिए शर्तरहित तथा अपिकल्पी गारंटियाँ देने की अनुमति दी गई है।
		(घ) गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ
2002		
अप्रैल	22	• भारतीय रिज़र्व बैंक ने घोषणा की कि मांग / कॉल मांग ऋण देनेवाली / देने की इच्छुक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपने निदेशक मंडल के विधिवत अनुमोदन से एक नीति निर्धारित करनी चाहिए जिसमें निम्नलिखित पहलुओं का समावेश होना चाहिए : क) अधिकतम अवधि का निर्धारण जिसके भीतर ऋण चुकाने की मांग की जायेगी। यदि अधिकतम अवधि 1 वर्ष से अधिक है तो मंजूरी कर्ता प्राधिकारी को इसके लिए विशेष कारण दर्ज करना होगा।

अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों का कालक्रम *(जारी)*

घोषणा की तिथि		उपाय
2002		
		ख) ब्याज दर और ब्याज अदायगी के लिए आवधिक अंतर का निर्धारण त्रैमासिक / मासिक अंतराल पर होना चाहिए। जहाँ कोई ब्याज न लिया गया हो या ऋण स्थगन की स्वीकृति दी गयी हो वहाँ मंजूरी दाता प्राधिकारी को चाहिए कि वह इसके विशेष कारणों को दर्ज करे। ग) ऋण के निष्पादन की समीक्षा के लिए अधिकतम अवधि का निर्धारण ऋण स्वीकृति की तारीख से छह महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। ख) ऐसे ऋणों का नवीकरण समीक्षा के आधार पर होना चाहिए इस समीक्षा में ऋण मंजूर करने की शर्तों का संतोषजनक अनुपालन भी शामिल किया गया हो। भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी ऋण जो मांग / कॉल की तारीख से छह महीने से अधिक समय तक चुकाये नहीं जाते हैं या ऐसे ऋण जिनका ब्याज देय तिथि से छह महीने की अवधि के लिए अप्रदत्त बना रहता है, गैर-निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किये जायेंगे। ऋणों के लिए अग्रिमों और अन्य ऋण सुविधाओं पर लागू प्रावधान अपेक्षाएं ऐसे ऋणों पर भी लागू होंगी। • भारतीय रिज़र्व बैंक ने घोषणा की कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा गैर-निष्पादक आस्तियों की पहचान के लिए निर्धारित 30 दिन की 'गत देय' अवधि 31 मार्च 2003 से समाप्त कर दी जायेगी। इस प्रकार, एक ऋण आस्ति तब गैर-निष्पादक आस्ति के रूप में बदल जायेगी जब उसकी किश्त या ब्याज छह महीने से अधिक समय के लिए अतिदेय हो जाएगी।
जून	06	• गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी विवेक सम्मत मानदण्ड (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1998 को संशोधित किया गया। प्राथमिक संशोधन (i) ज्ञात देयट की अवधारणा को समाप्त करना (ii) गैर-निष्पादक आस्तियों की परिभाषा, (iii) पूँजी - पर्याप्तता आदि बनाये रखना से संबंधित है।
अक्तूबर	1	• गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपने निवेश अनिवार्यतः अनुसूचित वाणिज्य बैंकों / स्टाक होल्डिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (एस एच सी आइ एल के पास ग्राहक के सहायक सामान्य खाते में या निक्षेपागारों में जैसे नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपाज़िटरीज़ लि. / सेन्ट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. में सेबी में पंजीकृत निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों में करने चाहिए। अतएव भौतिक रूप में सरकारी प्रतिभूतियों को रखने की सुविधा समाप्त कर दी गयी है। सरकारी गारंटी वाले बांडों को जब तक डीमैट रूप में नहीं कर दिया जाता तब तक उन्हें भौतिक रूप में रखा जा सकता है। किसी भी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा केवल एक ही सी एस जी एल खाता या डीमैट खाता खोला जा सकता है। आगे से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री के सभी लेनदेन अनिवार्यतः सी एस जी एल / डीमैट खाते के माध्यम से किये जाएंगे। भौतिक रूप से रखी गई सभी सरकारी प्रतिभूतियों को 31 अक्तूबर 2002 को या उससे पूर्व डीमैट रूप में करा लिया जाना चाहिए। पूर्वलिखित किसी भी संस्था में डीमैट एस जी एल खाता खोलने के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन लेना आवश्यक नहीं है, परंतु ऐसा करने के एक सप्ताह के भीतर रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय इस खाते का विवरण देना आवश्यक है। • जमाकर्ता संरक्षण उपाय के रूप में, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया कि वे अपने विज्ञापनों अथवा विज्ञापनों के स्थान पर प्रकाशित किये जानेवाले विवरणों में इस तथ्य को शामिल करें कि उनके द्वारा संग्रहीत जमाराशियां बीमाकृत नहीं हैं। • पूंजी बाजार में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पूंजी निवेश से संबंधित सूचना प्राप्त करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया कि रु.50 करोड़ और उससे अधिक की जनता की जमाराशियां धारित करनेवाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और 31 मार्च 2002 या उसके पश्चात् रु.50 करोड़ और उससे अधिक की जमाकर्ताओं के प्रति सकल देयताओं वाली अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों के पूंजी बाजार में उनके निवेश संबंध में सूचना और आंकड़े मंगाए जाएं । तदनुसार उपर्युक्त मानदंड के अंतर्गत आनेवाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को सूचित किया गया कि वे संबंधित तिमाही की समाप्ति के एक माह के भीतर सूचना प्रस्तुत करें और इस प्रकार की प्रथम विवरणी 31 दिसंबर 2002 की स्थिति के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए। सरकारी कंपनी सहित प्रत्येक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जिसके पास जनता की जमाराशियां नहीं हैं / स्वीकार नहीं करती है को यह निदेश दिया गया था कि यदि उनके पंजीकृत कार्यालय के पते में कोई परिवर्तन होता है और उसके निदेशक / प्रधान अधिकारी / प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता / लेखा - परीक्षक बदलते हैं तो वे इस घटना से 30 दिन के भीतर रिज़र्व बैंक को इसकी सूचना दें।
2003		
मार्च	03	• समस्त वित्तीय प्रणाली में विद्यमान ब्याज दरों को दृष्टि में रखते हुए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित जनता की जमाराशियों पर देय ब्याज की अधिकतम दर 4 मार्च 2003 से संशोधित कर दी गयीं। यह स्पष्ट किया गया था कि यह वह अधिकतम दर है जो कोई भी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों अपने द्वारा धारित जनता की जमाराशियों पर ब्याज अदा कर सकती है और वे इससे कम दर पर ब्याज प्रस्तावित कर सकती है। ब्याज की नई दर जनता की नई जमाराशियों पर और परिपक्वता पर नवीकृत होने वाली जनता की जमाराशियों पर लागू है।
जुलाई	31	• गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियामक ढांचे में संशोधन किया गया ताकि उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी दिनांकित प्रतिभूतियों और खजाना बिलों तथा राज्य सरकारों द्वारा जारी दिनांकित प्रतिभूतियों में हाजिर वायदा संविदा करने की अनुमति दी जा सके।

अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों का कालक्रम *(जारी)*

घोषणा की तिथि		उपाय
2003		
अगस्त	01	• बैंकों और वित्तीय संस्थाओं पर लागू विशेषकर बुनियादी संरचना परियोजनाओं के संबंध में लागू विवेक-सम्मत मानदण्डों के समरूप मानदण्ड बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित विषयक मानदण्डों के साथ-साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए विवेक-सम्मत मानदण्डों को संशोधित किया जाये : 1) गैर-निष्पादक आस्तियों की अवधि; 2) बुनियादी संरचना संबंधी ऋण; 3) पुनर्संरचना या अवधि का पुनर्निधारण या पुनः बेचान; 4) पुनः संरचित मानक और अवमानक खातों के सम्बंध में नीति 5) निधिक ब्याज; 6) आय निर्धारण मादण्ड; 7) प्रावधानीकरण; 8) पुनः गठित अवमानक बुनियादी ऋणों के उन्नयन हेतु पात्रता; 9) ऋण का इक्विटी या डिबेंचरों में परिवर्तन; और 10) बुनियादी संरचना संबंधी ऋणों को छोड़कर अन्य ऋणों से संबंधित पुनर्गठन एवं अन्य मानदण्डों की प्रयोज्यता।
	28	• वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो कि एक प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी है, रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा (45 - Iए), (45-Iबी) और (45-Iसी) के प्रावधानों से मुक्त है। धारा 45-I ए पंजीकरण की अपेक्षाओं और निवल स्वाधिकृत निधियों को परिभाषित करती है। धारा 45 - I बी में ऋणी रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों में आस्तियों का प्रतिशत बनाये रखने के बारे में बताया गया है और धारा 45-I सी में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की प्रारक्षित निधियों के बारे में जानकारी दी गयी है।
अक्तूबर	28	• एनबीएफसी, एमएनबीसी तथा आरएनबीसी द्वारा जमाराशियों पर देय ब्याज दर नई प्रत्यावर्तनीय एनआरइ जमाराशियों पर समरूपी परिपक्वता के अमरीकी डालर के लिए लिबोर/स्वैप दरों के ऊपर 25 आधार बिन्दु रखी गई।
		प्राथमिक व्यापारी
2002		
मई	08	• प्राथमिक व्यापारियों को सूचित किया गया था कि वे अपनी मांग मुद्रा उधार देने / लेने की स्थितियों की समीक्षा करें और अपनी समग्र जोखिम प्रबंध नीति के एक अंग के रूप में अपनी निवल स्वाधिकृत निधियों के अनुसार विवेकसम्मत सीमाओं का निर्धारण करें। • प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया गया था कि वर्ष 2001-02 के लिए बोली लगाने, हामीदारी करने और चलनिधि समर्थन की योजना देने के लिए प्रावधान वर्ष 2002-03 के लिए भी लागू बने रहेंगे, सिवाय इसके कि दिनांकित प्रतिभूतियों के मामले में 40 प्रतिशत के सफलता अनुपात की गणना वास्तविक बोली पर आधारित होगी, न कि बोली लगाने की वचनबद्धता पर।
	17	• खज़ाना बिलों की नीलामी में यदि कोई प्राधिकृत व्यापारी अपेक्षित न्यूनतम बोली नहीं लगाता है या अपनी वचनबद्धता से कम की बोली लगाता है तो उसके लिए चलनिधिमें समर्थन में कमी करने की दण्ड अवधि विद्यमान 6 महीने से घटाकर 3 महीने कर दी गयी है।
	20	• प्राधिकृत व्यापारियों को निदेश दिया गया था किः (1) वे तत्काल प्रभाव से किसी भी दलाल इकाई के साथ भौतिक रूप में किसी भी प्रकार का लेन-देन नहीं करेंगे और (ii) वे अनिवार्यतः सरकारी प्रतिभूतियों में अपने सभी निवेश एस जी एल (रिज़र्व बैंक में) या सी एस जी एल (बैंक / प्राधिकृत व्यापारी / वित्तीय संस्था के पास) या निक्षेपागारों के यहां रखे गए डी मेट खाते में रखेंगे।
	31	• 31 मार्च 2002 से अनुषंगी व्यापारी योजना समाप्त कर दी गयी।
जून	05	• एक श्रेणी के रूप में प्राधिकृत व्यापारियों को वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के दायरे में लाया गया।
	10	• प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया गया कि वे इस बात की पुष्टि करें कि उनके निवेश संविभागों में रखी गई सभी ऋण प्रतिभूतियां और सरकारी प्रतिभूतियां अमूर्त रूप में हैं। यह निर्दिष्ट किया गया कि भविष्य में सरकारी प्रतिभूतियों में किये जाने वाले सभी लेनदेन अनिवार्यतः एस जी एल / सी एस जी एल / डीमैट खातों के माध्यम से किये जाएंगे। प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि सरकारी प्रतिभूतियों में कारोबार करने के लिए उनके द्वारा अनुमोदित दलाल विशेष रूप से एन एस ई / ओटीसीईआई / बीएसई में पंजीकृत हों। .
जुलाई	26	• प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया गया कि वे अपने लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय परिणाम दैनिक समाचार पत्रों और अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करें।
	31	• प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया गया था 5 अक्तूबर 2002 से वे अपनी निवल स्वाधिकृत निधियों के केवल 25 प्रतिशत तक ही मांग / सूचना मुद्रा बाजार में उधार दे सकते हैं। यह भी सूचित किया गया था कि मांग / सूचना मुद्रा बाजार में उधार लेने की पहुंच अपनी उनकी निवल स्वाधिकृत निधियों (पिछले वित्त वर्ष के मार्च के अंत की स्थिति के अनुसार) के 200 प्रतिशत तक I (प्रथम) चरण में और कतिपय विशिष्ट शर्तें पूरी करने पर चरण II में उनकी निवल स्वाधिकृत निधियों के 100 प्रतिशत तक होगी।

अनुबंध: प्रमुख नीतिगत गतिविधियों का कालक्रम *(समाप्त)*

घोषणा की तिथि		उपाय
2002		
अक्तूबर	10	• यह स्पष्ट किया गया था कि प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा मांग / सूचना मुद्रा बाजार में उधार देने की उनकी निवल स्वाधिकृत निधियों की 25 प्रतिशत की सीमा सूचित पखवाड़े के दौरान औसत आधार पर निर्धारित की जाएगी, न कि दैनिक आधार पर।
2003		
जनवरी	16	• सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद व बिक्री एनएसइ, बीएसइ तथा ओटीसीइएल में प्रारम्भ शेयर बाज़ारों के जरिए हुआ।
	20	• संपार्श्विक उधार लेने तथा उधार देने की बाध्यता सीसीआइएल के जरिए मुद्रा बाज़ार के रूप में परिचालित हुई।
फरवरी	21	• गिल्ट खाता धारकों की श्रेणियों की श्रेणियों के चयनार्थ तैयार वायदा (रिपो) संविदा की पात्रता विस्तारण हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए जिसमें डीवीपी व पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त सुरक्षा उपाय थे। मार्गदर्शी सिद्धान्त 3 मार्च 2003 से प्रभावी हुए।
मार्च	24	• प्राधिकृत व्यापारियों को अपने परिचालनों के निधीयन हेतु एफ सी एन आर (बी) ऋणों का लाभ उठाने की अनुमति दी गयी थी, बशर्ते कि ऐसे ऋणों के विदेशी मुद्रा जोखिम को उनके निवेश के 50 प्रतिशत की सीमा तक हर समय के लिए सुरक्षित कवर दिया गया हो।
अप्रैल	03	• सीसीआइएल को सरकारी प्रतिभूतियाँ उधार देने की योजना को परिचालित करने को परिचालन गत दिशा-निदेश दिए गए। सीसीआइएल को लेन-देन के निपटान में प्रतिभूतियों में कमी की हैण्डलिंग के प्रयोजन से अपने किसी सदस्य के साथ सरकारी प्रतिभूतियाँ उधार लेने के लिए व्यवस्था की अनुमति मिली।
	10	• प्राथमिक व्यापारियों को संविभाग प्रबन्ध सेवा के परिचालनगत दिशा-निदेश जारी हुए प्राथमिक व्यापारी, रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन तथा सेबी पंजीकरण सहित पीएमएस सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति थे।
जून	03	• प्राथमिक व्यापारियों को ब्याज दर जोखिमों के प्रति अपने निवेश का प्रबंध करने की दृष्टि से इस बात की अनुमति दी गई थी कि वे चरणबद्ध रूप में ब्याज व्युत्पन्नियों में लेनदेन कर सकते हैं। प्रथम चरण में, ऐसी संस्थाओं को उनके पूर्वता प्राप्त निवेश संविभाग में जोखिम सीमित प्रयोजन हेतु सुरक्षा कवर करने के लिए केवल नोशनल बांडों और खजाना बिलों पर ब्याज दर फ्यूचरों में लेनदेन करने की अनुमति दी गयी थी। उत्पादों के व्यापक दायरे में लेनदेनों की अनुमति देने के साथ-साथ बाजार तैयार करना अगले चरण में प्राप्त अनुभवों के आधार पर तय किया जायेगा।
	11	• प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर, प्राथमिक व्यापारियों को ब्याज दर फ्यूचरों में ट्रेडिंग पोजीशन लेने की अनुमति दी गई थी, बशर्ते कि वह कतिपय विवेक सम्मत विनियमों यथा, ट्रेडिंग फोर्टफोलियों बनाना, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो की ब्याज दर संवेदनशीलता और ट्रेडिंग पोजीशन के लिए लेखांकन के मानदण्डों का पालन करें।

परिशिष्ट सारणी III.1(अ): सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समेकित तुलन-पत्रक

(यथा मार्चान्त)

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक				राष्ट्रीयकृत बैंक				स्टेट बैंक समूह			
	2002		2003		2002		2003		2002		2003	
	कुल की राशि	प्रतिशत	कुल की राशि	प्रतिशत	कुल की राशि	प्रतिशत	कुल की राशि	प्रतिशत	कुल की राशि	प्रतिशत	कुल की राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. पूँजी	15,177.66	1.31	14,175.39	1.10	14,141.86	2.00	13,139.59	1.66	1,035.80	0.23	1,035.80	0.21
2. भण्डार व अधिशेष	42,276.10	3.66	51,407.16	4.00	23,253.09	3.29	29,310.14	3.70	19,023.01	4.23	22,097.02	4.47
3. जमाराशियाँ	9,68,623.57	83.83	10,79,393.81	83.98	6,17,550.78	87.46	6,88,361.12	86.99	3,51,072.79	78.14	3,91,032.69	79.16
3.1 माँग जमाराशियाँ	1,19,048.47	10.30	1,26,874.06	9.87	65,783.23	9.32	70,248.39	8.88	53,265.24	11.86	56,625.67	11.46
3.2 बचत बैंक जमाराशियाँ	2,28,138.16	19.75	2,67,173.81	20.79	1,53,245.61	21.70	1,79,250.82	22.65	74,892.55	16.67	87,922.99	17.80
3.3 सावधि जमाराशियाँ	6,21,436.94	53.79	6,85,345.94	53.32	3,98,521.94	56.44	4,38,861.91	55.46	2,22,915.00	49.62	2,46,484.03	49.90
4. उधार	19,363.03	1.68	22,431.04	1.75	9,311.23	1.32	10,838.48	1.37	10,051.80	2.24	11,592.56	2.35
5. अन्य देयताँएं और प्रावधान	1,09,957.32	9.52	1,17,828.30	9.17	41,852.06	5.93	49,632.10	6.27	68,105.26	15.16	68,196.20	13.81
कुल देयताएं	**11,55,397.68**	**100.00**	**12,85,235.70**	**100.00**	**7,06,109.02**	**100.00**	**7,91,281.43**	**100.00**	**4,49,288.66**	**100.00**	**4,93,954.27**	**100.00**
1. भारि बैंक के पास नकदी व शेष	71,407.46	6.18	65,166.62	5.07	44,120.06	6.25	46,054.48	5.82	27,287.40	6.07	19,112.14	3.87
2. माँग और अल्प सूचना पर मुद्रा और बैंको के पास शेष	79,460.86	6.88	57,156.91	4.45	31,891.35	4.52	21,888.90	2.77	47,569.51	10.59	35,268.01	7.14
3. निवेश	4,54,509.00	39.34	5,45,668.10	42.46	2,68,890.48	38.08	3,22,301.60	40.73	1,85,618.52	41.31	2,23,366.50	45.22
3.1 सरकारी प्रतिभूतियों (अ+आ) में	3,44,691.30	29.83	4,32,243.28	33.63	1,93,179.88	27.36	2,44,174.79	30.86	1,51,511.42	33.72	1,88,068.49	38.07
क. भारत में	3,41,397.65	29.55	4,29,089.65	33.39	1,90,180.35	26.93	2,41,402.54	30.51	1,51,217.30	33.66	1,87,687.11	38.00
ख. भारत से बाहर	3,293.65	0.29	3,153.63	0.25	2,999.53	0.42	2,772.25	0.35	294.12	0.07	381.38	0.08
3.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	20,460.80	1.77	18,164.82	1.41	13,815.13	1.96	12,367.80	1.56	6,645.67	1.48	5,797.02	1.17
3.3 गैर अनुमोदित प्रतिभूतियों में	89,356.90	7.73	95,260.00	7.41	61,895.47	8.77	65,759.01	8.31	27,461.43	6.11	29,500.99	5.97
4. ऋण और अग्रिम	4,80,117.96	41.55	5,49,351.18	42.74	3,15,580.70	44.69	3,60,147.29	45.51	1,64,537.26	36.62	1,89,203.89	38.30
4.1 खरीदे गए व भुनाए गए बिल	36,579.34	3.17	41,897.95	3.26	20,833.59	2.95	24,273.05	3.07	15,745.75	3.50	17,624.90	3.57
4.2 नकदी ऋण, अतिदेय आदि	2,67,855.32	23.18	2,91,680.92	22.69	1,77,169.90	25.09	1,94,231.10	24.55	90,685.42	20.18	97,449.82	19.73
4.3 सावधि ऋण	1,75,683.30	15.21	2,15,772.31	16.79	1,17,577.21	16.65	1,41,643.14	17.90	58,106.09	12.93	74,129.17	15.01
5. मीयादी आस्तियाँ	10,440.08	0.90	10,592.98	0.82	7,551.19	1.07	7,667.66	0.97	2,888.89	0.64	2,925.32	0.59
6. अन्य आस्तियाँ	59,462.32	5.15	57,299.91	4.46	38,075.24	5.39	33,221.50	4.20	21,387.08	4.76	24,078.41	4.87
कुल आस्तियाँ	**11,55,397.68**	**100.00**	**12,85,235.70**	**100.00**	**7,06,109.02**	**100.00**	**7,91,281.43**	**100.00**	**4,49,288.66**	**100.00**	**4,93,954.27**	**100.00**

स्रोत : सम्बन्धित बैंको के तुलन पत्रक

परिशिष्ट सारणी III.1(आ): भारत में निजीक्षेत्र के बैंकों के समेकित तुलन-पत्रक

(यथा मार्चान्त)

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	निजी क्षेत्र के समस्त बैंक				निजी क्षेत्र के पुराने बैंक				निजी क्षेत्र के नए बैंक			
	2002		2003		2002		2003		2002		2003	
	कुल की	प्रतिशत राशि	कुल की	प्रतिशत राशि	कुल की	प्रतिशत राशि	कुल की	प्रतिशत राशि	कुल की	प्रतिशत राशि	कुल की	प्रतिशत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. पूँजी	2,718.39	1.02	2,921.06	0.98	604.80	0.65	648.77	0.62	2,113.59	1.21	2,272.29	1.18
2. भण्डार व अधिशेष	13,468.95	5.03	15,974.40	5.37	4,806.25	5.16	5,646.38	5.37	8,662.70	4.96	10,328.02	5.37
3. जमाराशियाँ	1,69,432.92	63.29	2,07,173.57	69.69	80,440.54	86.28	91,431.26	86.99	88,992.38	51.01	1,15,742.31	60.23
3.1 माँग जमाराशियाँ	20,397.76	7.62	23,274.15	7.83	8,107.59	8.70	8,515.54	8.10	12,290.17	7.04	14,758.61	7.68
3.2 बचत बैंक जमाराशियाँ	20,120.17	7.52	26,160.42	8.80	11,828.99	12.69	13,673.98	13.01	8,291.18	4.75	12,486.44	6.50
3.3 सावधि जमाराशियाँ	1,28,914.99	48.16	1,57,739.00	53.06	60,503.96	64.90	69,241.74	65.88	68,411.03	39.21	88,497.26	46.05
4. उधार	56,591.84	21.14	42,139.95	14.18	2,725.11	2.92	2,385.75	2.27	53,866.73	30.87	39,754.20	20.69
5. अन्य देयताँएं और प्रावधान	25,493.77	9.52	29,070.33	9.78	4,652.59	4.99	4,997.34	4.75	20,841.18	11.94	24,072.99	12.53
कुल देयताएं	**2,67,705.87**	**100.00**	**2,97,279.31**	**100.00**	**93,229.29**	**100.00**	**1,05,109.50**	**100.00**	**1,74,476.58**	**100.00**	**1,92,169.81**	**100.00**
1. भारि बैंक के पास नकदी व शेष	11,306.23	4.22	16,393.68	5.51	5,296.35	5.68	5,243.58	4.99	6,009.88	3.44	11,150.10	5.80
2. माँग और अल्प सूचना पर मुद्रा और बैंको के पास शेष	23,386.30	8.74	11,052.34	3.72	6,489.89	6.96	5,222.04	4.97	16,896.41	9.68	5,830.30	3.03
3. निवेश	97,650.61	36.48	1,07,327.94	36.10	34,021.77	36.49	40,001.03	38.06	63,628.84	36.47	67,326.91	35.04
3.1 सरकारी प्रतिभूतियों (अ+आ) में	62,943.45	23.51	73,303.41	24.66	23,840.20	25.57	28,479.37	27.09	39,103.25	22.41	44,824.04	23.33
क. भारत में	62,859.08	23.48	73,219.26	24.63	23,755.83	25.48	28,395.22	27.01	39,103.25	22.41	44,824.04	23.33
ख. भारत से बाहर	84.37	0.03	84.15	0.03	84.37	0.09	84.15	0.08	—	—	—	—
3.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	1,126.64	0.42	960.93	0.32	1,012.24	1.09	882.58	0.84	114.40	0.07	78.35	0.04
3.3 गैर अनुमोदित प्रतिभूतियों में	33,580.52	12.54	33,063.60	11.12	9,169.33	9.84	10,639.08	10.12	24,411.19	13.99	22,424.52	11.67
4. ऋण और अग्रिम	1,16,840.79	43.65	1,38,951.10	46.74	42,285.68	45.36	49,436.34	47.03	74,555.11	42.73	89,514.76	46.58
4.1 खरीदे गए व भुनाए गए बिल	10,405.19	3.89	11,084.39	3.73	4,204.38	4.51	5,321.15	5.06	6,200.81	3.55	5,763.24	3.00
4.2 नकदी ऋण, अतिदेय आदि	35,527.03	13.27	38,437.75	12.93	22,412.43	24.04	23,663.92	22.51	13,114.60	7.52	14,773.83	7.69
4.3 सावधि ऋण	70,908.57	26.49	89,428.96	30.08	15,668.87	16.81	20,451.27	19.46	55,239.70	31.66	68,977.69	35.89
5. मीयादी आस्तियाँ	7,400.97	2.76	7,499.41	2.52	1,459.53	1.57	1,528.16	1.45	5,941.44	3.41	5,971.25	3.11
6. अन्य आस्तियाँ	11,120.97	4.15	16,054.84	5.40	3,676.07	3.94	3,678.35	3.50	7,444.90	4.27	12,376.49	6.44
कुल आस्तियाँ	**2,67,705.87**	**100.00**	**2,97,279.31**	**100.00**	**93,229.29**	**100.00**	**1,05,109.50**	**100.00**	**1,74,476.58**	**100.00**	**1,92,169.81**	**100.00**

स्रोत : सम्बन्धित बैंको के तुलन पत्रक

परिशिष्ट सारणी III.1(इ): भारत में विदेशी बैंकों के समेकित तुलन-पत्रक

(यथा मार्चान्त)

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2002		2003	
	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. पूँजी	3,576.15	3.16	4,497.79	3.86
2. भण्डार व अधिशेष	6,938.73	6.12	8,906.28	7.65
3. जमाराशियाँ	67,873.46	59.89	69,312.82	59.55
3.1 माँग जमाराशियाँ	13,483.05	11.90	14,441.43	12.41
3.2 बचत बैंक जमाराशियाँ	7,339.47	6.48	8,969.17	7.71
3.3 सावधि जमाराशियाँ	47,050.94	41.52	45,902.22	39.43
4. उधार	26,270.81	23.18	22,904.42	19.68
5. अन्य देयताँएं और प्रावधान	8,661.77	7.64	10,779.77	9.26
कुल देयताए	**1,13,320.92**	**100.00**	**1,16,401.08**	**100.00**
1. भारि बैंक के पास नकदी व शेष	4,046.81	3.57	4,557.40	3.92
2. माँग और अल्प सूचना पर मुद्रा और बैंको के पास शेष	15,729.26	13.88	6,344.91	5.45
3. निवेश	35,093.56	30.97	40,795.49	35.05
3.1 सरकारी प्रतिभूतियों (अ+आ) में	24,161.28	21.32	30,834.10	26.49
क. भारत में	24,161.28	21.32	30,834.10	26.49
ख. भारत से बाहर	—	—	—	—
3.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	165.26	0.15	150.76	0.13
3.3 गैर अनुमोदित प्रतिभूतियों में	10,767.02	9.50	9,810.63	8.43
4. ऋण और अग्रिम	48,478.40	42.78	52,170.87	44.82
4.1 खरीदे गए व भुनाए गए बिल	6,109.02	5.39	5,800.97	4.98
4.2 नकदी ऋण, अतिदेय आदि	18,816.26	16.60	21,399.90	18.38
4.3 सावधि ऋण	23,553.12	20.78	24,970.00	21.45
5. मीयादी आस्तियाँ	2,249.88	1.99	2,185.53	1.88
6. अन्य आस्तियाँ	7,723.01	6.82	10,346.88	8.89
कुल आस्तियाँ	**1,13,320.92**	**100.00**	**1,16,401.08**	**100.00**

स्रोत : सम्बन्धित बैंकों के तुलन-पत्रक

परिशिष्ट सारणी III.2 : मुख्य बैंककारी संकेतक-अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	21 मार्च 2003 के अन्त में बकाया	घट-बढ़							
		वित्तीय वर्ष				अप्रैल-सितम्बर			
		2002-03		2001-02		2003-04 अ		2002-03	
		समग्र	प्रतिशत	समग्र	प्रतिशत	समग्र	प्रतिशत	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. सकल माँग और सावधि देयताएं (2+3+4+6)	**14,85,643**	**2,13,470**	**16.8**	**1,38,694**	**12.2**	**1,01,626**	**4.1**	**1,42,573**	**8.2**
2. समुच्चयी जमाराशियाँ (अ+आ)	**12,80,853**	**1,77,493**	**16.1**	**1,40,742**	**14.6**	**96,480**	**7.5**	**1,24,331**	**11.3**
		(1,47,822)	(13.4)					(87,199)	(7.9)
क. माँग जमाराशियाँ	1,70,289	17,241	11.3	10,496	7.4	4,984	2.9	182	0.1
ख. सावधि जमाराशियाँ	11,10,564	1,60,252	16.9	1,30,246	15.9	91,496	8.2	1,24,149	13.6
		(1,30,581)	(13.7)					(87,017)	(9.2)
3. अन्य उधार #	**12,638**	**9,609**	**317.3**	**462**	**18.0**	**4,622**	**36.6**	**7,240**	**239.1**
4. अन्य माँग और सावधि देयताएँ	**1,29,806**	**17,923**	**16.0**	**20,676**	**22.7**	**2,901**	**2.2**	**3,875**	**3.5**
5. भारिबैंक से उधार	**79**	**-3,537**	**-97.8**	**-280**	**-7.2**	**-78**	**-98.7**	**-3,605**	**-99.7**
6. अन्तर बैंक देयताएँ	**62,346**	**8,444**	**15.7**	**-23,186**	**-30.1**	**-2,377**	**-3.8**	**7,127**	**13.2**
7. बैंक ऋण (अ+आ)	**7,29,215**	**1,39,493**	**23.7**	**78,289**	**15.3**	**6,331**	**0.9**	**71,396**	**12.1**
क. खाद्यान्न ऋण	49,479	-4,499	-8.3	13,987	35.0	-12,014	-24.3	-616	-1.1
ख. गैर-खाद्यान्न ऋण	6,79,736	1,43,992	26.9	64,302	13.6	18,345	2.7	72,011	13.4
8. निवेश (अ+आ)	**5,47,546**	**1,09,276**	**24.9**	**68,110**	**18.4**	**82,526**	**15.1**	**64,070**	**14.6**
क. सरकारी प्रतिभूतियाँ	5,23,417	1,12,241	27.3	71,142	20.9	79,505	15.2	65,762	16.0
ख. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	24,129	-2,964	-10.9	-3,032	-10.1	3,020	12.5	-1,692	-6.3
9. हस्त नकद	**7,567**	**1,322**	**21.2**	**587**	**10.4**	**741**	**9.8**	**181**	**2.9**
10. भारिबैंक के पास शेष	**58,335**	**-4,068**	**-6.5**	**2,858**	**4.8**	**4,995**	**8.6**	**4,325**	**6.9**
11. अन्तर बैंक आस्तियाँ	**59,019**	**6,156**	**11.6**	**-9,491**	**-15.2**	**1,493**	**2.5**	**11,671**	**22.1**
क. ऋण- जमा अनुपात (%)	56.9	—	78.6	—	55.6	—	6.6	—	57.4
ख. खाद्यान्नेतर ऋण-जमा अनुपात (%)	53.1	—	81.1	—	45.7	—	19.0	—	57.9
ग. निवेश-जमा अनुपात (%)	42.7	—	61.6	—	48.4	—	85.5	—	51.5

अ : अनन्तिम। - लागू नहीं।

भारिबैंक /आइडीबीआइ / नाबार्ड / एक्ज़िम बैंक से इतर

टिप्पणी : 1. 3 मई 2002 से विलयनों के प्रभाव के कोष्ठक में अंक शामिल नहीं करते हैं।

2. मुद्रा आपूर्ति पर कार्यकारी दल के सुझाव पर नए लेखाकरण मानकों सहित पद्धति के अनुसार संशोधित, विश्लेषण और पद्धति संकलन (जून 1998)। संशोधन वाणिज्यिक बैंकों सहित पेंशन तथा भविष्य निधि सम्बन्धी है, जो अन्य माँग और सावधि देयताओं के अनुसार वर्गीकृत है तथा वे बैंक शामिल हैं जिन्होंने अब तक ऐसे परिवर्तन सूचित किये हैं।

परिशिष्ट सारणी III.3 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जमा-प्रमाणपत्रों के निर्गम

निम्नलिखित को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया	ब्याज दर (प्रतिशत) @	निम्नलिखित को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया	ब्याज दर (प्रतिशत) @
1	2	3	4	5	6
2002		**2003**			
11 जनवरी	775	6.20 - 9.50	10 जनवरी	1,199	4.37 - 6.61
25	1,008	5.99 - 9.60	24	1,226	4.60 - 7.00
8 फरवरी	1,196	6.00 - 9.50	7 फरवरी	1,214	4.75 - 6.50
22	1,292	5.95 - 10.15	21	1,125	3.00 - 7.50
8 मार्च	1,503	5.98 - 10.00	7 मार्च	928	5.25 - 7.10
22	1,583	5.00 - 10.03	21	908	5.00 - 7.10
5 अप्रैल	1,474	5.00 - 10.88	4 अप्रैल	1,188	5.25 - 7.40
19	1,393	5.00 - 10.28	18	1,485	5.25 - 7.00
3 मई	1,247	5.00 - 10.28	2 मई	1,660	5.00 - 6.26
17	1,362	5.00 - 9.50	16	1,947	5.25 - 6.25
31	1,360	6.00 - 8.90	30	1,996	3.94 - 7.00
14 जून	1,357	5.00 - 9.25	13 जून	2,227	3.99 - 7.00
28	1,361	5.40 - 9.20	27	2,183	3.74 - 6.50
12 जुलाई	1,312	5.21 - 9.10	11 जुलाई	2,242	4.45 - 6.25
26	1,303	5.10 - 8.50	25	2,466	5.25 - 6.75
09 अगस्त	1,161	4.99 - 8.50	08 अगस्त	2,741	4.25 - 6.75
23	1,007	5.03 - 8.50	22	2,961	4.75 - 5.68
06 सितंबर	1,250	5.00 - 8.50	05 सितंबर	3,024	4.50 - 5.61
20	1,236	5.50 - 8.75			
04 अक्तूबर	1,270	5.20 - 8.25			
18	1,394	4.94 - 8.00			
01 नवंबर	1,310	6.00 - 7.50			
15	1,309	4.69 - 8.50			
29	1,213	4.46 - 7.05			
13 दिसंबर	1,204	4.69 - 8.50			
27	1,163	4.71 - 6.50			

@ प्रभावी वार्षिक ब्याज-दर दायरा

परिशिष्ट सारणी III.4: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक की सहायता

(करोड़ रुपये)

अंतिम सूचित शुक्रवार की स्थिति के अनुसार	कुल निर्यात ऋण पुनर्वित्त		अन्य @		कुल पुनर्वित्त	
	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया
1	2	3	4	5	6 (2+4)	7 (3+5)
2001						
मार्च	7,192.11	3,252.24	1,056.68	639.58	8,248.79	3,891.82
2002						
मार्च	9,085.89	3,193.94	1,056.27	422.35	10,142.16	3,616.29
अप्रैल	5,820.32	3,024.76	1,056.27	497.86	6,876.59	3,522.62
मई	5,776.05	426.30	1,056.27	399.30	6,832.32	825.60
जून	5,800.30	336.12	1,056.27	—	6,856.57	336.12
जुलाई	5,702.02	21.64	1,056.27	—	6,758.29	21.64
अगस्त	5,501.84	15.09	727.97	—	6,229.81	15.09
सितंबर	5,197.75	11.78	727.97	—	5,925.72	11.78
अक्तूबर	5,063.81	7.68	399.66	—	5,463.47	7.68
नवंबर	5,162.56	30.42	399.66	—	5,562.22	30.42
दिसंबर	5,072.48	33.77	399.66	—	5,472.14	33.77
2003						
जनवरी	5,010.90	7.97	399.66	—	5,410.56	7.97
फरवरी	5,037.34	9.41	399.66	—	5,437.00	9.41
मार्च	5,048.26	84.51	399.66	—	5,447.92	84.51
अप्रैल	5,137.70	7.20	399.66	—	5,537.36	7.20
मई	4,827.80	2.98	399.66	—	5,227.46	2.98
जून	4,866.00	2.91	399.66	—	5,265.66	2.91
जुलाई	4,827.02	2.97	399.66	—	5,226.68	2.97
अगस्त	4,726.66	2.73	399.66	—	5,126.32	2.73
सितंबर	4,632.52	2.25	399.66	—	5,032.18	2.25
अक्तूबर*	4,617.28	1.05	399.66	—	5,016.94	1.05

@ अन्य में संपार्श्विक ऋण सुविधा (5 अक्तूबर 2002 से समाप्त)।

* 3 अक्तूबर 2003 को समाप्त पखवाड़े को ।

टिप्पणी : 1) 5 मई 2001 से प्रभावी निर्यात ऋण पुनर्वित और संपार्श्विक ऋण सुविधा को दो-तिहाई (सामान्य) और एक-तिहाई (बैक स्टॉप) के रूप में अलग-अलग कर दिया गया है ।

2) निर्यात ऋण पुनर्वित की सामान्य व बैंक स्टॉप सुविधाओं का प्रभाजन 16 नवम्बर 2002 से प्रभावी हर एक (अर्थात् 50:50) आधा प्रभारित ।

परिशिष्ट सारणी III.5: सकल बैंक ऋण का प्रमुख क्षेत्रों द्वारा क्षेत्रवार विनियोजन

(राशि करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	बकाया निम्नानुसार				घट-बढ़	
	22 अगस्त, 2003@	21 मार्च, 2003 *	22 मार्च, 2002	23 मार्च, 2001	2002-03 (3-4)	2001-02 (4-5)
1	2	3	4	5	6	7
I. सकल बैंक ऋण (1+2)	**6,63,122**	**6,16,906**	**5,36,727**	**4,69,153**	**80,179**	**67,574**
1. सरकारी खाद्यान्न खरीद ऋण	41,283	49,479	53,978	39,991	-4,499	13,987
2. खाद्येतर सकल बैंक ऋण	6,21,839	5,67,427	4,82,749	4,29,162	84,678	53,587
					(100.0)	(100.0)
क. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ##	2,19,302	2,03,799	1,75,259	1,54,414	28,540	20,845
					(33.7)	(38.9)
(i) कृषि	74,371	71,609	60,761	51,922	10,848	8,839
					(12.8)	(16.5)
(ii) लघु उद्योग	58,627	60,486	57,199	56,002	3,287	1,197
					(3.9)	(2.2)
(iii) अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	86,304	71,704	57,299	46,490	14,405	10,809
					(17.0)	(20.2)
ख. उद्योग (मझौले और बड़े)	2,19,781	2,00,335	1,72,324	1,62,837	28,011	9,487
					(33.1)	(17.7)
ग. थोक व्यापार (खाद्यान्न खरीद से भिन्न)	22,035	22,398	20,459	17,845	1,939	2,614
					(2.3)	(4.9)
घ. अन्य क्षेत्र	1,60,721	1,40,895	1,14,707	94,066	26,188	20,641
					(30.9)	(38.5)
जिनमें से :						
(i) आवास	40,409	34,654	22,346	16,143	12,308	6,203
(ii) उपभोक्ता टिकाऊ माल	7,891	6,904	7,015	5,566	-111	1,449
(iii) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	15,158	14,052	9,653	7,810	4,399	1,843
(iv) शेयरों और डिबेंचर / बांडो की जमानत पर व्यक्तियों को प्रदत्त ऋण	1,826	1,762	1,520	1,697	242	-177
(v) स्थावर सम्पदा ऋण	5,107	3,098	2,596	1,766	502	830
(vi) अन्य गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र व्यक्तिगत ऋण	29,926	26,089	23,402	18,064	2,687	5,338
(vii) सावधि जमाराशियों पर अग्रिम	21,448	22,701	21,243	19,942	1,458	1,301
(viii) पर्यटन और पर्यटन से संबंधित होटल व्यवसाय	2,740	1,806	1,540	996	266	544
II. निर्यात ऋण (मद I.(2) में शामिल)	**48,913**	**49,402**	**42,978**	**43,321**	**6,424**	**-343**
					(7.6)	(-0.6)
III. निवल बैंक ऋण (अंतर-बैंक सहभागिता सहित)	**6,62,375**	**6,16,085**	**5,35,063**	**4,67,206**	**81,022**	**67,857**

: इस विवरण के आंकड़े इस रिपोर्ट में अन्यत्र दिये गये आंकड़ों से अलग हो सकते हैं, क्योंकि आंकडा आधार भिन्न हैं ।

* : आइसीआइसीआइ का विलयन आइसीआइआइ बैंक से होने के प्रभाव के छोड़कर।

$: आइसीआइसीआइ बैंक के साथ आइसीआइसीआइ के विलयन के प्रभाव समहित।

टिप्पणी : 1. डाटा अनन्तिम है तथा 49 चुनिन्दा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको (मार्च 2001 के लिए 48 एससीबी) के बैंक ऋण का लगभग 90 प्रतिशत है। सकल बैंक ऋण डाटा में भारि बैंक, आइडीबीआइ, एक्जिम बैंक, अन्य अनुमोदित वित्तीय संस्थाएं और अन्तर बैंक सहभागिता पुन: बट्टाकृत बिल शामिल हैं। निवल बैंक ऋण डाटा भारिबैंक, आइडीबीआइ, एक्जिम बैंक और अन्य अनुमोदित वित्तीय संस्थाओं के पुन: बट्टाकृत बिल छोड़कर।

2. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े खाद्येतर सकल बैंक ऋण अनुपात में घट-बढ़ दर्शाते हैं ।

परिशिष्ट सारणी III.6: सकल बैंक ऋण का उद्योगवार विनियोजन

(राशि करोड़ रुपये में)

उद्योग	बकाया निम्नानुसार		घट-बढ़	
	22 अगस्त, 2003 @	21 मार्च, 2003*	2002-03	2001-02
1	2	3	4	5
उद्योग (छोटा, मध्यम और बृहद्)	**2,78,408**	**2,60,821**	**31,298**	**10,684**
1. कोयला	1,048	1,325	-84	375
2. खनन	1,644	1,776	183	290
3. लोहा और इस्पात	26,014	21,425	1,383	636
4. अन्य धातु और धात उत्पाद	7,783	7,513	1,017	145
5. समस्त इंजीनियरी	26,530	23,414	-785	802
जनमें से : इलेक्ट्रॉनिक्स	7,310	6,237	296	650
6. विद्युत	10,261	11,300	1,957	753
7. सूती वस्त्र	14,882	13,863	2,119	-1,500
8. जूट वस्त्र	1,069	786	49	-107
9. अन्य वस्त्र	14,210	14,058	603	1,443
10. चीनी	6,081	5,024	-4	346
11. चाय	1,192	1,053	67	-72
12. खाद्यान्न प्रसंस्करण	8,115	8,360	1,075	931
13. वनस्पति तेल	2,823	2,853	124	-147
14. तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	757	756	-105	-102
15. कागज़ व कागज़ उत्पाद	5,173	4,326	585	273
16. रबड़ और रबड़ उत्पाद	2,511	2,498	252	51
17. रसायन, डाइ, पेंट आदि	30,138	27,831	1,843	1,923
उनमें से :				
क) उर्वरक	6,480	6,293	830	230
ख) पेट्रो-रसायन	7,578	7,007	344	548
ग) दवा व भेषज	7,942	7,492	1,099	1,004
18. सीमेंट	5,979	5,180	956	382
19. चमड़ा	2,891	2,927	75	88
20. रत्न और जेवरात	8,284	7,542	1,086	-125
21. भवन निर्माण	5,376	4,551	551	825
22. पेट्रोलियम	9,614	12,021	701	-252
23. ट्रकों सहित ऑटोमोबाइल	5,275	4,707	253	45
24. कम्प्यूटर सॉफ्टवेअर	2,806	2,531	866	442
25. बुनियादी संरचना	26,880	20,033	5,224	3,460
क) शक्ति	14,264	10,752	3,379	2,127
ख) दूर संचार	6,292	4,110	138	328
ग) सड़क और गोदी	6,324	5,171	1,707	1,005
26. अन्य उद्योग	51,072	53,168	11,307	-221

* आइसीआइसीआइ बैंक के साथ आइसीआइसीआइ के विलयन के प्रभाव से बाहर।

@ आइसीआइसीआइ बैंस्क से आइसीआइसीआइ के (अन्य अंकों से मिलान योग्य नहीं) विलयन के प्रभाव समेत।

नोट : 1. डाटा अनन्तिम हैं तथा चुनिन्दा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से सम्बन्धित हैं जो समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बैंक ऋणों समेत है।

2. सकारात्मक घट-बढ़ इंगित नहीं।

परिशिष्ट सारणी III.7 : रुग्ण / कमज़ोर औद्योगिक इकाइयों की अर्थ क्षमता स्थिति

(राशि करोड़ रुपये में)

औद्योगिक इकाइयों का प्रकार	लघु उद्योग रुग्ण इकाइयां				गैर-लघु उद्योग रुग्ण इकाइयां				गैर-लघु उद्योग कमजोर इकाइयां				कुल			
	संख्या		बकाया राशि		संख्या		बकाया राशि		संख्या		बकाया राशि		संख्या		बकाया राशि	
	मार्च 2001	मार्च 2002	मार्च 2001	मार्च 2002	मार्च 2001	मार्च 2002	मार्च 2001	मार्च 2002	मार्च 2001	मार्च 2002	मार्च 2001	मार्च 2002	मार्च 2001	मार्च 2002	मार्च 2001	मार्च 2002
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. संभाव्य अर्थक्षम	13,076	4,493	399.17	416.41	339	269	2,945.11	2,491.33	74	74	995.55	1,216.60	13,489	4,836	4,339.83	4,124.34
इकाइयां	(5.2)	(2.5)	(8.9)	(8.6)	(11.6)	(9.4)	(15.9)	(14.2)	(19.0)	(19.4)	(35.7)	(33.3)	(5.3)	(2.7)	(16.8)	(15.8)
2. गैर-अर्थक्षम	2,25,488	1,67,574	3,943.20	4,146.74	1,661	1,605	6,635.96	6,976.47	193	172	479.45	556.55	2,27,342	1,69,351	11,058.61	11,679.76
इकाइयां	(90.4)	(94.5)	(87.5)	(86.1)	(56.7)	(55.7)	(35.9)	(39.7)	(49.6)	(45.1)	(17.2)	(15.2)	(89.9)	(93.8)	(42.9)	(44.8)
3. अर्थक्षमता	11,066	5,269	163.17	255.80	928	1,006	8,897.10	8,123.32	122	135	1,317.09	1,881.37	12,116	6,410	10,377.36	10,260.49
अनिर्णीत	(4.4)	(3.0)	(3.6)	(5.3)	(31.7)	(34.9)	(48.2)	(46.1)	(31.4)	(35.5)	(47.1)	(51.5)	(4.8)	(3.5)	(40.3)	(39.4)
4. कुल	2,49,630	1,77,336	4,505.54	4,818.95	2,928	2,880	18,478.17	17,591.12	389	381	2,792.09	3,654.52	2,52,947	1,80,597	25,775.80	26,064.59
5. पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत इकाइयां	753	621	120.30	88.98	194	156	1,754.00	1,321.44	17	16	390.98	439.75	964	793	2,265.28	1,850.17
1 के प्रतिशत के रूप में 5	5.8	13.8	30.1	21.4	57.2	58.0	59.6	53.0	23.0	21.6	39.3	36.1	7.1	16.4	52.2	44.9

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं ।

परिशिष्ट सारणी III.8: संवेदनशील क्षेत्रों को बैंक समूह-वार उधार

(राशि करोड़ रुपए में)

अग्रिम निम्नानुसार	राष्ट्रीयकृत बैंक			स्टेट बैंक समूह			सार्वजिनकक्षेत्र के बैंक		
	2001-02	2002-03	घट - बढ़	2001-02	2002-03	घट - बढ़	2001-02	2002-03	घट - बढ़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. पूंजी बाज़ार	1,132.34	959.08	-15.30	166.72	73.18	-56.11	1,299.06	1,032.26	-20.54
	(0.36)	(0.27)		(0.10)	(0.04)		(0.27)	(0.19)	
2. सम्पदा	5,423.45	7,231.26	33.33	620.26	756.61	21.98	6,043.71	7,987.87	32.17
	(1.72)	(2.01)		(0.38)	(0.40)		(1.26)	(1.45)	
3. पण्य	4,823.42	5,096.17	5.65	1,411.03	1,258.36	-10.82	6,234.45	6,354.53	1.93
	(1.53)	(1.42)		(0.86)	(0.67)		(1.3)	(1.16)	
संवेदनशील क्षेत्रों को कुल अग्रिम	**11,379.21**	**13,286.51**	**16.76**	**2,198.01**	**2,088.15**	**-5.00**	**13,577.22**	**15,374.66**	**13.24**
	(3.61)	**(3.69)**		**(1.34)**	**(1.10)**		**(2.83)**	**(2.80)**	

अग्रिम निम्नानुसार	निजीक्षेत्र के नए बैंक			निजीक्षेत्र के पुराने बैंक			विदेशी बैंक			एससीबी		
	2001-02	2002-03	घट - बढ़	2001-02	2002-03	घट - बढ़	2001-02	2002-03	घट - बढ़	2001-02	2002-03	घट - बढ़
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1. पूंजी बाज़ार	1,026.13	689.42	-32.81	258.25	197.72	-23.44	498.78	584.51	17.19	3,082.22	2,503.91	-18.76
	(1.38)	(0.77)		(0.61)	(0.40)		(1.03)	(1.12)		(0.48)	(0.34)	
2. सम्पदा	1,208.34	2,701.66	123.58	1,122.35	1,066.84	-4.95	637.46	707.81	11.04	9,011.86	12,464.18	38.31
	(1.62)	(3.02)		(2.65)	(2.16)		(1.31)	(1.36)		(1.40)	(1.68)	
3. पण्य	899.65	1,062.08	18.05	1,327.56	1,326.93	-0.05	265.04	235.18	-11.27	8,726.70	8,978.72	2.89
	(1.21)	(1.19)		(3.14)	(2.68)		(0.55)	(0.45)		(1.35)	(1.21)	
संवेदनशील क्षेत्रों को कुल अग्रिम	**3,134.12**	**4,453.16**	**42.09**	**2,708.16**	**2,591.49**	**-4.31**	**1,401.28**	**1,527.50**	**9.01**	**20,820.78**	**23,946.81**	**15.01**
	(4.2)	**(4.97)**		**(6.4)**	**(5.24)**		**(2.89)**	**(2.93)**		**(3.23)**	**(3.23)**	

टिप्पणी : कोष्ठकों में आंकड़े कुल ऋण तथा अग्रिम सम्बन्धित बैंक समूह की प्रतिशतता हैं।

स्रोत : सम्बन्धित बैंको के तुलन पत्रक

परिशिष्ट सारणी III.9: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का क्षेत्र/राज्यवार ऋण-जमा अनुपात और निवेश + ऋण-जमा अनुपात

(प्रतिशत)

क्रम सं.	क्षेत्र/राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	ऋण-जमा अनुपात							निवेश+ऋण जमा अनुपात@			
		2000		2001		2002		2003	2001		2002	
		स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**उत्तरी क्षेत्र**	**51.1**	**49.6**	**54.7**	**52.5**	**56.2**	**55.0**	**57.1**	**59.9**	**57.7**	**61.2**	**60.0**
	हरियाणा	42.4	53.4	41.0	54.0	43.7	55.0	43.6	49.8	62.8	51.9	63.1
	हिमाचल प्रदेश	23.8	26.8	21.3	25.7	23.4	32.5	24.7	35.5	39.9	36.3	45.4
	जम्मू और कश्मीर	33.5	30.9	34.5	33.5	36.8	40.9	37.9	42.7	41.8	46.0	50.1
	पंजाब	39.4	40.9	41.1	42.3	41.8	43.9	41.6	47.0	48.2	47.0	49.2
	राजस्थान	46.7	50.1	46.6	49.6	48.4	55.4	51.1	65.4	68.4	67.3	74.3
	चंडीगढ़	82.0	79.5	99.4	99.3	102.8	102.3	110.4	99.4	99.3	102.8	102.3
	दिल्ली	60.5	53.7	66.1	57.6	67.6	59.1	67.8	66.3	57.8	67.7	59.2
2	**उत्तर-पूर्वी क्षेत्र**	**28.1**	**30.6**	**27.6**	**32.0**	**27.2**	**53.2**	**26.8**	**44.9**	**49.3**	**45.2**	**71.2**
	अरुणाचल प्रदेश	15.7	22.3	14.5	22.1	15.8	27.4	17.0	24.3	31.8	22.7	34.3
	असम	32.0	35.5	32.1	38.1	31.7	70.3	28.6	48.9	55.0	49.3	87.9
	मणिपुर	37.4	37.9	40.1	40.7	26.4	27.3	28.0	72.2	72.8	58.9	59.8
	मेघालय	16.3	16.3	17.1	17.3	18.3	24.3	28.8	33.0	33.3	34.0	40.0
	मिजोरम	23.3	26.0	24.1	29.0	26.4	36.2	26.4	43.8	48.7	48.5	58.4
	नगालैंड	15.3	15.6	12.4	13.6	12.8	18.1	13.1	42.1	43.3	48.1	53.3
	त्रिपुरा	25.7	25.7	21.7	21.7	21.5	21.6	25.6	34.2	34.2	33.6	33.7
3	**पूर्वी क्षेत्र**	**37.0**	**37.2**	**36.7**	**36.6**	**37.6**	**41.4**	**40.2**	**47.7**	**47.6**	**48.6**	**52.4**
	बिहार	22.5	23.2	20.7	20.7	21.3	21.9	23.4	37.6	37.6	38.3	38.9
	झारखंड	—	—	28.0	30.6	25.1	31.0	27.3	28.7	31.2	27.1	33.0
	उड़ीसा	41.5	42.8	40.2	41.6	44.5	51.4	46.2	65.8	67.1	68.2	75.1
	सिक्किम	15.1	15.2	14.4	14.5	16.0	22.5	17.2	31.7	31.7	29.9	36.4
	पश्चिम बंगाल	45.5	44.9	44.5	43.4	45.8	49.2	48.2	52.4	51.2	53.7	57.2
	अंदमान और निकोबार	16.8	27.6	16.3	27.5	18.5	57.2	21.0	16.3	27.5	18.5	57.2
4	**मध्य क्षेत्र**	**33.9**	**36.8**	**32.7**	**36.9**	**33.9**	**38.4**	**33.5**	**43.9**	**48.1**	**44.8**	**49.3**
	छत्तीसगढ़	—	—	38.5	49.9	44.0	54.2	39.1	39.4	50.8	46.6	56.8
	मध्य प्रदेश	49.1	52.5	47.6	52.5	46.6	50.3	46.6	62.7	67.5	60.5	64.3
	उत्तर प्रदेश	28.2	30.9	28.3	31.9	29.9	34.3	30.4	40.3	43.9	41.7	46.1
	उत्तरांचल	—	—	21.7	23.9	23.7	26.0	19.1	21.8	24.0	25.3	27.6
5	**पश्चिमी क्षेत्र**	**75.4**	**74.6**	**75.5**	**74.8**	**79.7**	**71.3**	**80.8**	**79.9**	**79.2**	**83.5**	**75.1**
	गोवा	23.8	25.4	26.1	27.3	25.3	28.2	23.2	29.5	30.7	29.2	32.1
	गुजरात	49.0	53.5	48.5	53.6	44.1	54.7	45.2	55.1	60.2	50.9	61.5
	महाराष्ट्र	86.4	83.4	86.4	83.5	92.3	77.5	93.2	90.1	87.2	95.3	80.5
	दादरा और नगर हवेली	18.8	135.6	14.3	135.2	20.9	189.0	23.5	14.3	135.2	20.9	189.0
	दमण और दीव	15.7	87.6	13.3	75.3	9.9	79.4	9.0	13.3	75.3	9.9	79.4
6	**दक्षिणी क्षेत्र**	**66.2**	**66.8**	**66.6**	**66.8**	**64.6**	**68.9**	**65.0**	**75.2**	**75.3**	**72.9**	**77.1**
	आंध्र प्रदेश	64.2	65.5	64.5	64.9	61.9	67.7	62.6	77.2	77.6	74.0	79.7
	कर्नाटक	63.3	65.5	61.0	61.8	61.6	68.9	60.9	67.6	68.5	68.4	75.7
	केरल	41.5	41.7	43.3	42.3	43.3	43.7	43.3	51.7	50.8	51.3	51.7
	तमिलनाडु	88.6	87.5	90.6	90.6	85.4	88.5	86.5	97.6	97.5	91.9	95.1
	लक्षद्वीप	7.4	9.1	10.4	11.8	7.9	9.6	5.1	10.4	11.8	7.9	9.6
	पांडिचेरी	33.6	38.7	33.5	35.8	32.3	39.2	32.2	33.5	35.8	32.3	39.2
	आखिल भारतीय	**56.0**	**56.0**	**56.7**	**56.7**	**58.4**	**58.4**	**59.4**	**64.3**	**64.3**	**65.6**	**65.6**

@ बैंकों के राज्यवार निवेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी संस्थाओं, राज्य विद्युत बोर्ड, नगरपालिका निगम, नगरपालिका और बंदरगाह ट्रस्ट, राज्य वित्त निगम, आवास बोर्ड, राज्य औद्योगिक विकास निगम, सड़क परिवहन निगम तथा अन्य सरकारी और अर्ध सरकारी निकायों के राज्य सरकारी ऋण तथा शेयर, बॉण्ड, डिबेंचर आदि की अपनी धारिता दर्शाता है।

अखिल भारतीय निवेश + ऋण - जमा अुनपात केन्द्र सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किये गये निवेशों को छोड़कर निकाला गया है।

— लागू नहीं

टिप्पणी: 1. 1999, 2000 और 2001 के लिए जमाराशि और ऋण (स्वीकृति और उपयोग के स्थान के अनुसार) से संबंधित आंकड़े 31 मार्च के अनुसार बीएसआर- 1 और 2 सर्वेक्षणें पर आधारित हैं।

2. निवेश संबंधी आंकड़े 31 मार्च के अनुसार बीएसआर-5 सर्वेक्षण पर आधारित हैं।

3. वर्ष 2002 के लिए ऋण जमा अनुपात 31 मार्च 2002 के अनुसार बीएसआर - 7 सर्वेक्षण पर आधारित हैं।

परिशिष्ट सारणी III.10 : वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण

(राशि करोड़ रुपए में)

परिवर्ती	21 मार्च 2003 को बकाया	घट - बढ़							
		वित्तीय वर्ष				अप्रैल-अगस्त			
		2002-03		2001-02		2003-04		2002-03	
		समग्र	प्रतिशत	समग्र	प्रतिशत	समग्र	प्रतिशत	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
घटक									
घ.I निवासियों की कुल जमाराशि (घ.I.1+घ.I.2)	**11,88,613**	**1,76,103**	**17.4**	**1,35,989**	**15.5**	**84,499**	**7.1**	**1,12,035**	**11.1**
	(11,58,942)	**(1,46,432)**	**(14.5)**					**(73,829)**	**(7.3)**
घ.I.1 मांग जमाराशि	1,70,289	17,241	11.3	10,496	7.4	4,219	2.5	-2,137	-1.4
घ.I.2 निवासियों की सावधि जमाराशि (घ.I.2.1+घ.I.2.2)	10,18,324	1,58,862	18.5	1,25,493	17.1	80,279	7.9	1,14,172	13.3
	(9,88,653)	(1,29,191)	(15.0)					(75,966)	(8.8)
घ.I.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशि	4,58,246	71,488	18.5	56,472	17.1	36,125	7.9	51,377	13.3
घ.I.2.1.1 जमाराशि प्रमाणपत्र (सीडी)	722	-1,511	-67.7	1,221	120.7	573	79.4	-839	-37.6
घ.I.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशि	5,60,078	87,374	18.5	69,021	17.1	44,154	7.9	62,795	13.3
घ.II वित्तीय संस्थाओं से मांग / सावधि निधीयन	**12,638**	**9,609**	**317.2**	**463**	**18.0**	**4,462**	**35.3**	**6,667**	**220.1**
स्रोत									
एस.I घरेलू ऋण (एस.I.1+एस.I.2)	**14,14,455**	**2,67,294**	**23.3**	**1,56,703**	**15.8**	**75,941**	**5.4**	**1,39,888**	**12.2**
एस.I.1 सरकार को ऋण	5,23,417	1,12,241	27.3	71,141	20.9	67,678	12.9	64,245	15.6
एस.I.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण (एस.I.2.1+एस.I.2.2+एस.I.2.3+एस.I.2.4)	8,91,038	1,55,053	21.1	85,561	13.2	8,263	0.9	75,643	10.3
एस.I.2.1 बैंक ऋण	7,29,215	1,39,492	23.7	78,289	15.3	-1,971	-0.3	63,658	10.8
एस.I.2.1.1 खाद्येतर ऋण	6,79,736	1,43,991	26.9	64,302	13.6	6,226	0.9	61,236	11.4
एस.I.2.2 प्राथमिक व्यापरियों को निवल ऋण	4,093	3,765	1,148.9	461	-346.6	3,022	73.8	5,295	1,614.3
एस.I.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	24,129	-2,964	-10.9	-3,032	-10.1	3,302	13.7	-1,348	-5.0
एस.I.2.4 अन्य निवेश (गैर-सांविधिक चलनिधि प्रतिभूतियाँ	1,33,601	14,759	12.4	9,844	9.0	3,910	2.9	8,037	6.8
एस.II वाणिज्यिक बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (एस.II.1-एस.II.2-एस.II.3)	**-68,366**	**-30,235**	**79.3**	**-2,202**	**6.1**	**-2,234**	**3.3**	**-34**	**0.1**
एस.II.1 विदेश मुद्रा आस्तियां	31,082	-22,994	-42.5	2,430	4.7	-1,993	-6.4	2,247	4.2
एस.II.2 अनिवासी विदेश मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशि	92,240	1,390	1.5	4,753	5.5	-3,070	-3.3	2,141	2.4
एस.II.3 समुद्रपार विदेशी मुद्रा उधार	7,208	5,851	431.2	-121	-8.2	3,311	45.9	139	10.2
एस.III निवल बैंक रिज़र्व (एस.III.1+एस.III.2-एस.III.3)	**65,823**	**792**	**1.2**	**3,725**	**6.1**	**12,213**	**18.6**	**8,752**	**13.5**
एस.III.1 भारिबैंक के पास शेष	58,335	-4,067	-6.5	2,858	4.8	11,330	19.4	4,715	7.6
एस.III.2 उपलब्ध नकद	7,567	1,322	21.2	587	10.4	805	10.6	436	7.0
एस.III.3 भारिबैंक से ऋण और अग्रिम	79	-3,537	-97.8	-280	-7.2	-78	-98.7	-3,601	-99.6
एस.IV पूंजी खाता	**86,541**	**14,221**	**19.7**	**8,807**	**13.9**	**13,436**	**15.5**	**17,067**	**23.6**
एस.V. अन्य मदें (निवल) (एस.I+एस.II+एस.III-एस.IV-सी.I.-सी.II)	**1,24,120**	**37,918**	**44.0**	**12,967**	**17.7**	**-16,476**	**-13.3**	**12,836**	**14.9**
एस.V.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (एस-II-3 को घटाकर)	1,22,598	12,072	10.9	20,796	23.2	-4,069	-3.3	12	0.0
एस.V.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों के अलावा)	7,420	6,054	443.2	-13,235	-90.6	1,588	21.4	9,620	704.2

टिप्पणी : 1. आंकडे अनंतिम हैं

2. कोष्ठकों में आँकड़े 3 मई 2002 से विलयन के प्रभाव को छोड़कर हैं।

परिशिष्ट सारणी III.11 : बैंक समूह -वार मुख्य वित्तीय संकेतक *(जारी)*

(राशि करोड़ रुपये)

वर्ष	परिचालन लाभ (3+11)	निवल लाभ (4-7)	आय (5+6)	ब्याज लाभ	अन्य आय	व्यय (8+9+11)	व्ययी ब्याज	परिचालनगत लाभ		प्रावधान व आकस्मिक	स्लेड (एनआइआइ)
								कुल	जिससे से पगार बिल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक											
2000-01	19,756.78	6,403.48	1,32,075.67	1,15,091.13	16,984.54	1,25,672.19	78,140.76	34,178.13	23,218.33	13,353.30	36,950.37
	(1.53)	(0.49)	(10.20)	(8.88)	(1.31)	(9.70)	(6.03)	(2.64)	(1.79)	(1.03)	(2.85)
2001-02	29,836.59	11,576.06	1,51,031.88	1,26,957.71	24,074.17	1,39,455.82	87,516.25	33,679.04	21,785.42	18,260.53	39,441.46
	(1.94)	(0.75)	(9.83)	(8.26)	(1.57)	(9.08)	(5.70)	(2.19)	(1.42)	(1.19)	(2.57)
2002-03	40,681.78	17,077.07	1,72,373.94	1,40,717.65	31,656.29	1,55,296.87	93,606.70	38,085.46	23,613.25	23,604.71	47,110.95
	(2.39)	(1.01)	(10.15)	(8.28)	(1.86)	(9.14)	(5.51)	(2.24)	(1.39)	(1.39)	(2.77)
सार्वजनिक क्षेत्र बैंक											
2000-01	13,801.68	4,316.94	1,03,499.36	91,129.44	12,369.92	99,182.42	61,693.19	28,004.49	20,929.17	9,484.74	29,436.25
	(1.34)	(0.42)	(10.05)	(8.85)	(1.20)	(9.63)	(5.99)	(2.72)	(2.03)	(0.92)	(2.86)
2001-02	21,676.54	8,304.85	1,17,252.36	1,00,710.96	16,541.40	1,08,947.51	69,153.77	26,422.05	19,045.38	13,371.69	31,557.19
	(1.88)	(0.72)	(10.15)	(8.72)	(1.43)	(9.43)	(5.99)	(2.29)	(1.65)	(1.16)	(2.73)
2002-03	29,715.24	12,295.46	1,28,464.37	1,07,192.81	21,271.56	1,16,168.91	69,852.59	28,896.54	20,446.88	17,419.78	37,340.22
	(2.31)	(0.96)	(10.00)	(8.34)	(1.66)	(9.04)	(5.44)	(2.25)	(1.59)	(1.36)	(2.91)
राष्ट्रीयकृत बैंक											
2000-01	8,062.06	2,095.09	64,126.52	56,977.36	7,149.16	62,031.43	38,789.64	17,274.82	13,142.78	5,966.97	18,187.72
	(1.29)	(0.33)	(10.23)	(9.09)	(1.14)	(9.89)	(6.19)	(2.76)	(2.10)	(0.95)	(2.90)
2001-02	12,956.86	4,855.36	72,489.56	61,964.93	10,524.63	67,634.20	42,597.86	16,934.84	12,316.55	8,101.50	19,367.07
	(1.83)	(0.69)	(10.27)	(8.78)	(1.49)	(9.58)	(6.03)	(2.40)	(1.74)	(1.15)	(2.74)
2002-03	18,486.13	7,783.94	79,597.73	66,324.28	13,273.45	71,813.79	42,645.95	18,465.65	13,062.10	10,702.19	23,678.33
	(2.34)	(0.98)	(10.06)	(8.38)	(1.68)	(9.08)	(5.39)	(2.33)	(1.65)	(1.35)	(2.99)
स्टेट बैंक समूह											
2000-01	5,739.62	2,221.85	39,372.84	34,152.08	5,220.76	37,150.99	22,903.55	10,729.67	7,786.39	3,517.77	11,248.53
	(1.42)	(0.55)	(9.77)	(8.47)	(1.30)	(9.22)	(5.68)	(2.66)	(1.93)	(0.87)	(2.79)
2001-02	8,719.68	3,449.49	44,762.80	38,746.03	6,016.77	41,313.31	26,555.91	9,487.21	6,728.83	5,270.19	12,190.12
	(1.94)	(0.77)	(9.96)	(8.62)	(1.34)	(9.20)	(5.91)	(2.11)	(1.50)	(1.17)	(2.71)
2002-03	11,229.11	4,511.52	48,866.64	40,868.53	7,998.11	44,355.12	27,206.64	10,430.89	7,384.78	6,717.59	13,661.89
	(2.27)	(0.91)	(9.89)	(8.27)	(1.62)	(8.98)	(5.51)	(2.11)	(1.50)	(1.36)	(2.77)

परिशिष्ट सारणी III.11 : बैंक समूह -वार मुख्य वित्तीय संकेतक *(समाप्त)*

(राशि करोड़ रुपये)

वर्ष	परिचालन लाभ (3+11)	निवल लाभ (4-7)	आय (5+6)	ब्याज लाभ	अन्य आय	व्यय (8+9+11)	व्ययी ब्याज	परिचालनगत लाभ		प्रावधान व आकस्मिक	स्लेड (एनआइआइ)
								कुल	जिससे से पगार बिल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक											
2000-01	1,475.75	502.15	9,091.20	8,054.57	1,036.63	8,589.05	5,931.92	1,683.53	1,049.57	973.60	2,122.65
	(1.75)	(0.59)	(10.76)	(9.53)	(1.23)	(10.16)	(7.02)	(1.99)	(1.24)	(1.15)	(2.51)
2001-02	2,515.78	1,004.48	10,945.65	8,725.23	2,220.42	9,941.17	6,496.57	1,933.30	1,179.28	1,511.30	2,228.66
	(2.70)	(1.08)	(11.74)	(9.36)	(2.38)	(10.66)	(6.97)	(2.07)	(1.26)	(1.62)	(2.39)
2002-03	2,804.43	1,231.59	11,278.83	8,917.82	2,361.01	10,047.24	6,327.22	2,147.18	1,297.45	1,572.84	2,590.60
	(2.67)	(1.17)	(10.73)	(8.48)	(2.25)	(9.56)	(6.02)	(2.04)	(1.23)	(1.50)	(2.46)
सार्वजनिक क्षेत्र बैंक											
2000-01	1,368.96	639.41	7,498.23	6,437.61	1,060.62	6,858.82	4,752.76	1,376.51	249.55	729.55	1,684.85
	(1.74)	(0.81)	(9.52)	(8.17)	(1.35)	(8.70)	(6.03)	(1.75)	(0.32)	(0.93)	(2.14)
2001-02	2,130.66	774.62	9,869.86	7,821.87	2,047.99	9,095.24	5,812.69	1,926.51	436.45	1,356.04	2,009.18
	(1.22)	(0.44)	(5.66)	(4.48)	(1.17)	(5.21)	(3.33)	(1.10)	(0.25)	(0.78)	(1.15)
2002-03	4,434.26	1,725.98	20,587.15	15,634.83	4,952.32	18,861.17	12,361.45	3,791.44	828.76	2,708.28	3,273.38
	(2.31)	(0.90)	(10.71)	(8.14)	(2.58)	(9.81)	(6.43)	(1.97)	(0.43)	(1.41)	(1.70)
विदेशी बैंक											
2000-01	3,110.39	944.98	11,986.88	9,469.51	2,517.37	11,041.90	5,762.89	3,113.60	990.04	2,165.41	3,706.62
	(3.05)	(0.93)	(11.74)	(9.27)	(2.47)	(10.81)	(5.64)	(3.05)	(0.97)	(2.12)	(3.63)
2001-02	3,513.61	1,492.11	12,964.01	9,699.65	3,264.36	11,471.90	6,053.22	3,397.18	1,124.31	2,021.50	3,646.43
	(3.10)	(1.32)	(11.44)	(8.56)	(2.88)	(10.12)	(5.34)	(3.00)	(0.99)	(1.78)	(3.22)
2002-03	3,727.85	1,824.04	12,043.59	8,972.19	3,071.40	10,219.55	5,065.44	3,250.30	1,040.16	1,903.81	3,906.75
	(3.20)	(1.57)	(10.35)	(7.71)	(2.64)	(8.78)	(4.35)	(2.79)	(0.89)	(1.64)	(3.36)

स्रोत : सम्बन्धित बैंकों के तुलन-पत्रक

नोट :
1. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की संख्या 2000-01 में 100, 2001-02 में 97 तथा 2002-03 में 93 थीं।
2. विदेशी बैंकों की संख्या क्रमश: 2000-01, 2001-02 तथा 2002-03 में 42, 40 तथा 36 थीं।
3. पुराने प्राइवेट बैंकों की संख्या क्रमश: 2000-01, 2001-02 तथा 2002-03 में 23, 22 तथा 21 थीं।
4. नए प्राइवेट बैंकों की संख्या क्रमश: 2000-01, 2001-02, 2002-03 में 8, 8 व 9 थीं।
5. कोष्ठकों में अंक कुल आस्तियों की प्रतिशतता है।
6. ब्याआय : निवल ब्याज आय

परिशिष्ट सारणी III.12(अ) : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपये में)

	मद	2001-02	2002-03	कालम (2) की तुलना में कालम (3)में घटबढ़	
				समग्र	प्रतिशत
	1	2	3	4	5
अ.	**आय**	**1,51,031.88**	**1,72,373.94**	**21,342.06**	**14.13**
	(i+ii)	**(100.00)**	**(100.00)**		
	i) ब्याज आय	1,26,957.71	1,40,717.65	13,759.94	10.84
		(84.06)	(81.64)		
	जिसमें : अग्रिमों पर ब्याज	59,409.53	68,635.94	9,226.41	15.53
	निवेश पर आय	57,286.43	62,358.59	5,072.16	8.85
	ii) अन्य आय*	24,074.17	31,656.29*	7,582.12	31.49
		(15.94)	(18.36)		
	जिसमें : कमीशन और दलाली	9,213.07	10,570.18	1,357.11	14.73
आ.	**व्यय**	**1,39,455.82**	**1,55,296.87**	**15,841.05**	**11.36**
	(i+ii+iii)	**(100.00)**	**(100.00)**		
	i) ब्याज व्यय	87,516.25	93,606.70	6,090.45	6.96
		(62.76)	(60.28)		
	जिसमें : जमाराशियों पर ब्याज	80,924.74	82,642.54	1,717.80	2.12
	ii) प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय	18,260.53	23,604.71	5,344.18	29.27
		(13.09)	(15.20)		
	जिसमें : एनपीए के लिए प्रावधान	10,456.65	12,677.47	2,220.82	21.24
	iii) परिचालनगत व्यय	33,679.04	38,085.46	4,406.42	13.08
		(24.15)	(24.52)		
	जिसमें : वेतन बिल	21,785.42	23,613.25	1,827.83	8.39
इ.	**लाभ**				
	i) परिचालनगत लाभ	**29,836.59**	**40,681.78**	**10,845.19**	**36.35**
	ii) निवल लाभ@	**11,576.06**	**17,077.07**	**5,501.01**	**47.52**
ई.	**कीमत-लागत अंतर (निवल ब्याज आय)** *(ब्याज आय-ब्याज व्यय)*	**39,441.46**	**47,110.95**	**7,669.49**	**19.45**
उ.	**कुल आस्तियां**	**15,36,424.47**	**16,98,916.09**	**1,62,491.62**	**10.58**

* 2002-03 के लिए पूर्ववर्ती आइसीआइसीआइ लि. द्वारा धारित आइसीआइसीआइ बैंक लि. के शेयरों की बिक्री पर लाभ शामिल है।

@ स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक की असाधारण मद के पहले वर्ष 2002-03 के रु. 6.5 करोड़।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित जोड़ का प्रतिशत अंश दर्शाते हैं ।

परिशिष्ट सारणी III.12(आ): सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपये में)

	मद	2001-02	2002-03	कालम (2) की तुलना में कालम (3) में घटबढ़	
				समग्र	प्रतिशत
	1	2	3	4	5
अ.	**आय**	**1,17,252.36**	**1,28,464.37**	**11,212.01**	**9.56**
	(i+ii)	**(100.00)**	**(100.00)**		
	i) ब्याज आय	1,00,710.96	1,07,192.81	6,481.85	6.44
		(85.89)	(83.44)		
	जिसमें : अग्रिमों पर ब्याज	45,967.42	49,197.70	3,230.28	7.03
	निवेश पर आय	46,344.87	49,999.26	3,654.39	7.89
	ii) अन्य आय	16,541.40	21,271.56	4,730.16	28.60
		(14.11)	(16.56)		
	जिसमें : कमीशन और दलाली	6,811.04	7,293.65	482.61	7.09
आ.	**व्यय**	**1,08,947.51**	**1,16,168.91**	**7,221.40**	**6.63**
	(i+ii+iii)	**(100.00)**	**(100.00)**		
	i) ब्याज व्यय	69,153.77	69,852.59	698.82	1.01
		(63.47)	(60.13)		
	जिसमें : जमाराशियों पर ब्याज	65,578.56	66,620.99	1,042.43	1.59
	ii) प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय	13,371.69	17,419.78	4,048.09	30.27
		(12.27)	(15.00)		
	जिसमें : एनपीए के लिए प्रावधान	8,209.55	9,275.07	1,065.52	12.98
	iii) परिचालनगत व्यय	26,422.05	28,896.54	2,474.49	9.37
		(24.25)	(24.87)		
	जिसमें : वेतन बिल	19,045.38	20,446.88	1,401.50	7.36
इ.	**लाभ**				
	i) परिचालनगत लाभ	**21,676.54**	**29,715.24**	**8,038.70**	**37.08**
	ii) निवल लाभ	**8,304.85**	**12,295.46**	**3,990.61**	**48.05**
ई.	**कीमत-लागत अंतर (निवल ब्याज आय)** *(ब्याज आय-ब्याज व्यय)*	**31,557.19**	**37,340.22**	**5,783.03**	**18.33**
उ.	**कुल आस्तियां**	**11,55,397.68**	**12,85,235.70**	**1,29,838.02**	**11.24**

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित जोड़ का प्रतिशत अंश दर्शाते हैं ।

परिशिष्ट सारणी III.12(इ): राष्ट्रीयकृत बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपये में)

	मद	2001-02	2002-03	कालम(2) की तुलना में कालम(3)में घटबढ़	
				समग्र राशि	प्रतिशत
	1	2	3	4	5
अ.	**आय**	**72,489.56**	**79,597.73**	**7,108.17**	**9.81**
	(i+ii)	**(100.00)**	**(100.00)**		
	i) ब्याज आय	61,964.93	66,324.28	4,359.35	7.04
		(85.48)	(83.32)		
	जिसमें : अग्रिमों पर ब्याज	30,658.30	33,199.97	2,541.67	8.29
	निवेश पर आय	27,877.25	30,081.29	2,204.04	7.91
	iक) पुनर्पूंजीकरण बांड पर ब्याज	1,793.08	1,855.72		
	ii) अन्य आय	10,524.63	13,273.45	2,748.82	26.12
		(14.52)	(16.68)		
	जिसमें : कमीशन और दलाली	3,095.82	3,336.17	240.35	7.76
आ.	**व्यय**	**67,634.20**	**71,813.79**	**4,179.59**	**6.18**
	(i+ii+iii)	**(100.00)**	**(100.00)**		
	i) ब्याज व्यय	42,597.86	42,645.95	48.09	0.11
		(62.98)	(59.38)		
	जिसमें : जमाराशियों पर ब्याज	40,464.32	40,556.73	92.41	0.23
	ii) प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय	8,101.50	10,702.19	2,600.69	32.10
		(11.98)	(14.90)		
	जिसमें : एनपीए के लिए प्रावधान	5,173.10	5,688.62	515.52	9.97
	iii) परिचालनगत व्यय	16,934.84	18,465.65	1,530.81	9.04
		(25.04)	(25.71)		
	जिसमें : वेतन बिल	12,316.55	13,062.10	745.55	6.05
इ.	**लाभ**				
	i) परिचालनगत लाभ	**12,956.86**	**18,486.13**	**5,529.27**	**42.67**
	iक) पनुर्पूंजीकरण बांडों से प्राप्त आय को छोड़कर परिचालनगत लाभ	**11,163.78**	**16,630.41**	**5,466.63**	**48.97**
	ii) निवल लाभ	**4,855.36**	**7,783.94**	**2,928.58**	**60.32**
	iiक) पूनर्पूंजीकरण बांडों से प्राप्त आय को छोड़कर निवल लाभ	**3,062.28**	**5,928.22**	**2,865.94**	**93.59**
ई.	**कीमत-लागत अंतर (निवल ब्याज आय)** *(ब्याज आय-ब्याज व्यय)*	**19,367.07**	**23,678.33**	**4,311.26**	**22.26**
उ.	**कुल आस्तियां**	**7,06,109.02**	**7,91,281.43**	**85,172.41**	**12.06**

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित जोड़ का प्रतिशत अंश दर्शाते हैं ।

परिशिष्ट सारणी III.12 (ई): स्टेट बैंक समूह के वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपये में)

	मद	2001-02	2002-03	कालम(2) की तुलना में कालम(3)में घटबढ़	
				समग्र राशि	प्रतिशत
	1	2	3	4	5
अ.	**आय**	**44,762.80**	**48,866.64**	**4,103.84**	**9.17**
	(i+ii)	**(100.00)**	**(100.00)**		
	i) ब्याज आय	38,746.03	40,868.53	2,122.50	5.48
		(86.56)	(83.63)		
	जिसमें : अग्रिमों पर ब्याज	15,309.12	15,997.73	688.61	4.50
	निवेश पर आय	18,467.62	19,917.97	1,450.35	7.85
	ii) अन्य आय	6,016.77	7,998.11	1,981.34	32.93
		(13.44)	(16.37)		
	जिसमें : कमीशन और दलाली	3,715.22	3,957.48	242.26	6.52
आ.	**व्यय**	**41,313.31**	**44,355.12**	**3,041.81**	**7.36**
	(i+ii+iii)	**(100.00)**	**(100.00)**		
	i) ब्याज व्यय	26,555.91	27,206.64	650.73	2.45
		(64.28)	(61.34)		
	जिसमें : जमाराशियों पर ब्याज	25,114.24	26,064.26	950.02	3.78
	ii) प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय	5,270.19	6,717.59	1,447.40	27.46
		(12.76)	(15.15)		
	जिसमें : एनपीए के लिए प्रावधान	3,036.45	3,586.45	550.00	18.11
	iii) परिचालनगत व्यय	9,487.21	10,430.89	943.68	9.95
		(22.96)	(23.52)		
	जिसमें : वेतन बिल	6,728.83	7,384.78	655.95	9.75
इ.	**लाभ**				
	i) परिचालनगत लाभ	**8,719.68**	**11,229.11**	**2,509.43**	**28.78**
	ii) निवल लाभ	**3,449.49**	**4,511.52**	**1,062.03**	**30.79**
ई.	**कीमत-लागत अंतर** (निवल ब्याज आय) *(ब्याज आय-ब्याज व्यय)*	**12,190.12**	**13,661.89**	**1,471.77**	**12.07**
उ.	**कुल आस्तियां**	**4,49,288.66**	**4,93,954.27**	**44,665.61**	**9.94**

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित जोड़ का प्रतिशत अंश दर्शाते हैं ।

परिशिष्ट सारणी III.12(उ) : निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपये में)

	मद	2001-02	2002-03	कालम(2) की तुलना में कालम(3)में घटबढ़	
				समग्र राशि	प्रतिशत
	1	2	3	4	5
अ.	**आय**	**10,945.65**	**11,278.83**	**333.18**	**3.04**
	(i+ii)	**(100.00)**	**(100.00)**		
	i) ब्याज आय	8,725.23	8,917.82	192.59	2.21
		(79.71)	(79.07)		
	जिसमें : अग्रिमों पर ब्याज	4,620.73	4,800.69	179.96	3.89
	निवेश पर आय	3,582.73	3,692.65	109.92	3.07
	ii) अन्य आय	2,220.42	2,361.01	140.59	6.33
		(20.29)	(20.93)		
	जिसमें : कमीशन और दलाली	485.61	511.08	25.47	5.24
आ.	**व्यय**	**9,941.17**	**10,047.24**	**106.07**	**1.07**
	(i+ii+iii)	**(100.00)**	**(100.00)**		
	i) ब्याज व्यय	6,496.57	6,327.22	-169.35	-2.61
		(65.35)	(62.97)		
	जिसमें : जमाराशियों पर ब्याज	6,189.57	6,076.74	-112.83	-1.82
	ii) प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय	1,511.30	1,572.84	61.54	4.07
		(15.20)	(15.65)		
	जिसमें : एनपीए के लिए प्रावधान	745.61	769.73	24.12	3.23
	iii) परिचालनगत व्यय	1,933.30	2,147.18	213.88	11.06
		(19.45)	(21.37)		
	जिसमें : वेतन बिल	1,179.28	1,297.45	118.17	10.02
इ.	**लाभ**				
	i) परिचालनगत लाभ	**2,515.78**	**2,804.43**	**288.65**	**11.47**
	ii) निवल लाभ	**1,004.48**	**1,231.59**	**227.11**	**22.61**
ई.	**कीमत-लागत अंतर (निवल ब्याज आय)** *(ब्याज आय-ब्याज व्यय)*	**2,228.66**	**2,590.60**	**361.94**	**16.24**
उ.	**कुल आस्तियां**	**93,229.29**	**1,05,109.50**	**11,880.21**	**12.74**

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित जोड़ का प्रतिशत अंश दर्शाते हैं ।

परिशिष्ट सारणी III.12(ऊ): निजी क्षेत्र के नये बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपये में)

	मद	2001-02	2002-03	कालम(2) की तुलना में कालम(3) में घटबढ़	
				समग्र राशि	प्रतिशत
	1	2	3	4	5
अ.	**आय**	**9,869.86**	**20,587.15**	**10,717.29**	**108.59**
	(i+ii)	**(100.00)**	**(100.00)**		
	i) ब्याज आय	7,821.87	15,634.83	7,812.96	99.89
		(79.25)	(75.94)		
	जिसमें : अग्रिमों पर ब्याज	3,504.08	9,246.01	5,741.93	163.86
	निवेश पर आय	3,689.02	5,525.59	1,836.57	49.78
	ii) अन्य आय	2,047.99	4,952.32*	2,904.33	141.81
		(20.75)	(24.06)		
	जिसमें : कमीशन और दलाली	647.19	1,382.99	735.80	113.69
आ.	**व्यय**	**9,095.24**	**18,861.17**	**9,765.93**	**107.37**
	(i+ii+iii)	**(100.00)**	**(100.00)**		
	i) ब्याज व्यय	5,812.69	12,361.45	6,548.76	112.66
		(63.91)	(65.54)		
	जिसमें : जमाराशियों पर ब्याज	5,040.05	6,394.35	1,354.30	26.87
	ii) प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय	1,356.04	2,708.28	1,352.24	99.72
		(14.91)	(14.36)		
	जिसमें : एनपीए के लिए प्रावधान	914.31	1,908.58	994.27	108.75
	iii) परिचालनगत व्यय	1,926.51	3,791.44	1,864.93	96.80
		(21.18)	(20.10)		
	जिसमें : वेतन बिल	436.45	828.76	392.31	89.89
इ.	**लाभ**				
	i) परिचालनगत लाभ	**2,130.66**	**4,434.26**	**2,303.60**	**108.12**
	ii) निवल लाभ	**774.62**	**1,725.98**	**951.36**	**122.82**
ई.	**कीमत-लागत अंतर (निवल ब्याज आय)** *(ब्याज आय-ब्याज व्यय)*	**2,009.18**	**3,273.38**	**1,264.20**	**62.92**
उ.	**कुल आस्तियां**	**1,74,476.58**	**1,92,169.81**	**17,693.23**	**10.14**

* वर्ष 2002-03 के लिए पूर्ववर्ती आइसीआइसीआइ लि. व्दारा धारित आइसीआइसीआइ बैंक लि. के शेयरों की बिक्री पर लाभ शामिल है।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित जोड़ का प्रतिशत अंश दर्शाते हैं ।

परिशिष्ट सारणी III.12(ए) : भारत में विदेशी बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपये में)

	मद	2001-02	2002-03	कालम(2) की तुलना में कालम(3)में घटबढ़	
				समग्र राशि	प्रतिशत
	1	2	3	4	5
अ.	**आय**	**12,964.01**	**12,043.59**	**-920.42**	**-7.10**
	(i+ii)	**(100.00)**	**(100.00)**		
	i) ब्याज आय	9,699.65	8,972.19	-727.46	-7.50
		(74.82)	(74.50)		
	जिसमें : अग्रिमों पर ब्याज	5,317.30	5,391.54	74.24	1.40
	निवेश पर आय	3,669.81	3,141.09	-528.72	-14.41
	ii) अन्य आय	3,264.36	3,071.40	-192.96	-5.91
		(25.18)	(25.50)		
	जिसमें : कमीशन और दलाली	1,269.23	1,382.46	113.23	8.92
आ.	**व्यय**	**11,471.90**	**10,219.55**	**-1,252.35**	**-10.92**
	(i+ii+iii)	**(100.00)**	**(100.00)**		
	i) ब्याज व्यय	6,053.22	5,065.44	-987.78	-16.32
		(52.77)	(49.57)		
	जिसमें : जमाराशियों पर ब्याज	4,116.56	3,550.46	-566.10	-13.75
	ii) प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय	2,021.50	1,903.81	-117.69	-5.82
		(17.62)	(18.63)		
	जिसमें : एनपीए के लिए प्रावधान	587.18	724.09	136.91	23.32
	iii) परिचालनगत व्यय	3,397.18	3,250.30	-146.88	-4.32
		(29.61)	(31.80)		
	जिसमें : वेतन बिल	1,124.31	1,040.16	-84.15	-7.48
इ.	**लाभ**				
	i) परिचालनगत लाभ	**3,513.61**	**3,727.85**	**214.24**	**6.10**
	ii) निवल लाभ	**1,492.11**	**1,824.04***	**331.93**	**22.25**
ई.	**कीमत-लागत अंतर** (निवल ब्याज आय) *(ब्याज आय-ब्याज व्यय)*	**3,646.43**	**3,906.75**	**260.32**	**7.14**
उ.	**कुल आस्तियां**	**1,13,320.92**	**1,16,401.08**	**3,080.16**	**2.72**

* आंकड़े वर्ष 2002-03 के लिए रु. 6.5 करोड़ के स्टैण्ड चार्टड बैंक की असाधारण मद के पहले।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित जोड़ का प्रतिशत अंश दर्शाते हैं ।

परिशिष्ट सारणी III.13: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लाभ के विस्तृत बयौरे

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	व्यापार आय		विदेशी मुद्रा आय		परिचालनगत लाभ	
		2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8
1	इलाहाबाद बैंक	193	337	29	26	408	516
2	आंध्रा बैंक	136	395	16	19	425	755
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	415	632	117	138	1309	1717
4	बैंक ऑफ इंडिया	427	858	124	142	1412	2030
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	167	216	12	24	415	521
6	केनरा बैंक	663	674	129	133	1656	1997
7	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	318	242	29	34	704	924
8	कार्पोरेशन बैंक	135	266	53	40	623	853
9	देना बैंक	201	240	16	19	335	494
10	इंडियन बैंक	226	273	55	55	307	590
11	इंडियन ओवरसीज बैंक	257	244	52	55	616	794
12	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	311	372	39	47	917	1163
13	पंजाब एंड सिंध बैंक	126	190	25	28	164	281
14	पंजाब नेशनल बैंक	438	672	92	95	1474	2317
15	सिंडीकेट बैंक	74	278	29	31	355	619
16	यूको बैंक	346	355	25	23	476	624
17	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	160	475	114	100	869	1304
18	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	281	306	3	4	237	556
19	विजया बैंक	90	225	37	22	253	432
	राष्ट्रीयकृत बैंक	**4,965**	**7,249**	**998**	**1,035**	**12,957**	**18,486**
20	भारतीय स्टेट बैंक	352	1695	408	464	6045	7775
21	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	77	107	21	24	391	441
22	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	105	207	35	41	600	758
23	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	174	183	9	20	342	421
24	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	76	99	21	23	235	353
25	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	95	143	20	28	565	740
26	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	80	112	10	12	221	287
27	स्टेट बैंक ऑफ तिरूवांकूट	75	130	25	26	321	455
	स्टेट बैंक समूह	**1,034**	**2,675**	**549**	**638**	**8,720**	**11,229**
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	**5,999**	**9,924**	**1,547**	**1,672**	**21,677**	**29,715**

व्यापार आय - निवेश की बिक्री पर निवल लाभ
विदेशी मुद्रा आय - मुद्रा लेन-देन पर निवल लाभ

परिशिष्ट सारणी III.14: भारत में अनु. वाणिज्यिक बैंकों के तुलन-पत्र से इतर पहलू 2001-02 व 2002-03

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	स्टेट बैंक समूह			राष्ट्रीयकृत बैंक			सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		
	2001-02	2002-03	घट-बढ़	2001-02	2002-03	घट-बढ़	2001-02	2002-03	घट-बढ़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. वायदा मुद्रा संविदा	70,280.40 (15.64)	79,193.34 (16.03)	12.68	1,38,960.22 (19.68)	1,84,993.26 (23.38)	33.13	2,09,240.62 (18.11)	2,64,186.60 (20.56)	26.26
2. दी गई गारण्टियाँ	17,727.41 (3.95)	17,977.70 (3.64)	1.41	30,423.26 (4.31)	35,578.04 (4.5)	16.94	48,150.67 (4.17)	53,555.74 (4.17)	11.23
3. स्वीकृतियाँ, परांकन आदि	38,571.09 (8.58)	44,791.49 (9.07)	16.13	33,291.50 (4.71)	43,766.33 (5.53)	31.46	71,862.59 (6.22)	88,557.82 (6.89)	23.23
कुल आकस्मिक देयताएँ	**1,26,578.90 (28.17)**	**1,41,962.53 (28.74)**	**12.15**	**2,02,674.98 (28.7)**	**2,64,337.63 (33.41)**	**30.42**	**3,29,253.88 (28.5)**	**4,06,300.16 (31.61)**	**23.40**

मद	निजीक्षेत्र के नए बैंक			निजी क्षेत्र के पुराने बैंक			विदेशी बैंक			एससीबी		
	2001-02	2002-03	घट-बढ़	2001-02	2002-03	घट-बढ़	2001-02	2002-03	घट-बढ़	2001-02	2002-03	घट-बढ़
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1. वायदा मुद्रा संविदा	48,577.38 (27.84)	72,662.83 (37.81)	49.58	17,390.78 (18.65)	21,656.62 (20.6)	24.53	3,57,914.73 (315.84)	4,22,242.30 (362.75)	17.97	6,33,123.51 (41.21)	7,80,748.35 (45.96)	23.32
2. दी गई गारण्टियाँ	14,503.54 (8.31)	15,638.70 (8.14)	7.83	3,304.17 (3.54)	3,798.94 (3.61)	14.97	18,296.51 (16.15)	17,347.90 (14.9)	-5.18	84,254.89 (5.48)	90,341.28 (5.32)	7.22
3. स्वीकृतियाँ, परांकन आदि	23,948.35 (13.73)	77,659.12 (40.41)	224.28	3,558.31 (3.82)	4,605.08 (4.38)	29.42	69,770.39 (61.57)	1,22,257.39 (105.03)	75.23	1,69,139.64 (11.01)	2,93,079.41 (17.25)	73.28
कुल आकस्मिक देयताएँ	**87,029.27 (49.88)**	**1,65,960.65 (86.36)**	**90.70**	**24,253.26 (26.01)**	**30,060.64 (28.6)**	**23.94**	**4,45,981.63 (393.56)**	**5,61,847.59 (482.68)**	**25.98**	**8,86,518.04 (57.7)**	**11,64,169.04 (68.52)**	**31.32**

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों में सम्बन्धित बैंक समूह की कुल देयताओं की प्रतिशतता हैं।

2. राशियों से सम्बन्धित घट-बढ़ 2001-02 पर 2002-03।

स्रोत : सम्बन्धित बैंकों के तुलन-पत्रक।

परिशिष्ट सारणी III.15 (अ): सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के चुनिंदा वित्तीय मानदंड

(31 मार्च 2003 को)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	जोखिम भारित आस्तियों के पूंजी अनुपात			निवल गैर-निष्पादक आस्तियां/निवल अग्रिम निधी	ब्याज आय/का. निधियाँ Fund	ब्याजेतर आय/का. निधियाँ Fund	परिचालन लाभ/का. निधियाँ Fund	आस्तियों पर प्रति लाभ	प्रति कर्मचारी व्यवसाय	प्रति कर्मचारी लाभ
		टियर I	टियर II	जोड़						(राशि लाख रुपयों में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	राष्ट्रीयकृत बैंक										
1	इलाहाबाद बैंक	6.35	4.80	11.15	7.08	9.34	1.90	1.87	0.59	183.00	0.87
2	आंध्रा बैंक	8.19	5.43	13.62	1.79	9.72	2.67	3.06	1.63	226.71	3.10
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	8.10	4.55	12.65	3.72	7.98	1.65	2.25	1.05	237.67	1.92
4	बैंक ऑफ इंडिया	7.56	4.46	12.02	5.59	8.10	2.24	2.77	1.16	242.97	1.97
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	5.88	5.88	11.76	4.82	9.26	1.60	2.32	0.89	221.96	1.58
6	केनरा बैंक	7.85	4.65	12.50	3.59	8.79	1.99	2.63	1.24	250.11	2.26
7	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	5.66	4.85	10.51	6.74	9.67	1.06	1.76	0.54	167.85	0.77
8	कार्पोरेशन बैंक	17.30	1.20	18.50	1.65	9.50	2.40	3.85	1.88	328.59	4.06
9	देना बैंक	5.31	4.02	9.33	11.83	9.23	2.28	2.57	0.57	242.00	1.08
10	इंडियन बैंक	7.51	3.34	10.85	6.15	8.34	1.72	1.93	0.65	174.00	0.85
11	इंडियन ओवरसीज बैंक	5.83	5.47	11.30	5.23	8.74	1.30	1.99	1.01	204.36	1.70
12	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	10.72	3.32	14.04	1.40	10.00	1.60	3.50	1.30	343.00	3.40
13	पंजाब एंड सिंध बैंक	6.11	4.32	10.43	10.89	8.82	2.11	1.93	0.03	196.45	0.05
14	पंजाब नेशनल बैंक	7.11	4.91	12.02	3.86	9.27	1.55	2.87	0.98	195.65	1.43
15	सिंडीकेट बैंक	7.69	3.34	11.03	4.29	8.27	1.42	1.77	1.31	179.95	1.30
16	यूको बैंक	5.19	4.85	10.04	4.36	8.84	1.93	1.97	0.66	197.00	0.85
17	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	6.86	5.55	12.41	4.91	9.20	1.76	2.78	1.08	249.70	2.15
18	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	12.63	2.54	15.17	5.52	9.50	1.92	2.49	1.37	162.00	1.77
19	विजया बैंक	7.42	5.24	12.66	2.61	9.63	1.98	2.50	1.13	193.62	1.76
	स्टेट बैंक समूह										
20	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	8.81	4.69	13.50	4.50	9.10	1.68	2.27	0.86	190.77	1.48
21	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	10.52	2.56	13.08	4.13	9.07	2.14	2.78	1.13	145.64	1.63
22	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	9.84	5.07	14.91	3.25	8.75	1.95	3.21	1.15	226.20	2.25
23	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	9.40	3.69	13.09	2.66	9.31	2.85	3.97	1.76	220.52	3.06
24	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	7.23	4.39	11.62	5.19	9.56	2.71	3.25	1.02	146.49	1.19
25	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	10.39	3.18	13.57	1.49	9.34	1.83	3.92	1.51	246.37	2.76
26	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	11.66	2.02	13.68	3.53	9.72	2.31	3.08	0.85	167.87	1.25
27	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	6.80	4.50	11.30	3.06	8.95	1.70	2.57	0.90	217.68	1.51

टिप्पणी : इस सारणी में सूचित आँकड़े परिशिष्ट सारणी III.15 (बी) से III.15 (आइ) में सूचित डाटा से पूर्णत: मेल नहीं खा सकते हैं जिसका कारण अवधारणागत अंतर का होना है।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलन-पत्र

परिशिष्ट सारणी III.15 (आ): सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सकल लाभ/हानि

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8
1	इलाहाबाद बैंक	1.56	1.34	1.28	1.21	1.65	1.84
2	आंध्रा बैंक	1.68	1.35	1.83	1.22	2.03	3.06
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	1.76	1.81	1.79	1.64	1.85	2.25
4	बैंक ऑफ इंडिया	1.50	1.31	1.23	1.30	2.02	2.65
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1.16	1.11	1.52	1.26	1.93	2.09
6	केनरा बैंक	1.56	1.99	1.70	1.70	2.30	2.43
7	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1.18	0.85	1.02	1.00	1.34	1.62
8	कार्पोरेशन बैंक	2.70	2.05	2.54	2.70	2.64	3.24
9	देना बैंक	2.23	1.46	1.36	0.43	1.78	2.45
10	इंडियन बैंक	-1.08	-0.76	0.10	0.23	1.01	1.67
11	इंडियन ओवरसीज बैंक	0.72	0.58	0.68	1.01	1.74	1.93
12	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	2.28	2.06	2.06	1.97	2.84	3.42
13	पंजाब एंड सिंध बैंक	1.11	0.86	0.83	0.77	1.19	1.94
14	पंजाब नेशनल बैंक	2.01	1.77	1.52	1.49	2.02	2.69
15	सिंडीकेट बैंक	0.70	0.77	1.03	1.05	1.12	1.80
16	यूको बैंक	0.08	0.18	0.75	0.78	1.52	1.79
17	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1.36	0.99	1.12	1.31	1.96	2.55
18	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	1.13	0.27	0.43	0.64	1.04	2.29
19	विजया बैंक	0.68	1.05	0.98	1.25	1.56	2.27
	राष्ट्रीयकृत बैंक	**1.33**	**1.22**	**1.30**	**1.29**	**1.83**	**2.34**
20	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	1.95	1.55	1.61	1.26	1.74	2.07
21	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	2.30	1.58	1.91	1.93	2.52	2.44
22	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	2.70	2.07	2.65	2.43	2.71	2.90
23	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	2.22	2.31	2.06	2.10	3.48	3.70
24	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	2.16	1.75	1.96	1.47	2.27	3.11
25	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	2.14	2.34	2.83	2.79	3.25	3.47
26	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	2.30	1.92	2.15	1.36	2.36	2.64
27	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	2.19	1.39	1.47	1.59	1.95	2.39
	स्टेट बैंक समूह	**2.03**	**1.63**	**1.74**	**1.42**	**1.94**	**2.27**
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	**1.58**	**1.37**	**1.46**	**1.34**	**1.88**	**2.31**

परिशिष्ट सारणी III.15 (इ): सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में निवल लाभ/हानि

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8
1	इलाहाबाद बैंक	0.85	0.77	0.35	0.18	0.32	0.59
2	आंध्रा बैंक	0.82	0.78	0.76	0.59	0.97	1.63
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	1.01	0.81	0.86	0.43	0.77	1.01
4	बैंक ऑफ इंडिया	0.79	0.37	0.31	0.42	0.73	1.11
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	0.53	0.43	0.59	0.24	0.68	0.89
6	केनरा बैंक	0.47	0.47	0.43	0.43	1.03	1.24
7	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	0.57	0.41	0.36	0.10	0.31	0.54
8	कार्पोरेशन बैंक	1.49	1.29	1.39	1.33	1.31	1.58
9	देना बैंक	0.86	0.74	0.37	-1.49	0.06	0.57
10	इंडियन बैंक	-1.55	-3.64	-1.81	-1.03	0.11	0.53
11	इंडियन ओवरसीज बैंक	0.53	0.23	0.15	0.38	0.65	1.01
12	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	1.42	1.23	1.14	0.75	0.99	1.34
13	पंजाब एंड सिंध बैंक	0.72	0.53	0.52	0.10	0.17	0.03
14	पंजाब नेशनल बैंक	1.20	0.80	0.75	0.73	0.77	0.98
15	सिंडीकेट बैंक	0.42	0.65	0.79	0.83	0.79	1.00
16	यूको बैंक	-0.52	-0.33	0.16	0.12	0.52	0.59
17	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	0.97	0.51	0.29	0.40	0.71	1.08
18	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	0.07	0.09	0.16	0.09	0.52	1.26
19	विजया बैंक	0.25	0.27	0.41	0.50	0.81	1.03
	राष्ट्रीयकृत बैंक	**0.62**	**0.37**	**0.44**	**0.33**	**0.69**	**0.98**
20	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	1.04	0.46	0.78	0.51	0.70	0.83
21	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	1.06	0.90	0.97	0.76	1.06	1.13
22	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	0.91	0.85	0.82	0.82	1.02	1.15
23	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	0.68	0.63	0.72	0.78	1.27	1.76
24	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	0.86	0.49	0.58	0.27	0.64	1.02
25	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	1.47	0.93	1.06	1.12	1.34	1.51
26	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	2.43	0.40	1.18	0.16	0.88	0.85
27	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	0.69	0.40	0.53	0.67	0.73	0.90
	स्टेट बैंक समूह	**1.06**	**0.51**	**0.80**	**0.55**	**0.77**	**0.91**
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	**0.77**	**0.42**	**0.57**	**0.42**	**0.72**	**0.96**

परिशिष्ट सारणी III.15 (ई): राष्ट्रीयकृत बैंकों के पुनर्पूंजीकरण बांडों पर ब्याज के समायोजन से पूर्व और समायोजन के बाद परिचालनगत और निवल लाभ

(करोड़ रुपये)

क्रम सं.	बैंक का नाम	परिचालनगत लाभ		निवल लाभ		ब्याज राशि के समायोजन के बाद*			
						परिचालनगत-लाभ		निवल लाभ	
		2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	इलाहाबाद बैंक	407.98	515.83	80.21	165.99	334.08	441.93	6.31	92.09
2	आंध्रा बैंक	425.38	754.83	202.27	402.99	373.35	702.80	150.24	350.96
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	1,309.26	1,716.62	545.93	772.78	1,294.73	1,702.09	531.40	758.25
4	बैंक ऑफ इंडिया	1,412.06	2,030.00	508.83	851.00	1,237.81	1,870.80	334.58	691.80
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	415.04	520.58	145.41	222.02	344.51	450.05	74.88	151.49
6	केनरा बैंक	1,656.24	1,997.37	741.40	1,018.89	1,551.02	1,919.95	636.18	941.47
7	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	704.36	923.85	163.30	305.52	528.49	747.98	-12.57	129.65
8	कार्पोरेशन बैंक	622.93	852.52	308.10	415.99	616.36	845.95	301.53	409.42
9	देना बैंक	335.39	493.82	11.36	114.19	310.49	468.92	-13.54	89.29
10	इंडियन बैंक	307.15	590.25	33.22	188.83	62.01	234.62	-211.92	-166.80
11	इंडियन ओवरसीज बैंक	616.36	794.14	230.21	416.10	492.33	670.11	106.18	292.07
12	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	917.09	1,163.06	320.55	456.95	906.13	1,152.10	309.59	445.99
13	पंजाब एंड सिंध बैंक	163.70	280.84	23.04	4.43	97.97	215.11	-42.69	-61.30
14	पंजाब नेशनल बैंक	1,473.80	2,317.30	562.39	842.20	1,419.13	2,262.63	507.72	787.53
15	सिंडीकेट बैंक	355.24	618.78	250.55	344.13	230.67	494.21	125.98	219.56
16	यूको बैंक	475.98	624.04	164.52	207.49	261.40	409.46	-50.06	-7.09
17	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	869.24	1,303.92	314.13	552.69	839.01	1,276.11	283.90	524.88
18	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	237.16	556.02	119.04	305.19	64.46	383.32	-53.66	132.49
19	विजया बैंक	252.50	432.36	130.90	196.56	199.83	382.27	78.23	146.47
	जोड़	**12,956.86**	**18,486.13**	**4,855.36**	**7,783.94**	**11,163.78**	**16,630.41**	**3,062.28**	**5,928.22**

* पुनर्पूंजीकरण बांडों पर ब्याज के लिए समायोजित

परिशिष्ट सारणी III.15 (उ): सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों कुल आस्तियों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज आय

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8
1	इलाहाबाद बैंक	9.30	9.15	9.36	9.39	9.18	9.16
2	आंध्रा बैंक	9.92	9.11	9.16	9.20	9.69	8.89
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	9.10	9.23	8.83	9.09	8.40	7.98
4	बैंक ऑफ इंडिया	8.49	8.51	8.51	8.93	8.01	7.74
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	9.30	9.31	9.64	8.96	9.31	8.35
6	केनरा बैंक	8.87	9.68	8.91	8.45	8.83	8.11
7	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	9.31	9.29	9.06	9.03	8.85	8.88
8	कार्पोरेशन बैंक	9.16	9.04	9.57	9.16	8.24	8.00
9	देना बैंक	9.92	10.05	9.40	9.58	9.07	8.79
10	इंडियन बैंक	7.53	7.60	8.07	7.91	7.58	7.16
11	इंडियन ओवरसीज बैंक	9.26	9.40	9.07	9.22	8.95	8.47
12	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	9.86	9.97	10.02	10.19	9.43	9.69
13	पंजाब एंड सिंध बैंक	9.35	9.30	9.50	9.23	9.20	8.86
14	पंजाब नेशनल बैंक	10.03	9.60	9.52	9.23	9.12	8.68
15	सिंडीकेट बैंक	8.69	9.45	8.97	9.89	9.08	8.35
16	यूको बैंक	7.78	8.16	8.39	8.32	8.10	8.00
17	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	9.72	9.19	9.47	9.58	9.05	8.43
18	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	9.19	8.44	8.70	8.99	8.93	8.73
19	विजया बैंक	8.58	9.01	9.36	9.51	9.53	8.76
	राष्ट्रीयकृत बैंक	**9.09**	**9.15**	**9.06**	**9.09**	**8.78**	**8.38**
20	भारतीय स्टेट बैंक	8.84	8.59	8.49	8.28	8.56	8.27
21	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	9.98	9.42	8.95	9.12	8.76	7.97
22	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	9.74	9.30	9.56	9.19	8.67	7.91
23	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	9.95	9.98	8.92	8.63	9.02	8.67
24	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	10.45	10.14	9.66	9.72	9.38	9.15
25	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	9.66	9.38	9.40	9.38	8.66	8.28
26	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	9.66	9.41	9.25	8.95	8.99	8.32
27	स्टेट बैंक ऑफ तिरूवांकूट	10.75	9.40	9.32	9.08	8.82	8.32
	स्टेट बैंक समूह	**9.11**	**8.79**	**8.67**	**8.47**	**8.62**	**8.27**
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	**9.10**	**9.01**	**8.92**	**8.85**	**8.72**	**8.34**

परिशिष्ट सारणी III.15 (ऊ): सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कुल आस्तियों की प्रतिशतता के रूप में व्ययित ब्याज

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8
1	इलाहाबाद बैंक	6.42	6.34	6.50	6.29	6.23	5.92
2	आंध्रा बैंक	6.56	6.20	6.49	6.74	6.95	5.84
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	6.19	6.22	5.98	6.03	5.75	5.23
4	बैंक ऑफ इंडिया	5.72	5.90	6.19	6.15	5.40	5.08
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	5.80	6.02	6.57	6.03	6.57	5.64
6	केनरा बैंक	6.37	6.51	6.27	5.62	6.31	5.39
7	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	6.20	6.32	6.09	5.96	5.93	5.56
8	कार्पोरेशन बैंक	5.70	6.55	6.84	6.21	5.59	4.99
9	देना बैंक	6.44	7.09	6.94	7.08	6.72	5.97
10	इंडियन बैंक	6.95	6.68	6.45	6.05	5.83	4.84
11	इंडियन ओवरसीज बैंक	6.95	7.09	6.61	6.31	6.21	5.50
12	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	6.48	6.87	7.11	7.27	6.42	6.15
13	पंजाब एंड सिंध बैंक	6.72	6.91	7.15	6.72	6.90	6.20
14	पंजाब नेशनल बैंक	6.78	6.03	6.54	6.02	5.97	5.06
15	सिंडीकेट बैंक	5.84	6.51	5.94	6.01	5.59	4.84
16	यूको बैंक	5.88	6.01	6.05	5.90	5.77	5.47
17	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	6.55	6.52	6.73	6.45	6.04	5.50
18	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	6.45	6.44	6.59	6.60	6.29	5.77
19	विजया बैंक	5.82	6.15	6.33	6.28	6.52	5.38
	राष्ट्रीयकृत बैंक	**6.30**	**6.37**	**6.40**	**6.19**	**6.03**	**5.39**
20	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	5.83	5.86	5.84	5.63	5.95	5.62
21	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	6.30	6.19	5.95	5.84	5.59	4.92
22	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	6.13	5.77	6.21	5.88	5.74	5.05
23	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	6.09	6.05	5.93	5.79	6.05	5.44
24	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	6.50	6.56	6.26	6.39	6.33	5.74
25	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	6.01	5.85	5.62	5.16	4.88	4.58
26	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	6.03	5.92	6.05	6.02	6.01	5.38
27	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	7.81	7.20	7.06	6.35	6.24	5.58
	स्टेट बैंक समूह	**5.97**	**5.94**	**5.91**	**5.68**	**5.91**	**5.51**
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	**6.19**	**6.21**	**6.22**	**5.99**	**5.99**	**5.44**

परिशिष्ट सारणी III.15 (ए): सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कुल आस्तियों की प्रतिशतता के रूप में निवल ब्याज आय

(प्रतिशत)

क्रमसं.	बैंक का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8
1	इलाहाबाद बैंक	2.88	2.82	2.86	3.10	2.95	3.24
2	आंध्रा बैंक	3.37	2.91	2.68	2.45	2.75	3.05
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	2.91	3.01	2.85	3.06	2.65	2.75
4	बैंक ऑफ इंडिया	2.77	2.61	2.33	2.78	2.62	2.66
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	3.50	3.29	3.07	2.93	2.73	2.71
6	केनरा बैंक	2.49	3.17	2.64	2.83	2.52	2.72
7	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	3.11	2.97	2.96	3.07	2.92	3.32
8	कार्पोरेशन बैंक	3.46	2.49	2.73	2.95	2.65	3.02
9	देना बैंक	3.48	2.97	2.46	2.51	2.35	2.82
10	इंडियन बैंक	0.57	0.92	1.61	1.86	1.75	2.32
11	इंडियन ओवरसीज बैंक	2.31	2.31	2.46	2.91	2.74	2.97
12	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	3.38	3.10	2.90	2.92	3.02	3.54
13	पंजाब एंड सिंध बैंक	2.63	2.38	2.35	2.51	2.30	2.67
14	पंजाब नेशनल बैंक	3.25	3.57	2.99	3.21	3.15	3.62
15	सिंडीकेट बैंक	2.85	2.94	3.04	3.87	3.49	3.51
16	यूको बैंक	1.89	2.15	2.35	2.42	2.33	2.53
17	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	3.17	2.66	2.73	3.13	3.01	2.93
18	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	2.74	2.00	2.10	2.39	2.64	2.97
19	विजया बैंक	2.76	2.86	3.03	3.23	3.01	3.37
	राष्ट्रीयकृत बैंक	**2.78**	**2.77**	**2.66**	**2.90**	**2.74**	**2.99**
20	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	3.01	2.72	2.65	2.66	2.61	2.65
21	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	3.68	3.23	3.00	3.28	3.16	3.06
22	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	3.61	3.53	3.35	3.32	2.94	2.86
23	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	3.86	3.92	2.99	2.84	2.97	3.23
24	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	3.94	3.58	3.39	3.33	3.04	3.41
25	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	3.64	3.53	3.78	4.22	3.78	3.71
26	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	3.63	3.49	3.20	2.93	2.99	2.94
27	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	2.94	2.20	2.27	2.73	2.57	2.75
	स्टेट बैंक समूह	**3.14**	**2.85**	**2.76**	**2.79**	**2.71**	**2.77**
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	**2.91**	**2.80**	**2.70**	**2.86**	**2.73**	**2.91**

परिशिष्ट सारणी III.15 (ऐ): सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कुल आस्तियों की प्रतिशतता के रूप में प्रावधान व आकस्मिक व्यय

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8
1	इलाहाबाद बैंक	0.71	0.57	0.93	1.03	1.32	1.25
2	आंध्रा बैंक	0.87	0.58	1.07	0.63	1.07	1.43
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	0.75	1.00	0.94	1.20	1.08	1.24
4	बैंक ऑफ इंडिया	0.72	0.93	0.92	0.87	1.29	1.54
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	0.64	0.68	0.93	1.02	1.26	1.20
6	केनरा बैंक	1.09	1.52	1.26	1.27	1.27	1.19
7	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	0.61	0.43	0.65	0.90	1.03	1.08
8	कार्पोरेशन बैंक	1.21	0.76	1.15	1.37	1.33	1.66
9	देना बैंक	1.37	0.71	0.99	1.92	1.72	1.88
10	इंडियन बैंक	0.47	2.88	1.92	1.26	0.91	1.13
11	इंडियन ओवरसीज बैंक	0.19	0.36	0.54	0.63	1.09	0.92
12	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	0.86	0.83	0.93	1.22	1.85	2.08
13	पंजाब एंड सिंध बैंक	0.39	0.33	0.31	0.67	1.02	1.91
14	पंजाब नेशनल बैंक	0.81	0.97	0.76	0.76	1.25	1.71
15	सिंडीकेट बैंक	0.27	0.12	0.24	0.22	0.33	0.80
16	यूको बैंक	0.60	0.51	0.60	0.66	0.99	1.19
17	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	0.39	0.48	0.83	0.91	1.25	1.47
18	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	1.07	0.18	0.27	0.55	0.52	1.03
19	विजया बैंक	0.43	0.77	0.57	0.76	0.75	1.24
	राष्ट्रीयकृत बैंक	**0.71**	**0.85**	**0.86**	**0.95**	**1.15**	**1.35**
20	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	0.91	1.09	0.82	0.75	1.04	1.24
21	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	1.24	0.69	0.94	1.17	1.46	1.32
22	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	1.78	1.22	1.83	1.62	1.69	1.75
23	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	1.55	1.68	1.34	1.32	2.21	1.94
24	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	1.30	1.26	1.38	1.19	1.63	2.09
25	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	0.67	1.41	1.78	1.66	1.91	1.96
26	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	-0.13	1.52	0.98	1.20	1.49	1.78
27	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	1.50	0.99	0.93	0.92	1.21	1.49
	स्टेट बैंक समूह	**0.98**	**1.11**	**0.94**	**0.87**	**1.17**	**1.36**
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	**0.81**	**0.95**	**0.89**	**0.92**	**1.16**	**1.36**

परिशिष्ट सारणी III.15 (ओ): सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कुल आस्तियों की प्रतिशतता के रूप में परिचालनगत व्यय

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8
1	इलाहाबाद बैंक	2.70	2.67	2.89	2.98	2.86	3.27
2	आंध्रा बैंक	2.95	2.83	2.27	2.24	2.17	2.44
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	2.34	2.31	2.22	2.54	2.20	2.16
4	बैंक ऑफ इंडिया	2.52	2.37	2.51	2.93	2.19	2.15
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	3.21	3.06	2.76	2.84	2.23	2.07
6	केनरा बैंक	2.34	2.56	2.48	2.51	2.21	2.13
7	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	3.05	3.11	3.00	3.06	2.72	2.67
8	कार्पोरेशन बैंक	2.05	1.81	1.81	1.73	1.63	1.79
9	देना बैंक	2.75	2.54	2.44	3.19	2.44	2.54
10	इंडियन बैंक	2.67	2.61	2.68	2.79	2.40	2.13
11	इंडियन ओवरसीज बैंक	2.55	2.75	2.74	2.89	2.50	2.30
12	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	2.03	1.97	1.74	1.94	1.64	1.71
13	पंजाब एंड सिंध बैंक	2.80	2.57	2.82	2.98	2.77	2.85
14	पंजाब नेशनल बैंक	2.84	2.97	2.82	2.95	2.47	2.39
15	सिंडीकेट बैंक	3.29	3.41	3.13	3.81	3.24	3.15
16	यूको बैंक	2.89	2.87	2.65	2.73	2.67	2.48
17	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2.62	2.51	2.47	2.62	2.18	1.99
18	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	2.58	2.40	2.39	2.52	3.33	2.44
19	विजया बैंक	2.95	2.80	2.97	3.07	2.61	2.92
	राष्ट्रीयकृत बैंक	**2.65**	**2.63**	**2.57**	**2.76**	**2.40**	**2.33**
20	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	2.63	2.65	2.41	2.63	2.07	2.11
21	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	3.29	3.24	2.85	3.07	2.58	2.50
22	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	2.52	2.90	2.42	2.45	1.88	1.73
23	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	3.41	3.40	3.07	2.72	2.28	2.18
24	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	3.43	3.57	3.41	3.68	3.03	2.89
25	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	2.51	2.41	2.34	2.62	2.05	1.86
26	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	3.13	3.00	2.56	2.88	2.48	2.28
27	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	2.38	2.22	2.37	2.48	2.02	1.93
	स्टेट बैंक समूह	**2.68**	**2.70**	**2.46**	**2.66**	**2.11**	**2.11**
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	**2.66**	**2.66**	**2.53**	**2.72**	**2.29**	**2.25**

परिशिष्ट सारणी III.16 (अ): सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के चुनिन्दा वित्तीय मानदंड

(31 मार्च 2003 के अंत को)

(प्रतिशत)

क्र. सं.	बैंक का नाम	सीआरएआर			निवल गैर-निष्पादक आस्तियां/ निवल अग्रिम	ब्याजगत आय/का. निधि	ब्याजेतर आय/का. निधि	परिचालन लाभ/का. निधि	आस्तियों पर प्रति-लाभ	प्रति कर्मचारी व्यापार	प्रति कर्मचारी प्रतिलाभ
		टियर I	टियर II	कुल						(राशि लाख रुपये में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक										
1	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	8.92	2.37	11.29	6.80	9.18	2.46	2.89	1.12	164.64	1.63
2	भारत ओवरसीज बैंक लि.	10.55	3.32	13.87	3.31	8.57	1.75	2.40	1.17	317.00	2.77
3	कैथालिक सिरियन बैंक लिमिटेड	6.32	3.34	9.66	7.90	9.05	3.27	2.92	1.17	164.94	1.57
4	सिटी यूनियन बैंक लि.	11.87	2.08	13.95	8.21	9.28	2.14	3.19	1.33	230.05	2.37
5	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	6.63	3.45	10.08	7.76	8.85	2.13	1.47	0.85	463.00	2.60
6	धनलक्ष्मी बैंक लि.	8.63	1.82	10.45	9.25	9.23	3.42	3.10	0.71	222.06	1.15
7	फेडरल बैंक लि.	6.65	4.58	11.23	4.95	10.37	2.19	3.28	0.86	270.00	1.69
8	गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड लि.	6.43	4.01	10.44	12.89	9.26	2.36	1.62	1.65	126.52	1.39
9	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	6.63	3.18	9.81	3.55	8.65	3.43	2.31	0.74	242.42	1.69
10	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	12.48	4.00	16.48	1.58	9.92	2.00	3.85	2.01	287.00	5.00
11	कर्नाटक बैंक लि.	11.23	2.21	13.44	7.36	9.23	2.72	2.88	1.29	275.32	2.55
12	करुर वैश्य बैंक लि.	14.89	2.12	17.01	4.20	9.27	2.38	3.55	2.25	288.00	4.41
13	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	8.39	2.96	11.35	7.15	9.01	2.80	2.66	1.07	228.00	1.72
14	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	10.03	2.79	12.82	6.33	8.66	3.75	2.86	1.28	264.17	2.36
15	नैनीताल बैंक लि.	19.31	1.62	20.93	0.00	10.10	0.71	1.74	1.14	115.38	1.17
16	रत्नाकर बैंक लि.	11.76	2.29	14.05	7.42	9.63	2.87	2.99	1.42	179.73	1.81
17	सांगली बैंक लि.	12.11	2.83	14.94	6.89	9.04	2.06	1.29	0.66	91.31	0.59
18	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंट. बैंक लि.	20.18	1.01	21.19	20.88	9.57	2.46	3.20	-1.45	621.78	-7.71
19	साउथ इंडियन बैंक लि.	7.28	3.47	10.75	6.89	9.24	2.57	3.05	1.25	265.00	2.04
20	तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि.	16.83	1.71	18.54	8.70	10.35	1.30	2.98	1.35	270.83	2.88
21	दि युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	6.40	3.77	10.17	9.50	8.80	2.67	2.54	0.46	242.00	0.83
	निजी क्षेत्र के नये बैंक										
22	बैंक ऑफ पंजाब लि.	8.47	5.12	13.59	7.17	8.75	3.34	2.69	0.79	465.18	2.75
23	सेंच्यूरियन बैंक लि.	1.07	0.88	1.95	7.51	10.49	2.26	0.61	-0.70	403.28	-2.68
24	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि.	0.00	0.00	0.00	19.77	7.42	2.63	0.50	-3.56	655.10	-19.93
25	एचडीएफसी बैंक लि.	9.49	1.63	11.12	0.37	7.93	1.85	2.58	1.52	865.00	10.09
26	आइसीआइसीआइ बैंक लि.	7.05	4.05	11.10	5.21	9.07	1.91	2.49	1.13	1120.00	11.00
27	आइडीबीआइ बैंक लि.	5.96	3.60	9.56	1.18	8.35	2.30	2.23	0.90	712.84	4.89
28	इंडसइंड बैंक लि.	10.06	2.07	12.13	4.25	9.17	3.18	4.00	0.91	1284.06	9.50
29	कोटक महीन्द्र बैंक लि.	25.70	0.27	25.97	0.11	10.60	4.74	5.24	2.49	230.13	10.99
30	यूटीआइ बैंक लि.	6.44	4.46	10.90	2.39	8.92	2.50	2.50	1.17	926.00	8.22

टिप्पणी : संकल्पनात्मक अंतर के कारण परिशिष्ट सारणी III.6 (आ) III.6 (ऐ) तक प्रस्तुत आंकड़े इस सारणी में प्रस्तुत आंकड़े से पूर्णत: मेल न खाते।

स्रोत : सम्बन्धित बैंको के तुलन पत्रक

परिशिष्ट सारणी III.16 (आ) : कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूपमें सकल लाभ/हानि-निजी क्षेत्र के बैंक

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	0.84	-0.30	0.46	1.33	1.69	2.42
2	भारत ओवरसीज बैंक लि.	1.56	1.11	1.26	1.98	2.53	2.02
3	कैथालिक सिरियन बैंक लिमिटेड	0.97	0.22	0.95	1.63	2.60	2.89
4	सिटी यूनियन बैंक लि.	1.86	1.76	3.18	2.70	2.92	3.05
5	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	2.81	1.27	1.89	1.62	2.47	1.35
6	धनलक्ष्मी बैंक लि.	1.60	0.96	1.89	1.46	2.68	3.02
7	फेडरल बैंक लि.	1.27	0.61	1.78	2.12	3.01	2.88
8	गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड लि.	0.80	0.54	0.81	0.42	1.14	1.65
9	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	1.74	0.81	1.35	1.13	1.91	2.09
10	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	2.89	2.29	2.20	2.14	3.14	3.30
11	कर्नाटक बैंक लि.	2.65	1.48	1.41	2.04	3.23	2.73
12	करुर वैश्य बैंक लि.	3.29	1.98	2.91	2.61	3.17	3.20
13	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	1.70	1.29	2.40	2.30	2.72	2.50
14	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	1.59	1.06	1.41	1.08	2.93	2.76
15	नैनीताल बैंक लि.	1.50	1.90	1.69	1.58	1.77	1.51
16	रत्नाकर बैंक लि.	1.40	1.10	1.46	1.75	3.69	2.73
17	सांगली बैंक लि.	2.46	0.99	1.14	1.08	1.51	1.11
18	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंट. बैंक लि.	2.27	2.33	3.19	1.34	1.86	2.78
19	साउथ इंडियन बैंक लि.	0.98	0.98	1.80	2.05	2.64	2.84
20	तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि.	3.32	2.42	2.36	2.78	2.82	2.87
21	दि युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	2.67	1.63	2.96	0.88	2.99	2.31
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	**1.97**	**1.21**	**1.82**	**1.75**	**2.70**	**2.67**
22	बैंक ऑफ पंजाब लि.	2.78	1.97	1.69	1.73	2.46	2.53
23	सेंच्यूरियन बैंक लि.	2.43	1.01	1.25	0.98	0.35	0.64
24	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि.	3.49	2.01	3.29	2.12	2.03	0.48
25	एचडीएफसी बैंक लि.	3.62	2.90	2.21	2.44	2.29	2.34
26	आइसीआइसीआइ बैंक लि.	3.06	1.78	1.88	1.47	0.52	2.41
27	आइडीबीआइ बैंक लि.	1.30	1.13	1.85	1.39	1.85	2.02
28	इंडसइंड बैंक लि.	4.00	1.79	2.39	2.00	2.47	3.28
29	कोटक महीन्द्र बैंक लि.	—	—	—	—	—	4.16
30	कोटक महीन्द्र बैंक लि.	1.72	1.74	1.74	1.23	2.83	2.09
	निजी क्षेत्र के नये बैंक	**2.86**	**1.78**	**2.11**	**1.74**	**1.22**	**2.31**
	निजी क्षेत्र के बैंक	**2.25**	**1.42**	**1.95**	**1.74**	**1.74**	**2.43**

परिशिष्ट सारणी III.16 (इ) : कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में निवल लाभ/हानि-भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	-2.58	-1.84	0.30	0.74	0.84	1.12
2	भारत ओवरसीज बैंक लि.	0.87	0.74	0.06	0.95	1.08	1.17
3	कैथालिक सिरियन बैंक लिमिटेड	0.36	0.02	0.25	0.38	1.07	1.17
4	सिटी यूनियन बैंक लि.	1.00	0.87	1.30	1.16	1.28	1.27
5	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	1.67	0.90	0.87	0.76	0.81	0.78
6	धनलक्ष्मी बैंक लि.	0.71	0.28	0.71	0.40	0.53	0.71
7	फेडरल बैंक लि.	0.69	0.03	0.61	0.69	0.81	0.86
8	गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड लि.	0.08	0.08	0.14	0.22	0.50	0.59
9	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	1.14	0.40	0.50	0.38	0.64	0.74
10	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	0.91	1.14	1.14	1.32	1.77	2.01
11	कर्नाटक बैंक लि.	1.51	0.87	0.71	0.68	1.17	1.19
12	करुर वैश्य बैंक लि.	1.73	1.19	1.90	1.70	2.12	2.02
13	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	1.31	0.79	1.14	1.02	1.06	1.07
14	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	0.51	0.16	0.61	0.36	1.14	1.24
15	नैनीताल बैंक लि.	0.45	0.75	0.86	0.53	0.87	0.99
16	रत्नाकर बैंक लि.	0.91	0.78	0.70	0.67	1.00	1.30
17	सांगली बैंक लि.	0.35	0.34	0.34	0.38	0.58	0.65
18	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंट. बैंक लि.	2.22	1.64	1.70	-6.65	0.46	-1.45
19	साउथ इंडियन बैंक लि.	0.68	0.17	0.58	0.80	0.95	0.95
20	तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि.	1.98	1.43	1.32	1.37	1.29	1.35
21	दि युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	1.13	0.95	1.16	-0.27	0.50	0.46
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	**0.81**	**0.48**	**0.81**	**0.59**	**1.08**	**1.17**
22	बैंक ऑफ पंजाब लि.	2.09	1.53	1.04	0.93	0.92	0.74
23	सेंच्यूरियन बैंक लि.	1.27	0.69	0.66	0.12	-2.26	-0.75
24	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि.	2.12	1.36	1.44	0.85	0.55	-3.56
25	एचडीएफसी बैंक लि.	2.23	1.89	1.02	1.35	1.25	1.27
26	आइसीआइसीआइ बैंकिंग कारपो. लि.	1.53	0.91	0.87	0.82	0.25	1.13
27	आइडीबीआइ बैंक लि.	0.91	0.90	1.35	0.39	0.79	0.90
28	इंडसइंड बैंक लि.	1.81	0.60	0.70	0.47	0.50	0.91
29	कोटक महीन्द्र बैंक लि.	—	—	—	—	—	2.09
30	यूटीआइ बैंक लि.	0.56	0.79	0.76	0.80	0.93	0.98
	निजी क्षेत्र के नये बैंक	**1.55**	**1.03**	**0.97**	**0.81**	**0.44**	**0.90**
	निजी क्षेत्र के बैंक	**1.04**	**0.68**	**0.88**	**0.70**	**0.66**	**0.99**

परिशिष्ट सारणी III.16 (ई) : कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजगत आय-निजी क्षेत्र के बैंक

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	10.27	9.54	10.04	10.20	9.41	7.71
2	भारत ओवरसीज बैंक लि.	9.86	9.45	8.63	8.54	7.94	7.21
3	कैथालिक सिरियन बैंक लिमिटेड	11.97	10.98	10.53	10.48	9.68	8.98
4	सिटी यूनियन बैंक लि.	10.58	10.59	11.40	10.08	9.51	8.88
5	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	8.36	9.14	8.02	9.84	9.01	8.14
6	धनलक्ष्मी बैंक लि.	11.28	10.31	10.24	10.45	9.59	8.98
7	फेडरल बैंक लि.	9.60	10.64	11.60	10.42	10.28	9.11
8	गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड लि.	10.80	11.01	10.95	10.61	10.04	9.39
9	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	9.75	9.55	8.88	8.76	8.61	7.80
10	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	9.48	9.23	8.38	8.46	9.21	8.50
11	कर्नाटक बैंक लि.	11.14	10.09	10.07	9.79	9.57	8.76
12	करुर वैश्य बैंक लि.	10.57	10.82	11.16	10.88	9.44	8.34
13	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	9.41	9.95	9.62	9.61	9.53	8.48
14	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	12.59	12.38	9.37	8.75	8.36	8.37
15	नैनीताल बैंक लि.	10.34	10.31	9.54	9.72	9.55	8.77
16	रत्नाकर बैंक लि.	10.05	10.26	9.91	10.18	9.39	8.77
17	सांगली बैंक लि.	9.54	9.01	8.36	9.11	8.00	7.65
18	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंट. बैंक लि.	8.37	11.44	9.40	10.17	8.07	8.30
19	साउथ इंडियन बैंक लि.	11.05	11.18	10.55	10.36	9.39	8.59
20	तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि.	10.80	10.05	10.14	10.24	10.12	9.99
21	दि युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	8.73	8.55	8.70	8.29	9.59	7.99
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	**10.00**	**9.92**	**9.66**	**9.53**	**9.36**	**8.48**
22	बैंक ऑफ पंजाब लि.	9.59	8.80	8.23	9.11	9.35	8.24
23	सेंच्यूरियन बैंक लि.	11.34	12.71	8.50	9.29	11.57	10.97
24	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि.	10.55	9.45	9.22	9.48	9.91	7.04
25	एचडीएफसी बैंक लि.	8.51	8.65	5.80	8.06	7.16	6.65
26	आइसीआइसीआइ बैंकिंग कारपो. लि.	7.88	7.79	7.06	6.29	2.07	8.77
27	आइडीबीआइ बैंक लि.	6.78	8.63	9.38	10.80	7.66	7.54
28	इंडसइंड बैंक लि.	10.96	9.62	7.97	8.42	6.96	7.50
29	कोटक महीन्द्र बैंक लि.	—	—	—	—	—	8.07
30	यूटीआइ बैंक लि.	8.06	9.53	7.25	8.26	8.20	7.47
	निजी क्षेत्र के नये बैंक	**9.27**	**9.19**	**7.60**	**8.17**	**4.48**	**8.14**
	निजी क्षेत्र के बैंक	**9.77**	**9.65**	**8.74**	**8.87**	**6.18**	**8.26**

परिशिष्ट सारणी III.16 (उ) : कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्ययित ब्याज-निजी क्षेत्र के बैंक

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	7.89	7.78	7.69	7.13	6.73	4.76
2	भारत ओवरसीज बैंक लि.	7.30	7.41	6.48	5.74	5.59	4.73
3	कैथालिक सिरियन बैंक लिमिटेड	9.51	9.01	8.18	7.75	7.36	6.67
4	सिटी यूनियन बैंक लि.	8.49	8.72	8.38	7.17	7.06	6.36
5	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	6.37	7.09	6.21	7.64	6.87	6.52
6	धनलक्ष्मी बैंक लि.	8.55	8.15	7.74	8.10	7.34	6.46
7	फेडरल बैंक लि.	7.71	9.56	9.23	7.73	7.55	6.33
8	गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड लि.	8.20	8.95	8.55	8.52	8.28	7.91
9	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	8.18	8.30	7.65	7.05	6.91	5.93
10	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	5.88	5.73	5.66	5.66	6.23	5.36
11	कर्नाटक बैंक लि.	7.56	7.71	8.08	7.52	7.76	7.09
12	करुर वैश्य बैंक लि.	7.29	7.91	7.50	7.21	6.22	5.61
13	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	6.88	7.64	7.03	7.07	7.36	6.34
14	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	10.45	10.72	7.97	7.31	7.59	6.95
15	नैनीताल बैंक लि.	6.44	6.20	5.71	5.91	5.68	5.07
16	रत्नाकर बैंक लि.	6.84	7.14	7.09	7.11	6.50	6.08
17	सांगली बैंक लि.	6.17	6.26	5.79	5.96	5.58	5.46
18	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंट. बैंक लि.	7.22	10.06	7.42	8.95	7.30	6.16
19	साउथ इंडियन बैंक लि.	8.53	8.71	7.88	7.49	7.02	6.28
20	तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि.	7.12	7.10	7.26	6.95	6.77	6.40
21	दि युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	6.35	6.25	6.32	6.33	7.62	6.00
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	**7.43**	**7.77**	**7.33**	**7.02**	**6.97**	**6.02**
22	बैंक ऑफ पंजाब लि.	7.01	6.86	5.92	6.09	7.03	5.94
23	सेंच्यूरियन बैंक लि.	8.40	9.54	6.96	7.56	9.09	7.95
24	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि.	8.54	8.43	6.72	7.36	8.70	6.75
25	एचडीएफसी बैंक लि.	4.86	5.27	3.19	4.83	4.51	3.92
26	आइसीआइसीआइ बैंकिंग कारपो. लि.	5.66	6.09	5.52	4.24	1.50	7.44
27	आइडीबीआइ बैंक लि.	4.75	6.75	7.37	8.74	5.50	5.00
28	इंडसइंड बैंक लि.	8.54	7.76	6.27	6.58	5.36	5.64
29	कोटक महीन्द्र बैंक लि.	—	—	—	—	—	4.03
30	यूटीआइ बैंक लि.	7.00	7.68	5.89	7.35	6.81	5.82
	निजी क्षेत्र के नये बैंक	**7.04**	**7.21**	**5.64**	**6.03**	**3.33**	**6.43**
	निजी क्षेत्र के बैंक	**7.31**	**7.56**	**6.58**	**6.54**	**4.60**	**6.29**

परिशिष्ट सारणी III.16 (ऊ) : कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में निवल ब्याजगत आय (स्प्रेड)-निजी क्षेत्र के बैंक

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	2.38	1.76	2.35	3.07	2.69	2.95
2	भारत ओवरसीज बैंक लि.	2.56	2.05	2.15	2.80	2.34	2.48
3	कैथालिक सिरियन बैंक लिमिटेड	2.47	1.97	2.34	2.72	2.32	2.32
4	सिटी यूनियन बैंक लि.	2.09	1.87	3.03	2.91	2.45	2.53
5	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	1.99	2.05	1.81	2.20	2.14	1.62
6	धनलक्ष्मी बैंक लि.	2.72	2.16	2.49	2.34	2.25	2.53
7	फेडरल बैंक लि.	1.89	1.09	2.37	2.69	2.72	2.78
8	गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड लि.	2.60	2.06	2.40	2.09	1.77	1.48
9	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	1.57	1.25	1.24	1.71	1.70	1.87
10	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	3.60	3.49	2.71	2.81	2.98	3.13
11	कर्नाटक बैंक लि.	3.58	2.38	1.99	2.28	1.81	1.67
12	करुर वैश्य बैंक लि.	3.28	2.91	3.66	3.67	3.22	2.74
13	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	2.53	2.31	2.59	2.55	2.17	2.13
14	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	2.14	1.66	1.41	1.44	0.77	1.42
15	नैनीताल बैंक लि.	3.90	4.11	3.83	3.81	3.87	3.70
16	रत्नाकर बैंक लि.	3.21	3.12	2.82	3.07	2.89	2.69
17	सांगली बैंक लि.	3.37	2.75	2.57	3.14	2.42	2.19
18	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंट. बैंक लि.	1.15	1.38	1.98	1.22	0.78	2.15
19	साउथ इंडियन बैंक लि.	2.52	2.46	2.66	2.87	2.37	2.31
20	तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि.	3.68	2.96	2.88	3.29	3.35	3.58
21	दि युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	2.38	2.30	2.38	1.96	1.97	1.99
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	**2.57**	**2.15**	**2.33**	**2.51**	**2.39**	**2.46**
22	बैंक ऑफ पंजाब लि.	2.58	1.95	2.31	3.03	2.32	2.30
23	सेंच्यूरियन बैंक लि.	2.93	3.17	1.54	1.73	2.48	3.01
24	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि.	2.02	1.02	2.50	2.11	1.21	0.29
25	एचडीएफसी बैंक लि.	3.65	3.38	2.60	3.24	2.65	2.73
26	आइसीआइसीआइ बैंकिंग कारपो. लि.	2.23	1.70	1.54	2.05	0.57	1.33
27	आइडीबीआइ बैंक लि.	2.03	1.87	2.02	2.06	2.16	2.54
28	इंडसइंड बैंक लि.	2.43	1.86	1.70	1.84	1.60	1.86
29	कोटक महीन्द्र बैंक लि.	—	—	—	—	—	4.03
30	यूटीआइ बैंक लि.	1.05	1.86	1.36	0.91	1.38	1.64
	निजी क्षेत्र के नये बैंक	**2.23**	**1.98**	**1.95**	**2.14**	**1.15**	**1.70**
	निजी क्षेत्र के बैंक	**2.46**	**2.09**	**2.16**	**2.33**	**1.58**	**1.97**

परिशिष्ट सारणी III.16 (ए): कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रावधान और आकस्मिक देयताएं - निजी क्षेत्र के बैंक

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	3.42	1.53	0.16	0.59	0.86	1.31
2	भारत ओवरसीज बैंक लि.	0.69	0.37	1.20	1.02	1.45	0.85
3	कैथालिक सिरियन बैंक लिमिटेड	0.61	0.20	0.70	1.25	1.53	1.72
4	सिटी यूनियन बैंक लि.	0.86	0.89	1.88	1.54	1.64	1.79
5	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	1.15	0.37	1.02	0.86	1.66	0.57
6	धनलक्ष्मी बैंक लि.	0.89	0.68	1.18	1.06	2.15	2.30
7	फेडरल बैंक लि.	0.58	0.58	1.17	1.43	2.20	2.02
8	गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड लि.	0.72	0.46	0.67	0.20	0.64	1.06
9	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	0.60	0.41	0.85	0.75	1.27	1.34
10	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	1.98	1.15	1.06	0.83	1.37	1.29
11	कर्नाटक बैंक लि.	1.14	0.61	0.70	1.36	2.06	1.55
12	करुर वैश्य बैंक लि.	1.57	0.79	1.01	0.91	1.04	1.17
13	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	0.38	0.50	1.26	1.28	1.65	1.44
14	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	1.08	0.90	0.79	0.72	1.79	1.52
15	नैनीताल बैंक लि.	1.05	1.15	0.83	1.04	0.91	0.52
16	रत्नाकर बैंक लि.	0.49	0.33	0.76	1.07	2.69	1.43
17	सांगली बैंक लि.	2.11	0.66	0.81	0.70	0.93	0.46
18	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंट. बैंक लि.	0.04	0.69	1.48	7.99	1.40	4.23
19	साउथ इंडियन बैंक लि.	0.30	0.81	1.23	1.26	1.69	1.89
20	तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि.	1.34	0.99	1.04	1.41	1.52	1.52
21	दि युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	1.54	0.68	1.80	1.16	2.49	1.85
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	**1.16**	**0.73**	**1.01**	**1.15**	**1.62**	**1.50**
22	बैंक ऑफ पंजाब लि.	0.69	0.44	0.65	0.80	1.54	1.79
23	सेंच्यूरियन बैंक लि.	1.16	0.32	0.59	0.86	2.60	1.39
24	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि.	1.37	0.65	1.85	1.27	1.47	4.03
25	एचडीएफसी बैंक लि.	1.39	1.01	1.19	1.10	1.04	1.07
26	आइसीआइसीआइ बैंकिंग कारपो. लि.	1.53	0.88	1.01	0.65	0.28	1.28
27	आइडीबीआइ बैंक लि.	0.39	0.23	0.50	1.00	1.06	1.12
28	इंडसइंड बैंक लि.	2.19	1.19	1.69	1.53	1.98	2.36
29	कोटक महीन्द्र बैंक लि.	—	—	—	—	—	2.07
30	यूटीआइ बैंक लि.	1.16	0.95	0.98	0.43	1.90	1.11
	निजी क्षेत्र के नये बैंक	**1.32**	**0.75**	**1.14**	**0.93**	**0.78**	**1.41**
	निजी क्षेत्र के बैंक	**1.21**	**0.74**	**1.07**	**1.04**	**1.07**	**1.44**

परिशिष्ट सारणी III.16 (ऐ) : कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में परिचालनगत व्यय - निजी क्षेत्र के बैंक

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	2.87	3.25	3.23	3.04	3.02	2.59
2	भारत ओवरसीज बैंक लि.	2.09	2.14	2.12	2.21	2.16	1.93
3	कैथालिक सिरियन बैंक लिमिटेड	3.03	2.80	2.96	2.71	2.56	2.66
4	सिटी यूनियन बैंक लि.	2.07	2.06	1.99	1.80	1.68	1.52
5	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	2.42	2.36	1.82	1.82	1.95	2.23
6	धनलक्ष्मी बैंक लि.	2.36	2.17	2.15	2.42	2.68	2.84
7	फेडरल बैंक लि.	1.88	1.88	2.33	1.98	1.89	1.82
8	गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड लि.	2.69	2.41	2.19	2.14	2.07	2.24
9	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	1.93	1.90	1.98	1.80	2.42	2.87
10	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	1.75	1.78	1.51	1.30	1.59	1.55
11	कर्नाटक बैंक लि.	2.18	1.89	1.84	1.58	1.68	1.52
12	करुर वैश्य बैंक लि.	2.59	2.24	2.29	2.33	2.10	1.68
13	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	2.95	3.08	2.78	2.50	2.47	2.26
14	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	2.22	2.33	1.82	1.85	2.21	2.28
15	नैनीताल बैंक लि.	2.86	2.69	2.67	2.65	2.55	2.81
16	रत्नाकर बैंक लि.	2.90	2.90	3.23	2.84	3.12	2.57
17	सांगली बैंक लि.	3.08	3.03	2.80	2.92	2.87	2.82
18	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंट. बैंक लि.	0.95	1.25	1.14	1.45	1.20	1.50
19	साउथ इंडियन बैंक लि.	2.39	2.51	2.53	2.21	1.84	1.86
20	तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि.	2.38	2.25	2.14	1.90	1.99	1.97
21	दि युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	2.24	2.02	1.94	1.83	1.96	2.10
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	**2.31**	**2.26**	**2.17**	**1.99**	**2.07**	**2.04**
22	बैंक ऑफ पंजाब लि.	2.47	1.99	2.07	2.45	2.88	2.92
23	सेंच्यूरियन बैंक लि.	2.12	3.60	2.00	2.42	3.84	4.73
24	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि.	1.88	1.82	1.64	1.73	2.32	2.31
25	एचडीएफसी बैंक लि.	2.22	2.04	1.46	1.98	1.76	1.95
26	आइसीआइसीआइ बैंकिंग कारपो. लि.	1.76	1.19	1.27	1.70	0.60	1.88
27	आइडीबीआइ बैंक लि.	1.52	1.59	1.39	2.08	2.15	2.61
28	इंडसइंड बैंक लि.	1.51	1.41	1.13	1.19	0.93	1.19
29	कोटक महीन्द्र बैंक लि.	—	—	—	—	—	3.64
30	यूटीआइ बैंक लि.	1.25	1.30	0.98	1.20	1.44	1.65
	निजी क्षेत्र के नये बैंक	**1.76**	**1.74**	**1.42**	**1.75**	**1.10**	**1.97**
	निजी क्षेत्र के बैंक	**2.14**	**2.07**	**1.83**	**1.87**	**1.44**	**2.00**

परिशिष्ट सारणी III.17 (अ): भारत में विदेशी बैंकों के चुनिंदा वित्तीय मानदंड

(31 मार्च 2003 के अन्त को)

(प्रतिशत)

क्रम सं	बैंक का नाम	सीआरएआर			निवल गैर-निष्पादक आस्तियां/ निवल अग्रिम	ब्याज आय/ का. निधियां	ब्याजेतर आय/का. निधियां	परिचालन लाभ/का. निधियां	आस्तियों पर प्रति-लाभ	प्रति कर्मचारी व्यवसाय	प्रति कर्मचारी लाभ
		टियर I	टियर II	जोड़						(राशि लाख रुपये में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	भारत में विदेशी बैंक										
1	एबीएन एमरो बैंक एनवी	10.67	1.90	12.57	1.54	7.18	2.45	2.76	1.56	784.27	12.35
2	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	9.04	1.10	10.14	9.68	9.64	0.61	0.69	0.17	2,618.40	4.06
3	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	10.53	0.40	10.93	8.69	10.13	6.32	3.40	-0.90	214.91	-2.08
4	एंटवेर्प डायमंड बैंक	62.65	30.04	92.69	0.00	5.09	0.36	1.20	0.36	1,252.55	5.25
5	अरब बांग्लादेश बैंक लि.	104.63	1.01	105.64	1.55	4.75	3.68	5.26	2.78	265.05	10.50
6	बैंक इंटरनेशनल इन्डोनेशिया	103.78	0.21	103.99	15.20	6.75	1.39	-4.30	3.75	228.53	11.98
7	बैंक मस्केट एस.ए. ओ. जी	19.86	0.24	20.10	6.95	10.42	1.46	1.50	0.15	393.00	0.65
8	बैंक ऑफ अमेरिका एनए	13.65	7.43	21.08	0.05	7.83	1.74	2.77	1.73	1,862.74	32.76
9	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	16.02	1.17	17.19	11.26	8.73	2.37	2.38	1.06	787.00	8.00
10	बैंक ऑफ सिलोन	31.92	0.37	32.29	25.98	7.48	0.80	2.81	0.27	644.67	1.80
11	द बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	12.84	0.54	13.38	8.64	8.18	1.44	2.70	0.66	1,691.41	9.75
12	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी लिमि.	20.28	10.12	30.40	0.09	8.99	2.44	2.96	3.27	560.87	15.91
13	बरक लैज बैंक पीएलसी	43.55	2.13	45.68	0.00	4.47	15.06	13.29	3.95	323.68	85.82
14	बी.एन.पी. परिबास	6.46	4.28	10.74	3.77	8.26	1.12	0.06	-0.53	978.62	-4.03
15	चायनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	35.05	1.91	36.96	0.00	11.22	0.98	4.25	2.12	658.05	12.90
16	चो हंग बैंक	36.41	0.76	37.17	0.48	8.56	2.24	6.13	7.19	936.10	78.56
17	सिटी बैंक एन. ए.	8.39	2.91	11.30	1.17	8.58	3.27	3.76	2.88	1,660.19	24.26
18	क्रेडिट एग्रीकोल इंडोसुएज	18.94	1.10	20.04	0.51	7.30	0.79	1.09	0.36	1,336.56	7.00
19	क्रेडिट लायोनेज	13.00	7.90	20.90	3.60	10.10	3.20	1.70	0.60	1,620.01	8.39
20	ड्यूश बैंक एजी	15.16	2.19	17.35	0.00	7.48	8.01	8.02	2.92	894.19	43.31
21	डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लि.	15.03	0.95	15.98	10.37	9.72	1.23	4.08	2.01	1,315.75	28.10
22	एचएसबीसी बैंक	14.50	3.60	18.10	1.03	7.85	2.56	2.49	0.80	622.78	4.50
23	आइएनजी बैंक एन वी	20.54	0.18	20.72	0.00	6.39	2.39	3.17	-8.41	299.09	-50.62
24	जेपी मॉर्गन चेस बैंक	69.97	2.98	72.95	Nil	8.15	7.47	8.85	3.10	364.08	37.37
25	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	118.43	1.45	119.88	0.00	7.09	0.44	2.83	-0.73	251.72	-3.66
26	मशरेक बैंक पीएससी	37.42	1.96	39.38	0.00	10.05	2.10	3.24	3.24	820.53	65.82
27	मिज़िओ कार्पोरेट बैंक लिमि.	18.19	0.31	18.50	0.76	8.31	1.20	1.21	0.31	486.66	22.16
28	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	14.18	0.44	14.62	42.15	4.93	2.08	-1.61	2.91	1,355.31	-26.81
29	ओवरसी-चाइनीज बैंकिंग कार्पोरेशन लि.	384.84	0.65	385.49	100.00	5.57	0.15	0.00	0.00	99.63	0.00
30	सोसाइटे जनरेल	31.19	1.44	32.63	0.00	5.68	1.60	0.58	-1.44	351.50	-13.60
31	सोनाली बैंक	46.42	0.44	46.86	6.77	4.60	8.12	2.54	1.23	76.62	1.05
32	स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक	6.81	3.75	10.56	0.31	10.10	2.48	4.93	2.92 *	840.54	25.15
33	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	31.13	0.61	31.74	14.20	6.32	2.93	4.26	1.18	1,124.00	12.00
34	सुमितोमो मित्सुइ बैंकिंग कार्पोरेशन	27.73	7.76	35.49	20.21	10.23	1.27	4.33	-7.05	447.18	42.59
35	टोरोंटो-डोंमोनियन बैंक लि.	323.44	1.18	324.62	0.00	8.52	-0.25	4.22	1.45	256.61	15.53
36	यूएफजे बैंक लि.	67.07	0.61	67.68	8.58	6.11	0.80	2.51	0.31	892.40	3.06

स्रोत : सम्बन्धित बैंकों के तुलन-पत्रक

* असाधारण मद के पहले गणनाकृत अनुपात

नोट : संकल्पना अंतर के कारण परिशिष्ट सारणी III.17 (आ) से III.17(ऐ) में आंकड़े इस सारणी में प्रस्तुत आंकड़े से पूर्णत: मेल न खाये ।

परिशिष्ट सारणी III.17 (आ): कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सकल लाभ/हानि-भारत में विदेशी बैंक

(प्रतिशत))

क्रम सं.	बैंक का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8
1	एबीएन एमरो बैंक एनवी	4.13	3.68	3.05	3.51	3.68	3.13
2	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	2.57	2.43	2.50	1.35	0.90	0.69
3	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	3.49	1.79	2.74	1.81	3.80	3.37
4	एंटवेर्प डायमंड बैंक	—	—	—	—	—	1.09
5	अरब बांग्लादेश बैंक लि.	3.35	6.15	6.08	7.09	6.40	5.26
6	बैंक इंटरनेशनल इन्डोनेशिया	0.91	-6.39	-9.75	-6.89	0.22	-2.93
7	बैंक मस्केट एस.ए.ओ.जी.	—	-1.44	0.63	1.27	1.92	1.41
8	बैंक ऑफ अमेरिका एनए	4.41	3.95	5.02	3.36	3.56	2.70
9	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	0.16	0.67	1.74	1.49	2.72	2.23
10	बैंक ऑफ सिलोन	6.35	7.51	6.34	4.91	5.49	2.58
11	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	3.65	4.44	3.11	2.19	2.70	3.19
12	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी लिमि.	2.64	-27.32	-2.92	9.22	3.04	3.19
13	बरक लैज बैंक पीएलसी	3.87	2.00	-0.55	-0.09	4.51	11.59
14	बी.एन.पी. परिबास	2.75	2.24	2.27	1.36	-0.60	0.06
15	चायनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	1.36	0.35	1.11	2.03	4.20	4.23
16	चो हंग बैंक	9.24	6.65	7.23	8.38	6.45	7.44
17	सिटी बैंक एन. ए.	4.45	4.00	3.41	3.55	3.97	3.44
18	क्रेडिट एग्रीकोल इंडोसुएज	0.16	0.64	-0.14	0.01	0.50	1.24
19	क्रेडिट लायोनेज	4.08	4.63	4.10	3.49	2.26	1.42
20	ड्यूश बैंक एजी	8.17	4.48	5.19	5.72	4.39	5.93
21	डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लि.	2.92	2.85	3.01	2.93	3.49	4.45
22	एचएसबीसी बैंक लि.	3.40	1.96	2.41	2.84	2.50	2.25
23	आइएनजी बैंक एन वी	3.11	1.17	6.44	-2.44	0.06	-4.86
24	जेपी मॉर्गन चेस बैंक	5.35	4.14	5.83	10.32	8.29	5.19
25	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	8.78	6.22	3.57	4.94	4.38	2.75
26	मशरेक बैंक पीएससी	0.24	0.05	0.41	0.41	3.26	3.92
27	मिझिओ कार्पोरेट बैंक लिमि.	2.77	1.42	-0.25	1.62	1.10	1.23
28	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	1.82	0.04	-0.20	-0.64	-2.05	-1.34
29	ओवरसी-चाइनीज बैंकिंग कार्पोरेशन लि.	1.03	5.05	4.24	4.22	-7.17	-0.47
30	सोसाइटे जनरेल	2.49	2.63	0.73	0.60	-0.05	0.58
31	सोनाली बैंक	10.48	12.89	4.11	5.87	3.66	2.15
32	स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक	2.63	1.09	3.45	3.15	3.84	3.80
33	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	7.10	3.21	3.79	3.80	4.56	4.12
34	सुमितोमो मितसुइ बैंकिंग कार्पोरेशन	1.85	3.15	2.74	2.49	3.30	4.33
35	टोरोंटो-डोंमोनियन बैंक लि.	7.08	7.69	6.15	9.95	6.29	4.24
36	यूएफजे बैंक लि.	5.56	5.24	3.02	1.95	3.34	2.51
	भारत में विदेशी बैंक	**3.91**	**2.32**	**3.24**	**3.05**	**3.10**	**3.20**
	सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**1.84**	**1.45**	**1.66**	**1.53**	**1.94**	**2.39**

परिशिष्ट सारणी III.17 (इ): कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सकल लाभ/हानि-भारत में विदेशी बैंक

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8
1	एबीएन एमरो बैंक एनवी	2.33	2.20	1.58	0.40	1.72	1.56
2	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	0.42	0.32	0.52	0.44	0.47	0.17
3	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	2.11	0.25	1.02	-0.62	0.27	-0.90
4	एंटवेर्प डायमंड बैंक	—	—	—	—	—	0.36
5	अरब बांग्लादेश बैंक लि.	1.70	3.15	2.80	3.50	2.82	2.73
6	बैंक इंटरनेशनल इन्डोनेशिया	-3.58	-14.41	-8.10	-2.95	0.24	2.11
7	बैंक मस्केट एस.ए.ओ.जी.	—	-1.44	0.45	1.05	0.31	0.15
8	बैंक ऑफ अमेरिका एनए	2.58	1.99	2.70	1.25	1.72	1.73
9	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	-3.66	0.71	0.90	0.81	1.25	1.06
10	बैंक ऑफ सिलोन	2.55	2.33	2.62	0.95	0.02	0.27
11	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	0.84	2.20	1.46	1.06	1.00	0.78
12	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी लिमि.	-25.85	-4.29	4.87	7.57	4.08	3.27
13	बरक लैज बैंक पीएलसी	1.71	0.33	-2.10	1.35	1.78	3.95
14	बी.एन.पी. परिबास	0.98	1.06	0.94	0.33	-0.94	-0.53
15	चायनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	0.00	-0.26	0.25	0.63	1.00	2.12
16	चो हंग बैंक	5.01	3.68	0.50	3.15	3.42	2.47
17	सिटी बैंक एन. ए.	1.10	0.92	1.44	1.46	1.51	1.55
18	क्रेडिट एग्रीकोल इंडोसुएज	-1.70	-0.64	-9.83	-1.62	0.99	0.36
19	क्रेडिट लायोनेज	-0.59	1.74	1.58	0.19	0.31	0.59
20	ड्यूश बैंक एजी	3.58	1.11	1.10	1.71	2.24	2.92
21	डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लि.	0.97	1.31	1.44	1.58	2.02	2.01
22	एचएसबीसी बैंक लि.	0.98	0.58	0.96	1.26	0.87	0.72
23	आइएनजी बैंक एन वी	2.04	0.03	-4.00	-3.97	-0.44	-12.92
24	जेपी मॉर्गन चेस बैंक	2.73	1.87	2.87	5.06	3.18	3.10
25	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	5.90	4.31	0.26	2.22	0.02	-0.72
26	मशरेक बैंक पीएससी	-2.84	-2.73	-3.60	-3.10	1.59	3.24
27	मिझिओ कार्पोरेट बैंक लिमि.	2.38	0.16	-2.85	-3.30	-1.45	0.31
28	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	-0.89	-2.85	-8.98	-4.41	-4.47	-1.83
29	ओवरसी-चाइनीज बैंकिंग कार्पोरेशन लि.	0.87	4.39	-0.26	0.79	-3.90	-0.24
30	सोसाइटे जनरेल	1.09	-3.17	0.02	0.04	-2.29	-1.58
31	सोनाली बैंक	5.44	6.69	2.14	3.05	1.41	1.23
32	स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक	1.04	0.04	1.81	1.51	2.02 *	2.92 *
33	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	4.47	1.81	1.48	1.05	0.85	1.05
34	सुमितोमो मितसुइ बैंकिंग कार्पोरेशन	1.02	1.56	0.25	-1.95	-3.13	-7.05
35	टोरोंटो-डोंमोनियन बैंक लि.	3.07	3.48	2.90	4.84	2.99	1.45
36	यूएफजे बैंक लि.	1.16	1.02	0.14	0.25	0.05	0.31
	भारत में विदेशी बैंक	**0.97**	**0.69**	**1.17**	**0.93**	**1.32**	**1.57**
	सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**0.82**	**0.47**	**0.66**	**0.49**	**0.75**	**1.01**

* असाधारण मद के पहले गणनाकृत अनुपात

परिशिष्ट सारणी III.17 (ई): कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजगत आय - भारत में विदेशी बैंक

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8
1	एबीएन एमरो बैंक एनवी	9.65	9.24	8.05	10.18	10.16	7.91
2	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	9.74	8.59	10.98	6.54	10.03	9.65
3	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	10.13	10.55	11.11	8.39	8.60	10.05
4	एंटवेर्प डायमंड बैंक	—	—	—	—	—	4.61
5	अरब बांग्लादेश बैंक लि.	5.03	6.81	7.23	7.77	6.19	4.65
6	बैंक इंटरनेशनल इन्डोनेशिया	17.85	12.84	9.87	5.16	4.27	4.48
7	बैंक मस्केट एस.ए .ओ.जी.	-	3.72	5.90	10.40	10.99	9.80
8	बैंक ऑफ अमेरिका एनए	10.57	12.63	11.76	10.31	9.13	7.25
9	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	11.09	10.29	10.15	9.96	8.55	8.19
10	बैंक ऑफ सिलोन	8.49	11.21	8.60	8.45	8.32	6.86
11	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	9.68	11.40	8.07	8.79	8.73	9.67
12	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी लिमि.	12.32	10.23	13.02	10.53	8.62	9.70
13	बरक लैज बैंक पीएलसी	16.23	12.15	11.20	7.31	4.60	3.89
14	बी.एन.पी. परिबास	8.13	8.81	9.60	9.68	7.54	9.11
15	चायनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	11.25	7.60	12.44	10.70	13.35	11.17
16	चो हंग बैंक	13.87	8.81	8.80	9.86	7.11	10.38
17	सिटी बैंक एन. ए.	11.00	12.52	10.53	9.00	8.89	7.84
18	क्रेडिट एग्रीकोल इंडोसुएज	10.46	12.00	11.46	7.02	5.95	8.28
19	क्रेडिट लायोनेज	12.43	13.82	13.22	12.32	10.44	8.44
20	ड्यूश बैंक एजी	12.36	9.72	10.13	9.77	8.17	5.68
21	डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लि.	8.89	11.69	8.34	8.92	7.92	10.58
22	एचएसबीसी बैंक	8.50	8.30	7.84	8.29	7.83	7.08
23	आइएनजी बैंक एन वी	8.54	10.48	16.88	4.84	4.65	9.82
24	जेपी मॉर्गन चेस बैंक	4.62	8.56	5.17	8.43	6.32	4.78
25	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं.लि.	12.75	7.92	9.20	9.46	8.71	6.90
26	मशरेक बैंक पीएससी	13.13	10.78	9.90	8.36	11.18	12.16
27	मिझिओ कार्पोरेट बैंक लिमि.	6.92	10.75	7.75	10.64	8.39	8.40
28	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी	11.69	8.53	8.39	6.36	4.42	4.11
29	ओवरसी-चाइनीज बैंकिंग कार्पोरेशन लि.	6.72	9.09	9.56	10.00	8.21	5.56
30	सोसाइटे जनरेल	11.97	14.51	9.94	7.38	7.57	5.64
31	सोनाली बैंक	3.23	5.66	1.84	3.71	3.54	4.00
32	स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक	10.84	10.74	10.51	9.12	8.12	7.80
33	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	8.37	7.50	8.08	9.03	9.27	6.10
34	सुमितोमो मितसुइ बैंकिंग कार्पोरेशन	3.99	10.19	12.42	10.88	12.97	10.23
35	टोरोंटो-डोंमोनियन बैंक लि.	5.42	11.51	8.72	16.96	11.60	8.54
36	यूएफजे बैंक लि.	12.10	11.35	9.05	8.38	9.62	6.11
	भारत में विदेशी बैंक	**10.42**	**10.27**	**9.93**	**9.27**	**8.56**	**7.71**
	सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**9.27**	**9.18**	**8.97**	**8.88**	**8.26**	**8.28**

परिशिष्ट सारणी III.17 (उ): कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यय हुआ ब्याज - भारत में विदेशी बैंक

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8
1	एबीएन एमरो बैंक एनवी	6.42	5.94	4.83	6.24	5.49	4.01
2	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	7.51	6.67	8.88	5.56	9.11	8.78
3	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	6.84	7.78	7.20	5.77	5.78	6.62
4	एंटवेर्प डायमंड बैंक	—	—	—	—	—	1.24
5	अरब बांग्लादेश बैंक लि.	1.41	1.32	1.41	1.16	0.69	0.77
6	बैंक इंटरनेशनल इन्डोनेशिया	12.42	10.09	7.10	2.35	1.70	1.06
7	बैंक मस्केट एस.ए .ओ.जी.	—	0.94	3.76	7.85	6.64	5.45
8	बैंक ऑफ अमेरिका एनए	6.58	8.22	7.11	7.03	6.20	4.66
9	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	10.17	9.18	8.60	8.32	7.37	6.46
10	बैंक ऑफ सिलोन	3.79	4.67	3.61	4.58	3.90	3.80
11	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	6.83	8.16	5.48	6.57	6.32	6.83
12	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी लिमि.	8.28	6.59	6.68	4.30	3.92	4.45
13	बरक लैज बैंक पीएलसी	13.45	8.57	8.83	5.77	3.67	2.76
14	बी.एन.पी. परिबास	4.89	5.67	6.90	7.07	5.66	6.26
15	चायनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	3.74	4.33	8.50	6.48	7.14	4.20
16	चो हंग बैंक	2.53	1.62	0.92	1.65	0.97	3.24
17	सिटी बैंक एन. ए.	6.60	7.08	5.97	5.02	5.13	4.08
18	क्रेडिट एग्रीकोल इंडोसुएज	11.09	9.17	8.99	5.56	4.96	5.98
19	क्रेडिट लायोनेज	8.54	10.20	9.70	9.22	8.90	7.16
20	ड्यूश बैंक एजी	5.66	4.79	5.12	4.63	4.41	3.03
21	डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लि.	6.94	8.68	5.02	6.06	4.83	5.11
22	एचएसबीसी बैंक	5.12	5.61	5.09	5.33	5.21	4.20
23	आइएनजी बैंक एन वी	6.74	6.91	10.66	3.34	3.71	7.81
24	जेपी मॉर्गन चेस बैंक	4.23	9.49	4.40	5.48	3.01	1.25
25	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं.लि.	5.54	0.44	1.41	1.18	0.68	0.34
26	मशरेक बैंक पीएससी	7.95	8.43	7.67	7.26	8.96	8.74
27	मिझिओ कार्पोरेट बैंक लिमि.	1.98	5.99	6.00	7.65	6.18	5.74
28	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी	10.34	9.09	8.85	6.87	6.38	5.83
29	ओवरसी-चाइनीज बैंकिंग कार्पोरेशन लि.	0.67	1.86	2.38	1.40	0.54	0.00
30	सोसाइटे जनरेल	9.50	11.73	8.85	6.09	6.38	3.66
31	सोनाली बैंक	1.63	2.48	0.90	1.42	2.00	2.90
32	स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक	7.27	7.17	6.27	5.38	4.61	3.93
33	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	1.91	4.72	4.96	5.95	6.57	3.61
34	सुमितोमो मितसुइ बैंकिंग कार्पोरेशन	1.80	5.84	8.46	7.16	8.03	4.89
35	टोरोंटो-डोंमोनियन बैंक लि.	0.05	0.02	1.12	5.44	0.27	0.02
36	यूएफजे बैंक लि.	5.73	5.72	4.81	4.49	5.36	2.73
	भारत में विदेशी बैंक	**6.49**	**6.79**	**6.01**	**5.64**	**5.34**	**4.35**
	सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**6.32**	**6.41**	**6.25**	**6.03**	**5.70**	**5.51**

परिशिष्ट सारणी III.17 (ऊ): कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में निवल ब्याजगत आय (स्प्रेड) - भारत में विदेशी बैंक

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8
1	एबीएन एमरो बैंक एनवी	3.23	3.30	3.22	3.94	4.67	3.90
2	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	2.23	1.93	2.09	0.98	0.92	0.87
3	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	3.29	2.78	3.91	2.61	2.82	3.43
4	एंटवेर्प डायमंड बैंक	—	—	—	—	—	3.36
5	अरब बांग्लादेश बैंक लि.	3.62	5.49	5.82	6.61	5.50	3.89
6	बैंक इंटरनेशनल इन्डोनेशिया	5.43	2.75	2.77	2.81	2.57	3.42
7	बैंक मस्केट एस.ए .ओ.जी.	—	2.78	2.13	2.55	4.35	4.35
8	बैंक ऑफ अमेरिका एनए	3.98	4.41	4.65	3.28	2.93	2.59
9	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	0.92	1.11	1.55	1.64	1.18	1.72
10	बैंक ऑफ सिलोन	4.70	6.54	4.98	3.87	4.43	3.06
11	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	2.85	3.24	2.60	2.21	2.41	2.84
12	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी लिमि.	4.05	3.64	6.34	6.23	4.70	5.25
13	बरक लैज बैंक पीएलसी	2.78	3.58	2.37	1.55	0.94	1.14
14	बी.एन.पी. परिबास	3.24	3.14	2.70	2.61	1.88	2.85
15	चायनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	7.50	3.27	3.93	4.22	6.21	6.97
16	चो हंग बैंक	11.34	7.19	7.87	8.21	6.14	7.15
17	सिटी बैंक एन. ए.	4.39	3.44	4.55	3.98	3.76	3.76
18	क्रेडिट एग्रीकोल इंडोसुएज	-0.63	2.83	2.48	1.46	0.99	2.30
19	क्रेडिट लायोनेज	3.89	3.63	3.52	3.10	1.54	1.28
20	ड्यूश बैंक एजी	6.70	4.93	5.00	5.14	3.76	2.65
21	डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लि.	1.95	3.01	3.33	2.85	3.10	5.47
22	एचएसबीसी बैंक लि.	3.38	2.69	2.75	2.96	2.63	2.88
23	आइएनजी बैंक एन वी	1.81	3.56	6.22	1.50	0.94	2.01
24	जेपी मॉर्गन चेस बैंक	0.39	-0.92	0.77	2.95	3.30	3.53
25	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	7.21	7.48	7.79	8.28	8.03	6.56
26	मशरेक बैंक पीएससी	5.18	2.35	2.23	1.11	2.22	3.42
27	मिझिओ कार्पोरेट बैंक लिमि.	4.94	4.75	1.76	2.98	2.21	2.66
28	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	1.35	-0.57	-0.47	-0.51	-1.96	-1.72
29	ओवरसी-चाइनीज बैंकिंग कार्पोरेशन लि.	6.06	7.23	7.17	8.60	7.68	5.56
30	सोसाइटे जनरेल	2.47	2.78	1.09	1.29	1.19	1.97
31	सोनाली बैंक	1.60	3.18	0.94	2.29	1.55	1.10
32	स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक	3.57	3.57	4.24	3.74	3.51	3.87
33	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	6.46	2.78	3.12	3.08	2.70	2.50
34	सुमितोमो मितसुइ बैंकिंग कार्पोरेशन	2.20	4.35	3.96	3.72	4.94	5.35
35	टोरोंटो-डोंमोनियन बैंक लि.	5.37	11.49	7.60	11.52	10.80	8.52
36	यूएफजे बैंक लि.	6.37	5.63	4.24	3.89	4.27	3.37
	भारत में विदेशी बैंक	**3.93**	**3.47**	**3.92**	**3.63**	**3.22**	**3.36**
	सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**2.95**	**2.78**	**2.73**	**2.85**	**2.57**	**2.77**

परिशिष्ट सारणी III.17 (ए): कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रावधान व आकस्मिक देयताएँ - भारत में विदेशी बैंक

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8
1	एबीएन एमरो बैंक एनवी	1.79	1.47	1.47	3.11	1.96	1.57
2	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	2.15	2.11	1.98	0.91	0.43	0.52
3	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	1.38	1.54	1.73	2.42	3.53	4.26
4	एंटवेर्प डायमंड बैंक	—	—	—	—	—	0.73
5	अरब बांग्लादेश बैंक लि.	1.66	3.00	3.28	3.58	3.58	2.53
6	बैंक इंटरनेशनल इन्डोनेशिया	4.49	8.02	-1.65	-3.93	-0.01	-5.03
7	बैंक मस्केट एस.ए .ओ.जी.	—	0.00	0.17	0.22	1.62	1.26
8	बैंक ऑफ अमेरिका एनए	1.83	1.96	2.32	2.12	1.84	0.97
9	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	3.82	-0.04	0.84	0.68	1.48	1.17
10	बैंक ऑफ सिलोन	3.80	5.17	3.73	3.95	5.48	2.30
11	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	2.81	2.24	1.65	1.13	1.71	2.41
12	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी लिमि.	28.49	-23.03	-7.78	1.64	-1.03	-0.08
13	बरक लैज बैंक पीएलसी	2.16	1.68	1.55	-1.43	2.73	7.63
14	बी.एन.पी. परिबास	1.78	1.18	1.32	1.02	0.35	0.59
15	चायनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	1.36	0.62	0.86	1.40	3.21	2.11
16	चो हंग बैंक	4.23	2.97	6.73	5.23	3.02	4.97
17	सिटी बैंक एन. ए.	3.35	3.08	1.98	2.09	2.45	1.89
18	क्रेडिट एग्रीकोल इंडोसुएज	1.86	1.27	9.69	1.64	-0.49	0.87
19	क्रेडिट लायोनेज	4.67	2.90	2.51	3.30	1.95	0.83
20	ड्यूश बैंक एजी	4.58	3.37	4.09	4.02	2.15	3.01
21	डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लि.	1.96	1.54	1.58	1.35	1.47	2.44
22	एचएसबीसी बैंक लि.	2.42	1.38	1.45	1.58	1.63	1.53
23	आइएनजी बैंक एन वी	1.07	1.14	10.43	1.53	0.50	8.05
24	जेपी मॉर्गन चेस बैंक	2.62	2.26	2.96	5.25	5.11	2.09
25	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	2.87	1.90	3.31	2.73	4.35	3.47
26	मशरेक बैंक पीएससी	3.09	2.78	4.02	3.52	1.67	0.68
27	मिझिओ कार्पोरेट बैंक लिमि.	0.39	1.26	2.59	4.92	2.55	0.92
28	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	2.71	2.89	8.78	3.76	2.41	0.48
29	ओवरसी-चाइनीज बैंकिंग कार्पोरेशन लि.	0.16	0.67	4.51	3.43	-3.27	-0.24
30	सोसाइटे जनरेल	1.40	5.80	0.71	0.57	2.24	2.16
31	सोनाली बैंक	5.05	6.20	1.97	2.82	2.25	0.91
32	स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक	1.59	1.05	1.64	1.64	1.82	0.89
33	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	2.63	1.40	2.31	2.75	3.72	3.07
34	सुमितोमो मितसुइ बैंकिंग कार्पोरेशन	0.83	1.59	2.49	4.44	6.43	11.37
35	टोरोंटो-डोंमोनियन बैंक लि.	4.01	4.21	3.26	5.10	3.30	2.79
36	यूएफजे बैंक लि.	4.40	4.22	2.88	1.70	3.29	2.20
	भारत में विदेशी बैंक	**2.94**	**1.63**	**2.08**	**2.12**	**1.78**	**1.64**
	सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**1.02**	**0.98**	**1.00**	**1.03**	**1.19**	**1.39**

परिशिष्ट सारणी III.17 (ऐ): कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में परिचालनगत व्यय-भारत में विदेशी बैंक

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8
1	एबीएन एमरो बैंक एनवी	2.85	2.08	1.83	2.58	3.62	3.47
2	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	1.41	0.97	1.10	0.44	0.49	0.79
3	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	3.70	4.52	6.38	6.58	5.49	6.33
4	एंटवेर्प डायमंड बैंक	—	—	—	—	—	2.60
5	अरब बांग्लादेश बैंक लि.	2.53	1.95	2.08	2.40	1.89	2.23
6	बैंक इंटरनेशनल इन्डोनेशिया	6.81	12.25	15.03	11.49	3.85	7.27
7	बैंक मस्केट एस.ए .ओ.जी.	—	4.85	2.80	3.49	4.07	4.31
8	बैंक ऑफ अमेरिका एनए	1.83	1.94	3.26	1.60	1.76	1.50
9	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	1.54	1.82	1.75	1.75	1.39	1.71
10	बैंक ऑफ सिलोन	1.51	1.99	1.54	1.58	1.29	1.55
11	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	1.46	1.55	1.43	0.96	1.07	1.36
12	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी लिमि.	2.21	33.47	14.70	4.45	4.88	4.70
13	बरक लैज बैंक पीएलसी	6.52	3.60	3.67	2.81	1.87	2.67
14	बी.एन.पी. परिबास	1.96	2.19	2.32	2.82	3.59	4.01
15	चायनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	7.67	3.01	3.30	2.79	3.34	3.72
16	चो हंग बैंक	4.73	2.80	2.43	2.30	1.75	2.43
17	सिटी बैंक एन. ए.	3.83	3.53	3.88	3.15	3.52	3.32
18	क्रेडिट एग्रीकोल इंडोसुएज	2.38	2.99	3.78	2.27	1.62	1.96
19	क्रेडिट लायोनेज	2.32	1.80	2.07	1.73	2.06	2.55
20	ड्यूश बैंक एजी	3.38	3.42	3.89	3.90	3.43	2.80
21	डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लि.	2.78	2.18	1.70	1.58	1.53	2.36
22	एचएसबीसी बैंक लि.	2.71	2.80	2.35	2.61	2.63	2.94
23	आइएनजी बैंक एन वी	3.13	4.41	6.82	6.52	3.40	10.55
24	जेपी मॉर्गन चेस बैंक	7.50	11.11	5.60	5.36	7.24	2.72
25	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	6.08	5.00	4.65	4.41	4.33	4.25
26	मशरेक बैंक पीएससी	4.30	3.53	3.39	2.05	1.88	2.04
27	मिझिओ कार्पोरेट बैंक लिमि.	3.08	3.98	2.63	2.58	2.14	2.65
28	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	1.92	1.54	1.25	1.25	1.18	1.36
29	ओवरसी-चाइनीज बैंकिंग कार्पोरेशन लि.	7.21	5.80	5.33	5.96	15.84	6.19
30	सोसाइटे जनरेल	1.86	2.56	2.83	2.81	2.83	2.98
31	सोनाली बैंक	4.98	5.77	3.28	5.13	6.66	6.06
32	स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक	4.11	5.11	3.29	3.04	2.22	1.98
33	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	1.26	1.23	0.92	0.84	1.19	1.21
34	सुमितोमो मितसुइ बैंकिंग कार्पोरेशन	2.20	2.44	2.38	2.09	3.02	2.29
35	टोरोंटो-डोंमोनियन बैंक लि.	7.97	4.34	2.59	3.78	4.38	4.04
36	यूएफजे बैंक लि.	1.68	2.00	2.41	3.27	1.85	1.66
	भारत में विदेशी बैंक	**2.97**	**3.59**	**3.22**	**3.05**	**3.00**	**2.79**
	सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**2.63**	**2.67**	**2.50**	**2.64**	**2.19**	**2.24**

परिशिष्ट सारणी III.18: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निवेश घट-बढ़ प्रारक्षित (आइएफ़आर)

(यथा मार्चान्त)

(राशि करोड़ रुपये मे)

Sr. No.	बैंकों के नाम	2002				2003			
		निवेश		आइएफ़आर	आइएफ़आर को प्रतिशतता (एएफ़एस +एचएफ़टी)	निवेश		आयएफ़आर	(एएफ़एस +एचएफ़ टी) की प्रतिशतता में आइएफ़आर
		एएफ़एस	एचएफ़टी			एएफ़एस	एचएफ़टी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	इलाहाबाद बैंक	7,845.97	26.76	41.47	0.53	8,854.60	91.46	123.81	1.38
2	आंध्रा बैंक	5,846.75	132.42	59.79	1.00	7,801.39	275.76	201.94	2.50
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	20,384.43	0.72	256.84	1.26	27,049.53	3.40	567.54	2.10
4	बैंक ऑफ इंडिया	11,169.56	20.99	241.76	2.16	12,728.43	64.62	341.76	2.67
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	7,214.84	0.00	72.66	1.01	9,183.70	24.11	183.75	2.00
6	केनरा बैंक	15,200.13	717.75	169.15	1.06	23,295.86	415.11	468.15	1.97
7	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	14,025.94	605.59	115.39	0.79	17,927.71	0.00	250.39	1.40
8	कार्पोरेशन बैंक	5,996.79	429.28	89.76	1.40	8,662.18	273.41	231.44	2.59
9	देना बैंक	5,243.80	94.10	—	—	5,904.31	133.86	—	—
10	इंडियन बैंक	6,647.00	499.08	—	—	8,226.05	0.00	140.00	1.70
11	इंडियन ओवरसीज बैंक	12,539.26	0.00	53.95	0.43	15,267.41	62.65	256.15	1.67
12	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	9,986.95	29.85	120.50	1.20	11,212.95	0.00	240.50	2.14
13	पंजाब एंड सिंध बैंक	3,820.88	0.00	39.02	1.02	4,265.67	0.04	44.02	1.03
14	पंजाब नेशनल बैंक	22,022.39	106.30	310.12	1.40	24,292.77	379.23	500.13	2.03
15	सिंडीकेट बैंक	9,202.59	225.86	120.00	1.27	10,115.33	485.99	213.23	2.01
16	यूको बैंक	8,532.46	89.63	96.61	1.12	9,260.08	179.73	126.61	1.34
17	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	12,631.20	298.68	149.98	1.16	15,363.90	344.72	314.00	2.00
18	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	8,087.68	561.38	—	—	9,087.75	476.28	—	—
19	विजया बैंक	5,613.77	121.52	57.76	1.01	6,503.23	0.00	130.48	2.01
	राष्ट्रीयकृत बैंक	**1,92,012.39**	**3,959.91**	**1,994.76**	**1.02**	**2,35,002.85**	**3,210.37**	**4,333.90**	**1.82**
20	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	1,12,666.17	1,886.89	671.16	0.59	1,31,525.24	9,655.59	2,271.15	1.61
21	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	5,813.39	23.79	63.46	1.09	7,206.93	53.51	145.63	2.01
22	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	8,774.46	18.74	100.00	1.14	10,446.41	92.07	240.00	2.28
23	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	2,656.59	885.93	59.60	1.68	3,578.42	596.47	110.47	2.65
24	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	3,796.96	0.00	38.76	1.02	3,783.81	16.17	80.00	2.11
25	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	4,615.92	206.67	205.58	4.26	7,251.32	151.47	297.58	4.02
26	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	2,862.95	0.00	37.90	1.32	4,100.63	6.65	82.90	2.02
27	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	4,943.53	0.00	52.15	1.05	6,372.61	0.00	135.04	2.12
	स्टेट बैंक समूह	**1,46,129.97**	**3,022.02**	**1,228.61**	**0.82**	**1,74,265.38**	**10,571.93**	**3,362.77**	**1.82**
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	**3,38,142.36**	**6,981.93**	**3,223.37**	**0.93**	**4,09,268.23**	**13,782.30**	**7,696.67**	**1.82**

स्रोत : 1. एएफ़एस: बिक्री के लिए उपलब्ध
2. एचएफ़टी : व्यापार के लिए धारित
स्रोत : सम्बन्धित बैंकों के तुलन-पत्रक

परिशिष्ट सारणी III.19 (अ): सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक - कुल आस्तियों की प्रतिशतता के रूप में गैर-निष्पादक आस्तियां

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	सकल गैर-निष्पादक आस्तियां/कुल आस्तियां				निवल गैर-निष्पादक आस्तियां/कुल आस्तियां			
		1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	राष्ट्रीयकृत बैंक	**6.00**	**5.44**	**5.21**	**4.66**	**3.15**	**2.95**	**2.69**	**2.17**
1	इलाहाबाद बैंक	8.59	8.26	8.08	6.56	5.09	4.87	4.68	3.16
2	आंध्रा बैंक	2.89	2.31	2.50	2.35	1.23	1.07	1.13	0.84
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	6.65	6.61	6.33	5.45	2.88	2.92	2.70	2.22
4	बैंक ऑफ इंडिया	6.23	5.76	5.33	4.96	3.96	3.59	3.30	3.11
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	4.71	4.60	4.22	3.84	2.43	2.61	2.23	1.84
6	केनरा बैंक	4.29	3.23	2.93	3.02	2.28	2.02	1.79	1.77
7	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	6.87	6.88	6.42	5.68	3.76	3.87	3.23	2.74
8	कार्पोरेशन बैंक	2.58	2.46	2.49	2.50	0.89	0.87	1.07	0.76
9	देना बैंक	8.31	10.77	10.59	8.02	5.83	7.15	6.51	4.95
10	इंडियन बैंक	14.26	8.86	7.19	4.61	5.64	3.57	2.99	2.13
11	इंडियन ओवरसीज बैंक	5.88	5.39	5.13	4.61	3.21	3.03	2.70	2.22
12	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	2.15	2.16	2.95	3.37	1.37	1.47	1.41	0.66
13	पंजाब एंड सिंध बैंक	6.53	7.66	7.94	8.60	3.76	4.73	4.73	4.41
14	पंजाब नेशनल बैंक	5.78	5.45	5.68	5.78	3.54	2.95	2.48	1.77
15	सिंडीकेट बैंक	3.65	3.80	4.08	4.11	1.42	1.89	2.12	2.03
16	यूको बैंक	7.01	4.67	4.25	3.91	2.90	2.38	2.31	2.00
17	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	5.37	5.28	5.46	4.68	3.32	3.08	3.02	2.45
18	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	7.79	6.57	5.34	3.95	3.01	2.80	2.38	1.67
19	विजया बैंक	4.43	4.17	3.73	2.65	2.42	2.50	2.31	1.08
	स्टेट बैंक समूह	**5.88**	**5.11**	**4.39**	**3.48**	**2.60**	**2.35**	**2.00**	**1.58**
20	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	5.83	5.03	4.45	3.59	2.40	2.17	1.96	1.64
21	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	6.20	5.15	3.77	3.22	3.64	2.95	2.21	1.56
22	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	6.03	5.84	4.06	2.83	2.86	3.01	1.89	1.21
23	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	5.06	3.95	3.25	2.60	3.42	2.46	1.56	1.21
24	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	6.64	6.17	6.03	4.96	3.64	3.58	3.49	2.41
25	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	5.41	4.85	3.62	2.51	2.84	2.35	1.47	0.75
26	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	6.23	6.62	4.73	3.26	3.34	3.06	2.17	1.51
27	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	6.52	5.23	4.41	3.34	3.63	3.42	2.58	1.47
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	**5.95**	**5.31**	**4.89**	**4.21**	**2.94**	**2.72**	**2.42**	**1.94**

स्रोत : 1. सम्बन्धित बैंकों के तुलन-पत्रक
2. सम्बन्धित बैंकों के प्राप्त विवरणियाँ

परिशिष्ट सारणी III.19 (आ) : सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक - अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में कार्य-निष्पादन रहित आस्तियाँ

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	सकल गैर-निष्पादक आस्तियां/कुल आस्तियां				निवल गैर-निष्पादक आस्तियां/कुल आस्तियां			
		1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	राष्ट्रीयकृत बैंक	**13.91**	**12.16**	**11.01**	**9.72**	**7.80**	**7.01**	**6.01**	**4.77**
1	इलाहाबाद बैंक	19.07	17.66	16.94	13.65	12.17	11.21	10.55	7.07
2	आंध्रा बैंक	7.85	6.13	5.26	4.89	3.47	2.95	2.45	1.79
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	14.73	14.11	12.39	11.02	6.95	6.77	5.68	4.81
4	बैंक ऑफ इंडिया	12.89	10.25	9.37	8.55	8.61	6.72	6.01	5.59
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	12.65	12.35	10.44	9.55	6.97	7.41	5.81	4.83
6	केनरा बैंक	9.60	7.48	6.22	5.96	5.28	4.84	3.89	3.59
7	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	16.63	16.06	14.70	13.06	9.84	9.72	7.98	6.74
8	कार्पोरेशन बैंक	5.39	5.40	5.19	5.27	1.91	1.98	2.31	1.65
9	देना बैंक	18.17	25.31	24.11	17.86	13.81	18.29	16.31	11.82
10	इंडियन बैंक	32.77	21.76	17.86	12.39	16.18	10.07	8.28	6.15
11	इंडियन ओवरसीज बैंक	13.18	11.81	11.35	10.29	7.65	7.01	6.32	5.23
12	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	5.54	5.21	6.57	6.94	3.61	3.59	3.21	1.44
13	पंजाब एंड सिंध बैंक	15.27	18.45	18.19	19.25	9.40	12.27	11.68	10.85
14	पंजाब नेशनल बैंक	13.19	11.71	11.38	11.58	8.52	6.69	5.27	3.80
15	सिंडीकेट बैंक	7.74	7.87	8.35	8.32	3.17	4.07	4.53	4.29
16	यूको बैंक	18.79	11.64	9.59	8.24	8.75	6.30	5.65	4.38
17	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	12.27	11.20	10.77	8.96	7.97	6.86	6.26	4.91
18	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	27.63	21.51	16.16	12.15	12.85	10.47	7.94	5.52
19	विजया बैंक	11.52	10.00	9.39	6.18	6.62	6.22	6.02	2.61
	स्टेट बैंक समूह	**14.08**	**12.73**	**11.23**	**8.68**	**6.77**	**6.27**	**5.45**	**4.12**
20	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	14.25	12.93	11.95	9.34	6.41	6.03	5.64	4.49
21	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	16.18	12.91	9.36	8.15	10.14	7.83	5.77	4.16
22	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	14.18	14.08	10.08	7.28	7.30	7.83	4.96	3.26
23	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	10.80	9.16	7.18	5.53	7.55	5.91	3.58	2.66
24	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	13.89	12.83	12.07	10.14	8.12	7.88	7.36	5.19
25	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	10.99	9.66	6.94	4.80	6.09	4.92	2.94	1.49
26	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	13.71	14.57	10.18	7.32	7.86	6.87	4.95	3.53
27	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	14.43	11.38	9.41	6.67	8.80	7.75	5.72	3.05
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	**13.98**	**12.37**	**11.09**	**9.36**	**7.42**	**6.74**	**5.82**	**4.54**

स्रोत : 1. सम्बन्धित बैंकों के तुलन-पत्रक
2. सम्बन्धित बैंकों के प्राप्त विवरणियाँ

परिशिष्ट सारणी III.19 (इ) : निजी क्षेत्र के बैंक - कुल आस्तियों की प्रतिशतता के रूप में गैर-निष्पादक आस्तियाँ

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	सकल गैर-निष्पादक आस्तियां/कुल आस्तियां				निवल गैर-निष्पादक आस्तियां/कुल आस्तियां			
		1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	**5.22**	**5.14**	**5.20**	**4.35**	**3.27**	**3.28**	**3.23**	**2.61**
1	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	9.13	8.22	6.92	4.34	4.28	3.28	3.61	2.46
2	भारत ओवरसीज बैंक लि.	5.07	3.33	3.91	3.30	2.72	1.76	1.87	1.56
3	कैथालिक सिरियन बैंक लिमिटेड	7.05	6.31	5.47	5.24	4.88	4.22	3.45	3.03
4	सिटी यूनियन बैंक लि.	6.54	6.96	6.31	6.56	3.62	3.91	3.72	3.77
5	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	3.70	4.18	5.14	5.89	2.88	3.20	3.57	4.37
6	धनलक्ष्मी बैंक लि.	7.38	7.96	7.73	7.03	5.38	6.00	5.80	4.98
7	फेडरल बैंक लि.	6.45	7.28	6.29	4.33	4.54	5.55	4.39	2.52
8	गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड लि.	6.94	6.77	8.80	9.56	5.19	4.84	6.53	6.27
9	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	6.70	2.12	1.91	1.75	4.02	2.03	1.89	1.72
10	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	2.25	1.91	1.61	1.51	1.07	0.92	0.82	0.76
11	कर्नाटक बैंक लि.	3.89	4.81	4.81	5.81	2.44	2.93	2.59	3.09
12	करुर वैश्य बैंक लि.	3.06	3.88	4.42	4.13	1.81	2.52	3.03	2.25
13	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	4.18	5.62	7.71	6.60	2.67	3.66	5.00	3.93
14	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	8.36	7.27	6.07	4.54	6.52	5.36	4.72	3.12
15	नैनीताल बैंक लि.	2.05	1.71	1.81	1.43	0.17	0.00	0.00	0.00
16	रत्नाकर बैंक लि.	4.85	4.72	5.34	5.30	3.27	3.12	3.40	3.12
17	सांगली बैंक लि.	5.18	4.70	4.07	4.13	2.41	2.20	1.93	2.15
18	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंट. बैंक लि.	10.76	15.52	12.94	14.76	7.27	10.23	8.14	6.23
19	साउथ इंडियन बैंक लि.	5.90	4.93	5.12	4.53	3.92	3.36	3.38	2.83
20	तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि.	4.63	6.66	7.59	7.21	2.34	2.58	2.75	3.59
21	युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	3.20	5.92	7.58	7.50	2.36	4.41	5.55	5.01
	निजी क्षेत्र के नये बैंक	**1.60**	**2.05**	**3.90**	**3.76**	**1.08**	**1.18**	**2.10**	**2.16**
22	बैंक ऑफ पंजाब लि.	1.42	1.59	2.36	3.96	0.94	0.93	1.22	3.01
23	सेंच्यूरियन बैंक लि.	2.67	2.63	5.56	6.75	1.37	1.21	2.44	3.07
24	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि.	0.65	2.52	5.89	11.95	0.37	1.62	3.83	8.45
25	एचडीएफसी बैंक लि.	1.04	0.94	0.94	0.87	0.32	0.13	0.14	0.14
26	आइसीआइसीआइ बैंक लि.	0.78	2.07	4.82	4.71	0.46	0.78	2.48	2.60
27	आइडीबीआई बैंक लि.	0.81	2.44	1.85	1.45	0.69	1.83	1.03	0.65
28	इंडसइंड बैंक लि.	3.32	3.03	4.09	2.69	2.75	2.57	3.60	2.30
29	कोटक महीन्द्र बैंक लि.	—	—	—	0.70	—	—	—	0.06
30	यूटीआइ बैंक लि.	2.90	2.10	1.96	1.17	2.48	1.68	1.29	0.83
	निजी क्षेत्र के बैंक	**3.61**	**3.65**	**4.36**	**3.97**	**2.30**	**2.27**	**2.49**	**2.32**

स्रोत : 1. संबंधित बैंकों के तुलन - पत्र
2. संबंधित बैंकों से प्राप्त विवरणियां

परिशिष्ट सारणी III.19 (ई) : निजी क्षेत्र के बैंक - कुल आस्तियों की प्रतिशतता के रूप में गैर-निष्पादक आस्तियाँ

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	सकल गैर-निष्पादक आस्तियां/कुल आस्तियां				निवल गैर-निष्पादक आस्तियां/कुल आस्तियां			
		1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	**10.78**	**10.94**	**11.01**	**8.90**	**7.06**	**7.30**	**7.13**	**5.54**
1	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	18.55	17.20	15.73	11.39	9.86	7.62	8.86	6.80
2	भारत ओवरसीज बैंक लि.	11.29	7.58	8.77	6.75	6.39	4.14	4.38	3.30
3	कैथालिक सिरियन बैंक लिमिटेड	16.99	14.24	14.88	13.01	12.41	9.99	9.91	7.95
4	सिटी यूनियन बैंक लि.	12.40	13.69	13.20	13.47	7.25	8.18	8.20	8.16
5	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	7.40	7.84	9.29	9.56	5.86	6.13	6.61	7.76
6	धनलक्ष्मी बैंक लि.	14.58	14.77	15.29	13.18	11.08	11.55	11.94	9.71
7	फेडरल बैंक लि.	11.75	12.84	11.88	8.21	8.56	10.09	8.59	4.95
8	गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड लि.	12.49	13.63	18.08	18.42	9.94	10.12	14.08	12.90
9	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	14.33	4.70	4.64	3.61	9.13	4.77	4.59	3.55
10	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	6.53	4.97	3.62	3.11	3.21	2.46	1.88	1.59
11	कर्नाटक बैंक लि.	8.82	10.58	10.43	12.99	5.73	6.93	5.88	7.34
12	करुर वैश्य बैंक लि.	6.20	7.14	8.97	7.46	3.76	4.73	6.30	4.16
13	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	8.18	9.61	13.42	11.47	5.37	6.46	9.10	7.11
14	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	17.19	16.74	12.32	8.96	13.94	12.92	9.85	6.33
15	नैनीताल बैंक लि.	9.33	7.92	8.68	6.11	0.80	0.00	0.00	0.00
16	रत्नाकर बैंक लि.	12.37	11.03	12.88	11.96	8.71	7.58	8.60	7.42
17	सांगली बैंक लि.	14.95	13.21	11.80	12.45	7.56	6.61	5.95	6.87
18	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंट. बैंक लि.	19.38	30.38	32.72	38.48	13.97	22.56	23.38	20.85
19	साउथ इंडियन बैंक लि.	12.50	10.12	10.05	9.27	8.67	7.10	6.87	5.96
20	तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि.	10.80	14.69	16.47	16.06	5.77	5.99	6.63	8.66
21	युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	6.45	12.00	14.08	13.58	4.82	9.22	10.72	9.50
	निजी क्षेत्र के नये बैंक	**4.14**	**5.13**	**8.86**	**7.64**	**2.88**	**3.09**	**4.94**	**4.63**
22	बैंक ऑफ पंजाब लि.	3.44	3.88	5.49	9.23	2.32	2.31	2.93	7.17
23	सेंच्यूरियन बैंक लि.	7.28	7.34	12.66	15.88	3.87	3.52	6.09	7.92
24	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि.	1.52	5.70	13.52	25.84	0.87	3.75	9.23	19.77
25	एचडीएफसी बैंक लि.	3.32	2.81	3.18	2.22	1.10	0.45	0.50	0.37
26	आइसीआइसीआइ बैंक लि.	2.54	5.42	10.23	8.72	1.53	2.19	5.48	5.21
27	आइडीबीआई बैंक लि.	2.26	6.84	3.89	2.62	1.96	5.24	2.21	1.20
28	इंडसइंड बैंक लि.	6.97	6.13	7.41	4.94	5.98	5.25	6.59	4.25
29	कोटक महीन्द्र बैंक लि.	—	—	—	1.20	—	—	—	0.11
30	यूटीआइ बैंक लि.	5.47	4.64	5.18	3.16	4.71	3.76	3.46	2.26
	निजी क्षेत्र के बैंक	**8.17**	**8.37**	**9.64**	**8.08**	**5.41**	**5.44**	**5.73**	**4.95**

स्रोत : 1. संबंधित बैंकों के तुलन - पत्र
2. संबंधित बैंकों से प्राप्त विवरणियां

परिशिष्ट सारणी III.19 (उ) : विदेशी बैंक - कुल आस्तियों की प्रतिशतता के रूप में गैर-निष्पादक आस्तियाँ

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	सकल गैर-निष्पादक आस्तियां/कुल आस्तियां				निवल गैर-निष्पादक आस्तियां/कुल आस्तियां			
		1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	एबीएन एमरो बैंक एनवी	0.53	1.45	2.11	1.86	0.16	0.62	0.81	0.89
2	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	2.99	1.17	3.28	2.75	0.75	0.27	2.18	1.39
3	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	2.41	4.59	6.98	8.19	1.41	2.24	3.35	3.26
4	ऑण्टवर्प बैंक लि.	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
5	अरब बांग्लादेश बैंक लि.	1.01	0.96	1.01	0.84	0.58	0.49	0.35	0.28
6	बैंक इंटरनेशनल इन्डोनेशिया	24.94	33.75	40.44	33.19	7.63	6.42	6.19	3.25
7	बैंक मस्केट एस ए ओ जी	0.42	0.54	1.39	6.26	0.35	0.34	0.59	4.09
8	बैंक ऑफ अमेरिका एनए	1.51	1.33	1.63	0.70	1.21	0.45	0.46	0.04
9	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	7.90	7.44	5.80	7.28	3.52	5.91	4.79	5.75
10	बैंक ऑफ सिलोन	16.93	26.79	19.98	19.76	14.51	20.01	13.40	12.29
11	बैंक औफ नोवा स्कॉटिया	1.87	1.72	2.34	7.08	0.79	1.34	1.76	5.41
12	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी लिमि.	4.78	2.94	0.00	0.12	1.10	0.00	0.00	0.03
13	बरक लैज बैंक पीएलसी	4.52	0.00	0.42	0.55	0.00	0.00	0.31	0.00
14	बी.एन.पी. परिबास	0.75	1.30	1.59	3.31	0.02	0.25	0.67	1.97
15	चायनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	2.55	2.79	1.25	0.38	2.19	2.13	0.00	0.00
16	चो हंग बैंक	0.48	0.54	0.46	0.48	0.33	0.38	0.26	0.24
17	सिटी बैंक एन. ए.	0.85	0.65	0.50	0.98	0.49	0.34	0.21	0.58
18	क्रेडिट एग्रीकोल इंडोसुएज	22.64	15.19	10.51	12.55	1.59	0.46	0.11	0.12
19	क्रेडिट लायोनेज	3.03	3.64	4.12	3.20	1.61	1.76	2.14	1.64
20	ड्यूश बैंक एजी	4.90	2.74	1.26	0.70	2.02	0.47	0.13	0.00
21	डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लि.	0.00	0.00	0.07	7.48	0.00	0.00	0.00	5.92
22	एचएसबीसी लि.	3.48	2.76	2.33	2.08	0.35	0.38	0.93	0.40
23	आइएनजी बैंक एन वी	11.58	9.12	4.82	11.80	4.50	0.86	3.62	0.00
24	जेपी मॉर्गन चेस बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं.लि.	0.00	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00	7.76	0.00
26	मशरेक बैंक पीएससी	18.68	12.67	3.81	4.59	7.17	2.92	0.00	0.00
27	मिझिओ कार्पोरेट बैंक लिमि.	8.97	9.29	9.44	8.12	6.23	2.00	3.08	0.46
28	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी	38.94	45.09	25.14	30.34	11.14	7.17	3.04	2.05
29	ओवरसी-चाइनीज बैंकिंग कार्पोरेशन लि.	7.07	7.70	8.26	8.89	4.79	3.75	7.29	7.84
30	सोसाइटे जनरेल	5.67	4.23	1.92	2.50	3.01	2.07	0.14	0.00
31	सोनाली बैंक	0.23	0.33	0.79	1.13	0.23	0.33	0.00	0.38
32	स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक	3.98	3.42	1.59	1.46	0.96	0.64	0.18	0.14
33	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	5.65	9.52	9.19	11.41	5.09	8.24	7.06	8.80
34	सुमितोमो मितसुइ बैंकिंग कार्पोरेशन	12.17	12.35	24.89	37.55	11.10	4.04	9.38	9.74
35	टोरोंटो-डोंमोनियन बैंक लि.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	यूएफजे बैंक लि.	16.04	10.91	13.51	5.39	12.24	5.83	6.88	4.15
	भारत में विदेशी बैंक	**3.16**	**3.04**	**2.41**	**2.43**	**1.03**	**0.77**	**0.81**	**0.79**

स्रोत : 1. संबंधित बैंकों के तुलन - पत्र
2. संबंधित बैंकों से प्राप्त विवरणियां

परिशिष्ट सारणी III.19 (ऊ) : विदेशी बैंक - अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में गैर-निष्पादक आस्तियाँ

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	सकल गैर-निष्पादक आस्तियां/कुल आस्तियां				निवल गैर-निष्पादक आस्तियां/कुल आस्तियां			
		1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	एबीएन एमरो बैंक एनवी	1.00	2.84	3.43	3.15	0.31	1.22	1.34	1.53
2	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	7.92	7.80	18.89	17.53	2.12	1.92	13.43	9.67
3	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	7.14	11.92	14.56	19.29	4.32	6.05	7.56	8.69
4	ऑण्टवर्प बैंक लि.	—	—	—	0.00	—	—	—	0.00
5	अरब बांग्लादेश बैंक लि.	10.08	7.72	3.91	4.49	5.78	4.09	1.35	1.50
6	बैंक इंटरनेशनल इन्डोनेशिया	75.70	100.00	91.23	64.62	48.85	50.75	61.40	15.18
7	बैंक मस्केट एस ए ओ जी	—	1.26	2.56	10.51	—	0.80	1.10	7.12
8	बैंक ऑफ अमेरिका एनए	2.33	2.03	2.68	1.03	1.88	0.68	0.80	0.05
9	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	15.76	13.26	13.23	13.77	7.72	11.51	11.40	11.26
10	बैंक ऑफ सिलोन	27.92	39.09	31.87	36.08	25.86	34.15	23.88	25.98
11	बैंक औफ नोवा स्कॉटिया	2.69	2.61	3.58	11.02	1.16	2.04	2.72	8.64
12	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी लिमि.	9.88	5.15	0.00	0.30	2.46	0.01	0.00	0.09
13	बरक लैज बैंक पीएलसी	23.40	0.00	43.58	64.01	Nil	0.00	36.06	0.00
14	बी.एन.पी. परिबास	2.47	3.21	3.60	6.17	0.08	0.64	1.54	3.77
15	चायनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	5.58	4.86	2.60	0.65	4.83	3.75	0.00	0.00
16	चो हंग बैंक	2.08	1.31	0.84	0.98	1.45	0.91	0.47	0.48
17	सिटी बैंक एन. ए.	1.81	1.35	0.93	1.94	1.05	0.71	0.40	1.17
18	क्रेडिट एग्रीकोल इंडोसुएज	48.12	28.68	25.21	34.89	6.13	1.21	0.36	0.51
19	क्रेडिट लायोनेज	7.38	6.89	7.09	6.70	4.07	3.47	3.84	3.59
20	ड्यूश बैंक एजी	12.02	6.71	3.52	2.49	5.33	1.23	0.38	0.00
21	डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लि.	Nil	0.00	0.16	12.65	Nil	0.00	0.00	10.37
22	एचएसबीसी लि.	9.39	6.64	5.51	5.09	1.04	0.96	2.27	1.03
23	आइएनजी बैंक एन वी	28.24	40.02	32.79	44.13	13.26	5.94	26.82	0.00
24	जेपी मॉर्गन चेस बैंक	Nil	0.00	0.00	0.00	Nil	0.00	0.00	0.00
25	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं.लि.	Nil	0.00	37.82	0.00	Nil	0.00	35.43	0.00
26	मशरेक बैंक पीएससी	40.17	40.18	17.87	31.32	20.48	13.40	0.00	0.00
27	मिझिओ कार्पोरेट बैंक लिमि.	14.17	13.47	13.26	11.99	10.28	3.24	4.75	0.76
28	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी	64.03	78.79	85.46	91.50	33.79	37.12	41.53	42.13
29	ओवरसी-चाइनीज बैंकिंग कार्पोरेशन लि.	18.81	31.71	87.37	73.70	12.74	18.45	100.00	100.00
30	सोसाइटे जनरेल	15.14	13.80	6.71	13.89	8.66	7.27	0.52	0.00
31	सोनाली बैंक	3.43	4.17	2.95	6.49	3.55	4.35	0.00	2.26
32	स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक	7.94	7.59	3.44	3.17	2.04	1.53	0.40	0.31
33	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	8.63	18.39	17.46	17.67	8.06	16.18	14.02	14.20
34	सुमितोमो मितसुइ बैंकिंग कार्पोरेशन	17.60	55.79	37.63	49.40	16.34	19.12	18.52	20.21
35	टोरोंटो-डोंमोनियन बैंक लि.	0.00	0.00	0.00	0.00	Nil	0.00	0.00	0.00
36	यूएफजे बैंक लि.	21.75	16.60	22.20	10.87	17.67	9.61	12.69	8.60
	भारत में विदेशी बैंक	**6.99**	**6.84**	**5.38**	**5.22**	**2.41**	**1.82**	**1.89**	**1.76**

स्रोत : 1. सम्बन्धित बैंकों के तुलन-पत्रक
2. सम्बन्धित बैंकों से प्राप्त विवरणियाँ

परिशिष्ट सारणी III.20 (अ) : सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अग्रिमों के क्षेत्रवार गैर-निष्पादक आस्तियां

(मार्च 2003 के अंत को)

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	कृषि		लघु		अन्य		प्राथमिकता		सार्वजनिक क्षेत्र		गैर-प्राथमिकता		कुल
		राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5+7)	10	11	12	13	14	15 (9+11+1 3)
	राष्ट्रीयकृत बैंक	**4,733.83**	**13.20**	**7,096.73**	**19.80**	**5,054.96**	**14.10**	**16,885.52**	**47.10**	**561.33**	**1.57**	**18,401.97**	**51.33**	**35,848.82**
1	इलाहाबाद बैंक	229.42	12.46	268.72	14.59	274.83	14.92	772.97	41.98	7.60	0.41	1,060.93	57.61	1,841.50
2	आंध्रा बैंक	93.93	16.18	127.94	22.03	90.89	15.65	312.76	53.86	—	—	267.94	46.14	580.70
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	591.64	15.13	736.36	18.83	345.73	8.84	1,673.73	42.81	0.05	0.00	2,236.18	57.19	3,909.96
4	बैंक ऑफ इंडिया	492.20	14.08	639.19	18.29	366.81	10.50	1,498.20	42.87	23.51	0.67	1,973.22	56.46	3,494.93
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	200.12	20.90	208.23	21.75	165.93	17.33	574.28	59.97	—	—	383.26	40.03	957.54
6	केनरा बैंक	372.20	15.55	579.23	24.20	348.91	14.58	1,300.34	54.33	11.12	0.46	1,081.89	45.20	2,393.35
7	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	441.10	13.60	746.75	23.02	533.19	16.44	1,721.04	53.06	123.00	3.79	1,399.41	43.15	3,243.45
8	कार्पोरेशन बैंक	84.37	12.84	81.44	12.39	105.56	16.06	271.37	41.28	20.79	3.16	365.18	55.55	657.34
9	देना बैंक	141.30	8.74	317.72	19.65	275.01	17.01	734.03	45.41	3.02	0.19	879.54	54.41	1,616.59
10	इंडियन बैंक	183.38	11.87	368.16	23.83	203.94	13.20	755.48	48.90	3.21	0.21	786.26	50.89	1,544.95
11	इंडियन ओवरसीज बैंक	188.72	10.72	354.73	20.16	145.93	8.29	689.38	39.18	104.26	5.92	966.05	54.90	1,759.69
12	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	123.52	10.78	277.03	24.17	99.82	8.71	500.37	43.65	5.11	0.45	640.78	55.90	1,146.26
13	पंजाब एंड सिंध बैंक	123.73	9.92	182.76	14.65	268.65	21.53	575.14	46.09	20.49	1.64	652.26	52.27	1,247.89
14	पंजाब नेशनल बैंक	512.23	10.29	929.91	18.67	597.77	12.00	2,039.91	40.96	35.72	0.72	2,904.43	58.32	4,980.06
15	सिंडीकेट बैंक	220.22	15.55	278.64	19.67	207.13	14.63	705.99	49.85	136.79	9.66	573.44	40.49	1,416.22
16	यूको बैंक	172.86	14.33	196.26	16.27	227.14	18.83	596.26	49.43	17.12	1.42	592.78	49.15	1,206.16
17	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	294.97	12.35	538.11	22.54	360.00	15.08	1,193.08	49.97	1.19	0.05	1,193.34	49.98	2,387.61
18	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	184.00	19.19	188.00	19.60	258.00	26.90	630.00	65.69	48.19	5.02	280.89	29.29	959.08
19	विजया बैंक	83.92	16.60	77.55	15.34	179.72	35.55	341.19	67.49	0.16	0.03	164.19	32.48	505.54
	स्टेट बैंक समूह	**2,973.52**	**17.53**	**3,064.80**	**18.07**	**2,014.52**	**11.88**	**8,052.84**	**47.49**	**525.82**	**3.10**	**8,379.44**	**49.41**	**16,958.10**
22	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	93.33	16.08	136.96	23.60	98.27	16.93	328.56	56.62	26.68	4.60	225.05	38.78	580.29
20	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	123.89	16.75	144.81	19.57	109.26	14.77	377.96	51.09	43.95	5.94	317.93	42.97	739.84
21	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	2,369.39	17.87	2,302.57	17.37	1,499.27	11.31	6,171.23	46.55	381.20	2.88	6,704.84	50.57	13,257.27
23	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	68.53	23.21	52.03	17.62	56.66	19.19	177.22	60.02	—	—	118.03	39.98	295.25
24	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	98.19	17.47	101.95	18.14	70.64	12.57	270.78	48.18	12.65	2.25	278.57	49.57	562.00
25	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	66.59	12.47	100.91	18.90	53.72	10.06	221.22	41.44	22.12	4.14	290.51	54.42	533.85
26	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	72.32	20.41	113.93	32.15	38.07	10.74	224.32	63.31	20.15	5.69	109.87	31.01	354.34
27	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	81.28	12.79	111.64	17.57	88.63	13.95	281.55	44.32	19.07	3.00	334.64	52.68	635.26
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	**7,707.35**	**14.60**	**10,161.53**	**19.24**	**7,069.48**	**13.39**	**24,938.36**	**47.23**	**1,087.15**	**2.06**	**26,781.41**	**50.72**	**52,806.92**

नोट : सम्बन्धित बैंकों के देशी परिचालन पर आधारित डाटा

स्रोत : स्थलेतर विवरणियों पर आधारित

परिशिष्ट सारणी III.20 (आ): भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों के क्षेत्रवार एनपीए

(मार्च 2003 के अंत को)

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	कृषि		लघु		अन्य		प्राथमिकता		सार्वजनिक क्षेत्र		गैर - प्राथमिकता		कुल
		राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5+7)	10	11	12	13	14	15 (9+11+1 3)
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	**299.97**	**6.47**	**846.87**	**18.27**	**615.06**	**13.27**	**1,761.90**	**38.00**	**8.40**	**0.18**	**2,865.75**	**61.81**	**4,636.05**
1	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	17.75	6.67	19.28	7.25	29.80	11.20	66.83	25.12	—	—	199.25	74.88	266.08
2	भारत ओवरसीज बैंक लि.	6.22	7.77	17.12	21.39	4.06	5.07	27.40	34.23	—	—	52.65	65.77	80.05
3	कैथालिक सिरियन बैंक लिमिटेड	5.23	2.59	44.35	21.92	47.40	23.43	96.98	47.94	—	—	105.32	52.06	202.30
4	सिटी यूनियन बैंक लि.	4.95	2.87	47.43	27.51	12.61	7.31	64.99	37.70	—	—	107.42	62.30	172.41
5	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	2.60	1.00	85.93	33.09	24.54	9.45	113.07	43.54	—	—	146.64	56.46	259.71
6	धनलक्ष्मी बैंक लि.	1.63	1.10	13.62	9.19	27.68	18.68	42.93	28.98	—	—	105.23	71.02	148.16
7	फेडरल बैंक लि.	51.18	9.69	82.47	15.62	98.86	18.72	232.51	44.04	8.27	1.57	287.21	54.40	527.99
8	गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड लि.	1.72	8.90	2.60	13.45	2.65	13.71	6.97	36.06	—	—	12.36	63.94	19.33
9	ING Vysya Bank Ltd.	60.71	29.93	22.79	11.23	68.37	33.70	151.87	74.86	0.13	0.06	50.87	25.08	202.87
10	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	14.73	5.82	54.42	21.49	51.35	20.28	120.50	47.59	—	—	132.72	52.41	253.22
11	कर्नाटक बैंक लि.	30.53	5.67	94.15	17.50	30.49	5.67	155.17	28.84	—	—	382.84	71.16	538.01
12	करुर वैश्य बैंक लि.	5.66	2.22	63.79	24.97	13.72	5.37	83.17	32.56	—	—	172.30	67.44	255.47
13	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	11.32	5.36	56.83	26.92	22.97	10.88	91.12	43.16	—	—	120.00	56.84	211.12
14	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	1.87	2.22	7.51	8.90	2.08	2.47	11.46	13.58	—	—	72.90	86.42	84.36
15	नैनीताल बैंक लि.	1.64	14.96	2.10	19.16	4.32	39.42	8.06	73.54	—	—	2.90	26.46	10.96
16	रत्नाकर बैंक लि.	2.65	6.76	8.53	21.74	8.08	20.60	19.26	49.10	—	—	19.97	50.90	39.23
17	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंट. बैंक लि.	—	—	3.61	4.15	—	—	3.61	4.15	—	—	83.31	95.85	86.92
18	सांगली बैंक लि.	18.15	24.20	14.53	19.37	6.40	8.53	39.08	52.10	—	—	35.93	47.90	75.01
19	साउथ इंडियन बैंक	18.05	4.35	66.58	16.06	37.18	8.97	121.81	29.38	—	—	292.76	70.62	414.57
20	तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि.	14.62	4.29	87.59	25.72	76.44	22.45	178.65	52.46	—	—	161.91	47.54	340.56
21	युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	28.76	6.42	51.64	11.53	46.06	10.29	126.46	28.25	—	—	321.26	71.75	447.72
	निजी क्षेत्र के नये बैंक	**236.81**	**3.28**	**414.99**	**5.74**	**31.70**	**0.44**	**683.50**	**9.45**	**86.11**	**1.19**	**6,460.77**	**89.36**	**7,230.38**
22	बैंक ऑफ पंजाब लि.	1.16	0.68	13.67	8.06	2.10	1.24	16.93	9.98	—	—	152.68	90.02	169.61
23	सेंच्यूरियन बैंक लि.	—	—	—	—	9.69	—	9.69	4.24	—	—	218.74	95.76	228.43
24	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि.	8.41	0.92	196.51	21.46	—	—	204.92	22.38	—	—	710.90	77.62	915.82
25	एचडीएफसी बैंक लि.	1.66	0.63	29.65	11.30	—	—	31.31	11.94	—	—	230.97	88.06	262.28
26	आइसीआइसीआइ बैंक लि.	219.14	4.36	124.81	2.48	0.51	0.01	344.46	6.85	86.11	1.71	4,596.81	91.44	5,027.38
27	आइडीबीआई बैंक लि.	—	—	3.96	3.44	8.13	7.06	12.09	10.50	—	—	103.08	89.50	115.17
28	इंडसइंड बैंक लि.	1.04	0.39	37.15	13.95	4.95	1.86	43.14	16.20	—	—	223.14	83.80	266.28
29	कोटक महीन्द्र बैंक लि.	—	—	—	—	5.89	35.74	5.89	35.74	—	—	10.59	64.26	16.48
30	यूटीआइ बैंक लि.	5.40	2.36	9.24	4.04	0.43	0.19	15.07	6.58	—	—	213.86	93.42	228.93
	निजी क्षेत्र के बैंक	**536.78**	**4.52**	**1,261.86**	**10.63**	**646.76**	**5.45**	**2,445.40**	**20.61**	**94.51**	**0.80**	**9,326.52**	**78.60**	**11,866.43**

नोट : डाटा सम्बन्धित बैंको के देशी परिचालन पर आधारित ।

स्रोत : स्थलेतर विवरणियों पर आधारित ।

परिशिष्ट सारणी III.21 (अ): पूंजीपर्याप्तता अनुपात-सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7
	राष्ट्रीयकृत बैंक					
1	इलाहाबाद बैंक	10.38	11.51	10.50	10.62	11.15
2	आंध्रा बैंक	11.02	13.36	13.40	12.59	13.62
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	13.30	12.10	12.80	11.32	12.65
4	बैंक ऑफ इंडिया	10.55	10.57	12.23	10.68	12.02
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	9.76	11.66	10.64	11.16	11.76
6	केनरा बैंक	10.96	9.64	9.84	11.88	12.50
7	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	11.88	11.18	10.02	9.58	10.51
8	कार्पोरेशन बैंक	13.20	12.80	13.30	17.90	18.50
9	देना बैंक	11.14	11.63	7.73	7.64	9.33
10	इंडियन बैंक	नकारात्मक	नकारात्मक	नकारात्मक	1.70	10.85
11	इंडियन ओवरसीज बैंक	10.15	9.15	10.24	10.82	11.30
12	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	14.10	12.72	11.81	10.99	14.04
13	पंजाब एंड सिंध बैंक	10.94	11.57	11.42	10.70	10.43
14	पंजाब नेशनल बैंक	10.79	10.31	10.24	10.70	12.02
15	सिंडीकेट बैंक	9.57	11.45	11.72	12.12	11.03
16	यूको बैंक	9.63	9.15	9.05	9.64	10.04
17	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	10.09	11.42	10.86	11.07	12.41
18	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	9.60	9.60	10.40	12.02	15.17
19	विजया बैंक	10.00	10.61	11.50	12.25	12.66
	स्टेट बैंक समूह					
20	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	12.51	11.49	12.79	13.35	13.50
21	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	12.26	12.35	12.39	13.42	13.08
22	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	10.65	10.86	12.28	14.03	14.91
23	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	12.35	11.26	12.73	12.78	13.09
24	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	10.23	11.50	11.16	11.81	11.62
25	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	12.47	12.60	12.37	12.55	13.57
26	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	14.35	14.48	13.89	13.20	13.68
27	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	10.27	11.09	11.79	12.54	11.30

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलन - पत्रक

परिशिष्ट सारणी III.21 (आ): पूंजीपर्याप्तता अनुपात-निजी क्षेत्र के बैंक

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक					
1	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	0.83	5.73	10.57	12.07	11.29
2	भारत ओवरसीज बैंक लि.	13.70	12.68	14.43	15.09	13.87
3	कैथालिक सिरियन बैंक लिमिटेड	6.06	5.94	6.08	9.57	9.66
4	सिटी यूनियन बैंक लि.	14.30	13.33	13.59	13.97	13.95
5	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	16.90	11.34	11.28	11.49	10.08
6	धनलक्ष्मी बैंक लि.	10.06	10.02	9.69	11.23	10.45
7	फेडरल बैंक लि.	10.32	11.33	10.29	10.63	11.23
8	गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड लि.	8.26	9.14	9.11	10.08	10.44
9	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	10.63	12.24	12.05	11.57	9.81
10	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	24.48	18.82	17.44	15.46	16.48
11	कर्नाटक बैंक लि.	10.85	11.04	11.37	12.96	13.44
12	करुर वैश्य बैंक लि.	14.53	15.16	15.56	16.90	17.01
13	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	9.64	10.45	10.21	11.54	11.35
14	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	11.85	11.25	12.90	16.50	12.82
15	नैनीताल बैंक लि.	13.81	15.11	15.81	14.88	20.93
16	रत्नाकर बैंक लि.	9.72	11.56	10.00	13.60	14.05
17	सांगली बैंक लि.	11.58	12.13	11.47	11.64	14.94
18	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंट. बैंक लि.	28.90	24.32	19.85	22.10	21.19
19	साउथ इंडियन बैंक	10.40	10.41	11.17	11.20	10.75
20	तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि.	18.40	18.02	17.59	18.02	18.54
21	युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	11.64	11.94	9.59	9.79	10.17
	निजी क्षेत्र के नये बैंक					
22	बैंक ऑफ पंजाब लि.	14.64	9.81	11.02	12.82	13.59
23	सेंच्यूरियन बैंक लि.	8.45	9.31	9.61	4.16	1.95
24	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि.	11.97	13.68	12.71	11.21	0.00
25	एचडीएफसी बैंक लि.	11.86	12.19	11.09	13.93	11.12
26	आइसीआइसीआइ बैंक लि.	11.06	19.64	11.57	11.44	11.10
27	आइडीबीआई बैंक लि.	11.26	11.80	11.72	9.59	9.56
28	इंडसइंड बैंक लि.	15.16	13.24	15.00	12.51	12.13
29	कोटक महीन्द्र बैंक लि.	—	—	—	—	25.97
30	यूटीआइ बैंक लि.	11.64	11.37	9.00	10.65	10.90

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलन - पत्रक

परिशिष्ट सारणी III.21 (इ): पूंजी-पर्याप्तता अनुपात-भारत में विदेशी बैंक

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7
	भारत में विदेशी बैंक					
1	एबीएन एमरो बैंक एनवी	9.27	10.09	11.42	13.17	12.57
2	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	10.01	10.61	10.05	10.42	10.14
3	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	9.25	10.09	9.59	10.71	10.93
4	ऑण्टवर्प बैंक लि.	—	—	—	—	92.69
5	अरब बांग्लादेश बैंक लि.	124.00	123.00	96.34	138.51	105.64
6	बैंक इंटरनेशनल इन्डोनेशिया	57.26	59.92	103.78	123.07	103.99
7	बैंक मस्केट एस ए ओ जी	212.45	70.06	34.55	28.33	20.10
8	बैंक ऑफ अमेरिका एनए	9.26	12.93	13.03	21.07	21.08
9	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	13.38	12.30	11.83	17.03	17.19
10	बैंक ऑफ सिलोन	37.05	29.07	36.49	30.94	32.29
11	बैंक औफ नोवा स्कॉटिया	9.06	9.67	9.97	10.12	13.38
12	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी लिमि.	9.92	17.62	15.51	15.36	30.40
13	बरक लैज बैंक पीएलसी	12.90	17.75	26.97	63.56	45.68
14	बी.एन.पी. परिबास	9.09	9.55	9.92	9.66	10.74
15	चायनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	28.25	25.56	28.27	40.11	36.96
16	चो हंग बैंक	42.00	38.00	35.00	27.65	37.17
17	सिटी बैंक एन. ए.	10.00	10.62	11.24	11.04	11.30
18	क्रेडिट एग्रीकोल इंडोसुएज	8.56	11.82	11.60	11.23	20.04
19	क्रेडिट लायोनेज	9.90	9.70	10.60	10.30	20.90
20	ड्यूश बैंक एजी	9.50	10.68	12.67	14.55	17.35
21	डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लि.	23.26	18.14	15.93	13.31	15.98
22	एचएसबीसी लि.	9.31	10.30	12.37	10.92	18.10
23	आइएनजी बैंक एन वी	12.79	21.15	15.00	12.47	20.72
24	जेपी मॉर्गन चेस बैंक	12.53	45.86	43.79	85.88	72.95
25	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	235.93	197.74	148.99	167.65	119.88
26	मशरेक बैंक पीएससी	12.13	9.04	10.54	20.54	39.38
27	मिझिओ कार्पोरेट बैंक लिमि.	23.62	25.29	18.38	11.14	18.50
28	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी	9.07	11.08	14.21	18.86	14.62
29	ओवरसी-चाइनीज बैंकिंग कार्पोरेशन लि.	94.00	98.34	168.11	192.12	385.49
30	सोसाइटे जनरेल	12.50	13.95	13.93	12.85	32.63
31	सोनाली बैंक	38.39	24.91	88.14	113.64	46.86
32	स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक	8.30	9.50	9.60	9.28	10.56
33	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	46.78	35.23	30.78	46.78	31.74
34	सुमितोमो मितसुइ बैंकिंग कार्पोरेशन	16.58	18.54	19.40	20.96	35.49
35	टोरोंटो-डोंमोनियन बैंक लि.	74.23	51.98	57.87	173.28	324.62
36	यूएफजे बैंक लि.	31.97	36.17	34.91	29.44	67.68

स्रोत : संबंधित बैंक के तुलन-पत्र

परिशिष्ट सारणी III.22: भारत में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं का बैंक समूह और जनसंख्या-वार फैलाव

बैंक समूह	बैंक की संख्या#	शाखाओं की संख्या									
		30 जून 2002 को @					30 जून 2002 को @				
		ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. भारतीय स्टेट बैंक	1	4,100	2,440	1,428	1,010	8,978	4,098	2,440	1,430	1,011	8,979
		(45.7)	(27.2)	(15.9)	(11.2)	(100.0)	(45.6)	(27.2)	(15.9)	(11.3)	(100.0)
2. मास्टे बैंक के सहायक	7	1,410	1,561	823	692	4,486	1,412	1,575	829	704	4,520
		(31.4)	(34.8)	(18.3)	(15.4)	(100.0)	(31.2)	(34.8)	(18.3)	(15.6)	(100.0)
3. राष्ट्रीयकृत बैंक	19	13,733	6,906	6,489	5,485	32,613	13,683	6,920	6,533	5,507	32,643
		(42.1)	(21.2)	(19.9)	(16.8)	(100.0)	(41.9)	(21.2)	(20.0)	(16.9)	(100.0)
4. भारत में निजी क्षेत्र के बैंक +	32	1,139	1,773	1,354	1,168	5,434	1,138	1,810	1,452	1,224	5,624
		(21.0)	(32.6)	(24.9)	(21.5)	(100.0)	(20.2)	(32.2)	(25.8)	(21.8)	(100.0)
5. भारत में विदेशी बैंक	36	—	2	27	217	246	—	—	24	180	204
		(—)	(0.8)	(11.0)	(88.2)	(100.0)	(—)	(—)	(11.8)	(88.2)	(100.0)
6. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	196	12,049	2,053	366	18	14,486	12,050	2,078	376	18	14,522
		(83.2)	(14.2)	(2.5)	(0.1)	(100.0)	(83.0)	(14.3)	(2.6)	(0.1)	(100.0)
7. गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक)	4	3	7	6	—	16	5	7	6	4	22
		(18.8)	(43.8)	(37.5)	(—)	(100.0)	(22.7)	(31.8)	(27.3)	(18.2)	(100.0)
कुल	**295**	**32,434**	**14,742**	**10,493**	**8,590**	**66,259**	**32,386**	**14,830**	**10,650**	**8,648**	**66,514**
		(49.0)	**(22.2)**	**(15.8)**	**(13.0)**	**(100.0)**	**(48.7)**	**(22.3)**	**(16.0)**	**(13.0)**	**(100.0)**

\# 30 जून 2003 के अनुसार

@ शाखाओं का आबादी समूह-वार वर्गीकरण 1991 जनगणना पर आधारित

— नगण्य

\+ यूँ तो बनारस स्टेट बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा से तथा नेडुंगाडी बैंक लि. का पंनै बैंक से क्रमश 20.06.02 तथा 31.01.2003 को विलय हुआ, फिर भी अन्तरित बैंकों से विलय हुई शाखाओं के ब्यौरे न मिलने पर प्रणाली में उसका प्रभाव दर्शाया नहीं जा सका। आगे, कोटक महीन्द्र बैंक लि. जो पूर्व में गैर-अनुसूचित बैंक था, उसे 12.01.03 से प्रभावी अनुसूचित बैंक माना गया।

नोट : 1. कोष्ठक में अंक हर समूह की कुल प्रतिशतता इंगित करते हैं।
2. बैंक शाखाओं में प्रशासनिक कार्यालय शामिल नहीं।
3. जून 2002 के डाटा संशोधित

परिशिष्ट सारणी III.23: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की क्षेत्र/राज्य/संघ शासित प्रदेशवार शाखाएँ

क्रम सं.	क्षेत्र/राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	30 जून को शाखाओं की सं.		के दौरान खुली शाखाएँ				जून के अन्त में प्रति बैंक शाखा ('000 में) औसत आबादी	
		2002	2003	जुलाई 2001 से जून 2002	उनमें से बैंक रहित केन्द्र	जुलाई 2002 से जून 2002	उनमें से बैंक रहित केन्द्र	2002	2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**उत्तरी क्षेत्र**	**10,709**	**10,809**	**148**	**1**	**120**	**6**	**12**	**13**
	चंडीगढ़	175	182	6	0	7	0	5	5
	दिल्ली	1,478	1,489	39	0	26	0	10	11
	हरियाणा	1,557	1,580	25	0	23	0	13	13
	हिमाचल प्रदेश	782	784	3	0	3	0	9	9
	जम्मू और कश्मीर	828	835	10	0	8	0	13	13
	पंजाब	2,573	2,603	42	0	31	6	9	9
	राजस्थान	3,316	3,336	23	1	22	0	17	17
2.	**उत्तर-पूर्वी क्षेत्र**	**1,862**	**1,863**	**2**	**0**	**7**	**0**	**22**	**22**
	अरुणाचल प्रदेश	68	68	0	0	0	0	19	19
	असम	1,212	1,212	1	0	6	0	22	22
	मणिपुर	77	77	0	0	0	0	35	36
	मेघालय	180	180	1	0	0	0	14	15
	मिजोरम	78	78	0	0	0	0	13	13
	नगालैंड	70	70	0	0	0	0	26	26
	त्रिपुरा	177	178	0	0	1	0	23	23
3.	**पूर्वी क्षेत्र**	**11,736**	**11,748**	**42**	**1**	**29**	**0**	**19**	**19**
	अंदमान और निकोबार	31	31	0	0	0	0	13	14
	बिहार	3,546	3,553	4	0	7	0	21	21
	झारखंड	1,459	1,460	16	1	4	0	0 **	0 **
	उड़ीसा	2,225	2,228	6	0	6	0	16	17
	सिक्किम	48	48	1	0	0	0	12	13
	पश्चिम बंगाल	4,427	4,428	15	0	12	0	18	19
4.	**मध्य क्षेत्र**	**13,471**	**13,508**	**66**	**1**	**51**	**0**	**20**	**20**
	छत्तीसगढ़	1,035	1,037	5	0	4	0	0 **	0 **
	मध्य प्रदेश	3,442	3,449	16	0	15	0	19	19
	उत्तर प्रदेश	8,148	8,169	37	1	24	0	20	20
	उत्तरांचल	846	853	8	0	8	0	0 **	0 **
5.	**पश्चिमी क्षेत्र**	**10,323**	**10,347**	**89**	**1**	**70**	**0**	**14**	**14**
	दादरा और नगर हवेली	11	12	0	0	1	0	18	17
	दमण और दीव	16	16	1	0	0	0	9	10
	गोवा	328	329	5	0	1	0	5	5
	गुजरात	3,654	3,672	27	0	25	0	14	14
	महाराष्ट्र	6,314	6,318	56	1	43	0	15	15
6.	**दक्षिणी क्षेत्र**	**18,158**	**18,239**	**201**	**8**	**141**	**3**	**13**	**13**
	आंध्र प्रदेश	5,213	5,248	57	2	44	3	15	15
	कर्नाटक	4,770	4,797	49	2	44	0	11	11
	केरल	3,346	3,374	54	4	32	0	10	10
	लक्षद्वीप	9	9	0	0	0	0	8	9
	पांडिचेरी	82	84	1	0	2	0	14	14
	तमिलनाडु	4,738	4,727	40	0	19	0	13	13
	आखिल भारतीय	**66,259**	**66,514**	**548**	**12**	**418**	**9**	**16**	**16**

@ गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (स्थानीय क्षेत्र बैंक)

** यूँ तो झारखण्ड, छत्तीसगढ़ तथा उत्तरांचल के आबादी-डाटा अलग से उपलब्ध नहीं है, उनको क्रमशः बिहार, मध्यप्रदेश वं उत्तर प्रदेश में जोड़ा गया। बिहार, मध्यप्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की प्रति बैंक शाखा औसत आबादी में क्रमशः झारखण्ड, छत्तीसगढ़ व उत्तरांचल की बैंक शाखा संख्या जोड़ी गई।

टिप्पणी : 1. प्रति बैंक शाखा औसत आबादी का आधार महापंजीयक तथा जनगणना आयुक्त कार्यालय, भारत सरकार से प्राप्त सम्बन्धित वर्षों की वर्ष- मध्य आबादी अनुमान पर आधारित है।
2. बैंक शाखाओं में प्रशासनिक कार्यालय को छोड़ा गया।
3. जून 2002 को डाटा संशोधित हैं।

परिशिष्ट सारणी III.24: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्रों को अग्रिम

(सूचनाप्रद अन्तिम शुक्रवार को)

क्षेत्र	लेखों की संख्या (लाख में)					बकाया राशि (करोड़ रुपए)				
	जुन 1969	मार्च 2000	मार्च 2001	मार्च 2002@	मार्च 2003@	जून 1969	मार्च 2000	मार्च 2001	मार्च 2002@	मार्च 2003@
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. कृषि	1.7	160	188	161	168	162	45,296	53,571	63,082	73,507
						(5.4)	(14.3)	(15.7)	(15.9)	(15.3)
i) प्रत्यक्ष	1.6	157	185	157	164	40	34,247	38,137	44,908	51,799
						(1.3)	(10.8)	(11.2)	(11.3)	(10.8)
ii) अप्रत्यक्ष	0.1	3	3	4	4	122	11,049	15,434	18,174	21,708
						(4.0)	(3.5)	(4.5)	(4.6)	(4.5)
II. लघू उद्योग	0.5	22	20	22	17	257	46,045	48,400	49,743	52,988
						(8.5)	(14.6)	(14.2)	(12.5)	(11.1)
III. अन्य प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	0.4	81	80	83	79	22	30,816	40,791	53,712	71,448
						(0.7)	(9.7)	(12.0)	(13.5)	(15.0)
IV. कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम #	2.6	265	288	269	268	441	1,27,478	1,49,116	1,71,185	2,03,095
						(14.6)	(40.3)	(43.7)	(43.1)	(42.5)
V. बैंक निवल ऋण	—	—	—	—	—	3,016	3,16,427	3,41,291	3,96,954	4,77,899

@ डाटा अनन्तिम हैं।

औद्योगिक इस्टेट खड़ा करने का अग्रिम, क्षेत्र बैंको को प्रायोजक बैंकों द्वारा प्रदान निधियाँ, साफ़्टवेअर, उद्योग। खाद्यान्न और कृषि प्रसंसाधन क्षेत्र, स्व-सहायक समूह तथा वेंचर पूँजी को ऋण शामिल हैं।

नोट : कोष्ठकों में अंत विवल बैंक ऋण की प्रतिशतता दर्शाते हैं ।

परिशिष्ट सारणी III.25 (अ) : कृषि और कमजोर वर्गों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से अग्रिम

(मार्च 2003 के अंतिम सूचनाप्रद शुक्रवार)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम		अप्रत्यक्ष कृषि अग्रिम		कुल कृषि अग्रिम		कमजोर वर्गों को अग्रिम		कुल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	
		राशि	नि.बैं. ऋ. का प्रतिशत	राशि	नि.बैं. ऋ. का प्रतिशत	राशि	नि.बैं. ऋ. का प्रतिशत	राशि	नि.बैं. ऋ. का प्रतिशत	राशि	नि.बैं. ऋ. का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	इलाहाबाद बैंक	1,497.51	11.82	640.15	5.05	2,137.66	16.32	740.15	5.84	5,297.62	41.82
2	आंध्रा बैंक	1,448.19	13.23	180.00	1.64	1,628.19	14.87	1,108.50	10.13	4,322.40	39.49
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	2,955.11	12.12	1,114.22	4.58	4,069.33	16.62	1,923.60	7.89	11,274.58	46.24
4	बैंक ऑफ इंडिया	3,296.72	11.38	875.00	3.02	4,171.72	14.41	1,700.00	5.87	12,546.00	43.32
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	961.69	10.28	325.72	3.48	1,287.41	13.76	494.61	5.29	3,907.55	41.75
6	केनरा बैंक	3,922.00	11.18	1,486.00	4.24	5,408.00	15.42	2,145.00	6.12	14,604.00	41.64
7	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1,958.03	8.62	1,839.23	8.10	3,797.26	13.12	1,689.40	7.44	10,368.96	45.67
8	कार्पोरेशन बैंक	499.46	5.27	425.23	4.49	924.69	9.75	187.07	1.97	4,045.97	42.68
9	देना बैंक	616.10	7.41	859.11	10.34	1,475.21	11.91	293.90	3.54	3,837.60	46.18
10	इंडियन बैंक	1,475.26	14.37	375.04	3.65	1,850.30	18.03	1,028.79	10.02	4,910.28	47.84
11	इंडियन ओवरसीज बैंक	1,781.47	12.18	585.97	4.01	2,367.44	16.18	1,582.85	10.82	6,184.34	42.27
12	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	1,162.59	7.30	1,069.75	6.71	2,232.34	11.80	518.35	3.25	6,821.99	42.82
13	पंजाब नेशनल बैंक	4,730.18	11.83	2,329.34	5.83	7,059.52	16.33	4,059.67	10.16	18,482.42	46.24
14	पंजाब एंड सिंध बैंक	696.21	11.65	440.91	7.38	1,137.12	16.15	317.50	5.31	2,886.96	48.30
15	सिंडीकेट बैंक	1,928.47	14.72	247.08	1.89	2,175.55	16.61	1,314.76	10.04	5,651.86	43.15
16	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2,444.03	10.51	1,244.07	5.35	3,688.10	15.01	1,315.74	5.66	11,193.62	48.14
17	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	650.00	8.31	476.00	6.09	1,126.00	12.80	462.00	5.91	2,794.00	35.73
18	यूको बैंक	1,224.00	8.24	818.00	5.51	2,042.00	12.74	684.00	4.61	6,332.00	42.64
19	विजया बैंक	702.79	9.94	444.24	6.28	1,147.03	14.44	393.90	5.57	3,085.66	43.65
	राष्ट्रीयकृत बैंक	**33,949.81**	**10.79**	**15,775.06**	**5.01**	**49,724.87**	**15.29**	**21,959.79**	**6.98**	**1,38,547.81**	**44.02**
20	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	11,354.28	9.87	4,516.48	3.93	15,870.76	13.80	6,644.02	5.78	43,709.23	38.01
21	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	985.14	14.65	195.93	2.91	1,181.07	17.57	531.96	7.91	2,913.02	43.33
22	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	1,372.63	14.09	148.77	1.53	1,521.40	15.62	616.41	6.33	3,941.68	40.46
23	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	781.92	15.09	170.57	3.29	952.49	18.38	391.19	7.55	2,459.18	47.45
24	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	657.35	14.07	125.56	2.69	782.91	16.76	506.87	10.85	2,017.57	43.19
25	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	1,337.00	13.53	448.00	4.53	1,785.00	18.03	929.00	9.40	4,127.00	41.76
26	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट	751.68	16.55	98.78	2.17	850.46	18.72	258.78	5.70	1,991.67	43.85
27	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	609.39	8.23	228.71	3.09	838.10	11.32	465.73	6.29	3,387.76	45.74
	भास्टे बैंक तथा उनका समूह	**17,849.39**	**10.94**	**5,932.80**	**3.64**	**23,782.19**	**14.58**	**10,343.96**	**6.34**	**64,547.11**	**39.56**
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	**51,799.20**	**10.84**	**21,707.86**	**4.54**	**73,507.06**	**15.34**	**32,303.75**	**6.76**	**2,03,094.92**	**42.50**

टिप्पणी : 1. आंकड़े अनंतिम।
2. नि.बैं.ऋ. : निवल बैंक ऋण
3. निवल बैंक ऋण के 4.5 प्रतिशत तक लिए गये अप्रत्यक्ष कृषि अग्रिम

स्रोत : संबंधित बैंकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

परिशिष्ट सारणी III.25 (आ) : प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कमजोर वर्गों को अग्रिमों में गैर-निष्पादक आस्तियाँ - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

(मार्च 2003 के अंत को)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	कमजोर वर्गों को अग्रिम		
		कुल	*जिसमें* गैर-निष्पादक आस्तियां	
			राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	इलाहाबाद बैंक	1,026.47	269.31	26.24
2	आंध्रा बैंक	1,109.26	57.59	5.19
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	1,822.20	374.82	20.57
4	बैंक ऑफ इंडिया	1,287.11	318.87	24.77
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	481.45	149.20	30.99
6	केनरा बैंक	2,145.00	413.10	19.26
7	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1,200.28	336.07	28.00
8	कार्पोरेशन बैंक	187.07	35.12	18.77
9	देना बैंक	290.90	101.82	35.00
10	इंडियन बैंक	739.34	183.01	24.75
11	इंडियन ओवरसीज बैंक	1,582.85	70.15	4.43
12	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	307.34	41.38	13.46
13	पंजाब एंड सिंध बैंक	316.10	37.93	12.00
14	पंजाब नेशनल बैंक	3,939.02	517.58	13.14
15	सिंडीकेट बैंक	1,314.75	244.23	18.58
16	यूको बैंक	684.17	187.61	27.42
17	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	973.86	217.25	22.31
18	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	462.00	105.00	22.73
19	विजया बैंक	323.70	59.34	18.33
20	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	529.21	154.51	29.20
21	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	775.58	104.53	13.48
22	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	5,668.30	1,394.81	24.61
23	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	391.19	41.83	10.69
24	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	510.26	69.22	13.57
25	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	997.31	185.31	18.58
26	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	374.10	53.80	14.38
27	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	215.87	25.84	11.97
	कुल	**29,654.69**	**5,749.23**	**19.39**

स्रोत : संबंधित बैंकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

परिशिष्ट सारणी III.26: निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम

(मार्च के अंतिम सूचित शुक्रवार को)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	मार्च 2001		मार्च 2002@		मार्च 2003@	
	राशि	निवल बैंक-ऋण की तुलना में प्रतिशत	राशि	निवल बैंक-ऋण की तुलना में प्रतिशत	राशि	निवल बैंक-ऋण की तुलना में प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम #	**21,567**	**36.7**	**25,709**	**40.9**	**36,705**	**44.4**
जिनमें से :						
I. कृषि	5,634	9.6	8,022	8.5	11,873	10.8
II. लघु उद्योग	8,096	13.8	8,613	13.7	6,857	8.3
III. अन्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र	7,219	12.3	9,074	14.4	17,602	21.3

@ आंकड़े अनंतिम हैं ।

औद्योगिक संपदा के गठन के लिए अग्रिम, प्रायोजक बैंकों द्वारा क्षेत्रीय ग्रा. बैंकों को प्रदान निधियां, सॉफ्टवेयर उद्योग, खाद्य और कृषि संसाधन क्षेत्र, स्वयं सहायता समूह को ऋण और उद्यम पूंजी सम्मिलित हैं ।औद्योगिक संपदा के गठन के लिए अग्रिम, प्रायोजक बैंकों द्वारा क्षेत्रीय ग्रा. बैंकों को प्रदान निधियां, सॉफ्टवेयर उद्योग, खाद्य और कृषि संसाधन क्षेत्र, स्वयं सहायता समूह को ऋण और उद्यम पूंजी सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी : अप्रत्यक्ष कृषि के प्रतिशत गणना के लिए निवल बैंक ऋण की 4.5 प्रतिशत तक गणना की गयी है ।

परिशिष्ट सारणी III.27 (अ) : कृषि और कमजोर वर्गों को निजी क्षेत्र के बैंकों के अग्रिम

(मार्च 2003 के अंतिम सूचित शुक्रवार को)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम		अप्रत्यक्ष कृषि अग्रिम		कुल कृषि अग्रिम		कमजोर क्षेत्र को अग्रिम		कुल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	
		राशि	नि.बैं.ऋ. का प्रतिशत	राशि	नि.बैं.ऋ. का प्रतिशत	राशि	नि.बैं.ऋ. का प्रतिशत	राशि	नि.बैं.ऋ. का प्रतिशत	राशि	नि.बैं.ऋ. का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	81.80	3.90	179.97	8.58	261.77	8.40	51.50	2.46	772.94	36.87
2	भारत ओवरसीज बैंक लि.	20.88	3.24	44.71	6.94	65.59	7.74	8.86	1.37	262.17	40.67
3	कैथालिक सिरियन बैंक लि.	25.00	2.13	17.53	1.49	42.53	3.62	10.95	0.93	385.60	32.84
4	सिटी यूनियन बैंक लि.	33.36	2.74	66.75	5.47	100.11	7.24	10.00	0.82	501.52	41.13
5	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	67.24	2.67	169.82	6.73	237.06	7.17	1.18	0.05	1,010.68	40.06
6	lनलक्ष्मी बैंक लि.	35.52	3.79	43.05	4.59	78.57	8.29	19.64	2.09	379.66	40.49
7	फेडरल बैंक लि.	336.21	7.45	9.48	0.21	345.69	7.66	196.61	4.36	1,962.19	43.48
8	गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड लि.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
9	आयएनजी वैश्य बैंक लि.	414.02	7.98	233.37	4.50	647.39	12.48	186.04	3.59	1,974.83	38.08
10	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	124.89	2.09	346.52	5.81	471.41	6.59	215.85	3.62	2,052.58	34.40
11	कर्नाटक बैंक लि.	328.08	8.91	138.81	3.77	466.89	12.68	74.91	2.04	1,493.90	40.59
12	करुर वैश्य बैंक लि.	180.38	5.92	244.03	8.00	424.41	10.42	131.22	4.30	1,224.09	40.15
13	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	128.63	8.46	62.68	4.12	191.31	12.58	57.13	3.76	682.19	44.85
14	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	7.09	0.95	58.26	7.81	65.35	5.45	5.49	0.74	169.85	22.78
15	नैनीताल बैंक लि.	18.94	10.57	8.06	4.50	27.00	15.06	9.15	5.10	100.51	56.07
16	रत्नाकर बैंक लि.	14.08	4.45	31.32	9.89	45.40	8.95	4.79	1.51	113.92	35.98
17	सांगली बैंक लि.	63.07	11.94	52.42	9.92	115.49	16.44	26.84	5.08	214.18	40.55
18	एसबीआइ कॉम. एंड इंटरनेशनल बैंक लि.	10.92	8.94	61.71	50.54	72.63	13.44	0.00	0.00	81.36	66.63
19	साउथ इंडियन बैंक	111.02	4.27	45.35	1.75	156.37	6.02	50.45	1.94	1,077.50	41.48
20	तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि.	148.89	7.55	52.41	2.66	201.30	10.21	0.00	0.00	850.10	43.13
21	युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	188.36	6.31	97.87	3.28	286.23	9.58	159.81	5.35	1,220.19	40.85
22	बैंक ऑफ पंजाब लि.	30.71	1.74	22.10	1.25	52.81	3.00	0.00	0.00	643.78	36.54
23	सेंच्यूरियन बैंक लि.	5.94	0.49	249.96	20.48	255.90	4.99	0.05	0.00	578.03	47.36
24	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि.	23.50	0.82	232.96	8.11	256.46	5.32	2.93	0.10	835.89	29.09
25	एचडीएफसी बैंक	704.53	7.51	1,333.05	14.22	2,037.58	12.01	0.00	0.00	3,863.64	41.21
26	आइसीआइसीआइ बैंक	1,561.47	14.18	705.42	6.41	2,266.89	18.68	0.00	0.00	8,016.94	72.80
27	आइडीबीआइ बैंक	45.16	1.17	396.48	10.31	441.64	5.67	0.00	0.00	1,646.29	42.80
28	इंडसइंड बैंक	219.85	5.99	433.52	11.81	653.37	10.49	0.00	0.00	1,515.95	41.30
29	कोटक महीन्द्र बैंक लि.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	यूटीआइ बैंक लि.	271.20	3.86	1,334.25	18.97	1,605.45	8.36	0.00	0.00	3,074.45	43.70
	कुल	**5,200.74**	**6.28**	**6,671.86**	**8.06**	**11,872.60**	**10.78**	**1,223.40**	**1.48**	**36,704.93**	**44.35**

उ.न. : उपलब्ध नहीं

टिप्पणी : 1. आंकड़े अनंतिम।
2. नि.बैं.ऋ. : निवल बैंक ऋण
3. अप्रत्यक्ष कृषि अग्रिम 4.5 प्रतिशत तक लिया गया।

स्रोत : संबंधित बैंकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

परिशिष्ट सारणी III.27(आ) : प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कमजोर वर्गों को अग्रिमों में गैर-निष्पादक आस्तियाँ - निजी क्षेत्र के बैंक

(31 मार्च 2003 के अंत को)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	कमजोर वर्गों को अग्रिम		
		कुल	*जिसमें से* गैर-निष्पादक आस्तियां	
			राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	38.52	15.30	39.72
2	भारत ओवरसीज बैंक लि.	8.86	0.80	9.03
3	कैथालिक सिरियन बैंक लि.	7.87	3.47	44.09
4	सिटी यूनियन बैंक लि.	11.00	1.53	13.91
5	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	0.37	0.10	27.03
6	धनलक्ष्मी बैंक लि.	19.64	7.82	39.82
7	फेडरल बैंक लि.	228.91	26.83	11.72
8	गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड लि.	—	—	—
9	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	45.75	6.76	14.78
10	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	174.34	40.61	23.29
11	कर्नाटक बैंक लि.	71.96	5.97	8.30
12	करुर वैश्य बैंक लि.	137.53	7.98	5.80
13	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	28.48	2.59	9.09
14	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.	5.49	1.08	19.67
15	नैनीताल बैंक लि.	10.75	0.89	8.28
16	रत्नाकर बैंक लि.	19.81	2.65	13.38
17	एसबीआइ कॉम. एंड इंटरनेशनल बैंक लि.	—	—	—
18	सांगली बैंक लि.	26.53	5.35	20.17
19	साउथ इंडियन बैंक	48.28	13.12	27.17
20	तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि.	8.51	0.15	1.76
21	युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	89.43	21.75	24.32
	कुल	**982.03**	**164.75**	**16.78**

— शून्य अथवा नगण्य

नोट : डाटा निजी क्षेत्र के पुरा ने बैंकों से सम्बन्धित है ।

स्रोत : संबंधित बैंकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े ।

परिशिष्ट सारणी III.28 : भारत में विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम

(मार्च के अंतिम सूचित शुक्रवार को)

(राशि करोड़ रु. में)

क्षेत्र	मार्च 2001		मार्च 2002@		मार्च 2003@	
	राशि	निवल बैंक-ऋण की तुलना में प्रतिशत	राशि	निवल बैंक-ऋण की तुलना में प्रतिशत	राशि	निवल बैंक-ऋण की तुलना में प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम #	**11,572**	**33.5**	**13,414**	**34.0**	**14,848**	**33.9**
जिनमें से :						
I. निर्यात ऋण	6,961	20.2	6,948	18.0	8,195	18.7
II. लघु उद्योग	3,646	10.6	4,561	12.0	3,809	8.7

@ अनन्तिम

इसमें औद्योगिक संपदा के गठन के लिए अग्रिम, साफ्टवेअर उद्योगों, खाद्य और कृषि संसाधन क्षेत्र, स्वयं सहायता समूह को ऋण और उद्यम पूंजी सम्मिलित हैं ।

परिशिष्ट सारणी IV.1: भारत में सहकारी ऋण संबंधी गतिविधियों की प्रगति

(राशि करोड़ रुपये में और अनुपात प्रतिशत में)

क्रम सं.	संस्था का प्रकार	मद	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7
1	शहरी सहकारी बैंक	संख्या	1,784	1,618	1,854	1,941
		स्वाधिकृत निधि	9,314	10,826	13,797	9,830*
		जमाराशि	71,189	80,840	93,069	1,01,546
		उधारराशि	1,475	2,069	उ.न.	1,590
		कार्यशील पूंजी	90,301	1,03,042	1,15,596	1,11,746
		बकाया ऋण	45,995	54,389	62,060	64,880
		ऋण-जमा अनुपात	65	67	67	64
2	राज्य सहकारी बैंक	संख्या	29	30	30	29
		स्वाधिकृत निधि	4,911	5,837	6,323	उ.न.
		जमाराशि	29,557	32,626	35,500	37,439
		उधारराशि	10,859	11,693	11,550	12,079
		कार्यशील पूंजी	44,035	49,490	51,899	उ.न.
		जारी ऋण	37,368	34,307	34,287	38,318
		बकाया ऋण	25,709	29,861	32,111	34,864
		वसूली कार्य (डीमैट का प्रतिशत)	83	84	81	उ.न.
		ऋण-जमा अनुपात	87	92	90	93
3	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक	संख्या	367	367	368	343
		स्वाधिकृत निधि	10,116	12,180	14,148	उ.न.
		जमाराशि	54,248	61,745	68,090	72,983
		उधारराशि	14,658	16,935	18,818	18,157
		कार्यशील पूंजी	77,679	87,821	1,00,851	उ.न.
		जारी ऋण	46,619	45,016	55,998	50,482
		बकाया ऋण	44,538	52,478	59,269	59,338
		वसूली कार्य (डीमैट का प्रतिशत)	69	67	66	उ.न.
		ऋण-जमा अनुपात	82	85	87	उ.न.
4	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	संख्या	19	20	20	20
		स्वाधिकृत निधि	2,702	3,034	2,753	उ.न.
		जमाराशि	422	536	587	689
		उधारराशि	12,390	13,413	14,875	13,861
		कार्यशील पूंजी	15,074	16,896	18,947	उ.न.
		जारी ऋण	2,532	2,586	2,746	2,631
		बकाया ऋण	11,565	12,553	14,172	13,870
		वसूली कार्य (डीमैट का प्रतिशत)	62	58	55	उ.न.
5	प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	संख्या	755	732	768	768
		स्वाधिकृत निधि	1,379	1,628	2,502	उ.न.
		जमाराशि	218	210	354	202
		उधारराशि	7,647	8,294	10,292	7,857
		कार्यशील पूंजी	9,982	10,838	13,708	उ.न.
		जारी ऋण	1,819	1,865	2,045	1,696
		बकाया ऋण	7,611	8,295	10,010	8,960
		वसूली कार्य (डीमैट का प्रतिशत)	58	53	46	उ.न.

अ अर्नान्तम उ. न. : उपलब्ध नहीं

* शेयर पूँजी व सांविधिक प्रारक्षित तथा अन्य मुक्त प्रारक्षित व प्रावधान जो बाहरी देयताओं के प्रकार नहीं है ।

स्रोत : क्रमांक 2 से 5 तक के लिए नाबार्ड

परिशिष्ट सारणी IV.2: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की अस्तियों के अनुपात के रूप में बैंकवार वित्तीय कार्य-निष्पादन के प्रमुख संकेतक *(जारी)*

(प्रतिशत)

क्र. सं.	बैंक का नाम	परिचालन लाभ		निवल लाभ		ब्याज आय	
		2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अभ्युदय को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.80	3.07	0.69	0.67	9.89	9.84
2	अहमदाबाद मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड	3.38	3.54	0.64	0.73	11.89	11.62
3	अकोला- जनता कमर्शियल बैंक लिमिटेड	1.79	1.97	0.42	0.51	10.54	10.60
4	अकोला अर्बन सह-बैंक लिमिटेड	1.81	1.57	0.53	0.66	13.96	13.89
5	अमानत सह-बैंक लिमिटेड #	1.18	0.44	0.72	0.44	10.33	8.90
6	एपी महेश को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	2.83	7.73	1.53	2.56	12.46	13.57
7	बसिन कॅथलिक को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.13	2.21	1.28	1.28	9.99	9.64
8	भारत को.-ऑप. बैंक (मुंबई) लिमिटेड	2.11	2.57	0.99	0.97	10.89	10.50
9	भारती सहकारी बैंक लिमिटेड	—	1.08	—	0.32	—	8.95
10	बाम्बे मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	-0.07	1.28	-3.20	1.28	6.95	5.73
11	चारमीनार को. ऑप. शहरी बैंक लिमिटेड	-7.50	-2.30	-20.22	-3.03	3.89	3.54
12	चरोतार नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड#	-0.09	0.62	-0.87	-19.62	13.26	7.58
13	सिटीजन क्रेडिट को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.74	1.58	0.88	1.01	9.15	8.03
14	को. ऑपरेटिव बैंक ऑफ़ अहमदाबाद	-2.17	-2.97	-2.17	-6.92	8.63	6.81
15	कॉसमॉस को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	2.49	3.17	1.13	1.07	11.11	11.49
16	डोंबिवली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	2.22	2.19	0.88	0.87	10.16	9.81
17	गोवा अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड #	2.45	2.87	0.43	0.46	11.08	9.23
18	ग्रेटर बाम्बे को. ऑप. बैंक लिमिटेड	4.49	2.38	2.02	1.41	9.35	9.53
19	इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	2.18	1.70	0.97	0.85	10.58	9.61
20	इंडियन मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमि.	0.86	1.71	0.86	1.71	11.85	9.47
21	जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	2.17	1.76	0.64	0.58	8.45	8.27
22	जनलक्ष्मी को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.56	2.31	0.29	0.43	16.93	16.48
23	जनता सहकारी को. ऑप. बैंक लिमिटेड	0.64	0.18	-2.27	-1.33	7.76	6.90
24	जनकल्याण सहकारी को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.32	1.83	0.58	0.46	11.58	10.90
25	कालुपूर कमर्शियलबैंक लिमिटेड	4.16	4.16	1.73	1.75	12.31	10.86
26	कल्याण जनता सहकारी को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.32	2.55	0.82	0.50	7.46	7.98
27	कपोल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.91	1.51	0.55	0.89	9.09	7.82
28	कराड अर्बन को-ऑप. बैंक लिमिटेड	2.91	1.75	1.43	0.83	10.20	9.09
29	खामगांव अर्बन को-ऑप. बैंक लिमिटेड	2.12	1.25	0.60	0.41	14.30	14.09
30	माधवपुरा मर्केंटाईल को-ऑप. बैंक लिमिटेड #	-1.85	-1.91	-7.51	-1.91	1.42	1.03
31	महानगर को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	2.44	1.30	0.13	0.31	11.65	9.91
32	मांडवी को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	1.61	1.00	0.58	0.54	10.09	9.10
33	मापसा अर्बन को.-ऑप. बैंक लिमिटेड #	-3.81	-1.95	-7.07	-4.19	5.55	5.17
34	मेहसाना अर्बन को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	1.91	3.46	1.33	0.87	12.59	14.13
35	नगर अर्बन को.-ऑप. बैंक लिमिटेड#	1.19	2.05	0.85	1.07	13.97	13.80
36	नागपुर नागरिक सहकारी को.-ऑप बैंक लिमिटेड	4.34	2.34	0.46	0.54	10.92	9.22
37	नासिक मर्चेंट को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	2.66	2.08	2.11	0.60	11.10	10.56
38	न्यू इंडिया को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	2.09	2.76	1.73	1.95	10.11	9.87
39	नार्थ कन्नड जीएसबी को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	1.47	1.71	0.90	0.98	10.08	9.62
40	नूतन नागरिक सहकारी को.-ऑप बैंक लिमिटेड	1.74	3.11	1.46	1.97	10.37	10.10
41	पारसिक जनता सहकारी को.-ऑप बैंक लिमिटेड	3.45	3.01	1.83	1.68	9.63	9.12
42	प्रवर सहकारी को- ऑप. बैंक लिमिटेड#	—	3.27	—	0.44	—	11.80
43	पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	2.06	1.70	1.31	1.29	10.77	10.20
44	राजकोट नागरिक सहकारी को.-ऑप बैंक लिमिटेड	6.67	2.22	0.83	1.12	8.06	7.84
45	रूपी को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	0.85	-1.54	-5.70	-7.47	9.33	6.43
46	सांगली को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	1.91	1.85	0.52	0.33	10.36	9.23
47	सारस्वत को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	2.19	2.10	0.55	0.57	8.15	7.95
48	सरदार भिलाडवाला पारदी पीपल्स को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	0.49	1.03	0.46	0.04	9.30	9.15
49	शामराव विट्ठल को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	1.77	2.13	1.06	0.96	10.52	10.08
50	शिक्षक सहकारी को-ऑप बैंक लिमिटेड	1.99	0.69	-0.09	-1.92	7.20	6.46
51	सोलापूर सहकारी को- ऑप. बैंक लिमिटेड	—	1.70	—	0.52	—	11.77
52	सूरत पीपल्स को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	2.90	3.42	0.79	1.08	10.35	10.72
53	ठाणे भारत सहकारी को- ऑप. बैंक लिमिटेड	—	1.77	—	0.97	—	9.39
54	ठाणे जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	1.95	2.20	1.60	1.57	10.02	10.17
55	वसावी को.-ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड #	0.39	0.26	-7.31	0.26	16.53	14.13
56	विष्णागार नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	0.42	-4.63	0.39	-41.12	25.38	8.50
57	जोरास्ट्रीयन को- ऑप. बैंक लिमिटेड	—	1.93	—	0.48	—	9.70
	कुल	**1.52**	**1.37**	**-0.88**	**-1.14**	**9.40**	**8.58**

परिशिष्ट सारणी IV.2: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की अस्तियों के अनुपात के रूप में बैंकवार वित्तीय कार्य-निष्पादन के प्रमुख संकेतक *(जारी)*

(प्रतिशत)

क्र. सं.	बैंक का नाम	ब्याज व्यय		प्रावधान और आकस्मिक व्यय	
		2001-02	2002-03	2001-02	2002-03
1	2	9	10	11	12
1	अभ्युदय को. ऑप. बैंक लिमिटेड	5.45	5.32	1.11	2.40
2	अहमदाबाद मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड	7.21	6.57	2.74	2.82
3	अकोला- जनता कमर्शियल बैंक लिमिटेड	8.12	8.14	1.36	1.46
4	अकोला अर्बन सह-बैंक लिमिटेड	11.93	12.42	1.28	0.91
5	अमानत सह-बैंक लिमिटेड #	7.50	7.15	0.46	0.00
6	एपी महेश को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	8.60	9.16	1.30	5.17
7	बसिन कॅथलिक को. ऑप. बैंक लिमिटेड	6.82	6.55	0.86	0.93
8	भारत को.-ऑप. बैंक (मुंबई) लिमिटेड	6.43	6.00	1.12	1.60
9	भारती सहकारी बैंक लिमिटेड	—	7.64	—	0.76
10	बाम्बे मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	5.97	4.52	3.14	0.00
11	चारमीनार को. ऑप. शहरी बैंक लिमिटेड	10.62	4.62	12.72	0.72
12	चरोतार नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड#	12.64	6.19	0.78	20.24
13	सिटीजन क्रेडिट को. ऑप. बैंक लिमिटेड	5.90	5.85	0.86	0.57
14	को. ऑपरेटिव बैंक ऑफ अहमदाबाद	8.47	7.62	0.00	3.95
15	कॉसमॉस को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	7.23	6.98	1.36	2.11
16	डोंबिवली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	6.17	6.11	1.34	1.33
17	गोवा अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड #	8.00	6.57	2.01	2.41
18	ग्रेटर बाम्बे को. ऑप. बैंक लिमिटेड	7.44	7.45	2.47	0.97
19	इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	8.26	7.87	1.20	0.84
20	इंडियन मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमि.	9.93	7.01	0.00	0.00
21	जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	6.81	7.02	1.53	1.18
22	जनलक्ष्मी को. ऑप. बैंक लिमिटेड	13.43	13.24	2.26	1.88
23	जनता सहकारी को.-ऑप बैंक लिमिटेड	6.82	6.47	2.92	1.52
24	जनकल्याण सहकारी को. ऑप. बैंक लिमिटेड	7.75	7.71	1.74	1.37
25	कालुपुर कमर्शियलबैंक लिमिटेड	7.67	6.00	2.44	2.41
26	कल्याण जनता सहकारी को. ऑप. बैंक लिमिटेड	6.17	5.48	1.51	2.05
27	कपोल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	7.07	6.43	1.36	0.62
28	कराड अर्बन को-ऑप. बैंक लिमिटेड	7.50	7.65	1.49	0.92
29	खामगांव अर्बन को-ऑप. बैंक लिमिटेड	12.43	12.15	1.52	0.84
30	माधवपुरा मर्केंटाईल को-ऑप. बैंक लिमिटेड #	3.04	2.76	5.65	0.00
31	महानगर को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	7.05	6.53	2.30	0.99
32	मांडवी को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	7.61	7.18	1.03	0.46
33	मापसा अर्बन को.-ऑप. बैंक लिमिटेड #	6.60	5.82	3.25	2.25
34	मेहसाना अर्बन को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	9.97	9.84	0.57	2.59
35	नगर अर्बन को.-ऑप. बैंक लिमिटेड #	11.85	11.09	0.33	0.97
36	नागपुर नागरिक सहकारी को.-ऑप बैंक लिमिटेड	7.88	7.02	3.88	1.80
37	नासिक मर्चेंट को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	6.73	6.78	0.55	1.49
38	न्यू इंडिया को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	5.46	5.01	0.36	0.81
39	नॉर्थ कन्नड जीएसबी को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	6.81	6.69	0.58	0.73
40	नूतन नागरिक सहकारी को.-ऑप बैंक लिमिटेड	7.01	6.65	0.28	1.14
41	पारसिक जनता सहकारी को.-ऑप बैंक लिमिटेड	5.93	5.52	1.63	1.33
42	प्रवर सहकारी को- ऑप. बैंक लिमिटेड #	—	8.10	—	2.83
43	पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	7.47	7.08	0.75	0.41
44	राजकोट नागरिक सहकारी को.-ऑप बैंक लिमिटेड	5.76	5.43	5.84	1.10
45	रूपी को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	8.70	6.79	6.54	5.92
46	सांगली को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	6.93	6.68	1.39	1.52
47	सारस्वत को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	5.65	5.39	1.64	1.53
48	सरदार भिलाडवाला पारदी पीपल्स को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	6.96	6.44	0.03	1.00
49	शामराव विट्ठल को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	7.03	6.66	0.71	1.17
50	शिक्षक सहकारी को-ऑप बैंक लिमिटेड	8.63	8.82	2.08	2.61
51	सोलापूर सहकारी को- ऑप. बैंक लिमिटेड	—	7.96	—	1.18
52	सूरत पीपल्स को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	6.46	6.20	2.11	2.34
53	ठाणे भारत सहकारी को- ऑप. बैंक लिमिटेड	—	7.39	—	0.80
54	ठाणे जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	6.50	6.55	0.34	0.63
55	वसावी को.-ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड #	12.77	10.44	7.71	0.00
56	विष्णागार नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	24.25	12.66	0.04	36.49
57	जोरास्ट्रीयन को- ऑप. बैंक लिमिटेड	—	6.25	—	1.45
	कुल	**7.19**	**6.51**	**2.40**	**2.51**

परिशिष्ट सारणी IV.2: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की अस्तियों के अनुपात के रूप में बैंकवार वित्तीय कार्य-निष्पादन के प्रमुख संकेतक *(समाप्त)*

(प्रतिशत)

क्र. सं.	बैंक का नाम	परिचालन व्यय		निवल ब्याज आय	
		2001-02	2002-03	2001-02	2002-03
1	2	13	14	15	16
1	अभ्युदय को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.95	2.38	4.44	4.53
2	अहमदाबाद मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड	1.49	1.66	4.68	5.05
3	अकोला- जनता कमर्शियल बैंक लिमिटेड	5.59	5.67	2.42	2.46
4	अकोला अर्बन सह-बैंक लिमिटेड	1.62	1.64	2.03	1.48
5	अमानत सह-बैंक लिमिटेड #	1.94	2.06	2.83	1.75
6	एपी महेश को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	2.44	3.24	3.86	4.40
7	बसिन कॅथलिक को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.66	1.49	3.17	3.09
8	भारत को.-ऑप. बैंक (मुंबई) लिमिटेड	2.73	2.68	4.46	4.49
9	भारती सहकारी बैंक लिमिटेड	—	1.90	—	1.31
10	बाम्बे मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.37	2.53	0.98	1.21
11	चारमीनार को. ऑप. शहरी बैंक लिमिटेड	1.75	1.23	-6.73	-1.08
12	चरोतार नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड#	1.45	0.78	0.62	1.39
13	सिटीजन क्रेडिट को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.70	1.74	3.25	2.19
14	को. ऑपरेटिव बैंक ऑफ अहमदाबाद	3.25	3.35	0.16	-0.81
15	कॉसमॉस को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	1.68	1.65	3.88	4.51
16	डोंबिवली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	1.93	1.73	3.98	3.70
17	गोवा अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड #	2.38	2.50	3.09	2.66
18	ग्रेटर बाम्बे को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.52	2.65	1.91	2.08
19	इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	2.12	1.96	2.32	1.74
20	इंडियन मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमि.	1.69	1.76	1.92	2.45
21	जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	2.21	2.44	1.64	1.24
22	जनलक्ष्मी को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.28	1.16	3.50	3.24
23	जनता सहकारी को-ऑप बैंक लिमिटेड	1.71	1.60	0.94	0.43
24	जनकल्याण सहकारी को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.92	1.72	3.82	3.19
25	कालुपूर कमर्शियलबैंक लिमिटेड	1.16	1.22	4.65	4.86
26	कल्याण जनता सहकारी को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.85	1.78	1.29	2.50
27	कपोल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	3.82	4.03	2.03	1.39
28	कराड अर्बन को-ऑप. बैंक लिमिटेड	3.09	3.22	2.70	1.44
29	खामगांव अर्बन को-ऑप. बैंक लिमिटेड	1.87	1.67	1.87	1.93
30	माधवपुरा मर्केंटाईल को-ऑप. बैंक लिमिटेड #	0.24	0.21	-1.62	-1.73
31	महानगर को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	3.12	2.92	4.61	3.38
32	मांडवी को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	3.20	2.20	2.48	1.92
33	मापसा अर्बन को.-ऑप. बैंक लिमिटेड #	2.81	2.38	-1.05	-0.65
34	मेहसाना अर्बन को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	0.90	1.11	2.62	4.30
35	नगर अर्बन को.-ऑप. बैंक लिमिटेड #	2.16	2.13	2.12	2.70
36	नागपुर नागरिक सहकारी को.-ऑप बैंक लिमिटेड	2.11	4.74	3.04	2.19
37	नासिक मर्चेंट् को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	2.04	2.04	4.37	3.79
38	न्यू इंडिया को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	3.39	3.04	4.65	4.86
39	नॉर्थ कन्नड जीएसबी को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	2.08	1.93	3.26	2.94
40	नूतन नागरिक सहकारी को.-ऑप बैंक लिमिटेड	2.77	2.91	3.36	3.45
41	पारसिक जनता सहकारी को.-ऑप बैंक लिमिटेड	1.95	1.69	3.70	3.60
42	प्रवर सहकारी को- ऑप्. बैंक लिमिटेड #	—	1.88	—	3.70
43	पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	2.33	2.29	3.30	3.12
44	राजकोट नागरिक सहकारी को.-ऑप बैंक लिमिटेड	1.09	1.11	2.30	2.41
45	रूपी को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	1.73	1.42	0.63	-0.36
46	सांगली को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	3.06	2.68	3.43	2.55
47	सारस्वत को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	2.34	2.20	2.50	2.57
48	सरदार भिलाडवाला पारदी पीपल्स को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	2.54	1.95	2.34	2.71
49	शामराव विठ्ठल को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	2.40	2.42	3.49	3.42
50	शिक्षक सहकारी को-ऑप बैंक लिमिटेड	1.49	1.53	-1.43	-2.35
51	सोलापूर सहकारी को- ऑप. बैंक लिमिटेड	—	2.38	—	3.81
52	सूरत पीपल्स को.-ऑप. बैंक लिमिटेड	2.05	2.21	3.89	4.51
53	ठाणे भारत सहकारी को- ऑप. बैंक लिमिटेड	—	2.11	—	2.00
54	ठाणे जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	2.22	2.21	3.52	3.62
55	वसावी को.-ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड #	3.56	3.58	3.76	3.68
56	विष्णागार नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	0.88	0.49	1.12	-4.17
57	जोरास्ट्रीयन को- ऑप. बैंक लिमिटेड	—	1.74	—	3.45
	कुल	**2.00**	**1.91**	**2.21**	**2.06**

2002-03 के लिए लेखा अपरीक्षित
स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलन-पत्र।

परिशिष्ट सारणी IV.3: ग्रामीण सहकारी बैंकों का वसूली संबंधी कार्य
(मांग की तुलना में प्रतिशत)

क्रम. सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	रा. स. बैंक		म. स. बैं.		रा. स. कृ. ग्रा. वि. बैं.		प्रा. स. कृ. ग्रा.वि. बैं.	
		2000-01	2001-02	2000-01	2001-02	2000-01	2001-02	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अंदमान और निकोबार	65	72	—	—	—	—	—	—
2	आंध्र प्रदेश	72	65	62	64	—	—	—	—
3	अरुणाचल प्रदेश	27	20	—	—	—	—	—	—
4	असम	22	5	10	9	1	10	—	—
5	बिहार	22	12	23	30	13	16	—	—
6	चंडीगढ़	50	62	—	—	—	—	—	—
7	छत्तीसगढ़	—	96	66	73	—	53	67	70
8	दिल्ली	42	36	—	—	—	—	—	—
9	गोवा	66	60	—	—	—	—	—	—
10	गुजरात	92	91	67	62	47	42	—	—
11	हरियाणा	99	99	79	78	88	88	62	62
12	हिमाचल प्रदेश	70	71	74	77	62	56	73	66
13	जम्मू और कश्मीर	20	34	27	42	36	37	—	—
14	झारखंड	—	—	19	21	—	—	—	—
15	कर्नाटक ##	84	90	69	65	31	26	35	12
16	केरल	94	93	79	76	92	85	66	56
17	मध्य प्रदेश	98	91	49	61	41	46	57	61
18	महाराष्ट्र #	76	70	66	54	36	13	—	30
19	मणिपुर	4	4	—	—	2	7	—	—
20	मेघालय	45	36	—	—	—	—	—	—
21	मिजोरम	29	33	—	—	—	—	—	—
22	नागालैंड	28	34	—	—	—	—	—	—
23	उड़ीसा	78	79	51	57	4	8	14	21
24	पांडिचेरी	95	69	—	—	28	57	—	—
25	पंजाब	96	96	82	88	97	90	75	66
26	राजस्थान	90	88	77	77	66	64	45	44
27	सिक्किम	95	43	—	—	—	—	—	—
28	तमिलनाडु	98	99	77	80	42	46	43	43
29	त्रिपुरा	24	28	—	—	53	51	—	—
30	उत्तर प्रदेश	76	75	48	49	86	86	—	—
31	उत्तरांचल	—	—	80	82	—	—	—	—
32	पश्चिम बंगाल	78	85	71	79	56	61	54	60
	अखिल भारतीय	**84**	**81**	**67**	**66**	**56**	**55**	**53**	**46**

2001-02 के डाटा अनन्तिम हैं।
@ अब तक कार्य करना प्रारम्भ नहीं हुआ।
# 1 अक्तूबर 2001 से फेडरल बना ।
31 मार्च का
— राज्य / संघशासित प्रदेश में कोई बैंक नहीं अथवा उपलब्ध नहीं ।
स्रोत : नाबार्ड

परिशिष्ट सारणी IV.4 : ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि के अंतर्गत स्वीकृतियों और संवितरणों की राज्य-वार स्थिति

(यथा 31 मार्च 2003)

(करोड़ रुपये)

क्रम सं.	राज्य	ग्राबुसुविनि - I		ग्राबुसुविनि - II		ग्राबुसुविनि - III		ग्राबुसुविनि - IV		ग्राबुसुविनि - V		ग्राबुसुविनि - VI		ग्राबुसुविनि - VII		ग्राबुसुविनि - VIII		कुल	
		ऋण स्वीकृतियां	संवितरण	ऋण स्वीकृतियां	संवितरण	ऋण स्वीकृतियां	संवितरण	ऋण स्वीकृतियां	संवितरण	ऋण स्वीकृतियां	संवितरण	ऋण स्वीकृतियां	संवितरण	ऋण स्वीकृतियां	संवितरण	ऋण स्वीकृतियां	संवितरण	ऋण स्वीकृतियां	संवितरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	आंध्र प्रदेश	227.09	215.13	337.59	307.70	290.88	251.60	304.59	242.30	383.09	283.73	570.80	396.84	627.28	347.14	909.56	124.56	3,650.88	2,169.00
2	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	25.10	19.96	88.50	61.41	69.41	18.11	—	—	183.01	99.48
3	असम	—	—	63.29	61.44	16.07	15.75	64.72	42.61	185.77	108.65	49.57	36.62	—	—	76.23	—	455.65	265.07
4	बिहार	22.17	12.63	—	—	57.96	26.93	—	—	—	—	—	—	129.69	16.28	218.93	—	428.75	55.84
5	छत्तीसगढ़	79.12	77.91	8.98	4.82	57.07	55.11	65.32	55.80	34.09	24.74	50.86	31.85	84.42	31.24	281.30	7.70	661.16	289.17
6	गोवा	6.85	6.85	—	—	—	—	8.93	8.70	—	—	19.09	7.64	15.79	6.53	16.10	—	66.76	29.72
7	गुजरात	150.90	145.47	133.79	114.34	163.00	134.86	136.36	81.78	254.06	153.86	554.75	301.62	40.90	12.27	283.82	128.46	1,717.58	1,072.66
8	हरियाणा	26.70	19.33	61.06	59.10	74.98	60.42	56.25	45.04	99.07	62.38	67.43	42.01	227.95	75.66	270.87	60.99	884.31	424.93
9	हिमाचल प्रदेश	14.23	14.23	52.96	52.83	51.12	49.02	88.58	75.28	112.01	96.65	135.03	94.46	174.51	82.39	196.85	39.09	825.29	503.95
10	जम्मू और कश्मीर	6.14	6.04	8.06	0.57	35.95	19.29	105.87	82.57	110.88	83.75	161.52	95.97	216.80	90.30	175.64	53.28	820.88	431.77
11	झारखंड	—	—	—	—	4.35	2.48	118.50	—	91.42	—	—	—	—	—	—	—	214.27	2.48
12	कर्नाटक	172.63	158.79	195.21	180.08	170.84	160.27	172.34	154.50	173.18	147.14	302.95	186.81	342.34	46.95	246.49	6.84	1,775.98	1,041.38
13	केरल	95.93	86.26	87.60	72.59	89.88	68.35	64.27	47.33	127.06	98.29	186.33	101.66	191.76	54.86	196.55	37.52	1,039.38	566.86
14	मध्य प्रदेश	161.32	137.12	210.30	216.13	192.28	169.44	177.00	125.64	228.87	131.94	292.79	148.00	311.89	137.51	575.23	110.05	2,149.68	1,175.83
15	महाराष्ट्र	186.81	169.87	231.66	204.27	254.31	240.23	301.98	250.68	350.28	308.15	439.17	263.35	529.73	150.27	443.09	30.30	2,737.03	1,617.12
16	मणिपुर	1.75	0.96	—	—	—	—	—	—	—	—	8.33	—	—	—	—	—	10.08	0.96
17	मेघालय	3.39	3.39	—	—	7.06	6.70	9.33	8.30	35.10	22.02	30.49	13.23	18.30	5.41	18.39	0.77	122.06	59.82
18	मिज़ोरम	2.38	2.37	—	—	—	—	—	—	54.17	41.67	3.76	3.76	7.33	7.33	2.00	—	69.64	55.13
19	नागालैंड	1.38	1.38	—	—	—	—	0.72	—	16.52	14.15	61.49	17.59	0.95	0.85	6.68	1.16	87.74	35.13
20	उड़ीसा	169.50	162.05	130.06	138.29	180.36	162.54	162.56	98.22	134.62	65.79	107.43	47.85	153.25	63.12	246.83	53.33	1,284.61	791.19
21	पंजाब	60.50	60.50	62.50	62.05	88.85	84.73	110.69	72.06	102.79	89.12	236.65	169.52	240.26	170.18	210.17	58.80	1,112.41	766.96
22	राजस्थान	123.51	116.86	151.50	128.67	158.48	136.35	67.34	37.84	132.00	104.68	253.75	240.07	435.12	256.66	346.75	117.62	1,668.45	1,138.75
23	तमिलनाडु	—	—	245.79	218.86	209.40	182.40	178.68	142.06	253.04	208.43	257.67	206.44	359.95	223.63	388.70	118.62	1,893.23	1,300.44
24	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	21.70	13.93	44.47	13.78	35.40	7.88	6.79	—	50.13	8.29	158.49	43.88
25	उत्तर प्रदेश	295.72	281.89	491.65	407.12	411.30	387.80	474.97	361.18	348.94	253.00	247.72	108.08	338.50	95.81	322.71	17.62	2,931.51	1,912.50
26	उत्तरांचल	—	—	—	—	21.68	2.43	50.80	6.47	4.98	—	—	—	53.96	16.19	75.43	38.79	206.85	63.88
27	पश्चिम बंगाल	102.52	81.84	155.82	144.82	171.97	160.33	213.74	189.11	222.29	161.59	413.23	202.09	474.41	142.59	520.73	112.64	2,274.71	1,195.01
28	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	21.29	19.37	8.72	8.72	4.55	3.63	5.48	4.45	4.89	—	44.93	36.17
	All India	**1,910.54**	**1,760.87**	**2,627.82**	**2,373.68**	**2,707.79**	**2,377.03**	**2,976.53**	**2,160.77**	**3,532.52**	**2,502.19**	**4,579.26**	**2,788.38**	**5,056.77**	**2,055.73**	**6,084.07**	**1,126.43**	**29,475.30**	**17,145.08**

स्रोत : नाबार्ड

परिशिष्ट सारणी V.1 : समस्त वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता

(करोड़ रुपये)

संस्थाएं	ऋण*				हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान				अन्य				कुल				निम्नलिखित की तुलना में प्रतिशत घट-बढ़ 2001-2002	
	2001-02		2002-03		2001-02		2002-03		2001-02		2002-03		2001-02		2002-03			
	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
अ. अखिल भारतीय विकास बैंक (1 से 5)	**54,132.4 {22,695.8}**	**38,783.4 {16,300.1}**	**17,012.9 {17,012.9}**	**12,731.3 {12,731.3}**	**9,489.8 {4,697.2}**	**7,540.7 {4,193.0}**	**2,208.2 {2,208.2}**	**1,652.2 {1,652.2}**	**226.3 {226.3}**	**231.9 {231.9}**	**113.6 {113.6}**	**117.1 {117.1}**	**63,848.5 {27,619.3}**	**46,556.0 {20,725.0}**	**19,334.7 {19,334.7}**	**14,500.6 {14,500.6}**	**-69.7 {-30.0}**	**-68.9 {-30.0}**
1. आइडीबीआइ	9,986.2 (284.6)	8,027.1 (302.1)	2,540.3 —	3,667.5 —	3,292.7 —	2,892.0 —	235.2 —	139.7 —	226.3 —	231.9 —	113.6 —	117.1 —	**13,505.2 (284.6)**	**11,151.0 (302.1)**	**2,889.1 —**	**3,924.3 —**	-78.6	-64.8
2. आइएफसीआइ	612.5	880.4	1,637.7	1,307.9	147.3	198.3	393.7	484.9	—	—	—	—	**759.8**	**1,078.7**	**2,031.4**	**1,792.8**	167.4	66.2
3. आइसीआइसीआइ	31,436.6	22,483.3	—	—	4,792.6	3,347.7	—	—	—	—	—	—	**36,229.2**	**25,831.0**	**—**	**—**		
4. सीडबी	9,025.5 (176.7)	5,919.3 (148.8)	10,903.6 (73.5)	6,789.4 (57.6)	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	**9,025.5 (176.7)**	**5,919.3 (148.8)**	**10,903.6 (73.5)**	**6,789.4 (57.6)**	20.8 (-58.4)	14.7 (-61.3)
5. आइआइबीआइ	559.8	283.9	163.1	51.5	760.9	786.1	1,043.4	993.4	—	—	—	—	**1,320.7**	**1,070.0**	**1,206.5**	**1,044.9**	-8.6	-2.3
6. IDFC	2,511.8	1,189.4	1,768.2	915.0	496.3	316.6	535.9	34.2	—	—	—	—	**3,008.1**	**1,506.0**	**2,304.1**	**949.2**	-23.4	-37.0
आ. विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं संस्थाएं (7 से 9)	**96.1**	**89.3**	**92.1**	**99.9**	**773.3**	**776.1**	**303.3**	**319.1**	**3.3**	**3.5**	**79.7**	**71.2**	**872.7**	**868.9**	**475.1**	**490.2**	**-45.6**	**-43.6**
7. आइवीसीएफ	—	0.5	—	—	—	0.1	—	—	3.3	3.5	1.5	1.5	**3.3**	**4.1**	**1.5**	**1.5**	-54.5	-63.4
8. आइसीआइसीआइ वेंचर	2.7	2.3	14.2	13.4	771.3	776.0	303.3	317.1	—	—	72.0	63.5	**774.0**	**778.3**	**389.5**	**394.0**	-49.7	-49.4
9. टीएफसीआइ	93.4	86.5	77.9	86.5	2.0	—	—	2.0	—	—	6.2	6.2	**95.4**	**86.5**	**84.1**	**94.7**	-11.8	9.5
इ. निवेश संस्थाएं (10 से 12)	**1,004.5**	**415.4**	**696.9**	**333.8**	**7,936.9**	**10,842.9**	**4,914.0**	**7,229.4**	**421.8**	**409.2**	**589.0**	**548.3**	**9,363.2**	**11,667.5**	**6,199.9**	**8,111.5**	**-33.8**	**-30.5**
10. एलआइसी	900.6	374.3	524.4	265.0	5,840.9	8,539.9	3,808.3	5,940.8	—	—	—	—	**6,741.5**	**8,914.2**	**4,332.7**	**6,205.8**	-35.7	-30.4
11. यूटीआइ	—	—	—	—	991.0	1,269.6	307.4	414.7	—	—	—	—	**991.0**	**1,269.6**	**307.4**	**414.7**	-69.0	-67.3
12. जीआइसी @	103.9	41.1	172.5	68.8	1,105.0	1,033.4	798.3	873.9	421.8	409.2	589.0	548.3	**1,630.7**	**1,483.7**	**1,559.8**	**1,491.0**	-4.3	0.5
ई. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल सहायता (अ+आ+इ)	**55,233.0 {23,796.4}**	**39,288.1 {16,804.8}**	**17,801.9 {17,801.9}**	**13,165.0 {13,165.0}**	**18,200.0 {13,407.4}**	**19,159.7 {15,812.0}**	**7,425.5 {7,425.5}**	**9,200.7 {9,200.7}**	**651.4 {651.4}**	**644.6 {644.6}**	**782.3 {782.3}**	**736.6 {736.6}**	**74,084.4 {37,855.2}**	**59,092.4 {33,261.4}**	**26,009.7 {26,009.7}**	**23,102.3 {23,102.3}**	**-64.9 {-31.3}**	**-60.9 {-30.5}**
उ. राज्य-स्तरीय संस्थाएं (12 और 13)	**3,703.5**	**3,409.4**	..	..	**62.3**	**20.0**	..	..	**37.9**	**37.9**	**..**	**..**	**3,803.7**	**3,467.3**	**..**	**..**	**..**	**..**
13. एसएफसी	2,210.2	1,749.6	..	..	—	—	..	..	—	—	..	..	2,210.2	1,749.6	..	..	..	..
14. एसआइडीसी	1,493.3	1,659.8	..	..	62.3	20.0	..	..	37.9	37.9	..	..	1,593.5	1,717.7	..	..	..	..
ऊ. समस्त वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल सहायता (ई+उ)	**58,936.5 {27,499.9}**	**42,697.5 {20,214.2}**	..	..	**18,262.3**	**19,179.7**	..	..	**689.3**	**682.5**	**..**	**..**	**77,888.1 {41,658.9}**	**62,559.7 {36,728.7}**	**..**	**..**	**..**	**..**

स्वी : स्वीकृत संवि. संवितरित —: शून्य .. : अनुपलब्ध

* : ऋणों में रुपया ऋण, विदेशी मुद्रा ऋण और गारंटी शामिल हैं।

@ : आंकड़ों में साधारण बीमा निगम तथा इसकी सहायक संस्थाएं शामिल हैं ।

टिप्पणी : 1. आंकड़े सभी अनंतिम है।

2. अंतर-संस्थागत प्रवाह के लिए समायोजित आंकड़े कोष्ठक में दर्शाये गये हैं। इसमें एसएफसी और एसआइडीसी को प्रदत्त प्रारंभिक पूंजी तथा ऋण आइडीबीआइ/सिडबी के पुनर्वित्त के समायोजन और वितीय संस्थाओं के शेयरों और बांडों के अंशदान शामिल हैं।

3. अन्य मदों (कॉ. 10 से 13) में आइवीसीएफ और यूटीआइ के मामले में अल्पावधिक ऋण/अनुपूरक ऋण शामिल हैं।

4. Figures in brackets { } excluding ICICI.

स्रोत : आईडीबीआइ तथा सिडबी और संबंधित वित्तीय संस्था।

परिशिष्ट सारणी V.2 :वित्तीय संस्थाओं की निधियों के स्रोतों और विनियोजन का स्वरूप*

(राशि करोड़ रु. में)

निधियों के स्रोत / विनियोजन	2001-02										2002-03									
	निम्नलिखित को समाप्त तिमाही								कुल		निम्नलिखित को समाप्त तिमाही								कुल	
	जून-01		सितंबर-01		दिसंबर-01		मार्च-2002		(अप्रैल-मार्च)		जून-02		सितंबर-02		दिसंबर-02		मार्च-2003		(अप्रैल-मार्च)	
	राशि	अंश	राशि	अंश	राशि	अंश	राशि	अंश	राशि	अंश	राशि	अंश	राशि	अंश	राशि	अंश	राशि	अंश	राशि	अंश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
निधियों के स्रोत																				
(i) आंतरिक	18,870	50.5	23,332	56.1	18,504	54.9	17,914	53.9	**78,620**	**53.9**	10,285	56.1	12,000	53.7	6,573	35.9	20,190	55.1	**49,048**	**51.3**
	(10,680)	(49.4)	(13,448)	(57.2)	(9,199)	(47.8)	(17,914)	(53.9)	**(51,241)**	**(52.5)**										
(ii) बाह्य	11,779	31.5	10,373	24.9	8,982	26.6	11,011	33.1	**42,145**	**28.9**	4,465	24.4	6,586	29.5	8,101	44.3	13,128	35.9	**32,280**	**33.8**
	(6,688)	(30.9)	(4,569)	(19.4)	(6,170)	(32.0)	(11,011)	(33.1)	**(28,438)**	**(29.1)**										
(iii) अन्य स्रोत	6,698	17.9	7,896	19.0	6,218	18.4	4,308	13.0	**25,120**	**17.2**	3,577	19.5	3,744	16.8	3,620	19.8	3,293	9.0	**14,234**	**14.9**
	(4,248)	(19.7)	(5,492)	(23.4)	(3,886)	(20.2)	(4,308)	(13.0)	**(17,934)**	**(18.4)**										
निधियों के कुल स्रोत (i+ii+iii)	37,347	100.0	41,601	100.0	33,704	100.0	33,233	100.0	**145,885**	**100.0**	18,327	100.0	22,330	100.0	18,294	100.0	36,611	100.0	**95,562**	**100.0**
	(21,616)	(100.0)	(23,509)	(100.0)	(19,255)	(100.0)	(33,233)	(100.0)	**(97,613)**	**(100.0)**										
निधियों का विनियोजन																				
(i) नये विनियोजन	18,939	50.7	20,498	49.3	16,791	49.8	17,316	52.1	**73,544**	**50.4**	6,145	33.5	12,145	54.4	9,283	50.7	24,455	66.8	**52,028**	**54.4**
	(10,754)	(49.8)	(10,820)	(46.0)	(9,399)	(48.8)	(17,316)	(52.1)	**(48,289)**	**(49.5)**										
(ii) विगत उधारों की चुकौती	10,172	27.2	10,824	26.0	7,945	23.6	8,066	24.3	**37,007**	**25.4**	3,836	20.9	5,649	25.3	3,009	16.4	4,984	13.6	**17,478**	**18.3**
	(5,259)	(24.3)	(4,356)	(18.5)	(3,134)	(16.3)	(8,066)	(24.3)	**(20,815)**	**(21.3)**										
(iii) अन्य विनियोजन	8,236	22.1	10,279	24.7	8,968	26.6	7,851	23.6	**35,334**	**24.2**	8,346	45.5	4,536	20.3	6,002	32.8	7,172	19.6	**26,056**	**27.3**
	(5,603)	(25.9)	(8,333)	(35.4)	(6,722)	(34.9)	(7,851)	(23.6)	**(28,509)**	**(29.2)**										
जिनमें से : ब्याज चुकौती	4,929	13.2	6,387	15.4	4,723	14.0	3,069	9.2	**19,108**	**13.1**	3,020	16.5	2,759	12.4	2,784	15.2	2,170	5.9	**10,733**	**11.2**
	(3,256)	(15.1)	(4,748)	(20.2)	(3,149)	(16.4)	(3,069)	(9.2)	**(14,222)**	**(14.6)**										
निधियों का कुल विनियोजन (i+ii+iii)	37,347	100.0	41,601	100.0	33,704	100.0	33,233	100.0	**145,885**	**100.0**	18,327	100.0	22,330	100.0	18,294	100.0	36,611	100.0	**95,562**	**100.0**
	(21,616)	(100.0)	(23,509)	(100.0)	(19,255)	(100.0)	(33,233)	(100.0)	**(97,613)**	**(100.0)**										

* वित्तीय संस्थाओं में आइडीबीआइ, आइसीआइसीआइ, आइएफसीआइ, आइआइबीआइ, एक्जिम बैंक, टीएफसीआइ लि., नाबार्ड, सिडबी, आइडीएफसी और एनएचबी शामिल हैं ।

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों के आंकड़े में आइसीआइसीआइ शामिल नहीं हैं ।

2. शेयर - उस श्रेणी के कुल के प्रतिशत के रूप में ।

परिशिष्ट सारणी V.3 (अ) : वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय आस्तियां : संस्थावार

(राशि करोड़ रुपये में)

संस्थाएं	मार्चांत को						
	1990-91	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01P	2001-02P	2002-03P
1	2	3	4	5	6	7	8
अ. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं							
1. आइडीबीआइ	22,701	58,614	66,136 (12.8)	69,018 (4.4)	70,059 (1.5)	65,444 (-6.6)	62,361 (-4.7)
2. नाबार्ड	12,664	25,027	28,803 (15.1)	32,999 (14.6)	38,491 (16.6)	44,351 (15.2)	49,554 (11.7)
3. आइसीआइसीआइ	7,084	45,340	56,515 (24.6)	62,828 (11.2)	72,033 (14.7)	@	@
4. आइएफसीआइ	5,835	19,924	22,034 (10.6)	21,927 (-0.5)	21,292 (-2.9)	20,338 (-4.5)	22,481 (10.5)
5. एक्जिम बैंक	1,984	5,186	5,641 (8.8)	6,863 (21.7)	7,245 (5.6)	8,051 (11.1)	12,011 (49.2)
6. आइआइबीआइ	818	2,508	3,764 (50.1)	4,089 (8.6)	4,675 (14.3)	4,526 (-3.2)	4,526 # (0.0)
7. एनएचबी	969	4,617	5,143 (11.4)	6,239 (21.3)	6,972 (11.7)	6,827 (-2.1)	10,018 (46.8)
8. आइडीएफसी	—	—	2,302	2,439 (6.0)	2,854 (17.0)	3,252 (13.9)	3,845 (18.2)
9. सिडबी	5,317	13,764	15,479 (12.5)	16,388 (5.9)	16,909 (3.2)	17,458 (3.2)	17,427 (-0.2)
अ का जोड़ (1 से 9)	**57,371**	**1,74,980**	**2,05,817 (17.6)**	**2,22,790 (8.2)**	**2,40,530 (8.0)**	**1,70,247 (-29.2)**	**1,82,223 (7.0)**
आ. राज्य स्तरीय संस्थाएं							
10. एसएफसी	6,412	12,555	10,437 (-16.9)	12,218 (17.1)	12,692 (3.9)	12,712 ## (0.2)	12,712 # (0.0)
11. एसआइडीसी	3,637	8,648	11,192 (29.4)	12,300 (9.9)	12,300 # (0.0)	12,300 # (0.0)	12,300 # (0.0)
आ का जोड़ (10 से 11)	**10,048**	**21,203**	**21,629 (2.0)**	**24,518 (13.4)**	**24,992 (1.9)**	**25,012 (0.1)**	**25,012 # (0.0)**
इ. निवेश संस्थाएं							
12. एलआइसी	29,040	1,08,847	1,31,780 (21.1)	1,59,949 (21.4)	1,92,482 (20.3)	2,44,448 (27.0)	2,44,448 # (0.0)
13. जीआइसी और सहायक संस्थाएं	6,362	20,788	23,717 (14.1)	26,834 (13.1)	29,824 (11.1)	41,867 (40.4)	41,867 # (0.0)
14. यूटीआइ	23,164	67,686	71,526 (5.7)	81,034 (13.3)	79,564 (-1.8)	64,223 (-19.3)	64,223 # (0.0)
इ का जोड़ (12 से 14)	**58,565**	**1,97,321**	**2,27,023 (15.1)**	**2,67,817 (18.0)**	**3,01,870 (12.7)**	**3,50,538 (16.1)**	**3,50,538 # (0.0)**
ई. अन्य संस्थाएं							
15. डीआइसीजीसी	1,744	6,138	5,251 (-14.5)	5,607 (6.8)	6,311 (12.6)	6,933 (9.9)	7,786 (12.3)
16. ईसीजीसी	244	776	1,038 (33.8)	1,347 (29.8)	1,643 (22.0)	1,663 (1.2)	1,737 (4.4)
ई का जोड़ (15+16)	**1,987**	**6,914**	**6,289 (-9.0)**	**6,954 (10.6)**	**7,954 (14.4)**	**8,596 (8.1)**	**9,523 (10.8)**
सकल जोड़ (अ + आ + इ + ई)	**1,27,972**	**4,00,418**	**4,60,757 (15.1)**	**5,22,079 (13.3)**	**5,75,346 (10.2)**	**5,54,393 (-3.6)**	**5,67,296 (2.3)**

अ अनंतिम # अंक दोहराए गए ।

@ आइसीआइसीआइ बैंक लिमि. में समामेलित ।

आठ राज्यों के संबंध में एसएफसी के आंकड़े वर्ष 2001-02 के लिए दोहराये गये आंकड़े हैं ।

नोट : 1. आंकड़े संबंधित वित्तीय संस्थाओं के लेखा वर्ष से संबंधित हैं । जहां तक आइएफसीआइ का संबंध है, 1992-93 तक के वर्षों की वित्तीय परिसंपत्तियों के स्टॉक जून के अंत के हैं, जबकि आएएफसीआई का लेखा वर्ष परिवर्तन के कारण 1993-94 के आंकड़े मार्च में अंत के हैं ।

2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में हुए प्रतिशत परिवर्तन दर्शाते हैं ।

परिशिष्ट सारणी V.3 (आ) : बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय आस्तियां

(राशि करोड़ रुपये में)

संस्थाएं	मार्चांत को						
	1990-91	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01P	2001-02P	2002-03P
1	2	3	4	5	6	7	8
I. बैंक (3+4)*	**2,32,786**	**6,54,406**	**7,61,326**	**8,88,781**	**10,50,276**	**12,69,034**	**14,44,993**
			(16.3)	(16.7)	(18.2)	(20.8)	(13.9)
1. अनुसूचित वाणिज्य बैंक**	2,22,613	6,28,332	7,26,129	8,51,100	10,09,150	12,23,008	13,98,967
2. गैर-अनुसूचित वाणिज्य बैंक***	77	—	—	—	—	—	—
3. कुल वाणिज्य बैंक (1+2)	2,22,690	6,28,332	7,26,129	8,51,100	10,09,150	12,23,008	13,98,967
4. राज्य सहकारी बैंक+	10,096	26,074	35,197	37,681	41,126	46,026	46,026 @*
II. वित्तीय संस्थाएं (5 से 8)++	**1,27,972**	**4,00,418**	**4,60,758**	**5,22,079**	**5,75,346**	**5,54,393**	**5,67,296**
			(15.1)	(13.3)	(10.2)	(-3.6)	(2.3)
5. मीयादी ऋणदात्री संस्थाए# (अखिल भारतीय)	57,371	1,74,980	2,05,817	2,22,790	2,40,530	1,70,247	1,82,223
6. राज्य स्तरीय संस्थाएं@	10,048	21,203	21,629	24,518	24,992	25,012	25,012 @*
7. निवेश संस्थाएँ @@	58,566	1,97,321	2,27,023	2,67,817	3,01,870	3,50,538	3,50,538 @*
8. अन्य संस्थाएं @#	1,987	6,914	6,289	6,954	7,954	8,596	9,523
III. कुल (I+II)	**3,60,758**	**10,54,824**	**12,22,084**	**14,10,860**	**16,25,622**	**18,23,427**	**20,12,289**
			(15.9)	(15.4)	(15.2)	(12.2)	(10.4)
IV. प्रतिशत अंश :							
क) I से III	64.5	62.0	62.3	63.0	64.6	69.6	71.8
ख)II से III	35.5	38.0	37.7	37.0	35.4	30.4	28.2

अ. : अनंतिम @* आंकड़े दोहराये गए हैं ।

* इसमें निम्नलिखित मदें शामिल हैं : (i) नकदी शेष और रिज़र्व बैंक के पास शेष राशियाँ, (ii) बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां, (iii) निवेश, (iv) बैंक ऋण (कुल ऋण, नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और खरीदे और भुनाये गये बिल) और (v) बैंकों से प्राप्य बकाया राशियाँ ।

** भारिबैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के अंतर्गत विवरणियों के अनुसार । 1991 से आरंभ के आंकड़े मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं । आइसीआइसीआइ बैंक लिमि. सम्बन्धी आंकड़े प्रकाशित तुलन-पत्र में दिये गये अनुसार 31 मार्च 2002 से संबंधित हैं ।

*** बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27 के अंतर्गत विवरणियों के अनुसार । आंकड़े मार्च के अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं ।

\+ 1990 से बाद के आंकड़े मार्च के अंतिम रिर्पोटिंग शुक्रवार से संबंधित हैं ।

++ आंकड़े संबंधित वित्तीय संस्था के लेखा वर्ष से संबंधित हैं ।

\# मीयादी ऋणदात्री संस्थाओं में आइडीबीआइ, नाबार्ड, आइसीआइसीआइ, आइएफसीआइ, एक्जिम बैंक, आइआइबीआइ, एनएचबी और आइडीएफसी शामिल हैं । मार्च 2002 के अंत के लिए आंकड़ों में आइसीआइसीआइ शामिल नहीं हैं क्योकि यह आइसीआइसीआइ बैंक लि. में समामेलित हो गया था ।

@ राज्य वित्त निगम और राज्य उद्योग विकास निगम शामिल हैं ।

@@ यूटीआइ, एलआइसी और जीआइसी और इनकी सहायक संस्थाएं शामिल हैं

@# निबीप्रगानि और निऋगानि शामिल हैं ।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत घट-बढ़ दर्शाते हैं ।

परिशिष्ट सारणी V.4 : वित्तीय संस्थाओं के चुनिन्दा वित्तीय मानदण्ड

(मार्च 2003 के अन्त तक)

(प्रतिशत)

क्र.	वित्तीय संस्था	ब्याज आय/ औसत कार्यशील निधि	ब्याजतर आय/औसत कार्यशील निधि	परिचालनगत लाभ/औसत कार्यशील निधि	औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ	प्रति कर्मचारी निवल लाभ
1	2	3	4	5	6	7
1	एक्जिम बैंक	7.07	1.09	3.39	2.11	1.24
2	आइडीबीआइ	9.44	2.09	2.41	0.62	0.14
3	आइडीएफ़सी	9.72	2.87	5.50	4.94	1.36
4	आइएफ़सीआइ	6.00	0.54	-1.12	-1.20	-0.30
5	आइआइबीआइ	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
6	नाबार्ड	8.84	0.10	3.96	3.22	0.29
7	एनएचबी*	8.48	0.65	1.51	0.82	1.63
8	सिडबी	8.84	0.48	3.13	1.79	0.22
9	टीएफ़सीआइ	12.85	1.40	3.41	1.12	0.29

उ.न. उपलब्ध नहीं

* 30 जून 2003 को एनएचबी का लेखा-परिक्षित डाटा

स्रोत : सम्बन्धित वित्तीय सस्थाओं के तुलन-पत्रक

परिशिष्ट सारणी V.5 : निवल निष्पादन रहित आस्तियाँ

(मार्च 2003 के अन्त तक)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम.	संस्था	मानक		अवमानक		संदिग्ध आस्तियाँ		निवल एनपीए		निवल एनपीए औसत / निवल ऋण	
		2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	सावधि उधार देनेवाली संस्थाएँ	**64,270**	**61,712**	**3,776**	**3,989**	**7,596**	**10,308**	**11,372**	**14,297**	**15.0**	**18.8**
1.	आइडीबीआइ	40,947	38,043	2,490	2,840	3,865	4,317	6,355	7,157	13.4	15.8
2.	आइएफसीआइ	13,373	11,222	877	519	2,996	5,464	3,873	5,983	22.5	34.8
3.	आइआइबीआइ	1,700	1,211	115	394	424	425	539	819	24.1	40.3
4.	एक्जिम बैंक	5,624	7,990	247	184	201	0	448	184	7.4	2.2
5.	टीएफसीआइ	619	589	47	49	110	102	157	152	20.2	20.5
6.	आइडीएफसी	2,007	2,657	0	3	0	0	0	3	0	0.1
	पुनर्वित्तदायक वित्तीय संस्थाएँ	**57,935**	**62,827**	**270**	**90**	**112**	**383**	**382**	**474**	**0.7**	**0.7**
7.	सिडबी	12,345	11,806	270	89	112	383	382	473	3.0	3.8
8.	नाबार्ड	40,960	45,250	0	1	0	0	0	1	0	0
9.	एनएचबी	4,630	5,771	0	0	0	0	0	0	0	0
	जोड़	**1,22,205**	**1,24,539**	**4,046**	**4,079**	**7,708**	**10,691**	**11,754**	**14,771**	**8.8**	**10.6**

स्रोत : सम्बन्धित विसं से प्राप्त विवरणियाँ

परिशिष्ट सारणी V.6 : चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं व्दारा रुपया बाँडों / डिबेंचर* के जरिए जुटाए गए संसाधनों की परिपक्वता / भारित औसत लागत

(राशि करोड़ रुपये में)

संस्था / वर्ष	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आइडीबीआइ									
जुटाए गए संसाधन	5,030	5,959	9,834	13,171	15,819	8,495	7,727	8,405	10,207
बकाया	23,912	26,033	29,503	35,286	41,748	46,443	46,929	45,464	45,280
आइआइबीआइ									
जुटाए गए संसाधन	—	—	365	797	1,223	689	458	551	150
बकाया	—	—	1,241	1,856	1,799	2,084	2,140	1,807	1,468
आइएफसीआइ									
जुटाए गए संसाधन	—	1,637	4,051	3,366	3,544	1,783	1,634	651	267
बकाया	—	11,270	14,640	18,018	20,173	20,092	19,966	19,788	20,046
टीएफसीआइ									
जुटाए गए संसाधन	75	122	232	234	158	104	109	48	93
बकाया	230	402	554	685	767	815	676	689	632
एक्जिम									
जुटाए गए संसाधन	60	173	—	—	500	800	300	625	2,505
बकाया	644	817	817	817	1,275	2,050	2,026	3,067	5,424
आइडीएफसी									
जुटाए गए संसाधन	—	—	—	—	500	—	250	250	400
बकाया	—	—	—	—	500	500	750	1,000	1,400
सिडबी									
जुटाए गए संसाधन	500	150	350	50	50	357	822	1,224	961
बकाया	1,307	1,457	1,807	1,651	1,701	2,058	2,863	3,020	2,498
राकृग्राविबैंक									
भारित औसत लागत	—	84	266	164	354	569	1,472	2,549	2,988
बकाया	—	7,501	7,922	7,937	8,903	9,787	18,966	23,496	27,675
एनएचबी									
जुटाए गए संसाधन	147	23	525	325	475	667	500	238	1,877
बकाया	1,750	1,724	3,005	3,464	4,069	4,795	5,232	4,678	6,384
कुल जुटाए गए संसाधन	**5,812**	**8,147**	**15,623**	**18,106**	**22,623**	**13,464**	**13,271**	**14,541**	**19,447**
कुल बकाया	**27,842**	**49,203**	**59,489**	**69,714**	**80,934**	**88,624**	**99,549**	**1,03,009**	**1,10,807**

* कुछ वित्तीय संस्थाओं के संबंध में जमा प्रमाणपत्र, सीपी, आइसीडी, मीयादी जमाराशि तथा समयावधि उधार आदि लिखतों के जरिए जुटाए गए संसाधन शामिल हैं।

टिप्पणी : इस सारणी की विषयवस्तु सारणी सं. V.10, V.11 तथा V.12 से मेल नहीं खाती।

परिशिष्ट सारणी V.7 : चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा रुपया बाँडों / डिबेंचर* के जरिए जुटाए गए संसाधनों की परिपक्वता / भारित औसत लागत

भारित औसत कीमत (प्रतिशत में) भारित औसत परिपक्वता (वर्ष में)

संस्था / वर्ष	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आइडीबीआइ									
भारित औसत लागत	12.4	15.8	15.7	12.3	13.5	12.1	11.2	9.8	8.4
भारित औसत परिपक्वता		2.4	2.7	3.0	4.9	5.1	3.9	2.6	2.8
आइआइबीआइ									
भारित औसत लागत							13.2	12.9	12.8
भारित औसत परिपक्वता							5.6	6.4	7.0
आइएफसीआइ									
भारित औसत लागत	उ. न.	15.9	16.1	13.0	13.9	12.9	12.5	11.1	8.7
भारित औसत परिपक्वता	उ. न.	4.5	8.3	5.3	5.7	7.0	6.5	6.8	5.1
टीएफसीआइ									
भारित औसत लागत	13.2	15.7	16.8	14.1	14.1	12.5	11.8	10.5	10.1
भारित औसत परिपक्वता	5.7	3.7	4.9	4.6	5.7	5.2	9.0	7.0	8.5
एक्जिम									
भारित औसत लागत	11.5	12.5	12.5	12.5	12.9	12.5	12.2	10.8	8.9
भारित औसत परिपक्वता	10.9	8.4	7.4	6.4	5.6	4.2	3.6	6.4	6.1
आइडीएफसी									
भारित औसत लागत					12.5		10.9	9.0	7.6
भारित औसत परिपक्वता					5.0		5.0	5.0	5.6
सिडबी									
भारित औसत लागत	12.9	14.0	15.3	12.3	12.4	9.7	9.8	7.5	6.6
भारित औसत परिपक्वता	7.2	10.0	5.7	10.0	10.0	2.6	1.3	1.0	2.3
राकृग्राविबैंक									
भारित औसत लागत	उ. न.	14.0	11.1	9.8	11.2	10.6	9.5	7.9	6.1
भारित औसत परिपक्वता	उ. न.	10.0	8.3	8.2	8.0	4.4	3.0	2.6	3.2
एनएचबी									
भारित औसत लागत	12.9	14.0	13.4	10.5	11.2	11.1	10.2	8.7	6.4
भारित औसत परिपक्वता	5.8	10.0	6.7	8.9	9.0	9.5	5.8	7.4	4.0

डाटा अनन्तिम है।

उ. न. : उपलब्ध नहीं

* मात्र रुपया संसाधन शामिल तथा विदेशी मुद्रा उधार शामिल नहीं है। फिर भी, परिशिष्ट सारणी V.5 के टिप्पणी में दर्शाए गए अनुसार लिखतें। इस सारणी की विषयवस्तु सारणी सं. V.10, V.11 तथा V.12 से मेल नहीं खाती।

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत।

परिशिष्ट सारणी V.8 : पारस्परिक निधियों द्वारा श्रेणीवार संसाधन-संग्रहण

(करोड़ रुपये)

वर्ष (अप्रैल-मार्च)	सरकारी क्षेत्र की पारस्परिक निधियां				निजी क्षेत्र की पारस्परिक निधियाँ	कुल जोड़ (5+6)
	बैंक द्वारा प्रायोजित	वित्तीय संस्थाए द्वारा प्रायोजित	भारतीय यूनिट ट्रस्ट	जोड़ (2+3+4)		
1	2	3	4	5	6	7
1995-96	113.3	234.8	-6,314.0	-5,965.9	133.0	-5,832.9
	(4)	(3)	(1)	(8)	(11)	(19)
1996-97	5.9	136.9	-3,043.0 @	-2,900.2	863.6	-2,036.6
	(3)	(2)	(1)	(6)	(17)	(23)
1997-98	236.9	203.4	2,875.0	3,315.3	748.6	4,063.9
	(2)	(3)	(1)	(6)	(15)	(21)
1998-99	-88.3	546.8	170.0	628.5	2,066.9	2,695.4
	(2)	(3)	(1)	(6)	(16)	(22)
1999-2000	335.9	295.5	4,548.0	5,179.4	16,937.4	22,116.8
	(6)	(3)	(1)	(10)	(27)	(37)
2000-01	517.8	1,272.8	322.0	2,112.6	9,869.1	11,198.7
	(6)	(3)	(1)	(10)	(27)	(37)
2001-02 अ	861.6	612.8	-7,284.0	-5,809.6	12,947.9	7,138.3
	(6)	(3)	(1)	(10)	(27)	(37)
2002-03 अ	1,074.5	913.7	-9,434.0	-7,445.8	12,025.9	4,580.1
	(4)	(3)	(1)	(8)	(29)	(37)

अ : अनंतिम

@ पुनर्निवेश बिक्रियां शामिल नहीं हैं ।

टिप्पणी:
1. यूटीआइ से संबंधित आंकड़े घरेलू योजनाओं के अंतर्गत निवल बिक्री के सकल मूल्य (प्रीमियम सहित) हैं तथा अन्य म्युचुअल फंडों के लिए आंकड़े समस्त चालू योजनाओं के अन्तर्गत निवल बिक्री दर्शाते हैं ।
2. आंकड़ों में अपतटीय निधियों और 'रोल ओवर' योजनाओं द्वारा जुटायी गयी राशियां शामिल नहीं हैं ।
3. कोष्ठकों के आंकड़े उन पारस्परिक निधियों की संख्या दर्शाते हैं जिन्होंने वर्ष के दौरान संसाधन जुटाये । कोष्ठकों में इंगित संख्या से वास्तविक परिचालनगत निधियों की संख्या अधिक हो सकती हैं ।

स्रोत : यूटीआइ और संबंधित पारस्परिक निधियां वर्ष 2001-02 तक एवं सेबी 2002-03 के लिए।

परिशिष्ट सारणी VI.1 : प्राथमिक व्यापारियों का कार्य- निष्पादन

(31 मार्च 2003 के अंत में)

(करोड़ रु.)

क्रमांक	प्राथमिक व्यापारी का नाम	आय				व्यय			कर पूर्व लाभ	करोत्तर लाभ	निवल मालियत पर प्रतिलाभ
		ब्याज आय	व्यापार लाभ	अन्य आय	कुल आय	ब्याज व्यय	अन्य व्यय	कुल व्यय			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	एसटीसीआइ	278.85	202.82	4.21	485.88	145.94	8.94	154.88	331.00	208.13	24.14
2	डीएफएचआइ	185.61	112.94	1.58	300.13	89.00	5.67	94.67	205.46	129.89	19.72
3	जीएसटीसी	92.63	55.93	0.26	148.82	57.03	3.77	60.80	88.02	55.26	19.69
4	आइसीआइसीआइ प्रतिभू	129.89	123.18	52.26	305.33	87.12	68.84	155.96	149.36	102.95	30.70
5	भा. स्टेट बैंक गिल्टें	85.19	76.06	0.27	161.52	49.92	3.60	53.52	108.00	67.90	26.72
6	पं. नै. बैंक गिल्टें	126.51	101.79	1.80	230.10	70.69	9.40	80.09	150.01	92.51	20.86
7	जे. पी. मोरगन	28.59	23.77	0.79	53.15	12.14	5.01	17.15	36.00	22.69	13.00
8	एबीएन अमरो	32.76	-2.42	8.95	39.29	16.30	22.78	39.08	0.21	0.86	0.67
9	कोटक महीन्द्र	32.64	31.88	24.61	89.13	16.74	24.52	41.26	47.88	30.99	16.93
10	डीएसपी मरील लिंच	37.63	58.21	162.31	258.15	21.75	99.97	121.72	136.42	84.56	27.85
11	डूश प्रतिभू	25.53	43.71	0.17	69.41	12.27	4.27	16.54	52.86	33.10	21.00
12	आइडीबीआइ कैपिटल	201.24	294.16	8.55	503.95	122.87	13.69	136.56	367.39	228.15	51.00
13	कोर्प बैंक	72.29	36.48	0.44	109.21	41.96	1.66	43.62	65.59	41.48	23.41
14	एचएसबीसी	13.50	18.67	0.78	32.95	5.70	2.89	8.59	24.36	15.34	22.00
15	बीओ अमरीका	8.93	10.77	0.15	19.85	3.94	2.65	6.59	13.26	8.25	13.00
16	स्टैनचार्ट यूटीआइ	19.10	7.07	0.21	26.38	10.85	2.02	12.87	13.52	7.20	12.64
17	बीओबी कैपिटल	14.10	12.65	1.12	27.87	7.55	4.50	12.05	15.82	9.30	9.42
18	सिटीकार्प	1.17	0.03	0.00	1.20	0.04	0.45	0.49	0.71	0.43	0.80
	कुल	**1,386.16**	**1,207.70**	**268.46**	**2,862.32**	**771.81**	**284.63**	**1,056.44**	**1,805.87**	**1,138.99**	—

परिशिष्ट सारणी VI.2 : प्राथमिक व्यापारियों की चुनिंदा आस्तियाँ व देयताएँ

(करोड़ रुपये)

क्रमांक	प्राथव्या के नाम	पूँजीगत निधियाँ (प्रदत्त पूंजी सहित भण्डार का आधिक्य)		ऋार (%)		सरकारी प्रतिभूतियाँ व राजकोष बिल का स्टॉक		कुल आस्तियाँ (चालू देयताएँ व प्रावधान के निवल)	
		2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	एसटीसीआइ	801.38	923.21	29.13	21.74	1,917.78	2,602.40	2,450.45	3,235.32
2	डीएफएचआइ	614.76	702.77	51.40	40.05	1,819.28	1,389.79	2,777.87	1,600.38
3	जीएसटीसी	237.37	280.65	67.01	42.33	1,145.59	1,029.35	1,159.74	1,062.21
4	आइसीआइसीआइ प्रतिभू	319.19	351.08	26.02	27.96	1,414.83	1,497.35	2,052.74	2,190.94
5	भा. स्टेट बैंक गिल्टें	234.32	273.95	31.00	36.05	765.94	610.34	789.00	603.73
6	पं. नै. बैंक गिल्टें	416.28	472.45	41.80	18.89	578.03	839.05	779.95	1,171.11
7	जे. पी. मोरगन	169.11	192.02	33.80	39.00	431.29	313.15	533.73	419.98
8	एबीएन अमरो	164.83	127.58	24.58	35.94	208.53	231.38	320.68	301.23
9	कोटक महीन्द्र	170.05	196.09	38.00	33.00	212.20	260.98	328.25	403.06
10	डीएसपी मरील लिंच	289.31	317.84	46.21	49.70	422.66	706.25	622.47	1,003.07
11	डूश प्रतिभू	139.98	174.90	106.00	42.00	180.90	340.93	205.78	433.90
12	आइडीबीआइ कैपिटल	388.20	515.37	54.58	40.36	1,734.60	2,592.82	1,808.45	2,736.55
13	कोर्प बैंक	152.64	177.19	43.41	15.49	748.89	1,030.17	742.15	1,043.37
14	एचएसबीसी	67.09	71.56	48.60	52.00	182.76	469.70	187.09	450.96
15	बीओ अमरीका	57.69	65.95	74.86	191.41	77.73	54.55	129.00	92.09
16	स्टैनचार्ट यूटीआइ	56.46	56.93	35.80	40.32	218.57	441.40	223.23	472.18
17	बीओबी कैपिटल@	0.00	102.02	0.00	144.60	0.00	108.94	0.00	102.02
18	सिटीकार्प	—	53.43	—	1,033.30	—	54.24	—	56.38
19	टाटा टीडी वॉटर हाऊस @@	91.87	—	53.36	—	157.74	—	193.99	—
	कुल	**4,370.53**	**5,054.99**	**38.40**	**29.71**	**12,217.32**	**14,572.79**	**15,304.57**	**17,378.48**

@ 16 मार्च 2002 जो पीडी प्राधिकृत हुआ, परन्तु 2002-03 में परिवालित ।

@@ वर्ष 2002-03 के दौरान पीडी परिचालन बन्द

संक्षेपाक्षरों की सूची

ACE	आस्ति सुरक्षा उद्यम
AD	प्राधिकृत व्यापारी
AFS	बिक्री के लिए उपलब्ध
ALM	आस्ति-देयता प्रबंध
AMC	आस्ति-प्रबंध कम्पनी
ARC	आस्ति-पुनर्निर्माण कम्पनी
ARCIL	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (भारत) लि.
AS	लेखांकन मानक
ATM	स्व-चालित टेलर मशीन
BCBS	बैंक पर्यवेक्षण पर बेसिल समिति
BFS	वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड
BIFR	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
BIS	अन्तर्राष्ट्रीय निपटान बैंक
BSE	शेयर बाजार, मुम्बई
BSR	मूलभूत सांख्यिकी विवरणी
CALCS	पूंजी-पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, चलनिधि, अनुपालन और प्रणाली
CAMELS	पूंजी-पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंध, आय, चलनिधि तथा प्रणालियाँ
CAR	पूंजी-पर्याप्तता अनुपात
CBLO	संपार्श्वीकृत उधार और ऋणदायी बाध्यता
CBS	समेकित बैंकिंग सांख्यिकी
CCB	मध्यवर्ती सहकारी बैंक
CCEA	आर्थिक-मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति
CCIL	भारतीय समाशोधन निगम लि.
CD	कम्पैट डिस्क
CDs	जमा प्रमाणपत्र
CDR	कम्पनी-ऋण पुनर्संरचना
CDSL	केंद्रीय निक्षेपागार सेवा लि.
CEO	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
CFS	समेकित वित्तीय विवरण
CIBIL	भारतीय ऋण सूचना ब्यूरो लि.
CISA	प्रमाणित सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षक
CLF	जमानती ऋण सुविधा
CoR	पंजीकरण प्रमाणपत्र
CP	वाणिज्यिक पत्र
CP3	तीसरा परामर्शी पत्र
CPR	समेकित विवेकसम्मत रिपोर्ट
CPSS	भुगतान और निपटान प्रणाली संबंधी समिति
CRAR	जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात
CRISIL	भारतीय साख दर निर्धारण एवं निवेश सेवा लि.
CRM	देश जोखिम प्रबन्धन
CRR	नकदी प्रारक्षित अनुपात
CSGL	ग्राहक का सहायक सामान्य बही खाता
CVC	केन्द्रीय सतर्कता आयोग
DAP	विकास कार्रवाई योजना
DCA	कम्पनी-कार्य विभाग
DCA	देनदार-लेनदार दाता करार
DCCB	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
DeaR	जोखिम पर रोजाना अर्जन
DFHI	भारतीय मितीकाटा और वित्तगृह लि.
DFI	विकास वित्त संस्थाएं
DICGC	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

DNS	आस्थगित निवल निपटान
DRAT	ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण
DRI	विभेदक ब्याज दर
DRT	ऋण वसूली न्यायाधिकरण
DTL	मांग और मीयादी देयताएँ
ECA	निर्यात ऋण एजेंसियाँ
ECR	निर्यात ऋण पुनर्वित
ECS	इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा
EDP	इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग
EEFC	विदेशी मुद्रा अर्जकों का विदेशी मुद्रा खाता
EFT	इलेक्ट्रॉनिक निधि अन्तरण
EXIM Bank	भारतीय निर्यात-आयात बैंक
FC	कृषक क्लब
FCNR	विदेशी मुद्रा अनिवासी
FDI	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
FEMA	विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम
FFMC	पूर्ण मुद्रा परिवर्तक
FI	वित्तीय संस्थाएँ
FIMMDA	निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ
FRA	वायदा दर करार
GDP	सकल देशी उत्पाद
GLC	ऋण की सामान्य व्यवस्था
HFC	आवास वित्त कम्पनी
HFT	लेनदेन के लिए धारित
HLCC	वित्तीय और पूँजी बाजार पर उच्चस्तरीय समन्वयन समिति
HTM	परिपक्वता के लिए धारित
IBA	भारतीय बैंक संघ
IBJ	जापानी औद्योगिक बैंक
IBK	कोरियाई औद्योगिक बैंक
IBS	अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिग सांख्यिकी
ICA	अन्तर ऋणकर्ता करार
ICAI	भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
IC-D	जमाराशियों की तुलना में निवेश + ऋण अनुपात
IDBI	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
IDFC	बुनियादी सुविधा विकास वित्त कम्पनी
IDRBT	बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान
IFMS	एकीकृत विदेशी मुद्रा प्रबन्ध-प्रणाली
IFR	निवेश घट-बढ़ के लिए प्रारक्षित निधि
IIBI	भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि.
INFINET	इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क
IPO	प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गम
IRAC	आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण
IRB	आन्तरिक दर आधारित
IRD	ब्याज दर व्युत्पन्नी
IRS	ब्याज दर स्वैप
IT	सूचना प्रौद्योगिकी
JPC	संयुक्त संसदीय समिति
KCC	किसान क्रेडिट कार्ड
KYC	अपने ग्राहक को जानिए
L_3	व्यापक चलनिधि
LAB	स्थानीय क्षेत्र बैंक
LAF	चलनिधि समायोजन सुविधा
LBS	अग्रणी बैंक योजना
LC	साखपत्र
LGD	हानिप्रद चूकें
LIBOR	लन्दन अन्तर बैंक प्रस्तावित दर
LOCOM	लागत और बाजार मूल्य से न्यून
MBC	परस्पर हितकारी कंपनी
MBFC	पारस्परिक हितकारी वित्तीय कम्पनी
MBS	बंधक समर्थित प्रतिभूतियां
MF	पारस्परिक निधियाँ
mF	व्यष्टि वित्त
MIBOR	मुम्बई अन्तर बैंक प्रस्तुत दर

MIDL	आधुनिकीकरण और संस्थागत विकास ऋण
MIFOR	मुम्बई अन्तर बैंक वायदा दर
MIS	प्रबंध सूचना प्रणाली
MLR	न्यूनतम उधार दर
MNBC	विविध गैर-बैंकिंग कम्पनी
MoU	समझौता ज्ञापन
MTM	बाजार मूल्यों के अनुसार मूल्यन
NABARD	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
NAV	निवल आस्ति मूल्य
NBC	निवल बैंक ऋण
NBFC	गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी
NCAER	राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद
NDS	सौदाकृत लेनदेन प्रणाली
NDTL	निवल मांग और मीयादी देयताएं
NGO	गैर-सरकारी संगठन
NHB	राष्ट्रीय आवास बैंक
NIAS	राष्ट्रीय प्रभाव आकलन सर्वेक्षण
NIBM	राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान
NII	निवल ब्याज आय
NMCE	राष्ट्रीय बहुपण्य शेयर बाजार
NOF	निवल स्वाधिकृत निधियां
NPA	गैर-निष्पादक आस्तियां
NPL	गैर-निष्पादक ऋण
NRE	अनिवासी बाह्य खाता
NRO	अनिवासी सामान्य खाता
NSDL	राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार डिपॉज़िटरी
NSE	राष्ट्रीय शेयर बाजार
OBS	तुलन-पत्रेतर से बाहर
OBU	अपतटीय बैंकिग इकाई
OCD	वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर
OIS	रातभर के लिए सूचकांक स्वैप
OLIC	राजभाषा कार्यान्वयन समिति
OS	परिचालन प्रणाली (आपरेटिंग सिस्टम)
OSMOS	अप्रत्यक्ष निगरानी और चौकसी प्रणाली
OSS	अप्रत्यक्ष निगरानी प्रभाग
OTCEI	ओवर दि काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया
OTS	एक बारगी निपटान
PAC	लोक लेखा समिति
PACS	प्राथमिक कृषि ऋण समिति
PB	सहभागी बैंक
PCA	त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई
PCARDB	प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
PCFC	विदेशी मुद्रा में लदान पूर्व ऋण
PD	प्राथमिक व्यापारी
PDAI	भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ
PKI	पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर
PLR	मूल उधार दर
PMLA	काला धन निरोधी अधिनियम
PMRY	प्रधानमंत्री रोजगार योजना
PMS	निवेश संविभाग प्रबंध सेवाएं
PSB	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
PSRS	विवेकसम्मत पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग प्रणाली
PSU	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
PVBP	आधार बिन्दु पर वर्तमान मूल्य
QIB	पात्र संस्थागत क्रेता
QIS	मात्रात्मक प्रभाव अध्ययन
RBS	जोखिम आधारित पर्यवेक्षण
RC	पुनर्निर्माण कम्पनी
RFC	निवासी विदेशी मुद्रा
RIDF	ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि
RMC	सीमित मुद्रा परिवर्तक

RMD	संसाधन प्रबन्धन विचार-विमर्श
RNBC	अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कम्पनी
RoA	आस्तिपर प्रतिलाभ
RRB	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
SAC	निपटान परामर्शी समिति
SACP	विशेष कृषि ऋण योजना
SAO	मौसमी कृषि कार्य
SARFAESI	वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम
SC	प्रतिभूतिकरण कम्पनी
SCARDB	राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
SCB	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
SEBI	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)
SEZ	विशेष आर्थिक अंचल
SFC	राज्य वित्त निगम
SGL	सहायक सामान्य बही (एसजीएल)
SGSY	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
SHCIL	स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लि.
SHG	स्वयं-सहायता समूह
SHPI	स्वयं-सहायता संवर्धन संस्था
SIDBI	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SKS	स्वयं कृषि संगम
SLR	सांविधिक चलनिधि अनुपात
SLRS	सफाई कर्मचारी मुक्ति एवं पुनर्वास योजना
SME	लघु एवं मध्यम आकार के उद्यम
SSI	लघु उद्योग
StCB	राज्य सहकारी बैंक
STCI	भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम
STPLR	अल्पावधिक मूल उधार दर
STRIPS	पंजीकृत प्रतिभूतियों के ब्याज और मूलधन का पृथक करोबार
SPV	विशेष प्रयोजन साधन
TAP	तकनीकी सहायता कार्यक्रम
TFCI	भारतीय पर्यटन वित्त निगम
UBD	शहरी बैंक विभाग
UCB	शहरी सहकारी बैंक
URR	एक समान नियम और विनियम
UTI	भारतीय यूनिट ट्रस्ट
UTIMF	यूटीआइ पारस्परिक निधि
VaR	जोखिम पर मूल्य
VRS	स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना
VSAT	वीसेट (वेरी स्माल अपर्चर टर्मिनल)
VVV	विकास स्वयं सेवक वाहिनी
WADR	भारांकित औसत बट्टा दर
YTM	परिपक्वता पर आय